द्वादश माला, खंड 2, अंक 6

बुधवार, 3 जून, 1998
13 ज्येष्ठ, 1920 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(बारहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा० आशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री सुरेन्द्र कौशिक
निदेशक
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री राम लाल गुलाटी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

श्रीमती अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय सूची

[द्वादश माला, खंड-2, दूसरा सत्र, 1998/1920 (शक)]

अंक 6, बुधवार, 3 जून, 1998/13 ज्येष्ठ, 1920 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 102 और 103	1-22
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 104-121	22-47
अतारांकित प्रश्न संख्या 1110-1266	47-219
सभा पटल पर रखे गए पत्र	221-230, 340
राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक	230-231
याचिका का प्रस्तुतीकरण	231
लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का गठन	231-233
विधेयक - *पुरःस्थापित*	
(एक) विद्युत विनियामक आयोग विधेयक	234-240
(दो) बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक	244-245
विद्युत विनियामक आयोग अध्यादेश के बारे में विवरण	240
बजट में पेट्रोल और यूरिया की कीमतों में वृद्धि के बारे में	247-258
नियम 377 के अधीन मामले	279-284
(एक) मध्य प्रदेश के सतना जिले में बाण सागर परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
श्री रामानन्द सिंह	279
(दो) सागर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु, राजघाट परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
श्री वीरेन्द्र कुमार	280

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित * चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

(तीन) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के एककों को संचार मंत्रालय के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाए जाने की आवश्यकता

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा 280

(चार) बंगलौर को ए-1 शहर घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री के.सी. कोंडय्या 281

(पांच) उड़ीसा के लू से प्रभावित लोगों को प्रधान मंत्री राहत कोष से वित्तीय सहायता देने और लू को राहत संहिता में प्राकृतिक आपदा के रूप में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयंती पटनायक 281

(छः) डॉ० भाऊसाहिब पंजाराव देशमुख की जन्म शताब्दी के अवसर पर एक स्मारक डाक-टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री आर.एस. गवई 282

(सात) त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग (संख्या 47) पर कुझीतुरई स्थित पुराने और जर्जर पुल की मरम्मत हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री एन. डेनिस 282

(आठ) असम के पहाड़ी क्षेत्रों में दूरदर्शन नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

डॉ० जयंत रंगपी 282-283

(नौ) अजमेर जिले के पेयजल की भारी कमी अनुभव कर रहे गांवों की समस्या के स्थायी समाधान हेतु उन्हें बीसलपुर परियोजना के साथ जोड़े जाने की आवश्यकता

डॉ० प्रभा ठाकुर 283

(दस) केरल में बेहतर दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु दूरसंचार विभाग में निम्न श्रेणियों में रोजगार केन्द्रों के माध्यम से पर्याप्त नियुक्तियां किए जाने की आवश्यकता

श्री टी. गोविन्दन 283-284

यम 193 के अधीन चर्चा

किसानों को उनके कृषि उत्पादों का लाभकारी मूल्य न दिए जाने के कारण देश के विभिन्न भागों में उनके द्वारा की गई आत्महत्या की घटनाएं 286-386

श्री आर.एल. जालप्पा 286-292

डॉ० रामकृष्ण कुसमरिया 292-294

श्री बेनी प्रसाद वर्मा 294-298

श्री नकली सिंह 298-300

श्री एच.डी. देवगौड़ा 300-304

विषय कॉलम

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन 304-307

श्री भूपिन्द्र सिंह हुड्डा 307-311

श्री चन्द्रशेखर साहू 311-313

श्री अनूप लाल यादव 313-315

डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी 315-318

श्री रामानन्द सिंह 318-321

श्री पी.सी. थामस 321-323

श्री आनन्द मोहन 323-325

श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन 325-327

डॉ० प्रभा ठाकुर 327-328

श्री प्रभुनाथ सिंह 328-330

श्री वीरेन्द्र सिंह 331-334

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी 334-337

श्री के.डी. सुल्तानपुरी 337-339

श्रीमती कैलाशो देवी 340-342

श्री बी.एम. मेनसिंकई 342-343

श्री वी. सत्यमूर्ति 343-347

डॉ० रवि मल्लु 347-350

श्री शैलेन्द्र कुमार 351-353

श्री नरेश पुगलीया 353-355

श्री विक्रम देव केशरी 355-357

श्री के.एच. मुनियप्पा 358-359

श्री एम. सेल्वारासु 359-360

श्रीमती रीना चौधरी 360

श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या 361-362

श्री सोमपाल 362-385

लोक सभा

बुधवार, 3 जून, 1998/13 ज्येष्ठ, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

किसानों की स्थिति

+

*102. डॉ० रामकृष्ण कुसमरिया :
श्री रामानन्द सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसानों की दशा को सुधारने हेतु कोई विशेष कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्यक्रम के कब से लागू किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

(क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) सरकार अनेक फसल विशिष्ट उत्पादन कार्यक्रम चला रही है जिनके अंतर्गत अनाज, दालें तथा तिलहन, बागवानी, गन्ना, पटसन और कपास आते हैं। ये कार्यक्रम किसानों को आदान तथा अन्य सहायक उपाय सुलभ कराते हैं। देश के अधिक संभावना परन्तु कम उत्पादकता वाले इलाकों को भूमिगत तथा सतही पानी की संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए नई कोशिशें करने का प्रस्ताव है ताकि इन क्षेत्रों की उत्पादन क्षमता का पूरा लाभ प्राप्त किया जा सके। योजना आयोग द्वारा तैयार की गई 25 वर्षीय संदर्शी योजना के आधार पर, कपास पर एक प्रौद्योगिकी मिशन आरम्भ किया जाएगा तथा पनधारा विकास के लिए प्रयास तेज किए जाएंगे। सहकारी संस्थाओं तथा ग्रामीण ऋण तन्त्र को मजबूत बनाने की स्कीमें आरंभ की जाने वाली हैं। सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए एक त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। नाबार्ड के अधीन ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष, रोजगार एवं आय सृजित करने की स्कीमें तथा उर्वरकों, अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों, पानी और बिजली जैसे आदानों की राजसहायतायुक्त पूर्ति के अलावा लाभकारी मूल्य समर्थन प्रणाली का उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाकर किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाना है। इन सब कार्यक्रमों तथा अगले दस वर्षों में देश में खाद्य उत्पादन दुगुना करने के प्रयासों से देश से भुखमरी दूर करने तथा किसानों की दशा में चहुंमुखी सुधार करने का लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा।

डॉ० रामकृष्ण कुसमरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने किसानों की दशा सुधारने के लिए विभिन्न योजनाएं तो बताई हैं, चाहे वह सिंचाई की योजना हो, बिजली की योजना हो, ऋण नीति की योजना हो तथा और भी कई योजनाएं उसमें वर्णित की गयी हैं। मैं उस विशेष बात के ऊपर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसका ब्यौरा इस प्रश्न के उत्तर में नहीं दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसान बर्बाद हो जाता है, चाहे वह ओलावृष्टि हो, अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि, सूखा हो, तुषार हो, बाढ़ हो या इल्ली से पैदा होने वाली बाधाएं हों। इनसे हुई क्षति का मुआवजा देने का प्रावधान भारत के किसी भी कानून में नहीं है। इनके कारण जब फसल नष्ट होती है और उसका मुआवजा नहीं मिलता है तो किसान की हालत खराब हो जाती है और वह कर्ज के बोझ से दब जाता है, कर्जदार हो जाता है। उसका कर्ज चुकाने और माफ करने का भी हमारे कानून में कोई प्रावधान नहीं है। इन कारणों से किसान की दशा खराब हो जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या किसानों की इस दुर्दशा को, जो प्राकृतिक आपदाओं से उनकी फसल नष्ट होती है, उनको मुआवजा देने का प्रावधान करने का, कोई कानून बनाने का उनका इरादा है।

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं है कि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली हानि के लिए कोई क्षतिपूर्ति का प्रावधान नहीं है। दसवें वित्त आयोग ने दो इस प्रकार की व्यवस्थाएं, संस्तुति की थी और नेशनल डैवलपमेंट कौंसिल ने उन संस्तुतियों को स्वीकार करने के बाद एक प्राकृतिक आपदा राहत कोष – 1995 से 2000 तक के लिए और दूसरा एक राष्ट्रीय आपदा राहत कोष, इन दो कोषों की स्थापना की है। इनमें से प्राकृतिक आपदा राहत कोष में यह व्यवस्था है कि जब इस प्रकार की आपदा के कारण फसलें खराब होती हैं तो यह उत्तरदायित्व प्रदेश सरकारों का बना दिया गया है और इस कोष में 75 प्रतिशत अंशदान भारत सरकार द्वारा और 25 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकारों का होता है। प्रदेश सरकारें क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करती हैं। यदि किसी प्रदेश सरकार के संसाधनों से यह सम्भव नहीं हो पाता तो केन्द्र सरकार को वह इसकी सूचना भेजती है। यदि प्रथम दृष्टि में यह पाया जाता है कि राज्य सरकारों के अपने संसाधनों से यह सम्भव नहीं है तो एक केन्द्रीय दल अध्ययन के लिए वहां भेजा जाता है। उस अध्ययन दल की रिपोर्ट आने के बाद नेशनल डैवलपमेंट कौंसिल की एक समिति है जिसमें पांच मुख्यमंत्री और तीन केन्द्रीय मंत्री रहते हैं। उसके कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत और नियम हैं, उनके अनुसार ही उसके लिए आवंटन किया जाता है, ऐसी व्यवस्था है।

डॉ० रामकृष्ण कुसमरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, नैचुरल कैलेमिटिज के कारण मध्य प्रदेश के मुल्ताई में 27 किसानों की हत्या हो गई। उनके ऊपर गोली चलायी गई थी। इसी तरह अनेक प्रदेशों में जैसे आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में किसानों ने आत्महत्या की। जिस व्यवस्था का माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया, उसके तहत ऐसा नहीं लगता कि कहीं किसी भी किसान को राहत पहुंचाई गई हो या उनको मदद दी गई हो।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मंत्री जी ने यहां कई योजनाएं बताईं। उन्होंने ऋण योजना, ऋण नीति योजना और सिंचाई योजना बताई। हमारे मध्य प्रदेश में लगभग डेढ़ लाख किसानों की जमीनें भूमि विकास निगम के द्वारा नीलाम हो चुकी हैं और अनेक सिंचाई योजनाएं लम्बित पड़ी हैं। इसके कारण सिंचाई नहीं हो रही है। मेरा निवेदन यह है कि ऐसी सभी योजनाएं बन तो जाती हैं लेकिन लागू नहीं हो पाती। उनको तत्काल लागू करने का क्या सरकार के पास कोई कार्यक्रम है?

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है, वैसे वह जल संसाधन विभाग से संबंधित है। अधिकतर जल संसाधन की योजनाएं, परियोजनाएं राज्य सरकारें क्रियान्वित करती हैं। फिर भी मैं यह कहना चाहता हूं कि एक एक्सटैंडिड इरिगेशन बैनिफिट स्कीम है जिस के तहत इस वर्ष बजट प्रावधान में करीब 58 परसैंट की वृद्धि की गई है। इससे काफी अतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था होगी। उसमें विशेष ध्यान इस बात पर दिया गया कि जो परियोजनाएं अपने अंतिम चरण तक पहुंच चुकी हैं, उनको शीघ्रातिशीघ्र सम्पन्न करके, अतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था अगले दो-तीन वर्षों में कर दी जाए। इन सब का अनुसरण केन्द्र सरकार करती है। इस योजना के तहत सैंट्रल लोन असिस्टैंस दी जाती है।

श्री रामानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि देश के अधिक संभावना परन्तु कम उत्पादकता वाले इलाकों की भूमिगत तथा सतही पानी की संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए नई कोशिशें करने का प्रस्ताव है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने देश के अधिक संभावना परन्तु कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों की पहचान करा ली है? क्या मध्य प्रदेश के भिंड, सतना, रीवा, सीधी, शहडोल, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ इलाके कम उत्पादकता की परिधि में आते हैं?

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की यह बात ठीक है कि जिन क्षेत्रों में सिचांई की समुचित व्यवस्था नहीं है, वे कम उत्पादकता वाले क्षेत्र में और देश के अधिकांश गरीब उन्हीं क्षेत्रों में बसते हैं। भारत सरकार ने वर्षा पर आधारित क्षेत्रों के लिए नेशनल वाटर शैड डेवलपमैंट प्रोजैक्ट की एक विशेष योजना बनाई है। जहां जल संसाधनों का अभाव है, वर्ष भर बहने वाली नदियां कम हैं, या नहरें या तो बन नहीं सकती या बनी नहीं है और वर्षा भी कम होती है, उन क्षेत्रों के लिए एक परियोजना बनाई गई है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को सूचित करना चाहता हूं कि योजना आयोग ने एक 25 वर्षीय परियोजना बनाई है। इस पर लगभग 75,800 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है और यह पांच पंचवर्षीय योजनाओं में क्रियान्वित की जाएगी। इसके तहत 64.3 मिलियन हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई व्यवस्था की जाएगी। उसमें से इस वर्ष 677 करोड़ रुपए का प्रावधान माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में किया है। जिन क्षेत्रों की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं, वे कम उत्पादकता वाले क्षेत्र हैं। उनमें इन परियोजनाओं को लागू किया जाएगा।

श्री रामानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा इससे रिलेटिड एक और सप्लीमैंट्री क्वश्चन है.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रामानंद सिंह, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाईए।

.......*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जब अपनी पहली चुनाव सभा के दौरान धुलिया आए थे तो उन्होंने सहर्ष यह घोषणा की थी कि वे किसानों की समस्याओं पर गौर करेंगे और कृषि बीमा योजना को भी लागू करवाएंगे।

मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि उस योजना का क्या हुआ। मैं माननीय मंत्री महोदय से, जो बार-बार कह रहे हैं कि वह किसानों की दशा को सुधारने के लिए कदम उठा रहे हैं यह जानना चाहूंगा कि क्या महाराष्ट्र सरकार की कपास एकाधिकार योजना को पांच वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा।

किसान की दशा मृदा कृषि भूमि की स्थिति पर निर्भर करती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप उपलब्ध नई प्रौद्योगिकी को इस्तेमाल में लाकर देश के विभिन्न भागों में मृदा की स्थिति का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। ताकि किसान को इस बात की जानकारी मिल सके कि उसे किस किस्म के उर्वरकों को कितनी मात्रा में इस्तेमाल में लाना है।

श्री सोमपाल : जहां तक बीमा योजना का संबंध है, वर्तमान में व्यापक फसल बीमा योजना नामक एक योजना पहले से भी कार्यान्वित की जा रही है। लेकिन, हाल ही में हमने एक और योजना जिसे संशोधित फसल बीमा योजना के नाम से जाना जाएगा, को लागू करने का निर्णय लिया है जिसमें बीमाकृत राशि की कोई सीमा नहीं होगी। पूर्व योजना में यह सीमा 10,000 रुपये थी और यह केवल छोटे और सीमान्त किसानों के लिए लागू थी। नई योजना सभी प्रकार की फसलों और किसानों के लिए लागू की जाएगी। उसके दो घटक होंगे उसमें से एक ऋणी घटक होगा। इसके अंतर्गत किसान के लिए उतनी राशि का बीमा करवाना अनिवार्य होगा जितना वह ऋण लेगा। दूसरा घटक स्वैच्छिक होगा जिन किसानों ने ऋण नहीं लिया है, उन्हें भी इस योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। इस योजना के लिए वर्तमान बजट में 100 करोड़ रुपए की राशि पहले ही नियत कर दी गई है।

हम इस बारे में यथा समय उपयुक्त विधान से और संस्थागत ढांचा व क्षति मूल्यांकन प्रणाली तैयार करेंगे और शीघ्र उसे लागू करेंगे।

माननीय सदस्य द्वारा मृदा परीक्षण सुविधाओं के बारे में पूछे गए प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर में, मैं यह मानता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में मृदा परीक्षण सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं और मृदा परीक्षण सुविधाओं में पर्याप्त रूप से वृद्धि करके इस योजना को अद्यतन बनाया जाना है और उनमें नवीनतम तकनीकों को प्रयोग में लाया जाएगा। हमारे कृषि विज्ञान केन्द्र, विभिन्न विश्वविद्यालय, राज्य संस्थान और अनुसंधान केन्द्र अपना-अपना कार्य कर रहे हैं लेकिन यह पर्याप्त नहीं है और इन्हें अद्यतन बनाया जाना चाहिए और परीक्षण सुविधाओं में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : उन्होंने कपास एकाधिकार योजना के बारे में मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री सोमपाल : महाराष्ट्र एकमात्र एक ऐसा राज्य है जिसमें यह योजना चल रही है।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप इस योजना की कार्यावधि को बढ़ाएंगे।

श्री सोमपाल : इस समय मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं, मैं सूचना भेज दूंगा।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, सवाल तो बहुत हैं लेकिन मैं एक छोटी सी बात की तरफ मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक स्कीम चली थी स्प्रिंकलर और ड्रिप इरीगेशन की। उसके लिए मेरे समय में 50 से 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाता था। गौड़ा जी आए थे तो उन्होंने ऐलान किया ताकि 75 प्रतिशत आम किसान को और 90 प्रतिशत हरिजन भाइयों और महिलाओं को दिया जाएगा। लेकिन देखने में आया कि न तो वह अनुदान दिया जा रहा है और अगर कहीं दिया जा रहा है तो सीमित मात्रा में, कहीं पांच हजार रुपये एकड़ देते हैं, कहीं सात हजार रुपए एकड़ देते हैं। बाकी पैसा नहीं देते हैं। यह स्कीम सबसे ज्यादा उत्तम होगी जब आप उन क्षेत्रों की बात करते हैं जहां सिंचाई नहीं है और आपने सिंचाई करके ज्यादा अन्न पैदा करना है और गरीबी दूर करनी है तो इससे ज्यादा उत्तम विधि नहीं हो सकती है, पानी बचाने की इससे ज्यादा उत्तम विधि नहीं हो सकती है।

यहां प्रधान मंत्री जी बैठे हैं। शुक्र है कि आप आए। "कुफ्र टूटा खुदा-खुदा करके"। कोई बात नहीं। उस दिन आप नहीं थे तो मुझे धक्का लगा था। आप बताएँगे कि क्या वह स्कीम आप लागू करेंगे, वह स्कीम लागू है या नहीं क्योंकि इस बजट में उसका कोई हवाला नहीं है, कोई पैसा आबंटित नहीं किया गया है और यह बहुत घातक चीज़ है?

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, सिंचाई की उन्नत तकनीकों का प्रयोग करके जल के अधिक अच्छे उपयोग के लिए, अधिक उत्पादक उपयोग के लिए जो राहत की स्कीम, जो सबसिडी की स्कीम थी, ऐसी स्कीम अभी भी है और उसमें किसानों को अनुदान दिया जाता है। वह कितना प्रतिशत है, मेरे पास उसके आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

श्री बलराम जाखड़ : क्या आप इसकी सूचना देंगे कि आप कितना दे रहे हैं, कब देंगे और कैसे देंगे?

श्री सोमपाल : अभी भी 70 प्रतिशत सामान्य कृषकों को और 90 प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और महिला किसानों को इसमें राहत दी जाती है।

श्री बलराम जाखड़ : मैं यह पूछ रहा हूं कि पैसा नहीं मिलता है।

श्री सोमपाल : 15 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर तक इसके लिए दिया जाता है।

श्री बलराम जाखड़ : कोई सीमा नहीं रखी थी कि कितनी जमीन हो, कितनी ही कम हो क्योंकि यह देश हित की बात है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस पर आप थोड़ा विचार करके बताइये। प्रधानमंत्री जी यह सबसे उत्तम स्कीम है जिसका यहां जिक्र हो रहा है।

श्री सोमपाल : कितना दिया जाता है, यह सूचना मैं आपको भिजवा दूंगा।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया कि भिन्न-भिन्न योजनाओं के द्वारा अगले दस साल के अंदर किसानों को पूरी सुविधाएं दी जायेंगी। इसके साथ-साथ उनकी दशा सुधारने तथा उनका बहुमुखी विकास करने का प्रयत्न किया गया है। अभी बरसात का सीजन शुरू हुआ है। लेकिन गुजरात में ऐसे बहुत से सूखे इलाके हैं जहां का किसान हर बार परेशान होता है। गुजरात में संसाधनों की बहुत कमी है। वहां हर गांव में एक तालाब होता है। यदि उस तालाब को गहरा किया जाए तो उनमें बरसात के सीजन में पूरा पानी भर जाता है और पूरे 12 महीने तक गांव वाले उसमें से सिंचाई भी कर सकते हैं और पीने का पानी भी ले सकते हैं। गुजरात में जे.सी.बी. मशीनों की संख्या बहुत कम है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि वहां एक तहसील में दो-दो मशीनें काम कर रही हैं। वहां गुजरात के किसान बहुत खुश हैं। यदि जे.सी.बी. मशीनें वहां हर गांव में दो-दो, तीन-तीन दिन के लिए दे दी जाएं तो किसान अपनी मजदूरी से तालाब को गहरा कर सकता है, मिट्टी डोकर तालाब को अच्छा बना सकता है। क्या भारत सरकार की तरफ से जे.सी.बी. मशीन गुजरात सरकार को देने के लिए अथवा और राहत देने के लिए माननीय मंत्री जी कोई प्रयत्न करेंगे?

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात उठाई है। जो वर्षा पर आधारित क्षेत्र हैं और जहां कम वर्षा होती है, वहां वर्षा के जल को संग्रह करके उसे भूमि के ऊपर और भूमिगत जलस्रोतों में भरने के अलावा इसका कोई उपाय नहीं है और जिस परियोजना की मैंने चर्चा की थी कि योजना आयोग ने पांच पंचवर्षीय योजनाओं में क्रियान्वित की जाने वाली 75800 करोड़ की जो वर्षा जल ग्रहण तकनीक के माध्यम से, जिसको वाटर शेड मैनेजमेंट तकनीक कहा जाता है, उसमें तालाबों, जोहड़ों और इस प्रकार की झीलों और जो नैसर्गिक रूप से जल संग्रह की व्यवस्थाएं थी, रीचार्जिंग फैसेलिटीज थी, उनको दोबारा उजागर करने के लिए सरकार इस परियोजना में इस कार्यक्रम को उसका अभिन्न अंग मानती है और इसके लिए केन्द्र सरकार से अवश्य राहत दी जायेगी और यह अशंदान पूरा शत-प्रतिशत केन्द्र सरकार से राज्य सरकारों को इसमें दिया जायेगा और दिया जा रहा है। 1997-98 के बजट में जो संशोधित अनुमान 517 करोड़ था उसकी राशि को इस बार बढ़ाकर 677 करोड़ कर दिया गया है। यह सूचना मैं सदन को पहले ही दे चुका हूं।

[अनुवाद]

श्री बीर सिंह महतो : अध्यक्ष महोदय, किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का अध्ययन करने और यह पता लगाने के लिए कि कितनी धनराशि किसानों के लाभार्थ पहुंचती है, दोनों सदनों की कृषि पृष्ठभूमि वाले माननीय सदस्यों को शामिल करते हुए एक संसदीय समिति का गठन करना चाहती है।

[हिन्दी]

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सांसद महोदय को सूचित करना चाहता हूं कि इसी संसद की जो कृषि संबंधी स्थाई समिति है, यह कार्य पहले से ही कर रही है और यदि माननीय सांसद को इसमें रुचि है, तो वे अपने दल के द्वारा अपने आप को उसमें नामित करा सकते हैं तथा उसमें भाग ले सकते हैं।

यह समिति पहले से ही यह कार्य कर रही है और बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। मैं उससे सम्बद्ध रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि योजना आयोग द्वारा तैयार की गई 25 वर्षीय संवर्शी योजना के तहत कपास और दूसरी फसलों को उन्नत किस्म की बनाने का प्रयास किया जाएगा और दूसरी बात उन्होंने कही है कि सहकारी संस्थाओं तथा ग्रामीण ऋण तंत्र को मजबूत बनाने की स्कीमों को आरम्भ करने वाले हैं।

[अनुवाद]

कृषि उत्पादन में वृद्धि अवरुद्ध सी हो गई है। क्योंकि जल भराव, क्षारीयता और कीटनाशकों का निर्धारित मात्रा से अधिक उपयोग करने के कारण भूमि की उर्वरता में कमी आई है। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस गिरावट को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, अगर आप इस तरफ ध्यान दें तो पाएंगे कि कारखानेदार बैंक से जो ऋण लेता है और लिए हुए करोड़ों रुपयों को यदि वह वापस न करे, तो उसका लोन राइट-आफ कर दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर किसान कोई कर्ज ले, चाहे बैंक से या किसी अन्य संस्था से.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अनुपूरक प्रश्न पूछिए। आपको भाषण नहीं देना है।

श्री सुरेन्द्र सिंह : जी हाँ, मैं केवल अनुपूरक प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

[हिन्दी]

यदि किसान लिए हुए कर्ज को वापस न करे, चाहे वह सहकारी संस्था का हो या बैंक का हो, तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। मुझे मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार के विचाराधीन ऐसी कोई योजना है जिसके अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान हो जिससे किसान को जेल भेजने की बजाय कारखानेदार को एट पार विद कंसीडर किया जाए और किसान की तरह ही कारखानेदार को जेल भेजा जाए, ताकि किसान की समस्या हल हो सके?

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सुरेन्द्र सिंह जी ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं और अन्त में एक सवाल उन्होंने ऋण वसूली के बारे में पूछा है। मैं उसके बारे में आपके माध्यम से माननीय सदस्य को स्मरण करना चाहता हूं कि अपने बजट भाषण के दौरान माननीय वित्त मंत्री जी ने यह बात कही थी कि ऋण वसूली के लिए किसानों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसके लिए वे आवश्यक निर्देश रिजर्व बैंक और सभी राष्ट्रीयकृत बैंको और ऋण देने वाली दूसरी संस्थाओं को देने जा रहे हैं। वसूली की प्रक्रिया को सरल करने, ऋण देने की प्रक्रिया को सरल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जा रही है कि किसानों के जो कर्जे हैं। उनका सैटलमेंट किया जाए और किसानों का इस प्रकार से उत्पीड़न न किया जाए। इन बातों की घोषणा यह सरकार पहले ही कर चुकी है और हम इसको क्रियान्वित करेंगे।

श्री सुरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का पूरा जवाब नहीं दिया गया है। अभी जो रीसेंट सुसाइड दक्षिण भारत में हुए हैं, उनमें मुख्य कारण यही रहा है कि किसानों ने जो कर्जा बैंकों या सहकारी संस्थाओं से लिया था, उसको वे वापस नहीं कर सके। ......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, सुरेन्द्र सिंह जी, कृपया बैठिए। आप इस प्रकार से सवाल नहीं पूछ सकते।

कर्नल सोनाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं पश्चिम राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर से आता हूं। आप जानते हैं कि वहां 10 सालों में से औसतन 8 साल अकाल पड़ता है या अकाल जैसी स्थिति रहती है। वहां सिंचाई के लिए कोई साधन नहीं है। जहां कुछ अंडरग्राउंड वाटर है या जहां कुएं हैं, वहां पानी का लैवल काफी नीचे जा रहा है।

उन्होंने जो इन्वेस्टमैंट किया है, उसके लिए उनको मुश्किलें हो रही हैं। हम देखते हैं कि वहां पावर्टी लाइन के नीचे 55 प्रतिशत लोग रहते हैं जबकि हिन्दुस्तान में एवरेज 34 प्रतिशत बतायी गयी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पश्चिम राजस्थान जो कि बहुत पिछड़ा हुआ है जहां किसान अधिकतर अकाल पीड़ित रहते हैं, क्या उनके लिए आपके पास कोई पैकेज है, कोई स्कीम है,जिसके तहत वहां के कमजोर और गरीब किसान लाभ उठा सकें।.......*(व्यवधान)* वहां प्रधान मंत्री जी भी गये थे। उनको मैंने पहले भी पत्र लिखा था कि उन्होंने हिल एरियाज को, नार्थ ईस्ट को अलग-अलग कन्सेशन दे रखा है तो इस अथाह रेगिस्तान इलाके को भी कुछ दें.......*(व्यवधान)* यह किसानों की बात है।

अध्यक्ष महोदय : आप सप्लीमैंट्री क्वेश्चन पूछिये।

कर्नल सोनाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं सप्लीमैंट्री ही पूछ रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि वहां पानी कहीं से नहीं मिलता। अभी राजस्थान नहर गयी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या आप उन किसानों के लिए कोई पैकेज दे रहे हैं या नहीं ? अगर आप इस तरह से नहीं करते तो कम से कम आपने जो हिली एरियाज और नार्थ ईस्ट को रियायत दे रखी है, उसी तरह से इनको भी दे दें ताकि वह अपना कोई साधन रख सकें। आज की तारीख में मैं यह कहना चाहता हूं कि 55-56 प्रतिशत किसान वहां से चले गये हैं। कोई गंगा नगर चला गया है, कोई हरियाणा चला गया है, तो कोई गुजरात चला गया है।.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

कर्नल सोनाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हमें कभी-कभी ही मौका मिलता है।....... *(व्यवधान)* पश्चिम राजस्थान का कोई मालिक नहीं है। वहां बहुत गरीबी है। नार्थ ईस्ट के लिए सब करते हैं, हिली एरियाज के लिए सब करते हैं लेकिन इसके लिए कोई नहीं करता।.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी.एम. सईद : महोदय, हमने इस प्रश्न पर पूरे पच्चीस मिनट बिता दिए हैं। हमें अगले प्रश्न पर विचार करना चाहिए जो इसी प्रकार बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।.......*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कर्नल सोनाराम चौधरी : मैं प्रधान मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे इस पर सोचकर जवाब दें तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पोखरण में अभी परमाणु परीक्षण हुए हैं। 1974 में भी परमाणु परीक्षण हुआ था। आप इस एरिया के लिए कुछ करिये।.......*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : लखनऊ पैकेज है।

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने राजस्थान के उस क्षेत्र से संबंधित सवाल उठाया है जो सबसे अधिक उपेक्षित है और जहां रेगिस्तान का साम्राज्य है। मैं उनसे सहमत हूं कि जैसे कुछ क्षेत्रों के लिए हमने विशेष योजनायें बनाई हैं वैसी योजना उस मरूस्थल प्रदेश के लिए नहीं है। उनका सुझाव बहुत अच्छा है। उस पर अवश्य विचार किया जायेगा और कार्यवाही की जायेगी।.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 103 श्री मुकुल वासनिक।

.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आठ माननीय सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति पहले ही दे चुका हूं। अगला प्रश्न भी कमोबेश इसी विषय पर है। श्री मुकुल वासनिक।

.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। इसी विषय पर नियम 193 के अंतर्गत चर्चा भी चल रही है। इसके बावजूद मैंने आठ माननीय सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी है। कृपया स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए और अपने स्थान पर बैठ जाइए।

.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया पहले अपने स्थान पर बैठ जाइए।

निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम

*103. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्धनता रेखा से नीचे कितने लोग रह रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने चल रहे निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार, 320.37 मिलियन लोगों का वर्ष 1993-94 में गरीबी रेखा से नीचे रहने का अनुमान है। यह कुल जनसंख्या का 35.97 प्रतिशत है।

(ख) और (ग) सरकार ग्रामीण गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन कार्यक्रमों अर्थात् एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.) तथा रोजगार आश्वासन स्कीम (ई.ए.एस.) के क्रियान्वयन की समय-समय पर केन्द्रीय स्तर की समन्वय समिति (सी.एल.सी.सी.) राज्य स्तर की समन्वय समिति (एस.एल.सी.सी.) में तथा जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डी.आर.डी.ए.) के शासकीय निकाय द्वारा समीक्षा करती है। इन कार्यक्रमों की, प्रमुख इंडीकेटर्स के सम्बन्ध में राज्यों से प्राप्त नियमित प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से तथा केन्द्र, राज्य और क्रियान्वयन एजेंसियों के अधिकारियों द्वारा गहन क्षेत्र निरीक्षणों के माध्यम से भी समीक्षा की जाती है। ग्रामीण विकास के प्रभारी राज्य सचिवों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकें तथा डी.आर.डी.ए. के परियोजना निदेशकों के सम्मेलन बुलाए जाते हैं जिनमें इन स्कीमों के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाती है। राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरीय मानीटरिंग और सतर्कता समितियां गठित की गई हैं जिनमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को रखा गया है, जो इन स्कीमों के क्रियान्वयन की मानीटरिंग करते हैं।

इसके अलावा, विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के समग्र प्रभाव का उनके विशिष्ट उद्देश्यों के सम्बन्ध में मूल्यांकन करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय उनकी मुख्य स्कीमों का स्वतंत्र मान्यता प्राप्त संस्थानों/संगठनों के द्वारा आवधिक समवर्ती मूल्यांकन कराता है।

आई.आर.डी.पी. सम्बन्धी नवीनतम समवर्ती मूल्यांकन रिपोर्ट (सितम्बर 1992-अगस्त 1993) के मुख्य निष्कर्षों में सूचित कुछ सकारात्मक मुद्दे थे : (क) जहां 15.96 प्रतिशत सहायता प्राप्त परिवारों ने 11,000 रुपये की प्रति वार्षिक गरीबी रेखा को पार किया था वहां परिवारों के एक बड़े प्रतिशत (57.34 प्रतिशत) की आय में 2000 रुपये से अधिक की अतिरिक्त वार्षिक आय की वृद्धि हुई। 29 प्रतिशत मामलों में परिसम्पत्तियों से वार्षिक आय 6000 रुपये से भी अधिक थी। (ख) 95 प्रतिशत लाभग्राहियों ने महसूस किया कि उनको उपलब्ध कराई गई परिसम्पत्तियों का प्रकार उनकी इच्छा के अनुरूप था। बहुत से लाभग्राहियों ने परिसम्पत्तियों को अच्छी गुणवत्ता वाली पाया। चिन्ता के निम्नलिखित क्षेत्र बताए गए : (क) ट्राइसेम और डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए. के साथ आई.आर.डी.पी. का अत्यंत खराब लिंकेज (ख) 45 प्रतिशत मामलों में लाभग्राहियों द्वारा समाप्त परिसम्पत्तियों के निपटान के लिए किए गए दावे निपटाए नहीं गए।

इसी प्रकार जे.आर.वाई (1993-94) के समवर्ती मूल्यांकन में जो कुछ सकारात्मक मुद्दे प्रकाश में आए, वे थे : (क) ग्रामीण लिंक सड़कों के निर्माण को अखिल भारत स्तर पर ग्राम पंचायतों द्वारा उच्चतम प्राथमिकता दी गयी। देश के अन्य हिस्सों के साथ गांवों को जोड़ने के अलावा,। ग्रामीण सड़कों से ग्रामीण गरीबों के लिए रोजगार के और अधिक अवसर मिलें। (ख) पंजाब को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अकुशल कामगारों को प्रति श्रम दिवस देय औसत मजदूरी, अधिनियम में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के न्यूनाधिक बराबर थी। (ग) 86.8% प्रतिशत जे.आर.वाई. कार्यों में, मस्टर रोल का रखरखाव किया गया था तथा वे ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध थे। (घ) जे.आर.वाई. कामगारों ने प्रायः यह रिपोर्ट दी कि सृजित परिसम्पत्तियां गरीब लोगों के लिए लाभप्रद हैं। बताए गए चिन्ता के क्षेत्र थे :- (क) चुने गए पंचायतों के केवल 42.56 प्रतिशत प्रमुखों को जे.आर.वाई. कार्य के क्रियान्वयन का प्रशिक्षण दिया गया (ख) सृजित रोजगार में महिलाओं का हिस्सा केवल 16.59 प्रतिशत था; तथा (ग) केवल 35.7 प्रतिशत पंचायतों ने कराए गए कार्यों के ब्यौरों को जनता के सूचनार्थ सूचना पटल पर लगाया था।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम कुछ पूछना चाहते हैं.......*(व्यवधान)* आप एक मिनट सुन लीजिए।.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। कृपया सभा का समय बर्बाद मत कीजिए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम प्रश्न नहीं पूछना चाहते हैं.......*(व्यवधान)* हम यह कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह क्वैश्चन ऑवर है। आप इसमें केवल क्वैश्चन पूछिये।

.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसे सहज रूप से लीजिए।

.......*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : हम आपसे यह निवेदन करना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच जब चल रहा था तब हम नेपाल की तरफ बैठे थे।.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : उस तरफ उनका ध्यान नहीं गया था। अब यह हिन्दुस्तान की तरफ चल रहे हैं तो भी हमारी तरफ नहीं देख रहे।.......*(व्यवधान)*

श्री दत्ता मेघे : अध्यक्ष महोदय, यह किसानों का सवाल है। ....*(व्यवधान)* महाराष्ट्र के अंदर प्रधान मंत्री के कहने के बाद भी एक समिति नहीं गयी।.......*(व्यवधान)* आप हमें पूछने नहीं दे रहे हैं।.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको चांस दूंगा।

.......*(व्यवधान)*

श्री दत्ता मेघे : आप क्या बात कर रहे हैं।.......*(व्यवधान)* क्या आप ही क्यों बोलेंगे?.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में समय दूंगा। आप बैठिये।

.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज डा. चव्हाण : महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और प्रधानमंत्री जी को इसका उत्तर देना चाहिए।.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही प्रश्न संख्या 103 पूछने के लिए आमंत्रित किया है।

.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री चव्हाण, मैं पहले ही प्रश्न संख्या 103 पूछने के लिए आमंत्रित कर चुका हूं और माननीय सदस्य प्रश्न पूछने के लिए खड़े हैं।

श्री मुकुल वासनिक : माननीय मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखे गए उत्तर से यह प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों और रोजगार सृजन कार्यक्रमों की नियमित समीक्षा की जाती है। इसके अलावा उत्तर से यह भी प्रतीत होता है कि सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से बेहद संतुष्ट है। मैं निजी तौर पर यह कहना चाहूंगा कि मैं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूं। इनका कार्यान्वयन बेहद घटिया है। हमारा प्रश्न उन लोगों के बारे में है जो गरीबी रेखा से नीचे के हैं। माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार हमारे देश में 320 मिलियन लोग रह रहे हैं जो अब भी गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। माननीय मंत्री यह अद्यतन जानकारी प्रस्तुत कर पाए हैं।

मेरे पास स्थायी समिति का प्रतिवेदन है जिसने ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग के अनुदानों की मांगों की जांच की है। मैं इसमें से कुछ आंकड़े उद्धृत करना चाहूंगा। जैसा कि 1996-97 में प्रतिवेदित किया गया है गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत व्यय न की गई बकाया अथवा संचित राशि से योजनाएं आरम्भ की जा रही हैं। इनका ब्यौरा इस प्रकार है :

आई.आर.डी.पी.	376.91 करोड़ रुपए
ड्वाकरा	19.81 करोड़ रुपए
ट्राइसेम	36.4 करोड़ रुपए
ग्रामीण कारीगरों को संवर्धित औजार किट दिया जाना	11.31 करोड़ रुपए
जवाहर रोजगार योजना	832.27 करोड़ रुपए
इन्दिरा आवास योजना	198.44 करोड़ रुपए
दस लाख कुओं सम्बन्धी योजना	228.09 करोड़ रुपए
रोजगार आश्वासन योजना	959.55 करोड़ रुपए
डी.पी.ए.पी.	106 करोड़ रुपए
डी.डी.पी.	35.73 करोड़ रुपए

खर्च न की गई कुल राशि 2700 करोड़ रुपए बैठती है। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। यह खर्च न की गई वह धनराशि है जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए थी।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या योजना बनाई है कि गरीबी उन्मूलन और रोजगार के अवसर पैदा करने वाले कार्यक्रमों के लिए निर्धारित धनराशि का समुचित रूप से उपयोग किया जाए।

श्री राम नाईक : महोदय, यह सच है कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में अनेक कमियां हैं। यदि आप मेरे द्वारा दिए गए उत्तर को ध्यान से पढ़ें तो आप देखेंगे कि मैंने वही बात कही है जो आपने कही है अर्थात् : "समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) को ट्राईसेम और ड्वाकरा के साथ सही ढंग से सम्बद्ध न किए जाने पर चिंता व्यक्त की गई थी।" यहां तक कि अपने मूल्यांकन कार्यक्रम में भी हमने यह देखा है कि यही विषय चिन्ताजनक है। इसलिए यह सच है कि धनराशि खर्च नहीं की गई। हम अपनी तरफ से यह भरसक कोशिश करेंगे कि इन कार्यक्रमों में सुधार हो। हालांकि हमारे माननीय सदस्य भी अपने अनुभव के आधार पर इन योजनाओं में आवश्यक और अपेक्षित सुधारों के बारे में सुझाव दे सकते हैं। योजनाओं में सुधार किया जा सकता है और हम उसके लिए तैयार हैं लेकिन एक बात मैं आपको अवश्य बताना चाहूंगा कि जो कुछ भी हुआ है वह मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर हुआ है। इसलिए मैं यह नहीं कहता कि हम संतुष्ट हैं। हमारे देश की 35 प्रतिशत जनसंख्या का गरीबी

रेखा से नीचे जीवन यापन करना निश्चय ही हम सब के लिए चिंता की बात है। हम उनकी स्थिति को सुधारने का प्रयास करेंगे।

श्री मुकुल वासनिक : संसद ने तिहत्तरवें संविधान संशोधन के द्वारा सरकार को पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन करने का आदेश दिया है। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर अनेक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाए और कार्यान्वित किये जा रहे हैं। लेकिन यह बात हमारी जानकारी में आयी है कि कुछ राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं किया है। जिसके कारण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

मैं महाराष्ट्र राज्य का एक उदाहरण देना चाहता हूं। महाराष्ट्र में इतने वर्षों के बाद आज भी हम यह देखते हैं कि शक्तियां पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों के बजाय अधिकारियों के पास होती है। केन्द्र ने यह निर्देश दे रखे हैं कि जिला परिषदों के अध्यक्ष डी.आर.डी.ए. कार्यक्रम के अन्तर्गत बनी जिला स्तरीय समितियों के सभापति होंगे। परन्तु अनेक राज्यों में आज भी जिलाधीश डी.आर.डी.ए. की जिला स्तरीय समिति का सभापति होता है। तो कुछ राज्यों में जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस समिति का सभापति होता है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है कि तिहत्तरवें संविधान संशोधन को अक्षरशः लागू किया जा सके और पंचायती राज संस्थाओं को उनकी शक्तियां प्राप्त हो सकें ताकि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सही ढंग से कार्यान्वित किया जा सके।

मैं प्रधानमंत्री महोदय से विशेष रूप से अपील करता हूं कि हम इक्कीसवीं शताब्दी में प्रवेश कर रहे हैं परन्तु हमारी स्थिति संतोषजनक नहीं है। करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं। इसलिए गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों के उत्थान के लिए हमें भरसक प्रयास करने चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस मामले में माननीय प्रधानमंत्री महोदय दखल दें।

श्री राम नाईक : महोदय यह वास्तव में सच है कि कार्यान्वयन एजेंसियों पर अभी भी एक तरह से नौकरशाह कब्जा जमाए हुए बैठे हैं। इस विषय पर पिछली लोक सभा के दौरान विस्तृत चर्चा हुई थी और यह निर्णय लिया गया था कि इस मामले में संसद सदस्य भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस संबंध में 1997 में निर्देश जारी कर दिए गये थे। परन्तु मेरा अपना अनुभव यह रहा है कि इन निर्देशों का सही-सही अनुपालन नहीं किया जा रहा है कि योजनाओं का कार्यान्वयन सही-सही ढंग से हो।

मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि यदि वे अपने जिले में पंचायती राज प्रणाली और जिला परिषदों के संबंधित अधिकारियों को सही ढंग से काम करता हुआ न पाएं तो ऐसे लोगों के विरुद्ध शिकायत करें। लेकिन यह जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए कि हम यह देखें कि अधिकारी सही-सही ढंग से कार्य करें।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त : अध्यक्ष जी, इन सब प्रोग्राम्स में मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट कहीं एसोसिएट ही नहीं होता है। उन्होंने फुल पावर्स अपने एम.एल.एज. को दे रखी है।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, जिस विषय पर हम चिंतित हैं उसके बारे में दिए गए उत्तर को देखकर मैं यह समझती हूं कि श्री राम नाईक जी अगला वाक्य पढ़ेंगे। इसमें समन्वय के अभाव और साथ ही ग्रामीण युवाओं, स्वरोजगार तथा महिला एवम् बाल विकास के बारे में भी उल्लेख किया गया है।

इसके पश्चात् उत्तर के दूसरे पृष्ठ पर यह कहा गया है कि जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए केवल 16.59 प्रतिशत रोजगार के अवसर पैदा किए गए। जबकि हमारी आबादी कुल जनसंख्या की आधी है। परन्तु कार्य केवल 16.59 प्रतिशत ही मिलता है। क्या महिलाओं को शक्ति सम्पन्न करने का यही तरीका है? यदि नहीं तो क्या मैं यह जान सकती हूं कि इस संबंध में स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

श्री राम नाईक : मैं समझता हूं कि आप स्थिति से अवगत हैं और इस प्रयोजन के लिए गठित किए गए अध्ययन दल की आप भी सदस्य थीं। इसीलिए मैंने अपने उत्तर में साफतौर पर यह कहा है कि यह चिंता का विषय है। मैंने वैसा नहीं कहा है जैसा कि श्री वासनिक जी कहने की कोशिश में थे कि मैं अथवा सरकार इन योजनाओं की प्रगति से संतुष्ट हैं। सरकार इन योजनाओं की प्रगति से बिल्कुल भी सुंतष्ट नहीं है तभी तो हमने यह कहा है कि महिलाओं के लिए केवल 16.59 प्रतिशत रोजगार के अवसर पैदा किए गए।

यदि आप रिपोर्ट का पहला पैराग्राफ देखें तो आप पाएंगे कि हमारी चिंता के विषय का उल्लेख करते हुए यह लिखा है कि "ट्राइसेम और ड्वाकरा के कर्मियों को प्रशिक्षण देने के कार्य के साथ समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को संतोषजनक ढंग से नहीं जोड़ा गया है।"

ड्वाकरा के बारे में आप जानते ही हैं कि यह योजना महिलाओं के लाभार्थ शुरू की गई थी। यह एक चिंता का विषय है जो मैं पहले ही कह चुका हूं। मैं यह कह रहा हूं कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना सही ढंग से लागू हो। यदि आप कभी कहीं पर इस योजना को कार्यान्वित करने वालों को कुछ गलत करता हुआ पाएं तो हम उस संबंध में आपसे सुझाव मांगेंगे और तद्नुसार कार्यवाही करेंगे।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर साहू : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया है कि 320.37 मिलियन पर्सन्स बिलो पावर्टी लाइन हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं वे क्षेत्र जहां बिलो पावर्टी

लाइन में निवास करने वाले लोग काम के अभाव में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में देश के दूसरे भागों में पलायन करने के लिए मजबूर होते हैं, क्या उनके लिए कोई विशेष कार्यक्रम चलाकर उन्हें पलायन से रोका जा सकता है? इसी के साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं.......

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अपना पूरक प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर साहू : मैं सप्लीमेंट ही पूछ रहा हूं। मध्य प्रदेश में जो प्रिमिटिव ट्राइबल्स हैं जैसे कमार, गुंझिया, बैगा, कोरबा, कोरबू और बीरहोर, ये सभी बिलो पावर्टी लाइन के अंतर्गत हैं और ये काम के अभाव में आज भी गरीबी से और भुखमरी से ग्रसित हैं, क्या उनके लिए भी कोई विशेष कार्यक्रम लागू करेंगे?

श्री राम नाईक : माननीय सदस्य ने जो बात कही, उसी भूमिका में यह एम्प्यालमेंट एशोरेंस स्कीम है, जिसके अंतर्गत 100 दिन काम देने का प्रयास होता है। मैंने पहले के सवालों के जवाब में जो कहा है, उसे फिर कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के क्षेत्र में काम करने के लिए लोग तैयार हैं अगर उनको काम प्रोवाइड नहीं होता है तो वे वहां की जिला परिषद् या पंचायत समिति के जरिए अपना प्रपोजल भेजें, उसके जरिए यह काम किया जा सकता है।

श्री चन्द्रशेखर साहू : मध्य प्रदेश में पी.एम.आर.वाई. पूरी तरह विफल है और छत्तीसगढ़ से लाखों लोग प्रतिवर्ष पलायन करते हैं।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम की समीक्षा करें। ऐसे बहुत से कार्यक्रम हैं जिनके बारे में बैठक में जाते समय हम लोग याद नहीं रख पाते। जब हम सत्ता में थे तो हमारी सरकार ने इन कार्यक्रमों की समीक्षा की किन्तु हम कार्यक्रमों की संख्या नहीं घटा सके।

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि राज्य सरकारें कच्ची सड़कें बनाती है। क्योंकि ग्रामीण सड़कें जवाहर रोजगार योजना का ही एक भाग हैं और इस देश में ग्रामीण सड़कें ही एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यदि ग्रामीण मार्गों को जोड़ा जायेगा तभी निश्चित रूप से इस देश का और अधिक विकास हो सकेगा। क्या केन्द्र सरकार इस सुझाव को स्वीकार करने के लिए तैयार है यदि राज्य सरकार कच्चा मार्ग बना देती है तो केन्द्र सरकार इस मार्ग के लिए धनराशि उपलब्ध करके सीमेंट अथवा पक्का अथवा बिटूमन मार्ग बनाने के लिए तैयार है? यह पूरे देश के लिए सामान्य नीति का मुद्दा होना चाहिए कि यदि राज्य सरकार अपने कोष से ग्रामीण मार्ग को बनाती है तो केन्द्र सरकार इसे पक्का मार्ग बनाने के लिए धनराशि देगी। इस प्रक्रिया द्वारा ग्रामीण मार्गों को जल्दी से जोड़ा जा सकेगा और कोष का भी सही उपयोग हो सकेगा, जैसा कि अभी मेरे साथी ने कहा है कि 2700 करोड़ रुपये को अच्छी तरह से अच्छे प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। क्या सरकार को यह सुझाव स्वीकार है?

श्री राम नाईक : हम यह सुझाव स्वीकार करते हैं। परन्तु मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि जब जवाहर रोजगार योजना का आकलन किया गया तो यह पाया गया कि जवाहर रोजगार योजना के अधिकांश प्रावधानों में इस राशि को ग्रामीण मार्गों के निर्माण में ही उपयोग किया गया था। अब इन प्रावधानों को केन्द्रीय अनुदान से बनाया गया है। इसीलिए जवाहर रोजगार योजना में और सुधार किया जा सकता है।

श्री राजेश पायलट : आपने इसे नीति बना दिया है।

श्री राम नाईक : आपके प्रश्न के दूसरे भाग में इन योजनाओं का पुनरीक्षण करने की बात कही गई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि योजनाएं असंख्य हैं और इन्हें याद रखना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए, यदि हम अपने स्तर पर ही इन्हें भूल जाते हैं तो प्रशासनिक स्तर पर यह और भी मुश्किल हो जाता है। हमें निश्चित रूप से इन सभी योजनाओं का पुनर्वालोकन करना चाहिए जिससे भावी मार्ग प्रशस्त हो सके। मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि जैसे कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार ऐसी योजनाओं को एकीकृत कर देगी।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि इसका नवीनतम आंकड़ा सूचना के अनुसार 320.37 मिलियन लोगों का 1993-94 में गरीबी की रेखा से नीचे रहने का अनुमान है। अब हम लोग 1998-99 में हैं। यदि यह 1993-94 का नवीनतम आंकड़ा है तो पुराना आंकड़ा क्या है? यदि मोनीटरिंग इस तरीके से इतनी सुस्त हो कि नवीनतम आंकड़ा 1993-94 का लिया जाए तो मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार को इस बारे में गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। आंकड़े उपलब्ध कराने में इतनी दिक्कत क्यों होती है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पैसा तो भारत सरकार का खर्च होता है और भारत सरकार की ग्रिप राज्य सरकार के ऊपर नहीं है जिसके परिणामस्वरूप सारा का सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। उदाहरणार्थ इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना तथा रोजगार एश्योरेंस योजना इत्यादि है जिनका सारा पैसा पानी में जा रहा है। जितनी हजार करोड़ रुपए की राशि बताई जा रही है, उसका पांच प्रतिशत भी यूटिलाइज नहीं हो पाता है। जिन गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की वकालत की जाती है, उनको इससे बिल्कुल लाभ नहीं होता।

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत प्रावधान यह है कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए मकान बनाए जाएं। मैं अपने क्षेत्र की बात कर सकता हूं कि जिनके पास पक्के मकान हैं, उनके मकान तो बन रहे हैं लेकिन गरीबी की रेखा से नीचे

रहने वाले लोगों के मकान नहीं बन रहे हैं। सब जगह की यही हालत होगी।

दूसरी बात, हम लोग सांसद हैं। यहां से भारत सरकार का पैसा जाता है लेकिन सांसद का रोल उसमें नगण्य है।....... *(व्यवधान)* चूंकि राज्य सरकार जो एग्जीक्यूटिव ऑथोरिटी होती है और वह एम.एल.ए. के प्रति उत्तरदायी होती है, एम.पी. के प्रति नहीं, चाहे एम.पी. जितना मर्जी चिल्लाता रहे, इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस संसद में व्हाइट पेपर निकालकर बतलाएंगे कि कितना पैसा भारत सरकार से भेजते हैं? कितना पैसा एस.सी., एस.टी. के लिए है? कितना पैसा वीकर सैक्शन के लिए है? इस पैसे का कितना उपयोग होता है? उपयोग होता है या नहीं होता है? भारत सरकार का पैसा कलेक्टर के अंडर में होता है और एम.पीज. जाकर बोल नहीं सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस संबंध में एम.पीज. को भी उचित स्थान मिले, उनको भी पॉवर मिले, उनकी सिफारिश पर भी विचार किया जाए। ....*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, जहां तक अद्यतन फिगर्स देने के बारे में आपने कहा कि 1993-94 की फिगर्स हैं, यह बात सही है कि 1993-94 की फिगर्स हैं। स्टेटिस्टिकल सर्वे हर पांच साल के बाद होता है जैसे, सेंसस सर्वे दस साल के बाद होता है। अभी स्टेटिस्टिकल सर्वे 1998-99 का होने वाला है और उसके आधार पर फिर नयी जानकारी हमें मिल सकती है। लेकिन जहां तक गरीब लोगों का संबंध है, इतने सारे आंकड़े राष्ट्रीय स्तर पर इकट्ठे करके उनकी एनेलिसिस में भी कुछ समय लगता है और 1998-99 का सर्वे हम करने वाले हैं। मैंने पहले ही इसके संबंध में कहा था एम.पी. का जो रोल है, उसके आधार पर माननीय सदस्यों की शिकायतों को ख्याल में रखकर, इनके इम्प्लीमेंटेशन में क्या सुधार किया जा सकता है, इसके बारे में माननीय प्रधान मंत्री जी सभी लीडर्स के साथ मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे और उसके आधार पर जो भी उसमें सुधार करने की आवश्यकता होगी, वह सुधार हम करेंगे।.......*(व्यवधान)*

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, यह अनुभव सचमुच में बड़ा रोचक है कि उधर बैठकर और यहां खड़े होकर हम जो शिकायतें करते थे, आज इधर आने के बाद वही शिकायतें दोहराई जा रही हैं।.......*(व्यवधान)* जो शिकायतें की गई हैं, वह सही शिकायतें हैं। हम सब लोग उनके भुक्तभोगी हैं। वर्षों से उनके बारे में बोल रहे हैं, लेकिन परिस्थितियों को अनुकूल बनाने में सफल नहीं हुए हैं। मुझे लगता है कि इस संबंध में दृढ़ता से कदम उठाने की आवश्यकता है। यह मामला सभी दलों या किसी एक दल का नहीं है। इसमें सरकार और प्रतिपक्ष का भी सवाल नहीं है। जो भी धन यहां से जाता है, उसके व्यय में जब तक जनप्रतिनिधियों की आवाज नहीं होगी और उन्हें निगरानी रखने का अधिकार नहीं होगा, तो वह धन या तो सही उपयोग में नहीं आएगा या वह धन खर्च नहीं होगा।

एक माननीय सदस्य : खर्च होता ही नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं आपके इस सुझाव से सहमत हूं और मैं शीघ्र ही एक सर्वदलीय बैठक का अयोजन करूंगा और इस संबंध में सबसे सुझावों को लेकर एक ऐसी नीति निर्धारित की जाएगी, जिसमें सत्ता के विकेन्द्रीकरण में ससंद सदस्यों और जनप्रतिनिधियों की सचमुच में आवाज हो। मैं मानता हूं, संसद सदस्यों के नाते यहां से जो धन भेजा जाता है.......*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : आप भी साइन किए थे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह धन सीधे जिला अधिकारी के पास जाता है और जिला अधिकारी को हम अपनी योजनायें बनाकर दे देते हैं और उनके निर्माण में, उनके कार्यान्वयन में जनप्रतिनिधियों की आवाज नहीं है। विधायकों को शामिल नहीं किया जाता है। गांव में भी यही स्थिति है। इस स्थिति को बदलना पड़ेगा और जो संसद सदस्य हैं, उनका ठीक तरह से समावेश हो, इसका प्रबन्ध करना पड़ेगा।

जहां तक आंकड़ों का सवाल है, पासवान जी ने यह मामला खड़ा किया कि ये पुराने आंकड़े दिए जा रहे हैं, तो नई सरकार के पास जो सबसे नए आंकड़े हैं, वही दिए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री मुकुल वासनिक द्वारा सत्ता के विकेन्द्रीकरण के संबंध में व्यक्त विचारों का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया सुसंगत पूरक प्रश्न पूछिए।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : महोदय, जिला पंचायत के अधिकार क्षेत्र भी जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी (डी.आर.डी.ए.) की तरह ही हैं। जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी की समस्त शक्तियां ग्रामीण क्षेत्र तक ही सीमित हैं। इसलिए इस प्रकार के जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं क्या जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी की सभी शक्तियों को जिला पंचायत के अधिकार क्षेत्र में हस्तांतरित की जा सकती हैं।

श्री राम नाईक : महोदय, हमने इस संबंध में संविधान में संशोधन करके इसे अधिनियम में परिवर्तित कर दिया। हम अब चाहे तो कोई भी निर्णय लेंगे वे संविधान (संशोधन) अधिनियम जो हमने पारित किया है उसी के अनुरूप ही होगा जिसमें हमने ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और ताल्लुका पंचायत के अन्तर्गत हम अधिक शक्तियां देंगे। हम इसकी उस दृष्टिकोण से जांच करेंगे। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जब तक सभी मुद्दों पर विचार कर रहे हैं तो इस मुद्दे पर भी विचार किया जाएगा.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिए।

.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी बोलने का अवसर दूंगा।

.......(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जो केन्द्र सरकार से पैसा जाता है, राज्य सरकार काम कराने की एजेंसी होती है, मैं खास कर बिहार की बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि ग्रामीण विकास विभाग के सेक्रेट्री, श्री एन.सी. सक्सैना ने तीन-तीन पत्र लिख कर बिहार के मुख्य सचिव और भारत सरकार को भी अवगत कराया है कि जो भी भारत सरकार से पैसा जा रहा है, चाहे वह सुनिश्चित रोजगार योजना का पैसा हो, इंदिरा आवास का पैसा हो, जवाहर रोजगार योजना का पैसा हो, इस सारे पैसे की बिहार में लूट की जाती है और बिहार में पांच प्रतिशत भी काम नहीं किया जा रहा है।

हम आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं कि जो वित्तीय अनियमितता, खजाने की लूट बिहार में हो रही है, क्या उस पर भारत सरकार कार्यवाही करेगी और साथ ही जो केन्द्र सरकार से पैसा जा रहा है, हम पूरे देश की बात नहीं कर रहे हैं उसको बिहार में खर्च करने के लिए जिला स्तर पर सांसदों की अध्यक्षता में एक कार्यान्वयन समिति का गठन करेगी?

श्री राम नाईक : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने उत्तर में कहा है कि हम तो इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हमेशा इवेल्यूएट करते रहते हैं। अब माननीय सदस्य ने जो बिहार के बारे में कहा, उसको मोटे तौर पर सब जानते हैं लेकिन हम यह जरूर करेंगे कि जो भी हमें इसका इवेल्यूएशन करना है, इसमें 1997-98 में यहां से जो बिहार के लिए निधि दिया गया था उसका सबसे पहले इवेल्यूएशन, जो सारे हिन्दुस्तान के राज्यों का अलग-अलग से करना है, उसमें हम सबसे पहले बिहार का करेंगे ताकि पता चले कि बिहार में इसका क्या हो रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री मोहन सिंह का नाम पुकारा है।

.......(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरूप : एक घण्टे में केवल दो ही प्रश्न उठाये गये हैं और मैं इससे प्रभावित हुआ हूँ। मेरा अधिकार प्रभावित हुआ है.......(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

.......(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरूप : एक घण्टे में केवल दो ही प्रश्न उठाये गये हैं। दो प्रश्नों ने ही सारा समय ले लिया।.......(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इन्हें बोलने की आज्ञा दें।

श्री सुरेश कुरूप : यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है....... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा का समय व्यर्थ न करें।

.......(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री मोहन सिंह का नाम पुकारा है।

.......(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, 1990 के मुकाबले 1994 में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या 12 फीसदी बढ़ी है, इसका कारण यह है कि जो आप यहां से पैसे का आंबटन करते हैं उसमें राज्य सरकारें 18 से लेकर 30 फीसदी प्रशासकीय व्यय में काट लेती हैं दूसरा कारण यह है कि जो पैसा दैनिक वेतन, गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों को काम देने में खर्च होना चाहिए वह ठेकेदारों के जरिए काम होता है। उसको माफिया और प्रशासन मिल कर लूट रहे हैं। क्या भारत सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करने की कोशिश करेगी कि जिस उद्देश्य से यह योजना है, गरीबों के ही हाथ में यह पैसा जाए, इनको ही काम दिया जाए, ठेकेदारों के जरिए काम न हो। इसी के साथ-साथ केन्द्र सरकार का कोई विजिलेंस इसकी जांच कर इस बात का आश्वासन दे कि ये सारे काम गरीबों के लिए सीधे हों, ठेकेदारों के जरिए न हों।

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो कहा कि गरीबी रेखा का जो प्रतिशत है वह पांच साल में 12 प्रतिशत बढ़ गया है, वह ठीक नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मेरे पास प्लानिंग और स्टेटस्टिकल ओरगेनाइजशेन के आंकड़े हैं उसके अनुसार आपका कहना बराबर नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1993 में 44 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे थे, 1987-88 में 49 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। लेकिन अभी इस समय 35.96 यानि 36 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। इसलिए यह आंकड़ा नीचे जा रहा है। आपने कहा कि यह बढ़ रहा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि यह बढ़ नहीं रहा वरन् घट रहा है। शायद आपने जो एक पुराना स्टेटिस्टिक था, जिसको टास्क-फोर्सी बनाया था, वह देखा होगा, जो बराबर नहीं है। इस बात को लेकर प्रो० लकड़वाला की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट कमेटी पावर्टी लाइन निर्धारित करने के लिए बनाई गई थी। उन्होंने जो पावर्टी लाइन निर्धारित की है, उसके अनुसार ही मैंने यह फिगर्स दिए हैं। पुराने फिगर्स बदले गये, इसलिए कि मुख्यतः उसकी जानकारी लेने का जो स्तर था वह स्तर सही नहीं था, इसलिए उसको रिवाइज किया गया। ये अभी तक के अद्यतन आंकड़े हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

चीन के साथ संबंध

*104. **श्री सुरेश कुरूप** :
श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय चीन के साथ सम्बन्ध सुधारने के प्रयास किस स्थिति में हैं;

(ख) क्या भारत और चीन के बीच लम्बित मामलों के संबंध में कोई बातचीत चल रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) आपसी समझबूझ को संवर्धित करने तथा विश्वास उत्पन्न करने के लिए और बकाया मसलों का आपसी स्वीकार्य हल निकालने के लिए सरकार, संसदीय, गैर-सरकारी, लोगों से लोगों के बीच तथा अन्य स्तरों पर वार्ताओं का आदान-प्रदान किया जा रहा है।

उच्च स्तरीय राजनीतिक बातचीत की प्रक्रिया फरवरी, 1979 में उस समय शुरू हुई जब तत्कालीन विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन की यात्रा की। यात्रा के दौरान दोनों पक्ष भारत-चीन सीमा पर शांति बनाने तथा प्रशांति की आवश्यकता पर सहमत थे।

दिसम्बर, 1988 में तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की चीन यात्रा से उच्चतम स्तर पर राजनीतिक वार्ता शुरू हुई। दोनों पक्ष विभिन्न क्षेत्रों में संबंध विकसित करने के लिए सहमत थे तथा सीमा के प्रश्न पर शांतिपूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण परामर्श के द्वारा उचित, तार्किक तथा आपसी स्वीकार्य हल निकालना चाहते थे। सीमा संबंधी मसलों को हल करने के लिए तथा सीमा क्षेत्र में शांति स्थापना तथा प्रशांति के लिए एक संयुक्त कार्यदल, हमारे बीच आर्थिक और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंध स्थापित करने के लिए एक संयुक्त आर्थिक दल स्थापित किया गया।

सितम्बर, 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव की चीन यात्रा के दौरान भारत-चीन सीमा क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति की स्थापना तथा प्रशांति के लिए एक करार सम्पन्न किया गया था। चीन के राष्ट्रपति ज्यांग जेमिन ने नवम्बर, 1996 में भारत की यात्रा की। उस समय दोनों पक्ष 21वीं सदी उन्मुख सकारात्मक तथा सहयोगी संबंध बनाने पर सहमत हुए। इस यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ-साथ सैनिक क्षेत्र में विश्वासोत्पादक उपाय संबंधी करार सम्पन्न किया। करार में दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्पष्टीकरण तथा पुष्टिकरण की प्रक्रिया तेज करने पर सहमत हुए।

हाल के वर्षों में सैनिक क्षेत्र सहित विविध क्षेत्रों में आदान-प्रदान विकसित होना जारी रहा है। तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री शरद पवार ने जुलाई, 1992 में बीजिंग की यात्रा की जिससे दोनों देशों की सैन्य स्थापनाओं के बीच आदान-प्रदान शुरू हुआ।

दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है। 1997 में द्विपक्षीय व्यापार 1.83 बिलियन अमरीकी डालर का था जो 1996 के मुकाबले 30.2 प्रतिशत अधिक था। हमारी आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग संवर्धन की पर्याप्त सम्भावनाएं मौजूद हैं।

उच्चस्तरीय राजनीतिक बातचीत की सतत् प्रक्रिया से आपसी चिन्ता के मसलों पर आदान-प्रदान का मौका मिला है। संयुक्त कार्यदल के ढांचे सहित उच्च स्तर पर विचारों के आदान-प्रदान में हमने चीन के पक्ष को उन कार्रवाईयों से उत्पन्न अपनी चिन्ताओं से अवगत करा दिया है, जिनसे हमारी सम्प्रभुता, क्षेत्रीय अखण्डता तथा सुरक्षा प्रभावित होती है। इन आदान-प्रदानों में हमारा प्रयत्न चीन को यह समझाने का रहा है कि हमारी चिन्ताओं को सार्थक रूप से समझने की आवश्यकता है ताकि इनका शीघ्र ही हल निकाला जा सके। भारतीय लोगों को सुरक्षित महसूस करना चाहिए कि चीन के साथ मैत्री, शांति और स्थायित्व के लिए कारक हैं और इससे हमारी सुरक्षा बढ़ेगी।

हम चीन के साथ कोई मुकाबला नहीं करना चाहते हैं। हम ऐसी मैत्री चाहते हैं जिससे दोनों पक्ष एक दूसरे की चिन्ताओं के प्रति उत्तरदायी हों। हम बकाया पड़े मतभेदों को वार्ता प्रक्रिया से हल करने के प्रति वचनबद्ध हैं।

हम अपने सबसे बड़े पड़ौसी देश चीन के साथ पंचशील सिद्धांतो पर आधारित मैत्रीपूर्ण सहयोगात्मक, अच्छे पड़ौसी तथा परस्पर लाभकारी संबंध बनाना चाहते हैं।

एन्टी-डंपिंग शुल्क

***105. श्री दिलीप संघाणी :**
श्री दिन्शा पटेल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने सरकार को आयातित दुग्ध उत्पादों पर एन्टी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश की थी क्योंकि जिन देशों से इनका आयात किया जाता है वहां इन उत्पादों पर बहुत अधिक राजसहायता दी जाती है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता डेयरी फेडरेशन लिमिटेड तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने सरकार को यह सुझाव दिया है कि स्किम्ड दुग्ध चूर्ण तथा बटर आयल पर एन्टी-डंपिग शुल्क लगाया जाए। इस अनुरोध का आधार यह है कि उन्नत डेयरी राष्ट्र, डेयरी उत्पादों पर कथित रूप से राजसहायता प्रदान करते हैं जिसके परिणामस्वरूप इन उत्पादों को भारत में डम्प कर दिया जाता है और इससे भारतीय डेयरी उद्योग के विकास और प्रतियोगिता पर प्रतिबंध लगता है। वाणिज्य मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर विचार किया था और यह सुझाव दिया गया है कि एंटी-डंपिंग जांच-पड़ताल शुरू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष औपचारिक याचिका दायर की जाए। भारतीय डेयरी उद्योग की ओर से औपचारिक याचिका अभी दायर की जानी है।

कृषि राजसहायता की समीक्षा

***106. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग नौंवी योजना के दौरान कृषि राजसहायता की समीक्षा करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इसको समाप्त करने से कृषि विकास पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में कोई आकलन-अध्ययन करवाया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) योजना आयोग की आंतरिक बैठकों में अनुमोदित प्रारूप नौवीं पंचवर्षीय योजना, 1997-2002, जिसको योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा 1 मार्च, 1998 को जारी किया गया था, में कहा गया है कि विभिन्न कारणों से नौवीं योजना के लिए एक स्पष्ट निवेश सब्सिडी नीति विकसित की जानी चाहिए। सरकार ने इस प्रारूप की समीक्षा करने का निर्णय लिया है जिससे सरकार के राष्ट्रीय एजेन्डा में यथावर्णित परिवर्तित प्राथमिकताओं को उपयुक्त ढंग से दर्शाया जा सके। विस्तृत कार्य योजनाएं तैयार की जा रही हैं जिन्हें अन्तिम रूप दिए जाने पर वर्तमान प्रारूप के साथ समेकित कर दिया जाएगा।

(ग) और (घ) जी, नहीं। सरकार ने कृषि सब्सिडी को समाप्त नहीं किया है और न ही इसको समाप्त करने से कृषि विकास पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में मूल्यांकन संबंधी कोई अध्ययन करवाया है।

नारियल का आयात

***107. श्री पी.सी. थामस** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल के तेल, गरी और नारियल के आयात के कारण देश के किसानों द्वारा उत्पादित नारियल की कीमतों में कमी हो गई है;

(ख) क्या इन मदों का आयात जारी रहने की संभावना है क्योंकि आयात की सारणीबद्ध सूची में इनको रखने की अनुमति दी गई है;

(ग) क्या आयात के कारणों के उत्पादों की कीमतों में कमी आने से नारियल उत्पादक किसानों को सबसे अधिक नुकसान हुआ है; और

(घ) सरकार का भारतीय किसानों के हितों की रक्षा करने और उन्हें उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य भी दिलाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) पूर्ववर्ती तथा विद्यमान निर्यात एवं आयात नीति के अनुसार, नारियल खोपरे तथा नारियल के तेल का आयात राज्य व्यापार निगम तथा हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से सारणीकृत किया जाता है। इस नीति में कोई परिवर्तन विचाराधीन नहीं है। चूंकि नारियल/खोपरे तथा नारियल के तेल का आयात बहुत मामूली रहा है, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि खोपरे/नारियल की कीमतों में कमी इनके आयात के कारण हुई है।

(घ) भारत सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिये तथा उन्हें कृषि में अधिक निवेश करने एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने को प्रोत्साहित करने हेतु प्रति वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर की जाती है, जो अनेक कारकों पर विचार करता है, जैसे उत्पादन लागत, आदान मूल्यों में परिवर्तन आदान/उत्पादन, सममूल्यता, बाजार मूल्यों का रुझान, मांग-आपूर्ति की स्थिति प्रदत्त मूल्यों एवं प्राप्त मूल्यों के बीच समानता (कृषि व्यापार की शर्तें) अंतर्राष्ट्रीय मूल्य तथा औद्योगिक लागत संरचना पर उनका प्रभाव, सामान्य मूल्य स्तर तथा जीवन-यापन की लागत।

सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयेग की सिफारिशों, संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के विचारों एवं अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है।

सरकार नारियल के विकास हेतु अनेक योजना कार्यक्रम भी कार्यान्वित कर रही है। पौध-रोपण सामग्री, कीट एवं रोग नियंत्रण, आदानों एवं विस्तार तथा प्रशिक्षण आदि हेतु वित्तीय सहायता/प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां

***108. श्री सुरेश चन्देल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जापान और अन्य देशों के सहयोग से खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो जापान और अन्य देशों के साथ किए जाने वाले सहयोग समझौतों के अंतर्गत स्थापित की जाने वाली इकाइयों की संख्या कितनी है और राज्यवार उनको किन-किन स्थानों पर स्थापित किया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विश्व शांति

***109. श्री सुशील कुमार शिंदे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को एक बहु-ध्रुवीय विश्व की स्थापना करने और विश्व में शान्ति स्थापित करने तथा विकास लाने सम्बन्धी उनके प्रयासों के लिए उन्हें पूरा समर्थन दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उनके द्वारा इस दिशा में क्या विशेष कदम उठाए गए हैं; और

(ग) विगत महीनों में इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे) : (क) से (ग) संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने संयुक्त राष्ट्र की पुनर्संरचना के लिए जुलाई, 1997 में एक सुधार पैकेज का प्रस्ताव किया है। सरकार ने इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रयासों का स्वागत किया है तथा वह इन प्रस्तावों पर महासभा में चल रहे विचार-विमर्शों पर इस उद्देश्य से सक्रिय रूप से भाग ले रही है ताकि संयुक्त राष्ट्र को अपने उन अधिकांश सदस्य देशों अर्थात् विकासशील देशों की हित-चिन्ताओं के प्रति और अधिक उत्तरदायी बनाया जा सके।

कृषि, पशुधन और मत्स्यपालन के क्षेत्र मे अनुसंधान

***110. श्री रामपाल सिंह :**
श्री महेश कनोडिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि, पशुधन और मत्स्यपालन के क्षेत्र में ब्राजील के साथ संयुक्त रूप से अनुसंधान कराने को सहमत हो गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन क्षेत्रों में उक्त संयुक्त अनुसंधान के कब तक आरम्भ होने की संभावना है; और

(घ) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत आरम्भ की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) कृषि मंत्रालय ने कृषि, पशुधन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान करने के लिए ब्राजील सरकार के साथ कोई समझौता नहीं किया है। तथापि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने ब्राजीलियन एग्रीकल्चरल रिसर्च कार्पोरेशन के साथ सहयोग को मजबूत करने और पादप विज्ञान, मृदा विज्ञान, कृषि जैव प्रौद्योगिकी के व्यापक क्षेत्रों तथा अन्य सबंधित हित के क्षेत्रों में संबंधों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 30.8.95 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए भा.कृ.अ.प. ने 1996-97 के दो वर्षों के लिए एक कार्य योजना बनाई है जिसके तहत भारत में ब्राजील के वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू किया गया है। दोनों पक्षों की ओर से आगे के कार्यकलाप 1998-99 के दौरान शुरू किए जाने की आशा है।

(घ) उक्त कार्ययोजना के अन्तर्गत गतिविधियों में भा.कृ.अ.प. और ब्राजीलियन एग्रीकल्चरल रिसर्च कार्पोरेशन के बीच सहयोग के लिए पहचाने गए संबंधित क्षेत्रों में अध्ययन दौरों और प्रशिक्षण के लिए वैज्ञानिकों की अदला-बदली भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, ''रोग रहित नर्सरी पादपों का उत्पादन और नींबू जातीय पौधों में फाइटोफथोरा रोगों के विरुद्ध रोधिता के लिए खोज करना'' विषय पर एक संयुक्त अनुसंधान परियोजना का भी प्रस्ताव किया गया है। कार्य योजना में भा.कृ.अ.प. और ब्राजीलियन एग्रीकल्चरल रिसर्च कार्पोरेशन के बीच वैज्ञानिक जानकारी तथा जननद्रव्य (जर्मप्लाज्म) का आदान-प्रदान भी शामिल है।

[हिन्दी]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की क्षमताएं

***111. श्री नरेन्द्र बुढानिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर राजस्थान राज्य में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की क्षमताओं के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की संपूर्ण क्षमता का कब तक दोहन कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) सरकार द्वारा कई अध्ययन प्रायोजित/आरंभ किए गए हैं जिनसे देशव्यापी आधार पर विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की विस्तृत संभाव्यता का संकेत मिला है, राजस्थान राज्य सहित देश भर में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की संभाव्यता के मोटे अनुमान संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

बायोगैस, उन्नत चूल्हा, लघु पन बिजली (3 मेगावाट तक) और चीनी मिलों में खोई आधारित सह-उत्पादन के संबंध में राज्यवार संभाव्यता का अनुमान लगाया गया है जो संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की संभाव्यता का पूर्ण दोहन सार्वजनिक और निजी दोनों ही प्रकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा उपलब्ध प्रौद्योगिकियों की तकनीकी संभाव्यता एवं आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करेगा।

विवरण-I

देश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की मोटे तौर पर संभाव्यता

स्रोत/प्रणाली	अनुमानित संभाव्यता
बायोगैस संयंत्र (सं.)	120 लाख
उन्नत चूल्हा (सं.)	12 करोड़
बायोमास	17,000 मेगावाट
खोई आधारित सह-उत्पादन	3500 मेगावाट
सौर प्रकाशवोल्टीय	20 मेगावाट/वर्ग कि.मी.
सौर तापीय	35 मेगावाट/वर्ग कि.मी.
पवन विद्युत	20,000 मेगावाट
लघु जल विद्युत (15 मेगावाट तक)	10,000 मेगावाट

विवरण-II

मुख्य अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के राज्यवार संभाव्यता अनुमान

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र (सं.)	उन्नत चूल्हे (लाख सं. में)	लघु पन बिजली (3 मे.वा. तक) (मे.वा.)	खोई आधारित* सह-उत्पादन (मे.वा.)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	10.656	97.08	35.69	200
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.075	1.5	342.10	
3.	असम	3.077	36	32.47	
4.	बिहार	9.399	123.83	191.66	200
5.	गोवा	0.080	1.17	2.60	
6.	गुजरात	5.540	50.72	75.28	200
7.	हरियाणा	3.000	20.61	20.55	
8.	हिमाचल प्रदेश	1.256	8.53	152.03	
9.	जम्मू व कश्मीर	1.285	11.75	111.52	
10.	कर्नाटक	6.800	60.76	80.98	300
11.	केरल	1.505	40.73	158.43	
12.	मध्य प्रदेश	14.912	101.58	54.20	
13.	महाराष्ट्र	8.970	96.5	88.74	1000
14.	मणिपुर	0.387	2.64	51.99	
15.	मेघालय	0.240	2.54	22.53	
16.	मिजोरम	0.022	0.73	42.32	
17.	नागालैंड	0.067	2.01	8.90	
18.	उड़ीसा	6.055	54.55	50.55	
19.	पंजाब	4.116	25.38	65.26	
20.	राजस्थान	9.153	55.54	27.26	
21.	सिक्किम	0.073	0.73	27.26	
22.	तमिलनाडु	6.158	80.16	91.17	350
23.	त्रिपुरा	0.285	4.65	4.30	
24.	उत्तर प्रदेश	20.210	187.45	159.17	1000
25.	पश्चिम बंगाल	6.950	98.72	120.40	
26.	अंडमान व निकोबार	0.022	0.4	1.14	
27.	चंडीगढ़	0.140	0.66		
28.	दादर व नागर हवेली	0.020	0.25		
29.	दमन व दीव	-	0.1		
30.	दिल्ली	0.129	9.06		
31.	लक्षद्वीप	-	0.01		
32.	पांडिचेरी	0.043	0.59		

* चीनी मिलों में खोई आधारित सह-उत्पादन की 100 मेगावाट की संभाव्यता, 8 राज्यों जिनके लिए खोई आधारित सह-उत्पादन की संभाव्यता तालिका में दी गई है, के अलावा अन्य राज्यों में भी विद्यमान है।

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र

***112. श्री आर. साम्बासिवा राव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप दृष्टिकोण पत्र में कृषि क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो योजना आयोग द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास हेतु उल्लेख की गई मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु 4.5 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी निधि आवंटित की जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002 के दृष्टिकोण पत्र में पर्याप्त उत्पादन और रोजगार सृजन तथा गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से कृषि एवं ग्रामीण विकास को उच्च प्राथमिकता दी गयी है। इसमें नौवीं योजना में कृषि क्षेत्र में 4.5% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करने की परिकल्पना की गयी है। नौवीं योजना में कृषि, जलवायु और पर्यावरण के अनुकूल परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रीय कार्यनीतियों के माध्यम से लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा। समष्टि स्तर पर, उत्तर-पश्चिमी उच्च उत्पादकता-क्षेत्र पर्याप्त जल वाले पूर्वी क्षेत्र, पानी की कमी वाला प्रायद्वीपीय भारतीय क्षेत्र जिसमें राजस्थान भी आता है, हिमालय समेत पर्यावरण की दृष्टि से नाजुक क्षेत्र और मरूस्थली क्षेत्रों की विस्तृत विशेषताओं के आधार पर कृषि विकास सम्बन्धी कार्यनीति में विविधता लायी जायेगी।

(ग) योजना आयोग ने रोजगार-सृजन में वृद्धि के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है।

(घ) और (ङ) योजना आयोग की आंतरिक बैठकों में अनुमोदित नौवीं पंचवर्षीय योजना, 1997-2002 के प्रारूप को योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष ने 1 मार्च, 1998 को जारी कर दिया था। इस योजना पर अभी राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा विचार किया जाना है। सरकार ने इस प्रारूप की समीक्षा करने का निर्णय लिया है ताकि दिशानिर्देश हेतु सरकार को राष्ट्रीय एजेंडे में घोषित बदली हुई प्राथमिकताओं को इसमें सम्यक रूप से दर्शाया जा सके। विस्तृत कार्य योजनाएं पहले से ही तैयार की जा रही हैं जिन्हें अंतिम रूप दिए जाने पर विद्यमान प्रारूप में शामिल कर लिया जायेगा। फिर इस संशोधित दस्तावेज को, निर्धारित प्रक्रिया के तहत, राष्ट्रीय विकास परिषद् के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

वर्ष 1998-99 के लिए, कृषि एवं सहकारिता विभाग को 1941.00 करोड़ रुपये का सकल बजट समर्थन (केन्द्रीय क्षेत्र) आबंटित किया गया है।

[हिन्दी]

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का अंतरण

***113. श्री कांतिलाल भूरिया :**
श्री विजय कुमार खंडेलवाल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को कोष सहित राज्यों को अंतरित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या राज्यों को कोष का अंतरण गाडगिल फार्मूले के आधार पर किया जाएगा;

(ग) क्या मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य, जो विकास के मामले में अन्य राज्यों की तुलना में काफी पीछे हैं, को कोष के अंतरण में गाडगिल फार्मूले के आधार पर केन्द्रीय सरकार का उचित हिस्सा मिलेगा; और

(घ) क्या सरकार केन्द्रीय सहायता के अंतरण में मौजूदा गाडगिल फार्मूले में जनसंख्या, गरीबी रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या, अनुसूचित जातियों/जनजातियों की जनसंख्या, भूमिहीन मजदूरों की संख्या, रोजगार के स्तर, महिला निरक्षरता और बाल मृत्यु दर को शामिल करेगी ताकि पिछड़े राज्य, विकसित राज्यों के बराबर आ सकें ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) केन्द्र प्रायोजित स्कीमों को, आंबटनों की वैकल्पिक पद्धतियों सहित, राज्यों को अन्तरित करने के प्रश्न पर योजना आयोग में कार्रवाई की गई थी। इस विषय पर एक नोट सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था। प्राप्त उत्तरों के आधार पर इस विषय पर एक संशोधित नोट राष्ट्रीय विकास परिषद् (एन.डी.सी.) के विचारार्थ तैयार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश सहित राज्य योजनाओं को सामान्य केन्द्रीय सहायता, इस समय राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा 1991 में अनुमोदित किए गए संशोधित गाडगिल फार्मूले के आधार पर आबंटित की जाती है। जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, जनसंख्या एवं प्रति व्यक्ति आय के रूप में मापे गए पिछड़ेपन को भी ध्यान में रखा जाता है।

उपग्रहों का प्रक्षेपण

***114. श्री विजय गोयल :**
श्री एस.एस. ओवेसी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा अब तक कितने उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं;

(ख) इन उपग्रहों में से प्रत्येक की लागत और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अनुसंधान के लिए भविष्य में और उपग्रह छोड़ने का है;

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन उपग्रहों के लिए कोई विदेशी सहायता ली गई/मांगी गई है;

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या केन्द्र सरकार को भारत द्वारा हाल ही में अपनी भूमि से उपग्रहों के सफलतापूर्वक प्रक्षेपण के पश्चात् कुछ अन्य देशों से भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा उनके उपग्रह प्रक्षेपित किए जाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ज) यदि हाँ, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है अथवा इस संबंध में सरकार की क्या नीति है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) भारत द्वारा अब तक 28 भारतीय उपग्रह छोड़े गए हैं।

(ख) इन उपग्रहों में से प्रत्येक की लागत और उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हाँ। नौवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान लगभग 12 उपग्रह छोड़े जाने का प्रस्ताव है। इन उपग्रहों की विस्तृत परिभाषा, डिजाइन, विकास और संविरचन कार्य प्रगति के विविध चरणों में है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(छ) और (ज) जी, हाँ। विविध अन्तर्राष्ट्रीय ग्राहकों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर मैसर्स एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन, जोकि अन्तरिक्ष विभाग का वाणिज्यिक विंग है ने ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट-सातत्य (पी.एस.एल.वी.-सी.) मिशनों में छोड़े जाने वाले प्राइमरी उपग्रहों (आई.आर.एस. उपग्रहों) के साथ पिग्गी-बैक नीतभारों के रूप में 100 कि.ग्रा. भार तक के माइक्रो उपग्रहों के प्रमोचन के लिए तीन विदेशी एजेंसियों के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

विवरण

भारत द्वारा छोड़े गए उपग्रहों की लागत और उपलब्धियों का ब्यौरा

क्र. सं.	उपग्रह	लागत (करोड़ रुपये में)	प्रमोचन तिथि	उपलब्धियां
1	2	3	4	5
1.	आर्यभट्ट	5.09	19.4.1975	सफल। प्रथम भारतीय उपग्रह। उपग्रह प्रणाली के निर्माण और प्रचालन में प्रौद्योगिकीय अनुभव प्रदान किया। इसे रूसी प्रमोचक राकेट इन्टरकॉस्मॉस द्वारा प्रमोचित किया गया। निःशुल्क प्रमोचन।
2.	भास्कर-I		7.6.1979	सफल। प्रथम प्रायोगिक सुदूर संवेदन उपग्रह। टी.वी. और माइक्रोवेव कैमरे ले गया था। इसे रूसी प्रमोचक राकेट इन्टरकॉस्मॉस द्वारा प्रमोचित किया गया। निःशुल्क प्रमोचन।
3.	भास्कर-II		20.11.1981	सफल। भास्कर-I के समान द्वितीय प्रायोगिक सुदूर संवेदन उपग्रह। सुदूर संवेदन उपग्रह प्रणाली के सांगोपांग आधार पर निर्माण और प्रचालन में अनुभव प्रदान किया। इसे रूसी प्रमोचक राकेट इन्टरकॉस्मॉस द्वारा प्रमोचित किया गया। निःशुल्क प्रमोचन।
	भास्कर-I और भास्कर-II की लागत 7.95 करोड़ रुपये है।			
4.	एरियन पैसेंजर नीतभार परीक्षण (एप्पल)	17.97	19.6.1981	सफल। प्रथम प्रायोगिक संचार उपग्रह। तीन अक्षीय स्थिरीकृत संचार उपग्रह के निर्माण और प्रचालन में अनुभव प्रदान किया। यूरोपियन ऐरियन प्रमोचक राकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया। निःशुल्क प्रमोचन।

1	2	3	4	5
5.	रोहिणी प्रौद्योगिकी नीतभार (आर.टी.पी.)		10.8.1979	असफल। प्रथम भारतीय प्रमोचक राकेट, एस.एल.वी.-3, की प्रथम प्रायोगिक फ्लाइट के उड़ान के दौरान कार्यनिष्पादन के मापन के लिए निर्मित। प्रमोचक राकेट की असफलता के कारण इसे कक्षा में स्थापित नहीं किया जा सका। स्वदेशी विकासात्मक प्रमोचन।
6.	रोहिणी (आर.एस.-1)		18.7.1980	सफल। एस.एल.वी.-3 की द्वितीय प्रायोगिक फ्लाइट के उड़ान के दौरान कार्यनिष्पादन के मापन के लिए निर्मित। प्रमोचक राकेट की असफलता के कारण इसे कक्षा में स्थापित नहीं किया जा सका। स्वदेशी विकासात्मक प्रमोचन।
7.	रोहिणी (आर.एस.-डी1)		31.5.1981	सफल। भू-चिन्हक संवेदक नीतभार का उपयोग करते हुए कुछ सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी अध्ययनों के आयोजन के लिए प्रयुक्त। एस.एल.वी.-3 की प्रथम विकासात्मक उड़ान द्वारा प्रमोचित। स्वदेशी विकासात्मक प्रमोचन।
8.	रोहिणी (आर.एस.-डी2)		17.4.1993	सफल। आर.एस.-डी1 के समतुल्य। एस.एल.वी.-3 की द्वितीय विकासात्मक उड़ान द्वारा प्रमोचित। स्वदेशी विकासात्मक प्रमोचन।
	रोहिणी श्रृंखला के उपग्रहों की कुल लागत 2.62 करोड़ रुपये है।			
9.	विस्तृत रोहिणी उपग्रह श्रृंखला (श्रोस-1)		24.3.1987	असफल। यह प्रमोचक राकेट के कार्यनिष्पादन के मानीटरन और गामाकिरण खगोलिकी के लिए नीतिभार ले गया था। संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट (ए.एस.एल.वी.) की प्रथम विकासात्मक उड़ान की असफलता के कारण इसे कक्षा में स्थापित नहीं किया जा सका। स्वदेशी विकासात्मक प्रमोचन।
10.	विस्तृत रोहिणी उपग्रह श्रृंखला (श्रोस-2)		13.7.1988	असफल। गामा किरण खगोलिकी नीतभार के साथ-साथ जर्मन अन्तरिक्ष एजेंसी का सुदूर संवेदन नीतभार ले गया था। संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट (ए.एस.एल.वी.) की द्वितीय विकासात्मक उड़ान की असफलता के कारण इसे कक्षा में स्थापित नहीं किया जा सका। स्वदेशी विकासात्मक प्रमोचन।
11.	विस्तृत रोहिणी उपग्रह श्रृंखला (श्रोस-सी)		20.5.1992	सफल। ए.एस.एल.वी. की तृतीय विकासात्मक उड़ान द्वारा प्रमोचित। गामा किरण खगोलिकी और वायुविज्ञान संबंधी नीतभार ले गया था। स्वदेशी विकासात्मक प्रमोचन।
12.	विस्तृत रोहिणी उपग्रह श्रृंखला (श्रोस-सी2)		4.5.1994	सफल। ए.एस.एल.वी. की चतुर्थ विकासात्मक उड़ान द्वारा प्रमोचित। श्रोस-सी के समान। अभी भी कार्यरत। स्वदेशी विकासात्मक प्रमोचन।
	श्रोस श्रृंखला के उपग्रहों की कुल लागत 13.26 करोड़ रुपये है।			
13.	भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट-1ए)		10.4.1982	संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त प्रथम प्रचालनात्मक बहुउद्देशीय संचार और मौसम विज्ञानीय उपग्रह। केवल 6 माह के लिए ही कार्य किया। इसे अमेरिकी डेल्टा प्रमोचक राकेट द्वारा प्रमोचित किया गया।
14.	भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट-1बी)		30.8.1983	सफल। इन्सैट-1ए के समान। अभिकल्पित सात वर्षीय कालावधि से अधिक कार्य किया। अमेरिकी अन्तरिक्ष शटल द्वारा प्रमोचित।

1	2	3	4	5
15.	भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट-1सी)		21.7.1988	इन्सैट-1ए के समान। केवल डेढ़ वर्षों तक कार्य किया। यूरोपियन ऐरियन प्रमोचक राकेट द्वारा प्रमोचित।
16.	भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट-1डी)		12.6.1990	सफल। इन्सैट-1ए के समान। इसे अमेरिकी डेल्टा प्रमोचक राकेट द्वारा प्रमोचित किया गया। अभी भी कार्यरत।
	प्रमोचन सहित इन्सैट-1 श्रृंखला के उपग्रहों की कुल लागत 468.57 करोड़ रुपये है।			
17.	भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट-2ए)		10.7.1992	सफल। द्वितीय पीढ़ी की भारत में निर्मित इन्सैट-2 श्रृंखला में प्रथम उपग्रह। इसमें इन्सैट-1 श्रृंखला की तुलना में संवर्धित सेवा क्षमता है। इसे यूरोपियन ऐरियन प्रमोचक राकेट द्वारा प्रमोचित किया गया। अभी भी कार्यरत।
18.	भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट-2बी)		23.7.1993	सफल। इन्सैट-2 श्रृंखला में द्वितीय उपग्रह। इन्सैट-2ए के समान। इसे यरोपियन ऐरियन प्रमोचक राकेट द्वारा प्रमोचित किया गया। अभी भी कार्यरत।
	प्रमोचन सहित इन्सैट-2ए और इन्सैट-2बी उपग्रहों की कुल लागत 527.94 करोड़ रुपये है।			
19.	भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट-2सी)		7.12.1995	सफल। इसमें मोबाइल उपग्रह सेवा, व्यवसायिक संचार तथा भारतीय सीमाओं से आगे तक दूरदर्शन आवरण जैसी अतिरिक्त क्षमताएं हैं। इसे यूरोपियन ऐरियन प्रमोचक राकेट द्वारा प्रमोचित किया गया। अभी भी कार्यरत।
20.	भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट-2डी)		4.6.1997	इन्सैट-2सी के समान। यूरोपियन प्रमोचक राकेट द्वारा प्रमोचित। पावर बस में आई खराबी के कारण अक्टूबर 4, 1997 को अकार्यशील हो गया।
	प्रमोचन सहित इन्सैट-2सी, इन्सैट-2डी और इन्सैट-2ई (प्रमोचित किया जाना है) की कुल लागत 1265.80 करोड़ रुपये है।			
21.	इन्सैट-2डीटी	40 मिलियन अमेरिकी डालर	-	इन्सैट-2डी की क्षति के कारण कम हुई इन्सैट क्षमता के आंशिक सवंर्धन के लिए अरबसैट से प्राप्त किया गया कक्षीय उपग्रह।
22.	भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई.आर.एस.-1ए)		17.3.1988	सफल। प्रथम प्रचालनात्मक सुदूर संवेदन उपग्रह। रूसी प्रमोचक राकेट, वोस्तोक द्वारा प्रमोचित।
23.	भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई.आर.एस.-1बी)		29.8.1991	सफल। आई.आर.एस.-1ए के समान। रूसी प्रमोचक राकेट, वोस्तोक द्वारा प्रमोचित। अभी भी कार्यरत है।
24.	भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई.आर.एस.-1ई)		20.9.1993	असफल। सुदूर संवेदन नीतभार ले गया। पी.एस.एल.वी. की प्रथम विकासात्मक उड़ान की असफलता के कारण कक्षा में स्थापित नहीं किया जा सका।
	आई.आर.एस.-1, आई.आर.एस.-1बी और आई.आर.एस.-1ई की कुल लागत 105.29 करोड़ रुपए है।			
25.	भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई.आर.एस.-पी2)	17.90	15.10 1994	सफल। सुदूर संवेदन नीतभार ले गया। पी.एस.एल.वी. की द्वितीय विकासात्मक उड़ान द्वारा प्रमोचित।

1	2	3	4	5
26.	भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई.आर.एस.-1सी)		28.12.1995	सफल। उन्नत सुदूर संवेदन कैमरे ले गया। रूसी मोलनिया प्रमोचक राकेट द्वारा प्रमोचित। अभी भी कार्यरत।
27.	भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई.आर.एस.-1डी)		29.9.1997	सफल। आई.आर.एस.-1सी के समान। भारत के पी.एस.एल.वी. राकेट द्वारा प्रमोचित। अभी भी कार्यरत।
	प्रमोचत सहित आई.आर.एस.-1सी की तथा आई.आर.एस.-1डी की कुल लागत 246.50 करोड़ रुपये है।			
28.	भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई.आर.एस.-पी3)	28.75	21.3.1996	सफल। सुदूर संवेदन नीतभार और एक एक्सरे खगोलिकी नीतभार ले गया। पी.एस एल.वी. की तृतीय विकासात्मक उड़ान द्वारा प्रमोचित। अभी भी कार्यरत।

[अनुवाद]

सोयाबीन का समर्थन मूल्य

***115. श्री शिवराज सिंह चौहान :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि लागत और मूल्य आयोग, समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय राज्य सरकारों द्वारा सुझाए गए प्रस्तावित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विचार करता है;

(ख) क्या आने वाले वर्षों में सोयाबीन (काला और पीला) और चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार निर्धारित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार किसानों को लाभकारी मूल्य देने हेतु सोयाबीन और चने का समर्थन मूल्य संशोधित करने का है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) सोयाबीन (पीली और काली) तथा चने सहित प्रमुख कृषि जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश करते समय, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग अनेक कारकों पर विचार करता है, जैसे खेती की लागत, मांग एवं आपूर्ति, आदान एवं उत्पादन मूल्य, कृषि व्यापार की शर्तें अंतर्फसल मूल्यों में समानता, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य आदि। राज्य सरकारों और उपर्युक्त पहलुओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर रुचि रखने वाले अन्य ग्रुपों से एक विस्तृत प्रश्नावली के माध्यम से प्राप्त सूचना पर भी विचार किया जाता है।

सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की रिपोर्ट तथा राज्य सरकारों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों एवं अन्य संबंधित कारकों के आधार पर प्रत्येक मौसम्र के लिये सोयाबीन (काली और पीली) एवं चने सहित प्रमुख कृषि जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य में सिर्फ उत्पादन को ही शामिल नहीं किया जाता, अपितु उनमें समुचित मुनाफा भी शामिल है।

चालू कृषि वर्ष (1997-98) के लिये सोयाबीन (पीली और काली) एवं चने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य इस प्रकार है :

जिन्स		न्यूनतम समर्थन मूल्य		1996-97 की तुलना में 1997-98 में हुई वृद्धि	
		1996-97	1997-98	निरपेक्ष	प्रतिशत
सोयाबीन					
	काली	620	670	50	8.1
	पीली	700	750	50	7.1
चना		740	815	75	10.1

न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने की प्रचलित प्रणाली आने वाले वर्षों में भी जारी रखी जाएगी।

प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा

***116. डॉ० विजय सोनकर शास्त्री :**
श्री नरेश पुगलीया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 309 और उसके अंतर्गत अधिनियमित सभी प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा करने हेतु किसी आयोग का गठन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो आयोग के विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(ग) आयोग सरकार को अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देगा?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 309 की समीक्षा करने के लिए कोई आयोग गठित नहीं किया है। प्रशासनिक कानूनों-नियमों की समीक्षा करने हेतु मई 8, 1998 को एक आयोग गठित किया गया है। आयोग के विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिए गए हैं। आयोग को

अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तीन माह का समय दिया गया है।

विवरण

प्रशासनिक कानूनों-नियमों की समीक्षा करने हेतु आयोग के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं :

(क) भिन्न-भिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा लागू किए गए प्रशासनिक कानूनों-नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने हेतु उठाए गए कदमों और उसके पश्चात् उनमें, निरसन (रिपील) और संशोधन हेतु किए गए अनुवर्ती उपायों का सिंहावलोकन करना।

(ख) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और ग्राहक-समूहों से परामर्श करके उन मामलों में मौजूदा कानूनों-नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं में अपेक्षित संशोधन तय किये जाने के सिलसिले में प्रस्ताव तैयार किये जाएं जहां वे एक से अधिक विभाग के लिए समान कानून के रूप में हो अथवा जहां उन का एक से अधिक मंत्रालय/विभाग और राज्य-सरकारों के प्रभावकारी कार्य पर असर पड़ता हो अथवा जहां कानूनों की सामूहिकता का आर्थिक अथवा सामाजिक क्षेत्र के कार्य-निष्पादन पर असर पड़ता हो अथवा जहां उनका उद्योग और व्यापार पर असर पड़ता हो।

(ग) पर्यावरण, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य, आवास और भूसम्पदा जैसे चुनिंदा क्षेत्रों के मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं में विशेष परिवर्तन किए जाने की जांच-पड़ताल करना ताकि उन्हें वस्तुनिष्ठ-निष्पक्ष, पारदर्शी और पूर्वानुमेय बनाया जा सके।

(घ) इस कार्य के आधार पर कानूनों-नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं, विधायी प्रक्रिया इत्यादि के निरसन/संशोधन हेतु सिफारिशें करना।

पौध संगरोध उपाय

*117. **डॉ० वल्लभभाई कथीरिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पौध संगरोध उपायों को सुदृढ़ करने के लिए पौध, फल तथा बीज आदेश, 1989 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें कब तक संशोधन किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) पौध, फल और बीज आदेश, 1989 में संशोधन हेतु सुझाव देने के लिये भारत सरकार ने हाल ही में एक दल का गठन किया है। इस दल की सिफारिशों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

शांति क्षेत्र के रूप में हिन्द महासागर

*118. **डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ हिन्द महासागर को 'शांति क्षेत्र' घोषित करने के लिए काफी लम्बे समय से लम्बित प्रस्ताव का परित्याग करने वाला है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या हिन्द महासागर में 'शांति क्षेत्र' स्थापित करने की मांग करने वाले महासभा के संकल्प को क्रियान्वित करने के लिए 1972 में समिति गठित की गई थी;

(ग) क्या तीन देश अर्थात् अमरीका, ब्रिटेन और फ्रांस इस संकल्प का विरोध करते रहे हैं;

(घ) यदि हाँ, तो क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ पर पनुः दबाव डाला है कि वह संकल्प को क्रियान्वित करे और हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र घोषित किया जाये; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हाँ।

(ग) जी हाँ।

(घ) भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 52वें सत्र में गुट निरपेक्ष आंदोलन के देशों के साथ मिलकर हिंद महासागर को एक शांति क्षेत्र घोषित करने के क्रियान्वयन का प्रस्ताव रखा था।

(ङ) भारत हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए गठित 44 सदस्यीय तदर्थ समिति का एक सदस्य है। भारत इस तदर्थ समिति की बैठक में सक्रिय रूप से भाग लेता है। 19-20 मई को कार्टाजेना में गुट निरपेक्ष आंदोलन की मंत्रीस्तरीय बैठक में हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र के रूप में घोषित करने के उद्देश्य की वैधता की एक बार पुनः पुष्टि की गई। उन्होंने हिन्द महासागर क्षेत्र में शान्ति सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व की पुनः पुष्टि की।

[हिन्दी]

सिंचित भूमि की प्रतिशतता

*119. **श्री चिन्ता मोहन** :
प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय कुल कृषि भूमि क्षेत्र का केवल एक तिहाई क्षेत्र सिंचित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में उचित जल निकासी प्रणाली के अभाव में कृषि भूमि लवणयुक्त होती जा रही है;

(घ) यदि हाँ, तो पानी जमा होने और खारेपन से देश में कुल कितनी कृषि भूमि प्रभावित हो रही है; और

(ङ) कृषि भूमि को इस समस्या से बचाने के लिए सरकार की भावी योजना का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) कृषि मंत्रालय द्वारा वर्ष 1994-95 (नवीनतम) के लिए तैयार किए गए भूमि प्रयोग आंकडों के अनुसार, देश में निवल बुआई क्षेत्र (एन.एस.ए.) में से निवल सिंचाई क्षेत्र (एन.आई.ए.) लगभग 37 प्रतिशत है। इसका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) कृषि भूमि में लवणता का मुख्य कारण उचित जल निकासी प्रणाली का अभाव होना है।

(घ) कृषि संबंधी राष्ट्रीय आयोग (1976) द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार 8.53 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जल-जमाव तथा 7.62 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र लवणता से प्रभावित है। इन क्षेत्रों में सिंचित तथा असिंचित क्षेत्र शामिल हैं। तत्पश्चात, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा गठित किए गए कार्यकारी दल ने ''सिंचित क्षेत्रों में समस्या का पता लगाने'' से संबंधित अपनी रिपोर्ट (1991) में सिंचित कमानों में जलजमाव तथा मृदा लवणता से प्रभावित क्षेत्र क्रमशः 2.46 मिलियन हेक्टयेर तथा 3.06 मिलियन हेक्टेयर आंका है।

(ङ) सरकार ने देश में कृषि भूमि की जल जमाव और लवणता की समस्या पर नियंत्रण करने के लिए विभिन्न नीति एवं कार्यक्रम आरम्भ किए हैं। इनमें उन्नत जल प्रबंधन पद्धतियों, सतही एवं भूजल के संयुक्त उपयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ ड्रिप तथा स्प्रिंकलर प्रणाली अपनाने, जल निकास प्रणाली का निर्माण/सुधार करना तथा जल-जमाव वाली एवं लवणता से प्रभावित भूमि का पुनरुद्धार करना शामिल है।

विवरण

राज्यवार निवल सिंचित क्षेत्र (एन.आई.ए.) निवल बुआई क्षेत्र (एल.एस.ए.) तथा एन.एस.ए. में एन.आई.ए. का प्रतिशत

(हजार हेक्टेयर में)

क्र. सं.	राज्य	निवल बुवाई क्षेत्र	निवल सिंचाई क्षेत्र	एन.एस.ए. में एन.आई.ए. का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	10365	3959	38.20
2.	अरुणाचल प्रदेश	150	36	24.00
3.	असम	2777	572	20.60
4.	बिहार	7380	3535	47.90
5.	गोवा	138	23	16.67
6.	गुजरात	9609	3002	31.24
7.	हरियाणा	3559	2719	76.40
8.	हिमाचल प्रदेश	572	100	17.48
9.	जम्मू एवं कश्मीर	733	305	41.61
10.	कर्नाटक	10419	2325	22.32
11.	केरल	2239	358	15.99
12.	मध्य प्रदेश	19662	5822	29.61
13.	महाराष्ट्र	17897	2567	14.34
14.	मणिपुर	226	65	28.76
15.	मेघालय	201	45	22.30
16.	मिजोरम	65	8	12.31
17.	नागालैंड	206	62	30.10
18.	उड़ीसा	6303	2090	33.16
19.	पंजाब	4210	3944	93.68
20.	राजस्थान	17021	4858	28.54
21.	सिक्किम	95	16	16.84
22.	तमिलनाडु	5790	2902	50.12
23.	त्रिपुरा	277	35	12.64
24.	उत्तर प्रदेश	17315	11670	67.40
25.	पश्चिम बंगाल	5464	1911	34.97
	कुल राज्य	142673	52929	37.10
	कुल संघ राज्य	146	70	47.95
	कुल जोड़	142819	52999	37.11

नोट : ये आंकड़े वर्ष 1994-95 (नवीनतम) के लिए केन्द्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए भूमि प्रयोग आंकड़ों के अनुसार हैं।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय

***120. श्री माधव राव पाटील :**
श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों को खोलने के लिए क्या मानदंड हैं;

(ख) क्या अनेक राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से अपने-अपने राज्यों में और अधिक पासपोर्ट कार्यालय खोलने के लिए अनुरोध किया है;

(ग) यदि हाँ, तो केन्द्र सरकार ने अब तक ऐसे किन-किन स्थानों का पता लगाया है;

(घ) क्या पासपोर्ट जारी करने में अत्यधिक विलम्ब होता है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसको तेजी से निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ङ) नए पासपोर्ट कार्यालय खोलने के लिए कुछ निश्चित मानदंड तय किए गए हैं जैसे मौजूदा पासपोर्ट कार्यालयों का स्थान, किसी क्षेत्र विशेष से प्राप्त आवेदन पत्रों की कुल संख्या और विदेश कार्यालय की संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशें जिसके अनुसार किसी क्षेत्र में नया पासपोर्ट कार्यालय खोलने के लिए उस क्षेत्र से कम से कम 50000 आवेदन प्रति वर्ष प्राप्त होने चाहिए।

इस समय, पूरे देश में 27 पासपोर्ट कार्यालय और 10 पासपोर्ट संग्रहण केन्द्र कार्य कर रहे हैं। पुणे में पासपोर्ट कार्यालय शीघ्र ही खोला जाना है। सरकार के पास अतिरिक्त पासपोर्ट कार्यालयों को खोलने के लिए किसी भी राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। वस्तुतः सरकार ने सभी उत्तर-पूर्वी राज्यों को अपनी ओर से यह अनुरोध किया है कि वे इन राज्यों में संग्रहण केन्द्र खोलने में सहायता करें।

सरकार पासपोर्ट जारी करने की वर्तमान पद्धति में सुधार लाने और उन्हें ठीक करने के निरन्तर प्रयास करती रही है ताकि यह सुनिश्चय किया जा सके कि पासपोर्ट जारी करने में देरी न हो। पासपोर्ट शीघ्र जारी करने के लिए हाल ही में कई उपाय किए गए हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ आवेदन-पत्र प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण, चुनिन्दा शहरों में पासपोर्टों को स्पीड पोस्ट द्वारा भेजना, पासपोर्ट अवधि समाप्त [illegible] के माम[illegible] में पूर्व पुलिस जांच के बिना पासपोर्ट स्वतः दोबारा जारी करना, पासपोर्ट की वैधता अवधि को 20 वर्ष तक बढ़ाना, नए पासपोर्ट कार्यालय और संग्रहण केन्द्र खोलना और विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों में स्टाफ की संख्या में वृद्धि करना शामिल है।

रावी-व्यास जल विवाद

***121. श्री गिरधारी लाल भार्गव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों द्वारा रावी-व्यास के अतिरिक्त जल के वितरण के लिए 31 दिसम्बर, 1981 को किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस मामले के स्पष्टीकरण हेतु इसे इराड़ी न्यायाधिकरण को सौंपा है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या इस न्यायाधिकरण की बैठक कई वर्षों से नहीं हुई जिसके कारण राजस्थान राज्य को भारी मुसीबतें झेलनी पड़ीं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार 29-30 जुलाई और 6 अगस्त, 1992 को हुई अन्तर-राज्य बैठक में लिये गये निर्णय को लागू करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हाँ, तो इसके कब तक लागू किये जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) जी हाँ।

भारत के माननीय प्रधान मंत्री की उपस्थिति में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्रियों के बीच 31 दिसम्बर, 1981 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे जिसमें रावी-व्यास प्रणाली के 21.19 बिलियन टन मीटर अधिशेष जल को, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों राज्यों के बीच क्रमशः 5.21 बिलियन घन मीटर, 4.32 बिलियन घन मीटर और 10.61 बिलियन घट मीटर और जम्मू व कश्मीर राज्य तथा दिल्ली जल आपूर्ति को निर्धारित हिस्से के आधार पर क्रमशः 0.80 बिलियन घन मीटर और 0.25 बिलियन घन मीटर परिवर्तन होने की दशा में अधिकता व कमी के प्रावधान करते हुए आंबटित किया गया है। इस बात पर भी सहमति हुई थी कि चूंकि राजस्थान अपने हिस्से के जल का पूर्ण सहयोग करने की स्थिति में नहीं है इसलिए पंजाब राजस्थान के अधिशेष जल का उपयोग कर सकता है। इस बात पर भी सहमति हुई थी कि जहां तक पंजाब राज्य क्षेत्र में नहर और इसके सम्बद्ध कार्यों का सम्बन्ध है सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर परियोजना को समयबद्ध ढंग से इस समझौते की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर कार्यान्वित किया जायेगा ताकि हरियाणा आबंटित जल का अपना हिस्सा प्राप्त कर सके।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार द्वारा 2.4.1986 को माननीय न्यायमूर्ति इराड़ी की अध्यक्षता में रावी-व्यास जल अधिकरण की स्थापना की गई थी और अधिकरण को सत्यापन और निर्णय के लिए निम्नलिखित दो मामले भेजे गये।

(1) पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसानों को उतना जल प्राप्त होता रहेगा जितना वे रावी-व्यास प्रणाली से 1.7.1985 को उपयोग कर रहे थे। संयुक्त उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया जल भी इससे प्रभावित नहीं होगा। अधिकरण द्वारा दावा की गई जल के उपयोग की मात्रा का सत्यापन किया जायेगा।

(2) पंजाब और हरियाणा द्वारा शेष जल में उनके हिस्से का दावा करने के सम्बन्ध में निर्णय अधिकरण द्वारा किया जाएगा।

अधिकरण ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट जनवरी, 1987 में दी। अधिकरण ने स्पष्टीकरण के लिए आए अन्य मामलों में अपनी सुनवाई सितम्बर, 1987 में पुनः शुरू की और यह सुनवाई अक्टूबर, 1988 तक जारी रखी। अधिकरण अक्टूबर, 1988 से जून, 1997 तक पंजाब के तत्कालीन हालात तथा 9.3.1989 को अधिकरण से एक सदस्य द्वारा त्याग पत्र देने जैसे विभिन्न कारणों के परिणामस्वरूप अपना कार्य नहीं कर सका। अधिकरण की आगे सुनवाई 5.7.97 से पुनः शुरू हुई। तथापि, भाखड़ा व्यास प्रबंध मंडल वर्ष 1981 के अंतर्राज्यीय समझौते को ध्यान में रखते हुए राजस्थान और संबंधित राज्यों को तदर्थ आधार पर रावी-व्यास का अधिशेष जल छोड़ने की व्यवस्था कर रहा है।

(ङ) और (च) पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों के कुछ अन्तर्राज्यीय मुद्दों पर 29 से 30 जुलाई, 1992 और 6 अगस्त, 1992 को हुई बैठकों में तीनों सम्बन्धित राज्यों के मुख्य मंत्रियों के बीच विचार-विमर्श किया गया। इन बैठकों में किए गये निर्णयों पर तीनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों द्वारा और आगे विचार-विमर्श किया जाना था। तथापि और बैठकें नहीं हो सकीं इसलिए इन मुद्दों का समाधान नहीं हो पाया है।

[अनुवाद]

संसद सदस्यों से प्राप्त पत्र

1110. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालयों/विभागों द्वारा संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों के उत्तर केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया नियमावली में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार दिए जाते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) जी, हाँ। संसद-सदस्यों से प्राप्त संदर्भों (पत्रों) पर कार्रवाई करने के लिए केन्द्रीय सचिवालय की कार्यालय-पद्धति के मैनुअल के पैरा 57, 60 तथा 122 द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों में यह व्यवस्था है कि संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों पर तत्काल कार्रवाई की जाए तथा 15 दिन के भीतर उनका उत्तर भेज दिया जाए। फिर भी जिन मामलों में अंतिम उत्तर भेजे जाने में देर होने की आशंका हो अथवा सूचना किसी अन्य मंत्रालय अथवा किसी अन्य कार्यालय में प्राप्त की जानी हो, वहां, अंतिम उत्तर दिए जाने की संभावित तारीख दर्शाते हुए एक पखवाड़े के भीतर अंतरिम उत्तर भेज दिया जाए।

जनसंख्या अनुमान

1111. श्री के.पी. नायडू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या में प्रत्याशित औसत वृद्धि का कोई अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हाँ, तो इन अनुमानों के क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या शहरी/ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि के कारण 2002 ईस्वी तक मूल सुविधाओं के अपर्याप्त हो जाने की संभावना है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने पेयजल, स्वच्छता, आवास, सड़क आदि की विद्यमान व्यवस्था को बढ़ाने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जनसंख्या अनुमान संबंधी तकनीकी दल ने अनुमान लगाया था कि नौवीं योजना अवधि की समाप्ति तक शहरी जनसंख्या वर्ष 1996 के 25.44 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2002 तक 29.84 करोड़ हो जाएगी तथा इस अवधि तक ग्रामीण जनसंख्या 67.98 करोड़ से बढ़कर 72.92 करोड़ हो जाएगी।

(ग) से (ङ) बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में राज्यों के प्रयासों को पूरा करने के उद्देश्य से वर्ष 1996-97 में बुनियादी न्यूनतम सेवाएं कार्यक्रम शुरू किया गया था। अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता राज्यों को आंबटित की गयी थी ताकि 7 बुनियादी न्यूनतम सेवाओं (स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, प्राथमिक शिक्षा, आवास सहायता, पूरक पोषाहार, ग्रामीण सड़कता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली) के लिए अनुभूत आवश्यकताओं की कमियों को पूरा किया जा सके। राज्यों को इस बात की छूट है कि वे ए.सी.ए. का सात बुनियादी न्यूनतम सेवाओं में उनकी अनुभूत आवश्यकताओं/प्राथमिकता के अनुसार स्वयं पारस्परिक आबंटन करें। केन्द्र ने इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वार्षिक योजना 1996-97 के दौरान 2244 करोड़ रुपये तथा वार्षिक योजना 1997-98 के दौरान 3300 करोड़ रुपये अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में आवंटित किए थे।

शासन के लिए राष्ट्रीय एजेन्डा में सामाजिक अवसंरचना-पेयजल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और सफाई के विस्तार और सुधार पर बल दिय गया है। नौवीं योजना अवधि के दौरान राज्य सरकारों और केन्द्र से अपेक्षा की गई है कि वे इन क्षेत्रों को, जिनका मुख्य उद्देश्य शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आवश्यकता और उपलब्धता के बीच अंतराल को कम करना है, प्राथमिकता आधार पर निधियाँ उपलब्ध कराएं।

वेतन आयोग की विसंगतियों संबंधी समिति

1112. **श्री टी. गोविन्दन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के पश्चात् विसंगतियों संबंधी समिति को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार, राष्ट्रीय परिषद्, संयुक्त परामर्श तन्त्र (जे.सी.एम.) की विसंगति-समिति, दो अथवा उससे अधिक विभागों के सामान्य श्रेणियों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में सामान्य विसंगतियां निबटाएगी। विभागीय स्तर पर गठित विसंगति-समिति, विशेष रूप से सम्बद्ध विभागों से संबंधित विसंगतियां ही निबटाएगी। चूंकि, विसंगतियाँ एक से अधिक विभागों द्वारा निबटाई जाती हैं, अतः इस बारे में इस विभाग द्वारा संगत जानकारी नहीं रखी जाती।

भूमिगत जल

1113. **श्री रघुवंश प्रसाद सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 मई, 1998 के 'राष्ट्रीय सहारा' में प्रकाशित समाचार "पांच साल में खत्म हो जायेगा जयपुर में भू-जल" की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें प्रकाशित मामले के बारे में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या भूमिगत जल को पुनः आरोपित करने के लिए वर्षाजल को एकत्रित करने हेतु कोई अध्ययन किया गया है या इसके लिए कोई योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो उक्त योजना को तेजी से कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हाँ।

(ख) केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड द्वारा किए गए दीर्घकालिक प्रेक्षणों से जयपुर क्षेत्र में भूजल के स्तर में वृद्धि और कमी दोनों स्थिति देखने में आई है। शहर के कुछ भागों में भूजल की अत्यधिक निकासी हुई है जिससे सामान्य पुनर्भरण बढ़ रहा है इससे पिछले दशक के दौरान 5-10 मीटर की उत्तरोत्तर कमी हुई है। जलस्तर में 120-25 मीटर की कमी हुई है। जैसा कि 'राष्ट्रीय सहारा' में 10.5.98 को प्रकाशित रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। इस समय, जयपुर के विभिन्न भागों में 15-40 मीटर की गहराई पर जल उपलब्ध है। विद्यानगर, विश्वकर्मा, वैशालीनगर, सी स्कीम एरिया, सिविल लाइन्स और टैंक फाटकों में जल उपलब्धता के संबंध में स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। स्थाई आरक्षित और सामान्य पुनर्भरण को ध्यान में रखते हुए, 270 मिलीलीटर प्रतिदिन की दर से निकासी अथवा बिलासपुर परियोजना से जल की आपूर्ति न होने से अगले पांच वर्षों में जयपुर में भूजल संसाधन के खाली होने की संभावना नहीं है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड ने हाल ही में कर्नाटक, महाराष्ट्र और राज्यों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ में वर्षा पर आधारित कृषि सहित भूजल पुनर्भरण संबंधी अध्ययन किए हैं। सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा जल प्रबंधन के विभिन्न कार्यक्रमों और जल कृषि तकनीकें तैयार की गई और कार्यान्वयनाधीन है, इनमें शामिल हैं :

(1) कृषि और सहकारिता विभाग

- (i) नदी घाटी परियोजना के आवाह में मृदा संरक्षण
- (ii) बाढ़ प्रवण नदियों के आवाह में मृदा संरक्षण
- (iii) वर्षा पोषित कृषि के लिए राष्ट्रीय जल विभाजक विकास परियोजना
- (iv) शिफ्टिंग कृषि के क्षेत्रों में जल विभाजक प्रबंधन

(2) बंजर भूमि विकास विभाग

- (i) एकीकृत जल विभाजक विकास कार्यक्रम

(3) ग्रामीण रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग

- (i) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम
- (ii) मरूभूमि विकास कार्यक्रम

विवरण

स्थान	भूमि जल स्तर के लिए गहराई मीटर में			
	मई, 1996	जून, 1997	मई, 1997	जून. 1998
1	2	3	4	5
1. विश्वकर्मा	36.75	36.71	36.78	37.20
2. विद्याधर नगर	36.46	35.27	35.29	मापा नहीं गया

1	2	3	4	5
3. वैशाली नगर क्षेत्र	30.11	28.61	28.82	28.80
4. सी स्कीम एरिया	16.93	18.16	18.51	14.60
5. सिविल लाइन्स	17.00	18.16	18.51	14.51
6. टोंक फाटक	14.45	13.57	14.45	14.60

[हिन्दी]

कावेरी जल-विवाद

1114. श्रीमती सूर्यकांता पाटील : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कावेरी जल-विवाद के समाधान हेतु डॉ० अलघ की अध्यक्षता में कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है;

(ग) समिति द्वारा इस संबंध में दिए गए सुझावों/की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

नदियों को जोड़ना

1115. श्री विजय संकेश्वर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानदी और मालप्रभा नदियों को जोड़ने संबंधी किसी परियोजना की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो गोवा और कर्नाटक सरकारों द्वारा इस संबंध में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

सुपर कम्प्यूटर

1116. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने रूस से प्राप्त सुपर कम्प्यूटर पर आधारित अपना सुपर कम्प्यूटर तैयार कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो भारत द्वारा बनाए गए सुपर कम्प्यूटर की विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या भारत द्वारा निर्मित सुपर कम्प्यूटर का उपयोग हो रहा है;

(घ) यदि हाँ, तो इनका उपयोग किन-किन क्षेत्रों में हो रहा है; और

(ङ) भारत द्वारा सुपर कम्प्यूटर विकसित करने में हुआ औसत व्यय क्या है और स्वदेशी सुपर कम्प्यूटर के विकास में प्रयोग किए गये विदेशी अवयवों का प्रतिशत क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) सुपर कम्प्यूटरों का प्रयोग इस समय उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डैक), भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी), रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) तथा राष्ट्रीय वांतारिक्ष प्रयोगशाला (एनएएल) में किया जा रहा है।

(ङ) सुपर कम्प्यूटरों के विकास पर 100 करोड़ रुपये का व्यय होने का अनुमान है। उच्च स्तर के संघटक-पुर्जों का आयात किया जाता है जिसकी औसत लागत कुल लागत का 35% होती है।

भारतीय विदेश सेवा

1117. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विदेश सेवा में पद-वार कुल कितने अधिकारी हैं;

(ख) उनमें से कितने अधिकारी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के हैं;

(ग) इन श्रेणियों में कुल रिक्तियों की पद-वार संख्या क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा बकाया पड़े पदों को भरने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) 1.5.98 की स्थिति के अनुसार भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों की श्रेणीवार वर्तमान संख्या इस प्रकार है :

(i) भारतीय विदेश सेवा के श्रेणी-I	-	26
(ii) भारतीय विदेश सेवा के श्रेणी-II	-	33
(iii) भारतीय विदेश सेवा के श्रेणी-III	-	164
(iv) भारतीय विदेश सेवा के श्रेणी-IV	-	130
(v) भारतीय विदेश सेवा के कनिष्ठ प्रशा. श्रेणी और वरिष्ठ वेतनमान	-	169
(iv) कनिष्ठ वेतनमान (परिवीक्षाधीन सहित)	-	56

(ख) इनमें से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की संख्या इस प्रकार है :

(i) श्रेणी-I - अनु. जाति - 1 और अनु. जनजाति-1

(ii) श्रेणी-II - अनु. जाति - 1

(iii) श्रेणी-III - अनु. जाति - 25 और अनु. जनजाति-13

(iv) श्रेणी-IV - अनु. जाति - 26 और अनु. जनजाति-8

(v) क.प्रशा. ग्रेड और वरिष्ठ वेतनमान - अनु. जाति - 28 और अनु. जनजाति-12

(vi) क. वेतनमान - अनु. जाति-9 और अनु. जनजाति-4

अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों का आरक्षण 1995 बैच से शुरू हुआ है। अतः इस श्रेणी के सभी अधिकारी भारतीय विदेश सेवा के कनिष्ठ श्रेणी में हैं तथा उनकी संख्या 11 है।

(ग) इन श्रेणियों में कुल रिक्तियां 8 हैं (ये सभी कनिष्ठ वेतनमान में हैं) जिनमें से 3 अनु० जाति की, 1 अनु. जनजाति की तथा 4 अन्य पिछड़े वर्ग की हैं।

(घ) भर्ती में कोई पिछला बकाया नहीं है। वर्तमान कुछ रिक्त पद भर्ती नियमों के अनुसार भरे जा रहे हैं चूंकि समूह 'क' सेवाओं में आरक्षण सिर्फ भर्ती स्तर पर ही है, भारतीय विदेश सेवा के उच्चतर श्रेणियों में पिछले बकाया का प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

"कैट" का अधिकार क्षेत्र

1118. श्री चमन लाल गुप्त : क्या **प्रधान मंत्री** 13 अगस्त, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3487 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संबंधित मंत्रालयों/विभागों ने आवश्यक जानकारी भेज दी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों को "कैट" के अधिकार क्षेत्र में लाने संबंधी अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन और कुछ अन्य संगठनों के कर्मचारियों का केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अधिकार-क्षेत्र में लाया जाना, इसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण पर पड़ने वाले अतिरिक्त कार्य-भार के मूल्यांकन पर निर्भर है। इस प्रयोजन से सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों से अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक संबंध

1119. श्री रंजीब बिस्वाल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ द्विपक्षीय आर्थिक संबंध सुधारने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उस देश के साथ आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने की गुंजाइश है;

(घ) यदि हाँ, तो विगत में किन-किन क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग किए गए हैं; और

(ङ) भारत-कोरियाई द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों के विस्तार के लिए दोनों देशों द्वारा क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ङ) भारत सरकार कोरिया गणराज्य की सरकार के साथ दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध बताने के मामले में निकट संपर्क कायम हुए है।

सितम्बर, 1993 में भारत के प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव की कोरिया गणराज्य की यात्रा तथा फरवरी, 1996 में कोरिया

गणराज्य के राष्ट्रपति किम योंग साम की भारत यात्रा ने हमारे आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को ठोस गति प्रदान की।

भारत-कोरिया गणराज्य व्यापार निरन्तर बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में भारत में कोरिया गणराज्य के निवेशों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस समय कोरिया भारत में पांचवां सबसे बड़ा निवेशकर्ता है।

आर्थिक मामलों पर नियमित आदान-प्रदान कायम करने की दृष्टि से, दोनों देशों के बीच एक संयुक्त आयोग स्थापित करने के लिए फरवरी, 1996 में कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान एक करार संपन्न हुआ था।

व्यापार, निवेश, संयुक्त उद्यम, जहाज-निर्माण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तकनीकी प्रशिक्षण और संबद्ध क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच निरन्तर सहयोग बढ़ रहा है।

[हिन्दी]

विभागीय प्रतियोगी परीक्षाएं

1120. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए सहायकों की तरह पदोन्नति प्राप्त सहायकों को भी चार वर्ष की सेवा के उपरान्त अनुभाग अधिकारी सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में बैठने देने के लिए केन्द्रीय सचिवालीय सेवाओं के उप-नियम 4 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्तसंबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार उक्त नियमों में कब तक संशोधन करेगी?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) परीक्षा में बैठने देने की पात्रता तय करने के लिए "अनुमोदित सेवा" की गणना, सहायक ग्रेड में नियुक्ति की "वास्तविक" तारीख से की जाती थी। तथापि 21.6.95 को इन नियमों में एक संशोधन को जारी कर दिए जाने के परिणामस्वरूप, उपर्युक्त क्रम में अनुमोदित सेवा की गणना, सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए सहायकों के मामले में, एक सैद्धांतिक तारीख के रूप में उनकी परीक्षा के वर्ष के बाद के वर्ष के जुलाई माह की पहली तारीख और पदोन्नत-सहायकों के मामले में एक सैद्धांतिक तारीख के रूप में उनकी प्रवर-सूची-वर्ष के पश्चात् आने वाले वर्ष के जुलाई माह की पहली तारीख से की जाती है। इस परिवर्तन के कारण संघ लोक सेवा आयोग और अन्य संबंधित मंत्रालयों से परामर्श करके यह निर्णय किया गया है कि उपर्युक्त क्रम में पात्रता संबंधी सेवाकाल के मौजूदा मानदंड परिवर्तित नहीं किए जाएं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सूचना का अधिकार

1121. डॉ० मदन प्रसाद जायसवाल :
श्री महेश कनोडिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में सभी सरकारी प्राधिकरणों के कार्यकरण की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार सभी नागरिकों को देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या दस्तावेजों की गोपनीयता संबंधी सरकार की वर्तमान नीति इसमें बाधा नहीं डालेगी;

(ग) ऐसी सूचना प्राप्त करने की क्या-क्या विधियां हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या ऐसी जानकारी देने से इंकार किए जाने पर शीघ्रातिशीघ्र उपचारात्मक उपाय किए जाएंगे?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) से (घ) सरकार तथा इसके लोक-निकायों के कार्यकरण में अपेक्षाकृत अधिक पारदर्शिता तथा खुलापन लाए जाने की दृष्टि से सरकार ने, "सूचना का अधिकार तथा खुली एवं पारदर्शी सरकार को बढ़ावा देने" पर श्री एच.डी. शौरी की अध्यक्षता में एक कार्यदल गठित किया था। उपर्युक्त कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट मई 21, 1997 को सरकार को प्रस्तुत कर दी। उपर्युक्त कार्य-दल ने, सरकार के विचारार्थ "सूचना के स्वातंत्र्य विधेयक" का मसविदा तैयार किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जनता में सूचना के प्रवाह में अन्य कानूनों और नियमों से रुकावट नहीं आए, उपर्युक्त कार्यदल ने, शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 की धारा 5, भारतीय साक्ष्य-अधिनियम, 1872 की धारा 123 और 124 में संशोधन किए जाने और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 11 तथा सूचना के वर्गीकरण से संबद्ध विभागीय सुरक्षा-अनुदेशों के मैनुअल में तद्नुरूपी संशोधन किए जाने की सिफारिश की है। "सूचना के स्वातंत्र्य विधेयक" में सूचना प्राप्त करने के तौर-तरीके तथा सूचना सुलभ करवाए जाने से इंकार किए जाने के मामलों में सुधारात्मक उपाय भी शामिल किए गए हैं।

"सूचना के स्वातंत्र्य विधेयक" को कानून बनाए जाने के प्रयोजन से कार्य-दल की सिफारिश पर विर्चार प्रगत अवस्था में चल रहा है। उपर्युक्त अधिनियम तथा अन्य प्रावधान लागू करने वाले मंत्रालय/विभाग, इन सिफारिशों के संबंध में अलग से कार्रवाई कर रहे हैं।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन

1122. श्री पंकज चौधरी :
श्री रामपाल सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ने की खोई से विद्युत उत्पादन करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गन्ने की खोई से कितनी मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जायेगा; और

(घ) इस स्रोत से कितनी विद्युत की मांग की पूर्ति की जायेगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) राष्ट्रीय खोई आधारित सह-उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयनाधीन है यह कार्यक्रम बारह प्रदर्शन परियोजनाओं को ईष्टतम उत्पादन के लिए 2 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट तक की पूंजीगत सहायता उपलब्ध कराता है। यह कार्यक्रम परियोजनाओं के मानदंडों पर निर्भर करते हुए वित्तीय संस्थाओं को, ऐसी सह-उत्पादन परियोजनाओं के लिए उनके द्वारा दिए गए आवधिक ऋणों की ब्याज दर को कम करने हेतु ब्याज आर्थिक राज सहायता के रूप में 15 लाख रुपये प्रति मेगावाट से लेकर 35 लाख रुपये प्रति मेगावाट तक के भिन्न-भिन्न वित्तीय प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम के अंतर्गत, प्रशिक्षण इत्यादि के आयोजन जैसे संवर्धनात्मक कार्यकलापों में भी सहायता दी जाती है।

(ग) और (घ) लगभग 3500 मेगावाट खोई आधारित सह-उत्पादन की संभाव्यता का अनुमान लगाया गया है। अब तक देश में 82 मेगावाट समग्र अतिरिक्त विद्युत उत्पादन की 19 सह-उत्पादन परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं। यह बताया गया है कि लगभग 100 मेगावाट समग्र क्षमता की 17 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

[अनुवाद]

विभिन्न विभागों का नेटवर्किंग

1123. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल इन्फार्मेटिक सेंटर को महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक से पूर्ण कम्प्यूटरीकरण की ओर कदम के रूप में इनके विभिन्न विभागों के नेटवर्किंग के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) पूर्ण किए जा चुके कार्य तथा चल रहे कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या परियोजना के कार्यान्वयन में अनावश्यक विलम्ब हुआ है;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) महाराष्ट्र के मामले में महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 6 अक्टूबर, 1997 को हुई राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) की राज्य समन्वय समिति की बैठक के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने मुम्बई में मंत्रालय और नये प्रशासनिक ब्लॉक में एक नवीनतम हाई स्पीड लोकल एरिया नेटवर्क संयुक्त रूप से स्थापित करने का प्रस्ताव किया था।

समग्र फाइल मानीटरिंग प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए, आन्ध्र प्रदेश सरकार के परामर्श से एक प्रस्ताव तैयार किया गया था जो पूरा हो चुका है। सचिवालय काम्पलैक्स के भीतर संरचित हाई स्पीड एल.ए.एन. स्थापित करने का एक अन्य प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। कर्नाटक सरकार से इसके कार्यालयों की नेटवर्किंग के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) एन.आई.सी. ने जनवरी, 1998 में महाराष्ट्र सरकार को विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में अनुमोदित किया है। आन्ध्र प्रदेश राज्य के मामले में, एन.आई.सी. ने एल.ए.एन. के सक्रिय घटकों को मुहैया कराने से संबंधित अपने कार्य को पूरा कर लिया है जबकि राज्य सरकार फाइबर आप्टिक और यू.टी.पी. केबल बिछा रही है।

कर्नाटक के मामले में, विधान सौध में अवस्थित सरकारी कार्यालयों को नेटवर्क करने का एक व्यापक प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया है। एन.आई.सी. को उनका अनुमोदन प्राप्त होना है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) महाराष्ट्र के मामले में, राज्य सरकार द्वारा केबल/डक्ट आदि से संबंधित परियोजना के अपने भाग को पूरा करने के पश्चात् एन.आई.सी. तीन माह के भीतर परियोजना के अपने भाग को पूरा कर सकता है। कर्नाटक के मामले में, राज्य सरकार के अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

आन्ध्र प्रदेश के मामले में एन.आई.सी. ने प्रस्ताव के अपने भाग को पूरा कर लिया है।

उर्वरकों के मूल्य संबंधी नीति

1124. श्री बाजू बन रियान :
श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों के मूल्यों के संबंध में किसी नीति की घोषणा की है;

(ख) यदि हाँ, तो इस नीति की मुख्य विशेषताएं क्या-क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव छोटे और सीमान्त किसानों की सहायता के लिए उर्वरकों की कीमत को कम करने का है;

(घ) क्या सरकार दो एकड़ से कम भूमि रखने वाले किसानों को रियायती दरों पर उर्वरक वितरित करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) मौजूदा योजना के अंतर्गत केवल यूरिया ही ऐसा उर्वरक है जो सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अधीन है। विनियंत्रित फास्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों अर्थात् डाई-अमोनियम फास्फेट (डी.ए.पी) म्यूरिएट आव् पोटाश (एम.ओ.पी.) सिंगल सुपर फास्फेट (एस.एस.पी.) तथा योगिक उर्वरकों के मामले में निर्माताओं और आयातकों को रियायत देने की एक योजना चल रही है ताकि वे इन उर्वरको की बिक्री केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित कम मूल्य पर कर सकें।

(ग) से (ङ) यूरिया, जो एकमात्र नियंत्रित उर्वरक है, किसानों, जिनमें छोटे और सीमांत किसान शामिल हैं जो राजसहायता प्राप्त सांविधिक मूल्य पर खेतों के निकट ही उपलब्ध हैं। विनियंत्रित उर्वरक अर्थात् डी.ए.पी., एम.ओ.पी., एस.एस.पी. तथा मिश्रण भी किसानों को रियायती दामों पर उपलब्ध हैं।

गोवा को विशेष दर्जा देना

1125. श्री रवि सीताराम नायक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गोवा को विशेष श्रेणी का दर्जा देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) योजना वित्तपोषण के लिए केन्द्रीय सहायता के प्रयोजन हेतु, विशेष श्रेणी राज्यों में शामिल किए गए राज्य वे हैं जो पड़ौसी देशों से लगी सीमा पर महत्वपूर्ण स्थिति रखते हैं और जो पर्वतीय राज्य हैं; जिनमें कुछ विस्तृत जनजातीय जनसंख्या वाले हैं और/अथवा जो पहले के छोटे संघ राज्य क्षेत्रों/जिलों में से गठित किए गए हैं जिनका उनकी विकास आवश्यकताओं की तुलना में सीमित और कमजोर संसाधन आधार हैं।

गोवा, जो यद्यपि पूर्व संघ राज्य क्षेत्र से बना है, की ऐसी कोई समस्या नहीं है। यह संपन्न राज्यों में से एक है जिसका सुविकसित राजकोषीय ढांचा है और यह पर्यटन, खनिज तथा खनिज आधारित उद्योगों से संसाधन जुटाने के लिए स्पष्ट क्षमता रखता है। इस प्रकार गोवा राज्य, विशेष श्रेणी राज्यों की कोटि की पात्रता नहीं रखता।

प्याज की बिक्री

1126. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ओलावृष्टि के परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में हड़बड़ी में 1 रुपये प्रति किलोग्राम तक प्याज की बिक्री से अवगत है;

(ख) यदि हाँ, तो इन इलाकों के प्याज उगाने वाले किसानों को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या आवश्यक उपाय किए गए हैं; और

(ग) अब तक केन्द्रीय राहत निधि से कितनी धनराशि जारी की गयी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) 1998-99 के दौरान आयी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों को आवश्यक राहत और पुनर्वास की सुविधा मुहैया कराने के लिए केन्द्रीय सरकार ने पहली त्रैमासिक किश्त के रूप में मार्च, 1998 में अग्रिम रूप से 10.67 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त कर दी है।

[हिन्दी]

बिहार में बांधों का निर्माण

1127. श्री कृष्ण कुमार चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बिहार के गया जिले में तथा पंचमपुर के समीप फाल्गु तथा मोरहर नदी पर बांध का निर्माण कर सिंचाई परियोजना शुरू करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो परियोजना संबंधी कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) बिहार राज्य सरकार से केन्द्रीय जल आयोग में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

प्रति व्यक्ति आय

1128. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री डी.एम. अहिरे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय और उसके राष्ट्रीय औसत का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या महाराष्ट्र राज्य में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय औसत के बराबर महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय लाने के लिए कोई कार्यवाही करने का है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) 1980-81 से आगे की अवधि के लिए चालू एवं स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय उत्पाद एवं निवल घरेलू उत्पाद के साथ राज्यवार निवल राज्य घरेलू उत्पाद संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

स्थिर मूल्यों (1980-81) पर प्रति व्यक्ति निवल **(राज्य श्रेणी)** *राज्य घरेलू उत्पाद (1980-81 से 1997-98)*

(22.5.1998 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	1980 -81	1981 -82	1982 -83	1983 -84	1984 -85	1985 -86	1986 -87	1987 -88	1988 -89	1989 -90	1990 -91	1991 -92	1992 -93	1993 -94	1994 -95 (पी)	1995 -96 (पी)	1996 -97 (क्यू)	1997 -98 (ए)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	1380	1556	1540	1569	1488	1530	1438	1545	1717	1790	1779	1788	1786	1871	1971	2059	2110	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	1571	1750	1755	1821	1937	2119	2194	2265	2374	2363	2710	8012	3013	3369	3265	3304	3059	-
3.	असम	1284	1402	1437	1470	1447	1510	1437	1468	1446	1517	1544	1575	1557	1583	1585	1606	1628	-
4.	बिहार	917	947	935	1003	1074	1074	1135	1050	1158	1116	1197	1105	1017	1019	1037	986	1010	-
5.	गोआ	3145	2866	3239	3214	3283	3091	3196	3498	4195	4128	4885	4786	5381	5497	5552	5483	-	-
6.	गुजरात	1940	2084	2008	2343	2293	2186	2276	1986	2717	2644	2649	2381	3091	2887	3496	3375	3717	-
7.	हरियाणा	2370	2399	2487	2479	2513	2893	2825	2709	3289	3254	3509	3499	3421	3498	3686	3668	3956	-
8.	हिमाचल प्रदेश	1704	1773	1678	1726	1599	1781	1877	1850	2046	2250	2241	2213	2267	2315	2395	2518	-	-
9.	जम्मू व कश्मीर	1776	1772	1782	1794	1837	1832	1809	1571	1736	1730	1786	1775	1804	1832	1886	1926	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10.	कर्नाटक	1520	1583	1586	1663	1750	1644	1764	1853	1978	2055	2039	2262	2278	2399	2454	2551	2641	-
11.	केरल	1508	1469	1485	1406	1473	1507	1453	1482	1614	1705	1815	1826	1932	2114	2169	2264	2363	-
12.	मध्य प्रदेश	1358	1360	1388	1427	1327	1409	1315	1459	1529	1523	1696	1538	1618	1747	1753	1791	1875	-
13.	महाराष्ट्र	2435	3541	2480	2579	2558	2705	2666	2781	3000	3434	3483	3399	3849	4110	4274	4598	4853	-
14.	मणिपुर	1419	1462	1447	1530	1553	1598	1588	1669	1707	1687	1739	1841	1884	1896	1986	1993	-	-
15.	मेघालय	1361	1379	1361	1354	1385	1412	1397	1485	1455	1596	1733	1764	1617	1681	1673	1714	-	-
16.	मिजोरम	1448	1577	1720	1695	1681	1653	1768	1907	1983	1986	1976	2000	2239	2170	-	-	-	-
17.	नागालैण्ड	1314	1290	1191	1407	1316	1442	1436	1365	1623	1699	1383	1530	1476	1543	1580	1608	1595	-
18.	उडीसा	2674	2875	2906	2904	3073	3249	3302	3410	3526	3730	3730	3825	3931	4022	4112	4172	4371	-
19.	पंजाब	1222	1285	1276	1525	1379	1338	1428	1295	1791	1716	1942	1755	1975	1776	2053	1996	2247	2215
20.	राजस्थान	1571	1611	1750	1758	1919	2017	2297	2678	2924	3118	3369	3492	-	-	-	-	-	-
21.	सिक्किम	1498	1640	1527	1582	1758	1798	1755	1887	1987	2094	2235	2268	2355	2551	2767	2744	2880	-
22.	तमिलनाडु	1307	1248	1339	1261	1262	1240	1274	1398	1538	1603	1671	1681	1709	1856	1949	-	-	-
23.	त्रिपुरा	1278	1276	1344	1364	1354	1375	1402	1433	1583	1593	1652	1627	1615	1630	1646	1668	1763	-
24.	उत्तर प्रदेश	1773	1689	1719	1883	1892	1929	1962	2022	2061	2086	2145	2267	2295	2419	2601	2668	2836	-
25.	पश्चिम बंगाल	2613	2604	2414	2660	2145	2639	2644	2695	2817	2715	2580	2302	2884	3079	3395	3287	-	-
26.	अंडमान व निकोबार	4030	4163	4495	4206	4201	4665	4765	4975	5185	5438	5388	5788	5453	5630	5683	6049	-	-
27.	दिल्ली	2849	2814	2956	2909	2988	3043	3135	3072	3124	3170	3254	2983	2571	2770	2841	2954	-	-
28.	पांडिचेरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अखिल भारत																			
	कारक लागत पर प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय उत्पाद	1630	1693	1691	1730	1811	1841	1871	1901	2059	2151	2222	2175	2243	2337	2473	2608	2761	2847
	कारक लागत पर प्रति व्यक्ति निवल घरेलू उत्पाद	1625	1692	1699	1804	1827	1857	1893	1929	2099	2198	2267	2226	2298	2394	2533	2664	2814	2897

पी : अस्थायी (क्यू) : त्वरित अनुमान ए: संबंधित राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये।

स्रोत : संबंधित राज्य सरकारों के आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय तथा सम्पूर्ण भारत प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय उत्पाद एवं निवल घरेलू उत्पाद के लिए सी.एस.ओ. प्रति व्यक्ति निवल घरेलू उत्पाद के आंकड़े एन.ए.एस. में प्रकाशित नहीं किये गये हैं।

टिप्पणी: 1. प्रयुक्त स्रोत सामग्री में भिन्नताओं के कारण विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के आंकड़े सटीक रूप में तुलनात्मक नहीं हैं।

2. मिजोरम राज्य इन अनुमानों को केवल चालू कीमतों पर ही तैयार करता है।

3. चण्डीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र इन अनुमानों को तैयार नहीं करते।

विवरण-II

राज्य श्रेणी

स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति निबल राज्य घरेलू उत्पाद (1980-81 से 1997-98)

(22.5.1998 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	1980 -81	1981 -82	1982 -83	1983 -84	1984 -85	1985 -86	1986 -87	1987 -88	1988 -89	1989 -90	1990 -91	1991 -92	1992 -93	1993 -94	1994 -95 (पी)	1995 -96 (पी)	1996 -97 (क्यू)	1997 -98 (ए)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	1380	1655	1751	2034	2067	2268	2356	2813	3500	1941	4728	5556	5718	6900	7884	8938	9867	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	1571	2010	2294	2526	2877	1403	3733	3866	4407	4461	5397	6524	7518	8852	9413	10205	10887	-
3.	असम	1284	1625	1803	2113	2430	2612	2767	3060	3204	3727	4281	4683	4973	5520	6017	6288	6663	-
4.	बिहार	917	1044	1145	1281	1504	1601	1798	1906	2253	2812	2660	2868	2998	3417	3737	3524	3835	-
5.	गोआ	3145	3369	4026	4181	5039	4660	5484	5966	6865	7988	8797	10693	12800	15312	15630	16148	-	-
6.	गुजरात	1940	2376	2457	3128	3188	3221	3660	3564	4908	5304	5898	6243	8245	8945	11668	11977	13932	-
7.	हरियाणा	2370	2668	2980	3160	3365	4004	4106	4445	5714	6233	7508	8775	9017	10526	12283	13518	16199	-
8.	हिमाचल प्रदेश	1704	1953	2032	2273	2249	2649	2870	3385	3934	4375	4910	5691	6390	6896	7846	8747	-	-
9.	जम्मू व कश्मीर	1776	1970	2190	2428	2669	2874	3099	2954	3517	3618	3625	3755	4024	4244	5099	6181	-	-
10.	कर्नाटक	1520	1707	1855	2192	2416	2495	2810	3159	3620	4044	4598	5889	6321	7216	8317	9384	10879	-
11.	केरल	1508	1576	1809	2092	2296	2398	2676	2917	3233	3718	4200	5140	5768	6524	7597	8324	9066	-
12.	मध्य प्रदेश	1358	1437	1605	1834	1822	2085	2103	2649	3048	3306	4049	4157	4544	5508	5909	6518	7445	-
13.	महाराष्ट्र	2435	2673	2817	3185	3375	3826	3995	4638	5430	6570	7439	8242	10080	11799	13195	15457	17295	-
14.	मणिपुर	1419	1677	1729	1997	2205	2322	2590	3211	3502	3574	3976	4659	5026	5930	6543	6914	-	-
15.	मेघालय	1361	1516	1626	1831	2047	2250	2479	2922	3074	3816	4375	4891	5272	5934	6543	6826	-	-
16.	मिजोरम	1289	1383	1471	1724	2139	2658	3165	4077	4026	4135	4474	5941	6599	7517	7743	-	-	-
17.	नागालैण्ड	1448	1704	1966	2203	2453	2591	2781	3385	3708	4334	5498	6166	6652	6638	-	-	-	-
18.	उड़ीसा	1314	1443	1501	1902	1846	2175	2315	2308	2871	3218	3077	3907	4114	4662	5369	6192	6922	-
19.	पंजाब	2674	1119	3382	3673	4123	4578	4940	5719	6487	7624	8318	9872	11140	12936	14525	16044	18213	-
20.	राजस्थान	1222	1392	1544	1914	1849	1978	2095	2310	3089	3241	4191	4501	5197	5315	6406	6959	8481	9815
21.	सिक्किम	1571	1701	1931	2137	2635	3023	3472	3886	4241	4686	5302	5728	5722	5729	-	-	-	-
22.	तमिलनाडु	1498	1776	1777	2024	2341	2620	2885	3374	3782	4370	4978	5795	6670	8041	9180	9868	11815	-
23.	त्रिपुरा	1307	1499	1650	1765	1904	2025	2167	2422	3015	3185	3370	3688	3773	4252	4376	-	-	-
24.	उत्तर प्रदेश	1278	1338	1529	1658	1784	1999	2157	2360	2771	3087	3590	4069	4335	4783	5333	5874	6733	-
25.	पश्चिम बंगाल	1773	1930	2127	2450	2771	2893	3079	3658	3836	4220	4673	5298	5541	6247	7436	7851	8805	-
26.	अंडमान व निकोबार	2613	2847	2948	3435	3549	3985	4412	4436	4641	5334	5590	5937	6277	8720	10504	11147	-	-
27.	दिल्ली	4030	4462	4969	5082	5535	6545	7170	8011	9114	10019	10931	13697	14567	16354	17845	19779	-	-
28.	पांडिचेरी	2849	3087	3377	3803	4219	4580	5050	5386	6071	6611	7275	7912	8631	8545	10555	11319	-	-
	अखिल भारत																		
	कारक लागत पर प्रति व्यक्ति निबल राष्ट्रीय उत्पाद	1630	1861	2004	2304	2504	2730	2962	3285	3842	4347	4983	5683	6262	7196	8403	9578	10771	-
	कारक लागत पर प्रति व्यक्ति निबल घरेलू उत्पाद।	1625	1861	2013	2317	2523	2749	2986	3319	3898	4416	5073	5721	6397	7335	8547	9725	10919	-

पी : अस्थायी (क्यू) : त्वरित अनुमान ए : संबंधित राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये।

स्रोत : संबंधित राज्य सरकारों के आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय तथा सम्पूर्ण भारत प्रति व्यक्ति निबल राष्ट्रीय उत्पाद एवं निबल घरेलू उत्पाद के आंकड़े एन.ए.एस. में प्रकाशित नहीं किये गये हैं।

टिप्पणी : 1. प्रयुक्त स्रोत सामग्री में भिन्नताओं के कारण विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के आंकड़े सटीक रूप में तुलनात्मक नहीं हैं।

2. मिजोरम राज्य इन अनुमानों को केवल चालू कीमतों पर ही तैयार करता है।

3. चण्डीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र इन अनुमानों को तैयार नहीं करते।

सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन

1129. श्री रंजीब बिस्वाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और कितनी उपलब्धि हासिल की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार इन मदों में निर्यात में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो नौवीं योजना में इसके लिए क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) जी हाँ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इलेक्ट्रॉनिकी तथा सॉफ्टवेयर उद्योग के उत्पादन के लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ नीचे दिए अनुसार हैं :

(करोड़ रुपए)

	1995-96		1996-97		1997-98	
	लक्ष्य	उपलब्धियाँ	लक्ष्य	उपलब्धियाँ	लक्ष्य	उपलब्धियाँ
इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर	25,550	18,100	33,400	20,340	30,150	22,100
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	1,800	4,240	2,600	6,300	9,750.	9,970
कुल	27,350	22,340	36,000	26,640	39,900	32,070

(ग) और (घ) जी, हाँ। नौवीं योजना की नीति में सॉफ्टवेयर तथा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात को उच्च प्राथमिकता दी गई है। नौवीं योजना के अंतिम वर्ष अर्थात् 2001-02 के लिए इलैक्ट्रॉनिक क्षेत्र में 52% की चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर से 48,930 करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम में जनशक्ति विकास, मूल संरचनात्मक सुविधाओं का प्रावधान, अनुसंधान एवं विकास के प्रयासों का सिमुलेशन, गुणवत्ता आश्वासन, आयात-निर्यात नीति (1997-2002) का उदारीकरण, तथा इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र की विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत कार्यपद्धतियों का सरलीकरण शामिल है।

कृषि आदानों की कीमतों में वृद्धि

1130. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान मुख्य कृषि आदानों की कीमतों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान मुख्य खाद्यान्नों की कीमतों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 के दौरान प्रमुख कृषि आदानों की थोक कीमतों के सूचकांक में प्रतिशत वृद्धि दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 के दौरान प्रमुख खाद्यान्नों के समर्थन मूल्यों में प्रतिशत वृद्धि दर्शाने वाले विवरण-II भी संलग्न है।

(ग) खाद्यान्नों के उत्पादन में, जिसमें 1995-96 के मुकाबले 1996-97 में 10.5 प्रतिशत वृद्धि हुई थी, उसमें 1996-97 की तुलना में 1997-98 में 2.6 प्रतिशत गिरावट आने की संभावना है।

विवरण-I

प्रमुख कृषि आदानों की कीमतों में प्रतिशत वृद्धि

कृषि आदान	वार्षिक प्रतिशत वृद्धि	
	1996-97	1997-98
हाई स्पीड डीजल	14.8	27.5
हल्का डीजल तेल	29.6	0.0
स्नेहक	45.2	0.0
बिजली	12.0	6.7
सिंचाई हेतु बिजली	अपरिवर्तित	4.0
पशु आहार	13.5	0.6
उर्वरक	4.9	0.4
कीटनाशी	0.1	3.7
गैर विद्युत मशीनें तथा पुर्जे	8.8	0.4
ट्रैक्टर	11.6	3.8
विद्युत चालित पम्प	16.3	2.0

विवरण-II

प्रमुख खाद्यान्नों के समर्थन मूल्यों में प्रतिशत वृद्धि

जिन्स	वार्षिक प्रतिशत वृद्धि	
	1996-97	1997-98
	(फसल वर्ष के अनुसार)	
धान	5.6	9.2
ज्वार	3.3	16.1
बाजरा	3.3	16.1
मक्का	3.2	12.8
रागी	3.3	16.1
गेहूं	25.0	7.4
जौ	3.4	14.8
तुअर (अरहर)	5.0	7.1
मूंग	5.0	7.1
उड़द	5.0	7.1
चना	5.7	10.1

कृषि एवं पशु का विकास

1131. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों को प्रतिवर्ष कृषि और पशुधन के विकास हेतु कितनी सहायता दी गयी;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस वर्ष सहायता राशि में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) भारत सरकार कृषि एवं पशुधन के विकास में राज्यों को मदद देने के लिए कई केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही हैं। राज्य सरकारों को पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गयी सहायता का विवरण इस प्रकार है -

वर्ष	राशि
	(करोड़ रुपये में)
1995-96	886.05
1996-97	971.41
1997-98	922.82 (अनन्तिम)

(ख) से (घ) विभिन्न केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों को धन राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव, विभाग के बजट में कुल प्रावधान एवं पहले किए गए प्रस्तुतियों में से अनुप्रयुक्त राशि के आधार पर जारी किया जाएगा।

[हिन्दी]

नारोरा बांध से नहर का विस्तार

1132. श्री राजवीर सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नारोरा बांध से नहर का विस्तार उत्तर प्रदेश में दातागंज तक करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) केन्द्र सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

काजू की खेती

1133. श्री एन. डेनिस : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में काजू की खेती को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हाँ।

(ख) भारत सरकार ने 47.85 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय से काजू के समेकित विकास कार्यक्रम के संबंध में आठवीं योजना के दौरान एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की है। इस योजना

को वर्ष 1997-98 के दौरान 16.00 करोड़ रुपये के परिव्यय से जारी रखा गया तथा इसे वर्ष 1998-99 में भी जारी रखा जा रहा है। इस योजना के अधीन निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं :

(1) उन्नत और अधिक पैदावार देने वाली किस्मों की पौध रोपण सामग्री का बहुलीकरण और सप्लाई।

(2) मौजूदा रोपण की उत्पादकता में सुधार लाना।

(3) बेहतर उत्पादन तथा कीट प्रबन्ध पद्धति अपनाना।

(4) कृषकों को प्रशिक्षण।

सुवर्णरेखा सिंचाई परियोजना

1134. श्रीमती जयन्ती पटनायक :
श्री खारबेल स्वाईन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राज्यीय सुवर्णरेखा सिंचाई परियोजना पर आज तक कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और कितनी खर्च की गई है;

(ख) इस परियोजना के निर्माण कार्य में अभी तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) इस परियोजना के पूरा होने पर उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों को कितना लाभ हो सकता है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इस परियोजना को जल्दी पूरा करने के लिए हाथ में लेने का विचार किया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) विवरण-I संलग्न है।

(ख) विवरण-II संलग्न है।

(ग) बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में सुवर्णरेखा परियोजना के कारण प्रस्तावित वार्षिक सिंचाई लाभ निम्नलिखित है :

(i) बिहार - 2.370 लाख हैक्टेयर

(ii) उड़ीसा - 1.875 लाख हैक्टेयर

(iii) पश्चिम बंगाल - 1.300 लाख हैक्टेयर

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

	सुवर्णरेखा परियोजना	नवीनतम अनुमानित लागत	3/92 तक खर्च	कार्यदल द्वारा अनुमोदित रूप में VIII योजना का परिव्यय	VIII योजना प्रत्याशित खर्च	3/97 तक कुल प्रत्याशित खर्च	1997-98 परिव्यय	प्रत्याशित खर्च 1997-98
1.	बिहार भाग	2376.15 (1996 के मूल्य स्तर पर)	561.19	335.00	205.37	766.56	35.0	25.56
2.	उड़ीसा भाग (बिहार राज्य में सामूहिक घटकों सहित)	1270.50 (1995 के मूल्य स्तर पर)	179.92	795.00	127.26	307.18	-	40.43
3.	पश्चिम बंगाल भाग	595.00 (1997 के मूल्य स्तर पर)	4.72	60.00	9.79	14.51	6.00	6.00

* बिहार सरकार को अंश लागत के लिए दिए गए 4.4 करोड़ रुपये सहित।

विवरण-II

मार्च, 1998 तक प्रगति

सुवर्णरेखा परियोजना (बिहार भाग)

(क)	चांदिल बांध	- 97% (गेट लगाने के अलावा)
(ख)	इचा बांध	- 30%
(ग)	गालुडिह बराज	- 98% (गेट लगाने के अलावा)
(घ)	खरकई बराज	- अभी शुरू होना है।
(ङ)	चांदिल बायां तट नहर	- 70%
(च)	इचा बायां तट नहर	- 30%
(छ)	गालूदीह दायां तट नहर	- 70%
(ज)	इचा दायां तट नहर	- 50%
(झ)	गालूदीह बायां तट नहर	- अभी शुरू होना है।
(ञ)	खरकई दायां तट नहर	- 25%
(ट)	खरकई बायां तट नहर	- शून्य

सुवर्णरेखा परियोजना (उड़ीसा भाग)

(क) जंभीरा बांध

मिट्टी कार्य	98%
तटबंध	68%
कंक्रीट और राजगीरी	62%
चट्टान का अगला भाग और पत्थर भराव	54%

(ख) हल्दिया और बाउरा बांध

अभी शुरू होना है।

(ग)	*नहरें*	*मिट्टी कार्य*	*अस्तर*	*संरचनाएं*
(i)	सुवर्णरेखा मुख्य नहर	84%	-	31%
(ii)	सुवर्णरेखा शाखा नहर		अभी शुरू होनी है।	
(iii)	बेटनोटी शाखा नहर	74%	-	16%
(iv)	जंभीरा दायां तट नहर	42%	-	11%
(v)	जंभीरा बायां तट नहर		अभी शुरू होनी है।	
(vi)	वितरण प्रणाली		अभी शुरू होनी है।	

सुवर्णरेखा परियोजना (पश्चिम बंगाल भाग)

अभी तक कोई खास काम नहीं हुआ है।

पेंशनभोगी

1135. **श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलीया :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह महसूस करती है कि जहां तक पेंशन भोगियों की पेंशन (मूल) का संबंध है, 1 जनवरी, 1996 के पहले के पेंशन भोगियों और जनवरी से सितम्बर 1996 के बीच के पेंशन भोगियों में कोई भेदभाव किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा कौन-कौन से सुधारात्मक उपाय किए जाने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) केन्द्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के अनुसार, पेंशन की गणना के प्रयोजन से किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपनी सेवा के अन्तिम 10 महीनों के दौरान ली गई

परिलब्धियां ध्यान में रखी जाती हैं। तद्नुसार, नये वेतनमानों के लागू किए जाने की तारीख अर्थात् 01.01.96 से, 10 मास के भीतर सेवानिवृत्त हुए सरकारी कर्मचारियों के संबंध में पेंशन की गणना के क्रम में उन्हें 01.01.96 से पहले की अवधि में, संशोधन पूर्व वेतनमानों में प्राप्त परिलब्धियों को तथा शेष अवधि पर्यन्त संशोधित वेतनमान में मिले वेतन को ध्यान में रखा गया है। नये वेतनमानों के लागू किए जाने की तारीख से 10 मास के अन्दर सेवानिवृत्त हुए सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में पेंशन की गणना के प्रयोजन से, मूल वेतन के अतिरिक्त 01.01.96 से पहले की अवधि के दौरान उन्हें प्राप्त महंगाई भत्ते, और अंतरिम राहत (i) तथा अन्तरिम राहत (ii) को भी परिलब्धियों के रूप में माना गया है। तथापि, नये वेतनमानों के लागू किए जाने के पश्चात्, 1996 के बाद के पेंशन भोगियों को मंजूर की गई संशोधित पेंशन, उन्हें संशोधन पूर्व वेतनमानों के आधार पर मंजूर की गई मूल पेंशन से किसी भी मामले में कम नहीं है। कुछ मामलों में पेंशनभोगियों के लिए इस प्रकार निर्धारित की गई पेंशन, 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों को देय पेंशन की तुलना में कम बैठती है। तथापि, 01.01.96 तथा 31.12.97 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को संशोधन पूर्व वेतनमानों को बनाए रखने तथा अपनी पेंशन तथा मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति-उपदान की गणना, इन आदेशों के लागू किए जाने से तत्काल पूर्व लागू नियमों के अन्तर्गत करवाने का विकल्प है। ऐसे मामलों में पेंशन तथा मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान 01.01.96 से पूर्व लागू आदेशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

1996 के पश्चात् सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को 1996 से पहले सेवा-निवृत्त हुए कर्मचारियों की तुलना में, पेंशन के 33% भाग के संशोधीकरण स्वरूप देय धनराशि के स्थान पर 40% धनराशि, उन्हें मिले अन्तिम वेतन तथा उस पर देय मंहगाई भत्ते के आधार पर 3.5 लाख रुपये तक का बढ़ा हुआ निवृत्ति-उपदान तथा 240 दिन की अर्जित छुट्टी के नकदीकरण के स्थान पर 300 दिन की अर्जित छुट्टी के नकदीकरण का भी लाभ मिला है। अतः 1996 से पूर्व तथा 1996 के पश्चात् सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को प्राप्त सभी सेवाप्त लाभों की तुलना नहीं की जा सकती।

मीना अग्नि कांड के पीड़ितों को मुआवजा

1136. प्रो. पी.जे. कुरियन :
श्री ई. अहमद :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1997 में सऊदी अरब के मीना अग्नि कांड में मरे हाजियों के निकट संबंधियों तथा इस अग्नि कांड में घायल हुए लोगों को मुआवजा देने की घोषणा कर दी है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक श्रेणी में कितनी धनराशि अदा की गई;

(ग) क्या मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) हज 97 के दौरान मीना अग्निकांड की दुर्घटना के तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने राहत उपायों के पैकेज की घोषणा की थी जिसमें निम्न राहत उपाय शामिल हैं :

(i) अग्निकांड में मारे हाजियों के निकट संबंधियों को एक लाख रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान।

(ii) अग्निकांड में स्थायी रूप से अपंग हुए व्यक्तियों को एक लाख रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान; और

(iii) अग्निकांड में घायल हुए लोगों को दस हजार रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान।

2. विदेश मंत्रालय को मृत हाजियों के निकट संबंधियों से 114 दावे प्राप्त हुए हैं। मंत्रालय ने 24 दावेदारों के लिए एक-एक लाख रुपये के चैक संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को पहले ही भेज दिए हैं इसके अलावा 33 दावों पर हाल ही में कार्रवाई पूरी कर दी गई है और उन्हें भुगतान के लिए मंजूर कर लिया गया है, चैक तैयार किए जा रहे हैं।

3. स्थायी रूप से अंपग हुए हाजियों से प्राप्त 2 दावों के संबंध में चैक तैयार किए जा रहे हैं।

4. कुल 424 घायल हाजियों में से 181 हाजियों के संबंध में प्रत्येक को 10,000 रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया गया है; शेष घायल हाजियों को भुगतान करने के लिए जद्दाह स्थित भारत के प्रधान कोंसलावास को प्राधिकृत किया गया है, जो अदायगी शीघ्र पूरी कर दी जाएगी।

5. मृत हाजियों के निकट संबंधियों से शेष 57 दावों की बकाया राशि के निपटान में देरी दावेदारों द्वारा विधि न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने में हो रही कठिनाईयों के कारण हो रही है। राज्य हज समितियों के सदस्यों के सुझावों पर सरकार ने इस अपेक्षा में ढील दी है और सम्बद्ध जिला मजिस्ट्रेट को ये प्रमाण पत्र तहसीलदारों से प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में ऐसे 9 उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं और दावेदारों को शीघ्र भुगतान कर दिया जाएगा। शेष मामलों में जिला मजिस्ट्रेटों को शीघ्र कार्रवाई करने के लिए अनुस्मारक भेजे गए हैं।

खाड़ी देशों की जेलों में भारतीय

1137. श्री चंदूलाल अजमीरा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय खाड़ी देशों की जेलों में बंद भारतीयों की देशवार संख्या कितनी है; और

(ख) सरकार ने उन्हें मुक्त कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 20.05.1998 को खाड़ी देशों में भारतीय कैदियों की संख्या निम्नलिखित है : (सऊदी अरब से संबंधित आंकड़ा केवल ऐसे लोगों का है जिन्हें 1996 के बाद से सिद्धदोष ठहराया गया है।)

(1) बहरीन	113
(2) इराक	4
(3) कुवैत	53
(4) ओमान	207
(5) कतर	170
(6) सऊदी अरब	2702
(7) संयुक्त अरब अमीरात	800

(ख) किसी भारतीय राष्ट्रिक को कैद किये जाने की स्थिति में मेजबान सरकार से यह अनुरोध किया जाता है कि वह कोंसल से सम्पर्क करे। भारतीय राजनयिक मिशन/केन्द्र का एक अधिकारी कैदी से मिलता है तथा उसे कैद किये जाने वाले कारणों का पता लगाता है। आवश्यकता पड़ने पर मिशन/केन्द्र मामले को मेजबान सरकार के साथ उठता है ताकि शीघ्रातिशीघ्र निष्पक्ष सुनवाई की जाए तथा सजा की समीक्षा भी की जा सके। साधारणतया सजा की अवधि पूरी होने के पश्चात् ही कैदियों को रिहा किया जाता है। हालांकि पात्र मामलों में कई मिशन मानवीय आधार पर सजा कम करवाने में सफल रहे हैं।

विश्व बैंक सहायता

1138. डॉ० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत में कृषि अनुसंधान के विकास और किसानों में इसके प्रसार के लिए 197 मिलियन डालर उपलब्ध कराने की घोषणा की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त धनराशि को कृषि के किन क्षेत्रों में निवेश कराने का प्रस्ताव है; और

(घ) इससे किसानों के किस सीमा तक लाभान्वित होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हाँ। स्वीकृत की गई सहायता राशि 196.8 मिलियन अमरीकी डॉलर की है।

(ख) विश्व बैंक ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्) तथा कृषि और सहकारिता विभाग के संयुक्त उद्यम के रूप में राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना को सहायता देने की स्वीकृति दी है। इस पर कुल 239.7 मिलियन अमरीकी डॉलर खर्च होंगे जिसमें से 196.8 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्त-व्यवस्था विश्व बैंक द्वारा की जाएगी। इसमें से आई.डी.ए. से मिलने वाला 73.8 मिलियन (100.00 मिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर) का एस.डी.आर. ऋण और आई.बी.आर.डी. से मिलने वाला 96.8 मिलियन अमरीकी डॉलर का ऋण शामिल है।

(ग) इस राशि का निवेश प्रौद्योगिकी के सृजन, प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का मूल्यांकन और प्रचार करने, पोषक तत्व तथा जल प्रबंध, समेकित नाशीजीव प्रबंध, जैव-विविधता, फसल कटाई के पश्चात् की प्रौद्योगिकी और मूल्य वर्धन तथा जैव-प्रौद्योगिकी पर किया जाएगा ताकि देश में प्रमुख उत्पादन प्रणालियों के सम्मुख आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सके।

(घ) कम यूनिट लागत पर दी जाने वाली संगत और टिकाऊ प्रौद्योगिकी की बेहतर आपूर्ति और परियोजना के अन्तर्गत परिकल्पित नवीन मॉडलों के माध्यम से उनके प्रचार द्वारा बड़ी संख्या में किसानों को लाभ पहुंचेगा।

फरक्का बांध

1139. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में गंगा नदी का फरक्का बांध का निर्माण किए जाने के कारण उत्तरी भारत में बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में गंगा और दूसरी सहायक नदियों के आस-पास की 2.5 करोड़ एकड़ भूमि सदा के लिए जल भराव क्षेत्र के अंतर्गत आ गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कपास की खरीद हेतु योजनाएं

1140. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने अपनी एकाधिकार कपास खरीद योजना के लिए केन्द्र से दो वर्ष का समय बढ़ाने की मांग की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है;

(ङ) भारी हानियों, प्रशासनिक उपरि व्ययों को कम करते हुए इस योजना के कार्यान्वयन में प्रभावी सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) एकाधिकार कपास खरीद योजना के अंतर्गत कथित रूप से हुई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं/हेर-फेर/धोखाधड़ियों के संबंध में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (च) कपड़ा मंत्रालय को महाराष्ट्र की राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ है कि महाराष्ट्र एकाधिकार योजना को 30 जून, 1998 के बाद और छह माह की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया जाए। राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार किया जा रहा है।

पासपोर्टों की चोरी

1141. श्री कमलनाथ : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवैध प्रवासियों को पासपोर्टों की संभावित बिक्री करने हेतु मैड्रिड स्थित भारतीय राजदूतावास से सैकड़ों पासपोर्ट चुराए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो कुल कितने पासपोर्टों की चोरी हुई;

(ग) क्या इसके लिए जिम्मेदार लोगों का पता लगाने के लिए कोई जांच कराई गई है; और

(घ) उसके क्या परिणाम रहे और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) 23 मार्च, 1998 को मैड्रिड स्थित भारत के राजदूतावास के चांसरी परिसर में बलात् प्रवेश और सेंधमारी के पश्चात् कुल 189 पासपोर्टों की चोरी हुई थी।

(ख) चुराए गए 189 पासपोर्टों का राष्ट्रीयतावार ब्यौरे इस प्रकार हैं : भारतीय-4, स्पेनी-178 और स्विस-2 प्रत्येक, ब्रिटिश, फ्रेंच और जर्मन एक-एक।

(ग) और (घ) स्पेनी पुलिस प्राधिकारी इस मामले की छानबीन कर रहे हैं। भारतीय दूतावास में सुरक्षा प्रबंधों को भी मजबूत कर दिया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र का आर्थिक विकास

1142. डॉ० असीम बाला : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस क्षेत्र के समेकित विकास के लिए पूर्वोत्तर परिषद् को योजना आयोग के अंतर्गत लाने के लिये सरकार ने कोई कदम उठाये हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) विभिन्न राज्यों के लिए उपलब्ध नवीनतम सूचनाओं के अनुसार वर्ष 1984-85 की समाप्ति पर प्रति व्यक्ति राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर द्वारा यथा-परिमित पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) पूर्वोत्तर परिषद् के पुनर्गठन के लिए तथा इसे योजना आयोग के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाने के लिए सरकार द्वारा 'सिद्धान्त रूप में' निर्णय लिया जा चुका है। इन निर्णयों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू की गयी है।

विवरण

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए प्रति व्यक्ति राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रति वार्षिक प्रतिशत में)

क्र. सं.	राज्य	वृद्धि दर
1	2	3
1.	अरूणाचल प्रदेश	4.73 (1984-85 से 1994-95 तक के लिए)
2.	असम	1.74 (1984-85 से 1994-95 तक के लिए)

1	2	3
3.	मणिपुर	2.39 (1984-85 से 1993-94 तक के लिए)
4.	मेघालय	2.85 (1984-85 से 1994-95 तक के लिए)
5.	मिजोरम*	
6.	नागालैण्ड	2.88 (1984-85 से 1993-94 तक के लिए)
7.	त्रिपुरा	3.93 (1984-85 से 1992-93 तक के लिए)

* मिजोरम राज्य इन आंकड़ों को केवल चालू मूल्यों पर तैयार करता है और इसलिए ये तुलनीय नहीं हैं।

गुरू जल संयंत्र

1143. **श्री तथागत सत्पथी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गुरू जल के चल रहे संयंत्रों की संख्या कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक संयंत्र के कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश इस समय गुरू जल के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार गुरू जल का निर्यात करने और उसके नए संयंत्र स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) देश में आठ भारी पानी संयंत्र हैं, जिनमें से सात काम कर रहे हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान सामान्यतः अच्छी तरह से काम किया। उड़ीसा में तलचर स्थित एक संयंत्र के प्रचालन को 1994 से इसलिए बन्द कर देना पड़ा क्योंकि भारतीय उर्वरक कारपोरेशन लिमिटेड के जिस नजदीकी उर्वरक संयंत्र के साथ यह भारी पानी संयंत्र जुड़ा हुआ है उससे फीडस्टाक (अमोनिया संश्लेषित गैस) उपलब्ध नहीं हो रहा था।

(ख) से (घ) देश में इस समय भारी पानी के उत्पादन और उपलब्धता का स्तर ऐसा है कि परमाणु विद्युत उत्पादन की घरेलू मांग को पूरा करने के अलावा यह भी संभव है कि जब भी ऐसे अवसर आयें इसकी कुछ मात्रा को निर्यात किया जा सकता है। तथापि, वास्तविक निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक कीमत की बोलियों पर निर्भर करता है। विभिन्न सांद्रता मानकों वाले भारी पानी के कुछ निर्यात आदेशों को विगत में पूरा किया गया है और 100 मीटरी टन भारी पानी का एक शिपमेन्ट हाल ही में भेजा गया है। ऊपर बताई स्थिति को देखते हुए फिलहाल किसी अतिरिक्त भारी पानी संयंत्र की आवश्यकता नहीं है।

सरदार सरोवर परियोजना

1144. **श्री पी.एस. गढ़वी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में सरदार सरोवर परियोजना पर आगे निर्माण कार्य पर स्थगन आदेश दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश को निरस्त करने के लिए केन्द्र सरकार को लिखा है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकर ने इस स्थगन आदेश को शीघ्र समाप्त करने के लिए क्या कार्रवाई की है/करने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) नर्मदा बचाओ आन्दोलन द्वारा सरदार सरोवर परियोजना के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में अप्रैल, 1994 को दायर की गई सिविल रिट याचिका संख्या 319/94 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 5 मई, 1995 के आदेश में यह आदेश दिया है कि फिलहाल बांध की प्रभावी ऊंचाई 81.5 मीटर के ऊंचाई स्तर पर कायम रखी जाए।

(ग) से (ङ) गुजरात सरकार ने बांध के स्पिलवे भाग की प्रभावी ऊंचाई को वर्तमान स्तर 81.5 मीटर से ऊंचा कर 85 मीटर करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए 9.12.1996 को उच्चतम न्यायालय के समक्ष अंतवर्ती आवेदन दिया। भारत संघ ने नर्मदा जल विवाद अधिकरण पंचाट के अनुसार बांध की निर्मित ऊंचाई में कोई बाधा पहुंचाए बिना सरदार सरोवर बांध के निर्माण के संबंध में निदेश देने के लिए तथा उच्चतम न्यायालय के दिनांक 5.5.1995 के आदेश को संशोधित करने का अनुरोध करते हुए एक आवेदन के साथ-साथ 22.8.1996 को एक हलफनामा भी दायर किया। दिनांक 3.3.1997 को इस मामले की सुनवाई करते समय उच्चतम न्यायालय का यह दृष्टिकोण था कि 5.5.1995 के पूर्ववर्ती अंतरिम आदेश में कोई संशोधन आवश्यक नहीं है। भारत संघ ने भी यह अनुरोध करते हुए कि अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा-11 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 262 के अन्तर्गत किसी जल विवाद से उठे मामले में दखल देना उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है, दिनांक 11.4.1997 को एक "लिखित निवेदन" दायर किया। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का यह मुद्दा उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 29.4.1997 के आदेश द्वारा कावेरी मामले की सुनवाई कर रही संवैधानिक पीठ को भेजा। तथापि, नर्मदा बचाओ आन्दोलन को याचिका में उठाए गए परियोजना प्रभावित परिवारों को पुनर्वास और पुनर्स्थापना उपायों के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों की सुनवाई उच्चतम न्यायालय की मौजूदा पीठ द्वारा की जा रही है। इस मामले की अंतिम सुनवाई 16.4.1998 को हुई थी और इसे आगे सुनवाई के लिए 13.8.1998 को सूचीबद्ध किया गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रपति की ब्राजील यात्रा

1145. श्री राघवेन्द्र सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महामहिम राष्ट्रपति ने हाल ही में ब्राजील यात्रा की है;

(ख) यदि हाँ, तो यात्रा के दौरान ब्राजील सरकार से किन मुद्दों पर चर्चा हुई;

(ग) क्या ब्राजील सरकार से संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद् में भारत की स्थायी सदस्यता के समर्थन के संबंध में कोई बातचीत हुई है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में ब्राजील सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) भारत के राष्ट्रपति 3 मई से 8 मई, 1998 तक ब्राजील की सरकारी यात्रा पर गए।

(ख) भारत के राष्ट्रपति ने दोनों प्रतिनिधि-मण्डलों की उपस्थिति में ब्राजील के राष्ट्रपति कारडोसो से बातचीत की। दोनों राष्ट्रपतियों ने भारत और ब्राजील के बीच द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा की। इस बात पर गौर किया गया कि द्विपक्षीय संबंधों के आगे और विस्तार की गुंजाइश है, विशेष रूप से इलैक्ट्रानिक्स, कम्प्यूटर साफ्टवेयर, दूरसंचार, उड्डयन, रेलवे, स्टील, फार्मेस्युटिकल्स, परम्परागत भारतीय औषधि, आटोमोबाइल्स, मोटर-साईकल, स्कूटर और साईकलें जैसे क्षेत्रों में व्यापारिक और आर्थिक सहयोग। कुछ क्षेत्रों में सहयोग और संयुक्त उद्यमों की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। ब्राजील पक्ष ने अपने मवेशियों के लिए भारत से नये जैविक तत्व प्राप्त करने की उत्सुकता दिखाई। ब्राजील की लगभग 80 प्रतिशत मवेशी गुजरात और आन्ध्र प्रदेश से हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबद्ध द्विपक्षीय करार के तहत स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक क्रियान्वयन व्यवस्था पर भी हस्ताक्षर किया गया। भारत के विदेश सेवा संस्थान और ब्राजील के रियो ब्रान्को संस्थान के बीच सहयोग से संबद्ध समझौता ज्ञापन भी संपन्न हुआ। बहुपक्षीय क्षेत्र में, दोनों राष्ट्रपतियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के विस्तार की चर्चा की।

(ग) और (घ) सुरक्षा परिषद् के सुधार संबंधी चर्चाओं के दौरान, भारत और ब्राजील, जैसा कि जनवरी, 1996 में राष्ट्रपति कारडोसो की भारत यात्रा की समाप्ति पर जारी संयुक्त घोषणा में कहा गया है, विस्तारित सुरक्षा परिषद् में स्थायी सीट के लिए दोनों देशों ने एक-दूसरे की उम्मीदवारी के लिए अपना समर्थन दोहराया। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए सहमत हुए।

नदी जल वितरण

1146. श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में जल वितरण का कार्य ठीक ढंग से नहीं चल रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) पांच नदी बेसिनों में नदी जल वितरण से संबंधित विवाद भारत सरकार को भेजे गये थे और आगे भारत सरकार ने विवादों का निर्णय करने के लिए अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित पांच अधिकरण गठित किये हैं :

(i) गोदावरी जल विवाद अधिकरण।

(ii) कृष्णा जल विवाद अधिकरण।

(iii) नर्मदा जल विवाद अधिकरण।

(iv) रावी-व्यास जल विवाद अधिकरण।

(v) कावेरी जल विवाद अधिकरण।

पहले तीन अधिकरणों ने अपने-अपने अन्तिम निर्णय दे दिए हैं। रावी-व्यास जल विवाद अधिकरण ने 30.1.1987 को एक रिपोर्ट दी है और कावेरी जल विवाद अधिकरण ने 25.6.1991 को एक अन्तरिम आदेश दिया है।

अन्तर्राज्यीय नदियों के जल आबंटन के लिए सरकार द्वारा किन्हीं नीति दिशा निर्देशों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

बिहार की लम्बित परियोजनाएं

1147. श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए बिहार की कई परियोजनाएं लम्बित पड़ी हैं;

(ख) यदि हाँ, तो केन्द्र सरकार के पास वे योजनाएं कब से लम्बित पड़ी हैं; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) योजना आयोग में निवेश स्वीकृति के लिए बिहार की कोई परियोजना कार्रवाई हेतु लम्बित नहीं है।

उद्योग का दर्जा

1148. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री अशोक नामदेवराव मोडोल :
श्री एस.एस. ओवेसी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने का है;

(ख) यदि हाँ, तो यह किस तरह से किसानों को लाभ पहुंचा सकता है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) इस समय तैयार की जा रही राष्ट्रीय कृषि नीति में कृषि के लिये उद्योग के बराबर व्यापार और निवेश का एक अनुकूल वातावरण तैयार करने की बात शामिल है। इसका मकसद है कृषि क्षेत्र को जितने अधिक ऐसे लाभ दिए जा सकें वे देना, जो उद्योग को मिले हुए हैं। अर्थात् ऋण तथा अन्य आदानों की सरल उपलब्धता, कृषि उत्पादों की मुक्त ढुलाई तथा बुनियादी ढांचे की सुविधाएं आदि।

[अनुवाद]

बाजार बंध पत्र

1149. श्री अशोक नामदेवराज मोडोल :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वार्षिक योजना व्यय को पूरा करने हेतु कर मुक्त और बाजार बंध पत्रों के माध्यम से धनराशि जुटाने के लिए महाराष्ट्र सरकार की कई योजनाएं केन्द्र सरकार की अनुमति न मिलने के कारण पिछड़ गयी हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार द्वारा अब तक स्वीकृति प्रदान नहीं किए जाने का क्या कारण है; और

(ग) इन योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इन्हें कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

भारत और नेपाल के बीच समझौता

1150. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नेपाल के बीच नदी घाटी परियोजनाओं के संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में करनाली, जलकुंडी और पंचेश्वर की प्रस्तावित परियोजनाएं मंजूरी हेतु सरकार के पास लंबित हैं;

(घ) यदि हाँ, तो इन परियोजनाओं पर कोई निर्णय नहीं करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को तेजी से मंजूरी देने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हाँ।

(ख) कोसी नदी पर एक बैराज के निर्माण के लिए अप्रैल, 1954 में (दिसम्बर, 1966 में संशोधित) भारत और नेपाल के बीच एक समझौता हुआ। गंडक नदी पर एक बैराज के निर्माण के लिए एक और समझौता दिसम्बर, 1959 (अप्रैल, 1964 में संशोधित) में हुआ। दोनों बैराज भारत-नेपाल सीमा के निकट नेपाल क्षेत्र में हैं जो गत तीन दशकों से प्रचालन में हैं। ये बैराज दोनों को लाभ पहुंचाने वाली सिंचाई एवं जल विद्युत उत्पादन के उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं। फरवरी, 1996 के दौरान, भारत और नेपाल ने महाकाली नदी के एकीकृत विकास से संबंधित एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे जिसका केन्द्र बिन्दु पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना है जिसे उस स्थान पर महाकाली नदी पर स्थित किये जाने का प्रस्ताव है जहां दोनों देशों की सीमा बनती है। दोनों देशों के लिए इस परियोजना से सिंचाई एवं जल विद्युत लाभ होने की परिकल्पना की गई है जिसके लिए संयुक्त रूप से भारत व नेपाल द्वारा एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम

1151. श्रीमती कमल रानी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में कमान क्षेत्र के विकासार्थ उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को कितनी धनराशि जारी की गई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) संघ सरकार द्वारा पिछले प्रत्येक तीन वर्षों अर्थात् 1995-96 से 1997-98 के दौरान केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत राज्य में कमान क्षेत्रों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को जारी की गई निधियां नीचे दिए गए अनुसार हैं :

(लाख रुपये)

वर्ष	राशि
1995-96	2204.128
1996-97	2022.600
1997-98	3057.828
कुल	7284.556

(ख) वर्ष 1995-96 से 1997-98 की अवधि में निर्धारित लक्ष्य तथा संबंधित उपलब्धियों का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	इकाइयां	1995-96		1996-97		1997-98*		कुल	
			लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1.	स्थलाकृतिक सर्वेक्षण	000 हैक्टे.	75.00	117.92	115.00	130.86	104.00	129.59	294.00	378.37
2.	आयोजना और अभिकल्प	000 हैक्टे.	75.00	108.45	115.00	125.50	104.00	120.79	294.00	354.74
3.	ऑन फार्म विकास कार्यों में शामिल क्षेत्र	000 हैक्टे.	75.00	117.08	121.00	126.00	99.625	112.00	295.625	355.10
4.	कच्ची गुल (कच्चे फील्ड चैनल)	कि.मी.	5250	7686.22	7670	8364.40	7095	7817.39	20015	23868.01
5.	पक्की कुल (पक्के फील्ड चैनल)	कि.मी.	1050	751.54	1296	1244.22	1424	813.76	3770	2809.52
6.	नालियां	कि.मी.	525	416.67	685	563.00	581	446.60	1791	1426.27
7.	संरचनाएं	संख्या	10500	8134	13480	12581	11590	7907	35570	28622
8.	ओसराबंदी	000 हैक्टे.	300	198.42	225	205.00	155.00	170.25	680	574.46

* ये आंकड़े अनन्तिम हैं।

[हिन्दी]

नकली कीटनाशक

1152. श्री मोतीलाल वोरा :
श्री बासवराव पाटील सेडाम :
श्री ए.सी. जोस :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जो कि कर्नाटक राज्य में पिछले वर्ष के दौरान नकली कीटनाशकों का उत्पादन करते हुए पाई गई;

(ख) क्या इन कीटनाशकों के प्रयोग के कारण किसानों को भारी क्षति उठानी पड़ी तथा इनके उत्पादन पर अंकुश लगाने के लिए वर्तमान कानूनी प्रावधान पर्याप्त हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे;

(घ) क्या मधुमक्खियां भी इन कीटनाशकों से प्रभावित हुई हैं तथा इन दो राज्यों में इन कीटनाशकों के सब्जियों और फलों पर भी प्रभाव पड़ने के कारण बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ गए हैं;

(ङ) इस वर्ष आंध्र प्रदेश में कितने मीट्रिक टन रसायन और उर्वरकों का प्रयोग किया गया;

(च) क्या दिल्ली में मदर डेयरी का दूध डी.डी.टी. तथा बी.एच.सी.डी. से दूषित है; और

(छ) केन्द्र सरकार द्वारा इतनी अधिक मात्रा में कीटनाशकों के प्रयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) कर्नाटक में 1997-98 के दौरान अभिज्ञात गलत ब्राण्ड वाले कीटनाशियों का उत्पादन करने वाली कम्पनियों की सूची संलग्न विवरण में दी गई हैं। इनमें से 4 कम्पनियों की विनिर्माण इकाइयां कर्नाटक राज्य में हैं।

(ख) और (ग) कर्नाटक में फसल खराब होने के लिये अभिज्ञात अनेक कारणों में से एक गलत ब्राण्ड वाले कीटनाशियों का उपयोग है। हालांकि कीटनाशी अधिनियम, 1968 तथा कीटनाशी नियम; 1971 कीटनाशियों की गुणवत्ता की जांच के लिये पर्याप्त है तथापि इनके कार्यान्वयन में कुछ खामियां पाई गई हैं। परिणामतः सरकार संबंधित प्रावधानों में समुचित संशोधन करने पर विचार कर रही है।

(घ) मधुमक्खियों पर कीटनाशियों की विषाक्तता भिन्न-भिन्न होती है। बहरहाल यदि खेती की अच्छी तकनीकें अपनाई जाएं, तो मधुमक्खियों पर कीटनाशियों का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता।

कर्नाटक में कीटनाशियों के कारण सब्जियों तथा फलों के सेवन से लोगों के बीमार पड़ने के बारे में कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ङ) आन्ध्र प्रदेश में वर्ष 1997-98 के दौरान कीटनाशियों की अनुमानित खपत 7291 मीटरी टन (तकनीकी ग्रेड) है। वर्ष 1997-98 के लिये उर्वरकों की अनुमानित खपत 36,63,730 मीटरी टन है।

(च) हाल ही में खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम, 1954 के तहत मदर डेयरी से लिये गये दूध के नमूनों के विश्लेषण के मुताबिक दिल्ली के मदर डेयरी के दूध में डीडीटी अथवा बीएचसी की मिलावट नहीं है।

(छ) कीटनाशियों के बड़े पैमाने पर उपयोग को रोकने के लिये संघ सरकार ने निम्नलिखित उपाय किये हैं :-

(i) समेकित कीट प्रबन्ध नीति अपनाना;

(ii) कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अनुसार जैवकीटनाशियों तथा संयंत्र उत्पादों को बढ़ावा देना तथा उदार मानदण्डों के तहत उनका पंजीकरण।

(iii) खतरनाक कीटनाशियों के उपभोग को क्रमशः समाप्त करना/रोक लगाना/प्रतिबंधित करना।

(iv) "फार्मर्स फील्ड स्कूल" की स्थापना तथा मौसम पर्यन्त प्रशिक्षण के माध्यम से समेकित कीट प्रबन्ध में मानव संसाधन विकास। किसानों, कृषि विस्तार अधिकारियों तथा विषयवस्तु विशेषज्ञों को समेकित कीट प्रबन्ध प्रशिक्षण देने के लिए कार्यक्रम। चावल, कपास, सब्जियों, सरसों, मूंगफली, पीजनपी तथा चने में समेकित कीट प्रबन्ध प्रथाओं के बारे में साहित्य का प्रकाशन।

(v) किसानों को उत्पादन तकनीकों के बारे में शिक्षित करके तथा राज्य जैव नियंत्रण एजेन्टों का बड़े पैमाने पर उत्पादन। प्रत्येक राज्य को कम से कम एक जैव नियंत्रक प्रयोगशाला स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है।

विवरण

वर्ष 1997-98 के दौरान गलत ब्राण्ड वाले कीटनाशियों का उत्पादन करने वाली कम्पनियों की सूची

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	रसायनों का नाम
1	2	3
1.	पेस्टीसाईड्स इण्डिया लिमिटेड, उदयपुर	डाईक्लोरोवेन 76% ई.सी.
2.	एग्रोकेम इण्डस्ट्रीज, बंगलौर	मिथाईल पैराथियोन 50% ई.सी. मोनोक्रोटोफॉस 36% एस.एल. कॉपर ऑक्सी क्लोराईड 50% डब्ल्यू.डी.पी. डाईमेथोएट 30% ई.सी.
3.	सरदार पटेल केमिकल्स, हैदराबाद	मॅलाथियॉन 5% डी.पी.
4.	वैनटेक केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड, मेडक (आन्ध्र प्रदेश)	फेनवेलरेट 20% ई.सी. फेनवेलरेट 0.4% डी.पी. एण्डोसल्फॉन 35% ई.सी.
5.	इण्डस्ट्रीज एण्ड केमिकल्स, रानीपेट	डाईमेथोएट 30% ई.सी.
6.	जे.के. लिमिटेड, गुजरात	मोनोक्रोटोफॉस 36% एस.एल.
7.	वोल्टास इण्डिया, आन्ध्र प्रदेश	कार्बेण्डाजीन 50% डब्ल्यू.डी.पी. क्वीनॉलफॉस 25% ई.सी.
8.	सर्ल एग्रो केमिकल्स, मुम्बई	फेनवेलरेट 0.4% डी.पी.
9.	नॉर्दर्न मिनरल्स, गुड़गांव, हरियाणा	फेनवेलरेट 0.4% डी.पी. मोनोक्रोटोफॉस 36% एस.एल.
10.	जैन्का आई.सी.आई.एग्रो केमिकल्स, मद्रास	साईपरमेथ्रिन 25% ई.सी.
11.	यूनाईटेड फॉस्फोरस, मुम्बई	साईपरमेथ्रिन 25% ई.सी.
12.	मेरठ एग्रो केमिकल्स, मेरठ	मेन्कोजोब 75% डब्ल्यू.पी. मोनोक्रोटोफॉस 36% एस.एल. एण्डोसल्फॉन 35% ई.सी. मिथाईल पैरासल्फॉन 50% ई.सी.
13.	वाईगई एग्रो कैमिकल्स प्राईवेट लि०, सेलम	क्लोरोपाइरीफॉस 20% ई.सी. फेनवेलरेट 0.4% डी.पी.
14.	ब्लू क्रिस्टल एग्रो कैमिकल्स, बंगलौर	फेनवेलरेट 20% ई.सी.
15.	गोल्डन एग्रो केमिकल्स, हैदराबाद	मॅलाथियॉन 5% डी.पी.
16.	देवी पेस्टीसाईड्स, तमिलनाडु	क्विनॉलफॉस 25% ई.सी.
17.	अनु प्रॉडक्ट्स, हरियाणा	डाईमेथोएट 30% ई.सी. फेनवेलरेट 0.4% डी.पी. फोरेट 10% जी.
18.	बॉस्कर एग्रो केमिकल्स, हैदराबाद	एसीफेट 25% एस.पी.
19.	कारापुर एग्रो प्रा० लि०, गोवा	एजाडिरेक्टीन 0.15% ई.सी.
20.	श्री रैमसाईड्स, मद्रास	क्विनॉलफॉस 25% ई.सी.
21.	भाग्य रक्षा इण्डस्ट्रीज, आ.प्र.	फेनवेलरेट 0.4% डी.पी.

1	2	3
22.	पेस्टी केम इण्डिया, दिल्ली	फेनवेलरेट 0.4% डी.पी.
23.	सर्ल्स इण्डिया, मेडक (आं.प्र.)	क्लोरोपाइरीफॉस 20% ई.सी.
24.	देवी पेस्टीसाईड्स, मदुरै	फेनवेलरेट 0.4% डी.पी. मॅलाथियॉन 5% डी.पी. क्विनॉलफॉस 25% ई.सी. मॅलाथियॉन 5% डी.पी.
25.	के.ए.आई.सी., रायचूर	मॅलाथियॉन 5% डी.पी.
26.	अशोक पेस्टीसाईड्स, बड़ौदा	फेनवेलरेट 0.4% डी.पी.
27.	भाग्य ऑर्गनिक एण्ड केमिकल्स, आंध्र प्रदेश	फेनवेलरेट 0.4% डी.पी.
28.	भारत पेस्टीसाईड्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, अहमदाबाद	फेनवेलरेट 0.4% डी.पी.
29.	विनफील्ड केमिकल्स लिमिटेड, विजयवाड़ा	फेनवेलरेट 0.4% डी.पी.
30.	मधुसूदन इण्डस्ट्रीज, चैन्ने	एण्डेसल्फॉन 35% ई.सी. क्विनॉलफॉस 25% ई.सी.
31.	राजस्थान पेस्टीसाईड्स एण्ड फर्टिलाइजर्स, मध्य प्रदेश	फेनवेलरेट 0.4% डी.पी.
32.	रैलीज इण्डिया, मुम्बई	फेनवेलरेट 0.4% डी.पी. क्लोरोपाइरीफॉस 20% ई.सी.
33.	ध्रुव पेस्टीसाईड्स, भोपाल	फेनवेलरेट 0.4% डी.पी.
34.	माकन एग्रो इण्डस्ट्रीज, बंगलौर	फेनवेलरेट 0.4%
35.	हरियाणा केमिकल्स एण्ड पेस्टीसाईड्स	एण्डोसल्फॉन 35% ई.सी.
36.	एस.पी.आई.सी., मद्रास	क्लोरोपाईरीफॉस 20% ई.सी.
37.	स्वास्तिक पेस्टीसाइड्स, उ.प्र.	मॅलाथियॉन 5% डी.पी.
38.	श्री गणेष मिनरले, हिमायत नगर	फेनवेलरेट 0.4% डी.पी.
39.	पोषक लिमिटेड, वदोदरा	क्वीनॉलफॉस 1.5% डी.पी.
40.	रथरा एग्रो केमिकल्स, नालगोंडा	फेनवेलरेट 0.4% डी.पी.
41.	सुपर क्रॉप्स सेफ लिमिटेड, अहमदाबाद	फेनवेरेट 0.4% डी.पी.
42.	हिन्दुस्तान एन्टी बायोटिक्स, हैदराबाद	फेनवेरेट 0.4% डी.पी. मोनोक्रोटोफॉस 36% एस.एल. एस्येफेट 75% एस.पी.
43.	सल्फर मिल्स, बम्बई	फेनवेरेट 0.4% डी.पी.
44.	पैरूल कैमिकल्स, बड़ोवरा	एण्डोसल्फॉन 4% डी.पी. क्वीनॉलफॉस 1.5% डी.पी.
45.	गुजरात पेस्टीसाइड्स, अहमदाबाद	एण्डोसल्फॉन 0.4% डी.पी. क्वीनॉलफॉस 1.5% डी.पी.
46.	अकोला केमिकल्स इंडिया लि०	फेननवेलरेट 0.4% डी.पी.
47.	सांइटिस्ट फर्टीलाइजर, त्रिची	क्वीनॉलफॉस 25% ई.सी.
48.	ई.आई.डी. पैरी, मद्रास	चिलोरपाईरिफॉस 20% ई.सी.
49.	हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि०, नई दिल्ली	मोनोक्रोटोफॉस 36% एस.एल.
50.	ट्रौपिकल्स एग्रो सिस्टम्स इंडिया लि०, मद्रास	ट्राईमोफेन 25% डी.पी. एसिफेट 75% एस.पी.
51.	फाइटो केमि० इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद	कारबोरयल 75% डब्ल्यू.पी.
52.	टूटीकोरिन अल्काली केमिकल्स, मद्रास	मोनोक्रोटोफॉस 36% एस.एल.

[अनुवाद]

बचत और राहत योजना

1153. श्री वी.एम. सुधीरन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को समुद्री मछुआरों के लिए बचत और राहत योजना को स्थाई योजना बनाने की आवश्यकता की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार इस योजना के लिए केन्द्रीय अंशदान में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) बचत व राहत का घटक ''राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण'' योजना में वर्ष 1991-92 में शामिल किया गया था और इसे नौंवी योजना अवधि में भी जारी रखने का प्रस्ताव है।

(ख) से (घ) जब नौवीं योजना के प्रस्तावों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा तब इस योजना में संशोधन करने पर विचार किया जा सकता है।

पाकिस्तानी जेलों में भारतीय

1154. श्री सतनाम सिंह कैंथ : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि बहुत बड़ी तादाद में भारतीय पाकिस्तानी जेलों में बंद पड़े हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या केन्द्र सरकार ने उन्हें रिहा कराने के लिए यह मुद्दा पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) जी, हाँ। पाकिस्तान में नज़रबन्द भारतीय कैदियों की शीघ्र रिहाई और स्वदेश वापसी के मसले को पाकिस्तान की सरकार के साथ बार-बार उठाया गया है। इस मसले पर दिसम्बर, 96 और अप्रैल, 97 में हमारे विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री की बैठकों तथा मई, 97 में माले में भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों की बैठक के दौरान भी चर्चा की गई थी। यह मसला सितम्बर 1997 में आयोजित विदेश सचिव स्तर की वार्ताओं के तीसरे दौर में उठाया गया था और यह निर्णय हुआ था कि दोनों देशों से संबंधित प्राधिकारी अपने-अपने देश में नज़रबन्द सिविल कैदियों की शीघ्र रिहाई करेंगे। पाकिस्तान में नजरबन्द भारतीय कैदियों की शीघ्र रिहाई और स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने के लिए हमारे प्रयास जारी रहेंगे।

बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984

1155. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सहकारी सोसाइटियों के कार्यकरण को और अधिक लोकतान्त्रिक तथा स्वायत्तशासी बनाने के लिए बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी, 1984 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो मौजूदा अधिनियम में किए जाने वाले संभावित परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) जैसा कि वित्त मंत्री ने 1.6.98 को अपने बजट भाषण में घोषणा की है सरकार शीघ्र ही बहु-राज्यीय सहकारी समितियां अधिनियम, 1984 के स्थान पर एक माडल सहकारी कानून लाएगी। यह प्रस्तावित कानून सहकारी क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए एक संगठित कार्यक्रम का एक हिस्सा होगा। प्रस्तावित कानून में बहु-राज्यीय सहकारी समितियों को अपने काम-काज सुव्यवस्थित करने में और अधिक संचालक स्वायत्तता देने पर जोर दिया जाएगा। प्रविधीय औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इस प्रस्तावित कानून को संसद में पेश किया जाएगा।

[हिन्दी]

बारगी बांध

1156. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बारगी बांध में कुछ दरारें पड़ गई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बारगी बांध में रिसाव होने के कारण किसी भी क्षेत्र में जान माल को खतरा है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार ने इस स्थिति से निबटने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

अपर कृष्णा प्रोजेक्ट

1157. **श्री सी.पी.एम. गिरियप्पा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपर कृष्णा प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक भूमि का अब तक भूमिग्रहण नहीं किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रोजेक्ट से संबंधित भूमि अधिग्रहण के विविध मामले विभिन्न न्यायालयों में अब भी लंबित हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ङ) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण भूमि अधिग्रहण सहित सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा स्वयं किया जाता है। केन्द्र के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, अपर कृष्णा परियोजना के परियोजना प्राधिकारियों ने अलमट्टी बांध को ऊंचा उठाने के साथ समकालिक पुनर्वास और पुनर्स्थापना गतिविधियां करने का कार्यक्रम बनाया है।

राष्ट्रीय कार्यसूची

1158. **श्री के.डी. सुल्तानपुरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन नीतियों और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है जिन्हें राष्ट्रीय कार्यसूची में वरीयता प्रदान की गई है;

(ख) क्या ऐसे कतिपय मुद्दे हैं जिनके कार्यान्वयन में कठिनाइयों का सामना किया जा रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) शासन के लिए राष्ट्रीय कार्यसूची अन्य बातों के साथ-साथ जनता के प्रति सरकार की इस प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है कि यह एक स्थायी ईमानदार, पारदर्शी और कुशल सरकार देगी, जो बहुमुखी विकास करने में सक्षम हो। राष्ट्रीय कार्यसूची में बदल दिए जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल है :

(i) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास इस सिद्धान्त पर हो कि ''भारत का निर्माण भारतवासियों द्वारा किया जाएगा'', सुधार प्रक्रिया में स्वदेशी पर अधिक बल दिया जाएगा।

(ii) बेरोजगारी दूर करने तथा अवसंरचना, विशेष रूप से ऊर्जा और विद्युत उत्पादन के त्वरित विकास पर प्राथमिकता देते हुए सुधारों को पुनः मूल्यांकित तथा पुनर्जीवित किया जाएगा।

(iii) राष्ट्रीय हित के अनुरूप नीतियों और कार्यक्रमों को शीघ्र लागू करने के लिए गरीबी को पूर्ण रूप से समाप्त करने के अंतिम लक्ष्य के रूप में संपूर्ण राष्ट्रीय विकास प्रयासों को मानवीय दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है।

(iv) राष्ट्रीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप समय-सारणी तैयार करके अन्तर्राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया को आशोधित किया जाएगा ताकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, स्वदेशी औद्योगिक आधार को दुर्बल न करके सुदृढ़ बनाया जा सके तथा वित्तीय और सेवा क्षेत्रकों का विश्लेषण भी किया जा सके।

(v) कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई आदि में सार्वजनिक निवेश के लिए 60 प्रतिशत योजना निधियाँ नियत करना।

सरकार की राष्ट्रीय कार्यसूची में श्रम, बेरोजगारी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और मूल्य स्थिरता, स्वास्थ्य और पेयजल, सभी के लिए शिक्षा, सभी के लिए आवास, महिलाओं को अधिकार, युवा शक्ति का उपयोग, बच्चों, जनसंख्या, संवैधानिक और विधिक सुधारों, भ्रष्टाचार, नए राज्यों, राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, वास्तविक धर्मनिरपेक्षता, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों, पर्यावरण, प्रसार भारती, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी तथा आम सहमति द्वारा शासन के एक नए मानदण्ड जैसे क्षेत्रों में नीतिगत पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।

सरकार ने शासन के लिए राष्ट्रीय कार्यसूची में सूचीबद्ध लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करने के लिए उपाय किए हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित प्राथमिकता क्षेत्रों में कार्य योजनाएं शुरू की जा रही हैं :

(i) खाद्यान्न उत्पादन को दुगुना करना और 10 वर्षों में भारत को भुखमरी से मुक्त करना।

(ii) सामाजिक आधार संरचना का विस्तार और सुधार -- पेयजल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षा और सफाई 8 वर्षों के भीतर देश में प्रत्येक बस्ती के लिए पेयजल का प्रावधान।

(iii) भौतिक आधार संरचना का तेजी से विस्तार और सुधार -- विद्युत, तेल, पेट्रोलियम और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत, सड़कें, परिवहन, पत्तन, विमानपत्तन, संचार और वित्तीय सेवाएं।

(iv) एक राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा ताकि पानी बिल्कुल बर्बाद न हो और हमारे जल संसाधनों को साफ किया जा सके।

(v) 10 वर्षों के भीतर भारत को वैश्विक सूचना प्रौद्योगिक शक्ति और साफ्टवेयर का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक बनाना।

नदियों को जोड़ना

1159. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में निरन्तर सूखे, बाढ़ और अकाल की समस्या से निपटने के लिये गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा गंगा और कावेरी नदियों को जोड़ने के संबंध में अंतिम निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त नदियों को जोड़ने का काम चरणबद्ध तरीके से शुरू करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) नौवी पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू की जाने वाली परियोजनाओं और निर्माण कार्यों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

गोबर गैस प्लांट

1160. **श्रीमती शीला गौतम :**
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोबर गैस प्लांट को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाओं का क्या ब्यौरा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष स्थापित ऐसे प्लांटों की राज्यवार क्या संख्या है;

(ग) इस पर राज्यवार कुल कितनी राशि खर्च की गई; और

(घ) नौवीं योजना के अंत तक राज्यवार ऐसे कितने प्लांट लगाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) गोबर गैस (बायोगैस) संयंत्रों के संवर्द्धन के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की दो योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना (एन.पी.बी.डी.) पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना, तीन वर्षों की निःशुल्क रखरखाव सेवा के साथ टर्न-की कार्य-शुल्क, स्टाफ सहायता सेवा-प्रभार राशि, राज्य स्तरीय बायोगैस प्रशिक्षण केन्द्र, जिला-स्तरीय बायोगैस विस्तार केन्द्र, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार और विस्तार इत्यादि के लिए केन्द्रीय आर्थिक राज सहायता उपलब्ध कराती है। दूसरी योजना नामतः सामुदायिक, संस्थागत और निष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र (सी.बी.पी./आई.बी.पी./एन.बी.पी.) के तहत बड़े आकार के गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाती हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लगाए गए पारिवारिक आकार के और सामुदायिक संस्थागत एवं निष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्रों के बारे में सूचना क्रमशः संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दी गई हैं।

(ग) एन.पी.बी.डी. और सी.बी.पी./आई.बी.पी./एन.बी.पी. के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों और एजेंसियों को मंजूर की गई कुल धनराशि के बारे में सूचना संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1997-2002) के लिए 7.50 लाख पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्र और 800 सामुदायिक, संस्थागत और विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्रों की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। बजट आवंटन पर निर्भर करते हुए राज्य सरकारों और नोडल एजेंसियों के साथ परामर्श से वार्षिक आधार पर राज्यवार लक्ष्य तैयार किए जाते हैं। वर्ष 1998-99 के लिए प्रस्तावित राज्यवार लक्ष्य संलग्न विवरण-IV में दर्शाए गए हैं।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों (1995-96 से 1997-98) के दौरान विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लगाए गए पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्रों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लगाए गए परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों की संख्या		
	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	23720	15132	20823
अरुणाचल प्रदेश	61	60	105
असम	2531	5978	5601
बिहार	6951	5510	6779
गोवा	55	163	247
गुजरात	20812	19582	12794
हरियाणा	1872	2412	2251

1	2	3	4
हिमाचल प्रदेश	1500	1427	1360
जम्मू व कश्मीर	150	196	160
कर्नाटक	22028	26448	20006
केरल	3040	3484	3822
मध्य प्रदेश	20040	20758	18027
महाराष्ट्र	17544	15276	19206
मणिपुर	142	201	271
मेघालय	50	20	65
मिजोरम	100	120	147
नागालैंड	182	182	131
उड़ीसा	12968	12237	13152
पंजाब	4052	4468	6274
राजस्थान	4237	1879	1675
सिक्किम	224	201	187
तमिलनाडु	7862	3938	2723
त्रिपुरा	83	87	117
उत्तर प्रदेश	15822	16917	18778
पश्चिम बंगाल	14109	13000	19533
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5	7	5
चंडीगढ़	5	–	–
दादर और नगर हवेली	3	3	–
दिल्ली	7	9	–
पांडिचेरी	2	2	–

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों (1995-96 से 1997-98) के दौरान विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लगाए गए सामुदायिक, संस्थागत और विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्रों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लगाए गए सामुदायिक, संस्थागत और विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्रों की संख्या		
	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	6	11	4
असम	–	–	2
बिहार	4	5	4
गोवा	1	–	–
गुजरात	7	3	10
हरियाणा	1	6	8
कर्नाटक	5	2	6
केरल	2	–	2
मध्य प्रदेश	2	4	5
महाराष्ट्र	55	31	7
उड़ीसा	–	1	34
पंजाब	57	66	43
राजस्थान	2	–	3
तमिलनाडु	27	38	8
उत्तर प्रदेश	175	148	116
पश्चिम बंगाल	6	9	4
दिल्ली	3	6	–

विवरण-III

राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना और सामुदायिक संस्थागत एवं विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान मंजूर की गई धनराशि के राज्यवार और एजेंसीवार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एजेंसी	वर्ष 1995-96 से 1997-98 के दौरान मंजूर की गई धनराशि (रुपये लाख में)	
	एनपीबीडी	सीबीपी/आईबीपी/एनबीपी कार्यक्रम
1	2	3
आंध्र प्रदेश	1540.45	0.63
अरूणाचल प्रदेश	8.06	–
असम	75.17	3.16
बिहार	1.40	2.37
गुजरात	1137.00	32.20
गोवा	7.53	–
हरियाणा	172.90	–
हिमाचल प्रदेश	193.82	–

1	2	3
जम्मू व कश्मीर	2.95	-
कर्नाटक	1237.78	4.98
केरल	73.93	2.98
मध्य प्रदेश	1242.97	41.40
महाराष्ट्र	1473.78	82.61
मणिपुर	22.14	-
मेघालय	5.53	-
मिजोरम	27.60	-
नागालैंड	26.80	9.62
उड़ीसा	740.86	-
पंजाब	294.38	238.10
राजस्थान	191.92	1.27
सिक्किम	34.15	-
तमिलनाडु	116.57	167.99
त्रिपुरा	10.06	-
उत्तर प्रदेश	685.00	299.18
पश्चिम बंगाल	650.09	6.62
खादी और ग्रामोद्योग आयोग	3830.31	385.55
अन्य	440.64	-

विवरण-IV

राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना और सामुदायिक, संस्थागत तथा विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1998-99 के लिए विभिन्न राज्यों और एजेंसियों को आवंटित वास्तविक लक्ष्य

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एजेंसी	संयंत्रों की संख्या	
	परिवार आकार के संयंत्र	सामुदायिक, संस्थागत और विष्ठा आधारित संयंत्र
1	2	3
आंध्र प्रदेश	14,000	2
अरुणाचल प्रदेश	100	-
असम	500	2
बिहार	500	1
गुजरात	10,200	5
गोवा	75	-
हरियाणा	1500	-
हिमाचल प्रदेश	750	5
जम्मू एवं कश्मीर	50	-
कर्नाटक	12,500	5
केरल	1000	2
मध्य प्रदेश	13,000	3
महाराष्ट्र	12,000	25
मणिपुर	200	-
मेघालय	100	-
मिजोरम	200	-
नागालैंड	200	1
उड़ीसा	6000	5
पंजाब	4500	40
राजस्थान	1000	5
सिक्किम	200	1
तमिलनाडु	1500	10
त्रिपुरा	100	-
उत्तर प्रदेश	8,500	40
पश्चिम बंगाल	8,510	10
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	5	-
दादर व नगर हवेली	5	-
पांडिचेरी	5	-
खादी व ग्रामोद्योग आयोग	30,000	150
अन्य	2800	38

सड़कों को जोड़ना

1161. श्री अजीत जोगी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने बंगलादेश के रास्ते पूर्वोत्तर राज्यों में माल के परिवहन की अनुमति देने हेतु बंगलादेश सरकार से सम्पर्क किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा बंगलादेश सरकार की इस प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार और बंगलादेश की सरकार के बीच 11 नवंबर, 1997 को नवीकृत हुए अन्तर्देशीय जल पारगमन एवं व्यापार से संबद्ध प्रोटोकोल में अन्तर्देशीय जलमार्गों से बंगलादेश के रास्ते असम के कुछ स्थानों तक सामान को लाने-ले जाने की व्यवस्था की गई है। सितंबर, 1997 में मोटर वाहन करार के तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श करते समय सड़क मार्ग से पारगमन के मसले को एक बार फिर उठाया गया था। करार का एक प्रारूप बंगलादेश की सरकार को भेज दिया गया है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर के लिए विशेष आवंटन

1162. श्री भीम दाहाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पिछले वर्ष निर्णय लिया था कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल अपने बजट का दस प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आवंटित करेगा;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1997-98 के दौरान कुल कितनी राशि आवंटित की गई तथा अब तक किया गया वास्तविक खर्च क्या है;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आवंटित निधि व्यपगत नहीं होनी चाहिए तथा उसका प्रयोग निधियों के केन्द्रीय पूल में रखकर क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए किया जाए; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, हां। संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को, पूर्वोत्तर राज्यों में विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए उनके बजट का कम से कम 10% आवंटित करने के निदेश दिए गए थे।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे उपलब्ध करा दिया जाएगा।

(ग) और (घ) पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम में विशिष्ट परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए संसाधनों का अव्यपगत होने वाला एक केन्द्रीय पूल सृजित करने का निर्णय लिया गया है। इन राज्यों के विकास के लिए परियोजनाओं की पहचान राज्य सरकारों तथा पूर्वोत्तर परिषद् के परामर्श से की जाएगी।

लाइसेंस जारी करना

1163. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु आज तक कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ख) प्राप्त आवेदन-पत्रों में से कुल कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

गुजरात की लम्बित परियोजनाएं

1164. श्री जयसिंहजी चौहान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के पास गुजरात सरकार से प्राप्त कितनी परियोजनाएं अनुमोदन के लिए लंबित पड़ी हैं;

(ख) इन परियोजनाओं के काफी लम्बे समय से लम्बित पड़े रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) स्थिति को पुनः अभिनिश्चित किया जा रहा है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

तुंगभद्रा जलाशय

1165. श्री के.सी. कोंडय्या : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक राज्य सरकार ने राज्य के कुछ जिलों में जल की अत्यधिक कमी को दूर करने के लिए

तंगभद्रा जलाशय में जल के स्तर को बनाये रखने के लिए एक और जलाशय का निर्माण करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा था;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस प्रयोजन के लिए कोई केन्द्रीय सहायता मांगी है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य सरकार को यह सहायता कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हाँ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद्

1166. श्री ए. सिदराजू : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने "न्यायाधिकरण के फैसलों को उच्चतम न्यायालय के फैसलों के समान माने जाने" तथा न्यायाधिकरण के फैसलों को अनिवार्य रूप से कार्यान्वित करने के बारे में अन्तर्राज्यीय परिषद् इसकी अधिसूचना की तिथि से दो वर्ष के भीतर की सिफारिशों का विरोध करते हुए कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उपर्युक्त अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही, यदि कोई हो, की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) कर्नाटक राज्य सरकार ने भारत सरकार को पत्र लिखा कि अधिकरण के पंचाटों को न्यायालय की डिक्रियों की शक्ति नहीं प्राप्त होनी चाहिए तथा किसी निश्चित समय सीमा के भीतर अधिकरण के पंचाटों के कार्यान्वयन के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए।

कर्नाटक सरकार ने इन सुझावों को अंतर्राज्यीय परिषद् की 28 नवम्बर, 1997 को हुई चौथी बैठक में सामने रखा गया। कर्नाटक सरकार ने सुझाव दिया कि अंतर्राज्यीय परिषद् की चौथी बैठक के कार्यवृत को तदनुसार संशोधित किया जाना चाहिए।

केन्द्र सरकार ने कर्नाटक सरकार को यह स्पष्ट करते हुए एक पत्र भेजा कि तैयार किए गए तथा परिचालित किए गए कार्यवृत्त में अब संशोधन करना उचित न होगा परन्तु कर्नाटक राज्य सरकार को अंतर्राज्यीय परिषद् की आगामी बैठक/कों में इन मद्दों को उठाने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

एक करोड़ लोगों को काम

1167. श्री समीक लाहिड़ी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रतिवर्ष एक करोड़ लोगों को काम देने की अपनी घोषणा के प्रति प्रतिबद्ध है; और

(ख) यदि हाँ, तो किस प्रकार से ये काम उपलब्ध कराए जाएंगे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) सामान्यतः पंचवर्षीय योजनाएं देश के लिए रोजगार के अवसरों तथा अपनाई जाने वाली कार्यनीति को परियोजित करती हैं, नौवीं योजना दृष्टिकोण यह स्पष्ट करता है कि, नौंवी योजना का प्राथमिक उद्देश्य होगा, उन क्षेत्रों में जहां बेरोजगारी और अल्प-रोजगार की मात्रा अधिक है, क्षेत्रकों, उपक्षेत्रकों और तकनीकों, जो अधिक श्रमदोहक हैं, पर ध्यान केन्द्रित कर विकास प्रक्रिया में और अधिक उत्पादक रोजगार पैदा करना।

नौवीं योजना दृष्टिकोण में यह विनिर्दिष्ट नहीं है कि प्रत्येक वर्ष उपलब्ध कराई जाने वाली नौकरियों की संख्या क्या होगी।

कई देशों द्वारा प्रतिबंध लगाया जाना

1168. श्री रामकृष्ण बाबा पाटिल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई शक्तिशाली देशों ने भारत के विरुद्ध प्रतिबंध लगाए हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इससे इन देशों की सहायता से विभिन्न राज्यों में चल रही कई परियोजनाओं का कार्य ठप्प हो जायेगा;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन परियोजनाओं की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ङ) इन परियोजनाओं के पुनरुद्धार हेतु सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक कदम उठाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

माही बजाज सागर परियोजना

1169. श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राजस्थान की माही ब्याज सागर परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हाँ, तो केन्द्र सरकार ने अब तक कितनी धनराशि प्रदान की तथा कितनी धनराशि अब तक खर्च की गई है;

(ग) क्या उपर्युक्त परियोजना के अन्तर्गत तेरह वर्ष पूर्व शुरू किया गया आनन्द पुरी और सगवाड़ा नहरों का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उपर्युक्त नहरों का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋण/अनुदान के रूप में दी जाती है और यह किसी परियोजना अथवा विकास के क्षेत्र से सहबद्ध नहीं होती है।

(ग) जी, हाँ। दोनों नहरों का निर्माण कार्य प्रारम्भिक अवस्था में है।

(घ) और (ङ) सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनकी अपनी प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है।

[अनुवाद]

अपर कृष्णा परियोजना

1170. श्री एच.सी. रामुलू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विश्व बैंक से कर्नाटक की अपर कृष्णा परियोजना के पूरा करने के लिए कोई सहायता मिली है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस परियोजना के कार्य को पूरा करने में धनराशि में अनियमिततायें बरतने तथा इसका दुर्विनियोग करने संबंधी कोई जानकारी सरकार के ध्यान में आई है;

(ग) क्या इस मामले में सरकार को केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने हेतु संसद सदस्यों द्वारा कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हाँ। ऊपरी कृष्णा चरण-II परियोजना 16.6.89 से 30.6.97 के बीच विश्व बैंक की सहायता से क्रियान्वित की गई थी। (अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण बैंक से ऋण के रूप में 45 मिलियन अमेरिकी डालर तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से 160 मिलियन अमेरिकी डालर उधार के रूप में)।

(ख) कर्नाटक सरकार को अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) अप्रैल, 1998 में परियोजना की प्रगति को देखने के लिए संसद सदस्यों के एक दल ने ऊपरी कृष्णा परियोजना का दौरा किया, तथापि कोई ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किए गए।

(घ) उपरोक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सरदार सरोवर परियोजना

1171. श्री दत्ता मेघे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरदार सरोवर बांध में कुछ दरारें पड़ गई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

व्यापक परीक्षण निषेध संधि

1172. श्री टी.आर.बालू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जी-8 देशों ने भारत से व्यापक परीक्षण निषेध संधि (सी.टी.बी.टी.) पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हाँ, तो भारत सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि अलग-अलग देश प्रतिबंध लगाएं तो सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हाँ। हाल ही में (17 मई 1998) को शिखर सम्मेलन की बैठक के दौरान जारी किए एक वक्तव्य में जी-8 देशों के नेताओं ने अन्य देशों के साथ-साथ "अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा की मुख्यधारा से फिर से जुड़ने तथा अप्रसार संधि और व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि को बिना शर्त मान लेने" का भारत से भी आह्वान किया।

(ख) सरकार ने यह घोषणा की कि भारत, सी.टी.बी.टी. की कुछ वचनबद्धताओं का पक्षधर होने के नाते इस पर विचार करने का इच्छुक है। बहरहाल, सरकार ने यह भी कहा है कि ये निर्णय खोखलेपन में नहीं लिए जा सकते हैं अपितु अन्योन्य प्रतिक्रियाओं पर आधारित होंगे।

(ग) सरकार ने प्रतिबन्ध लगाने वाले देशों के प्रति अपनी निराशा व्यक्त कर दी है क्योंकि इसमें भारत की वैध सुरक्षा चिंताओं का एक अपर्याप्त मूल्यांकन प्रतिबिम्बित होता है। अलग-अलग देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के प्रभावों का मूल्यांकन किया जा रहा है। इन उपायों के परिप्रेक्ष्य में सरकार हमारे आर्थिक एवं अन्य हितों की रक्षा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।

पिछड़े क्षेत्रों के लिए निधि

1173. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों को विकसित करने के लिए उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त धनराशि प्रदान करने पर सहमत हो गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो अब तक कितनी राशि प्रदान की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) किसी क्षेत्र की आयोजना और विकास का और इस प्रयोजन के लिए निधियों का आबंटन प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। योजना आयोग राज्य योजनाओं के लिए समग्र रूप से केन्द्रीय सहायता का आंबटन करता है और स्थानिक और क्षेत्रकीय आबंटन राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं। तथापि केन्द्र सरकार विभिन्न क्षेत्र कार्यक्रमों अर्थात् जनजातीय उपयोजना, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम आदि के माध्यम से पिछड़े क्षेत्रों के विकास की समस्याओं पर काबू पाने में आंध्र प्रदेश सहित राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता दे रही है।

आम का उत्पादन

1174. डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष आन्ध्र प्रदेश में आम की फसल में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हाँ, तो आम की फसल में गिरावट के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) आम के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में आम की फसल का कम उत्पादन हुआ है। कम उत्पादन का मुख्य कारण प्रतिकूल मौसम दशायें जैसे अधिक समय तक वर्षा का मौसम बने रहना, उतरता-चढ़ता तापमान जिसके फलस्वरूप बौर कम विकसित हुए तथा परागण तथा पराग का विकास कम हुआ तथा इसके साथ ही कीट तथा रोगों का प्रकोप।

(ग) राज्य सरकार ने फसल उत्पादन में सुधार लाने के लिए बहुत से उपाय किए हैं। इन उपायों में समेकित कीट प्रबन्ध, पौध रक्षण उपाय अपनाने के संबंध में बागवानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना तथा कृमिनाशक व कीटनाशक जैसे आदानों की अनुकूलन आपूर्ति सुनिश्चित करना शामिल है।

आंध्र प्रदेश के लिए योजना

1175. श्री एस.एस. ओवेसी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने योजना आयोग की स्वीकृति के लिए कुछ योजनाएं भेजी हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये कहां-कहां स्थापित की जायेगी; और

(ग) इन योजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) योजना आयोग में अनुमोदन के लिए कोई स्कीम लंबित नहीं है।

[हिन्दी]

परमाणु परीक्षण

1176. श्री विजय गोयल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 18 मई, 1974 को राजस्थान में पोखरण में भारत द्वारा परमाणु परीक्षण करने के बाद जिन देशों ने हमारे देश के साथ सहयोग करना बन्द कर दिया था उनमें से किन-किन देशों ने हमारे देश के साथ सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) क्या परमाणु शक्ति प्राप्त देशों ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए भारत को परमाणु तकनीक देने से इन्कार कर दिया था;

(ग) इस इन्कार के क्या कारण हैं और क्या सरकार इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी परमाणु नीति पर पुनः विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) 18 मई, 1974 में भारत द्वारा पोखरण में किए गए नाभिकीय परीक्षण के बाद जिन अनेक देशों ने सहयोग करना बन्द कर दिया था, उन्होंने हमारे देश के साथ सहयोग पुनः शुरू करने के लिए अलग-अलग इच्छा व्यक्त की है।

(ख) से (घ) पिछले कुछ वर्षों में नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता रखने वाले देशों ने नाभिकीय अप्रसार संधि के हस्ताक्षरकर्ता देश होने के नाते अथवा नाभिकीय आपूर्तिकर्ता दल (एन.एस.जी.) के सदस्य होने के नाते प्रौद्योगिकी, सामग्रियां और उपकरण के आदान-प्रदान करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। तथापि, रूस ने 2000 मेगावाट नाभिकीय ऊर्जा केन्द्र स्थापित करने में अपनी इच्छा को जारी रखा है और क्योंकि यह नाभिकीय आपूर्तिकर्ता दल के सदस्य बनने से पूर्व 1988 में भारत के साथ सम्पन्न की गई उसकी वचनबद्धता सें संबंधित है। सरकार राष्ट्रीय विकास की आवश्यकताओं तथा राष्ट्रीय सुरक्षा आकलनों को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक कदम उठा रही है।

नहरों पर पुलों का निर्माण

1177. श्री अशोक प्रधान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में विभिन्न नहरों पर बनाए गए पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सिंचाई विभाग इन पुलों की मरम्मत नहीं करा रहा है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में विभिन्न नहरों पर बनाए गए क्षतिग्रस्त इन पुलों की मरम्मत करने के वास्ते सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) उत्तर प्रदेश में नहरों के ऊपर बने पुलों का निरीक्षण एवं इनकी मरम्मत आवश्यक समझे जाने पर उनके लोक निर्माण विभाग द्वारा की जाती है। इन पुलों की मरम्मत में गत तीन वर्षों में (1995-96 से 1997-98) 26.48 लाख रुपए की राशि खर्च की गई।

राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास योजना

1178. श्री रामानंद सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आठवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत धनराशि आबंटित की है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं, अर्थात् नदी घाटी परियोजना के जलग्रहण क्षेत्रों में एवं बाढ़ प्रवण नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के 520 करोड़ रुपए की तुलना में नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 550 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है।

[अनुवाद]

भूख से हुई मौतें

1179. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 अप्रेल, 1998 के ''द हिन्दु'' में ''वीमेन डाईज ऑफ स्टारवेशन'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में भड़ौती में महिला का शव बरामद हुआ जिसके आस-पास परिवार के सदस्य बिलख-बिलख कर रो रहे थे; और

(ख) यदि हाँ, तो देश में किसी की भी भूख से मौत न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) राजस्थान सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार यह मौत रोग के कारण हुई न कि भूख के कारण।

सौर ऊर्जा

1180. श्री मोहन रावले :
श्रीमती जयंती पटनायक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजनावधि के दौरान देश में सौर ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए स्थापित किए गए संयंत्रों और उनकी स्थापित क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस समय देश में राज्य-वार सौर ऊर्जा का कितना उत्पादन किया जा रहा है और उसे बढ़ाने की क्या संभावना है;

(ग) सौर ऊर्जा का उपयोग कहां-कहां किया जा रहा है;

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली का उत्पादन करने के लिए प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विश्व में सौर ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में देश की स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) सौर ऊर्जा उपयोग की दो प्रमुख विधियां और प्रौद्योगिकियां हैं - (i) तापन, खाना पकाने, शुष्कन, जल शुद्धिकरण और विद्युत उत्पादन के लिए ताप का इस्तेमाल करते हुए तापीय विधि; और (ii) प्रकाशवोल्टीय विधि जिसमें सूर्य की धूप को विद्युत में परिवर्तित किया जाता है तत्पश्चात् इसे रोशनी, पानी खींचने, संचार, बैटरी चार्जिंग, रैफ्रिजरेशन और विद्युत उत्पादन जैसे कई उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है।

आठवीं योजनावधि (1992-93 से 1996-97) के दौरान देश में स्थापित सौर ऊर्जा प्रणालियों का विवरण संलग्न है।

विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए देश में 32 मे.वा.पी. की समग्र क्षमता वाली सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों की स्थापना का अनुमान है। इसके अतिरिक्त 4.1 लाख वर्ग मीटर वाले सौर तापीय संग्राहक तथा 4.57 लाख सौर कूकर भी लगाए गए हैं, ये प्रणालियां वर्ष में 48 मिलियन इकाई को विद्युतीय तथा 353 मिलियन इकाई की तापीय ऊर्जा उत्पादित करने में सक्षम हैं।

देश में सौर ऊर्जा से विद्युतीय ऊर्जा उत्पादन की 20 मे.वा. प्रति वर्ग कि.मी. की औसत अनुमानित संभाव्यता विद्यमान है, सभी राज्यों में सौर-विकिरण से ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए वृहत संभाव्यता है तथापि, देश तथा प्रत्येक राज्यों के लिए इसकी संभाव्यताओं की वृद्धि का अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि संभाव्यता का वास्तविक दोहन, सौर ऊर्जा उपयोग वाले क्षेत्र के अलावा विभिन्न तकनीकी व आर्थिक मापदंडों पर निर्भर करता है।

(घ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने 9वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 5 लाख सौर लालटेनों, 1.5 लाख घरेलू रोशनी प्रणालियों, 5000 जल पंपन प्रणालियों तथा 2.6 मे.वा.पी., के एस. पी.वी. विद्युत संयंत्रों और अन्य एस.पी.वी. प्रणालियों के लक्ष्य का प्रस्ताव रखा है। इसके अतिरिक्त, 9वीं पंचवर्षीय योजना काल के दौरान जल तापन प्रणालियों के लिए 2.5 लाख वर्ग मीटर के सौर तापीय संग्राहकों तथा 2 लाख सौर कूकरों के लगाए जाने का भी प्रस्ताव है।

मंत्रालय ने राजस्थान के जोधपुर जिले के मथानिया क्षेत्र में 35 मे.वा. सौर तापीय विद्युत घटक के साथ 140 मे.वा. की एकीकृत सौर मिश्रित चक्र विद्युत परियोजना की स्थापना में सहायता करने का भी प्रस्ताव रखा है।

(ङ) भारत विश्व के उन अग्रणी देशों में से एक है जो रोशनी, जल पंपन, दूरसंचार, जल तापन तथा अन्य उपयोगों जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए सौर ऊर्जा का दोहन करता है। इसके पास सौर ऊर्जा संसाधन के दोहन में कार्यरत प्रशिक्षित वैज्ञानिकों तथा तकनीकी जनशक्ति, अनुसंधान प्रयोगशालाओं तथा उद्योगों का एक पूल है।

विवरण

8वीं योजना काल (1992-93 से 1996-97) के दौरान सौर ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना के बारे में राज्यवार उन्नति

		सौर तापीय प्रणालियां		सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां		
क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	सौर कूकर (सं.)	सौर जल तापन प्रणाली (संग्राहक क्षेत्र) के वर्ग मी. में	रोशनी (सं.)	सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र (कि.वा.पा.)	जल पंप (सं.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	10267	2012	5459	5.6	3.80
2.	अरुणाचल प्रदेश	624	58	1957	5.9	-
3.	असम	80	60	908	1.0	45
4.	बिहार	730	1006	20520	-	92

1	2	3	4	5	6	7
5.	गोवा	415	743	–	–	14
6.	गुजरात	10576	7987	4161	–	19
7.	हरियाणा	8379	1752	8384	4.3	17
8.	हिमाचल प्रदेश	12131	3065	11288	–	1
9.	जम्मू व कश्मीर	345	36	6722	–	15
10.	कर्नाटक	–	36140	483	–	103
11.	केरल	39	2617	23069	4.74	241
12.	मध्य प्रदेश	96253	6331	6933	249.0	15
13.	महाराष्ट्र	14122	11956	1674	110.0	114
14.	मणिपुर	–	128	543	–	1
15.	मेघालय	332	120	2075	27.72	–
16.	मिजोरम	48	33	2422	–	–
17.	नागालैंड	–	–	–	–	–
18.	उड़ीसा	1761	576	2608	3.75	1
19.	पंजाब	7199	3826	722	2.0	89
20.	राजस्थान	9245	2569	6422	152.15	146
21.	सिकिक्म	–	154	122	–	–
22.	तमिलनाडु	52	7558	2070	187.0	453
23.	त्रिपुरा	6	104	539	–	–
24.	उत्तर प्रदेश	14137	6595	56145	322.0	66
25.	पश्चिम बंगाल	3875	9291	3640	39.10	44
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	68	20	315	110.0	5
27.	चंडीगढ़	790	93	–	–	7
28.	दादर व नगर हवेली	–	–	–	–	–
29.	दमन व दीव	–	–	–	–	–
30.	दिल्ली	7403	1404	4808	–	42
31.	लक्षद्वीप समूह	–	–	890	20.0	14
32.	पांडिचेरी	–	1027	217	–	28
	कुल	1,98,877	1,07,260	1,75,086	1,24,426	1,953

असम की विदेशी सहायताप्राप्त योजनाएं

1181. **डॉ. जद्‌दु रंगपी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम के पहाड़ी क्षेत्रों में लागू की जा रही विदेशी सहायता प्राप्त योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस क्षेत्र की स्वायत्त पर्वतीय परिषदें विदेशी सहायता प्राप्त ऐसी सभी योजनाओं की कार्यान्वयन एजेन्सी हैं;

(ग) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान पर्वतीय परिषदों को कितनी धनराशि जारी की गई, वर्ष-वार और योजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या करबी आंगलाग और उत्तरी कछार पर्वतीय स्वायत्त परिषदों ने मांग की है कि ये परिषदें पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विदेशी सहायता प्राप्त सभी योजनाओं की कार्यान्वयन एजेंसी हों; और

(ङ) यदि हाँ, तो स्वायत्त पर्वतीय परिषदों की मांग के संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

परमाणु क्षेत्र में कनाडा की सहायता

1182. **श्री चमन लाल गुप्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा द्वारा भारत को परमाणु क्षेत्र में सहायता देने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) कनाडियन पक्ष के साथ उन रिएक्टरों के नवीकरण में सहकार करने जिनका निर्माण शुरूआत में कनाडा की मदद से और काण्डु (कनाडा ड्यूटीरियम यूरेनियम) डिजायन के अनुसार राजस्थान में किया गया था, से संबंधित मुद्‌दों पर बातचीत की गई है। राजस्थान में पहले दो रिएक्टर ही केवल ऐसे थे जिन्हें ऐसी मदद से निर्मित किया गया था। तथापि, इन बातचीत से अभी तक कोई हल नहीं निकला है।

विदेशी नक्शों में जम्मू और कश्मीर को गलत ढंग से दिखाया जाना

1183. **श्री दिलीप संघाणी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी नक्शों में जम्मू और कश्मीर को भारत के भू-भाग के रूप में नहीं दर्शाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) जम्मू और कश्मीर राज्य सहित भारत के मानचित्र के गलत चित्रण के सभी मामलें जो सरकार की जानकारी में आते हैं, उन्हें संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाया जा रहा है।

इसरो जासूसी कांड

1184. **श्री पी.सी. थामस** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने इसरो जासूसी कांड में शामिल विदेशी राष्ट्रिकों सहित सभी अभियुक्तों को उनके विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल करने से मुक्त कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा विरोधाभासी रिपोर्ट दिए जाने के बावजूद एक विदेशी महिला और अन्य लोगों को लंबे समय तक हिरासत में रखने के लिए जिम्मेदार है;

(घ) क्या बेकसूर लोगों को लम्बे समय तक हिरासत में रखे जाने की किसी तरह से भरपाई की जाएगी; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) सभी छः अभियुक्तों (दो विदेशी राष्ट्रिकों सहित) और अन्य द्वारा माननीय केरल उच्च न्यायालय, जिसने केरल द्वारा आगे जांच करने के लिए जारी अधिसूचना को वैद्य करार दिया था, के आदेश को चुनौती देते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 29.4.1998 के अपने आदेश में विशेष अनुमति याचिका में अपील की अनुमति दी तथा आगे जांच करने के सम्बन्ध में केरल सरकार के आदेश की अधिसूचना को रद्‌द कर दिया।

(ग) जिस समय सी.बी.आई. ने मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, एर्नाकुलम की अदालत में दिनांक 30.4.1996 को सी.आर.पी.सी. की धारा 173 के अन्तर्गत एक रिपोर्ट फाइल की थी, उसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था कि जासूसी के आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं और इन्हें झूठा पाया गया है, अतः सभी छः अभियुक्तों को मुक्त करने का अनुरोध किया गया था, उस समय मालदीव के दो राष्ट्रिकों को छोड़ कर सभी अभियुक्तों को जमानत प्रदान

कर दी गई थी। चूंकि वे जमानत-पत्र को प्रस्तुत नहीं कर सके, अतः वे न्यायिक हिरासत में बने रहे। उपर्युक्त मालदीव के राष्ट्रिकों को केरल सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत भी गिरफ्तार किया गया था। मालदीव के एक राष्ट्रिक, जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 12 माह की अवधि हिरासत में पूरी की थी, को मुक्त कर दिया गया और वह भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पहले माले वापस चला गया। अन्य विदेशी राष्ट्रिक के बारे में यह ज्ञात हुआ है कि उसे भी इस निर्णय के बाद मुक्त कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 29.4.1998 के अपने आदेश द्वारा केरल सरकार को निदेश दिया है कि वह अपील की लागत के रूप में सभी छः अभियुक्तों में से प्रत्येक को 1,00,000/- रुपये (एक लाख रुपये) की राशि अदा करे। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को पूरा करने का दायित्व केरल सरकार पर है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो की विश्वसनीयता में कमी आना

1185. श्री संदीपान थोरात : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की विश्वसनीयता और साख में लगातार आती जा रही गिरावट के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो और अन्य आसूचना एजेंसियो के कार्य निष्पादन की आलोचनात्मक समीक्षा की है ताकि उच्च स्तर पर व्याप्त अपराध और भ्रष्टाचार और देश के करोड़ों रुपये के कर की उच्च स्तर पर हो रही धोखाधड़ी पूर्ण सांठ-गांठ की नई चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्हें सुदृढ़ बनाया जा सके;

(ग) यदि हाँ, तो गत एक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा क्या पहल की गई; और

(घ) सरकार ने अब तक दौराई समिति की रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो की विश्वसनीयता तथा साख, उक्त ब्यूरो से जांच करवाए जाने की बढ़ रही आम मांग तथा विभिन्न राज्य-सरकारों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे बड़ी संख्या में मामले भेजे जाने से प्रतिबिम्बित होती है।

(ख) और (ग) स्वतंत्र समीक्षा-समिति सरकार द्वारा सितम्बर, 1997 में गठित की गई थी जिसे अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन-निदेशालय के कार्यकरण की जांच करने एवं अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी व्यक्ति, विशेष रूप से उच्च पदों पर कार्यरत प्राधिकारियों द्वारा आरोपित रूप से किए गए अपराध दायर किए जाएं, उनकी जांच की जाए एवं ऐसे आरोपित अपराधों के संबंध में किसी भी प्रकार के भेद-भाव एवं पक्षपात के बिना शीघ्र मुकदमा चलाया जाए और यह कि केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो में कार्यरत कार्मिकों पर इस बारे में किसी भी तरह का दबाव नहीं डाला जाए और उनका मनमाने ढंग से स्थानांतरण आदि नहीं किया जाए, के सिलसिले में यदि कोई परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो, तो उसके बारे में सुझाव देने का कार्य सौंपा गया था। उपर्युक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट नवम्बर, 1997 में प्रस्तुत कर दी। उच्चतम न्यायालय ने अपने दिशा-निर्देशों में उपुर्यक्त स्वतंत्र समीक्षा-समिति की बहुत सी सिफारिशें शामिल कर लीं। इस क्रम में उपर्युक्त न्यायालय ने कई अन्य दिशा-निर्देश भी दिए। सरकार ने उच्चतम न्यायालय का निर्णय कार्यान्वित करना पहले से ही तय कर लिया है।

(घ) दुरै समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में, संयुक्त निदेशक (पूर्व), केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरंभ कर दी गई थी जिसे अब माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त (निरस्त) कर दिया गया है।

[हिन्दी]

अपर कोयल सिंचाई परियोजना

1186. श्री कृष्ण कुमार चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार में काफी समय से लम्बित उत्तरी कोयल लीलाजन सिंचाई परियोजना को मंजूरी देने और इसके कार्यान्वयन का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो इन परियोजनाओं को कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) नार्थ कोयल सिंचाई परियोजना 439.03 करोड़ रुपये की लागत से तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा इस शर्त पर स्वीकार्य पाई गई कि इस पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वन दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए। राज्य सरकार ने अब तक यन स्वीकृति प्राप्त नहीं की है।

लीलाजान परियोजना के मामले में बिहार सरकार को केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना करने के बाद संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

इसके अतिरिक्त सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, क्रियान्वयन और वित्त पोषण राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकताओं के अनुरूप उनके अपने संसाधनों से किया जाता है।

[अनुवाद]

कपास का उत्पादन

1187. श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी :
श्री वी. वी. राघवन :
श्री के. येरननायडू :
श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री के.पी. नायडू :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कपास का कुल कितना उत्पादन हुआ और 1997-98 के मौसम के लिए प्रस्तावित उत्पादन अनुमानतः कितना है;

(ख) चालू मौसम के दौरान राज्य-वार कुल कितनी कपास की फसलों की क्षति हुई, क्षति के क्या कारण हैं और केन्द्र सरकार ने राज्य-वार किसानों को कितनी सहायता उपलब्ध करायी है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में कपास के उत्पादन को बढ़ाने हेतु नई तकनीक और उन्नत कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करने का है; यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) कृषि की नई तकनीक इस्तेमाल करने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस मौसम में कम फसल को देखते हुए कपास के भण्डार में विलम्ब करने का है;

(च) इसके आयात सहित उत्पादन में कमी को पूरा करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(छ) कपास के निर्यात और घरेलू इस्तेमाल के लिए सरकार द्वारा निर्धारित परिमाण का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) वर्ष 1994-95 से 1996-97 के दौरान कपास के उत्पादन एवं 1997-98 के दौरान अनुमानित उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) 1996-97 के दौरान कपास उत्पादन की तुलना में, 1997-98 के दौरान संबंधित राज्यों में कपास में हुए नुकसान की मात्रा निम्नवत् है :

राज्य	अनुमानित उत्पादन में नुकसान (हजार गांठों में - 170 कि.ग्रा. प्रत्येक)
आन्ध्र प्रदेश	679.8
हरियाणा	379.0
कर्नाटक	120.0
महाराष्ट्र	1283.3
पंजाब	1017.0

कपास उत्पादन में नुकसान प्रतिकूल मौसम एवं रोगों एवं कृमियों के आक्रमण के कारण हुआ। वर्ष 1997-98 के दौरान आपदा राहत कोष से निम्नलिखित कुल राशि आवंटित की गई हैं :

राज्य	आवंटित राशि (करोड़ रुपये में)
आन्ध्र प्रदेश	131.05
हरियाणा	26.44
कर्नाटक	44.16
महाराष्ट्र	71.97
पंजाब	57.15

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से आंध्र प्रदेश को 12.00 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए गए।

(ग) और (घ) किसानों को कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु, भारत सरकार, मुख्य कपास उत्पादन क्षेत्रों में भारत सरकार एवं क्रियान्वयक राज्यों के बीच अधिकांशतः 75:25 की हिस्सेदारी के आधार पर एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना गहन कपास विकास कार्यक्रम चला रही है। फसल उत्पादन पर प्रदर्शनी, समेकित कृमि प्रबंध एवं कृषक प्रशिक्षण के साथ-साथ प्रमाणित बीजों, पौध संरक्षण उपकरणों, स्प्रिंकलरों आदि के माध्यम से किसानों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए सहायता दी जाती है। इसके अलावा, केन्द्रीय समेकित कृमि प्रबन्ध केन्द्र कृमि एवं रोगों की स्थिति पर निरन्तर निगरानी रख रहे हैं एवं देश के विभिन्न हिस्सों में समेकित कृमि प्रबंध पर किसानों को प्रशिक्षण दे रहे हैं।

(ङ) से (छ) उत्पादन में आई कमी को पूरा करने के लिए, कपास के आयात को सामान्य खुले लाइसेंस के अंतर्गत लाया गया है जिस पर कोई आयात शुल्क नहीं लगता है। 1997-98 में कपास मौसम में अब तक कपड़ा मंत्रालय ने निर्यात के लिए 7.2 लाख गांठ जारी की हैं।

विवरण

राज्य	क्षेत्र (हजार हैक्टेयर में)				उत्पादन (170 कि.ग्रा. की हजार गांठों में)				उत्पादकता (कि.ग्रा./हेक्टेयर)			
	94-95	95-96	96-97	97-98 अग्रिम*	94-95	95-96	96-97	97-98 अग्रिम*	94-95	95-96	96-97	97-98 अग्रिम*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आन्ध्र प्रदेश	844.5	1058.7	1007.4	899	1425.6	1610.1	1848.8	1169	287	259	312	221
असम	1.7	1.7	1.7	2	0.8	0.8	0.8	1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
बिहार	0.2	0.0	0.0		0.5	0.1	0.0					
गुजरात	1204.7	1410.0	1484.0	1479	2269.3	2202.0	2657.0	2758	320	265	304	317
हरियाणा	557.0	646.0	649.0	655	1373.0	1283.0	1504.0	1125	419	338	394	292
हिमाचल प्रदेश	0.2	0.1	0.3		0.4	0.2	0.3					
जम्मू एवं कश्मीर	0.1	0.1	0.1		0.2	0.0	0.2					
कर्नाटक	635.8	673.8	668.1	456	822.0	849.1	932.0	812	220	214	237	303
केरल	13.8	12.3	12.3	14	21.8	19.4	20.2	21	269	268	279	255
मध्य प्रदेश	477.0	513.6	526.6	513	345.7	423.5	437.2	907	123	140	141	301
महाराष्ट्र	2759.9	3065.4	3084.7	3139	2500.3	2795.8	3143.3	1860	154	155	173	101
मणिपुर	0.1	0.1	0.1		0.1	0.3	0.3					
मेघालय	7.5	7.6	7.5		5.3	5.3	5.3					
मिजोरम	1.1	1.0	1.0		2.8	2.5	2.6					
नागालैण्ड	0.1	0.2	0.2		0.3	0.4	0.4					
उड़ीसा	6.6	10.9	14.0	22	9.7	21.8	28.0	36	250	340	340	278
पंजाब	606.0	750.0	742.0	725	1779.0	1950.0	1925.0	908	499	442	441	213
राजस्थान	485.9	606.3	654.2	596	875.2	1338.3	1363.3	1389	306	375	354	396
तमिलनाडु	255.3	260.8	259.5	222	440.0	339.4	373.4	411	293	221	245	315
त्रिपुरा	2.0	1.1	1.1		2.4	1.7	1.6					
उत्तर प्रदेश	10.5	14.5	7.8	9	11.6	15.1	7.3	8	188	177	159	151
पश्चिम बंगाल	0.1	0.1	0.1		0.1	0.3	0.3					
पाण्डिचेरी	0.9	1.0	0.6		1.5	1.6	1.0					
अन्य				12				13				
अखिल भारत	7871.0	9035.3	9122.3	8743	11887.6	12860.7	14252.3	11418	257	242	266	222

*अग्रिम अनुमान

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश की लंबित योजनाएं

1188. श्री सुरेश चन्देल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के पास मंजूरी के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की लंबित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इन योजनाओं पर कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) योजना आयोग के पास इस समय स्वीकृति के लिए हिमाचल प्रदेश की कोई स्कीम लंबित नहीं है।

परमाणु परीक्षण

1189. श्री रामपाल सिंह :
श्री के.एच. मुनियप्पा :
श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में परमाणु परीक्षण किए हैं;

(ख) यदि हाँ. तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परीक्षणों के क्या परिणाम हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) 11 मई, 1998 को तीन और 13 मई को दो परमाणु परीक्षण किए गए थे। 11 मई को किए गए परीक्षणों मे से एक लगभग 45 किलोटन (टीएनटीके) के उत्पाद वाली ताप नाभिकीय युक्ति, लगभग 15 किलोटन के उत्पाद वाली विखंडन युक्ति और लगभग 0.2 किलोटन के उत्पाद वाली कम शक्ति की युक्ति के थे। 13 मई, 1998 को किए गए दो परीक्षण लगभग 0.5 किलोटन और 0.3 किलोटन के उत्पाद वाले सब-किलोटन परमाणु परीक्षण थे। ये सभी परीक्षण पूर्णतः संरोधित थे और इनसे वातवारण में कोई भी विकिरण सक्रियता नहीं फैली। मापे गऐ उत्पाद प्रत्याशित मानों के अनुरूप हैं।

बाण सागर अन्तर्राज्यीय परियोजना

1190. श्री कांतिलाल भूरिया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश राज्य सरकारों के सहयोग से बाण सागर अन्तर्राज्यीय परियोजना की निगरानी की जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य सरकारें अपना-अपना अंशदान न करके परियोजना के पूरा होने में विलम्ब कर रही हैं;

(ग) क्या मध्य प्रदेश राज्य सरकार इस परियोजना पर पहले ही एक हजार करोड़ रुपए का निवेश कर चुकी है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार इस योजना की शीघ्रता से पूरा कराने के लिए अपेक्षित धनराशि प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) जी, हाँ।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश सरकार इस परियोजना पर कुल 531.71 करोड़ रुपये व्यय कर चुकी है जिसमें से 393.45 करोड़ रुपये बांध भाग पर और 138.26 करोड़ रुपये नहरों पर व्यय किया गया है।

(ङ) और (च) केन्द्र सरकार इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत निधियां उपलब्ध करा रही है। वर्ष 1996-97 में 23.25 करोड़ रुपये और वर्ष 1997-98 में 65.50 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है।

भारतीय प्रबंधन पनधारा और खेती प्रणाली

1191. श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्री मोतीलाल वोरा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 1991 के दौरान भारतीय प्रबंधन पनधारा और खेती प्रणाली की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर केन्द्र सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) उक्त प्रस्ताव पर निर्णय अनुमोदन कब तक दे दिए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं। मध्य प्रदेश सरकार से भारतीय प्रबन्ध पनधारा और कृषि प्रणाली स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सरकारी क्षेत्र की विलम्बित परियोजना

1192. श्री चिन्ता मोहन :
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की 200 से अधिक निर्माणाधीन परियोजनाएं अपनी निर्धारित समय सीमा से पीछे चल रही हैं;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी वास्तविक स्थिति क्या है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं के निर्माण में हुए विलम्ब के कारण इन परियोजनाओं की लागत में 44,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हो जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने इन परियोजनाओं के संबंध में वास्तविक आकलन क्या तैयार किया था ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) दिसम्बर 1997 तक कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की प्रबोधन प्रणाली पर 20 करोड़ रुपये तथा उससे अधिक लागत वाली 454 परियोजनाओं में से 211 परियोजनाएं अपनी वास्तविक अनूसूची से पीछे चल रही थीं।

(ग) और (घ) इन विलम्बित 211 परियोजनाओं ने अपने 63392.2 करोड़ रुपए के वास्तविक लागत अनुमान के संबध में कुल मिलाकर 34,865.7 करोड़ रुपये की लागत वृद्धि दर्शाई है।

[अनुवाद]

सिंचाई के लिए निधि

1193. श्री राजवीर सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) वर्तमान में उत्तर प्रदेश और बिहार में सिंचाई के लिए पानी की कुल आवश्यकता और उपलब्धता कितनी-कितनी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ दोनों राज्यों के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जल संसाधन उपलब्धता को नदी बेसिनवार आंका जाता है न कि राज्यवार। उत्तर प्रदेश और बिहार की चरम सिंचाई क्षमता क्रमशः 25700 हजार हैक्टेयर और 12400 हजार हैक्टेयर आंकी गयी है। उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों के लिए आंकी गयी सम्बद्ध सिंचाई जल की आवश्यकता क्रमशः 167 बिलियन घन मीटर और 80.6 बिलियन घन मीटर है।

(ख) और (ग) भारत सरकार द्वारा वर्ष 1996-97 के दौरान प्रारंभ किए गए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के तहत उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार को वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान चुनिन्दा वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए उपलब्ध करायी गयी केन्द्रीय ऋण सहायता निम्न रूप से है :

करोड़ रुपये में

राज्य	कुल केन्द्रीय ऋण सहायता	
	1996-97	1997-98
उत्तर प्रदेश	43.50	78.00
बिहार	13.50	14.04

प्रसंस्कृत खाद्य सामग्री के निर्यात में वृद्धि

1194. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा प्रसंस्कृत खाद्य सामग्री के निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध मे गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत से प्रसंस्कृत खाद्य सामग्री का आयात करने वाले देशों के नाम क्या हैं; और

(घ) उन देशों ने भारत के प्रसंस्कृत खाद्य सामग्री बाजार में कितना पूंजी निवेश किया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) बुनियादी सुविधाओं जैसे विशेषीकृत ढुलाई यूनिटों की खरीद, पूर्व-शीतन/भण्डारण सुविधाओं, एकीकृत फसलोत्तर रखरखाव प्रणालियों की स्थापना तथा खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण के वास्ते सरकार निर्यातकों, उत्पादकों सहकारी समितियों तथा खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को वित्तीय सहायता दे रही है। सरकार संवर्धक अभियानों की भी व्यवस्था कर रही है जैसे क्रेता-विक्रेता बैठकें और महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी प्रसंस्करण सुविधाओं को बेहतर बनाने तथा यूरोपियन संघ और अमेरिका द्वारा लगाई शर्तों को पूरा करने के लिए हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कन्ट्रोल प्वाइन्ट्स को लागू करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

सरकार डाटा बेस का विकास करने और सूचना के प्रसार के लिए भी सहायता देती है।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) उदारीकरण अर्थात् जुलाई 1991 से 31.3.98 तक खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र अनुमोदित विदेशी निवेश 8756 करोड़ रुपये हैं।

विवरण

कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात (मात्रा : हजार मीट्रिक टन, मूल्य करोड़ रुपये में)

उत्पाद	1994-95		1995-96		1996-97		प्रमुख बाजार
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	
1	2		3		4		5
प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियां (आम गूदा, आचार और चटनी आदि)	144.32	348.21	93.50	491.59	175.25	473.77	संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, सिंगापुर, अमेरिका, जर्मनी, सऊदी अरब, कुवैत, ब्रिटेन, नीदरलैंड, रूस।

1	2	3	4	5	6	7	8
पशु उत्पाद (मांस, पाल्ट्री तथा डेयरी उत्पाद)	164.10	448.38	183.89	682.58	185.92	803.59	मलेशिया, सं.अ.अ, फिलीपीन्स, जॉर्डन, सऊदी अरब, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, बंगला देश, जर्मनी, रूस, पुर्तगाल, नीदरलैंड, स्पेन, फ्रांस, जायरे, सेशल्स, इन्डोनेशिया, ब्रिटेन, सिंगापुर, मलेशिया।
अन्य प्रसंस्कृत खाद्य (ग्वार गम, अनाज से तैयार वस्तुएं और अल्कोहल पेय आदि)	176.88	415.48	1007.33	1171.97	1324.07	1835.91	फिलिपिन्स, अमेरिका, जर्मनी, जापान, नीदरलैंड, बेल्जियम, श्रीलंका, फ्रांस, बंगला देश, नेपाल, इटली, सं.अ.अ., भूटान रूस, यमन, सऊदी अरब, अमेरिका।
अनाज (बासमती और गैर बासमती चावल)	490.60	1205.57	4914.00	4568.06	2511.96	3172.35	कुवैत, ब्रिटेन, सं.अ. अ., रूस, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, बंगला देश।
समुद्री उत्पाद	307.30	3575.27	296.27	3501.11	378.19	4121.36	जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, स्पेन, रूस, चीन, हालैंड।

ऊर्जा उत्पादन

1195. **श्री माधव राव पाटील :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और अब तक कितने लक्ष्य प्राप्त कर लिये गए हैं;

(ख) क्या समान नीति के अभाव में इन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका है;

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) इस क्षेत्र में ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए राज्यों को कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन के लिए राज्यों को और अधिक धनराशि आवंटित करने का है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जिन कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यवार लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान अपारंपरिक स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों तथा प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। इन कार्यक्रमों के संबंध में जिनमें कोई राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार उपलब्धि विवरण-II में दी गई है।

(ख) और (ग) अधिकतर अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों का कार्यान्वयन राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है तथा लक्ष्यों की उपलब्धि यथावश्यक मुख्य रूप से राज्य सरकारों से बराबर की धनराशि की उपलब्धता, अक्षय स्रोतों से विद्युत के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक तंत्र अनुकूल नीति की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने देश में अपारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन व उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं। कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति का गहन एवं नियमित प्रबोधन किया जाता है। राज्यों को लगातार कहा जाता है कि वे कार्यान्वयन तंत्र को सुदृढ़ करें तथा आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराएं तथा अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को प्राथमिकता दें। मंत्रालय ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए उत्पादित विद्युत की निकासी, वीलिंग. बैंकिग व तृतीय पक्ष की बिक्री तथा राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा खरीद वापसी के लिए नीति घोषित करने हेतु राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन के लिए राज्यों को कुल 310.95 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

(ङ) और (च) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए मंत्रालय ने, नवीं पंचवर्षीय योजना काल के दौरान 1700 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा है, जिसका कार्यक्रमवार विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों जिनके अंतर्गत राज्यवार लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, के बारे में पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1995-96 से 1997-98 के दौरान राज्यवार लक्ष्य व उपलब्धियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बायोगैस		उन्नत चूल्हा		पीवीएलएस		एसपीवीविद्युत संयंत्र	
		लक्ष्य सं०	उपलब्धि (सं)	लक्ष्य (सं)	उपलब्धि (सं)	लक्ष्य (सं)	उपलब्धि (सं)	लक्ष्य (केडब्लयूपी)	उपलब्धि (केडब्लयूपी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	48000	57781	600000	749304	15050	5383	3.00	8.76
2.	अरुणाचल प्रदेश	160	226	21000	2578	4036	1142	-	-
3.	असम	3400	8784	105000	21803	800	350	4.50	2.00
4.	बिहार	1250	13381	145000	38030	32696	23544	-	-
5.	गोवा	270	12224	196000	24504	50	45	-	-
6.	गुजरात	51000	40636	25000	232581	9200	6127	-	-
7.	हरियाणा	52000	6190	135000	77244	16734	12759	-	-
8.	हिमाचल प्रदेश	3600	4069	96850	107785	17300	14485	-	-
9.	जम्मू एवं कश्मीर	300	346	115000	65000	18780	4840	83.70	-
10.	कर्नाटक	57500	60941	323000	245626	2900	1168	-	-
11.	केरल	4200	8051	257000	201177	25815	18268	-	-
12.	मध्य प्रदेश	54000	57185	730000	846750	4308	5050	-	-
13.	महाराष्ट्र	32500	48226	500000	511207	2600	319	-	-
14.	मणिपुर	550	614	25000	13235	2534	2706	-	5.00
15.	मेघालय	275	70	12550	500	1600	750	3.00	3.00
16.	मिजोरम	420	367	21000	8950	550	401	-	-
17.	नागालैंड	700	485	15600	2607	-	-	-	-
18.	उड़ीसा	29500	33333	440000	516293	11590	2724	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	पंजाब	14000	13044	215000	196000	7430	1724	21.00	–
20.	राजस्थान	3000	7642	450000	492661	17400	10513	–	153.95
21.	सिक्किम	600	599	15000	15439	50	183	–	–
22.	तमिलनाडु	15000	13785	525000	637602	9282	2447	–	–
23.	त्रिपुरा	200	242	50000	18996	4087	2396	–	–
24.	उत्तर प्रदेश	33000	44779	770000	755871	56500	58222	–	47.00
25.	पश्चिम बंगाल	25000	38083	450000	540864	8150	5267	103.00	27.00
26.	अंडमान व निकोबार	20	17	5500	5749	–	352	–	15.00
27.	चंडीगढ़	30	5	61000	2550	1175	200	–	–
28.	दादर व नागर हवेली	16	6	3200	3199	–	–	–	–
29.	दमन व दीव	–	–	29500	–	–	–	–	–
30.	दिल्ली	24	16	950	23739	5300	2153	–	–
31.	लक्षद्वीप	–	–	10250	896	700	1195	–	–
32.	पांडिचेरी	20	4	–	10385	1500	164	–	–
33.	अन्य	–	–		2489982	–	–	–	–

सीबीपी – सामुदायिक बायोगैस संयंत्र, एनबीपी – विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र, आई.बी.पी. – संस्थागत बायोगैस संयंत्र, पी.वी.एल.एस. – प्रकाश रोशनी प्रणाली, एस.पी.वी.-सौर प्रकाशवोल्टीय, के.डब्ल्यू.पी.-किलोवाट पीक

विवरण-II

अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों जिनके अंतर्गत कोई राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं, के बारे में पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1995-96 से 1997-98 के दौरान राज्यवार उपलब्धियाँ

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बायोमास गैसीफायर स्थापित (सं/किवा0)	आईआरईपी लाभान्वित ब्लॉक (सं)	एसएडीपी उनुमोदित (सं)	सौर कुकर (सं बेची गई)	सौर प्रकाशवोल्टीय जल पंप स्थापित (सं)	पवन पंप अनुमोदित (सं)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	105/6760	32	10	3491	236	3
2.	अरूणाचल प्रदेश	–	10	4	198	–	–
3.	असम	1/300	21	3	–	25	–
4.	बिहार	–	56	9	–	81	–
5.	गोवा	–	5	1	527	12	–
6.	गुजरात	11/532	25	3	7810	19	98
7.	हरियाणा	–	38	5	2878	20	–

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	हिमाचल प्रदेश	–	45	3	3664	6	–
9.	जम्मू व कश्मीर	–	28	–	259	12	–
10.	कर्नाटक	10/1820	42	9	250	153	21
11.	केरल	10/615	44	11	6	284	70
12.	मध्य प्रदेश	18/2500	85	99	40196	35	–
13.	महाराष्ट्र	6/1211	37	10	6053	90	28
14.	मणिपुर	–	19	7	165	12	–
15.	मेघालय	–	16	–	200	42	–
16.	मिजोरम	–	11	3	–	28	–
17.	नागालैंड	–	25	–	–	–	–
18.	उड़ीसा	–	45	4	756	1	–
19.	पंजाब	–	40	11	6231	80	–
20.	राजस्थान	–	36	3	2292	188	150
21.	सिक्किम	–	4	–	–	–	–
22.	तमिलनाडु	13/540	21	7	8	412	25
23.	त्रिपुरा	–	6	3	35	–	–
24.	उत्तर प्रदेश	–	115	3	7780	97	–
25.	पश्चिम बंगाल	5/500	34	3	2022	32	–
26.	अंडमान व निकोबार	–	5	3	–	–	2
27.	चंडीगढ़	–	1	2	165	7	–
28.	दादर व नागर हवेली	–	1	–	–	–	–
29.	दमन व दीव	–	1	–	–	–	–
30.	दिल्ली	–	5	8	446	42	–
31.	लक्षद्वीप	–	–	1	–	–	–
32.	पांडिचेरी	–	6	2	74	–	–

आईआरईपी – एकीकृत ग्राम ऊर्जा कार्यक्रम

एसएडीपी – विशेष क्षेत्र प्रदर्शन कार्यक्रम

अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों जिनके अंतर्गत कोई राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं, के बारे में पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1995-96 से 1997-98 के दौरान राज्यवार उपलब्धियां।

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	लघुपन विद्युत स्थापित (मे० वा०)	पवन विद्युत स्थापित (मे० वा०)	बायोमास विद्युत सहउत्पादन स्थापित (मे० वा०)	सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत अनुमोदित (सं x कि० वा०)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1.00	50	1.00	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.00	–	–	–

1 2	3	4	5	6
3. असम	0.20	–	–	–
4. बिहार	0.40	–	–	–
5. गोवा	–	–	–	–
6. गुजरात	–	99	–	–
7. हरियाणा	–	–	–	–
8. हिमाचल प्रदेश	0.32	–	–	–
9. जम्मू व कश्मीर	2.06	–	–	–
10. कर्नाटक	13.85	16	1.00	1 X 50
11. केरल	3.50	2	–	1 X 25
12. मध्य प्रदेश	2.05	12	–	1 X 100, 1 X 25
13. महाराष्ट्र	3.24	3	4.50	–
14. मणिपुर	1.40	–	–	–
15. मेघालय	–	–	–	–
16. मिजोरम	2.00	–	–	–
17. नागालैंड	–	–	–	–
18. उड़ीसा	0.76	–	–	1 X 50
19. पंजाब	–	–	–	–
20. राजस्थान	2.30	–	–	–
21. सिक्किम	2.35	–	–	–
22. तमिलनाडु	–	433	68.00	2 X 25
23. त्रिपुरा	–	–	–	–
24. उत्तर प्रदेश	5.76	–	14.50	1 X 100, 1 X 25
25. पश्चिम बंगाल	0.52	–	–	1 X 25
26. अंडमान व निकोबार	–	–	–	–
27. चंडीगढ़	–	–	–	–
28. दादर व नागर हवेली	–	–	–	–
29. दमन व दीव	–	–	–	–
30. दिल्ली	–	–	–	–
31. लक्षद्वीप	–	–	–	–
32. पांडिचेरी	–	–	–	–

विवरण-III

कार्यक्रमवार प्रस्तावित 9वीं योजना वित्तीय परिव्यय

	9वीं योजना परिव्यय (करोड़ रुपये में)
बायोगैस एनपीबीडी	264.00
सीबीपी/आईबीपी/एनबीपी	30.00
उन्नत चूल्हा	84.00
बायोमास/गैसफायर	19.34
एकीकृत ग्राम ऊर्जा कार्यक्रम	168.00
ऊर्जा ग्राम	0.00
विशेष क्षेत्र प्रदर्शन कार्यक्रम	6.90
पशु ऊर्जा कार्यक्रम	2.76
एसपीवी प्रदर्शन कार्यक्रम	162.50
एसपीवी पंप	66.50
एसपीवी अनुसंधान एवं विकास	15.00
सौर तापीय ऊर्जा कार्यक्रम	60.00
सौर ऊर्जा केंद्र	24.00
पवन पंप और हाइब्रिड प्रणालियां	8.00
पवन विद्युत	63.00
लघु पन विद्युत	147.00
बायोमास विद्युत	126.00
सौर विद्युत	63.00
शहरी व औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा	42.00
नई प्रौद्योगिकी	
ऊर्जा के रसायनिक स्रोत	6.00
हाइड्रोजन ऊर्जा	3.50
परिवहन के लिए वैकल्पिक ईंधन	6.50
महासागरीय ऊर्जा	2.00
भूतापीय ऊर्जा	2.00
सूचना व जनजागरूकता	12.25
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	4.88
टीआईएफएसी सैल	1.95
सेमिनार	0.97
क्षेत्रीय कार्यालय	1.95
इरेडा के साम्या	250.00
राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा संस्थान	48.00
राज्य नोडल एजेंसी - उत्तर पूर्वी	8.00
कुल (डीबीएस)	1700.00
इरेडा की बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना के लिए बराबर का निधियन	299.62
आई ई बी आर	1741.61
कुल	3741.23

एनपीबीडी - राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना
सीबीपी/आईबीपी/एनबीपी - सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र
एसपीवी - सौर प्रकाशवोल्टीय
टीआईएफएसी - प्रौद्योगिकी सूचना, भविष्यवाणी तथा निर्धारण परिषद्
डीबीएस - घरेलू बजटीय सहायता
आइआरइडीए (इरेडा) - भारतीय अक्षय उर्जा विकास संस्था
आई ई बी आर - आंतरिक तथा अतिरिक्त बजटीय संसाधन।

भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड

1196. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के प्रावधान के अनुसार रोपड़, हरिके और फिरोजपुर के हेडवर्क्स का नियंत्रण भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड (बी.बी.एम.बी.) के पास होना है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या पंजाब सरकार ने इन हेडवर्क्स को बी.बी.एम.बी. को सौंप दिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस संबंध में पंजाब सरकार को निर्देश जारी करने का है;

(घ) यदि हाँ, तो ऐसे निर्देश कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हाँ।

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) में रोपड़, हरीके और फिरोजपुर के सिंचाई मुख्य कार्यों का प्रशासन, अनुरक्षण और प्रचालन भाखड़ा व्यास प्रबंध मण्डल द्वारा किये जाने की व्यवस्था है।

(ख) जी, नहीं।

पंजाब सरकार द्वारा इन मुख्य कार्यों का नियंत्रण भाखड़ा व्यास प्रबंध मण्डल को अभी हस्तांतरित किया जाना है।

(ग) से (ङ) विद्युत मंत्रालय और भाखड़ा व्यास प्रबंध मण्डल ने पंजाब सरकार को रोपड़, हरीके और फिरोजपुर के मुख्य कार्यों को भाखड़ा व्यास प्रबंध मण्डल को हस्तान्तरित करने का अनुरोध किया है। तथापि, पंजाब अब तक इन मुख्य कार्यों का नियंत्रण हस्तान्तरित करने पर सहमत नहीं हुआ है। भाखड़ा व्यास प्रबंध मण्डल के अनुसार अधिशेष रावी-व्यास और सतलज जल में सहभागी राज्यों का हिस्सा पंजाब और हरियाणा में विभिन्न सम्पर्क/नियंत्रण स्थलों के जरिए उपलब्ध कराया जाता है और केवल मुख्य कार्यों का नियंत्रण हस्तान्तरित करने से उद्देश्य पूरा नहीं होगा। भाखड़ा व्यास प्रबंध मण्डल के अनुसार उत्कृष्ट प्रबंध यह होगा कि सभी सहभागी राज्य सभी संबंधित राज्यों का प्रतिनिधित्व वाली भाखड़ा व्यास प्रबंध मण्डल की तकनीकी समिति द्वारा किये गये वितरण का सम्मान करेंगे और विभिन्न नियंत्रण स्थलों पर सही आपूर्ति पहुंचायेंगे।

थोरियम का उपयोग

1197. श्री चंदू लाल अजमीरा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने परमाणु रिएक्टरों द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में थोरियम का उपयोग करने संबंधी कोई प्रौद्योगिकी विकसित की है; और

(ख) यदि हाँ, तो थोरियम आधारित परमाणु विद्युत संयंत्र को कब तक चालू कर दिए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हाँ। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी) ट्राम्बे में स्थित अनुसंधान रिएक्टरों में इन अनेक वर्षों में किए गए अनुसंधान और विकास-कार्य से थोरियम को सफलतापूर्वक यूरेनियम (233) में तबदील कर दिया गया है। किरणित थोरियम छड़ों में से यूरेनियम (233) का पुनर्संसाधन भी भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र (आई.जी.सी.आर.), कलपाक्कम दोनों जगहों पर किया गया है। परमाणु विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा विभाग का अनुसंधान और विकास-कार्य तीन चरणों वाली एक दीर्घावधि रणनीति की ओर उन्मुख है अर्थात् प्रथम चरण के रूप में दाबित भारी पानी रिएक्टरों की वर्तमान पीढ़ी है, दूसरे चरण में प्लूटोनियम-ईंधन चालित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है तथा तीसरे चरण में यूरेनियम (233) - थोरियम ईंधन चक्र पर चलाए जाने वाले रिएक्टर हैं।

(ख) प्रगत भारी पानी रिएक्टर जिन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि वे अपनी अधिकांश ऊर्जा थोरियम से प्राप्त करें, का इस समय अभियांत्रिकी विकास किया जा रहा है। इस बारे में अभी से बताना मुश्किल है कि थोरियम आधारित परमाणु विद्युत संयंत्रों का किस समय तक प्रचालन शुरू किया जा सकेगा।

[हिन्दी]

विदेश स्थित भारतीय मिशन

1198. डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेश स्थित भारतीय मिशनों द्वारा किए जा रहे प्रचार कार्य के प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु कोई समिति गठित की है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सोयाबीन का उत्पादन

1199. डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष सोयाबीन के उत्पादन में गिरावट आई है;

(ख) क्या सरकार का विचार सोयाबीन की मांग और पूर्ति को ध्यान में रखते हुए सोयाबीन आयात करने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं। 1997-98 के दौरान सोयाबीन का उत्पादन 65.21 लाख मी. टन होने का अनुमान है जबकि 1996-97 के दौरान इसका उत्पादन 52.02 लाख मी. टन था। यह सोयाबीन के मामले में अब तक का सबसे अधिक उत्पादन है।

(ख) और (ग) वाणिज्य मंत्रालय ने एक मिलियन टन सोयाबीन के आयात पर विचार किया है बशर्ते हानिकारक रोगजनकों के प्रवेश के संबंध में संगरोध विषयक मानदण्ड पूरे किए जाएं। अब तक किसी आयात की अनुमति नहीं दी गई है।

[अनुवाद]

बागवानी पुष्प कृषि को बढ़ावा देना

1200. श्री के. येरननायडू :
श्री नरेन्द्र बुढानिया :
श्री टी. गोविन्दन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1997 के दौरान आज तक राज्यों में बागवानी और पुष्प कृषि को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार को बागवानी और पुष्प कृषि विकास के संबंध में कोई प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) वर्ष 1997-98 के दौरान कृषि तथा सहकारिता विभाग की विभिन्न बागवानी योजना के अन्तर्गत राज्यों को बागवानी तथा पुष्प कृषि के विकास के लिये प्रोत्साहन देने हेतु 182.42 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। बहुत से राज्यों ने उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिये क्षेत्र विस्तार रोपण सामग्री की आपूर्ति, ड्रिप सिंचाई तथा प्रशिक्षण अपनाने के मामले में प्रगति की रिपोर्ट दी है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर 1997-98 के दौरान विभिन्न बागवानी फसलों के तहत 53,809 हेक्टे. अतिरिक्त क्षेत्र को शामिल किया गया है।

दूतावासों में खर्च

1201. **श्री कमल नाथ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न देशों में दूतावासों, उच्चायोगों और वाणिज्य महादूतावासों पर पिछले वर्ष देश-वार कुल कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ख) गत वित्तीय वर्ष के दौरान इन दूतावासों द्वारा मनोरंजन और परिवहन पर वार्षिक रूप से देश-वार कुल कितनी धनराशि खर्च की गई?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) विदेश स्थित दूतावासों/केन्द्रों द्वारा किए गए व्यय की कुल राशि के संबंध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) मंत्रालय इस प्रथा का अनुकरण करती रही है कि इन आंकड़ों का उपयोग केवल आन्तरिक प्रयोग के लिए किया जाए।

विवरण

वित्तीय वर्ष 97-98 के दौरान विदेश स्थित भारतीय दूतावासों द्वारा किया गया व्यय

दूतावास/केन्द्र	कुल व्यय (रुपए में)
1	2
आबिदजान	16777962
आबूधाबी	50689660
अकरा	21076500
आदिस अबाबा	16722580
अल्जीयर्स	20751319
अल्माती	31554973
अमान	10119396
अंकारा	32117331
आश्गाबात	14584329
एथेन्स	17108499
बगदाद	12694243
बहरीन	38471244
बैंकाक	43703798
बीजिंग	82343174
बेरूत	23700882
बेलग्रेड	17317504
बर्लिन	26353611
बर्न	4730525
बर्मिंघम	33051951
बिश्केक	26853628
बगोटा	26109033
बॉन	121361396
ब्रासीलिया	33787388
ब्राटीस्लावा	21134997
ब्रूनी	25642587
ब्रसल्स	59912811
बुखारेस्ट	16195243
बुडापेस्ट	21346652
ब्यूनस आइरस	40096621
काहिरा	42082029
कैनबरा	30856413
केपटाउन	13990658
कराकस	21549481
शिकागो	48689107
चियांगमाई	5027863

1	2
चटगांव	9975614
कोलम्बो	53569376
कोपनहेगन	26353751
डकर	13121610
दमिश्क	25610459
दार-ए-स्सलाम	27611727
ढाका	58977689
दोहा	33135031
दुबई	57722837
डबलिन	20823630
डरबन	32279377
दुशांबे	19002393
फ्रेंक्फर्ट	26668326
गैबरोन	20255262
गाजा	11206722
जेनेवा	98563779
जार्जटाउन	16448080
ग्लासगो	22284455
हेग	41981647
हैमबर्ग	4210365
हनोई	37494584
हरारे	17212272
हवाना	20064682
हेलसिंकी	17551897
हो-चि-मिन्ह सिटी	19537448
हांगकांग	63817536
ह्यूस्टन	38616379
इस्लामाबाद	78907590
इस्तांबुल	18084313
जकार्ता	33867194
जद्दाह	131992630
जोहन्सबर्ग	23992417
कम्पाला	20935676
कैंडी	10472936
कराची	139180
काठमांडू	63022744
खार्तूम	100067459
कीव	39730452
किंगस्टन	14680173
कोबे	33009905
कुआलालम्पुर	40857588
कुवैत	56202701
लागौस	18535187
लीमा	15408163
लिस्बन	19406163
लंदन	264504126
लुआंडा	16352271
लुसाका	22740250
मडागास्कर	15946470
मैड्रिड	33905926
माहे	13560208
माले	28322009
माल्टा	6997839
ननीला	17473381
मापूतो	14865961
मेडन	4551848
मैक्सिको	20993279
मिलान	20214220
मिंस्क	16702810
मोम्बासा	5867585
मास्को	104205903
मस्कट	35652097
नैरोबी	26742122
न्यूयार्क (सीजीआई)	60699305

1	2
न्यूयार्क (पीएमआई)	19172510
निकोसिया	12736099
ओडेसा	5821235
ओस्लो	26153393
ओटावा	38813256
ओगादूगो	4986239
पनामा	25491153
पेरिस	124464081
नोमपेन्ह	18285763
फुंटशोलिंग	2682676
पोर्टलुई	32080793
पोर्ट मोरसबी	19613330
पोर्ट सईद	3825821
प्राग	41150995
प्रीटोरिया	54196111
प्योंगयांग	10171958
रबत	21651292
राजशाही	1170027
रियूनियन आईसलैंड	10406560
रियाद	62305533
रोम	4855050
सान फ्रांसिस्को	42077719
साना	13771734
सान्तियागो	19115816
साउ पाउलो	28967461
सियोल	31374145
शंघाई	41407613
शिराज	5235486
सिंगापुर	54059315
सोफिया	17218159
सेंट पीटर्सबर्ग	19125630

1	2
स्टॉकहाम	25936660
सूरीनाम	14511205
सिडनी	20929825
ताशकंद	29851169
तेहरान	41391178
तेलअबीब	57789853
थिम्पू	28043536
टोक्यो	107892374
टॉरेंटो	20380181
त्रिनिडाड	21845068
त्रिपोली	26661540
ट्यूनिस	8805070
उलानबटोर	22380717
बैनकूवर	27202453
विएना	51687784
विएनतिआने	11036812
व्लाडीवोस्टोक	10498013
वारसा	27715492
वाशिंगटन	207188448
वैलिंगटन	22702884
विंडहोक	18290578
यांगोन	33746459
जगरेब	15658040
जाहिदान	4507799
जंजीबार	5744680

झींगा और मत्स्य पालन

1202. श्री तथागत सत्पथी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विश्व बैंक की सहायता से कुछ झींगा और मत्स्यन पालन परियोजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ये परियोजनाएं किन-किन राज्यों में चलाई जा रही हैं;

(ग) इन परियोजनाओं के लिए अब तक विश्व बैंक से कितनी धनराशि प्राप्त की गई है;

(घ) क्या इनमें से कोई परियोजना उड़ीसा में चलाई जा रही है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त झींगा और मत्स्य पालन परियोजना को आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ग) इस परियोजना के लिए जुलाई, 1997 तक विश्व बैंक से प्राप्त सहायता की कुल राशि 43.90 करोड़ रुपए हैं।

(घ) और (ङ) जी, हाँ। उड़ीसा में झींगा घटक के अंतर्गत केन्द्रपाड़ा जिले में जगतजोर - बनापाड़ा में कुल 283 हैक्टेयर क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा झींगा घटक के अंतर्गत चरणबद्ध विकास के लिए 79 जलाशयों को शामिल किया गया है जो 28364 हैक्टेयर क्षेत्र को कवर करेंगे।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

1203. श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री चेंगारा सुरेन्द्रन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 मई, 1998 के "हिन्दुस्तान टाइम्स", नई दिल्ली संस्करण में "एमपीज लोकल एरिया स्कीम, सी.ए.जी फलेज आन्ध्र प्रदेश फार लूपहोल्स इन प्लान" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि परियोजनाओं को मंजूरी देने तथा निधियों को जारी करने में जिला कलेक्टरों द्वारा इस संबंध में जारी मार्गनिदेशों का उल्लंघन न हो?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार को 31.3.97 को समाप्त वर्ष के लिए एमपीलैड्स योजना पर सी.ए.जी. की मसौदा समीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें कि मार्गदर्शी सिद्धांतों से विचलित होने के कुछ मामले सामने आए हैं। उन्होंने जिलाधिकारियों को निदेश दिए हैं कि एमपीलैड्स योजना के अंतर्गत कार्यों का अनुमोदन एवं कार्यान्वयन करते समय मार्गदर्शी सिद्धांतों का सावधानीपूर्वक पालन किया जाना चाहिए।

दुधारू पशु/पशुचारा

1204. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दुधारू पशुओं की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या केरल में दुधारू पशुओं की संख्या में पिछले कुछेक वर्षों में काफी वृद्धि की गई है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केरल राज्य सरकार ने राज्य में पशुचारा संयंत्रों के प्रसार के लिए धन की मांग की है; और

(ङ) यदि हाँ, तो सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) पिछली पशुधन गणना, 1992 के अनुसार देश में दुधारू गोपशुओं की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। केरल में 1987 से 1992 तक के दौरान दुधारू गोपशुओं की वार्षिक विकास दर 1982 से 1987 तक 1.64 प्रतिशत से घटकर 0.69 प्रतिशत हो गई।

(घ) और (ङ) केरल राज्य सरकार ने वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें आधुनिक वैज्ञानिक आहार विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए द्विपक्षीय वित्तीय सहायता का अनुरोध किया गया है।

विवरण

दुधारू गोपशुओं की संख्या (1992) (अनन्तिम)

('000 संख्या में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	गोपशु					
		वर्ण-संकरित			स्वदेशी		
		दुध में	शुष्क	कुल	दुध में	शुष्क	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	153	52	205	1269	902	2171
2.	अरूणाचल प्रदेश	4	1	5	40	33	77
3.	असम	82	40	122	1697	891	2588
4.	बिहार	35	24	59	1767	3187	4954
5.	गोवा	3	1	4	11	13	24
6.	गुजरात	95	26	121	1220	658	1878

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	हरियाणा	100	38	138	338	139	477
8.	हिमाचल प्रदेश	84	29	113	301	235	536
9.	जम्मू एवं कश्मीर	167	49	216	417	264	681
10.	कर्नाटक	184	74	258	1698	1698	3396
11.	केरल	583	259	842	467	292	759
12.	मध्य प्रदेश	60	28	88	4146	4284	8430
13.	महाराष्ट्र	549	278	827	1999	2443	4442
14.	मणिपुर	13	12	25	68	59	127
15.	मेघालय	6	2	8	95	59	154
16.	मिजोरम	2	1	3	9	6	15
17.	नागालैंड	25	10	35	38	13	51
18.	उड़ीसा	153	85	238	1691	1986	3677
19.	पंजाब	456	186	642	262	124	386
20.	राजस्थान	27	13	40	2084	2088	4172
21.	तमिलनाडु	506	219	725	1420	808	2228
22.	त्रिपुरा	29	14	43	137	103	240
23.	उत्तर प्रदेश	367	218	585	3356	2412	5768
24.	पश्चिम बंगाल	290	107	397	2943	1716	4659
25.	सिक्किम	9	4	13	23	15	38
संघ शासित प्रदेश							
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1	-	1	10	7	17
2.	चण्डीगढ़	3	2	5	-	-	-
3.	दादर व नगर हवेली	-	-	-	4	7	11
4.	दमन एव दीव	-	-	-	1	1	2
5.	दिल्ली	7	1	8	15	2	17
6.	लक्षद्वीप	-	-	-	1	-	1
7.	पांडिचेरी	18	8	26	7	4	11
	सकल योग	4011	1781	5792	27534	2449	51983

नदियों को जोड़ना

1205. **श्री रंजीब बिस्वाल :**
श्री नृपेन गोस्वामी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इसका अनुमान लगाया है कि प्रत्येक वर्ष बड़ी नदियों का कितना पानी समुद्र में व्यर्थ चला जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के जल संसाधनों का विकास करने के लिए कोई समेकित योजना तैयार करने हेतु कोई आयोग बनाया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी निदेश पद क्या हैं;

(ङ) क्या आयोग को दक्षिण की नदियों को हिमालय से निकलने वाली नदियों के साथ जोड़ने हेतु कोई कार्य योजना तैयार करने का कार्य सौंपा गया है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) जी, हाँ। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किए गए आकलन के अनुसार नदियों में उपलब्ध औसत वार्षिक प्रवाह लगभग 1869 बिलियन घन मीटर है। स्थलाकृतिक, जलवैज्ञानिक और अन्य बाधाओं के कारण वार्षिक पुनर्भरणीय भूजल संसाधन जो लगभग 432 बिलियन घन मीटर है के अलावा उपयोज्य सतही जल 690 बिलियन घन मीटर आंका गया है। वर्ष 1994 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 606 बिलियन घन मीटर सतही और भूजल का उपयोग किया जा रहा है शेष 516 बिलियन घन मीटर उपयोज्य जल अप्रयुक्त रह जाता है।

(ग) से (च) भारत सरकार द्वारा 13 सितम्बर, 1996 को एकीकृत जल संसाधन विकास योजना के लिए राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया गया है। इसके विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :-

(i) पेय, सिंचाई, औद्योगिक, बाढ़ नियंत्रण एवं अन्य प्रयोजनों के लिए जल संसाधनों के विकास से संबंधित एकीकृत जल योजना तैयार करना;

(ii) उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नदियों को परस्पर जोड़कर अधिशेष जल का हस्तान्तरण जल की कमी वाले बेसिनों में करने की रीतियों का सुझाव देना;

(iii) चल रही एवं नई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का पता लगाना जिन्हें चरणबद्ध ढंग से प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए;

(iv) लाभों को अधिकतम करने की दृष्टि से जल के क्षेत्र से संबंधित प्रौद्योगिकीय एवं अंतर्विषयी अनुसंधान योजना का पता लगाना;

(v) जल क्षेत्र से संबंधित वास्तविक एवं वित्तीय संसाधन जुटाने संबंधी नीतियों का सुझाव देना;

(vi) अन्य कोई संबंधित मामला।

पशुपालन का विकास

1206. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :
श्रीमती सूर्यकांता पाटिल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में तथा विशेषकर बिहार एवं महाराष्ट्र में पुशपालन एवं डेरी के विकास की भारी संभावना है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए देश में विशेषकर बिहार तथा महाराष्ट्र में पुशपालन तथा डेरी का विकास करने हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस उद्देश्य से देश में तथा विशेषकर बिहार में किसी शोध केन्द्र की स्थापना करने का है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) चालू वर्ष में प्रत्येक राज्य में डेरी के विकास हेतु निर्धारित लक्ष्य क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) पशुपालन राज्य का विषय है। पशुपालन और डेयरी विकास के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों की पूर्ति करने के उद्देश्य से भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग विभिन्न पशुपालन योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। प्रमुख योजनाएं नीचे दी गई हैं :-

1. हिमित वीर्य विस्तार प्रौद्योगिकी और संतति परीक्षण कार्यक्रम।

2. राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम।

3. राष्ट्रीय मृग/मेढ़ा/खरगोश उत्पादन कार्यक्रम।

4. एकीकृत सूअर विकास के लिए राज्यों की सहायता।

5. राज्य चारा फार्मों को सहायता।

6. पशुधन रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता।

7. राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन कार्यक्रम परियोजना।

8. गैर-ऑपरेशन फ्लड, पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी विकास परियोजना।

इसके अलावा, यह विभाग राज्यों को बेहतर जर्म प्लाज्म वितरित करने के लिए पशुधन फार्म (गोपशु, भेड़, कुक्कुट, चारा आदि) भी चलाता है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश में 15 अनुसंधान केन्द्र स्थपित किए हैं जो पशुपालन क्षेत्र में अनुसंधान आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं।

(च) डेयरी विकास के अंतर्गत लक्ष्य राज्य सरकारों द्वारा निश्चित किए जाते हैं।

[हिन्दी]

जल विद्युत परियोजनाएं

1207. श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कुछ लघुजल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजन के लिए पहचान किए गए स्थानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं के लिए जुटाए जाने वाले संसाधनों और प्रौद्योगिकी का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) 155.38 मे.वा. समग्र क्षमता की लघुपन विद्युत परियोजनाएं 24 राज्यों में पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं तथा 230.4 मे.वा. क्षमता की परियोजनाएं 23 राज्यों में निर्माणाधीन हैं, 3 मे.वा. केंद्र क्षमता वाली इन परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) अभी तक 26 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के करीब 2700 स्थल जिनकी लगभग 2000 मे.वा. की कुल संभाव्यता है, की पहचान की गई है।

(घ) अब तक आरंभ की गई परियोजनाएं मुख्यतः राज्य क्षेत्रों में आरंभ की गई हैं, जिनके लिए संसाधन मुख्य रूप से

संबंधित राज्य योजनाओं में उपलब्ध कराये जाते हैं, संसाधनों को बढ़ाने के उद्देश्य से, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा नई परियोजनाओं में निजी क्षेत्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय भी वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से 3 मे.वा. तक की स्टेशन क्षमता वाली लघु पन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित कर रहा है। इन परियोजनाओं के लिए स्वदेशी तकनीक उपलब्ध है। उपकरणों की आपूर्ति साधारणतया घरेलू निर्माताओं द्वारा की जा रही है।

विवरण

3 मे.वा. तक की स्टेशन क्षमता वाले स्थापित/निर्माणाधीन लघु पन विद्युत केन्द्रों की राज्यवार सूची

क्र. सं.	राज्य के नाम	स्थापित क्षमता (सं)	स्थापित क्षमता (मे० वा०)	निर्माणाधीन क्षमता (सं)	निर्माणाधीन क्षमता (मे० वा०)
1	2	3	4	5	6
1.	हरियाणा	1	0.2	1	0.1
2.	हिमाचल प्रदेश	14	9.49	18	11.19
3.	जम्मू एवं कश्मीर	15	4.37	10	11.20
4.	पंजाब	4	3.90	8	9.50
5.	राजस्थान	5	4.32	1	0.54
6.	उत्तर प्रदेश	61	32.54	25	19.73
7.	गुजरात	1	2.00	-	-
8.	मध्य प्रदेश	5	3.25	8	14.40
9.	महाराष्ट्र	5	6.82	4	6.20
10.	आंध्र प्रदेश	7	7.01	36	42.10
11.	कर्नाटक	12	17.20	18	23.17
12.	केरल	4	3.52	6	14.00
13.	तमिलनाडु	3	4.75	4	6.40
14.	बिहार	4	0.04	5	2.46
15.	उड़ीसा	3	1.26	7	9.92
16.	सिक्किम	8	9.25	2	3.20
17.	पश्चिम बंगाल	8	7.98	7	9.23
18.	अरूणाचल प्रदेश	30	20.15	17	20.63
19.	असम	2	2.20	-	-
20.	मणिपुर	6	4.10	4	3.50
21.	मेघालय	1	1.51	7	0.28
22.	मिजोरम	9	5.36	9	8.80
23.	नागालैंड	5	3.17	4	5.50
24.	त्रिपुरा	2	1.01	1	0.10
25.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	-	-	1	2.25
	कुल	216	155.38	208	230.40

पासपोर्ट नवीकरण

1208. श्री महेश कनोडिया :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पासपोर्ट-धारकों को पासपोर्ट का नवीकरण, उसमें पता बदलने और मूल पासपोर्ट खोने पर डुप्लिकेट पासपोर्ट प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में पासपोर्ट कार्यालय-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई; और

(ग) इन शिकायतों के आधार पर कितने कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) पासपोर्ट धारकों को दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं जैसे नवीकरण, पते में परिवर्तन, डुप्लिकेट पासपोर्ट जारी करने आदि की व्यवस्था के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। सभी पासपोर्ट अधिकारियों को ऐसे आवेदकों की अपेक्षाओं का तुरन्त समाधान निकालने के स्थायी अनुदेश दिये गये हैं। बशर्ते कि सभी कागजात पूर्ण हों। आवेदकों का मार्ग-दर्शन करने तथा उनकी सुविधा के लिए पासपोर्ट कार्यालयों में पूछताछ/सूचना केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों से ऊपर (क) में उल्लिखित विशिष्ठ सेवाओं से संबंधित शिकायतों का कोई सांख्यिकीय रिकार्ड नहीं है। विदेश मंत्रालय तथा सभी पासपोर्ट कार्यालयों में एक लोक शिकायत निवारण तंत्र कार्य कर रहा है ताकि सामान्य जनता से प्राप्त शिकायतों का निवारण किया जा सके।

(ग) मामला सिद्ध हो जाने पर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। पिछले दो वर्षों में ऊपर (क) में उल्लिखित पासपोर्ट कार्यालय के किसी अधिकारी के विरुद्ध विशिष्ठ सेवाओं से सबंधित शिकायतों को सही नहीं पाया गया है।

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम

1209. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम (एन.पी.सी.सी.) के कर्मचारियों को विगत एक वर्ष से उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा उनके वेतन का भुगतान तेजी से करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हाँ। एन.पी.सी.सी. अकार्यकारी यूनिटों में तैनात लगभग 1100 कर्मचारियों को वेतन/मजदूरी का भुगतान नहीं कर पाया है।

(ख) एन.पी.सी.सी. लिमिटेड एक रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है और उच्च रोजगार लागत, अधिशेष जनशक्ति, ऋणों पर ब्याज भार, परियोजना प्राधिकारियों से बकाया देयों की कम वसूली तथा कार्यकारी यूनिटों द्वारा अपर्याप्त निधियां जुटाने के कारण वर्ष 1989 से उसे भारी हानि हो रही है।

(ग) और (घ) भावी कार्यक्रम पर एक पुनरूद्धार योजना को अन्तिम रूप दिया गया है। यह मंत्रालय एन.पी.सी.सी. लिमिटेड को वेतन/मजदूरी के भुगतान की सांविधिक देयताओं को पूरा करने के लिए ऋण सहायता भी प्रदान कर रहा है।

[अनुवाद]

फलों पर आधारित उद्योग

1210. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विशेषकर कर्नाटक में आम, लीची, अंगूर एवं अन्य फलों पर आधारित उद्योग लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कौन-कौन सी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं अथवा क्रियान्वित की जाने वाली है तथा इस दिशा में उद्यान विभाग (एन.एच.बी.) एवं राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम विभागों द्वारा दिए गए सहयोग का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रयोजन हेतु इन विभागों द्वारा प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) खाद्य प्रंसस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं किसी राज्य में खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना नहीं करता। लेकिन इसकी योजना स्कीमों के तहत गैर सरकारी संगठनों, सहकारिताओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और उद्योग को खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए ऋण और सहायता अनुदान के रूप में सहायता दी जाती है।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्कीमें निम्नलिखित हैं :

(i) बुनियादी सुविधाओं के विकास संबंधी स्कीम।

(ii) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड निम्नलिखित स्कीमें चलाता है :

(i) बागवानी आधारित फसलों की फसलोत्तर बुनियादी सुविधा के प्रबंधन पर एकीकृत परियोजना।

(ii) बागवानी उत्पादों के विपणन का विकास।

इसी प्रकार राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एक स्कीम चला रहा है जिसके तहत फल एवं सब्जी सहकारिताओं को फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के वास्ते वित्तीय सहायता दी जाती है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भर्ती/पदोन्नति नियम

1211. श्री जी.एम. बनातवाला : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की भर्ती और पदोन्नति से संबंधित नियमों में संशोधन करने के आदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे आदेश किस तिथि को जारी किए गए और किए गए संशोधनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे संशोधन करने से पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के साथ विचार-विमर्श किया गया था;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या आयोग ने इन संशोधनों पर आपत्ति की है/विरोध किया है;

(च) यदि हाँ, तो क्या आपत्तियां की गई हैं; और

(छ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) जी, हाँ।

(ख) जनवरी 30, जुलाई 02, जुलाई 22, अगस्त 13 और अगस्त 29, 1997 के कार्यालय-ज्ञापन क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की वरिष्ठता की पुनरीक्षा किए जाने, जिन्हें आरक्षण की नीति के कारण, उनसे वरिष्ठ सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों से वरीयतः पदोन्नत कर दिया जाता है, पद पर आधारित रोस्टर का चलन आरम्भ किए जाने, पदोन्नति के संबंध में आरक्षण के मामलों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए अर्हक अंकों और मूल्यांकन के मानदंडों में ढील देना समाप्त किए जाने, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में दिनांक 15.11.97 से परे (आगे) पदोन्नति में आरक्षण जारी रखे जाने और सभी श्रेणियों के संबंध में कुल 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा निर्धारित किए जाने के बारे में है।

(ग) दिनांक जुलाई 02 और अगस्त 13, 1997 के कार्यालय-ज्ञापन जारी करने से पूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति-आयोग से परामर्श किया गया था किंतु दिनांक जनवरी 30, जुलाई 22 और अगस्त 29, 1997 के कार्यालय ज्ञापनों के बारे में उपर्युक्त आयोग से परामर्श नहीं किया गया था।

(घ) उपर्युक्त कार्यालय-ज्ञापनों में से कोई भी कार्यालय-ज्ञापन सरकार की पहल पर जारी नहीं किया गया है।

(ङ) से (छ) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति-आयोग द्वारा उठाई गई आपत्तियों का ब्यौरा और उन पर सरकार की प्रतिक्रिया, कल्याण-मंत्रालय द्वारा, उपर्युक्त सदन के पटल पर रखी जाने वाली, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की विशेष रिपोर्ट में समाविष्ट है।

महिलाओं का अवैध व्यापार

1212. श्री नरेश पुगलीया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश सरकार ने भारत से महिलाओं और बच्चों का अवैध व्यापार रोकने के लिए सहायता मांगी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या दोनों देशों ने इस मुद्दे पर चर्चा की है और इस स्थिति से निबटने के लिए कोई अन्तिम रणनीति तैयार की है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) भारत और बंगलादेश की सरकारों के बीच महिलाओं और बच्चों के अवैध दुर्व्यापार की समस्या पर चर्चा की गई है। दोनों देश महिलाओं और बच्चों के दुर्व्यापार को रोकने के लिए सहयोग देने पर सहमत हुए हैं तथा उन्होंने नागरिक प्रशासन और स्थानीय पुलिस को शामिल करके उपयुक्त कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। माले में नौवें सार्क शिखर-सम्मेलन के दौरान बंगलादेश तथा अन्य सार्क सदस्य देशों के साथ भी इस मसले पर उस समय विचार-विमर्श किया गया था जब वेश्यावृत्ति के लिए किए जाने वाले महिलाओं और बच्चों के दुर्व्यापार के अपराध से लड़ने से संबद्ध क्षेत्रीय अभिसमय बनाने की सम्भावनाओं की जांच करने का निर्णय लिया गया था।

अफगानिस्तान में भूकम्प पीड़ित लोग

1213. श्री माधवराव सिंधिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अफगानिस्तान में इस वर्ष फरवरी में आए भूकम्प पीड़ित लोगों के लिए अत्यधिक राहत सहायता प्रदान की है;

(ख) भूकम्प द्वारा हुए विध्वंस से जानमाल की कितनी हानि हुई; और

(ग) सरकार द्वारा भूकम्प पीड़ित लोगों के लिए दी गई राहत सहायता का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ग) जी, हाँ। भारत सरकार ने 17 टन राहत सामग्री भेजी। इनमें दवाई, ऊनी कम्बल, चावल और चाय शामिल हैं।

(ख) संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भूकम्प से 4868 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 720 घायल हुए, कुल 31610 व्यक्ति प्रभावित हुए। यद्यपि सम्पत्ति का भारी नुकसान हुआ था जिसका विवरण उपलब्ध नहीं है।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और केन्द्रीय सतर्कता आयोग

1214. श्री के.एस. राव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और केन्द्रीय सतर्कता आयोग का पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी विशेषज्ञ दल का गठन किया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के नए गठन को कब तक प्रभावी बनाए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) उच्चतम न्यायालय ने विनीत नारायण तथा अन्य (1998) में प्रकाशित 1, एस.सी.सी. 226 के मामले में दिए गए अपने निर्णय में व्यापक दिशा-निर्देश दिए हैं, जो केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो तथा केन्द्रीय सतर्कता-आयोग के ढांचे तथा कार्यकरण के बारे में हैं। सरकार ने उपर्युक्त निर्णय कार्यान्वित करना तय किया है।

(ख) उच्चतम न्यायालय द्वारा 18.12.1997 को विनीत नारायण तथा अन्य के मामले में दिए गए निर्णय में समाविष्ट, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो और केन्द्रीय सतर्कता-आयोग से संबंधित दिशा-निर्देश संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) स्वतंत्र समीक्षा-समिति सरकार द्वारा सितम्बर, 1997 में गठित की गई थी जिसे अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो और प्रवर्तन-निदेशालय के कार्यकरण की जांच करने एवं अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी व्यक्ति, विशेष रूप से उच्च पदों पर कार्यरत प्राधिकारियों द्वारा आरोपित रूप से किए गए अपराध दायर किए जाएं, उनकी जांच की जाए एवं ऐसे आरोपित अपराधों के संबंध में किसी भी प्रकार के भेद-भाव एवं पक्षपात के बिना शीघ्र मुकदमा चलाया जाए और यह कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में कार्यरत कार्मिकों पर इस बारे में किसी भी तरह का दबाव नहीं डाला जाए और उनका मनमाने ढंग से स्थानांतरण आदि नहीं किया जाए, के सिलसिले में यदि कोई परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो, तो उसके बारे में सुझाव देने का कार्य सौंपा गया था। उपर्युक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट नवम्बर, 1997 में प्रस्तुत कर दी। उच्चतम न्यायालय ने अपने दिशा-निर्देशों में उपर्युक्त स्वतंत्र समीक्षा-समिति की बहुत सी सिफारिशें शामिल कर लीं। इस क्रम में उपर्युक्त न्यायालय ने कई अन्य दिशा-निर्देश भी दिए। सरकार ने उच्चतम न्यायालय का निर्णय कार्यान्वित करना पहले से ही तय कर लिया है।

विवरण

I. केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो (सी.बी.आई.) तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.)

1. केन्द्रीय सतर्कता-आयोग को सांविधिक दर्जा दिया जाएगा।

2. केन्द्रीय सतर्कता-आयुक्त के पद के लिए चयन, मंत्रिमंडल सचिव द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले, उत्कृष्ट योग्यता वाले सिविल सेवकों तथा अनिन्ध सत्यनिष्ठा वाले अन्य व्यक्तियों के पैनल में से ऐसी समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें प्रधानमंत्री, गृहमंत्री तथा विपक्ष के नेता शामिल होंगे। केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति उपर्युक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यह कार्य तत्काल किया जाएगा।

3. केन्द्रीय सतर्कता-आयोग, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो के दक्षतापूर्ण कार्य-संचालन के लिए ज़िम्मेदार होगा, जबकि सरकार, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो के कार्यों की व्यापक देख-रेख करने के लिए स्थापित किए जाने वाले तंत्र में सुस्पष्ट निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठा लाने के लिए, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कार्यकलापों के प्रति जवाबदेह बनी रहेगी, वहीं केन्द्रीय सतर्कता-आयोग को, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो के कार्यसंचालन की देख-रेख करने की ज़िम्मेदारी सौंपी जाएगी। केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो, अपने द्वारा जांच हेतु लिए गए मामलों में उनकी जांच की प्रगति, उनमें से मामलों के विवरण जिनमें आरोप-पत्र दायर किए गए, तथा उनकी प्रगति के बारे में केन्द्रीय सतर्कता-आयोग को रिपोर्ट करेगा। केन्द्रीय सतर्कता-आयोग, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा लोक सेवकों के संबंध में शुरू किए गए उन सभी मामलों में हासिल की गई प्रगति की समीक्षा करेगा जो सक्षम अधिकारियों के पास लम्बित पड़े हैं। केन्द्रीय सतर्कता आयोग, उपर्युक्त मामलों में से भी विशेष रूप से उन मामलों की समीक्षा करेगा जिनमें अपेक्षित मंजूरी देने में देर की गई है अथवा मंजूरी देने से इन्कार किया गया है।

4. केन्द्रीय सरकार यह सुनिश्चित करने के क्रम में सभी आवश्यक कदम उठाएगी कि केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो प्रभावी ढंग से तथा दक्षतापूर्वक कार्य करे तथा उसे एक निर्दल-निष्पक्ष अभिकरण के रूप में माना जाए।

5. केन्द्रीय सतर्कता आयोग को, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो के कार्य-संचालन की देख-रेख का कार्य हस्तांतरित किए जाने के पश्चात् उपर्युक्त आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो के कार्य-संचालन के संबंध में एक अलग खंड रखा जाएगा।

6. केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति के बारे में सिफ़ारिशें एक ऐसी समिति द्वारा की जाएंगी जिसके अध्यक्ष, केन्द्रीय सतर्कता-आयुक्त तथा सदस्य गृह-सचिव तथा सचिव (कार्मिक) होंगे। उत्कृष्ट व्यक्ति का चयन करने की दृष्टि से, उपर्युक्त समिति, उस समय केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो के निदेशक के पद पर आसीन व्यक्ति के मत पर भी विचार करेगी। उपर्युक्त समिति वरिष्ठता, सत्यनिष्ठा, जांच तथा भ्रष्टाचार-निरोधी कार्य के अनुभव के आधार पर, भारतीय पुलिस-सेवा के अधिकारियों का एक पैनल तैयार करेगी। उपर्युक्त पद हेतु अंतिम रूप से चयन, चयन-समिति द्वारा संस्तुत पैनल में से, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा किया जाएगा। यदि पैनल में से कोई भी व्यक्ति उपयुक्त नहीं पाया गया तो उसके कारण लिखित रूप में दर्ज कर दिए जाएंगे तथा उपुर्यक्त समिति से एक नया पैनल तैयार करने को कहा जाएगा।

7. केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो के निदेशक की अधिवर्षिता की तारीख पर कोई भी ध्यान दिए बिना, उनका न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष का होगा। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि सभी प्रकार से उपयुक्त अधिकारी की केवल इसलिए अनदेखी नहीं की जाए कि वह अपनी नियुक्ति की तारीख़ से अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने तक दो वर्ष से कम अवधि तक ही सेवा कर सकेगा।

8. केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो के निदेशक के पद पर आसीन अधिकारी का किसी असाधारण स्थिति में स्थानांतरण के संबंध में और उनके द्वारा अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण कार्यभार संभालने की आवश्यकता पड़ने की स्थिति में है, उपर्युक्त चयन-समिति के अनुमोदन से लिया जाना चाहिए।

9. निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो को अभिकरण के भीतर कार्य आबंटित करने तथा जांच-कार्य के संचालन के लिए दल गठित करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो द्वारा किसी भी जांच दल के अध्यक्ष में कोई भी परिवर्तन अकाट्य और निश्चायक कारणों से जांच-कार्य में सुधार लाने के प्रयोजन से किया जाना चाहिए और ऐसे कारण लिखित रूप में दर्ज किए जाने चाहिए।

10. संयुक्त निदेशक के स्तर तक के अधिकारियों के चयन/उनके कार्यकाल के विस्तार के बारे में निर्णय, एक बोर्ड द्वारा किया जाएगा। इस बोर्ड में केन्द्रीय सतर्कता-आयुक्त, गृह-सचिव तथा सचिव (कार्मिक) शामिल होंगे। निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो इसके लिए आवश्यक कागजात सुलभ करवाएंगे। संयुक्त निदेशक के स्तर तक के अधिकारियों के कार्यकाल का विस्तार अथवा उनका समय-पूर्व प्रत्यावर्तन (उनकी अपने मूल संवर्ग में वापसी) इस बोर्ड के अंतिम अनुमोदन से ही होगा। संयुक्त निदेशक अथवा उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों की नियुक्ति अथवा उनके कार्यकाल के विस्तार संबंधी मामले ही निर्णय हेतु मंत्रिमण्डल की नियुक्ति-समिति को भेजे जाएंगे।

11. आधारभूत ढांचे, जांच की पद्धतियों आदि में सुधार के प्रस्तावों पर तत्काल निर्णय किया जाना चाहिए। केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो की आतंरिक विशेषज्ञता सशक्त बनाने के प्रयोजन से, राजस्व, बैंकिंग तथा सुरक्षा-क्षेत्रों के पेशेवर लेकर केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो में शामिल किए जाने चाहिए।

12. दंड-प्रक्रिया-संहिता के सांविधिक उपबंधों पर आधारित केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो मैनुअल, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो के कार्य संचालन के लिए अनिवार्य दिशा-निर्देश देता है। यह अनिवार्य है कि केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो छापों, ज़ब्ती तथा गिरफ्तारियों जैसे जांच संबंधी कार्यों में मैनुअल के उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन करे। स्थापित प्रक्रिया से हटकर की जाने वाली कोई भी कार्रवाई गंभीरता से ली जानी चाहिए तथा उसके संबंध में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जानी चाहिए।

13. निर्धारित समय-सीमा के भीतर न्यायालयों में आरोप-पत्र दायर किया जाना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो की होगी। तथा इस मामले की निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो द्वारा निरंतर समीक्षा की जानी चाहिए।

14. सच्ची और उचित शिकायतों के निवारण के क्रम में केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो के कार्य-संचालन से जुड़ी अपेक्षाओं के साथ कोई भी समझौता नहीं करते हुए, साधारण जनता की जांच तथा उससे संबद्ध जानकारी की सुलभ प्रतिपुष्टि करवाने के प्रयोजन से केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो के कार्यक्रम के बारे में तीन मास के भीतर एक दस्तावेज़ प्रकाशित किया जाना चाहिए।

15. मुकद्मा चलाने की मंजूरी प्रदान करने के लिए निर्धारित अधिकतम तीन मास की समय-सीमा का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। फिर भी इस बारे में उन मामलों में एक माह का अतिरिक्त समय दिया जाए। जिनमें महान्यायवादी अथवा उनके (महान्यायवादी के) कार्यालय में किसी अन्य विधि-अधिकारी से परामर्श करना अपेक्षित हो।

16. अभिकरण में भ्रष्टाचार तथा/अथवा अदक्षता नहीं पनपने देने की दृष्टि से निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो को कार्मिकों का नियमित मूल्यांकन करते रहना चाहिए।

II. अभियोजन-अभिकरण (एजेंसी)

1. महान्यायवादी की सलाह से, अनुभवी एवं साफ-सुथरी और अनिन्ध छवि वाले सक्षम वकीलों का एक पैनल तैयार किया जाएगा। उपर्युक्त पैनल में रखे गए वकीलों की सेवाएं महत्वपूर्ण मामलों में अभियोजन वकील के रूप में ली जाएगी। किसी अपराध की जांच के दौरान भी, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो/प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उपर्युक्त पैनल में से चुने गए वकील की सलाह ली जानी चाहिए।

2. प्रत्येक ऐसे अभियोजन की उपर्युक्त पैनल में रखे गए वकीलों में किसी एक वकील द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए जिसका परिणाम दोषी व्यक्ति की रिहाई अथवा उसकी दोषमुक्ति रहा हो तथा उपर्युक्त वकील द्वारा दी गई राय के आधार पर यदि संबंधित अधिकारी द्वारा अपनी ड्यूटी के प्रति कोई लापरवाही की गई हो तो इस बारे में उसकी ज़िम्मेदारी नियत की जानी चाहिए। ऐसे मामलों में, ड्यूटी के प्रति लापरवाही के दोषी पाए जाने वाले अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

3. महान्यायवादी के अनुमोदन से, वकीलों का पैनल तैयार करने का कार्य तीन मास में पूरा कर लिया जाएगा।

4. अविवाद्य सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति शामिल करके एक ऐसे योग्य और निष्पक्ष अभिकरण का तत्काल गठन करने के कदम उठाए जाएंगे जो यू.के. के अभियोजन-निदेशक के कार्यों के सदृश कार्य करे। ऐसा निकाय गठित कर लिए जाने पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो/प्रवर्तन-निदेशालय द्वारा शुरू किए गए अभियोजनों की देख-रेख का कार्य इसे सौंप दिया जाएगा।

5. उक्त निकाय का गठन होने तक महत्वपूर्ण मुकदमों संबंधी कार्य के संचालन हेतु, महान्यायवादी अथवा उनके द्वारा पदनामित किसी अन्य विधि अधिकारी की सिफारिश के अनुसार विशेष वकील नियुक्त किया जाएगा।

[हिन्दी]

दालों का उत्पादन

1215. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1986-87 के दौरान राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम शुरू किया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या अन्य देशों की तुलना में देश में दालों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत कम है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार दालों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठा रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हाँ।

(ख) दालों का औसत प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व के 809 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर (1994-95) के उत्पादन की तुलना में 595 किलोग्राम (1994-95 से 1996-97) है। तदनुसार, उत्पादन का अन्तर 245 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है।

(ग) और (घ) दालों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार द्वारा दालों को 1990 से प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत लाया गया। राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के अंतर्गत अपारम्परिक फसलन के अधीन अतिरिक्त क्षेत्र के विस्तार, किसानों के खेतों पर अग्रणी/ब्लॉक प्रदर्शनों के माध्यम से उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी अपनाने, उन्नत बीजों के उपयोग, समेकित पोषकतत्व प्रबन्ध, समेकित कीट प्रबन्धन तथा लघु सिंचाई व्यवस्था एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य देकर दालों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को महत्वपूर्ण आदानों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा इस परियोजना की लागत 75:25 आधार पर वहन की जाती है।

[अनुवाद]

नदी घाटी परियोजनाएं

1216. श्री भीम दाहाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा सिक्किम को गत तीन वर्षों के दौरान नदी घाटी परियोजनाओं के लिए कुल कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में कोई वित्तीय अनियमितताएं आयी हैं;

(घ) यदि हाँ. तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) राज्य सरकारों को निधियां ब्लाक ऋणों/अनुदानों के रूप में आबंटित की जाती हैं; यह किसी विशिष्ट क्षेत्र/परियोजनाओं से सहबद्ध नहीं होती हैं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

कपास प्रौद्योगिकी मिशन

1217. श्री ए.सी. जोस : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्तावित कपास प्रौद्योगिकी मिशन के लिए कुल व्यय का 25% उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त 25% अंशदान से सरकार के किस तरह लाभान्वित होने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) कपास प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना के लिए प्रस्ताव को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

तुंगभद्रा जलाशय की गाद साफ करना

1218. श्री के.सी. कोंडय्या : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि तुंगभद्रा जलाशय में अत्यधिक गाद इकट्ठी हो जाने के कारण इसकी भंडारण क्षमता में अत्यधिक गिरावट आई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके विवरण क्या हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने इस जलाशय की तुरन्त सफाई हेतु केन्द्र सरकार से कुछ धनराशि की मांग की है; और

(घ) यदि हाँ, तो केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं/उठाये जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हाँ।

(ख) वर्ष 1953 से 1993 के दौरान 133 हजार मिलियन घन फुट सकल भण्डारण क्षमता में से लगभग 21.5 हजार मिलियन घन फुट समाप्त हो गई है। जल ग्रहण क्षेत्र में ऊपरी मृदा कटाव के कारण गाद जमा हो गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

परमाणु परीक्षण

1219. **श्री दत्ता मेघे :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में किए गए परमाणु परीक्षणों के कारण देश की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार का इस स्थिति से किस प्रकार से निपटने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) सरकार उन सभी विकास-कार्यों को निरन्तर मानीटर करती है जिनका संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास से है तथा राष्ट्रीय हित की रक्षा के लिए अपेक्षित कदम उठाए जाते हैं।

[अनुवाद]

कर्नूल-कुडप्पा नहर का आधुनिकीकरण

1220. **डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने कर्नूल-कुडप्पा नहर के आधुनिकीकरण के लिए आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जापान इस परियोजना का वित्त-पोषण एजेन्सी है; और

(घ) इस परियोजना के लिए अब तक कुल कितनी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हाँ।

(ख) कर्नूल-कुडप्पा नहर आधुनिकीकरण परियोजना वर्षों पुरानी सिंचाई पद्धति के पुनर्वास, सुधार तथा आधुनिकीकरण द्वारा कर्नूल तथा कुडप्पा जिले में 1.064 लाख हेक्टेयर के विद्यमान अयाकट के स्थिरीकरण के उद्देश्य से कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) जी, हाँ। ओवरसीज ईकोनोमिक कोआपरेशन फण्ड (ओ.ई.सी.एफ.) जापान इस परियोजना को 16049 मिलियन येन (लगभग 555.33 करोड़ रुपए) की ऋण सहायता दे रहा है।

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा कोई केन्द्रीय सहायता मुहैय्या नहीं करायी गई है। तथापि, भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) के रूप में बाह्य सहायता राज्य सरकार को जारी की है, जो कि इस परियोजना सम्बन्धी मामले के लिए भी है।

दावों का निपटान

1221. **श्री एस.एस. ओवेसी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इराक द्वारा कब्जा किए जाने के दौरान कुवैत से कितने भारतीय भाग खड़े हुए;

(ख) संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग के पास सरकार ने मंजूरी के लिए कितने दावों का प्रस्ताव किया है;

(ग) अब तक कुल कितनी धनराशि प्राप्त की गई है और आयोग के पास मंजूरी हेतु कितने दावे अब भी लंबित हैं; और

(घ) बाकी बचे दावों का तुरंत निपटान करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) कुवैत पर इराकी हमले के समय कुवैत में भारतीय राष्ट्रिकों की अनुमानित जनसंख्या 1,72,000 (एक लाख बहत्तर हजार) थी। भारत सरकार ने खाड़ी संकट के दौरान लगभग 1,33,000 (एक लाख तैंतीस हजार) भारतीयों को निकाल लिया था।

(ख) भारत सरकार ने 'क' श्रेणी के अन्तर्गत 1,05,010 दावे, 'ख' श्रेणी के 258 दावे, 'ग' श्रेणी के 39435 दावे तथा 'घ' श्रेणी के 937 दावे (कुल 1,45,640 दावे) प्राप्त हुए जिन्हें संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग के पास भिजवाया गया है। ये सभी दावे व्यक्तिगत दावे हैं।

इसके अलावा सरकार ने संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग के पास 'ई' श्रेणी के 118 कारपोरेट दावे भी भिजवाए हैं।

(ग) संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग से अब तक 72048788/- अमरीकी डालर (सात करोड़ बीस लाख अड़तालीस हजार सात सौ अट्ठासी अमरीकी डालर) मुआवजा राशि के रूप में प्राप्त हुए हैं। 1,13,783 व्यक्तिगत दावे बकाया पड़े हुए हैं। इसमें 'घ' श्रेणी के 937 दावे भी शामिल हैं।

(घ) सरकार समय-समय पर संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग से भारतीय दावों को जल्दी ही निबटाने के लिए जोर देती रही है। सरकार हमारे दावेदारों के हितों की रक्षा के लिए आयोग से लगातार सम्पर्क बनाए हुए है। इसके अतिरिक्त जैसे ही संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग से धन प्राप्त होता है, सरकार यह सुनिश्चित करती है कि उसे निर्धारित किए गए बैंकों के माध्यम से सफल दावेदारों में शीघ्र ही बांट दिया जाए।

नौवीं योजना के प्रारूप की समीक्षा

1222. श्री आर. साम्बासिवा राव :
श्री चिन्ता मोहन :
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
श्री चन्द्रशेखर साहू :
श्री जी. गंगा रेड्डी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान सरकार ने नौवीं योजना के प्रारूप समीक्षा का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो नौंवी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताएं क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) योजना आयोग की आंतरिक बैठकों में अनुमोदित प्रारूप नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) को योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा 1 मार्च, 1998 को जारी किया गया था। इस योजना पर राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अभी विचार किया जाना है। सरकार ने इस प्रारूप की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। जिससे शासन के लिए राष्ट्रीय एजेन्डा में यथावर्णित परिवर्तित प्राथमिकताओं को उपयुक्त ढंग से दर्शाया जा सके। विस्तृत कार्य योजनाएं तैयार की जा रही हैं जिन्हें अन्तिम रूप दिए जाने पर वर्तमान प्रारूप के साथ समेकित कर दिया जाएगा। संशोधित दस्तावेज को तब उचित प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद् के विचारार्थ और अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

लंबित सिंचाई परियोजनाएं

1223. श्री पी.सी. थामस :
श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :
श्री थावरचन्द गेहलोत :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के पास इस समय सिंचाई परियोजनाओं के लिए मंजूरी हेतु कितने प्रस्ताव लंबित हैं और राज्यवार प्रत्येक प्रस्ताव कब से लंबित हैं;

(ख) सरकार द्वारा वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान मंजूर की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) उनमें से अन्य देशों और अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों की सहायता से शुरू किए जाने वाली परियोजनाओं की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार ने शेष परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने हेतु क्या उपाय किये हैं/करने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) लम्बित परियोजनाओं की संख्या के बारे में राज्यवार विवरण संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) 1996-97 और 1997-98 के दौरान योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का राज्यवार विवरण संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) सिंचाई परियोजनाएं योजना आयोग द्वारा निवेश दृष्टिकोण से अनुमोदित हो जाने के बाद ही सहायता के लिए अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों को भेजी जाती हैं।

(घ) राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों द्वारा की गई टिप्पणियों की अनुपालना किये जाने पर ही सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दी जाती है।

विवरण-I

31.5.98 को योजना आयोग के अनुमोदन के लिए राज्यों से प्राप्त योजनाओं (बहुउद्देशीय, सिंचाई) की स्थिति

राज्य का नाम		वृहत योजनाएं					मध्यम योजनाएं					कुल				
		क	ख	ग	घ	कुल	क	ख	ग	घ	कुल	क	ख	ग	घ	सकल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	2	6	0	0	8	0	2	0	0	2	2	8	0	0	10
2.	असम	0	1	0	0	1	2	0	0	0	2	2	1	0	0	3
3.	बिहार	4	3	0	0	7	0	1	0	0	1	4	4	0	0	8
4.	गुजरात	0	1	0	0	1	2	0	0	0	2	2	1	0	0	3
5.	हरियाणा	5	1	0	0	6	2	0	0	0	2	7	1	0	0	8
6.	हिमाचल प्रदेश	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	2
7.	जम्मू व कश्मीर	0	0	0	0	0	12	2	0	0	14	12	2	0	0	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.	कर्नाटक	3	0	0	0	3	1	0	0	0	1	4	0	0	0	4
9.	केरल	1	1	0	0	2	1	0	0	0	1	2	1	0	0	3
10.	मध्य प्रदेश	1	8	0	0	9	2	1	0	0	3	3	9	0	0	12
11.	महाराष्ट्र	5	8	1	0	14	17	5	0	0	22	22	13	1	0	36
12.	मणिपुर	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	2	0	0	2
13.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	उड़ीसा	3	2	0	0	5	2	2	0	0	4	5	4	0	0	9
16.	पंजाब	2	0	1	0	3	1	0	0	0	1	3	0	1	0	4
17.	राजस्थान	4	1	0	0	5	1	3	0	1	5	5	4	0	1	10
18.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	तमिलनाडु	1	1	0	0	2	1	0	0	0	1	2	1	0	0	3
20.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	उत्तर प्रदेश	2	7	0	0	9	0	0	0	0	0	2	7	0	0	9
22.	पश्चिम बंगाल	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
23.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	गोवा, दमन द्वीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	35	41	2	0	78	44	18	0	1	63	79	59	2	1	141

स्थिति :

(क) पत्राचार के अंतर्गत।
(ख) सलाहकार समिति को प्रस्तुत और टिप्पण की शर्त पर स्वीकृत।
(ग) सलाहकार समिति द्वारा आस्थगित।
(घ) निवेश स्वीकृति के लिए योजना आयोग में लंबित।

विवरण-II

1997-98 के दौरान योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का राज्यवार विवरण

क्र. सं	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)	लाभ (हजार हैक्टेयर में)	योजना आयोग द्वारा अनुमोदन की तिथि
1	2	3	4	5
क.	*वृहद् परियोजनाएं*			
	आन्ध्र प्रदेश			
1.	के.सी. नहर का आधुनिकीकरण	674.29		16.04.98
	असम			
2.	जमुना सिंचाई परियोजना का आधुनिकीकरण	60.27	28.29	17.12.97

1	2	3	4	5
	हिमाचल प्रदेश			
	3. शाहनहर सिंचाई परियोजना	143.32	24.76	21.02.97
	महाराष्ट्र			
	4. वान	46.85	19.18	15.04.97
	मध्यप्रदेश			
	5. सिंध चरण-II	510.94	162.10	17.03.98
	उड़ीसा			
	6. रेंगाली सिंचाई उप-परियोजना बाया तट नहर-II	705.15		14.07.97
	राजस्थान			
	7. इंदिरा गांधी नहर परियोजना-II	3398.91		11.03.98
	8. बिसलपुर पेय जल-सह-सिंचाई परियोजना	309.07	49.89	16.12.97
	उत्तर प्रदेश			
	9. जरौली पम्प नहर	47.92	39.75	23.03.98
ख. मध्यम परियोजनाएं :				
	गुजरात			
	1. गोमा सिंचाई परियोजना	47.59	7.04	30.12.97
	महाराष्ट्र			
	2. बोरदाहेगांव	16.27	2.22	10.11.96
	3. बेनेतुरा	12.12	2.29	25.02.97
	4. अपर मनार	26.18	8.28	15.04.97
	उड़ीसा			
	5. बाघालती सिंचाई परियोजना	45.44	6.05	21.05.96
	राजस्थान			
	6. बांदी सेन्दरा	13.04	4.09	10.12.97
	7. सुकली	18.70	3.89	10.12.97
	8. गंभीरी परियोजना का आधुनिकीकरण	11.76	9.60	16.12.97

प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण

1224. **श्री सुशील कुमार शिंदे :**
श्री सुदीप बंधोपाध्याय :
श्री सी.पी.एम. गिरियप्पा :
श्री मोहन रावले :
श्री के.डी. सुल्तानपुरी :
प्रो. पी.जे. कुरियन :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री पी.एस. गढ़वी :
श्री माधवराव सिंधिया :
श्री मोहन सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान द्वारा 1500 कि.मी. दूरी तक मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र के परीक्षण से इस क्षेत्र में सुरक्षा का गंभीर असंतुलन पैदा हो गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो बदले हुए सुरक्षा परिदृश्य में भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) भारत पाकिस्तान के प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम और इस क्षेत्र की सुरक्षा पर इसके प्रभाव के बारे में चिंतित है। सरकार पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम सहित सभी घटनाओं की कड़ी निगरानी करती है। भारत सरकार अपने समक्ष खतरों के परिप्रेक्ष्य में इसकी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की प्रभावशाली ढंग से रक्षा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के प्रति कृत संकल्प है।

[हिन्दी]

कृषि आधारित उत्पाद

1225. श्री चिन्ता मोहन :
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रति हैक्टेयर विश्व स्तर का उत्पादन देने वाले कृषि आधारित उत्पादों का पता लगाने के लिए अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे उत्पाद कौन-कौन से हैं; और

(ग) देश में गेहूं, धान, कपास और तिलहनों का औसत प्रति हैक्टेयर उत्पादन कितना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) सरकार ने ऐसा कोई अध्ययन नहीं कराया है। किन्तु खाद्य और कृषि संगठन के उत्पादन वार्षिक पुस्तक के अनुसार भारत में विभिन्न फसलों का उत्पादन औसत से कम है।

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान देश में गेहूं, चावल, कपास और तिलहन की औसत प्रति हैक्टेयर उपज क्रमशः 2671 किलोग्राम, 1879 किलोग्राम, 266 किलोग्राम तथा 931 किलोग्राम है।

[अनुवाद]

सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण

1226. श्री राजवीर सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) सिंचाई राज्य का विषय है। आठवीं योजना के अन्त तक विभिन्न राज्यों में शुरू की गई 170 विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण परियोजनाओं में से 60 पूरी हो गई थीं।

[हिन्दी]

दलहन विकास निदेशालय का स्थानांतरण

1227. श्री रामानन्द सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश स्थित दलहन विकास निदेशालय का राज्य से बाहर स्थानांतरण किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस निदेशालय में स्वीकृत कुल कितने पद हैं और कितने पद रिक्त पड़े हैं तथा ये पद कब से रिक्त पड़े हैं; और

(घ) रिक्त पदों को कब तक भर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) जी, नहीं। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) निदेशालय की स्वीकृत संख्या 31 है, जिसमें से 8 पर व्यक्ति कार्यरत हैं। रिक्त पदों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया पहले ही आरम्भ हो चुकी है।

विवरण

दलहन विकास निदेशालय, भोपाल (म.प्र.) में स्वीकृत पदों तथा रिक्त पदों की संख्या का विवरण

क्र.सं.	पदनाम तथा स्वीकृत पदों की संख्या	भरा गया पद	रिक्त पद	तिथि जब से पद रिक्त है
1	2	3	4	5
1.	निदेशक (1)	–	1	4.12.92
2.	संयुक्त निदेशक (1)	1	–	–
3.	उप निदेशक (2)	–	2	1.7.91 तथा 31.3.95
4.	सहायक निदेशक (1)	–	1	जून, 1996 में सृजित
5.	प्रशा. अधिकारी (1)	–	1	-तदैव-

1	2	3	4	5
6.	वरिष्ठ तकनीकी सहायक (4)	1	3	जून 1996 मे सृजित
7.	सांख्यिकी विश्लेषक (1)	–	1	–तदैव–
8.	लेखाकार (1)	–	1	–तदैव–
9.	वरिष्ठ सांख्यिकी लिपिक (1)	–	1	–तदैव–
10.	आशुलिपिक श्रेणी (2)	–	1	–तदैव–
11.	आशुलिपिक श्रेणी 3 (2)	1	1	8.6.90
12.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक (1)	–	1	जून, 1996 में सृजित
13.	उच्च श्रेणी लिपिक (2)	1	1	–तदैव–
14.	अवर श्रेणी लिपिक (4)	–	4	जून. 96 में 3 सृजित तथा 1, 13.12.91 से
15.	दफ्तरी (1)	–	1	जून, 1996 में सृजित
16.	चपरासी (4)	2	2	–तदैव–
17.	सफाई वाला (1)	–	1	–तदैव–
18.	चौकीदार (1)	1	–	–
19.	कार चालक (1)	1	–	–
	योग (31)	8	23	

[अनुवाद]

केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं

1228. श्रीमती जयन्ती पटनायक :
श्री टी. गोविन्दन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित कुछ कृषि विस्तार योजनाएं विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उन योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को कितनी धनराशि आंबटित की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बीज और उर्वरक

1229. श्री माधवराव पाटील :
श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री नृपेन गोस्वामी :
श्री चन्द्रशेखर साहू :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र समेत अनेक राज्यों में किसानों को बीज, उर्वरक, और कीटनाशक समय पर नहीं मिल रहे, और इसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा किसानों को गुणवत्ता वाली इन चीजों और राज सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित ठोस कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी विभागों द्वारा इन चीजों की खरीद में किए गए घपलों के कितने मामले और महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में से इनकी घटिया गुणवत्ता के कितने मामले सरकार की जानकारी में लाए गए; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) किसानों को पर्याप्त मात्रा में और क्वालिटी के बीज, उर्वरक तथा कृमिनाशी दवाइयां उपलब्ध कराना सभी राज्यों में, जिनमें महाराष्ट्र भी शामिल है, संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन, केन्द्रीय सरकार जोनल सम्मेलनों/खरीफ/रबी सम्मेलनों में इन आदानों की उपलब्धता की समीक्षा करती है तथा अन्तर्राज्यीय पूर्ति/ढुलाई की व्यवस्था करती है। आदानों की कमी के कारण खाद्यान्नों की उत्पादकता (पैदावार प्रति हैक्टेयर) में कोई कमी नहीं आई है जैसा कि निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है :

	1994-95	1996-97
	(पैदावार प्रति हैक्टेयर कि.ग्रा. में)	
समस्त भारत	1546	1601
महाराष्ट्र	852	1058

(ग) और (घ) महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों से इन आदानों की खरीद में कोई घपला, इनकी घटिया क्वालिटी सहित, होने की कोई सूचना नहीं मिली है।

[हिन्दी]

ताल क्षेत्रों में नलकूप

1230. डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब तक ताल क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित कम गहरे नलकूपों को स्वीकृति प्रदान नहीं की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) लघु सिंचाई स्कीमें जिनमें उथले नलकूप शामिल हैं, की आयोजना, वित्त पोषण और कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनके स्वयं के बजटीय संसाधनों से किया जाता है। इन स्कीमों के लिए केन्द्र सरकार से किसी स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

रबी फसल के लिए प्रोत्साहन

1231. श्री के. येरननायडू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रति हेक्टेयर भूमि पर सात अथवा आठ टन रबी फसल, मक्का पैदा करने वाले किसानों को प्रस्तावित आर्थिक लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हाँ, तो मक्का के फसल से गेहूं की कितनी कमी पूरी किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हाँ, तो विशेष प्रोत्साहन राशि कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क), (ग) और (घ) मक्के को प्रोत्साहन देने के लिए, त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम (एएमडीपी) के अंतर्गत खरीफ एवं रबी मक्का दोनों फसलों के लिए किसानों को प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। प्रोत्साहनों में शामिल हैं - मक्का की उन्नत/संकर किस्मों के प्रमाणित बीजों, राजसहायता, उन्नत उपकरणों एवं मक्के के बीज मिनिकिटों के प्रयोग के लिए राज सहायता। इसके अलावा आदानों को उपलब्ध कराके किसानों के खेतों पर समेकित कृषि प्रबंध पर प्रदर्शनी एवं उन्नत फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी पर क्षेत्र-प्रदर्शन एवं अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन भी संचालित किए जाते हैं। किसानों को अद्यतन प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षण भी आयोजित किए जाते हैं। ये प्रोत्साहन किसी उत्पादकता स्तर से संबद्ध नहीं हैं।

(ख) मक्के के उत्पादन के लिए लक्ष्य अलग-अलग निर्धारित किए जाते हैं एवं इसे गेहूं, चावल एवं अन्य मोटे अनाज के साथ उत्पादन के लक्ष्य में शामिल किया जाता है। 1997-98 के दौरान 11 मिलियन टन के लक्ष्य की तुलना में मक्का उत्पादन 11.15 मिलियन टन होने की संभावना है।

धान की खेती

1232. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में धान का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव पर सरकार का क्या निर्णय है और इस प्रयोजनार्थ कितना आबंटन किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) जी, नहीं। केरल सरकार ने चालू केन्द्रीय प्रायोजित चावल आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई.सी.डी.पी.-चावल) के अन्तर्गत चावल के उत्पादन/कृषि में वृद्धि या धन के आबंटन का कोई प्रस्ताव नहीं किया है। तथापि, आई.सी.डी.पी.-चावल के अन्तर्गत राज्यों द्वारा पिछले वर्षों में क्रियान्वित कार्यक्रमों एवं नियमों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय हिस्सें के रूप में वर्ष 1998-99 के लिए 134.78 लाख रुपये का आबंटन किया गया है।

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए मानदंड

1233. श्री रंजीब बिस्वाल :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री के.पी. नायडू :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों का पता लगाने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो विशेष रूप से कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में अब तक ऐसे कितने लोगों का पता लगाया है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों का पता लगाने वाले वर्तमान मानदंडों का विरोध किया है;

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में राज्य सरकारों का क्या दृष्टि-कोण है; और

(ङ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, हाँ।

(ख) नवीनतम सूचना के अनुसार वर्ष 1993-94 में देश में 320.37 मिलियन लोगों के इस मानदण्ड से नीचे रहने का अनुमान है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में गरीबी मानदण्ड से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या वर्ष 1993-94 में क्रमशः 30.52 मिलियन और 15.65 मिलियन थी।

(ग) और (घ) मानदण्डों को सामान्यतया सभी ने स्वीकार किया है। फिर भी, कुछ राज्य सरकारों ने अपने संबंधित राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के प्रतिशत के अनुमानों के बारे में आशंकायें व्यक्त की हैं। आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक की सरकारों का यह मत है कि उनके राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत निम्न गरीबी रेखा के कारण न्यून है जो राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित खाद्य सब्सिडी स्कीमों के मूल्य अवनत प्रभाव के परिणामस्वरूप है।

(ङ) योजना आयोग ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए एक मानदंड विकसित किया है कि संशोधित गरीबी अनुमान के कारण किसी राज्य का घाटा पहले की (कार्यबल) पद्धति द्वारा अपनाए गए गरीबी अनुपात पर आधारित हिस्से के 15 प्रतिशत से अधिक न हो।

उत्तर प्रदेश के लिए निधियों का आवंटन

1234. श्री अशोक प्रधान : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित योजनाओं/परियोजनाओं के लिए और अधिक धनराशि का आवंटन करने अथवा योजना परिव्यय की धनराशि को बढ़ाने के लिए कोई सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो आज की स्थिति के अनुसार योजना-वार/मंत्रालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा अब तक इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है; और

(घ) उत्तर प्रदेश सरकार को और अधिक धनराशि कब तक आवंटित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) योजना आयोग को पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता (एस.सी.ए.) के बढ़े हुए आवंटन हेतु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अनुरोध के सिवाय ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त प्रस्ताव पर उत्तर प्रदेश राज्य की वार्षिक योजना 1998-99 को अंतिम रूप दिए जाने के बाद विचार किया जायेगा।

पशुओं की नस्लें

1235. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष बिहार में पशुओं विशेषकर गाय, सांड, भैंस और भैंसे की कितनी संख्या थी;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उन्नत नस्लों के पशुओं की पशुवार संख्या कितनी थी;

(ग) पशुओं की नस्लों को उन्नत किए जाने के संबंध में किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पशुओं की नस्लों को उन्नत बनाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में गोपशु और भैंसों की प्रतिलक्षित संख्या निम्न प्रकार है :-

(संख्या लाख में)

वर्ष	गाय	सांड	भैंस	भैंसा
1995-96	109.4	120.5	41.0	15.6
1996-97	110.7	122.0	41.8	15.9
1997-98	112.1	123.5	42.6	16.2

(ख) पिछले तीन वर्षों में वर्ण-संकर पशुओं की अनुमानित संख्या निम्न प्रकार है :

(संख्या '000 में)

वर्ष	वर्ण-संकरित गोपशु	वर्ण-संकरित भेड़	वर्ण-संकरित सुअर
1995-96	204	46	28
1996-97	209	46	29
1997-98	213	47	29

(ग) और (घ) केन्द्रीय क्षेत्र की योजनागत स्कीम के डेयरी विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत पटना और रांची के हिमित वीर्य केन्द्रों को सुदृढ़ करने के लिए 31.3.1998 तक 138.84 लाख रुपए (अनन्तिम) का निवेश किया गया है। इसके अलावा, बिहार में काम कर रहे कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को पुनर्जीवित करने के लिए इस योजना के अंतर्गत 156.50 लाख रुपए (अनन्तिम) की राशि जारी की गई।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

1236. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा 30 जनवरी, 1997, 22 जुलाई, 1997 और 13 अगस्त, 1997 को जारी कार्यालय ज्ञापनों का अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन ज्ञापनों के जारी किए जाने का क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे ज्ञापनों की समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जनवरी 30, जुलाई 02, जुलाई 22, अगस्त 13 और अगस्त 29, 1997 के कार्यालय-ज्ञापन क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की वरिष्ठता की पुनरीक्षा किए जाने, जिन्हें आरक्षण की नीति के कारण, उनसे वरिष्ठ, सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों से वरीयतः पदोन्नत कर दिया जाता हैं पद पर आधारित रोस्टर का चलन आरंभ किए जाने, पदोन्नति के संबंध में आरक्षण के मामलों में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अर्हक अंकों और मूल्यांकन के मानदंडों में ढील देना समाप्त किए जाने, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए दिनांक 15.11.1997 से परे (आगे) पदोन्नति में आरक्षण जारी रखे जाने और सभी श्रेणियों के संबंध में कुल 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा निर्धारित किए जाने के बारे में हैं।

(ग) और (घ) अगस्त 13, 1997 के कार्यालय ज्ञापन को छोड़कर उपर्युक्त सभी कार्यालय ज्ञापन, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों में निर्धारित कानून-नियम को कार्यान्वित करने के प्रयोजन से जारी किए गए हैं, अतः इनकी पुनरीक्षा किए जाने की गुंजाइश नहीं है। अगस्त 13, 1997 के कार्यालय ज्ञापन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में दिनांक 15.11.97 से परे (आगे) पदोन्नति में आरक्षण जारी रखे जाने का प्रावधान किया गया है। यदि यह कार्यालय ज्ञापन जारी नहीं किया गया होता तो इंदिरा साहनी मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के मद्देनज़र 15.11.97 से परे (आगे) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में पदोन्नति में आरक्षण समाप्त हो गया होता। इस कार्यालय ज्ञापन की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रक्षेपास्त्र नौका

1237. श्री नरेश पुगलीया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 मई, 1998 के "द हिन्दुस्तान टाईम्स" में "पाक बिल्डिंग मिसाईल बोट विद् चाइनीज असिस्टेन्श" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या पाकिस्तान द्वारा प्रक्षेपास्त्र नौका के निर्माण से इस क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इस मामले पर चीन/पाकिस्तान सरकार से चर्चा करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी हाँ। सरकार ने चीन की सहायता से पाकिस्तान द्वारा एक मिसाईल बोट के निर्माण से संबंधित खबरें देखी हैं। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रकार की घटनाओं से भारत की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है तथा इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बनाए रखने के लिए सहायक नहीं है।

(ग) और (घ) सरकार ने एक-दूसरे की हित-चिन्ताओं के परस्पर सम्मान और आदर के आधार पर 'शान्ति और सुरक्षा' से सम्बद्ध मसलों सहित सभी मामलों पर पाकिस्तान के साथ रचनात्मक वार्ता करने की भारत की उत्सुकता का बार-बार जिक्र किया है। सरकार ने चीनी पक्ष को हमारे क्षेत्र में हथियारों के प्रसार के वातावरण से उत्पन्न होने वाली हमारी चिन्ता तथा एक-दूसरे की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखण्डता को प्रभावित करने वाले अहम् मसलों से संबद्ध एक-दूसरे की हित-चिंताओं पर पर्याप्त ध्यान देने के महत्व को भी सम्प्रेषित कर दिया है।

[हिन्दी]

भारतीय मूल के नागरिक

1238. श्री अजीत जोगी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगानिस्तान और अन्य देशों में रह रहे भारतीय मूल के परिवारों पर गत तीन वर्षों के दौरान सैनिकों अथवा सिविलियनों द्वारा हमले किए गए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो देश-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अफगानिस्तान में रह रहे भारतीय मूल के लोगों पर सैनिकों अथवा नागरिकों द्वारा हमले के बारे में कोई विश्वसनीय सूचना नहीं प्राप्त हुई है। निम्नलिखित देशों से भारतीय मूल के परिवारों के विरुद्ध छिटपुट हिंसक घटनाओं की सूचना मिली है। कनाडा (एक), चेक गणराज्य (दो), ईरान (दो) तथा तुर्कमेनिस्तान (एक) इन्डोनेशिया, रूस तथा जाम्बिया में भी भारतीय मूल के लोगों को परेशान करने की घटनाओं की सूचना है।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, बंगलौर

1239. श्री के.सी. कोंडय्या : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलोर पासपोर्ट कार्यालय द्वारा जनवरी, 1997 से फरवरी, 1998 के अंत तक कितने पासपोर्ट जारी किए गए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने पासपोर्टों का नवीकरण किया गया है;

(ग) नए पासपोर्ट को जारी करने तथा पूर्व में जारी किए गए पासपोर्ट के नवीकरण में कम से कम कितना समय लिया जाता है; और

(घ) क्या उक्त पासपोर्ट कार्यालय में एकल खिड़की एजेंसी कार्यरत है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जनवरी, 1997 से फरवरी, 1998 के अंत तक के 14 महीनों के दौरान पासपोर्ट कार्यालय, बंगलौर द्वारा जारी पासपोर्टों की संख्या, 1,09,478 हैं।

(ख) उक्त कार्यालय द्वारा उपर्युक्त अवधि के दौरान नवीकृत किये गये पासपोर्टों की संख्या 23,669 है।

(ग) इस बात का भरसक प्रयास किया जाता है कि आवेदन की तारीख के पांच सप्ताह के भीतर नये पासपोर्ट जारी कर दिये जाएं तथा नवीकरण 1 सप्ताह के भीतर कर दिया जाए, बशर्ते कि सभी कागजात व्यवस्थित हों।

(घ) समर्थन दस्तावेजों के साथ पासपोर्ट आवेदन को किसी एक ही काउन्टर पर जमा कराया जा सकता है, शुल्क का भुगतान अलग कांउटर पर किया जाता है।

परमाणु सामग्री का निर्यात

1240. श्री एस.एस. ओवेसी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने परमाणु सामग्री के निर्यात करने का समझौता किया है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले दो वर्षों में देश-वार कुल कितनी परमाणु सामग्री का निर्यात किया गया;

(ग) क्या परमाणु सामग्री का उत्पादन करने वाले पश्चिमी देशों ने अपनी सामग्री की कीमत कम करके भारत को इस क्षेत्र से दूर रखने का प्रयास किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार ने परमाणु सामग्री के निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) स्वदेशी परमाणु कार्यक्रम के लिए आवश्यक विभिन्न पदार्थों और संघटकों की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा अन्य देशों को शांतिपूर्ण उपयोगों के लिए देश में उपलब्ध विशेषज्ञता और न्यूक्लियर से संबंधित कुछ पदार्थ उपलब्ध कराने के प्रयास भी ऐसे अवसर आने पर किए गए। कुछ समय पहले भारत सरकार ने न्यूक्लियर ग्रेड के 100 मीटरी टन भारी पानी (अमरीकी डालरों में इसका मूल्य 22.75 मिलियन है) का निर्यात करने के लिए दक्षिण कोरियाई विद्युत कम्पनी के साथ

एक अनुबंध किया था; जिसे इस समय जलयान द्वारा भेजा जा रहा है। भारी पानी के विभिन्न सांद्रता मानकों जिनका मूल्य यू.एस. डालर 35,800/- लगाया गया है, का भी निर्यात पिछले दो वर्षों के दौरान दक्षिण कोरिया को किया गया है। लगभग 5.84 लाख अमरीकी डालर के मूल्य के न्यूक्लियर ग्रेड ज़रकालॉय पदार्थ की भी कुछ मात्रा पिछले दो वर्षों में दक्षिण कोरिया को निर्यात की गई। 15,000 अमरीकी डालर मूल्य के थोरियम आक्साइड सिरेमिक बटनों (5 0) का निर्यात भारत की प्रतिनिधि कम्पनी के माध्यम से जनरल इलेक्ट्रिक, यू.एस.ए. को जुलाई, 1997 में किया गया।

(ग) भारत को भारी पानी आदि जैसे नाभिकीय पदार्थ के निर्यात के संबंध में निसंस्देह कुछ अन्य देशों के साथ मुकाबला करना होगा। तथापि, इस बारे में कोई निश्चित रूप से प्रमाण नहीं है कि प्रतिस्पर्धी देश भारत को नाभिकीय पदार्थों का निर्यातक बनने से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। संभव है कि इन कुछ देशों की निर्यातक सत्तायें बाजार की मौजूदा स्थितियों में व्यवसाय संबंधी रणनीति स्वरूप क्रयादेश प्राप्त करने के लिए अपेक्षाकृत काफी कम कीमत उद्धृत करती हों। तथापि, इस बारे में किसी सबूत के अभाव में, ऐसी प्रतिस्पर्धात्मक बोली का यह अर्थ लगाने की जरूरत नहीं कि यह भारत को इस बाजार से अलग रखने का प्रयास है।

(घ) जब ऐसे अवसर आते हैं और घरेलू मांग-आपूर्ति की स्थिति इसकी अनुमति देती है तो निर्यात आदेश प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय इन्क्वारियों के जवाब में प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों की पेशकश करने के प्रयास किए जाते हैं।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को स्वायत्तता

1241. डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी :
श्री वी.एम. सुधीरन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को पूर्ण स्वायत्तता देने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) उच्चतम न्यायालय के दिनांक दिसंबर 18, 1997 के आदेश में निहित निदेशों का उद्देश्य, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो के कार्यकरण में पहले की अपेक्षा और सुधार लाना है। सरकार ने उपर्युक्त निदेश कार्यान्वित करना तय किया है और केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो के निदेशक और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति के क्रम में अपेक्षित चयन के बारे में संतुति करने हेतु केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो-चयन बोर्ड के गठन जैसे कुछ कदम पहले ही उठा लिए हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते।

कपास उत्पादकों की मांगें

1242. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास उत्पादकों के अनेक संगठनों ने देश में कपास उत्पादकों की समस्याओं को उजागर करने के लिए अखिल भारतीय आन्दोलन करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो कपास उत्पादकों की मुख्य मांगें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार उनकी मांगों को स्वीकार करने के लिए कोई विचार-विमर्श कर रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो कपास उत्पादकों की मांगों को कब तक पूरा कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

गौरी प्रक्षेपास्त्र

1243. श्री सुशील कुमार शिंदे :
डॉ० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री कमल नाथ :
श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान ने इस तथ्य से इन्कार किया है कि पाकिस्तान ने गौरी प्रक्षेपास्त्र के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी का सहारा लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो भारत सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या पाकिस्तान जमीन से जमीन पर मार करने वाले शक्तिशाली प्रक्षेपास्त्र, गजनबी का भी निर्माण कर रहा है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है: और

(ङ) पाकिस्तान के इस खतरे का सामना करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हाँ।

(ख) बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था और आपूर्तिकर्ता देशों में संयम और आपूर्ति प्रतिबंधों की एकपक्षीय घोषणाओं के बावजूद इस क्षेत्र में पाकिस्तान को मिल रहे निरन्तर विदेशी समर्थन के बारे में सरकार को पूर्ण जानकारी है।

(ग) से (ङ) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं कि पाकिस्तान 2000 कि.मी. की दूरी तक मार करने वाले गजनवी नामक प्रक्षेपास्त्र का विकास कर रहा है। भारत ने अपने खतरों के परिप्रेक्ष्य में इसकी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की प्रभावपूर्ण ढंग से रक्षा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने हेतु कृत संकल्प है।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों का उत्पादन

1244. **श्री चिन्ता मोहन :**
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में गेहूं, धान, कपास, तिलहन तथा दालों का प्रति एकड़ उत्पादन विदेशों की तुलना में कम है;

(ख) यदि हाँ, तो वे देश कौन-कौन से हैं जहां गेहूं, धान, कपास, तिलहन तथा दालों का प्रति एकड़ उत्पादन अधिकतम हैं तथा उनका प्रति एकड़ उत्पादन कितना है; और

(ग) जिन खाद्यान्नों का विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत का प्रति एकड़ उत्पादन अधिकतम है उनके नाम क्या-क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हाँ। कई देशों में गेहूं, धान, कपास, तिलहन और दलहन की उपज भारत से अधिक है।

(ख) वे देश, जिनमें गेहूं, धान, कपास, तिलहन और दलहनों की उपज अधिकतम है, निम्नलिखित हैं :-

क्र. सं.		देश	उपज (कि.ग्रा./हैक्टेयर)
1.	गेहूं	आयरलैंड	8997
2.	धान	प्यूर्टो राइका	8333
3.	कपास	गिनी	1200
4.	तिलहन		
(i)	कुसुम	संयुक्त राज्य अमेरिका	2050
(ii)	अलसी	चीन	3125
(iii)	सिसम	हंडुरास	1267
(iv)	तोरिया	मैक्सिको	11111
(v)	सूरजमुखी	स्विटजरलैंड	2727
(vi)	कॉस्टरबीन	पैराग्वे	1382
(vii)	मूंगफली	इज़रायल	5400
(viii)	सोयाबीन	इटली	3435
5.	कुल दलहन	फ्रांस	4769

(ग) कोई नहीं।

राव सागर परियोजना

1245. **श्री रामानन्द सिंह : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश की राव सागर परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की एक अंतर्राज्यीय परियोजना है;

(ख) यदि हाँ, तो इससे इन राज्यों की अलग-अलग कुल कितनी भूमि सिंचित किए जाने का प्रस्ताव है तथा इस परियोजना से कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन होने की संभावना है;

(ग) इसकी कितनी अनुमानित लागत निर्धारित है तथा अब तक इस पर कितना व्यय किया गया है;

(घ) केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में अलग-अलग कुल कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी है;

(ङ) इस परियोजना के अंतर्गत बांध तथा नहर के निर्माण कार्य का कितने प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है; और

(च) शेष निर्माण कार्य तब तक पूरा होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (च) मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में राव सागर परियोजना के नाम से कोई सिंचाई परियोजना नहीं है।

[अनुवाद]

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम

1246. **श्री माधवराव पाटील : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत बड़ी परियोजनाओं के लिये विभिन्न राज्य सरकारों को वर्ष 1997-98 के दौरान राज्य-वार कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ख) अभी तक वास्तव में राज्य-वार कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप सृजित होने वाली अनुमानित सिंचाई क्षमता क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) वर्ष 1997-98 के दौरान विभिन्न राज्यों की बड़ी परियोजनाओं को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम सहायता प्राप्त कर रही परियोजनाओं के पूरा होने पर कुल सृजित सम्भावित सिंचाई क्षमता 12.63 मिलियन हेक्टेयर होगी।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	वर्ष 1997-98 के दौरान जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता (करोड़ रुपये में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	74.00
2.	असम	12.40
3.	बिहार	14.04
4.	गोवा	5.25
5.	गुजरात	196.90
6.	हरियाणा	12.00
7.	हिमाचल प्रदेश	6.50
8.	कर्नाटक	90.50
9.	केरल	15.00
10.	मध्य प्रदेश	114.50
11.	महाराष्ट्र	55.00
12.	मणिपुर	26.00
13.	उड़ीसा	85.00
14.	पंजाब	100.00
15.	राजस्थान	42.00
16.	त्रिपुरा	5.10
17.	उत्तर प्रदेश	78.00
18.	पश्चिम बंगाल	20.00
	कुल	952.19

नारियल की खेती

1247. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री ए.सी. जोस :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में नारियल की खेती को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से नारियल की खेती में उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई सहायता मांगी है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या निर्णय लिया गया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार नारियल का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) केरल में नारियल पाम दुर्बलकारी जड़ (मुरझान) रोग से प्रभावित हैं जिसके कारण नारियल के उत्पादन और उत्पादकता में गिरावट आई है। वर्ष 1996-97 के दौरान किए गए अद्यतन सर्वेक्षण के अनुसार केरल के 8 दक्षिणी जिलों में लगभग 245 लाख पाम इस रोग से प्रभावित हैं।

(ग) और (घ) सितम्बर, 1997 के दौरान केरल सरकार द्वारा 562.31 करोड़ रुपये की कुल लागत से केरल में नारियल कृषि प्रणाली के विकास के लिए एक परियोजना प्रस्तुत की गई। इस परियोजना में रोग की रोकथाम के लिए, जिन कोकोनट पाम में जड़ मुरझान रोग गंभीर अवस्था में है, उन्हें उखाड़ने तथा वर्तमान पाम की उत्पादकता को बढ़ाने पर विचार किया गया है। परियोजना में सुझाए गए उपायों, यथा जड़ मुरझान से प्रभावित पाम को काटना और हटाना, पुनर्पोधरोपण/नए बागान लगाना, प्रशिक्षण, विस्तार और प्रचार, उत्पादकता सुधार, अंतर्फसलन/मिश्रित कृषि, सिंचाई सुविधाएं, कटाई के लिए सहायता, मूल्य वर्धन आदि के लिए नारियल विकास बोर्ड के विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन सहायता दी जाती है। वर्ष 1997-98 के दौरान विभिन्न नारियल विकास कार्यक्रमों के लिए 19.75 करोड़ रुपये के आवंटन में से बोर्ड ने केरल राज्य को 10.28 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए हैं।

(ङ) और (च) सरकार वर्ष 1998 मौसम के लिए कोपरा का समर्थन मूल्य निर्धारित करने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

विद्युत उत्पादन

1248. **श्री रंजीव बिस्वाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु विद्युत निगम (एन.पी.सी.) के अन्तर्गत कितने विद्युत संयंत्र कार्यरत हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान यह संयंत्र किन-किन स्थानों पर स्थापित किए गए तथा प्रत्येक संयंत्र की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और प्रत्येक इकाई का कार्य-निष्पादन क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) इस समय न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के अधीन पांच परमाणु विद्युत संयंत्र हैं, जिनमें से चार में दो-दो रिएक्टर यूनिट हैं और एक (राजस्थान) में एक रिएक्टर यूनिट है। एक संयंत्र (राजस्थान यूनिट-1) पर सरकार का स्वामित्व है किन्तु उसका प्रचालन एन.पी.सी.आई.एल. करता है।

(ख) प्रत्येक यूनिट की अवस्थिति, स्थापित क्षमता और गत तीन वर्षों के दौरान उनके कार्य-निष्पादन के बारे में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

अवस्थिति	यूनिट	डिजायन क्षमता (मेगावाट)	उपयोगिता (क्षमता गुणक %) 1995-96	1996-97	1997-98
तारापुर, महाराष्ट्र	टीएपीएस-1	160	79	30*	84
तारापुर, महाराष्ट्र	टीएपीएस-2	160	32*	46@	68
रावतभाटा, राजस्थान	आरएपीएस-1	100	+	+	40+
रावतभाटा, राजस्थान	आरएपीएस-2	200	+	+	+
कलपाक्कम, तमिलनाडु	एमएपीएस-1	170	76	51	49
कलपाक्कम, तमिलनाडु	एमएपीएस-2	170	18	83	78
नरोरा, उत्तर प्रदेश	एनएपीएस-1	220	67	71	90
नरोरा, उत्तर प्रदेश	एनएपीएस-2	220	75	75	89
ककरापार, गुजरात	केएपीएस-1	220	58	83	48
ककरापार, गुजरात	केएपीएस-2	220	70	83	63
	योग	1840			

* इन यूनिटों की क्षमता का कम उपयोग किए जाने का कारण नियामक और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस अवधि के दौरान सेवाकालीन निरीक्षण किया जाना है।

@ पुनः संचारण पम्पों में से एक की अनउपलब्धता ने भी इस अवधि के दौरान क्षमता के उपयोग को कम करने में योग दिया।

+ राजस्थान परमाणु बिजलीघर-1 और राजस्थान परमाणु बिजलीघर-2 को वर्ष 1994 के दौरान क्रमशः अति वाष्प-सह मोचन प्रणाली में रिसाव होने और शीतलक चैनल को बदलने के कार्य की वजह से बंद रखा गया। राजस्थान परमाणु बिजलीघर-1 को 31 मार्च, 1997 को फिर से चालू कर दिया गया था और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा यथा-अनुमत अप्रैल 97 से जून, 97 तक 100 मेगावाट और जुलाई, 97 से मार्च, 98 तक 150 मेगावाट के प्रचालन विद्युत स्तर के आधार पर 1997-98 के दौरान इसका हासिल किया गया क्षमता गुणक 40% है। राजस्थान परमाणु बिजलीघर-2 का बड़ा अनुरक्षण कार्य अंतिम चरण में है।

विदेश सचिव स्तरीय बातचीत

1249. श्री अशोक प्रधान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की पड़ौसी देशों के साथ गत तीन वर्षों के दौरान आज तक हुई विदेश सचिव स्तरीय बातचीत/बैठकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) यह बातचीत/बैठक किन-किन देशों के साथ किन-किन तारीखों को किस-किस स्थान पर हुई;

(ग) किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई और किन-किन मुद्दों पर आम सहमति हुई; और

(घ) इन बैठकों के परिणामस्वरूप हुई उपलब्धियों का पूरा ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान पड़ोसी देशों के साथ हुई विदेश सचिव स्तर की बातचीत का देशवार ब्यौरा इस प्रकार है:

चीन

चीन के साथ विदेश सचिव स्तर की बातचीत सीमा संबंधी प्रश्न से सम्बद्ध संयुक्त कार्यदल की 8वीं, 9वीं, और 10वीं बैठक के दौरान क्रमशः 18 से 20 अगस्त, 1995 (नई दिल्ली) 16 से 18 अक्टूबर, 1996 (बीजिंग), 3 से 5 अगस्त, 1997 (नई दिल्ली) को हुई।

संयुक्त कार्य दल की 8वीं बैठक में, पूर्वी सेक्टर में सम्पोरोंग घू घाटी में अत्यधिक सन्निधि से सम्बन्धित मसले का समाधान हुआ। 9वीं बैठक में, भारत-चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा को स्पष्ट करने के निरन्तर प्रयास जारी रहे। दोनों देशों के सीमावर्ती कार्मिकों के बीच विश्वासोत्पादक उपायों पर भी बातचीत हुई। दोनों पक्ष रक्षा स्थापनाओं के बीच आदान-प्रदान जारी रखने

और उसमें विस्तार करने पर सहमत हुए। 10वीं बैठक में, द्विपक्षीय संबंधों में घट रही घटनाओं की समीक्षा करने और आपसी हित के क्षेत्रीय, बहुपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान करने के अलावा भारत-चीन सीमा एवं वास्तविक नियंत्रण रेखा के स्पष्टीकरण से संबंधित मसलों पर भी विचार-विमर्श हुआ। दोनों पक्षों ने विश्वासोत्पादक उपायों से सम्बद्ध करार के अनुसमर्थन के दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया और भारत के विदेश मंत्रालय तथा चीन के विदेश मंत्रालय के बीच सहयोग से सम्बद्ध प्रोतोकाल सम्पन्न किया।

पाकिस्तान

हमारी पहल पर 1997 में विदेश सचिव स्तर की द्विपक्षीय बातचीत पुनः शुरू हुई। विदेश सचिव स्तर की बातचीत के तीन दौर 28 से 31 मार्च, 1997 तक नई दिल्ली में, 19 से 23 जून, 1997 तक इस्लामाबाद में तथा 15 से 18 सितम्बर, 1997 तक नई दिल्ली में सम्पन्न हुए। दोनों पक्षों द्वारा यह निर्णय लेने के बाद कि परस्पर सुविधाजनक तारीखों को बैठक होगी, तीसरे दौर की बातचीत स्थगित हो गई।

जून, 1997 में दूसरे दौर की बातचीत में दोनों देशों के विदेश सचिवों ने आठ विषय तय किए अर्थात् (क) शान्ति और सुरक्षा सहित विश्वासोत्पादक उपाय, (ख) जम्मू तथा कश्मीर, (ग) सियाचीन, (घ) तुलबुल नौवहन परियोजना (ङ) सिरक्रीक, (च) आतंकवाद और नशीली दवाओं का अवैध व्यापार, (छ) आर्थिक तथा वाणिज्यिक सहयोग, (ज) दोनों देशों के विचार-विमर्श के लिए विभिन्न क्षेत्रों में मैत्रीपूर्ण आदान-प्रदानों को बढ़ावा देना। उन्होंने इन मामलों के समाधान के लिए एक तंत्र की स्थापना का भी निर्णय लिया।

तीसरे दौर की बातचीत में वार्ता के इन तंत्रों पर विचार-विमर्श केन्द्रित रहा। बाद में दोनों देशों के विदेश सचिवों की अक्टूबर, 1997 में एडिनबरा में सम्पन्न राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक तथा ढाका में जनवरी, 1998 में भारत-बंगलादेश-पाकिस्तान व्यवसाय शिखर-सम्मेलन के दौरान मुलाकात हुई। ढाका में हमारे विदेश सचिव ने वार्ता की रूपरेखा के बारे में कुछ प्रस्तावों को अपने पाकिस्तानी समकक्ष को दिया। पाकिस्तान द्वारा इन प्रस्तावों पर अभी विचार किया जाना है।

नेपाल

विदेश सचिव स्तर की बातचीत 9 जून, 1995 को नई दिल्ली में, 17 से 19 नवम्बर, 1995 को काठमाण्डू में तथा 20 अगस्त, 1997 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। इन बैठकों से परस्पर हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर विचार-विमर्श हो सका। उपर्युक्त तीनों बैठकों में जिन मसलों पर विचार-विमर्श हुआ उनमें द्विपक्षीय, आर्थिक सहयोग सहित विविध क्षेत्रों में सहयोग, व्यापार तथा पारगमन से संबंधित मामले, जल संसाधन, भारत-नेपाल सीमा का प्रबंधन और सीमांकन तथा भारत और नेपाल के बीच 1950 की शांति तथा मैत्री संधि शामिल है।

विदेश सचिव स्तर की बैठकों से मैत्रीपूर्ण तथा मुक्त बातचीत करने का अवसर मिला। दोनों पक्षों ने यह महसूस किया कि ऐसी मुलाकातें उपयोगी तथा रचनात्मक रहीं तथा उनसे बहुमूल्य विचारों का आदान-प्रदान हो सका।

भूटान

विदेश सचिव स्तर की बातचीत 28 और 29 अक्टूबर, 1995, 2 से 6 मई, 1996 तक, 24 और 25 नवम्बर, 1996, 2 और 3 मार्च, 1997, 25 से 27 अप्रैल, 1997 तक तथा 21 से 24 जुलाई, 1997 तक थिम्पू में हुई।

भारत और भूटान के बीच संबंध घनिष्ठ और सौहार्दपूर्ण रहे हैं तथा अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण हैं। इन संबंधों के निरंतर विकसित होने का महत्वपूर्ण कारण दोनों देशों के नेताओं/अधिकारियों के बीच विचारों के निरन्तर तथा व्यापक आदान-प्रदान करने की सुस्थापित परम्परा रही है। विदेश सचिव स्तर की बातचीत इस नियमित क्रियाकलाप का एक भाग है जिससे भारत-भूटान संबंधों के सम्पूर्ण पहलुओं की व्यापक समीक्षा हो सके साथ ही आपसी हित के क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर विचारों का आदान-प्रदान हो सके।

बंगलादेश

विदेश सचिव स्तर की वार्ता 23 से 25 जून, 1995, 5 से 7 जुलाई, 1996 को ढाका में और 6 से 9 अगस्त, 1996 को नई दिल्ली में हुई।

23 से 25 जून, 1995 को हमारे विदेश सचिव की बंगलादेश की यात्रा के दौरान आपसी हित-चिन्ता के द्विपक्षीय मसलों पर बातचीत हुई। 5 से 7 जुलाई, 1996 तक प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में हमारे विदेश सचिव की बंगलादेश की यात्रा के दौरान हमारे प्रधानमंत्री का पत्र बंगलादेश की प्रधानमंत्री को देने के अलावा उन्होंने बंगलादेश के विदेश सचिव के साथ मुलाकात के दौरान आपसी हित के सभी क्षेत्रों में सहयोगी संबंधों के लिए भारत सरकार की सद्भावना तथा इच्छा से अवगत कराया। यही भावना बंगलादेश ने भी व्यक्त की। 6 से 9 अगस्त, 1996 को बंगलादेश की प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में वहां के विदेश सचिव की भारत यात्रा के दौरान विदेश सचिव स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय, व्यापारिक, जल संसाधन, परिवहन, दूरसंचार आदि मामलों के साथ-साथ सार्क से संबंधित मामलों पर बातचीत हुई। दोनों पक्षों ने दोनों देशों के निजी क्षेत्रों के बीच सीधे सम्पर्कों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता भी महसूस की।

मालदीव

विदेश सचिव स्तर की बातचीत माले में 26 नवम्बर, 1997 को हुई जिसमें भारत-मालदीव संयुक्त आयोग का चौथा सत्र बुलाने, मालदीव के राष्ट्रपति की भारत यात्रा, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर विचार-विमर्श हुआ। हमारे विदेश सचिव सार्क विदेश सचिवों की स्थायी समिति की बैठक तथा

सार्क मंत्रियों की परिषद् के 19वें सत्र में भाग लेने के लिए माले की यात्रा .ए गए।

[हिन्दी]

आरक्षण की निगरानी

1250. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 22.5% आरक्षण के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कोई पैनल गठित किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पैनल के सदस्यों के नाम क्या हैं और इसकी शर्तों और कार्य प्रणाली का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी सेवाओं में इनके लिए निर्धारित अन्य पिछड़े वर्ग के कोटे से पदों पर भर्ती किए जाने के बारे में वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है और क्या इस प्रयोजन के लिए कोई समयबद्ध योजना तैयार की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते।

(ग) प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सम्बन्ध में कुल आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा का पालन करते हुए, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित समुचित कोटे के अन्तर्गत रिक्त पद भरने का हर सम्भव प्रयास किया जाता है। अतः अन्य पिछड़े वर्गों के सभी पद एक ही बार न भरने हेतु एक समयबद्ध योजना बनाना व्यवहार्य नहीं है।

[अनुवाद]

पाकिस्तान को रूसी प्रक्षेपास्त्र

1251. श्री नरेश पुगलीया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 अप्रैल, 1998 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'रशियन मिसाइल्स मे फाइन्ड देयर वे टू पाक, फ्रॉम चाइना' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे सौदे पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार तनाव समाप्त करने के लिए ऐसे मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हाँ। हालांकि यह समाचार हिन्दुस्तान टाइम्स के 28 अप्रैल, 1998 के अंक में आया।

(ख) से (घ) सरकार को पराध्वनिक जहाज रोधी मिसाइल एस.एस.एन.-22 वाहक कुछ जहाजों की बिक्री सहित रूस एवं चीन के बीच जारी सैन्य सहयोग की जानकारी है।

सरकार को चीन द्वारा मिसाइल तथा मिसाइल प्रौद्योगिकी पाकिस्तान को हस्तांतरित किये जाने की भी जानकारी है। ऐसे हस्तांतरणों के प्रति हमारी चिन्ता सर्वविदित है तथा विभिन्न देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय चर्चाओं में इसे उठाया गया है।

[हिन्दी]

हज तीर्थ यात्री

1252. श्री अजीत जोगी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने यात्रियों ने सऊदी अरब की यात्रा की;

(ख) क्या सभी हज यात्री विमान से यात्रा करते हैं;

(ग) अगले वर्ष कितने यात्री राज्यवार सऊदी अरब की यात्रा करेंगे; और

(घ) विमान से और जल-पोत से यात्रा करने से अलग-अलग औसतन व्यय का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान हज के लिए सऊदी अरब जाने वाले भारतीय हाजियों की संख्या इस प्रकार है :

(i)	1996	75,000 (अनुमानतः)
(ii)	1997	87,516
(iii)	1998	95,119

2. हज 1995 से ही, सभी भारतीय हजयात्री केवल वायुमार्ग के जरिए यात्रा पर जा रहे हैं।

3. 1999 के लिए, सरकार ने अभी हज कमेटी के जरिए हज करने वाले भारतीय यात्रियों की संख्या निर्धारित नहीं की। इसके आगामी एक माह मे निर्धारित किए जाने की उम्मीद है जिसके

पश्चात् केन्द्रीय हज समिति द्वारा राज्यवार संख्या निर्धारित की जाएगी।

4. हज कमेटी के जरिए हज पर जाने वाले यात्रियों द्वारा भुगतान किया गया वायुयान किराया 12,000 रुपये है।

[अनुवाद]

मक्खन और घी का उत्पादन

1253. **श्री राजवीर सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों से अब तक भारत में मक्खन और घी का कितना उत्पादन हुआ और इनकी कितनी मांग थी;

(ख) क्या देश इस संबंध में आत्म निर्भर बन गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो देश में मक्खन और घी की आवश्यकता पूरी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) मक्खन और घी की मांग मूल्य, उपभोक्ता की तरजीह, खरीद शक्ति, बाजार में इनकी एवज में दूसरी वस्तुओं की उपलब्धता के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है। उत्पादन मांग पर निर्भर करता है और इसलिए यह भी भिन्न-भिन्न होता है। मक्खन और घी के बड़े भाग का उत्पादन असंगठित क्षेत्र में किया जाता है जिसके लिए कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है। सहकारिता क्षेत्र में पिछले दो वर्षों में उत्पादित मक्खन और घी मीट्रिक टन में निम्नानुसार है :

अवधि	टेबल मक्खन	घी
1996-97	33180	47264
1997-98 (अनन्तिम)	30477	51650

(ख) दुग्ध वसा का आयात/निर्यात केवल मामूली है और इसलिए कुल मिलाकर भारत मक्खन और घी के उत्पादन में आत्म-निर्भर है।

(ग) उक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कपास की किस्में

1254. **श्री आर. साम्बासिवा राव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वस्त्र उद्योग ने देश में उपजाई जाने वाली कपास की कुछ किस्मों पर तत्काल रोक लगाने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध मे कोई अन्तिम निर्णय ले लिया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो देश में उपजाई जाने वाली कितनी किस्में होंगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) जी, नहीं। देश में उगायी जाने वाली कपास की कुछ किस्मों पर रोक लगाने के बारे में कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। बहरहाल, ईस्ट इण्डिया कॉटन एसोसियेशन, मुम्बई ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से कपास की बेकार किस्मों को हटाने का अनुरोध किया है। यदि बीज अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत किसी किस्म को अनधिसूचित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है तो यथासमय इस पर विचार किया जाएगा। तथापि, यदि कोई किस्म अनधिसूचित की जाती है तो किसानों द्वारा कपास की अनधिसूचित किस्में अपनाए जाने पर बीज अधिनियम के तहत कोई रोक नहीं है।

रूस के साथ समझौता

1255. **डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रूस ने कृषि और संबंधित क्षेत्रों में सहयोग हेतु वर्ष 1998 और 1999 की एक कार्ययोजना (वर्क प्लान) पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो हस्ताक्षर किए गए समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समझौते से भारत को कितना लाभ होने की संभावना है; और

(घ) इस समझौते को कब से कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) रूस की सरकार/रूसी कृषि विज्ञान अकादमी (आर.ए.ए.एस.) के साथ निम्नलिखित करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं :

(i) कृषि अनुसंधान एवं तत्संबंधी विषयों के क्षेत्र में सहयोग के लिए दिनांक 5.10.95 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् एवं रूसी कृषि विज्ञान अकादमी के बीच करार।

(ii) पौध संगरोध एवं पौध संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग के लिए दिनांक 25.3.1997 को भारत गणतंत्र सरकार एवं रूसी संघ सरकार के बीच करार।

दिनांक 5.10.95 को हुए करार के अनुच्छेद 2 एवं 3 के अनुपालन में कृषि अनुसंधान एवं संबद्ध विषयों में वर्ष 1998 एवं 1999 में सहयोग के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् एवं रूसी कृषि विज्ञान अकादमी के बीच 25.11.97 को एक कार्य-योजना पर हस्ताक्षर किये गये। इस कार्य-योजना के अन्तर्गत विभिन्न भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् संस्थानों एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के 36 वैज्ञानिक फसल विज्ञान, पशु विज्ञान, मात्स्यिकी, बागवानी, जैव-प्रौद्योगिकी, मृदा आदि के क्षेत्रों में अपने

ज्ञान एवं कुशलता में वृद्धि के लिए रूस कृषि विज्ञान अकादमी के संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। भा.कृ.अ.प. को शीतोष्ण फलों, चारा फसलों, छोटे जुगाली करने वाले जीवों एवं सूअरों इत्यादि के जर्मप्लाज़्म भी मिलेंगे।

इस करार के अंतर्गत पौध संगरोध एवं पौध संरक्षण के क्षेत्र में किसी कार्य-योजना पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। इस करार का उद्देश्य दोनों देशों के क्षेत्रों में संगरोध कृमियों के संक्रमण एवं विस्तार पर रोक, पौध रोगों पर रोक, खर-पतवारों पर रोक एवं इसके साथ-साथ दोनों देशों के बीच रोपण-सामग्रियों, कृषि वन एवं पौध उत्पादों के विनियम एवं व्यापार का विकास करना है।

(घ) दिनांक 5.10.95 को हुए इस करार के तहत भा.कृ.अ.प. एवं रूस कृषि विज्ञान अकादमी के बीच हस्ताक्षरित कार्य-योजना का क्रियान्वयन 31.12.1999 तक किया जाना है।

काली मिर्च संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन

1256. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में काली मिर्च और अन्य मसालों के उत्पादन की गुणवत्ता और इनका उत्पादन बढ़ाने के संबंध में सहायता मांगी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या काली मिर्च संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन शुरू करने के लिये केन्द्र सरकार ने केरल सरकार को सहायता प्रदान की है; और

(ग) यदि हाँ, तो केरल राज्य में इनके उत्पादन को बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा दी गयी सहायता का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) केरल सरकार ने अपने राज्य में काली मिर्च के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये काली मिर्च प्रौद्योगिकी मिशन की एक रिपोर्ट योजना आयोग को प्रस्तुत की है। केरल राज्य सरकार ने राज्य के एक क्रियाकलाप के रूप में क्रियान्वयन हेतु काली मिर्च प्रौद्योगिकी मिशन का प्रस्ताव किया है और सभी उपलब्ध संसाधनों और प्रयासों को एकजुट करने की परिकल्पना की है और सभी राज्य और केन्द्रीय संस्थानों/एजेन्सियों, जो इस राज्य में स्थित है और काली मिर्च के विकास में शामिल हैं, के कार्यों को समेकित करने पर विचार किया है।

(ख) और (ग) चूंकि काली मिर्च प्रौद्योगिकी मिशन के अभिज्ञात कार्यों में अन्तर्सरकारी और अन्तरमंत्रालयी समन्वय शामिल हैं, अतः योजना आयोग ने सम्बन्धित विभागों के विचारों को जानना चाहा है। भाग लेने वाली एजेन्सियों/विभागों की वित्तीय परिस्थितियों को देखते हुए प्रस्तावित मिशन पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है।

हालांकि कृषि मंत्रालय अपने मसाला विकास सम्बन्धी केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत काली मिर्च और अन्य मसालों के उत्पादन कार्यक्रमों में सहायता पहुंचाता रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, भारत सरकार ने केरल को 1997-98 के दौरान 1349.92 लाख रुपये जारी किये हैं। इसमें से 9.24 करोड़ रुपये काली मिर्च के विकास के लिए निर्धारित किये गये हैं, जिसमें प्रस्तावित प्रौद्योगिकी मिशन के अधिकांश उत्पादन घटक शामिल हैं। इन कार्यक्रमों को 1998-99 के दौरान भी जारी रखने के लिए प्रस्ताव किया गया है।

डेयरी विकास

1257. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेयरी विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन हेतु धनराशि मांगने के लिए केरल सरकार का कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1996 अथवा 1997 के दौरान इस परियोजना के लिए केरल राज्य को कोई धनराशि उपलब्ध कराई गई थी;

(घ) यदि हाँ, तो वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं। डेयरी विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन के तहत सहायता का लाभ उठाने के लिए केरल सरकार ने कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया था।

(ख) से (ङ) उक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

सब्जियों का उत्पादन

1258. **श्री ए.सी. जोस** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने हेतु विस्तृत कार्यक्रम संबंधी कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्तावित कार्यक्रम/योजना का ब्यौरा क्या है तथा इस प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया; और

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और इस योजना से सीमान्त सब्जी उत्पादकों को कैसे सहायता मिलने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हाँ। केरल सरकार ने राज्य में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए सब्जी उत्पादन में वृद्धि करने संबंधी परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

(ख) इस परियोजना में राज्य में सब्जियों की फसल तैयार होने के पश्चात् रख-रखाव तथा विपणन तथा अनुसंधान को मजबूत

बनाना, क्षेत्र विस्तार तथा बीज उत्पादन कार्यक्रम शामिल हैं। भारत सरकार ने केरल सरकार को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के दिशा-निर्देशों के संदर्भ में राज्य के लिए शीतागारों की स्थापना तथा कटाई पश्चात् प्रबंध सुविधाओं के लिए सहायता का लाभ उठाने के लिए परियोजना, प्रस्ताव में संशोधन करने तथा इसे वित्त पोषण के लिए सीधे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के कार्यकारी निदेशक को प्रस्तुत करने का सुझाव दिया था।

(ग) प्रस्तावित परियोजना की अनुमानित लागत 2863.32 लाख रुपये थी। इस परियोजना के अंतर्गत सब्सिडीयुक्त उन्नत/संकर सब्जी बीज मिनीकिटों के वितरण, प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन कार्यक्रमों आदि के द्वारा सीमान्त सब्जी किसानों को लाभ मिलने की संभावना है।

[हिन्दी]

बाढ़ नियंत्रण

1259. श्री अशोक प्रधान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक देश में बाढ़ के नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सिंचाई के लिए वर्षाजल के संरक्षण के लिए क्या कदम प्रस्तावित हैं;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ों पर नियंत्रण पाने के लिए योजना बनाने का है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) बाढ़ प्रबंध राज्य का विषय होने के कारण बाढ़ प्रबंध स्कीमों का अन्वेषण, आयोजना और कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र में आता है। केन्द्र तकनीकी, उत्प्रेरक और प्रोत्साहनात्मक स्वरूप की सहायता प्रदान करता है।

भारत सरकार ने पूरे देश की बाढ़ समस्याओं के लिए व्यापक दृष्टिकोण तैयार करने के उद्देश्य से वर्ष 1976 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किया था। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने अपनी रिपोर्ट (1980) में 207 दीर्घकालीन और अल्प कालीन सिफारिशें कीं थीं जो देश के सभी राज्यों को कार्यान्वयन के लिए भेज दी गई हैं इसके अलावा, गंगा और ब्रह्मपुत्र के गम्भीर बाढ़ प्रवण बेसिनों के लिए बाढ़ नियंत्रण आयोग और ब्रह्मपुत्र बोर्ड के केन्द्रीय संगठनों ने बाढ़ प्रबंध की व्यापक योजनाएं तैयार की हैं जिन्हें राज्य सरकारों को विस्तुत स्कीमें तैयार करने और इसको कार्यान्वित करने के लिए भेज दिया गया है। इसके अलावा, वर्ष 1987 के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तर-पूर्वी राज्यों की बाढ़ समस्याओं का अध्ययन करने के लिए सचिव (जल संसाधन) की अध्यक्षता में दो समितियां गठित की गई थी। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा गठित अधिकार प्राप्त समिति ने इन समितियों की सिफारिशों की और आगे जांच की और अधिकार प्राप्त समिति के निष्कर्ष वर्ष 1991 में संबंधित राज्य सरकारों और संगठनों की अनुवर्ती कार्रवाई को लिए भेजे गये। साथ ही, केन्द्रीय सरकार बाढ़ से होने वाली हानि को राज्य सरकारों को समय पर बाढ़ पूर्वानुमानों की सेवाएं प्रदान करने के लिए अन्तर्राज्यीय नदियों पर 157 बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्र चला रही हैं। केन्द्रीय सरकार असम और उत्तर के सीमावर्ती राज्यों तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों में महत्वपूर्ण बाढ़ प्रबंध कार्य करने के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। उत्तर बिहार को बाढ़-प्रूफिंग कार्यक्रम चलाने के लिए भी केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है। राज्यवार उपलब्धि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) सिंचाई और अन्य उद्देश्यों के लिए वर्षा जल का समुचित उपयोग करने के वास्ते जल को संरक्षित करने की दृष्टि से क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं में नदियों पर भण्डारण बनाने पर बल दिया गया है जिससे देश में बहुत से भण्डारण जलाशय सृजित किये गये हैं। इस समय, 77 बिलियन घन मीटर की कुल सक्रिय भण्डारण क्षमता के जलाशय निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं और 132.3 बिलियन घन मीटर की कुल सक्रिय भण्डारण क्षमता के जलाशय बनाने पर विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) उत्तर-प्रदेश राज्य से बहुत सी नदियां गुजरती हैं इनमें से मुख्य हैं : यमुना, रामगंगा, गोमती, बेतवा, टोन्स, घाघरा और गंगा। इन सभी नदी प्रणालियों के लिए गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा तैयार की गई बाढ़ प्रबंध की व्यापक योजनाएं विस्तृत स्कीमें तैयार करने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए उत्तर-प्रदेश सरकार को भेजी जा चुकी हैं। व्यापक योजनाओं में सुझाये गये उपायों में तटबंधों का निर्माण, जल निकास प्रणालियों का सुधार और कटावरोधी कार्य करना आदि शामिल है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

बाढ़ प्रबंध के अंतर्गत कार्यों की राज्यवार वास्तविक उपलब्धि

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	तटबंध की लम्बाई (कि.मी.)	जल निकास चैनलों की लम्बाई (कि.मी.)	शहर/गांव सुरक्षा कार्य	उठाये गये/सुरक्षित बनाये गये गांव (संख्या)	लाभान्वित क्षेत्र (मिलियन हैक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	572	13569	52	21	1.0123

1	2	3	4	5	6	7
2.	अरूणाचल प्रदेश	2	–	–	–	–
3.	असम	4566	957	89	16	1.7269
4.	बिहार	2788	365	47	–	1.8890
5.	गोवा	10	12	4	6	0.0001
6.	गुजरात	952	271	229	30	0.4410
7.	हरियाणा	662	3922	180	90	1.7300
8.	हिमाचल प्रदेश	58	11	–	–	0.0120
9.	जम्मू व कश्मीर	80	14	12	5	0.1834
10.	कर्नाटक	–	–	–	–	0.0570
11.	केरल	113	28	4	6	0.0518
12.	मध्य प्रदेश	21	–	37	–	0.0040
13.	महाराष्ट्र	26	–	26	–	0.0010
14.	मणिपुर	300	76	1	1	0.0900
15.	मेघालय	112	–	8	2	0.0896
16.	मिजोरम	1	1	–	–	–
17.	नागालैंड	–	–	–	–	–
18.	उड़ीसा	1068	131	14	29	0.4800
19.	पंजाब	1370	6622	3	–	2.6750
20.	राजस्थान	145	197	25	–	0.0816
21.	सिक्किम	–	–	6	–	0.0002
22.	तमिलनाडु	87	19	46	4	0.1220
23.	त्रिपुरा	128	94	11	–	0.0388
24.	उत्तर प्रदेश	1811	3593	64	4511	1.5320
25.	पश्चिम बंगाल	1184	1648	48	–	2.0770
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	–	–	–	–	
27.	चण्डीगढ़	–	–	–	–	–
28.	दादरा व नागर हवेली	–	–	–	–	–
29.	दमन व दीव	–	–	–	–	–
30.	दिल्ली	83	453	–	–	0.0780
31.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–
32.	पांडिचेरी	61	20	–	–	0.0093
	कुल भारत	16200	32003	906	4721	14.3740

[अनुवाद]

रिक्त पद

1260. श्री जी.एम. बनातवाला : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल विकास बोर्ड के चेयरमैन का पद रिक्त पड़ा है;

(ख) यदि हाँ, तो कब से; और

(ग) उक्त पद को शीघ्र भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) जी, हाँ। तत्कालीन पदधारी का कार्यकाल 2.9.97 को समाप्त हो जाने के बाद नारियल विकास बोर्ड के अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है। इस पद को नियमित आधार पर भरने के प्रयास किए जा रहे हैं। तदनुसार संबंधित एजेंसियों को रिक्ति परिचालित करके उपयुक्त उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। चयन समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

भारतीय पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा विकास एजेंसी

1261. श्री मोहन रावले : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा विकास एजेंसी (आई.आर.ई.डी.ए.) का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि में विद्युत उत्पादन बढ़ाने तथा अपनी गतिविधियों को विविधिकृत करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) क्या विश्व बैंक ने भी इस उद्देश्य के लिए धनराशि स्वीकृत की है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जी, हाँ। इरेडा ने 9वीं पंचवर्षीय योजना काल में अक्षय ऊर्जा के माध्यम से 1150 मे.वा. क्षमता के वित्त पोषण के लक्ष्य का प्रस्ताव रखा है। इन योजनाबद्ध क्रियाकलापों में 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 3594 करोड़ रुपये के अनुमानित ऋण की मंजूरी तथा 2544 करोड़ रुपये का संवितरण शामिल हैं। विवरण संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इरेडा ने, 9वीं पंचवर्षीय योजना काल के दौरान, ऊर्जा दक्षता, परामर्शी सेवाओं, तथा निर्यात में उन्नति के क्षेत्र में भी कार्यकलाप करने की योजना बनाई है।

(ग) और (घ) जी, हाँ। ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इरेडा द्वारा अक्षय ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए प्रस्तावित लक्ष्य

क्र. सं.	क्षेत्र	अनुमानित क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित ऋण धनराशि (करोड़ रुपये)	ऋण भुगतान (करोड़ रुपये)
1.	पवन	600	1800.00	1250.00
2.	लघु पन विद्युत	250	780.00	380.00
3.	सह उत्पादन	200	540.00	540.00
4.	बायोमास विद्युत	70	150.00	150.00
5.	सौर प्रकाशवोल्टीय	15	310.00	210.00
6.	बायोमास गैसीफायर	15	14.00	14.00
	कुल	1150	3594.00	2544.00

विवरण-II

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना के अंतर्गत इरेडा द्वारा अनुमोदित/संवितरित धनराशि का ब्यौरा

I. विश्व बैंक से सहायता प्राप्त भारतीय अक्षय संसाधन विकास परियोजना (आई.आर.आर.डी.पी.) के अंतर्गत पहली साख लाइन का ब्यौरा

(क)	अनुमोदित
अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई.डी.ए.) से साख लाइन	115 मिलियन अमेरिकी डॉलर
जी.ई.एफ. अनुदान	26 मिलियन अमेरिकी डॉलर
एस.डी.सी. अनुदान	4 मिलियन अमेरिकी डॉलर
डानिडा	15 मिलियन अमेरिकी डॉलर
कुल	160 मिलियन अमेरिकी डॉलर

* यह सहायता तीन क्षेत्रों यथा पवन, लघु पन विद्युत तथा सौर प्रकाशवोल्टीय के लिए है।

(ख) उपर्युक्त में से, 31.3.1997 (आठवीं योजना का अंत) तक निम्नलिखित धनराशि का संवितरण किया गया है।

	संवितरित धनराशि	
	रुपये में	अमेरिकी डॉलर में
आई.डी.ए. क्रेडिट	104.78 करोड़ रु०	29.93 मिलियन अमेरिकी डॉलर
जी.ई.एफ. अनुदान	52.09 करोड़ रु०	14.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर
एस.डी.सी. अनुदान	1.65 करोड़ रु०	0.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर
डानिडा	14.24 करोड़ रु०	4.0 मिलियन अमेरिकी डॉलर
कुल	172.76 करोड़ रु०	49.37 मिलियन अमेरिकी डॉलर

*1 अमेरिकी डॉलर = 35.00 रु०

(ग) 110.63 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बकाया धनराशि का संवितरण नवीं योजना काल के दौरान किया जाएगा।

II. द्वितीय अक्षय ऊर्जा परियोजना के अंतर्गत विश्व बैंक से द्वितीय साख लाइन का समझौता अप्रैल, 1998 के दौरान विश्व बैंक के साथ किया गया, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है :

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई.डी.ए.) क्रेडिट	50 मिलियन अमेरिकी डॉलर
अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आई.बी.आर.डी.) ऋण	80 मिलियन अमेरिकी डॉलर
जी.ई.एफ. अनुदान	5 मिलियन अमेरिकी डॉलर
कुल	135 मिलियन अमेरिकी डॉलर

@यह सहायता दो क्षेत्रों यथा लघु पन विद्युत तथा ऊर्जा दक्षता (मांग पक्ष प्रबंध) के लिए है।

आई.डी.ए. : अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ

जी.ई.एफ. : ग्लोबल एनवायरमेंट फेसीलिटी

एस.डी.सी. : स्विस विकास को.

डी.ए.एन.आई.डी.ए. : डैनिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था (डानिडा)

असम के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए योजनाएं

1262. डॉ० जयन्त रंगपी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 8.5.98 को प्रधानमंत्री की पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र की कुल 41 परियोजनाओं की पहचान की गई है जिनमें से 19 परियोजनाओं का तत्काल क्रियान्वयन किया जाना है;

(ख) यदि हाँ, तो इनमें से कितनी परियोजनाएं असम के पर्वतीय जिलों के लिए हैं, इन परियोजनाओं का नाम क्या हैं तथा परियोजना-वार इनका परिव्यय क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा असम के पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों को राज्य के अन्य हिस्सों तथा देश के अन्य क्षेत्रों के बराबर लाने के लिए कौन-कौन से विशेष कदम उठाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) दिनांक 8 मई, 1998 को पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्रियों की प्रधानमंत्री जी के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि इन राज्यों के विकास के लिए एक परियोजना दृष्टिकोण अपनाया जाएगा जिसके लिए राज्य सरकारों और पूर्वोत्तर परिषद् के साथ विचार-विमर्श करके परियोजनाओं की पहचान की जाएगी।

(ग) नामित पर्वतीय क्षेत्रों यथाः उत्तर कछार और कारबी आंगलांग जिलों के विकास के लिए असम सरकार के प्रयासों को पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता के माध्यम से पूरा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उत्तर कछार के पहाड़ी जिलों की स्वायत्त परिषद् के लिए वार्षिक योजना 1997-98 हेतु असम सरकार को 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता भी मंजूर की गई थी।

अनुमोदित योजना परिव्यय

1263. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम, बिहार, गोवा, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान और त्रिपुरा के लिए नौवीं योजना में अनुमोदित परिव्यय क्या है; और

(ख) ऐसे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के योजनावार नाम क्या हैं जिनके योजना परिव्यय के प्रतिशत में पहली योजना परिव्यय से नौवीं योजना परिव्यय को क्रमबद्ध रूप में ध्यान रखते हुए भारी वृद्धि की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) असम, बिहार, गोवा, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान और त्रिपुरा सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पहली योजना से आठवीं योजना तक के अनुमोदित परिव्यय, प्रतिशत वृद्धि तथा नौवीं योजना अनुमानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पहली योजना (1951-56) से नौवीं योजना (1997-2002) तक का मूल रूप से सहमत/अनुमोदित परिव्यय (वर्तमान मूल्यों पर)

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	पहली योजना (1951-56)	दूसरी योजना (1956-61)	पहली योजना मे % वृद्धि	तीसरी योजना (1961-67)	दूसरी योजना मे % वृद्धि	चौथी योजना (1969-74)	तीसरी योजना मे % वृद्धि	पांचवीं योजना (1974-79)	चौथी योजना मे % वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आन्ध्र प्रदेश	114.14	219.19	92.04	305.00	39.15	420.50	37.87	1333.58	217.14
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.21	9.51	125.89	7.15	-24.82	17.99	151.61	63.30	251.86
3.	असम	21.67	57.94	167.37	120.00	107.11	223.75	86.46	473.84	111.77
4.	बिहार	68.67	194.22	182.83	337.04	73.54	531.28	57.63	1296.06	143.95
5.	गोवा	@	@		23.04*		39.50*	71.44	85.00*	115.19
6.	गुजरात	30.49	55.59	82.32	235.00	322.74	455.00	93.62	1185.76	160.61
7.	हरियाणा	@	@		@		225.00		601.34	167.26
8.	हिमाचल प्रदेश	5.70	14.72	158.25	27.93	89.74	101.40	263.05	238.95	135.65
9.	जम्मू एवं कश्मीर	12.74	33.92	166.25	75.00	121.11	158.40	111.20	362.64	128.94
10.	कर्नाटक	50.92	84.37	65.69	250.00	196.31	350.00	40.00	997.67	185.05
11.	केरल	31.28	71.95	130.02	170.00	136.28	258.40	52.00	568.96	120.19
12.	मध्य प्रदेश	83.68	230.19	175.08	300.00	30.33	383.00	27.67	1379.71	260.24
13.	महाराष्ट्र	159.86	266.25	66.55	390.00	46.48	898.12	130.29	2347.61	161.39
14.	मणिपुर	1.55	6.25	303.23	12.88	106.08	30.25	134.86	92.86	206.98
15.	मेघालय	@	@		@		38.00		89.53	135.61
16.	मिजोरम	@	@		@		**		46.59	
17.	नागालैन्ड	@	@		7.15		40.00	459.44	83.63	109.08
18.	उड़ीसा	21.23	99.97	370.89	160.00	60.05	222.60	39.12	585.02	162.81
19.	पंजाब	44.62	162.68	264.59	231.39	42.24	293.56	26.87	1013.49	245.24
20.	राजस्थान	27.28	105.27	285.89	236.00	124.19	302.00	27.97	709.24	134.85
21.	सिक्किम	@	@		@		@		39.64	
22.	तमिलनाडु	90.20	173.06	91.86	290.88	68.08	519.36	78.55	1122.32	116.10
23.	त्रिपुरा	2.29	8.47	269.87	16.32	92.68	34.66	112.38	69.68	101.04
24.	उत्तर प्रदेश	129.83	253.10	94.95	497.00	96.37	965.00	94.16	2445.86	153.46
25.	प0 बगांल	76.45	153.66	100.99	250.00	62.70	322.50	29.00	1246.83	286.61
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3.83	5.92	54.57	9.79	65.37	14.00	43.00	33.72	140.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	चण्डीगढ़	@	@		*		7.75		39.76	413.03
28.	दादरा एवं नगर हवेली	@	@		*		2.30		9.41	309.13
29.	दमन एवं दीव	£	£		£		£		£	
30.	दिल्ली	6.79	16.97	149.93	81.75	381.73	162.65	98.96	316.01	94.29
31.	लक्षद्वीप	@	@		0.97		2.00	106.19	6.23	211.50
32.	पांडिचेरी	0.73	4.76	552.05	6.93	45.59	12.50	80.38	34.04	172.32

विवरण

(पहली योजना (1951-56) से नौवीं योजना (1997-2002) तक का मूल रूप से सहमत/अनुमोदित परिव्यय (वर्तमान मूल्यों पर)

क्र० सं०	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	छठी योजना (1980-85)	पंचम योजना में % वृद्धि	सातवीं योजना (1985-901)	छठी योजना में % वृद्धि	आठवीं योजना (1992-97)	सातवीं योजना में % वृद्धि	नौवीं योजना (1997-02)	आठवीं योजना में % वृद्धि
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	आंध्र प्रदेश	3100.00	132.46	5200.00	67.74	10500.00	101.92	25150.00	139.52
2.	अरूणाचल प्रदेश	212.00	234.91	400.00	88.68	1155.00	188.75	3569.89@@	209.08
3.	असम	1115.00	135.31	2100.00	88.34	4662.00	122.00	8983.93@@	92.71
4.	बिहार	3225.00	148.83	5100.00	58.14	13000.00	154.90	16680.00	28.31
5.	गोवा	192.00*	125.88	360.00*	87.50	761.00	111.39	1500.00	97.11
6.	गुजरात	3680.00	210.35	6000.00	63.04	11500.00	91.67	28000.00	143.48
7.	हरियाणा	1800.00	199.33	2900.00	61.11	5700.00	96.55	9310.00	63.33
8.	हिमाचल प्रदेश	560.00	134.36	1050.00	87.50	2502.00	138.29	5700.00	127.82
9.	जम्मू एवं कश्मीर	900.00	148.18	1400.00	55.56	4000.00	185.71	9500.00	137.50
10.	कर्नाटक	2265.00	127.03	3500.00	54.53	12300.00	251.43	23400.00	90.24
11.	केरल	1550.00	172.43	2100.00	35.48	5460.00	160.00	16100.00	194.87
12.	मध्य प्रदेश	3800.00	175.42	7000.00	84.21	11100.00	58.57	20075.00	80.86
13.	महाराष्ट्र	6175.00	163.03	10500.00	70.04	18520.00	76.38	36700.00	98.16
14.	मणिपुर	240.00	158.45	430.00	79.17	979.00	127.67	2426.69@@	147.87
15.	मेघालय	235.00	162.48	440.00	87.23	1029.00	133.86	2500.62@@	143.01
16.	मिजोरम	130.00	179.03	260.00	100.00	763.00	193.46	1618.51@@	112.12
17.	नागालैंड	210.00	151.11	400.00	90.48	844.00	111.00	2006.43@@	137.73
18.	उड़ीसा	1500.00	156.40	2700.00	80.00	10000.00	270.37	15000.00	50.00
19.	पंजाब	1957.00	93.10	3285.00	67.86	6570.00	100.00	11500.00	75.04
20.	राजस्थान	2025.00	185.52	3000.00	48.15	11500.00	283.33	22525.83	95.88
21.	सिक्किम	122.00	207.77	230.00	88.52	550.00	139.13	1600.00	190.91
22.	तमिलनाडु	3150.00	180.67	5750.00	82.54	10200.00	77.39	25000.00	145.10

1	2	12	13	14	15	16	17	18	19
23.	त्रिपुरा	245.00	251.61	440.00	79.59	1130.00	156.82	2577.39@@	128.09
24.	उत्तर प्रदेश	5850.00	139.18	10447.00	78.58	21000.00	101.01	46340.00	120.67
25.	पश्चिम बंगाल	3500.00	180.71	4125.00	17.86	9760.00	136.61	16900.00	73.16
26.	अ. एवं नि. द्वीपसमूह	96.60	186.48	285.00	195.03	685.00	140.35	1535.00	124.09
27.	चण्डीगढ़	100.75	153.40	203.10	101.59	400.00	96.95	685.00	71.25
28.	दादरा एवं नागर हवेली	23.09	145.38	46.29	100.48	80.00	72.82	205.00	156.25
29.	दमन और दीव	£		26.00		65.00	150.00	165.00	153.85
30.	दिल्ली	800.00	153.16	2000.00	150.00	4500.00	125.00	15541.28	245.36
31.	लक्षद्वीप	20.35	226.65	43.90	115.72	120.00	173.35	270.00	125.00
32.	पांडिचेरी	71.54	110.16	170.00	137.63	400.00	135.29	1300.00	225.00

@ तब यह राज्य/संघ राज क्षेत्र नहीं था।
@@ अनन्तिम। * : दमन और दीव के लिए भी प्रावधान शामिल है।
£ गोवा में शामिल था। ** : असम में शामिल था।

[हिन्दी]

भारत-कनाडा संबंध

1264. श्री अजीत जोगी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क). क्या भारत और कनाडा के बीच हाल ही में आंतकवाद का मुकाबला करने हेतु एक कृतिक बल गठित करने तथा विभिन्न क्षेत्रों के बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार हेतु आवश्यक उपाय करने हेतु किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस समझौते की ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या प्रगति की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी हाँ। जनवरी, 1997 में विदेश मंत्री की कनाडा यात्रा के दौरान आंतकवाद पर एक भारत-कनाडा संयुक्त कार्यदल (जे.डब्ल्यू.जे.) गठित करने का निर्णय लिया गया। यह दल आतंकवाद का दमन करने के लिए दोनों देशों के समन्वयकारी तथा सहयोगी प्रयासों की निगरानी करने के लिए एक तंत्र की व्यवस्था करता है।

भारत के विदेश मंत्री तथा कनाडा के विदेश मंत्री ने जनवरी, 1997 में व्यापार एवं आर्थिक संबंधों के साथ-साथ कनाडा और भारत के बीच राजनैतिक संबंधों को भी आगे बढ़ाने के उद्देश्य से भारत-कनाडा संयुक्त मंत्रीस्तरीय समिति (जे.एम.सी.) की स्थापना करने के लिए दस्तावेजों का भी आदान-प्रदान किया।

(ख) आंतकवाद पर संयुक्त कार्यकारी दल की पहली बैठक अप्रैल, 1997 में नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में दोनों देशों ने द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। दोनों पक्ष मौजूदा सहयोग में तेजी लाने तथा सूचना का आदान-प्रदान करने और कार्यकारी दल में परामर्शी प्रक्रिया को जारी रखने पर भी सहमत हुए।

संयुक्त मंत्री-स्तरीय समिति की अब तक कोई बैठक नहीं हुई है।

[अनुवाद]

आरक्षित पद

1265. श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्री के.डी. सुल्तानपुरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में अनु.जा./अ.ज.जा. अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित पदों की राज्यवार और श्रेणीवार संख्या कितनी है;

(ख) इन पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है;

(ग) क्या इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को किसी प्रकार की सहायता दी जा रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) से (घ) देश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए

राज्य-वार तथा श्रेणी-वार आरक्षित रिक्तियों सम्बन्धी जानकारी केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती। संघ सरकार की आरक्षण नीति केवल केन्द्रीय सेवाओं के सम्बन्ध में ही लागू है। राज्य सरकार के अन्तर्गत आने वाली सेवाओं पर सम्बन्धित राज्य के आरक्षण नीति लागू होती है। अतः संघ सरकार द्वारा राज्य-सरकारों को सहायता मुहैया करवाए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

परमाणु क्षेत्र में अमेरिकी सहयोग

1266. डॉ० असीम बाला : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका और भारत का परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त सहयोग मात्र परमाणु के शांतिपूर्ण उपयोग तक ही सीमित होगा; और

(घ) उक्त समझौते पर कब तक हस्ताक्षर होने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : महोदय, प्रश्न संख्या 3 अति महत्वपूर्ण है.......*(व्यवधान)* कृपया इसके लिए समय दीजिए ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

• **अध्यक्ष महोदय** : कल देंगे। प्लीज कल देंगे।

.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप : महोदय, आपको मुझे बोलने की अनुमति देनी चाहिए.......*(व्यवधान)* महोदय, आपको मेरी बात सुननी चाहिए.......*(व्यवधान)* महोदय, आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी ....*(व्यवधान)* यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। एक घंटे में केवल दो ही प्रश्न लिए गये हैं.......*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कल देंगे, प्लीज कल देंगे।

.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया नहीं।

.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसलिए मैंने इतने सदस्यों को बोलने की अनुमति दी है।

.......*(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : महोदय, इस गतिरोध का समाधान है.......*(व्यवधान)* कृपया इन्हें बोलने की अनुमति दे दीजिए.......*(व्यवधान)* इसके पश्चात् इस मुद्दे पर चर्चा करने की अनुमति दीजिए.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके पश्चात् आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठिए। कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

.......*(व्यवधान)**

श्री ए.सी. जोस (मुकुन्दपुरम) : महोदय, प्रश्न संख्या 3 अति महत्वपूर्ण है.......*(व्यवधान)* यह चीन के साथ हमारे संबंधों के बारे में है.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसके पश्चात् मैं आपको बोलने दूंगा।

.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पहले यह मद पूरी हो जाने दीजिए।

.......*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस / महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि हमें बोलने की अनुमति प्रदान करें। ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया बैठिए।

.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है?

.......*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : इसके पश्चात्।

.......*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं श्री राजेश पायलट को बोलने की अनुमति प्रदान करता हूं।

.......*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, सदन की यह राय है कि यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है और इस पर चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिए। यह भारत-चीन संबंधों के बारे में है। कृपया इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा कराने की अनुमति प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदय : यदि सदन इस पर सहमत है तो मुझे इस पर आधे घंटे की चर्चा कराने पर कोई आपत्ति नहीं है।

.......*(व्यवधान)*

कुछ माननीय सदस्य : हम इस पर सहमत हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री ए.सी. जोस : महोदय, कृपया इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा कल कराने की अनुमति प्रदान करें.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्ष पीठ को अपनी इच्छानुसार चलने का आदेश न दें। यह सब क्या हो रहा है?

.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष पीठ को आदेश कैसे दे सकते हैं? मैं इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा कराने की अनुमति दे रहा हूं।

.......*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा के लिए सहमत हो गये हैं। आप व्यवधान क्यों डाल रहे हैं? अध्यक्ष महोदय इस विषय के लिए आधे घंटे की चर्चा के लिए मान गये हैं यह ठीक नहीं है। हम सभी जिम्मेदार लोग हैं.......*(व्यवधान)*

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

उपदान संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1998

[हिन्दी]

श्रम मंत्री (डॉ० सत्यनारायण जटिया) : मैं उपदान संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1998 द्वारा तुरंत कानून बनाये जाने के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 350/98]

[अनुवाद]

इण्डियन रिन्युएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 19 -97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे और उसके कार्यकरण की समीक्षा आदि

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : महोदय, मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) इंडियन रिन्युएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रिन्युएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 351/98]

(3) इंस्टियूट ऑफ इकोनोमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट प्लानिंग सेंटर, दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 352/98]

(5) इंडियन रिन्युएबल एनर्जी डेवपलमेंट एजेंसी लिमिटेड और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 353/98]

लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे और उसके कार्यकरण की समीक्षा आदि

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(क) (एक) लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड, अगत्ती के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड, अगत्ती का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 354/98]

(ख) (एक) लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड, अगती के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड, अगत्ती का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 355/98]

(ग) (एक) गोवा मीट काम्पलेक्स लिमिटेड, पणजी के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोवा मीट काम्पलेक्स लिमिटेड, पणजी का वर्ष 1998 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण। (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 356/98]

(3) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 357/98]

(5) (एक) आल इंडिया फेडरेशन ऑफ कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरिक्षित लेखे।

(दो) आल इंडिया फेडरेशन आफ कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 358/98]

(7) (एक) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 359/98]

(9) (एक) नेशनल हैवी इंजीनियरिंग कोआपरेटिव लिमिटेड, पुणे के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल हैवी इंजीनियरिंग कोआपरेटिव लिमिटेड, पुणे के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 360/98]

(11) नर्मदा कंट्रोल अथारिटी के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 361/98]

(13) (एक) जम्मू-कश्मीर स्टेट शीप एंड शीप प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट बोर्ड, श्रीनगर के वर्ष 1994-95 से 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जम्मू-कश्मीर स्टेट शीप एंड शीप प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट बोर्ड, श्रीनगर के वर्ष 1994-95 से 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 362/98]

(15) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रूड़की के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रूड़की के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 363/98]

(17) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1992 की धारा 43 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या वीसी/सीएयू/14 (स्था)/93 (1997 का संख्यांक 1) जो 27 दिसम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल के कुल सचिव द्वारा तुरा में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय को संघटक कॉलेज के रूप में कालेज ऑफ होम साइन्स की स्थापना के बारे में जारी किये गये पहले अध्यादेश का अनुमोदन किया गया है और उसे अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 364/98]

(18) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 की धारा 109 की उपधारा (3) के अंतर्गत बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (विशेषाधिकार, सम्पत्तियां और निधि, लेखापरीक्षा, डिक्रियों, आदेशों और विनिश्चयों का समापन और निष्पादन) (संशोधन) नियम, 1998 जो 11 फरवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 75 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 365/98]

[अनुवाद]

भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 1998 आदि और भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1998 आदि के सम्बन्ध में अधिसूचना

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 1998 जो 14 मार्च, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 58 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1998 जो 14 मार्च, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 59 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय वन सेवा (काडर संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 1997 जो 20 दिसम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 413 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय वन सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1997 जो 20 दिसम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 414 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर संख्या का नियतन) पांचवां संशोधन विनियम, 1997 जो 31 दिसम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 739 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छः) भारतीय पुलिस सेवा (काडर संख्या का नियतन) सातवां संशोधन विनियम, 1997 जो 31 दिसम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 740 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय वन सेवा (काडर संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 1997 जो 31 दिसम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 741 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 1998 जो 4 अप्रैल, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 75 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1998 जो 4 अप्रैल, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 76 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) सा.का.नि. 378 जो 15 नवम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 17 अक्तूबर, 1997 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 597 (अ) का शुद्धि पत्र दिया गया है।

(ग्यारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (ज्येष्ठता का विनियमन) संशोधन नियम, 1997 जो 31 दिसम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 736 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय पुलिस सेवा (ज्येष्ठता का विनियमन) संशोधन नियम, 1997 जो 31 दिसम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 737 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) भारतीय वन सेवा (ज्येष्ठता का विनियमन) नियम, 1997 जो 31 दिसम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 738 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 366/98]

(2) (एक) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 367/98]

(4) (एक) सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज कंज्यूमर कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, (केन्द्रीय भंडार), नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज कंज्यूमर कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, (केन्द्रीय भंडार), नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 368/98]

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) सेंट्रल सिविल सर्विस कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल सिविल सर्विस कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 369/98]

(8) सूचना का अधिकार और खुली तथा पारदर्शी सरकार के संप्रवर्तन के संबंध में कार्यकारी दल के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 370/98]

(9) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 371/98]

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के 1 जनवरी, 1993 से 31 दिसम्बर, 1993 तक की अवधि के लिए वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) आयोग की सलाह अस्वीकृत करने के कारण बताने वाले ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 372/98]

(13) (एक) केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के 1 जनवरी, 1994 से 31 दिसम्बर, 1994 तक की अवधि के लिए वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) आयोग की सलाह अस्वीकृत करने के कारण बताने वाले ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 373/98]

(15) (एक) केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के 1 जनवरी, 1995 से 31 दिसम्बर, 1995 तक की अवधि के लिए वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) आयोग की सलाह अस्वीकृत करने के कारण बताने वाले ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 374/98]

(17) प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1995 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (समूह "क" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1997 जो 20 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 472 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य की सेवा शर्तें और वेतन तथा भत्ते) संशोधन नियम, 1998 जो 29 जनवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 61 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 375/98]

अपराह्न 12.05 बजे

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश
और
राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 1998, जिसे राज्य सभा द्वारा 2 जून, 1998 को हुई अपनी बैठक में पारित कर दिया गया है की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे रासायनिक अस्त्र कन्वेंशन विधेयक, 1998, जिसे राज्य सभा द्वारा

2 जून, 1998 को हुई अपनी बैठक में पारित कर दिया गया है की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।''

2. महोदय, मैं उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 1998 और रासायनिक अस्त्र कन्वेन्शन विधेयक, 1998 राज्य सभा द्वारा 2 जून, 1998 को यथापारित सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.06 बजे

याचिका का प्रस्तुतीकरण

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं श्री कांकर पोसक और बांकुरा बीड़ी शिल्पी कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, रवीन्द्र सरणी, बांकुरा के अन्य कर्मकारों द्वारा बांकुरा बीड़ी शिल्पी को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के कर्मकारों के लिए भूतलक्षी प्रभाव से भविष्य निधि राशि का अनिवार्य जमा राशि से छूट देने के लिए कर्मकार भविष्य निधि और पेंशन अधिनियम के उपबंधों में आवश्यक संशोधन करने का अनुरोध करने वाली याचिका प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 376/98]

अपराह्न 12.07 बजे

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का गठन

[अनुवाद]

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल भूतल परिवहन मंत्री (डॉ० एम. तम्बी दुरई) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के नाम से दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति गठित की जाये जिसमें कुल 15 सदस्य हों, जिनमें से 10 इस सभा से और 5 राज्य सभा से हों। ऐसे सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक सभा के सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के आधार पर किया जाएगा :

"कि संयुक्त समिति के कृत्य ये होंगे:

(एक) सभी विद्यमान "समितियों" [उन समितियों से भिन्न जिनकी जांच उस संयुक्त समिति द्वारा, जिसे संसद (निरर्हता निवारण) विधेयक, 1957 सौंपा गया था, की गई थी] तथा बाद में गठित की जाने वाली ऐसी सभी समितियों की रचना और स्वरूप की जांच करना जिनकी सदस्यता के कारण कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 102 के अधीन संसद की किसी भी सभा का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए निरर्हित हो सकता है;

(दो) संयुक्त समिति द्वारा जांच की गई "समितियों" के संबंध में यह सिफारिश करना कि किन पदों के कारण निरर्हता होनी चाहिये और किन पदों के कारण नहीं;

(तीन) संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की अनुसूची की समय-समय पर संवीक्षा करना और उक्त अनुसूची में किसी संशोधन की सिफारिश करना चाहे वह संशोधन परिवर्धन द्वारा हो अथवा लोप द्वारा या अन्य किसी प्रकार से;

कि संयुक्त समिति उपरोक्त सभी या उनमें से किसी मामले के संबंध में संसद की दोनों सभाओं को समय-समय पर प्रतिवेदन देगी;

कि संयुक्त समिति के सदस्य वर्तमान लोक सभा की अवधि तक पद धारण करेंगे;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति की कुल सदस्य संख्या की एक तिहाई होगी;

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों के संबंध में इस सभा के प्रक्रिया संबधी नियम ऐसे परिवर्तनों और उपांतरणों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष करें; और

कि, यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और सभा को उन सदस्यों के नाम सूचित करे जो राज्य-सभा द्वारा संयुक्त समिति के लिए नियुक्त किये जायें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के नाम से दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति गठित की जाये जिसमें कुल 15 सदस्य हों, जिनमें से 10 इस सभा से और 5 राज्य सभा से हों। ऐसे सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक सभा के सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल सक्रमणीय मत के आधार पर किया जाएगा:"

"कि संयुक्त समिति के कृत्य ये होंगे :

(एक) सभी विद्यमान "समितियों" (उन समितियों से भिन्न जिनकी जांच उस संयुक्त समिति द्वारा, जिसे संसद (निरर्हता निवारण) विधेयक, 1957 सौंपा गया था, की गई थी) तथा बाद में गठित की जाने वाली ऐसी सभी समितियों की रचना और स्वरूप की जांच करना जिनकी सदस्यता के कारण कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 102 के अधीन संसद की किसी भी सभा का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए निरर्हित हो सकता है;

(दो) संयुक्त समिति द्वारा जांच की गई "समितियों" के संबंध में यह सिफारिश करना कि किन पदों के कारण निरर्हता होनी चाहिये और किन पदों के कारण नहीं;

(तीन) संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की अनुसूची की समय-समय पर संवीक्षा करना और उक्त अनुसूची में किसी संशोधन की सिफारिश करना चाहे वह संशोधन परिवर्धन द्वारा हो अथवा लोप द्वारा या अन्य किसी प्रकार से;

कि संयुक्त समिति उपरोक्त सभी या उनमें से किसी मामले के संबंध में संसद की दोनों सभाओं को समय-समय पर प्रतिवेदन देगी;

कि संयुक्त समिति के सदस्य वर्तमान लोक सभा की अवधि तक पद धारण करेंगे;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति की कुल सदस्य संख्या की एक तिहाई होगी;

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों के संबंध में इस सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम ऐसे परिवर्तनों और उपांतरणों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष करें; और

कि, यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और सभा को उन सदस्यों के नाम सूचित करे जो राज्य-सभा द्वारा संयुक्त समिति के लिए नियुक्त किये जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : मद संख्या 9 – श्री पी आर. कुमारमंगलम।

.......*(व्यवधान)*

डॉ0 सुब्रह्मण्यम स्वामी (मदुरै) : अध्यक्ष महोदय, मैंने आर. एस.एस. के सचिव श्री सुदर्शन के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था.......*(व्यवधान)* महोदय क्या आप मुझे अपनी बात कहने देंगे?.......*(व्यवधान)* मैं चीन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं आर.एस.एस. के सचिव के खिलाफ संसद के प्रति अपमानजनक बात कहने पर विशेषाधिकार हनन के नोटिस की बात कर रहा हूं.......*(व्यवधान)* महोदय, मैंने विशेषाधिकार का नोटिस को आपको 22 मई को दिया था। मैं आपसे आपके चैम्बर में मिला था तथा आपने मुझसे कहा था कि आप इसे सभा में उठाने की अनुमति देंगे।.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी, यह विचाराधीन है। आप कृपया बैठ जाईये।

डॉ0 सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, आपने मुझसे अपने चैम्बर में कहा था कि मैं इसे सभा में उठा सकता हूं। आप या तो मेरे आवेदन को अस्वीकृत कर दें अथवा.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह विचाराधीन है। इसे संबंधि विभाग को भी भेजा गया है।

डॉ0 सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपका कहना है कि आपने आर एस.एस. के सचिव श्री सुदर्शन से संसद के प्रति अपमानजनक बात कहने पर व्याख्यात्मक वक्तव्य मांगा है।

अध्यक्ष महोदय : अब मद संख्या 9

.......*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस (मुकुन्दपुरम) : महोदय, मैं केरल का उल्लेख करना चाहता हूं। केरल में, परिस्थिति भिन्न है.......*(व्यवधान*

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जायें। यह शून्य काल न है।

अपराह्न 12.11 बजे

विद्युत विनियामक आयोग विधेयक*

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : महोदय, प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग और राज विद्युत विनियामक आयोगों की स्थापना, विद्युत टैरिफ, सहायिकि के संबंध में पारदर्शी नीतियों, दक्षतापूर्ण और पर्यावरणीय हितक नीतियों के संवर्धन के सुव्यवस्थीकरण और उससे संसक्त या उस आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापि करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग और राज्य विद्यु विनियामक आयोगों की स्थापना, विद्युत टैरिफ, सहायिकि के संबंध में पारदर्शी नीतियों, दक्षतापूर्ण और पर्यावरर्ण हितकर नीतियों के सुव्यवस्थीकरण और उससे संसक्त उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैंने नि 72 के अंतर्गत एक नोटिस दिया है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय मैंने 10 बजे से इस विधेयक के पुरःस्थापन के विरोध में एक नोटिस दिया

श्री वारकला राधाकृष्णन : मैंने नियम-72 के अंतर्गत नोटि दिया है।.......*(व्यवधान)*

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2, दि 3.6.98 में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया।

श्री वारकला राधाकृष्णन : महोदय, मैंने नियम 72 के अंतर्गत एक आपत्ति उठायी है।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जायें। मैं आपको भी अवसर दूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मंत्रिमंडल ने 25 अप्रैल को संसद का सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया तथा इस अध्यादेश को सरकार द्वारा संसद के सत्र के आयोजन का निर्णय लेने के एक दिन पश्चात् प्रख्यापित किया गया। सरकार द्वारा संसद सत्र आयोजित करने का निर्णय लिए जाने के एक दिन पश्चात इस अध्यादेश को प्रख्यापित किए जाने की कार्यवाही न सिर्फ अनुचित तथा अविवेकपूर्ण है बल्कि यह संसद के अधिकार की उपेक्षा भी है।

महोदय, यह विधेयक ग्यारहवीं लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था और इसे ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा गया था। श्री जगमोहन उस समिति के सभापति थे। ऊर्जा संबंधी स्थायी संबंधी ने इस विधेयक से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की। कतिपय निर्णय भी लिए गए थे। एक निर्णय यह था चूंकि 'विद्युत' समवर्ती सूची में है, अतएव समिति चाहती थी कि इस संबंध में राज्य सरकारों से टिप्पण और विचार मंगाये जाने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में बोलें।

श्री बसुदेव आचार्य : अब मैं मुद्दे पर बोलने जा रहा हूं।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरे विचार से यह महत्वपूर्ण है। यह व्यवस्था का प्रश्न है। मेरी बात सुनी जाए। क्या आप संक्षेप में नहीं कह सकते? मर्यादा तो यह है कि व्यवस्था का प्रश्न पहले सुना जाता है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, इस क्रम में तीन माह के भीतर नियामक प्राधिकरण के गठन के लिए राज्य विधान सभा में विधान लाने हेतु राज्य सरकार पर दबाव डालने का विचार किया गया था।.......*(व्यवधान)* राज्य में विनियामक प्राधिकरण का गठन करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार पर दबाव कैसे डाला जा सकता है।.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य कृपया संक्षेप में बोलें।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, विद्युत मंत्री ने कारपोरेट जगत पर दबाव डालने का प्रयास किया है।.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह तो केवल पुरःस्थापित होने के स्तर पर है। आपकी आपत्तियां क्या हैं?

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री बसुदेव आचार्य : ......*(व्यवधान)* विपक्ष के नेतृत्व में राज्य सरकार ही नहीं अपितु......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपकी आपत्ति क्या है?

श्री बसुदेव आचार्य : मैं अपनी आपत्ति बताने जा रहा हूं।. ......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी आपत्ति बताइए।

.......*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : कृपया अपनी आपत्तियों को बताइए।.......*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : इस अध्यादेश से उनके सहयोगी दल प्रभावित हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी आपत्ति का उल्लेख कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : केन्द्र सरकार कैसे दबाव डाल सकती है? मैं प्रारूप विधेयक के खंड 29 (3) और (4) का संदर्भ देता हूं जिसमें यह बताया गया है कि राज्य सरकार यदि आवश्यक समझे तो वह कृषि क्षेत्र में उपभोक्ताओं को किराया वसूलने की अनुमति प्रदान कर सकती हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं कृपया माननीय मंत्री महोदय, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

श्री बसुदेव आचार्य : यह इन शर्तों के अध्यधीन है कि.. .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं ऐसा नहीं है, यह तो कोई आपत्ति नहीं है। क्या माननीय मंत्री कुछ कहना चाहेगें? क्या वे इनकी आपत्ति का निपटारा करना चाहेंगे।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : जी, हाँ मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : यह विधेयक किसान विरोधी, कृषि विरोधी है और हमारे संविधान के विरुद्ध है। इसलिए मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित किए जाने का विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री क्या आप इनकी आपत्ति का उत्तर देना चाहेंगे?

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : जी, हाँ मैं उत्तर देना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, इस सभा का एक वरिष्ठ सदस्य होने के नाते मेरे माननीय मित्र को इस बात की जानकारी होगी और उनको यह मालूम भी होना चाहिए कि पुरःस्थापना के स्तर पर ही ....*(व्यवधान)*

श्री वारकला राधाकृष्णन : मैंने भी अपनी आपत्ति दर्ज की है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपकी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : उन्हें यह जानकारी होनी चाहिए कि पुरःस्थापना के समय पर केवल सभा की विधायी सक्षमता से संबंधित मुद्दा ही उठाया जा सकता हैं और मैं यह बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा कि सूची तीन, जो कि समवर्ती सूची है, की प्रविष्टि 38 के अंतर्गत यह इस सभा का क्षेत्राधिकार है.......*(व्यवधान)*

श्री वारकला राधाकृष्णन : मैंने भी आपत्ति दर्ज की है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं आपको भी बोलने का मौका दूंगा।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : इस सभा को विद्युत, जो कि समवर्ती सूची का विषय है के मामले में विधान लाने का अधिकार है और संसद की कानून के अंतर्गत यह अनिवार्य है। परन्तु मेरे मित्र ने कुछ मुद्दे उठाए हैं जो कि विधिक मामले नहीं हैं अपितु ये नैतिक मामले हैं तथा मैं इनका उत्तर देने के कर्त्तव्य से बंधा हूं।

पहली बात यह है कि 29 (तीन) और (चार) के अंतर्गत कर्तव्यों के संबंध में हम 3 राज्य सरकारों पर उनका अनुपालन करने का दबाव डाल रहे हैं।.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जोस आपको अपनी बात इस तरह से नहीं कहनी चाहिए। सर्वप्रथम आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि यह कार्य संसद में नहीं किया जाता है। कांग्रेस पार्टी से क्या हुआ ?.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं उनको भी बोलने का मौका दूंगा। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री वारकला राधाकृष्णन : मैंने एक सूचना दी है।....... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, वे आपकी आपत्ति का उत्तर दे रहे हैं। इसके बाद मैं श्री राधाकृष्णन को बोलने के लिए आमंत्रित करूंगा।

.......*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : मैंने वरिष्ठ सदस्यों को अनुमति बिना मांगे बोलते हुए नहीं देखा है।

श्री पी.एम. सईद (लक्षद्वीप) : आपने मेरी बात पर गौर नहीं किया। माननीय सदस्य ने अपनी बात रखने की सूचना दी है।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : किसके बारे में सूचना दी है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन आपकी क्या आपत्ति है ?

श्री वारकला राधाकृष्णन : मैंने नियम 72 के उपखंड (2) के अंतर्गत अपनी आपत्ति दर्ज की है। अध्यक्ष महोदय को मेरी बात सुननी होगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुन रहा हूं। कृपया बताएं कि आपकी क्या आपत्ति है।

श्री वारकला राधाकृष्णन : मेरी आपत्ति यह है कि यह मामला इस सभा की विधायी शक्तियों के क्षेत्राधिकार से परे है। यह मेरी पहली आपत्ति है। इस मुद्दे पर आपको मेरी बात सुननी होगी।

अब प्रश्न यह है कि पुरःस्थापित किए जा रहे विधेयक में खंड 28 और 29 के अंतर्गत दो प्रावधान अंतर्विष्ट हैं। खंड 28 के अनुसार प्रशुल्क नीति प्रथक रूप से राज्य का विषय है। केन्द्रीय विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 की एक विशिष्ट धारा के अंतर्गत राज्य को प्रशुल्क नीति निर्धारित करने की शक्ति प्रदान की गई है।

प्रशुल्क नीति निर्धारित करने की शक्ति राज्य को है। यह धारा एकदम स्पष्ट है। वर्तमान विधेयक की धारा 28 और 29 द्वारा 1948 के विद्युत आपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत राज्य को प्रदत्त शक्तियां छीन ली गई हैं। राज्यों की शक्तियों का अतिक्रमण किया गया है। यह संविधान की संघीय संरचना के विरुद्ध है। यह एक ऐसा बिल्कुल स्पष्ट मामला है जिसमें केन्द्र ने राज्य सरकारों को प्रदत्त शक्तियों पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया है। विद्युत समवर्ती सूची का विषय है। इसमें केन्द्र और राज्यों को समान शक्तियां प्रदत्त हैं। परन्तु वर्तमान विधेयक राज्यों की शक्तियों को सीमित कर देगा। वर्तमान विधेयक की धारा 28 और 29 प्रशुल्क निर्धारित करने से संबंधित है जिस पर राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा ही कार्रवाई की जाती है। इस समय उनकी शक्तियों में कटौती कर दी गई है। इसलिए मेरा यह कहना है कि इस मामले में हमें विधायी विधान लाने का अधिकार नहीं है।.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। मंत्री जी अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं।

.......*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : महोदय, मैं अपने मित्रों को स्पष्टीकरण देना चाहूंगा कि इससे जब मैंने आप लोगों के प्रश्न का उत्तर दिया तो वह व्यवस्था का प्रश्न था कि सामान्यतः विधेयक को पुरःस्थापित करने के समय विधेयक पर विचार करने के लिए सभा की विधायी शक्ति को चुनौती दी जा सकती है। मैं व्यवस्था के प्रश्न पर उत्तर दे रहा था कि मेरे मित्र अन्य मुद्दों के बारे में बोलने लगे। चूंकि उन्होंने नैतिकता से संबंधित कतिपय प्रश्न उठाए हैं। इसलिए मैंने यह कहा कि मैं इनका उत्तर दूंगा।

मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि जहां तक विधायी शक्तियों का संबंध है। सूची-तीन जो कि समवर्ती सूची है कि मद संख्या 38 की जा प्रविष्टि है वह विद्युत के बारे में की गई है। केन्द्रीय विद्युत अधिनियम का मूल अधिनियम भी इसी प्रावधान के अंतर्गत पारित किया गया था। लेकिन आप मुझे यह बात बिल्कुल स्पष्ट करने दें कि यह सभा क्षेत्राधिकार रखती है। इस मामले में यह आंशिक संशोधन है कि शुल्क निर्धारण की जो शक्तियां थी वे केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच थी। वास्तव में, केन्द्रीय विद्युत अधिनियम का मुद्दा केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत आता है। लेकिन अब जो मुद्दा मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं वह यह है कि इस विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं दो संशोधन पेश करूंगा। मैं समझता हूं कि सदस्यों की जानकारी के लिए यह आवश्यक है। मैं एक संशोधन तो धारा 29 की उपधारा (3) के विलोपन के संशोधन को पेश करूंगा और इसके अलावा ....*(व्यवधान)* आपको मेरी बात ध्यान से सुननी चाहिए। यह ऐसी बात नहीं है। यह पारित नहीं हुआ है.......*(व्यवधान)* आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? यह वैसी बात नहीं है....... *(व्यवधान)* आप ऐसा कैसे कर सकते हैं ?.......*(व्यवधान)* वह मेरे ऊपर चिल्लाए थे.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने मंत्री महोदय को बोलने की अनुमति दी है। कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

.......*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : मुझ पर सभा में चिल्लाया नहीं जा सकता है। ऐसा नहीं कि चुनौती एक ही पक्ष द्वारा दी गई है. ......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन जी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाईए।

.......*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : मैं भी माननीय सदस्य की भांति ही इस सभा का एक सदस्य हूं। न कोई कनिष्ठ है और न ही कोई वरिष्ठ.......*(व्यवधान)* मुझे बोलने का मौका मिलना ही चाहिए.......*(व्यवधान)*

इसीलिए, मैं विचारण की स्थिति पर इस पर दो संशोधन पेश करके स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं। एक तो खण्ड 29 (3) में है और दूसरा धारा 17 की उपधारा (1) में है जो राज्यों पर निर्भर करता है कि वे चाहें तो इसे लागू करें और न चाहें तो लागू न करें। यह उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन इसके सुफल या कुफल के लिए राज्य स्वयं जिम्मेवार होंगे....... *(व्यवधान)*

जहां तक विधायी क्षमता का प्रश्न है सभा इस संबंध में सक्षम है और मुझे विश्वास है कि सभा मुझे इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति देगी.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों की स्थापना, विद्युत टैरिफ, सहायिकियों के संबंध में पारदर्शी नीतियों, दक्षतापूर्ण और पर्यावरणीय हितकर नीतियों के संवर्धन के सुव्यवस्थीकरण और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : मैं विधेयक पुरःस्थापित* करता हूं।.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मद संख्या 10, श्री पी.आर. कुमारमंगलम।

.......*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.25 बजे

विद्युत विनियामक आयोग अध्यादेश के बारे में विवरण

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : महोदय मैं, विद्युत विनियामक आयोग अध्यादेश, 1998 द्वारा तुरन्त कानून बनाये जाने के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।.......*(व्यवधान)*

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 378/98]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, हमने मत विभाजन के लिए कहा है.......*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मत विभाजन के अनुरोध की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं ? ....*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : महोदय, हम मत विभाजन चाहते हैं.......*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, केरल के सदस्य द्वारा की गई आपत्ति उचित है। हमने उनकी बात ध्यान से सुनी थी। उनका तर्क यह है कि जब तक धारा 29 में संशोधन नहीं किया जाता है.......*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : संशोधन विधेयक पर विचार करते समय पेश किए जा सकते हैं।

---

* राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अध्यक्ष महोदय : पायलट जी, वह पहले ही इस बात का उत्तर दे चुके हैं।

.......*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : जी, नहीं। हम मत विभाजन चाहते हैं.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह इसका उत्तर दे चुके हैं और श्री राधाकृष्णन जी भी उससे सहमत हैं।

.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक मिनट। मैं श्री राधाकृष्णन जी की बात सुन रहा हूं।

.......*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यह जानते हैं कि संशोधन केवल विधेयक पर विचार करते समय ही पेश किए जा सकते हैं। मैं विधेयक पर विचार करते समय संशोधन पेश करने की मंशा व्यक्त की है।....... *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, एक वरिष्ठ सदस्य जो केरल विधान सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं किस प्रकार से चिल्लाए हैं.......*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : वह मेरे ऊपर चिल्लाए हैं, इस बारे मे आपको क्या कहना है?.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। यह ठीक नहीं है। धनजंय कुमार जी कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। श्री धनंजय कुमार, कृपया बैठ जाइए। श्री राधाकृष्णन जी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, श्री राधाकृष्णन जी द्वारा उठाया गया मुद्दा पूर्णतः न्यायोचित था। मंत्री महोदय ने यह बात स्वीकार की है कि यह विधेयक बिना एक और संशोधन के राज्यों के अधिकारों पर रोक लगाए बिना कार्यशील नहीं हो सकता। इसलिए सोच विचार करने के पश्चात्.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान न डालें। मंत्री महोदय इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं

श्री सोमनाथ चटर्जी : अब मंत्री जी कह रहे हैं। कि वे दो संशोधन और करने जा रहे हैं जबकि आज तक उनका कोई उल्लेख नहीं है। हो सकता है वे विद्वान हों, वे सदैव विद्वान ही रहे हैं जैसा कि हमने 5-10 घंटे पश्चात् पेट्रोल और यूरिया की कीमतों के मामले में देखा है कि वे लगातार बुद्धिमान बनते जा रहे हैं। अब यहां पर भी उन्होंने विधेयक लाने का निर्णय लिया है। इसीलिये मैं कह रहा हूं कि यह सरकारी कार्य करने का तरीका नहीं है। यदि उन्होंने कोई गलती की है तो उन्हें उसे मान लेना चाहिए। उनमें ऐसा करने की विनम्रता होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि वे शक्ति सम्पन्न मंत्री जी हैं या नहीं पर पोखरण परीक्षण के पश्चात् तो उनमें और शक्ति भर जानी चाहिए। मुझे इसकी परवाह नहीं है। लेकिन उन्हें नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। वे ऐसा तो नहीं कर सकते कि व्यवस्था के प्रश्न के नाम पर मंत्री जी अन्य सदस्यों को बोलने ही न दें।.......*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : महोदय, वह ऐसा कैसे कह सकते हैं? वह उस समय सभा में उपस्थित नहीं थे जब एक वरिष्ठ सदस्य उन पर चिल्लाए थे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अतः मेरा निवेदन है कि इस मामले में जब मत विभाजन की मांग की जाएगी तो इस मांग से इंकार नहीं किया जा सकता। मेरा यह निवेदन है कि इस मांग को मान लिया जाना चाहिए.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइये। मैं श्री के. करुणाकरन को बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

श्री के. करुणाकरन (तिरूअनन्तपुरम) : महोदय, उनके पहले माननीय सदस्य श्री वारकला राधाकृष्णन का इस विधेयक पर विचार करने की सक्षमता संबंधी प्रासंगिक प्रश्न था। उन्होंने कहा था कि कुछ प्रावधानों के कारण यह सभा इस पर चर्चा नहीं कर सकती तथा भविष्य में होने वाले संशोधनों से कोई सहायता नहीं मिलेगी। मंत्री का स्पष्टीकरण ऐसा है कि यह इस विधेयक की परिधि में नहीं आता। वह इसे सुधार सकते हैं। विधेयक सभा के समक्ष है। जब तक श्री वारकला राधाकृष्णन द्वारा उठाई गई आपत्ति का समाधान नहीं कर लिया जाता तब तक विधेयक पर विचार नहीं किया जा सकता। क्योंकि वारकला राधाकृष्णन की आपत्ति बड़ी प्रासंगिक है। अब मंत्री ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यह इस सभा की संपत्ति है। हम चाहते हैं कि अध्यक्ष महोदय अपना विनिर्णय दें। इसके बगैर मंत्री आगे की कार्यवाई नहीं कर सकते ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया आप बैठ जाइये।

श्री ए.सी. जोस (मुकुन्दपुरम) : हमें बोलने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइये।

श्री ए.सी. जोस : ऐसा करना मेरा हक है।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री ए.सी. जोस : महोदय, मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। मेरा कहना है.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अजीत जोगी, कृपया आप बैठ जाइये।

श्री ए.सी. जोस : महोदय, मेरा कहना है कि अब मंत्री जी सहमत हो गए हैं कि कुछ संशोधन लाए जाएंगे। उन संशोधनों के बगैर इस विधेयक को पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे इस सभा के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण होता है। औपचारिक तौर पर इन संशोधनों को लाये बगैर यह विधेयक पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता है। इसी कारण हम इस पर आपत्ति उठा रहे हैं। यह गैर कानूनी है यह पूर्व अधिनियम की शक्ति का अतिक्रमण करता है। पूर्व अधिनियम के अनुसार इस अधिनियम को पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता। अतः मेरा निवेदन है कि मंत्री अपनी सुविज्ञता के साथ इसमें उचित संशोधनों को औपचारिक रूप से समाहित करके इसे कल पुरःस्थापित करें.......*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : महोदय, जवाब देते हुए मैंने स्पष्ट कहा था कि संविधान की अनुसूची VIII की सूची III की प्रविष्टि 38 के अंतर्गत इस विधेयक को इसी रूप में पारित करने का क्षेत्राधिकार इस सभा को प्राप्त है। केवल इतना ही....... *(व्यवधान)* क्या मैं ध्यान आकर्षित कर सकता हूं? वस्तुतः प्रविष्टि 38 के अंतर्गत "विद्युत" स्पष्ट है और जहां तक इस सभा की विधायी सक्षमता का संबंध है मैं समझता हूं कि वरिष्ठ माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी भी इस बात से सहमत होंगे कि इसके लिए सभा सक्षम है। जहां तक केन्द्रीय विद्युत अधिनियम 1948 के अंतर्गत राज्य सरकारों के उस क्षेत्राधिकार के जिस मुद्दे पर हम व्यवधान पैदा कर रहे हैं; की बात है, मैंने कहा था कि ऐसा नहीं है। शुल्क निर्धारित करने की शक्ति केवल केन्द्र सरकार को प्राप्त है। तथा राज्य सरकारों को यह शक्ति परिस्थितिनुसार प्राप्त होती है यह एक अधिनियम के अंतर्गत होती है। यह अधिनियम उस अधिनियम को संशोधित करता है। तथापि मैंने कहा है कि चूंकि सदस्यों में यह भावना है कि हम उसका अतिक्रमण करेंगे। हम प्रत्येक राज्य को संशोधन द्वारा विशेषाधिकार दे रहे हैं जिसे मैं पेश करूंगा। उस समय इस पर विचार किया जाएगा।

नियमों के अंतर्गत इसे केवल उस समय ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसे भी नियम हैं जो पुरःस्थापन के समय इसे प्रस्तुत करने की मुझे अनुमति नहीं देते हैं। जहां तक नियमों के अंतर्गत की बात है मैं स्पष्ट बता दूं कि संशोधन प्रस्तुत करने का समय होता है और नियमों के अंतर्गत मैं केवल विचार किये जाने के वक्त ही संशोधन प्रस्तुत कर सकता हूं। यह तो केवल मैंने अपनी नीयत दिखाई है।.......*(व्यवधान)* मुझे अफसोस है.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रो. पी.जे. कुरियन।

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, अगर उन्हें कुछ संशोधन करने हैं तो वे इन संशोधनों के साथ विधेयक को पुनः पुरःस्थापित क्यों नहीं करते? सभा में उन्हें पुरःस्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रो० पी.जे. कुरियन, कृपया अपनी बात जारी रखें।

प्रो. पी. जे. कुरियन : विधेयक को इसके वर्तमान रूप में पुरःस्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चूंकि मंत्री ने कहा है कि वे स्वयं ही विधेयक के कुछ उपबंधों, विशेषकर खंड 29 (3) का संशोधन करने जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इस विधेयक को पुरःस्थापित करने का क्या प्रयोजन है? क्या इसका कोई फायदा है?

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : इससे आपका क्या सरोकार है? क्या इसमें अन्य खण्ड नहीं हैं?

प्रो. पी. जे. कुरियन : कृपया वे इस विधेयक को वापस ले लें। इसमें परिवर्तन करके इसे कल पुनः पुरःस्थापित करें। इस पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। महोदय, हम व्यर्थ में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री को जवाब देने दीजिए।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : महोदय, यदि मैं अपनी बात स्पष्ट रूप से कहूं तो वह यह है कि हमारे पास सीमित विषय होता।

श्री पी. शिवशंकर (तेनाली) : यह बात आपने पहले क्यों नहीं कही?

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : मैंने व्यवस्था के प्रश्न के तौर पर यह बात कही थी और माननीय वरिष्ठ सदस्य ने अन्य सहयोगी के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न उठाए जाने पर नाराजगी जताई थी। मैंने जो कहा था मैं उस पर अब भी कायम हूं और मैं विधेयक को पहले ही पुरःस्थापित कर चुका हूं.......*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, उन्होंने विधेयक कब पुरःस्थापित किया?

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, इसे पहले ही पुरःस्थापित किया जा चुका है।

अपराह्न 12.36 बजे

बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक*

[हिन्दी]

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बीड़ी कर्मकार उपकर अधिनियम, 1976 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-दो, खंड-2, दिनांक 3.6.98 में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ० सत्यनारायण जटिया : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामले लेंगे। श्री रामानन्द सिंह।

.......(व्यवधान)

प्रो पी.जे. कुरियन : महोदय, शून्यकाल का क्या होगा?

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अन्तर्गत केवल 12 मामले हैं। इसे पूरा करके हम शून्य काल पर आएंगे।

.......(व्यवधान)

श्री पी. शिवशंकर (तेनाली) : अध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अंतर्गत विशेष उल्लेख सदा से शून्य काल के बाद लिया जाता रहा है। अतएव, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वही प्रक्रिया अपनाई जाए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मेरे पास उन सदस्यों की सूची है जो शून्य काल के दौरान बोलना चाहते हैं। मेरे विचार में पहला नाम श्री वैको का है।

.......(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि प्रत्येक सदस्य दो या तीन मिनट के लिए बोलें तो मैं सभी सदस्यों को, जिन्होंने शून्य काल के लिए सूचना दी है, बोलने की अनुमति दे सकता हूँ। श्री वैको।

श्री वैको (शिवकाशी) : अध्यक्ष महोदय, मुझे अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको अपना आभार व्यक्त करता हूँ। शून्यकाल के इस विशेष उल्लेख के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान तीन लाख से ज्यादा विभागेतर डाक कर्मचारियों की दयनीय स्थिति तथा समस्याओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ जो गत 50 वर्षों से बंधुआ मजदूर की तरह रह रहे हैं।

महोदय, उनकी समस्याओं को देखने के लिए चार समितियां बनाई गई थीं तथा 1977 में उच्चतम न्यायालय ने भी यह निर्णय दिया था कि ये लोग एजेन्ट नहीं हैं बल्कि सिविल सर्वेंट्स हैं। संसदीय समिति ने भी उन्हें पेंशन संबंधी लाभ तथा सेवा संबंधी लाभ दिए जाने की सिफारिश की थी परन्तु कुछ भी क्रियान्वित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री वैको, 35 और नाम हैं। मुझे सभी के नाम बुलाने हैं। अतएव, कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री वैको : महोदय, मैं केवल दो मिनट लूंगा।

इसलिए, 1995 में न्यायमूर्ति चरणजीत सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी तथा उस समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी थीं। सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश थी विभागेतर डाक प्रणाली का नाम बदलकर ग्रामीण डाक प्रणाली तथा विभागेतर डाक कर्मचारियों का नाम बदलकर ग्रामीण डाक कर्मचारी करना था।

महोदय, समिति ने यह भी सिफारिश की है कि नियुक्ति शर्तें, पर्याप्त स्वतंत्र जीवन यापन, संवैधानिक रूप से गलत है तथा उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अतएव, यह उचित समय है कि सरकार तलवार समिति की सिफारिशें, कम से कम, हमारी स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती वर्ष में लागू करे ताकि ये लोग बंधुआ प्रणाली से मुक्त हो सकें। धन्यवाद।*.......(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जोगी, मैं सूची के अनुसार चल रहा हूँ जो मेरे सामने है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय जब दिसंबर, 1994 में डाक विभाग के सभी संघ हड़ताल पर चले गए तब तत्कालीन संचार मंत्री ने सभा में यह वक्तव्य दिया था कि डाक विभाग के तीन लाख विभागेतर कर्मचारियों की मांगों की जांच करने के लिए एक समिति गठित की जायेगी। स्वतंत्रता के 50 वर्ष बाद भी दास प्रथा अभी भी चल रही है। इन विभागेतर कर्मचारियों को केवल 700 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं। उनकी मांग कोई वेतनमान लागू करने की थी और इसीलिए तलवार समिति गठित की गई थी। इस समिति ने काफी पहले अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी थी परन्तु सरकार को अभी भी तलवार समिति की सिफारिशें लागू करनी बाकी हैं। अभी भी, दास प्रथा चल रही है।

वित्त मंत्री जी यहां हैं तथा मैं यह मांग करता हूँ कि वे इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करें। कब तक ये डाक विभाग के विभागेतर कर्मचारी कष्ट सहेंगे? तलवार समिति की सिफारिशें इतनी पहले प्रस्तुत किए जाने के बावजूद लागू क्यों नहीं की जा रही हैं? केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संबंध में पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी गई हैं परन्तु डाक विभाग के इन तीन लाख विभागेतर कर्मचारियों को इससे वंचित कर दिया गया है।

मैं यह मांग करता हूँ कि भारत सरकार डाक विभाग के इन विभागेतर कर्मचारियों के संबंध में तलवार समिति की सिफारिशें लागू करने के लिए तत्काल कार्यवाही करे।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, हम इस गंभीर विषय पर अपना समर्थन देते हैं। इस पर परसों भी चर्चा हुई थी।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अध्यक्ष महोदय : श्री थामस, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री पी.सी. थामस : महोदय, परसों इस विषय पर चर्चा हुई थी। वित्त मंत्री जी यहाँ मौजूद हैं और हम उनसे प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अब श्री जगमोहन बोलेंगे।

.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : केवल श्री जगमोहन का भाषण ही कार्यवाही वृतांत में शामिल किया जायेगा।

.......*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने श्री जगमोहन को बुलाया है।

श्री जगमोहन (नई दिल्ली) : महोदय, मैंने अपने पत्र में जो उल्लेख किया था वह यह है कि श्री गुजराल ने, अपने भाषण में, कुछ विचार व्यक्त किए थे जो अव्यवहार्य थे। मैंने उन्हें लिखा है तथा मैं उनके उत्तर की प्रतीक्षा करना चाहूंगा। अतएव, दो दिनों के लिए, मेरे इस आग्रह को स्थगित कर दें क्योंकि मुझे अभी उनका उत्तर नहीं मिला है अन्यथा मैं उसके बाद नई सूचना दूंगा। महोदय, मैंने अपने पत्र की एक कॉपी आपको भेज दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे पढूंगा।

बजट में पेट्रोल और यूरिया की कीमतों में वृद्धि के बारे में

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : अध्यक्ष महोदय, एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक विषय की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि को लेकर जिस तरह से गड़बड़ इस समय हुई है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसी गड़बड़ पहले कभी नहीं हुई। इसका परिणाम यह हुआ है कि आज समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि जो एक रूपए के स्थान पर चार रूपए की मूल्य-वृद्धि पेट्रोल पंपों पर हो गई थी, उसके कारण उपभोक्ताओं से करोड़ों रुपए की वसूली की गई है। किसी समाचार पत्र ने सात करोड़, किसी ने दस करोड़ और किसी ने चार करोड़ लिखा है। जो हमारे उपभोक्ताओं से वसूल लिए गए हैं।

वित्त मंत्री जी यहां उपस्थित हैं, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उपभोक्ताओं पर यह जो भार आपकी गलती के कारण पड़ा है। उपभोक्ताओं से आपकी गलती के कारण पेट्रोल पंपों पर जो जबर्दस्ती वसूली की गई है, यह रकम या तो उन उपभोक्ताओं को वापस करिए जिन्होनें रसीद लेकर पेट्रोल खरीदा है जैसे, पी.ए.सी. ने सिफारिश की है कि जब कभी इस तरह की ज्यादा वसूली हो जाए तो पी.ए.सी. की सिफारिश के अनुसार इस तरह से ज्यादा वसूली हुई रकम को उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए उपभोक्ता कल्याण फंड में दी जाए। सबसे पहली बात आपको यह करनी चाहिए। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह से आपके बजट से और आपकी कारगुजारी से उपभोक्ताओं पर जो भार पड़ा है, जो आपने यूरिया के मूल्यों में असह्य वृद्धि करके उन पर जो भार डाल दिया है जिसके परिणामस्वरूप एक पचास किलो की बोरी पर आपने सत्तर रूपए ज्यादा लगाए हैं। कल हमारे कहने से सत्तर रुपए कम किए हैं लेकिन उससे किसान संतुष्ट नहीं हुआ है। सत्तर रुपए अभी भी उस पर ज्यादा लगे हुए हैं। किसान के बारे में पूरा सदन तीन-चार दिनों से चर्चा कर रहा है। किसान आज इतना मजबूर हो गया है कि वह आत्महत्या कर रहा है। उस किसान पर इतना भार जो आपने डाल दिया है, उस भार को लेकर.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस (मुकुन्दपुरम) : मैंने पूर्व सूचना दी है ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? मैंने श्री अजीत जोगी को अनुमति दी है। मैं माननीय सदस्यों को एक-एक करके पुकार रहा हूं। एक प्रक्रिया है। आप इस प्रक्रिया का अवश्य पालन करें।

.......*(व्यवधान)*

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण (कराड़) : वित्त मंत्री इसका उत्तर दे सकते हैं.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप प्रक्रिया का पालन करें। एक प्रक्रिया है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी : महोदय, रोज पंजाब और हरियाणा के हजारों किसान आज भी दिल्ली में आ रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। वे यह कह रहे हैं और सही कह रहे हैं.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

.......*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया : वित्त मंत्री जी की गलती के कारण देश के किसानों का इतना नुकसान हो गया है।.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अजीत जोगी, कृपया अपनी बात पूरी कीजिए। माननीय वित्त मंत्री को प्रत्युत्तर देना है या नहीं यह पीठासीन अधिकारी निर्णय करेंगे न कि आप।

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि जब तक यूरिया की कीमतें जैसी पहले थी, वैसी नहीं हो जाएगी तब तक इस देश का किसान संतुष्ट नहीं होगा। जो किसान विरोधी बजट आपने प्रस्तुत किया है जिसमें पहली बार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर टैक्स लगाया है। पहली बार ट्रैक्टर पर टैक्स लगाया है, पहली बार आपने यूरिया पर इतनी वृद्धि की है और आप कह रहे हैं.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय वित्त मंत्री उत्तर देना चाहते हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

.......*(व्यवधान)*

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : मैं माननीय अध्यक्ष के आदेशों पर चल रहा हूं.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब श्री कोनिजेटी रोसैया बोलेंगे। क्या आप इसी मुद्दे पर बोलना पसंद करेंगे, श्री कोनिजेटी रोसैया ?

.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री कोनिजेटी को बोलने की अनुमति दी है। आप कृपया बैठ जाएं।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं इसका प्रत्युत्तर देना चाहता हूं।

श्री कोनिजेटी रोसैया (नरसारावपेट) : कृपया मेरी बात सुनिए। तब आप सभी मुद्दों का उत्तर दे सकते हैं।

श्री यशवन्त सिन्हा : यह माननीय अध्यक्ष पर निर्भर करता है।

श्री कोनिजेटी रोसैया : समाचार पत्रों में छपी खबरों के मुताबिक अधिक अधिभार के रूप में 7 करोड़ रुपये की राशि वसूली गई। यह इससे भी ज्यादा हो सकती है। मेरा कहना है, जिन लोगों से अधिक राशि वसूल की गई है उन्हें राशि की वापसी का प्रश्न नहीं है। इसके अलावा, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक अनियमित संग्रहण है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम है जो पेट्रोलियम उत्पादों, मिट्टी का तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के बिक्री मूल्य को विनियमित करता है। उक्त प्रावधान के अंतर्गत प्रत्येक पेट्रोल डीलर के विरुद्ध उपभोक्ता से अधिक मूल्य वसूल करने पर मामला दायर किया जा सकता है.......*(व्यवधान)* यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह उन सभी लोगों को जिनसे अधिक राशि वसूल की गई है को शीघ्र धन की वापसी का प्रबन्ध करने के लिए मामला दायर करे। मैं यही कहना चाहता था.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी, आपको सिर्फ एक मिनट का समय दिया जाता है।

.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी के बोलने के पश्चात् श्री जोस आप बोल सकते हैं।

.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : मैं, जो कुछ भी हुआ उस पर विलाप करके सभा का समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि सरकारी रवैये की खुद ही चौतरफा भर्त्सना हो चुकी है। एक अनुमान के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल की दैनिक खपत 15,000 टन है। उस स्थिति में उपभोक्ताओं को जो नुकसान उठाना पड़ा वह 500 करोड़ रुपया था न कि पांच या सात करोड़ रुपया। यह एक प्रामाणिक अनुमान है जो समाचार पत्रों तथा अर्थशास्त्रियों के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। अतएव मैं माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं कि वह इस मामले में क्या करेंगे....... *(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस : महोदय, अन्य राज्यों से अलग केरल में बिक्री कर रुपये के हिसाब से लगाया जाता है। दूसरे राज्यों में खरीदे गए प्रत्येक लीटर पेट्रोल पर बिक्री कर लगाया जाता है। इसलिए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए कोष बनाने के प्रयोजन से वित्त मंत्री बढ़ाई गई एक रुपये की राशि तथा उसमें उत्पाद शुल्क जोड़ देने पर हमें अधिक खर्च करना होगा। कल कालीकट में इसका चालू मूल्य 4.87 रुपये था। तिरूअनन्तपुरम में यह पांच रुपये था। इसे बदला भी नहीं जा सकता है। यदि जो धन आपने वसूला है और यह कहा गया है कि वह राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए कोष बनाने के प्रयोजन से है, तब बिक्री कर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अतएव मैं कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री को इन बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। आप दिल्ली या किसी अन्य राज्य के मामले में जो भी कदम उठाते हैं उससे केरल के लोगों की परेशानियां दूर नहीं होंगी। केरल के लोगों को अधिक मूल्य देना पड़ा है। इन बातों के बावजूद केरल के लोगों को पांच रुपये

ज्यादा देना होगा। अतएव मैं कहना चाहता हूं कि वहां बिक्री कर नहीं होना चाहिए।.......*(व्यवधान)* आप उपभोक्ताओं से जो एक रुपया ले रहे हैं। वह राष्ट्रीय राजमार्ग कोष के प्रयोजन हेतु है। अतएव बिक्री कर की कोई आवश्यकता नहीं है। अतएव, मेरा कहना है कि वित्त मंत्री को केरल के बारे में विशेष ध्यान देना चाहिए। आप कृपया बिक्री कर की गणना कीजिए तथा उनसे बिक्री कर हटाने को कहिए जिसकी वसूली आप नहीं कर रहे हैं ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी सदन में बैठे हैं, मैं उनसे एक बात विनती करना चाहता हूं। किसानों के बारे में सदन में तीन दिनों से लगातार बात हो रही है और किसानों द्वारा आत्म-हत्यायें हो रही हैं। कोई भी अपनी जान जानबूझ कर नहीं देता है, तकलीफ होती है, दम घुटता है तब देता है। एक नहीं, दो नहीं, पांच सौ आदमी मर गए हैं। आज भी सदन में उसी विषय पर बात हो रही है। मरहम लगाने के बजाए नमक छिड़क दिया, यह ठीक नहीं है। यूरिया के मामले में आप हमदर्दी दिखाइए और जो कीमत बढ़ाई है, उसको वापिस करिए। इसके अलावा जो आपने फूडस्टफ पर भी बढ़ाया है, उसको भी ठीक करिए। किसानों को मरहम की जरूरत है, हमदर्दी की जरूरत है। आप हमदर्दी का हाथ बढ़ायें, दोस्ती का हाथ बढ़ायें, तलवार न चलायें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, मंत्री जी उत्तर दे सकते हैं। कल हमने इस मामले पर चर्चा की थी। आज भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अहमद जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

.......*(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। भाषण देते हुए मंत्री जी ने संसद में कहा कि हमें पेट्रोल पर केवल एक ही रुपया अधिक देना है। जब वह पांच रुपये ले रहे हैं। जनता हमारी संसद के बारे में क्या सोचेगी ?.......*(व्यवधान)* लोग पांच रुपये अधिक देने को बाध्य हैं। यह बिल्कुल गलत है. ......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अहमद, कल भी आपने यही मामला उठाया था। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए.......*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं इस सदन से यह कहना चाहूंगा, और विशेषकर सामने बैठे हुए जो हमारे माननीय सदस्य हैं उनको कहना चाहूंगा कि जो स्वयं शीशे के घर में रहते हैं उनको दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। ....*(व्यवधान)* आप में हिम्मत है तो मेरी बात सुनिए।....... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

यदि आप में साहस है तो मेरी बात सुनिए.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री के भाषण के अलावा कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

.......*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, यह देखिए।.......*(व्यवधान)* आपको किसानों का बहुत दर्द है।.......*(व्यवधान)* 1991 में क्या हुआ था, आपको पता है। यह जो आज यहां किसानों का रोना रोया जा रहा है, मैं अपने कांग्रेस के मित्रों को याद दिलाना चाहूंगा कि 25.7.91 को, जब राव जी की सरकार थी और डॉ0 मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, 25 जुलाई 1991 को उन्होंने अपना बजट इसी सदन में प्रस्तुत किया।.......*(व्यवधान)* उसमें उन्होंने क्या किया.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री कुरियन, उन्हें उत्तर देने दीजिए।

.......*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा : आपको किसानों के लिए बहुत हमदर्दी है। उन्होंने 42 प्रतिशत यूरिया की कीमत बढ़ाई थी, 25 जुलाई, 1991 को 2350 रुपए यूरिया की कीमत थी। उस साल के बजट में कितना बढ़ा 3330 रुपए हो गए.......*(व्यवधान)* उसके बाद क्या हुआ। इसी सदन में, इस सदन के बाहर इसके खिलाफ लोगों ने बहुत आवाज उठाई और उस आवाज के उठने के बाद क्या हुआ, 20 दिनों के भीतर इसी सदन में उस समय के वित्त मंत्री जी ने उस बढ़ोतरी को घटाकर 3007 रुपए किया। 20 दिनों तक लगातार इस देश के किसान 300 रुपए से ऊपर प्रति टन देते रहे। क्या वह पैसा वापस हुआ ? आज आप उन किसानों को उन पैसों को लौटाएंगे।.......*(व्यवधान)* आप क्या कर रहे हैं ? ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन : आप इसकी अनुमति क्यों दे रहे हैं ? ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

.......*(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा : आप मेरी बात सुनिए। आप यहां पर जो किसानों की बात कर रहे हैं.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री जी जो कह रहे हैं उसके अलावा कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ और शामिल नहीं किया जाएगा।

.......*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा : सितम्बर, 1994 में फिर कीमतें बढ़ा कर 3320 रुपए कर दी गई, इसमें 20.30 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उस समय किसानों के प्रति आपका मोह कहां था ? यहां पर युनाइटेड फ्रंट के जो लोग बैठे हैं मैं उनके बारे में कहना चाहता हूँ। 21 फरवरी, 1997 को साढ़े दस प्रतिशत यूरिया की कीमतें उस समय की युनाइटेड फ्रंट की सरकार ने बढ़ाई।

[अनुवाद]

श्री जयपाल रेड्डी जी, जब आप मंत्री थे तो यूरिया की कीमतों में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि की गई थी। अब आप मुझे उपदेश दे रहे हैं कि यह सरकार किसान विरोधी है। आपकी क्या भूमिका थी ?.......*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.00 बजे

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मैं साफ-साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि इस बजट में किसानों के हितों को पूरी तरह से देखा गया है, उनका ख्याल रखा गया है।.......*(व्यवधान)* इसलिए ये लोग जल रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं।.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

यह केवल राजनीति है और कुछ नहीं। उन्हें इसके बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है.......*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : अध्यक्ष महोदय,

हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,
वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती।.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय.......*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे (ठाणे) : वे नहीं चाहते थे कि माननीय मंत्री जी उत्तर दें। अब, हम उन्हें नहीं सुनना चाहते ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

जब मंत्री जी बोल रहे थे तो ये लोग सुनने नहीं दे रहे थे, अब हम भी नहीं सुनने देंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : 'शून्यकाल' समाप्त हुआ।

अब हम मद संख्या 20 अर्थात्, नियम 193 के अधीन चर्चा करेंगे। श्री आर.एल. जालप्पा आरम्भ करेंगे।

.......*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : महोदय, वे हम पर आरोप लगा रहे हैं.......*(व्यवधान)* कृपया मुझे बोलने दीजिए.......*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : यदि आप इस पर चर्चा चाहते हैं तो मैं किसी भी समय चर्चा के लिए तैयार हूँ.......*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : महोदय, वे हर समय इस तरह बाधा डालते रहते हैं.......*(व्यवधान)* यह क्या हो रहा है ?.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी जी, कृपया बैठ जाइए।

.......*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक मिनट लूँगा.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : परांजपे जी, कृपया पहले अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

.......*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : पूछा गया था पेट्रोल के बारे में और जबाब दे रहे हैं यूरिया के बारे में.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री परांजपे, कृपया बैठ जाइए। मैं आपको अवसर दूंगा।

.......*(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे : महोदय, यूरिया के बारे में बजट में भी चर्चा की जा सकती है। इस समय हम कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाना चाहते हैं.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में अवसर दूंगा। कृपया अभी बैठ जाइए।

.......*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक मिनट ही लूंगा.......*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे : यह क्या हो रहा है? महोदय, पहले आप इन माननीय सदस्य को अपनी बात कहने की अनुमति दें.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

.......*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक : महोदय, यदि वे इस पर और चर्चा करना चाहते हैं तो उन्हें पूर्व सूचना देनी चाहिए। मंत्री जी ने बात स्पष्ट कर दी है। अब मामला समाप्त हो गया है।.......*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अगर सभी ने बोलना है तो हम भी बोलेगे.......*(व्यवधान)* पंचायत के चुनावों में भारी गड़बड़ी की गई है। उस पर भी डिस्कशन होना चाहिए।.......*(व्यवधान)* जब वित्त मंत्री ने कह दिया है कि वह बहस करने को तैयार हैं ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया बैठ जाइए।

.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : चर्चा नहीं, केवल स्पष्टीकरण दीजिए।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : आप बोलेंगें तो हम भी बोलेंगे। हम भी चुनकर आए हैं। हम भी अपने क्षेत्र की बात रखेंगे।....... *(व्यवधान)* आपको केवल अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है।. ......*(व्यवधान)* आप सीनियर होने का फायदा मत उठाइए। आपको नियमों के अनुसार चलना चाहिए।.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : राजवीर सिंह जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री मधुकर सरपोतदार : यह उचित नहीं है। आप सदन में यह घोषणा कर चुके हैं कि नियम 193 के अधीन चर्चा की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बहस न करें। आप बैठ जाइये।

.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी बुलाऊंगा।

.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह ऐसा नहीं है। कृपया आप बैठ जायें।

.......*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइन (बालासोर) : यह संभव नहीं है। यह संभव नहीं है कि वे सभा का पूरा समय ले लें। हमारी भी अपनी समस्यायें हैं। हमें अपने संसदीय क्षेत्र से संबंधित मामलों को उठाना है। आप यह अवसर सिर्फ वरिष्ठ सदस्यों को नहीं दे सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि वे सभा को कार्य करने दें तब उन्हें बोलने का काफी अवसर मिलेगा। कृपया उन्हें भी अनुमति दें.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अवसर दूंगा। आप कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है कि माननीय सदस्य किस नियम के अंतर्गत किस विषय पर बोल रहे हैं?... ....*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने अभी कुछ बोला ही नहीं है।. ......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं होता है।

.......*(व्यवधान)*

श्री राजवीर सिंह : आप कृपा करके बताएं कि आप किस नियम के अंतर्गत किस विषय पर बोल रहे हैं?.......*(व्यवधान)* जीरो आवर में हमारी बात भी सुनी जानी चाहिए।.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : इससे पहले कि मैं बोलूं....... *(व्यवधान)* वे हमारी आवाज को इस प्रकार नहीं दबा सकते हैं।

यदि वे सोचते हैं कि वे हमारी आवाज को इस प्रकार दबा सकते हैं तो यह उनकी भूल है.......*(व्यवधान)* महोदय आपने मुझे बुलाया है मैं इस सभा में बोलने से असमर्थ हूं। आपने मुझे बोलने हेतु बुलाया है और मैं बोल नहीं पा रहा हूं.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरे साथ सहयोग करें। मैं आपको अवसर दूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी: इससे पहले कि किसी अन्य सदस्य को बुलाया जाता है, मुझे बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि अध्यक्ष महोदय की ही बात नहीं मानी जाती तब हमें भी यहां नहीं होना चाहिए। आप सभा की कार्यवाही को नियंत्रित कर रहे हैं।

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, आपने अपना निर्णय दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : हम इस मुद्दे पर पुनः बातचीत नहीं कर रहे हैं, केवल एक स्पष्टीकरण ही मांगा जा रहा है।

श्री बसुदेव आचार्य : यदि वे हमें बोलने की अनुमति नहीं देंगे तब हम भी उन्हें नहीं बोलने देंगे।

श्री मधुकर सरपोतदार : वे किस नियम के अंतर्गत स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। विषय क्या है।

श्री बसुदेव आचार्य : आपने उन्हें बोलने की अनुमति दी है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप सभी बैठ जायें। अब और अधिक चर्चा नहीं होगी वे सिर्फ एक स्पष्टीकरण मांग रहे हैं।

श्री मधुकर सरपोतदार : हम कब तक इस मुद्दे पर चर्चा करते रहेंगे? आपने नियम 193 के अंतर्गत चर्चा की घोषणा पहले ही कर दी है। क्या वे इसी विषय पर पुनः बोलने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम किसी चर्चा की अनुमति नहीं दे रहे हैं, सिर्फ एक स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं जानता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी स्वयं इसकी महत्ता महसूस करते हैं.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइये। माननीय सदस्यगण अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लें।

...... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अजीत जोगी, आप कृपया बैठ जाइये।

.......*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, आप सोमनाथ बाबू को एक मिनट की अनुमति दे सकते हैं लेकिन आप इस पक्ष के माननीय सदस्यगण को भी अपनी बात कहने की अनुमति दें, और विपक्ष के माननीय सदस्यगण को इनकी बातें सुनने का भी धैर्य होना चाहिए।.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभा 2 बजे म.प. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 1.11 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.07 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.07 बजे पुनः समवेत हुई।

(श्री के. येरननायडू *पीठासीन हुए)*

.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : बस एक मिनट, बैठ जाइए।

.......*(व्यवधान)*

श्री पी. शिवशंकर : सभापति महोदय, आज सुबह दो मुद्दे उठाए गए थे। पहला यूरिया के मूल्य तथा दूसरा अधिक दर पर वसूल की गई पेट्रोल के मूल्य की वापसी से संबंधित था।

हम विपक्ष में हैं। सत्ता पक्ष में बैठे सदस्यों को यह महसूस करना चाहिए कि लोक हित के प्रतिकूल मामलों का विरोध करना हमारा कर्त्तव्य है। सरकार को सत्ता से हटाने हेतु निरंतर प्रयास करना भी हमारा कर्त्तव्य है। सामान्यतः विपक्ष का यही कर्त्तव्य होता है।

अतः हम इन मामलों को सत्ता पक्ष के ध्यान में लाये जब माननीय वित्त मंत्री जी उपस्थित थे ताकि वे यह समझ सकें कि हम क्या बोल रहे हैं तथा अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकें। लेकिन हमने इस तरह का वित्त मंत्री कभी नहीं देखा है। हम भी सत्ता पक्ष में लम्बे अर्से तक बैठे हैं। कोई भी वित्त मंत्री इतने भावुक, अभिमानी तथा अपना आपा खोने वाले नहीं रहे जो यह कह सके कि शीशों के घरों में रहने वालों को दूसरों पर पत्थर नहीं मारना चाहिए। यह बोलने का तरीका नहीं है। फिर उन्होंने मुद्दों का जवाब नहीं दिया। हमारे द्वारा उठाए गए दो मुद्दों पर क्या जवाब दिया गया है? उनके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। वित्त मंत्री ने जिस प्रकार हमारे द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों का अक्खड़पन के साथ जवाब दिया है उससे हमें क्षोभ हुआ है।

यह हमारे लिए काफी चिंता और क्षोभ का विषय है। यदि सत्ता पक्ष के लोग इसी तरह हरकत करते हैं और आत्मसंयमपूर्वक व्यवहार नहीं करते जैसा कि उन्हें करना चाहिए, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हम यहां पर उनके कामकाज में कमियों का पता लगाने के उद्देश्य से बैठे हैं। यह हमारा कर्त्तव्य है। परन्तु यदि वे आत्मसंयम नहीं बरतते हैं और यदि वे हमारे साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास करते हैं। मैं यहां तक कहूंगा कि वे कह रहे थे कि हम लोग दुर्व्यवहार कर रहे थे; थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि हम दुर्व्यवहार कर रहे थे तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार तो संसदीय प्रणाली काम ही नहीं कर सकती।

जिस तरह से वित्त मंत्री ने इसे लेकर सुबह व्यवहार किया था उस पर मुझे क्षोभ है। उनके आचरण से वाकई हमें बहुत क्षोभ हुआ है। और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई भी उत्तर नहीं दिया गया है। हम यह अपेक्षा करते हैं कि वित्त मंत्री इस सदन में आएं, अपने आचरण के लिए क्षमायाचना करें और उठाए गए मुद्दों का उत्तर दें ताकि मामला रफा-दफा हो। दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : उसके बिना, सदन काम नहीं करेगा। ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कोई आवश्यक नहीं है।

.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया पहले उनकी बात सुनिए। यह कोई तरीका नहीं है।

.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैंने आपके नेता को एक मौका दिया था।

.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

.......*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : आप मेरी बात सुनिए।.......*(व्यवधान)*

श्री पी. शिवशंकर : सभापति महोदय, यह क्या तरीका है? ....*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : क्या आपका यही तरीका है।... ....*(व्यवधान)* क्या आप अपनी ही बात सुनाएंगें, दूसरों को नहीं सुनेंगे।.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस (मुकुन्दपुरम) : संसदीय कार्य मंत्री के पास कोई पूर्वोदाहरण नहीं है.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री जोस, संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे है। कृपया उनकी बात पहले सुनिए। यह बोलने का कोई तरीका नहीं है।

.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपके लिए यह उचित नहीं है। कृपया बैठ जाइए और सहयोग दीजिए।

.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

.......*(व्यवधान)**

श्री ए.सी. जोस : महोदय, आपने उन्हें बोलने का मौका देने का कष्ट किया, तब स्वाभाविक तौर पर उत्तर सदन के नेता द्वारा दिया जाना चाहिए, न कि अन्य किसी व्यक्ति द्वारा....... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वे संसदीय कार्य मंत्री हैं। वे कुछ कहना चाहते हैं। कृपया पहले उनकी बात सुन लीजिए।.......*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : वह सदन को इस तरह अड़ियल तरीके से नहीं चला सकते। उन्हें पहले वित्त मंत्री को बुलाने दीजिए। उनका अड़ियलपन जाने दीजिए। वे सरकार को अड़ियल तरीके से नहीं चला सकते.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

.......*(व्यवधान)*

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, उन्हें माफी मांगनी चाहिए. ......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यदि आप सभी ऐसे चिल्लाते रहेंगे तो वह बोल नहीं पाएंगे।

.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप सभी वरिष्ठ सदस्य हैं। क्या ऐसे व्यवहार किया जाता है। हर कोई बोलने के लिए खड़ा है। कृपया बैठ जाइए।

.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वित्त मंत्री अपनी बात कह रहे हैं। कृपया बैठ जाइए। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

.......*(व्यवधान)*

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : आपने जो कुछ कहा वह मैंने सुना है.......*(व्यवधान)*

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, एवीएसएम (गढ़वाल): जब आप बोल रहे थे, तो हम सभी शांति तथा धैर्य के साथ आपकी बात सुन रहे थे, किंतु संसदीय कार्य मंत्री जो कहना चाहते हैं आप सुन नहीं रहे हैं.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री खण्डूड़ी, कृपया बैठ जाइये। वित्त मंत्री बोल रहे हैं। कृपया बैठ जाइये।

.......*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : सभापति महोदय, कल से इस सदन में पेट्रोल और यूरिया की कीमतों को लेकर चर्चा चल रही है। मैंने कल सदन के समक्ष अपना स्पष्टीकरण रखा था और मैंने सोचा था, मुझे आशा थी कि उस स्पष्टीकरण के बाद उस विषय का वहीं अंत हो जायेगा लेकिन आज एक अन्य नियम के तहत श्री अजीत जोगी ने उसी प्रश्न को दुबारा उठाया। अध्यक्ष महोदय ने इस पर अनुमति दी कि दूसरे माननीय सदस्य भी उसमें योगदान करें और मुझसे यह अपेक्षा की गयी कि मैं उसका उत्तर दूं। आप जानते हैं कि सदन की यह परम्परा रही है कि जब यहां कोई विषय उठाया जाता है, तो सरकार प्रतिक्रिया व्यक्त करने की स्थिति में होती है। सरकार की तरफ से कोई न कोई मंत्री खड़ा होकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। मैं सदन में उपस्थित था इसलिए मैंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। अभी मैं अपने कमरे में बैठकर सुन रहा था जो माननीय शिव शंकर जी ने यहां पर कहा। माननीय शिव शंकर जी के साथ मैं उस सदन का भी सदस्य था और आज इस सदन का भी सदस्य हूं। हम दोनों ने एक दूसरे को सत्ता पक्ष में भी देखा है और विपक्ष में भी देखा है। व्यक्तिगत रूप से मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, बहुत आदर करता हूं।

इसीलिए जब मैंने देखा कि शिव शंकर जी इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो मैंने बहुत गौर से उनकी बातों को सुना। मुझे इस बात को कहते हुए खेद है कि उन्होंने मेरे बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया कि मैं ब्रेवेडो दे रहा था, सदन के साथ मिसबिहेव कर रहा था।.......*(व्यवधान)* मिसबिहेव का शब्द है, आप देखिये, शिव शंकर जी, आपने कहा है।.......*(व्यवधान)* मैं आपसे यह उम्मीद नहीं करता था कि हम एक दूसरे के बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं आपकी तुलना श्री जयपाल रेड्डी से नहीं करता। उनको भी मैं बहुत वर्षों से जानता हूं।....... *(व्यवधान)* बहुत वर्षों से साथ चलते मैं उनकी भाषा से भली-भांति परिचित हूं। वे अक्सर अपनी भावनाओं को सही भाषा में व्यक्त नहीं कर पाते। यह उनके साथ एक दिक्कत है।.......*(व्यवधान)* आपको मौका मिलेगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : पहले वह अपना भाषण पूरा करेंगे।

.......*(व्यवधान)*

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : यह व्यक्तिगत अपमान है.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं, नहीं उन्हें अपना भाषण पूरा करने दीजिए।

.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं आपको अवसर दूंगा। कृपया बैठ जाइये।

.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : पहले माननीय मंत्री अपना भाषण पूरा करेंगे। फिर मैं आपको अवसर दूंगा। कृपया बैठ जाइये।

.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं आपको बाद में अवसर दूंगा। कृपया बैठ जाइये।

.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं, नहीं पहले वह अपना भाषण पूरा करेंगे। तत्पश्चात् मैं आपको बोलने का समय दूंगा।

.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वित्त मंत्री के भाषण के अलावा कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

.......*(व्यवधान)* *

सभापति महोदय : नहीं, नहीं मैं आपको बाद में अवसर दूंगा पहले वह अपना भाषण पूरा करेंगे।

.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री जयपाल रेड्डी मैं आपको अवसर दूंगा।

.......*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : मैंने एक भी असंसदीय शब्द का प्रयोग नहीं किया है.......*(व्यवधान)* मैंने असंसदीय शब्द का प्रयोग किया है यह कोई भी कह सकता है.......*(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : श्री जयपाल रेड्डी मैं आपको बाद में अवसर दूंगा।

.......*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : बैठिये, बैठिये।

.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये।

.......*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा : मैं माननीय सदस्य शिव शंकर जी से कहना चाहता हूं कि मैं सारे बिन्दुओं पर बोलने के लिए तैयार होकर आया था और अभी भी तैयार हूं। यदि सदन सुनना चाहता है तो मैं सारे बिन्दुओं का उत्तर दूंगा।.......*(व्यवधान)* लेकिन मैं अपेक्षा करूंगा कि सदन भी मुझे उतनी ही शांति से सुनेगा जितनी शांति से मैंने सुना था।.......*(व्यवधान)* मैं हर बात का उत्तर देने के लिए तैयार हूं लेकिन मैं यह पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि या तो अभी या सुबह के सत्र में जब मैंने हस्तक्षेप किया था, तो कोई ऐसी बात नहीं कही थी जिससे यह कहा जा सके कि मैंने मिसबिहेव किया।.......*(व्यवधान)* मैंने यही कहा है और पार्लियामेंट डिबेट में ये बातें चलती हैं.......*(व्यवधान)* जिस तरह की भाषा का प्रयोग मेरे बारे में आप लोग कर रहे हैं, मैं उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रहा हूं।.......*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पहले मंत्री जी की बात पूरी सुन लें।.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभी माननीय सदस्यों से मेरा यह अनुरोध है कि पहले माननीय मंत्री अपना भाषण पूरा करेंगे फिर मैं सभी को मौका दूंगा। कृपया बैठ जाइये।

.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं, नहीं कृपया बैठ जाइये। मैं आपको अवसर दूंगा।

.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री शिव शंकर, आपने एक मामला उठाया है तथा माननीय वित्त मंत्री उसका उत्तर दे रहे हैं।

.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये।

.......*(व्यवधान)*

प्रो. पी. जे. कुरियन : उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए।.......*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : आप इनको सुनिये न। इनको पूरा सुन लीजिए, इनको सुनने के बाद आप अपनी पूरी बात कहिये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अनुबोधन मत कीजिए। कृपया शांति बनाए रखें।

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा : मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरी किसी बात से यदि मेरे मित्र श्री जयपाल रेड्डी को आपत्ति है, मेरी किसी बात से यदि उनको आपत्ति है तो मैं उसके लिए माफी मांगने को तैयार हूं। लेकिन, सभापति महोदय, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मेरी कभी भी इस सदन में यह नीयत नहीं रही है कि मैं किसी भी माननीय सदस्य के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी करूं, जो उनको बुरी लगे। जयपाल रेड्डी जी हमारे पुराने मित्र हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि यदि.......*(व्यवधान)* मेरी कोई टिप्पणी उनको नागवार गुजरी है या उनको मेरी किसी बात से चोट पहुंची है तो मैं यह सारे सदन के सामने कहता हूं कि मुझे माफ कर दें, मुझे क्षमा कर दें। अगर इससे उनको कोई तकलीफ हो गई तो मेरा कोई तकलीफ देने का मुद्दा नहीं था।

सुबह के सत्र में मैं सिर्फ यह कहना चाहता था कि यहां पर किसानों की समस्याओं को लेकर, यूरिया की कीमतों में जो वृद्धि हुई, उस बात को लेकर कल से बहुत चिन्ता प्रकट की गई और जिनके द्वारा चिन्ता प्रकट की गई, मैं उनका इतिहास लेकर इस सदन के सामने स्वयं आया था, उन तथ्यों को मैंने सदन के समक्ष रखने का एक प्रयास किया। जब कांग्रेस पार्टी शासन में थी तो पांच वर्षों में दो बार यूरिया की कीमतों में वृद्धि की गई, मैंने यह तथ्य रखा। मैंने यह तथ्य रखा कि जब संयुक्त मोर्चा का शासन था तो बजट के एक हफ्ते पहले 21 फरवरी, 1997 को यूरिया की कीमतों में वृद्धि की गई। उस समय क्यों, किन कारणों के चलते वृद्धि की गई, उस समय की सरकार ने उसका स्पष्टीकरण इस सदन में और दूसरे सदन में दिया था। मैंने भी कल अपना स्पष्टीकरण इस सदन के समक्ष दिया। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि यदि किसानों की चिन्ता छोड़कर इसका हम राजनैतिक लाभ उठाने का प्रयास करेंगे तो मैं राजनैतिक उत्तर दूंगा। आप हमसे बजट के ऊपर.......*(व्यवधान)* मैं पैट्रोलियम की बात अभी बता रहा हूं। मैंने कल सदन के समक्ष पैट्रोलियम प्राइसेज की बात कही। हमारा विश्वास यह था कि तीन दिनों तक बजट के ऊपर इसी सदन में चर्चा होनी है और उसमें ये सारे मुद्दे उठ सकते थे और जब मैं अपना उत्तर दूंगा तो मैं इन सारे मुद्दों को कवर करते हुए उत्तर दूंगा। अब यहां पर यूरिया की बात आई, फिर पैट्रोलियम की बात आई। सही है, मैंने कल कहा था कि जो

सरकार की मंशा नहीं थी, वह किसी तरह एक आदेश में परिणत होकर उसके आधार पर 24 घंटे के लिए अधिक कीमत चार्ज की गई।.......*(व्यवधान)*

श्री मुरली देवड़ा (मुम्बई दक्षिण) : यही तो विफलता है!

श्री यशवंत सिन्हा : सभापित महोदय, जैसे ही मुझे यह सूचना मिली.......*(व्यवधान)*

श्री मुरली देवड़ा : कल शाम को चार्ज किया है। कल शाम को आपके एनाउंसमेंट के बाद चार्ज किया है।

[अनुवाद]

श्री यशवंत सिन्हा : कल आधी रात के बाद से नये मूल्यों के प्रभावी होने के कारण ऐसा हुआ है। श्री मुरली देवड़ा जैसा कि आप जानते हैं कि पैट्रोल के मूल्य सामान्य तौर पर आधी रात से ही बदले जाते हैं।

पहली जून को भी आधी रात को बढ़ाए गये थे। 2 जून को भी ये आधी रात को ही बदले गए थे। सरकार की इस बात की सराहना की जानी चाहिए कि जो गलती हुई थी उसे फौरन ठीक कर दिया गया। हमने कोई पूरे 20 दिन गलती को ठीक करने में नहीं लगाए जैसा कि कांग्रेस सरकार ने 1991 में मूल्यों को ठीक करने के लिए काफी समय लिया था। हमने इसे 24 घंटे के अन्दर ही ठीक कर दिया।.......*(व्यवधान)* आप व्यवधान क्यों डाल रहे हैं? मैं समझता था कि सभा मेरी बात को सुनेगी....... *(व्यवधान)* जो भी आप कहना चाहते हैं, कृपया मेरी बात पूरी होने के बाद कहिए।

मैंने कल सभा में इस बात का उल्लेख किया था कि मैंने अनुदेश जारी कर दिए थे। यदि आप यहां दिए मेरे भाषण पर दृष्टिपात करें तो आपको पता चलेगा कि मैंने पेट्रोल उत्पादों के मूल्यों का निर्धारण नहीं किया था। मैं अपने भाषण का 142 पैराग्राफ पढ़ता हूं। इसी मुद्दे पर श्री जयपाल रेड्डी ने मुझे संदेहास्पद कहा। मैं उस पैरे को पढ़ता हूं "मैं पैट्रोल के मूल्यों में एक रुपये प्रति लीटर की दर से तत्काल अतिरिक्त कर लगाने का प्रस्ताव करता हूं।" एक रुपये की बढ़ोत्तरी के पश्चात् प्रति लीटर पैट्रोल का मूल्य मैंने निर्धारित नहीं किया क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं।

पैरा 147 में मैंने कर ढांचे के परिवर्तन के बारे में बात कही है परन्तु मैंने उसमें मोटर स्प्रिट के मूल्यों के बारे में कुछ नहीं कहा है। मैंने पैट्रोल के मूल्यों के बारे में कुछ भी नहीं कहा क्योंकि इसे बजट भाषण में नहीं कहा जाता अथवा वित्त मंत्रालय करों में परिवर्तन के आधार पर इसके मूल्यों का निर्धारण करता है। और जैसा कि मैंने कहा कि ज्योंही हमें गलती का अहसास हुआ उसी क्षण इसे ठीक कर दिया।

अब यहां एक मुद्दा उठाया गया है। इस संबंध में जो भी पैसा एकत्रित हुआ है।.......*(व्यवधान)* एक मिनट रुकिए, कृपया मेरी बात सुनें।

प्रो० पी.जे. कुरियन : क्या आप एक मिनट के लिए मेरी बात सुनेंगे?

सभापति महोदय : प्रो० कुरियन कृपया सहयोग दें। मंत्री महोदय सारी जानकारी दे रहे हैं।

श्री यशवंत सिन्हा : मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा मैं अपनी बात एक मिनट में ही पूरी करता हूं। आप मेरी बात समाप्त होने के बाद बोल सकते हैं। आप तो इतने वरिष्ठ सदस्य हैं।

प्रो० पी.जे. कुरियन : गलती में और नीति में परिवर्तन दोनों में अन्तर है। पेट्रोल के मूल्यों के बारे में जो हुआ वह गलती थी और यूरिया और अन्य उर्वरकों के बारे में जो हुआ वह नीति में परिवर्तन है। इसलिए नीति में परिवर्तन और जो गलती आपने की है इनकी तुलना मत कीजिए।

श्री यशवंत सिन्हा : कौन तुलना कर रहा है? मैं इसकी तुलना नहीं कर रहा हूं। मैंने इसकी कभी भी तुलना नहीं की है। आप इसकी तुलना कर रहे हैं।

प्रो० पी.जे. कुरियन : इसलिए जो गलती आपने पैट्रोल के मामले में की है। और उसे चाहे तो पैसा वापसी करके ठीक कीजिए. ......*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : मैं उसी बात पर आ रहा हूं...... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया इनकी बात सुन लें।

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह : पूरी बात सुन नहीं रही है कांग्रेस पार्टी, कुछ तो तमीज सीखो.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया शोर नहीं कीजिए। मंत्री महोदय बोल रहे हैं।

श्री यशवंत सिन्हा : मैं उसी बात पर आ रहा हूं जो कि अनेक माननीय सदस्यों ने उठाई है। इन 24 घंटों में जो अतिरिक्त पैसा एकत्रित हुआ है। उसका क्या होगा? मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि यह पैसा दो जगह एकत्रित किया गया है। पहला यह पैसा पेट्रोल पम्प पर पेट्रोल डीलरों ने पेट्रोल लेने वाले ग्राहकों से एकत्रित किया। एक मुद्दा यह भी उठाया गया था कि यह अवैध था। यह ऐसा नहीं था क्योंकि सरकार ने अधिसूचना जारी करके उन्हें अनुमति दी थी। इसलिए यह अवैध नहीं था।

दूसरी बात जिस भी डीलर ने भी डिपो से पेट्रोल खरीदा उसने बढ़े हुए मूल्यों पर ही भुगतान किया। इसी सम्बन्ध में हमने निर्णय लिया है? हमने निर्णय लिया है कि यह अतिरिक्त पैसा जो कि

पूरे देश में विभिन्न डीलरों के पास उत्पाद शुल्क के रूप में एकत्रित हुआ है वह सारा पैसा सरकारी खजाने में आ गया है। और वह धनराशि चाहे वह 7 करोड़ रुपये हो 8 करोड़ रुपये हो अथवा 20,000 करोड़ रुपये हो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को इसी रूप में जायेगी। जैसे कि एक रुपये का उपकर। इस सम्बन्ध में यह स्थिति है। इससे स्थिति पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है। और मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात अब रह गई है जिसे स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता हो।

श्री ए.सी. जोस : एक और बात में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। मैं केरल में विक्रय कर के संबंध में बताना चाहता हूं।

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, मैंने माननीय संसद सदस्य द्वारा उठाई गई बात को सुना है और मैं इसका उत्तर दूंगा।

मैंने कहा था कि हम एक रुपया सड़क उपकर लगा रहे हैं। पैट्रोलियम उत्पादों पर राज्य बिक्री कर की प्रणाली है। जब केन्द्र सरकार कोई शुल्क लगाती है तो वे कुल मूल्य में शुल्क जोड़ने के बाद बिक्री कर की गणना करते हैं। इसलिए आप देखें कि दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 1.11 रुपये तो चेन्नई में यह कीमत 1.35 रुपये रही। ऐसा वहां बिक्री कर की दर अधिक होने के कारण हुआ जो मुद्दा माननीय सदस्य ने उठाया है वह मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाना होगा। राज्य सरकारें ही विक्रय कर लगाती हैं मैं नहीं लगाता हूं। इसलिए यदि वे एक रुपया अधिक लेते हैं तो यह प्रश्न उनके साथ उठाया जाना चाहिए। मेरे पास इसका कोई समाधान नहीं है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : सभापति महोदय, सहज रूप से अपनी गलती मानने के लिए वित्त मंत्री को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि उन्होंने जल्दी में गलती की और खेद व्यक्त करने में कुछ समय लिया। पैट्रोल के मूल्यों के सम्बन्ध में तथाकथित भ्रम से उत्पन्न समस्या के बारे में उन्होंने कुछ स्पष्टीकरण तो दिया। मेरा निवेदन है कि उन्हें प्रश्न काल के तुरंत बाद स्पष्टीकरण देना चाहिए था। जिससे इस समस्या से काफी हद तक बचा जा सकता था। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हमें पैट्रोल खुदरा डीलरों से यह अतिरिक्त पैसा नहीं लेना चाहिए क्योंकि उन्होंने पहले ही बढ़ी हुई दरों पर डिपो से पेट्रोल खरीदा है। मंत्री महोदय क्या देश के सभी खुदरा डीलरों ने कल सुबह डिपों से पेट्रोल खरीदा है। यह निश्चित है कि यह संचय एक दिन पहले ही हो चुका होगा। इसलिए पेट्रोल डीलरों से यह पैसा तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। यह केवल हमारा मामला ही नहीं है कि यह पैसा प्रत्येक उपभोक्ता को वापस किया जाना चाहिए यह व्यवहारिक नहीं है। हम समझते हैं कि यह संभव नहीं है। इसलिए वित्त मंत्री को सभा को यह आश्वासन देना चाहिए कि या तो यह पैसा खुदरा डीलरों से निर्धारण करके सरकार के पास वापस जमा होना चाहिए अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को दिया जाना चाहिए अथवा उपभोक्ता कोष में जमा होना चाहिए। पहले भी ऐसी भूल हुई थी। इस मामले में सारी राशि राष्ट्रीय उपभोक्ता कोष में गई थी। इसलिए मंत्री महोदय को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

श्री पी. शिवशंकर : सभापति महोदय, जो कुछ पहले कहा जा चुका है। मैं उसके गुणदोष की कोई चर्चा नहीं करना चाहता। परन्तु मैं ईमानदारी से यह कह रहा हूं कि वित्त मंत्री ने मेरी टिप्पणी को समझने में भूल की है। महोदय, आप कृपया इस बात को समझायेंगे कि यहां बोलते समय मैं विपक्ष के कर्त्तव्यों के बारे में बोलता हूं। विपक्ष के कर्त्तव्यों के संदर्भ में मैंने कहा, यह मान कर कि हमने दुर्व्यवहार किया है, आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। मेरा यह आशय कदापि नहीं था या रहा है कि उसने व्यक्तिगत रूप से दुर्व्यवहार किया है। मैं सत्ता पक्ष को सम्बोधित कर रहा था। मैं विपक्ष के कर्त्तव्यों के संदर्भों में बोल रहा था। मेरा यह कहना था कि हम विरोध कर सकते हैं तथा हमें विरोध करना होगा तथा हमें ये दोनों कार्य करने होंगे। इस बात का संदर्भ सिर्फ इतना था कि मैं इसे कह रहा था। मेरा उद्देश्य कोई व्यक्तिगत नहीं था। मैं सत्ता पक्ष को सम्बोधित कर रहा था। यह बात इसी का एक हिस्सा थी।

दूसरी बात यह है कि मेरे मित्र श्री दिग्विजय सिंह जी सामान्यतः एक विवेकशील वक्ता हैं जिसके कारण उन्होंने बीच में एक शब्द यह डाला है कि ''तमीज सीखें''।

मेरी उनसे गुजारिश है कि वे इन शब्दों को वापस लें।

श्री दिग्विजय सिंह : उनकी सलाह पर मैं उन शब्दों को वापस लेता हूं.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब हम नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा करेंगे।

.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री राजेश पायलट जी क्या आप इसी मुद्दे पर कोई प्रश्न करना चाहते हैं।

.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री अजीत जोगी जी मैंने आपकी पार्टी के नेता श्री शिव शंकर जी को बोलने का मौका दे दिया है। अब श्री राजेश पायलट जी बोलने के लिए खड़े हुए हैं।

.......*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट (दौसा) : सभापति जी, वित्त मंत्री जी आज सुबह गरम मूड में थे। यह सच्चाई है और यह गरमी क्यों आई, यह तो भगवान जानें। अब आप सही बोले हैं।....... *(व्यवधान)* मुझे किसानों की बात कह लेने दो, हो सकता है, इस मूड में हमारा भी भला कर दें।.......*(व्यवधान)* वित्त मंत्री जी ने आज सुबह दो बातें कहीं। इन्होंने कहा, हम जब सत्ता पक्ष में थे, तो यूरिया की कीमत बढ़ी थी। हमने यह कभी नहीं कहा, हम चालीस साल सत्ता में रहे, हमने यह कभी नहीं कहा कि 1952 से उसी भाव पर चला आ रहा है, कीमतें बढ़ती रही हैं। हम यह

नहीं कह रहे है कि हमने सत्ता में रह कर कोई बढ़ोतरी इन चीजों की नहीं की है। हमने परसों सवाल उठाया था, आपत्ति उठाई थी, तो आपकी तरफ से नहीं कृषि मंत्री जी की तरफ से विवरण आया था। सभापति जी, आप क़िसान हैं। कृषि मंत्री जी ने नई थ्योरी यहां पर दी थी कि कीमतें इसलिए बढ़ाई जा रही हैं कि यूरिया की वजह से फल की कैपेसिटी और फर्टिलिटी कम होती जा रही है। हमने यह कहा था कि यह असलियत पूरी तरह से ठीक नहीं है। इस रेशो को रखना है, तो फासफेट और पोटेशियम की कीमत कम कर दो और यूरिया की मत बढ़ाओ। यह बोझ किसानों पर पड़ा है। आज यूरिया के दाम 65 रुपए कट्टे बढ़ गया है। वित्त मंत्री जी होशियार हैं, पढ़े-लिखे हैं, अनुभवी हैं। जब हमारी बात करते हैं, तो क्विंटल में करते हैं कि हमने 2025 रुपए से दाम बढ़ा कर 3000 रुपए कर दिए और अपनी बात एक किलो के हिसाब से करते हैं।.......*(व्यवधान)* हमारी क्विंटल में करते हैं ....*(व्यवधान)* मैं माननीय वित्त मंत्री जी से तीन प्रार्थनायें करता हूं।.......*(व्यवधान)* हम राजवीर सिंह जी बात सुनने को तैयार हैं। आप कहिए कि यूरिया की कीमत बढ़नी चाहिए, हम मानने को तैयार हैं।.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट : सभापति जी, सभी माननीय सदस्य जो चुनकर आए हैं, सबकी भावना है कि यूरिया की कीमत बढ़ाने से किसानों पर बोझ पड़ा है। सदस्य चाहे इस पार्टी के हों या उस पार्टी के हों, यह सारे सदन की भावना है। मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि यूरिया की प्राइस को रोल-बैक करें। पचास पैसे जो बढ़ती रह गई है, उससे किसानों को राहत मिलेगी। किसानों द्वारा यह खुदकुशी पहली बार नहीं हुई है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह दो महीने में हो गया है। लेकिन स्थिति ऐसी हो गई है कि 500-550 किसानों ने खुदकुशी कर ली है और आज भी यह बोझ किसानों पर चल रहा है। इसलिए ऐसे मौके पर जरूरी है कि आप इस बोझ को हल्का करें और यूरिया की प्राइस को रोल-बैक कर दें। सारा सदन आपका आभारी रहेगा। अगर उधर से किसी को आपत्ति हो, तो बता दें। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, तो कहिए कि यूरिया की कीमत को रोल-बैक कीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस मुद्दे पर अब और चर्चा नहीं होगी।

.......*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : इस मुद्दे का संबंध पूरी सभा से है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं ''इस मुद्दे पर अब और चर्चा नहीं होगी।''.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री अजीत जोगी जी आप हमेशा प्रश्न उठाते रहते हैं। मैं आपकी पार्टी के नेताओं को समय दे चुका हूं। अब वित्त मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो.....

.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब नियम 377 के अन्तर्गत आने वाले मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मैं आपको नियम 377 के अन्तर्गत मुद्दों की चर्चा के बाद समय दूंगा।

.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नियम 377 के अन्तर्गत चर्चेय मुद्दों के अलावा कोई भी बात कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं की जाएगी।

.......*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैं इस मुद्दे पर काफी समय ले चुका हूं।

.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री रामानंद सिंह जी आप अपनी बात कहिए।

.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं आपको बोलने का समय दूंगा। कृपया सहयोग कीजिए।

.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं आपको नियम 377 के अन्तर्गत आने वाले मुद्दों पर चर्चा के बाद समय दूंगा।

.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह अच्छी बात नहीं है।

.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं आपको बाद में समय दूंगा। माननीय मंत्री जी बोलने के लिए खड़े हुए हैं। कृपया आप बैठ जाइए।

.......*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी : आप यूरिया की कीमत वापस लो.... ...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह सही नहीं है पहले आप अपनी सीट पर बैठ जाइए।

.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह गलत बात है। मैंने आपके नेताओं को बोलने का समय दे दिया है।

.......*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अजित जोगी : आप चाहते हैं कि यूरिया की कीमत वापस न लें।.......*(व्यवधान)* जनता सुन रही है कि आप नहीं चाहते कि यूरिया की कीमत वापस हो।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री जोगी जी यह तो हद हो गई है। अब आप कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय मंत्री महोदय कुछ कहना चाह रहे हैं।

.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री पायलट जी कृपया अपने सदस्यों को बैठ जाने के लिए कहिए। मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं। उनकी बात पर ध्यान दीजिए।

.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया सहयोग दीजिए। मंत्री महोदय कुछ कहना चाह रहे हैं। आप अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जाइए।

.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री पायलट जी आपकी पार्टी के सदस्य सहयोग नहीं कर रहे हैं।

.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं और ये लोग सहयोग नहीं दे रहे हैं।

.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जी नहीं, आप कुछ भी नहीं कहने दे रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय से मैंने बोलने का अनुरोध किया है। कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाइए और सहयोग कीजिए।

.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : क्या सूचना प्राप्त करने का यही तरीका है? कृपया बैठ जाइए। मैंने मंत्री महोदय से बोलने के लिए कहा है।

.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं आपको बाद में बोलने का समय दूंगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : सभापति महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य राजेश पायलट जी ने कहा है कि दोनों पक्षों के सदस्य इस बात से सहमत हैं कि यूरिया के मूल्य बढ़ने से देश के किसान पीड़ित हैं। इसलिए हम आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि यूरिया के दाम को घटाया जाए।.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ० रवि मल्लू (कुरनूल) : महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दी जाए।.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : डॉ० रवि मल्लू, माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट कर चुके हैं।

.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय वित्त मंत्री जी क्या आप इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते है?

.......*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा : मैं आपकी भावनाओं का बराबर आदर करता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि.......*(व्यवधान)* ठीक है अपने पक्ष का भी करता हूं। मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूं और सारी बातों पर विचार किया जाएगा।.......*(व्यवधान)* मुझे ऐसा लगता है कि अजीत जोगी जैसे बड़े-बड़े किसान भी इस देश में हैं.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : सभापति महोदय, जब माननीय मंत्री उत्तर दे रहे हैं तो यह व्यवधान क्यों डाल रहे हैं? ......*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी : मेरे पास 50 एकड़ जमीन है, मैं बड़ा किसान नहीं हूं लेकिन आपके पास 10 हजार एकड़ वाले हैं, वे बड़े किसान हैं।.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : भारत में बड़े किसान से तात्पर्य उन किसानों से है जिनके पास दस हैक्टेयर या उससे अधिक जमीन है। आप उस श्रेणी में आते हैं....... *(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी : परन्तु आपके पास तो दस हजार हैक्टेयर जमीन है.......*(व्यवधान)*

श्री सोमपाल : मैं इसे आपके साथ बदलने के लिए तैयार हूं.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री अजीत जोगी आप हर बार उठकर बोल रहे हैं। आप कृपया बैठ जाइए।

.......*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : जब भी कोई सवाल सदन में खड़ा होता है तो मैं देखता हूं कि अजीत जोगी साहब उस सवाल को लेकर बहुत पीड़ित हो जाते हैं। वे यह नहीं जानते हैं कि और सदस्यों को भी उस विषय पर बोलने का विशेषाधिकार है। इनके बारे में मैं व्यक्तिगत रूप से कोई आरोप नहीं लगाता लेकिन जो चर्चाएं इनके बारे में मध्यप्रदेश के मंत्री करते हैं और जो चर्चाएं सुनी जाती हैं.......*(व्यवधान)* आप बैठ जाइये, मैं आपको बहुत ठीक से जानता हूं।.......*(व्यवधान)* अभी यूरिया की बात चल रही है। मैं जानता हूं कि यूरिया के दाम बढ़ने से अजीत जोगी साहब का दूर का भी रिश्ता नहीं है।.......*(व्यवधान)* हम लोग भी किसान हैं।.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो अपने विचार व्यक्त कीजिए। कृपया अन्य सदस्यों को मत भड़कायें। हम एक संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : मैं यह सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि इस हल्ला बोल पार्टी की वजह से हम लोग अपनी बात करने से वंचित रह जाते हैं। मैं यह सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि किसानों की पीड़ा और गांवों की पीड़ा केवल इन्हीं की नहीं है....... *(व्यवधान)* हम लोग भी गांव से संबंधित हैं।.......*(व्यवधान)* अब यूरिया के दाम बढ़ने से हम भी चिंतित हैं.......*(व्यवधान)* आपसे ज्यादा किसानी मैं करता हूं। यूरिया का बढ़ा हुआ दाम घटा, खुशी किसान को हुई तो हमें भी हुई।.......*(व्यवधान)* जो सवाल राजेश पायलट जी ने उठाया कि हमारे कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि यूरिया का दाम इसलिए बढ़ाया गया कि उससे जमीन की उर्वरा शक्ति में कमी हो रही है। ठीक है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता।. ......*(व्यवधान)*

पहले मेरी बात तो सुनिये।.......*(व्यवधान)* मैं उस सवाल पर नहीं जा रहा हूं।.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया पीठासीन अधिकारी की ओर संबोधित करते हुए अपनी बात रखें।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : यह बात सही है कि कैमिकल खादों के प्रयोग से जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। लेकिन मूल्य बढ़ने का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। वित्त मंत्री ने इसके मूल्य बढ़ाए लेकिन मूल्य बढ़ाने के पीछे जो सच्चाई है उसको पूरा सदन जानता है। सच्चाई यह है कि इससे पहले जो सरकार थी जो कि आज विपक्ष में बैठी है, उनके समय में राम लखन सिंह जी कैमिकल मिनिस्टर थे।.......*(व्यवधान)* यह उस समय उनकी वकालत करते थे। उस समय नरसिंह राव प्रधान मंत्री थे। उनके समय में एक बेनामी कम्पनी को ठेका दे दिया गया था। इसमें 135 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। वे बोल रहे हैं। वे आपके सहयोगी हैं। अब कृपया माननीय वित्त मंत्री जी बोलें।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, मैंने यह सवाल इसलिए उठाया कि जो पीड़ा किसानों के प्रति आज इनको हो रही है, वही पीड़ा यदि उस समय होती तो किसानों का बहुत भला हुआ होता। ....*(व्यवधान)* सारा सदन यह चाहता है कि किसानों का भला हो।.......*(व्यवधान)*

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : महोदय, मैं भी इस विषय पर बोलना चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप जो कुछ भी कहना चाहें कह सकते हैं। परन्तु संक्षेप में बोलें।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : सभापति जी, मैं सबसे पहले वित्त मंत्री को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पैट्रोल के दाम घटा दिए और इसमें जो गड़बड़ हुई, उसमें सुधार किया। उन्होंने यूरिया के 50 परसैंट दाम घटा दिए। मैं उन्हें इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न डालें। हम समय बर्बाद कर रहे हैं। आप अनावश्यक रूप से व्यवधान क्यों डाल रहे हैं। वे कुछ बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : यह बात सच है कि इस समय किसान की जो स्थिति है वह बढ़ी हुई कीमत को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। यह बात पहले भी आई थी कि कैमिकल फर्टिलाइजर विशेष रूप से यूरिया भूमि की उर्वरा शक्ति को कम करता है। इस बात पर सदन में चर्चा भी हो चुकी है और वैज्ञानिकों की भी यही राय है कि यूरिया का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। हमारे विपक्षी मित्र तस्वीर और सिक्के का एक पहलू देख रहे हैं। वह वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद नहीं दे रहे हैं कि उन्होंने सुपर फास्फेट और डी.ए.पी. खाद के दाम घटा दिए। वह अधूरी चर्चा कर रहे हैं। वह बार-बार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि सरकार ने यूरिया के दाम बढ़ाने के बाद घटा दिए। सरकार ने डी.ए.पी. और फास्फेट के जो दाम घटाए, उसकी भी उन्हें चर्चा करनी चाहिए। मेरा निवेदन यह है कि.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। वे बोल रहे हैं। आप क्यों खड़े हैं?

.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। कृपया इसे लम्बा भाषण मत बनाइए। यदि आप अपना सुझाव देना चाहें तो दीजिए।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : हमारे विपक्षी मित्र राजनैतिक लाभ उठाने के लिए बार-बार इस मामले को उठा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आने वाले समय में बजट पर चर्चा नहीं होने वाली है। क्या बजट पर भाषण आज ही खत्म होने वाले हैं? क्या बजट जो आया है उस पर कल भाषण नहीं होंगे? क्या बजट पर बहस का समय निश्चित नहीं हुआ है? तो आज ही क्यों इस पर बहस हो रही है? मेरा निवेदन है कि अगर बजट पर बहस नहीं होनी है तो इस पर आज ही बहस करा ली जाए और मतदान करा लिया जाए। अगर इस पर बहस होनी है तो यह बहस बंद होनी चाहिए। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वे बोल रहे हैं। क्या यही तरीका है? कृपया बैठ जाइए।

.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं और स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया बैठ जाइए।

श्री खारबेल स्वाइन (बालासोर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : इस समय कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैं किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया बैठ जाइए। कृपया सहयोग दीजिए। मैंने काफी समय दिया है। कृपया सहयोग दीजिए। अन्यथा हमारे पास आत्महत्या के कारण हो रही मौतें जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए समय नहीं बचेगा। पहले आप माननीय वित्त मंत्री के वक्तव्य को सुनिए।

.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। वित्त मंत्री जी अपना वक्तव्य दे रहे हैं। इसलिए कृपया बैठ जाइए। कृपया अध्यक्षपीठ को सहयोग दीजिए। हमने इस मुद्दे पर अत्यधिक समय ले लिया है।

श्री खारबेल स्वाइन : कृपया मुझे प्रक्रिया के सम्बंध में बोलने की अनुमति दीजिए।

सभापति महोदय : अब किसी प्रक्रिया की बात मत कीजिए। यह तो एक सदस्य द्वारा मांगा गया स्पष्टीकरण है।

श्री खारबेल स्वाइन : *विपक्ष के माननीय सदस्य और अग्रगण्य* नेता श्री पी. शिवशंकर ने अभी-अभी हमें विपक्ष के सामूहिक उत्तरदायित्व के बारे में बताया है। मैं यह मानता हूं कि विपक्ष को सरकार की आलोचना करने का अधिकार है। परन्तु मैं तो एक प्रश्न उठा रहा हूं।

हम नए सदस्य हैं। हमें भी वैयक्तिक अधिकार हैं। हम अपने निर्वाचन क्षेत्रों से नए संसद सदस्य हैं। शून्यकाल और नियम 377 के अंतर्गत मामलों के अलावा हमें चर्चा का और कोई मौका नहीं मिलता है।

सभापति महोदय : नहीं, नहीं। आपको अवसर मिलेगा।

श्री खारबेल स्वाइन : मुझे बोलने के अधिक अवसर नहीं मिले हैं। मुझे केवल शून्यकाल के दौरान बोलने और नियम 377 के अंतर्गत मामले उठाने का अवसर मिला है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसी तरह एक वर्ष बीत जाएगा और मेरे निर्वाचन क्षेत्र के

लोग यही कहेंगे कि ये हमारे संसद सदस्य जिन्हें हमने चुना था और इन्होंने एक वर्ष तक लोक सभा में मुंह नहीं खोला।

[हिन्दी]

डॉ० प्रभा ठाकुर (अजमेर) : सिर्फ एक मिनट का समय चाहिए.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैडम, वह बोल रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

श्री खारबेल स्वाइन : इस तरह विपक्ष सदस्यों के व्यक्तिगत अधिकारों का हनन कर रहा है। मैं चाहता हूं कि आप अपना विनिर्णय दें। आप कुछ भी विनिर्णय दे सकते हैं। कृपया इसे स्पष्ट करें। मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बोलने का अधिकार है।

सभापति महोदय : आप कृपया बैठ जाइए। आप अनावश्यक रूप से बोल रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

श्री खारबेल स्वाइन : चाहे यह यूरिया अथवा पेट्रोल हो वे चर्चा कर सकते हैं। लेकिन मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में अपनी बात कहने का अधिकर है। मुझे अपने क्षेत्र के लोगों के बारे में अपनी बात कहने का अधिकार है। वे मुझे समय दे रहे हैं यदि सदस्य उन विषयों पर अलग-अलग चर्चा कराना चाहते हैं तो उन पर चर्चा होने दें। लेकिन शून्यकाल के दौरान होने वाली चर्चा और नियम 377 के अंतर्गत किए जाने वाले उल्लेख को किसी भी तरह कम किया जाना चाहिए। मेरा यही कहना है। कृपया मेरी बात सुनें। अन्यथा हम उन्हें कभी बोलने की अनुमति नहीं देंगे। मुझे भी अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के बारे में बोलने का अधिकार है।

[हिन्दी]

श्री जोगेन्द्र कवाड़े (चिमूर) : सभापति महोदय, बहुत देर से मैं आपसे बोलने की इजाजत मांग रहा हूं.......*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइन : ऐसा करेंगे तो हम भी आपको बोलने नहीं देंगे.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं माननीय सदस्यों से आपस में न झगड़ने का अनुरोध कर रहा हूं।

.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं आपको समय दूंगा। यहां अवसर है। आपकी इसमें रुचि है या नहीं यह मुझे बताएं। बहुत से मुद्दे हैं। शून्यकाल के अंतर्गत निवेदन, नियम 377 के अधीन मामले नियम 193 के अंतर्गत चर्चा आदि। क्या सभा को चलाने का यही तरीका है ? मैंने इस मुद्दे पर आपको पर्याप्त समय दिया है। अध्यक्षपीठ आपकी समस्या को भी देखेंगे। कृपया बैठ जाइए।

अब वित्त मंत्री। वित्त मंत्री जी के उत्तर का सबको इंतजार है। कृपया बैठ जाइए। आप कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा : सभापति जी, मैं निवेदन कर रहा था कि मैं भली प्रकार से सदन की भावनाओं और सदस्यों की भावनाओं का आदर करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा।

अपराह्न 3.00 बजे

यहां जो भी बिंदु उठता है, हम सब लोक प्रतिनिधि हैं। लोक महत्व और लोकहित के मुद्दे हम यहां पर उठाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कल मैंने जो 50 प्रतिशत कमी की, जो एक रुपये को घटाकर 50 पैसे किया, उस पर मुझे साधुवाद देने की बजाय आज जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाया है, मुझे पूरा विश्वास है कि यह क्षुद्र राजनीतिक लाभ के लिए उठाया है.......*(व्यवधान)* इनको किसानों की चिंता नहीं है और ये वाक आउट की तैयारी करके यहां पर आये हैं....... *(व्यवधान)* इसलिए इस बात को मानने की स्थिति में नहीं हैं। ....*(व्यवधान)*

श्री नरेन्द्र बुडानिया (चुरू) : सभापति महोदय, सरकार का व्यवहार ठीक नहीं है, यह किसानों के हित की बात नहीं कर रही है।.......*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.01 बजे

तत्पश्चात् श्री पी. शिवशंकर तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब यह विषय समाप्त हो गया है। अब आप जो भी रुख अपनाना चाहते हैं, अपना लीजिए।

.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नियम 377 के अधीन चर्चा के बाद मैं आपको अवसर दूंगा।

श्री अनिल बसु : माननीय वित्त मंत्री ने जो कहा वह बहुत आपत्तिजनक है। हम भी सदन से बाहर जा रहे हैं।

अपराह्न 3.02 बजे

इस समय श्री अनिल बसु और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा (कैसरगंज) : सभापति महोदय, इस सरकार द्वारा जो यूरिया के दाम बढ़ाये गये हैं हम उनका विरोध करते हैं और विरोधस्वरूप सदन से वाक आउट कर रहे हैं.......*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.02¼ बजे

तत्पश्चात् श्री बेनी प्रसाद वर्मा तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

अपराह्न 3.03 बजे

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करेंगे।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मध्य प्रदेश के सतना जिले में बाण सागर परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : सभापति महोदय, मध्य प्रदेश के सतना जिले में बाण सागर अन्तर्राज्यीय सिंचाई एवं विद्युत परियोजना का शिलान्यास वर्ष 1978 में तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने किया था। उन्होंने 600 करोड़ रुपये की इस योजना को 6 वर्ष में पूरा कराने की घोषणा की थी।

बाणसागर सिंचाई व जल विद्युत योजना से मध्य प्रदेश, बिहार व उत्तर प्रदेश इन तीन राज्यों को सिंचाई व विद्युत मिलनी है। 20 वर्ष हो रहे हैं। योजना लागत के बढ़ने से अब यह योजना 3200 करोड़ की बताई जा रही है। किसानों की जमीनें ले ली गई किंतु उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया व न ही किसानों के पुनर्वास की व्यवस्था की जा रही है जिससे किसान बेहद परेशान हैं। इस योजना हेतु अब केन्द्र व राज्य सरकारें धन भी नहीं दे रहीं। करीब 1600 करोड़ रुपये खर्च हो जाने की बाद भी योजना अधूरी पड़ी है। अभी 1600 करोड़ और खर्च होने का अनुमान किया जा रहा है। इस योजना के पूर्ण होने से 1600 करोड़ की प्रति वर्ष बिजली उपलब्ध होगी।

अतः देशहित व जनहित में बाण सागर योजना को शीघ्र पूरा कराने हेतु भारत सरकार तीनों राज्यों पर दवाब डालकर योजना को पूर्ण कराने की पहल करे।

(दो) सागर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु राजघाट परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता।

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सागर की पेयजल समस्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। पर्याप्त वर्षा होने के उपरांत भी नगरवासी पानी की बूंद-बूंद को परेशान हो रहे हैं। निदान हेतु बनाई गई बेबस नदी पर राजघाट योजना पर अभी कार्य आरंभ होना है। किंतु एक तो तत्काल पेयजल वितरण हेतु कदम उठाने की आवश्यकता है। साथ ही राजघाट योजना के कार्य को तीव्र एवं अधिक धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर अपने हाथ में लेकर शीघ्र पूर्ण कराने की पहल आरंभ करे।

(तीन) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के एककों को संचार मंत्रालय के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाए जाने की आवश्यकता।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति महोदय, उद्योग मंत्रालय के अधीन टेलीकॉम केबल निर्माण के लिए हिंदुस्तान केबल्स एक उद्योग है, जिसका एक मात्र खरीददार डी.ओ.टी. है। यही उद्योग डी.ओ.टी. के सलाह तथा अनुमोदन से 1952 में बहुत बड़ा धन लगाकर स्थापित किया गया जिसके तीन यूनिट रूपनारायणपुर, हैदराबाद तथा नैनी (इलाहाबाद) के सम्पूर्ण उत्पादन क्षमता का उपयोग किया जाये तो इनका कुल वार्षिक टर्नओवर 600 करोड़ है। यह कंपनी 45 वर्षों से डी.ओ.टी. की सेवा अपने 5000 कुशल एवं दक्ष कर्मचारियों के साथ करती रही है। इसके तीनों यूनिटों के आई.एस.ओ. 9002 गुणवत्ता मानक प्राप्त है। यह उद्योग 1952 से 1991 तक लगातार लाभ में रहा है। किंतु सरकार की उदार औद्योगिक नीति के कारण अपनी क्षमता से अत्यंत कम उत्पादन क्षमता का उपयोग एवं आधुनिकीकरण में धन के उपयोग के कारण यह करीब तीन वर्षों से घाटे में है।

इस प्रकार बहुत बड़े नुकसान के कारण इस कंपनी के पास उद्योग को चलाने के लिए धन का पूर्ण अभाव है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि जिस डी.ओ.टी. ने मार्च 1993 तक अपने वार्षिक बजट में हिन्दुस्तान केबल्स के लिए अलग धन तथा आर्डर का प्रावधान करती रही है उसने आई.टी.आई. तथा एच.टी.एल. को तो आदेश तथा अग्रिम 75 प्रतिशत धन देने का प्रावधान किया किंतु एच.सी.एल. को इन सुविधाओं से अलग रखा है। अतः इस उद्योग को उद्योग मंत्रालय से दूरसंचार मंत्रालय में स्थानांतरित करके ही बचाया जा सकता है। दूसरे उद्योग के अपेक्षाकृत निम्न कोटि के केबल के उपयोग से देश की संपूर्ण संचार व्यवस्था को चरमराने की भविष्य में पूर्ण संभावना है। सरकार यदि इस उद्योग को विश्व प्रतियोगिता के लायक बनाने की संभावना तलाश करती है तो यह राष्ट्र के लिए मंगलदायक बात होगी।

[अनुवाद]

(चार) बंगलौर को ए-1 शहर घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री के.सी. कोंडय्या (बेल्लारी) : महोदय, बंगलौर शहर की जनसंख्या 70 लाख को भी पार कर गई है। यह शहर सम्पूर्ण देश में तीव्र गति से विकास कर रहा है। और यहां का जीवन स्तर बहुत ऊंचा है। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के राष्ट्रीय महासंघ और कर्नाटक के कामगारों ने सरकार से चेन्नई, मुम्बई, कलकत्ता और दिल्ली के साथ-साथ बंगलौर को ए-1 शहर घोषित करने का पहले ही अनुरोध किया है।

अतः मैं माननीय प्रधानमंत्री से बंगलौर को ए-1 शहर घोषित करने का अनुरोध करता हूं ताकि बंगलौर में केन्द्र सरकार के कर्मचारी 30 प्रतिशत आवास भत्ता पाने के हकदार हो सकें।

(पांच) उड़ीसा के लू से प्रभावित लोगों को प्रधानमंत्री राहतकोष से वित्तीय सहायता देने और लू को राहत संहिता में प्राकृतिक आपदा के रूप में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयन्ती पटनायक (बरहामपुर उड़ीसा) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान देश में विशेष रूप से उड़ीसा में चल रही अभूतपूर्व लू की ओर आकर्षित कराना चाहती हूं जहां 828 के अखिल भारतीय आंकड़े की तुलना में 500 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। महामारी की तरह लू से अधिकांश गरीब तथा खेतों में काम करने वाले लोग प्रभावित हुए हैं। लू से सम्बलपुर और बोलनगीर जिले सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। तथापि कटक, भुवनेश्वर और अन्य तटीय क्षेत्रों में निरंतर एक सप्ताह से चल रही लू के कारण बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं। जिसके कारण संम्पूर्ण राज्य के लोग संत्रस्त हैं।

इतना अधिक तापमान अन्य राज्यों में रिकार्ड नहीं किया गया है। हाल ही में दर्ज किए गए तापमान के अनुसार कलकत्ता में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस, भोपाल में 43 डिग्री सेल्सियस, हैदराबाद में 43 डिग्री सेल्सियस और पटना में 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि भुवनेश्वर में 44 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया और पश्चिमी उड़ीसा के तितलागढ़ में तापमान 49.1 डिग्री सेल्सियस तापमान था। अतः जलवायु सम्बंधी दिशाओं में ऐसी असामान्य स्थिति के लिए मौसम विज्ञानियों, पर्यावरणविदों तथा वैज्ञानिकों द्वारा विनाश के कारणों का पता लगाने के लिए जांच और अनुसंधान किए जाने की आवश्यकता है।

इस वर्ष तटीय प्रदेश उड़ीसा जो, तुलनात्मक रूप से कम लू की दशाओं से गुजरता था, इस समय कड़कड़ाती लू का सामना कर रहा है। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि वह प्रधानमंत्री राहत कोष से प्रभावित परिवारों को शीघ्रातिशीघ्र वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए। मेरी यह भी मांग है कि लू को प्राकृतिक आपदा माना जाए तथा इसे राहत कोष में शामिल किया जाए।

(छह) डॉ० भाऊ साहिब पंजाराव देशमुख की जन्म शताब्दी के अवसर पर एक स्मारक डाक-टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री आर.एस. गवई (अमरावती) : डॉ० भाऊ साहिब पंजाराव देशमुख की जन्म शताब्दी इस वर्ष सारे देश में मनाई जा रही है। डॉ० भाऊ साहिब पंजाराव देशमुख देश की जानी-मानी हस्ती थी। वे केन्द्र में कृषि आदि अनेक विभागों के मंत्री रहे। वे भारत कृषक समाज के संस्थापक थे। वे किसानों के एक बड़े नेता थे और उन्होंने किसानों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वे एक महान शिक्षाविद् थे और उन्होंने देश में अनेक शैक्षिक संस्थाएं शुरू की। वे एक महान समाज सुधारक थे। वे संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य थे, जिसमें उन्होंने महान योगदान दिया इसलिए उनकी स्मृति में डाक-टिकट जारी किया जाना उचित है। अतः मैं भारत सरकार से विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री से इस मामले को देखने और उनकी स्मृति में डाक-टिकट जारी करने का अनुरोध करता हूं।

(सात) त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग (संख्या 47) पर कुझीतुरई स्थित पुराने और जर्जर पुल की मरम्मत हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री एन. डेनिस (नागरकोइल) : त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग (सख्या 47) पर कुझीतुरई स्थित पुराने और जर्जर पुल की मरम्मत करने की तत्काल आवश्यकता है। इससे यात्रियों और वाहनों को गंभीर खतरा है। इस पुल में अनेक दरारें आ गई हैं। इस पुल के आधार स्तम्भ बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और इनके सहायक खम्भे जो लगाए गए हैं वे भी क्षतिग्रस्त हो गए और वे नदी की धारा में बह गए हैं, यह पुल ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि यह किसी भी समय गिर सकता है। और इस प्रकार की घटना बहुत ही अनर्थकारी होगी। यह राष्ट्रीय राजमार्ग देश के महत्वपूर्ण और व्यस्त राजमार्गों में से एक है।

अपराह्न 3.13 बजे

[श्री बसुदेव आचार्य *पीठासीन हुए]*

सरकार ने इन पहलुओं पर गौर करते हुए आठवीं योजना में एक नए पुल के निर्माण कार्य को उदारतापूर्वक शामिल कर लिया है। अधिग्रहण कार्य पूरा हो गया है। परन्तु इस महत्वपूर्ण और तात्कालिक कार्य को प्रारम्भ करने के लिए अभी तक कदम नहीं उठाए गए हैं। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस पुल का निर्माण कार्य बिना किसी विलम्ब के शुरू किया जाए।

(आठ) असम के पहाड़ी क्षेत्रों में दूरदर्शन नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

डॉ० जयंत रंगपी (स्वायत्त जिला असम) : असम का पर्वतीय क्षेत्र जिसमें कार्बी आंगलांग तथा उत्तरी कछार पर्वत जिले शामिल हैं। पूर्वोत्तर में और संभवतः पूरे देश में दूरदर्शन का सबसे घटिया नेटवर्क है। पन्द्रह हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक समूचे क्षेत्र में

[डा. जयंत रंगपी]

इस समय दीफू तथा हाफलांग में दो कम शक्ति वाले रिले केन्द्र हैं। ये दो केन्द्रों से कुल क्षेत्र के मुश्किल से 20 प्रतिशत भाग में ही कार्यक्रम प्रसारित हो पाते हैं। वाटी जिले के नजदीकी केन्द्र से भी प्रसारण पर्वतीय क्षेत्र के होने के कारण काफी खराब है। यद्यपि पर्वतीय जिले के कुछ भाग पड़ोसी नागालैंड राज्य के केन्द्रों से प्रसारण पाते हैं परन्तु नागालैंड राज्य के सदंर्भ में बनाए गए समाचार तथा कार्यक्रम असम के पर्वतीय क्षेत्रों के दर्शकों के लिए ज्यादा प्रासंगिक नहीं होती है। इसलिए व्यावहारिक रूप से, उपर्युक्त उल्लिखित 80 प्रतिशत क्षेत्र जिसमें मुख्यतः आदिवासी जनसंख्या है जो आवश्यक तथा प्रभावी दूरदर्शन कार्यक्रमों से वंचित हो रही है। इस विसंगति को दूर करने के लिए, मैं यह मांग करता हूं कि डमरेन्, कारबी आंगलांग तथा उरांगसा के बोकाजन रांग-मांगव में नए केन्द्र स्थापित किए जाएं तथा उत्तर कछार पर्वतीय जिलों के लांगटिंग तथा दीफू एवं हाफलांग के मौजूदा केन्द्रों का स्टुडियो, रिकार्डिंग इत्यादि सुविधा के साथ उच्चतर प्रसारण क्षमता के रूप में उन्नयन किया जाये ताकि उस क्षेत्र के सम्पन्न तथा विविध आदिवासी लोक संस्कृति के आधार पर स्थानीय रूप से कार्यक्रम तैयार की जा सके। मैं सरकार से उपर्युक्त मामलों पर त्वरित तथा सकारात्मक कदम उठाने का आग्रह करता हूं।

(नौ) अजमेर जिले के पेयजल की भारी कमी अनुभव कर रहे गांवों की समस्या के स्थायी समाधान हेतु उन्हें बीसलपुर परियोजना के साथ जोड़े जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ० प्रभा ठाकुर (अजमेर) : सभापति महोदय, अजमेर (राजस्थान) जिले के 1000 में से 644 गांवों में जनता फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर है। जिस पानी को पीने से कुबड़ेपन तथा अपाहिज होने का खतरा जनता भोग रही है, इस समस्या के हल के लिये त्वरित युद्धस्तर के प्रयास शीघ्रातिशीघ्र आरंभ किये जाने चाहिए। मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि अजमेर जिले की जनता को विकलांग होने से बचाने के लिये इस मामले को प्राथमिक रूप से महत्व दिया जाये तथा क्षेत्र की जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में शीघ्र स्थायी समाधान के लिये क्षेत्र में आरंभ बीसलपुर परियोजना द्वारा सभी समस्याग्रस्त गांवों को शीघ्र जोड़ा जाये।

(दस) केरल में बेहतर दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु दूरसंचार विभाग में निम्न श्रेणियों में रोजगार केन्द्रों के माध्यम से पर्याप्त नियुक्तियां किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री टी. गोविन्दन (कासरगोड़) : माननीय सभापति महोदय, मैं संचार मंत्री का ध्यान केरल में दूरसंचार की समस्याओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। केरल में प्रतीक्षा सूची में लगभग 7 लाख लोग हैं। मेरे क्षेत्र कन्नूर एस.एस.ए. में भी लगभग दो लाख आवेदकों की लम्बी सूची है। केरल में दूरसंचार के प्राधिकारियों ने यह घोषणा की है कि वे 3.25 लाख आवेदकों को नए कनेक्शन देने जा रहे हैं। इसके बाद भी बकाया लोगों की लम्बी सूची बनी रहेगी। केरल में दूरसंचार के विकास के रास्ते में मुख्य अड़चन मानव शक्ति की भारी कमी है। 1984 से विशेषरूप से निम्न श्रेणियों में कोई नियुक्ति नहीं की गई है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि दूरसंचार प्राधिकारी 3.25 लाख नए कनेक्शन प्रदान करने का अपना वचन किस प्रकार पूरा कर पाएंगे। दूरसंचार के उपभोक्ता खराब सेवा से बुरी तरह प्रभावित होते हैं। इसका एकमात्र उपाय केवल रोजगार केन्द्रों के माध्यम से निम्न श्रेणियों में नियुक्ति करना है, उच्चतम न्यायालय का निर्णय अस्थायी कर्मचारियों के दावों के संबंध में स्पष्ट है।

अतएव विकास कार्यों में तेजी लाने तथा रख-रखाव व मरम्मत की बेहतर सुविधा प्रदान कराने के लिए मैं संचार मंत्री से रोजगार केन्द्रों के माध्यम से पर्याप्त नियुक्तियां किए जाने का आग्रह करता हूं।

सभापति महोदय : अब हम नियम 193 के अंतर्गत चर्चा शुरू करते हैं। श्री आर.एल. जालप्पा।

श्री कोनिजेटी रोसैया (नरसरावपेट) : माननीय सभापति महोदय, सुबह मैंने शून्यकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण मामला उठाने के लिए माननीय अध्यक्ष से अनुमति देने हेतु आग्रह किया।

सभापति महोदय : शून्य काल अब समाप्त हो चुका है। आप उसे कल उठा सकते हैं।

श्री कोनिजेटी रोसैया : महोदय, मैं दो मिनट का भी समय नहीं लूंगा। कृपया मुझे अनुमति दें।

सभापति महोदय : कल सुबह 10 बजे के पहले आप नोटिस दें तथा फिर कल आप इसे उठा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री आदित्यनाथ (गोरखपुर) : सभापति महोदय, कल भी जीरो ऑवर नहीं हुआ और आज भी नहीं हुआ।.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिए, कल बोलिएगा।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाइन (बालासोर) : सभापति महोदय, गत दो दिनों से शून्यकाल के दौरान हमें बोलने का कोई अवसर नहीं मिला है। मैंने वही मामला शून्य काल तथा नियम 377 के अंतर्गत भी उठाने की कोशिश की। कल शून्य काल नहीं हो पाया तथा आज भी नहीं हुआ तथा आपने मुझे नहीं बुलाया। अब हम क्या करें ? इस मामले में मैं असहाय अनुभव कर रहा हूं। मैं आपके संरक्षण में हूं।

सभापति महोदय : आप कल फिर नोटिस दें।

श्री खारबेल स्वाइन : महोदय, मैं जानता हूं कि कल मैं फिर नोटिस दूंगा और यह खो जायेगा। अतएव, मैं क्या करूँ ? कृपया मेरी मदद करें।

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री खारबेल स्वाइन : महोदय, आप सभी सदस्यों को जो शून्यकाल के मामले 10 से 15 मिनट के लिए उठाना चाहते हैं, उन्हें अनुमति क्यों नहीं देते हैं।

सभापति महोदय : यह अभी संभव नहीं है।

श्री खारबेल स्वाइन : महोदय, हम दो या तीन मिनट में पढ़ेंगे ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आज हमने शून्य काल 12 बजे मध्याह्न से 1 बजकर 5 मिनट तक लगभग 1 घंटे का किया। कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया आप बैठ जाइये। मैंने श्री आर. एल. जालप्पा को बुलाया है।

.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप कल नोटिस देकर कल ही इस मामले को उठा सकते हैं।

श्री कोनिजेटी रोसैया : महोदय, कुछ समय पूर्व सभापति महोदय ने कहा था कि वे नियम 377 के अधीन मामलों के पश्चात् मुझे बुलायेंगे। शायद आपने भी यह सुना होगा। कृपया मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने की अनुमति दें।

सभापति महोदय : कई ऐसे माननीय सदस्यगण हैं जिन्होंने नोटिस दिया है किंतु उन्हें मामला उठाने की अनुमति नहीं दी गई है।

.......*(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मोहन सिंह जी, आप कल बोलिएगा।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाइन : महोदय, क्या आप आज के नोटिस पर कल विचार करेंगे।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : आप कल भी नोटिस दीजिए।

[अनुवाद]

आपको पुनः नोटिस देना होगा। आप अपना नोटिस पूर्वाह्न 10 बजे से पहले दे दें।

अपराह्न 3.17 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

किसानों को उनके कृषि उत्पादों का लाभकारी मूल्य न दिए जाने के कारण देश के विभिन्न भागों में उनके द्वारा की गई आत्महत्या की घटनाएं – *जारी*

[अनुवाद]

श्री आर.एल. जालप्पा (चिकबलपुर) : महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने हेतु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण तथा दयनीय बात है कि हम अपने कतिपय किसान बंधुओं द्वारा की गई आत्महत्या के संबंध में बात कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : बरनाला साहब का बिल कब आयेगा ?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस मामले के समाप्त होने के बाद उस विधेयक को लेंगे।

.......*(व्यवधान)*

श्री आर.एल. जालप्पा : महोदय, हमें 50 वर्ष पूर्व स्वतंत्रता मिली तथा हम अब इसकी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। लेकिन इन वर्षों के दौरान हमारे देश के कृषक समुदाय की एक के बाद एक आनेवाली सरकारों द्वारा दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से उपेक्षा की गई है।.. .....*(व्यवधान)* महोदय, या तो मुझे बोलने की अनुमति दी जाये या उन्हें बोलने दिया जाये।

महोदय, हमें जानना चाहिए कि सबल कृषि वर्ग युद्ध के मामले में बम से अधिक प्रभावशाली है। यदि इस देश के किसानों की आर्थिक दशा को और अधिक खराब बनाया जाता रहा तो हजारों परमाणु बम हमारे देश को बचा नहीं पायंगे। हमें यह निश्चित रूप से समझना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय, श्री सोमपाल कल कह रहे थे कि एक काफी अच्छी योजना तैयार की गई है तथा इसे ग्रंथालय में रखा गया है। माननीय मंत्री महोदय को समझना चाहिए कि समितियां अपनी सिफारिशें देने हेतु गठित की जाती हैं। ताकि इन्हें क्रियान्वित किया जा सके तथा उचित कार्यवाही की जा सके। ये ग्रंथालय में रखे जाने अथवा पूजा-अर्चना करने हेतु नहीं हैं। इसीलिए मेरा अनुरोध है कि एक राष्ट्रीय कृषि नीति आज की आवश्यकता है। इसे शीघ्रातिशीघ्र तैयार किया जाना चाहिए।

[श्री आर.एल.जालप्पा]

महोदय, 50 वर्षों की उपेक्षा से कृषि वर्ग निरंतर कमजोर हुआ है। परिणाम क्या है ? भारत सरकार के समूह 'घ' वर्ग के कर्मचारी 30-40 एकड़ भूमि वाले एक किसान से आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति में हैं। मैं समझता हूं कि श्री सोमपाल मुझसे सहमत होंगे। यदि वे चाहें तो मैं उन्हें आकड़े दे सकता हूं। अतः उन्हें किस प्रश्न का जवाब देना चाहिए ? लोगों की मृत्यु हुई है तथा हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ यह सुनिश्चित करें कि उनके परिवार वालों को कुछ मुआवजा दिया जाये, ताकि उनकी कठिनाईयां कम हो सकें।

और अधिक किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने को रोकने हेतु सरकार को तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए। कृषि के विकास हेतु जल, ऋण सुविधाएं, अच्छे बीज, कीटनाशक तथा उर्वरक तथा विपणन जैसी चार अथवा पांच चीजें हैं जो आवश्यक हैं।

कल श्री जाखड़ जी कह रहे थे कि इस देश में सिंचाई की सिर्फ 37 प्रतिशत क्षमता है। इसका अर्थ है कि शेष 67 प्रतिशत मानसून की अनिश्चितता पर निर्भर है। अतः किसानों को जल सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू करने की योजना बना रहे हैं। लेकिन इसे पूरा करने में 8 से 10 वर्षों से ज्यादा समय लगेगा। हमारे देश में कोई भी परियोजना निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरी नहीं हुई है। इस प्रकार हम न सिर्फ अपना समय बर्बाद करते रहे हैं बल्कि अनुमानित धनराशि से 8 से 10 गुना अधिक व्यय भी कर रहे हैं। यह स्थिति न सिर्फ हमारे राज्य बल्कि अन्य राज्यों की भी है। इसीलिए हमें तुरंत लघु सिंचाई परियोजनाएं शुरू करनी चाहिए तथा भू-जल के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु बोरवेल तथा ट्यूबवेल लगाना चाहिए। इस संबंध में हमारे पास काफी अच्छी प्रौद्योगिकी है। कई कृषक तथा मंत्रीगण इजराइल गए हैं मैंने स्वयं देखा है कि वे जल का किस प्रकार उपयोग कर रहे हैं। हमें इस प्रकार की प्रौद्योगिकी का तुरंत उपयोग करना चाहिए। अभी लघु तथा मध्यम आकार के लाखों तालाबों में विशेषकर दक्षिण भारत में, गाद भरी हुई है। इन तालाबों में जल संग्रहण की क्षमता लगभग नगण्य है जिससे किसानों को व्यापक नुकसान हुआ है।

कुएं सूख गए हैं। यदि हम 100 फीट तक गहरी खुदाई करें तब भी इन कुओं से जल प्राप्त नहीं होता है। अतः हमें 500 अथवा 600 फीट तक की गहराई पर बोरवेल लगाना होगा। यह इन लघु तथा मध्यम तालाबों को और अधिक गहरा करके संभव है। अतः सरकार को पहली बात यह सोचनी चाहिए कि इस भूजल का पुनः कैसे उपयोग किया जाए। मैं इसकी परवाह नहीं करता यदि आपको इस पर 2,000 करोड़ अथवा 3,000 करोड़ रुपए का व्यय करना पड़े क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण बात है। इन तालाबों से गाद अवश्य निकाली जानी चाहिए। दूसरे हमने समान ऊँचाई वाले बांध तथा वृक्षारोपण पर अधिक ध्यान नहीं दिया है। वृक्षारोपण अत्यधिक आवश्यक है। अतः हमें युद्ध स्तर पर गाद निकाले जाने, वृक्षारोपण तथा समान ऊंचाई वाले बांध बनाये जाने हेतु कार्यवाही करनी चाहिए।

अब मेरी दूसरी बात ऋण सुविधाओं से संबंधित है। मैं जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष था, मैं कनार्टक भूमि विकास बैंक का भी अध्यक्ष था तथा सौभाग्य अथवा दुर्भाग्यवश मैं सहकारिता मंत्री भी था। मैं हमारे देश में ऋण सुविधाओं की कमियों को जानता हूं। दीर्घावधि वाले ऋणों के संबंध में बैंकों द्वारा 40 प्रतिशत तक तथा अल्पावधि के संबंध में 28 से 30 प्रतिशत तक ऋण दिए गए हैं।

अपने अनुभव के आधार पर मैं इस सभा को कहना चाहता हूं कि सभी प्रकार के ऋण चाहे यह दीर्घावधि अथवा मध्यावधि अथवा अल्पावधि अथवा उपभोक्ता ऋण हों एक ही कांउटर से वितरित किए जाएं। इससे नकली सहकारी समितियों के गठन को रोका जा सकेगा तथा प्रचालन संबंधी व्यय में भी कमी आयेगी। यह अत्यंत आवश्यक है तथा इसे तत्काल किया जाना चाहिए।

महोदय, किसानों को समुचित वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी चाहिए। लेकिन आप ''समुचित वित्तीय सुविधाओं'' का पता कैसे लगायेंगे। इसीलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय कृषि नीति के प्रत्येक परिवार हेतु एक योजना हो। हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि किसानों द्वारा क्या खेती की जाए। हम उन्हें निश्चित रूप से कहें कि वे किन वस्तुओं की खेती करें तथा इसके लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी। यदि हम किसानों को इतनी वित्तीय सहायता शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने में सक्षम हुए तब हम उन्हें अत्यधिक सहायता पहुंचा सकेंगे।

वाणिज्यिक बैंक इतने उदार नहीं हैं। श्रीमती गांधी के शासन काल के दौरान ये बैंक उदार थे। ऋण वितरण संबंधी कई मेलों का आयोजन किया गया। लेकिन अब हाल ही में मैं जब अपने निर्वाचन क्षेत्र गया तब मुझे कतिपय कृषकों द्वारा बताया गया कि बैंकों के प्रबंधकों की इन छोटे किसानों को ऋण नहीं देने के संबंध में अत्यधिक उदार नहीं होने हेतु मौखिक निर्देश जारी किए गए हैं। वे बड़े लोगों को उद्योग के लिए 1 करोड़ अथवा दो करोड़ अथवा 5 करोड़ का ऋण दे सकते हैं लेकिन वे कृषि हेतु ऋण नहीं देंगे क्योंकि उन्हें भ्रम है कि इसकी वसूली अत्यंत कम होगी।

इसीलिए, मुझे बताया गया था कि वाणिज्यिक बैंकों के प्रबन्धकों को अलिखित अनुदेश जारी किए गए हैं। मैं नहीं जानता कि यह सच है अथवा नहीं। यदि यह सच है तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि यह इन बैंकों के जरिए उदारतापूर्वक वित्त उपलब्ध कराये जाने को सुनिश्चित करें।

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : यदि आप मुझे बताएं कि ऐसे अनुदेशों को इस सरकार ने जारी किया है तो हम उन्हें तत्काल वापिस ले लेंगे। लेकिन यदि इन्हें पिछली सरकार द्वारा जारी किया गया है तो मुझे उस पर विचार करना होगा।

श्री आर.एल. जालप्पा : अभी हाल में 15 दिन पहले मैं अपने चुनाव क्षेत्र में था। मैं पिछली सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। जिसका मैं एक सदस्य था।

श्री राम जेठमलानी : कृपया मुझे जानकारी दें कि किसने यह काम किया है।

श्री आर.एल. जालप्पा : मुझे नहीं पता। वे मुझे बता रहे थे। कृपया आप पता लगाइए।

जब ब्याज की वसूली 10 से 15 प्रतिशत की दर पर की जा रही है तो क्या कोई किसान इतना ब्याज देकर पैसा वापिस कर सकता है? घोटाले में कितनी धनराशि फंसी हुई है – इनमें हजारों करोड़ रुपयों की धनराशि फंसी हुई है। जो किसान इस देश का पेट भर रहे हैं क्या आप उनके लिए ब्याज दर को कम नहीं कर सकते? इस देश का आत्म-सम्मान किसानों ने ही दिलाया है। जब हम खाने को तरस रहे थे पी.एल. 480 के अंतर्गत अमरीका से अनाज की भीख मांग रहे थे तब हमारे किसानों ने ही हमें उस असमंजसता तथा अपमान से बचाया था। क्या उनके लिए ब्याज की दर कम नहीं कर सकते हैं। मुझे बताया गया है कि अन्य देशों में विकास संबंधी ऋण डेढ़ से दो प्रतिशत तक दिया जाता है। पर हम 15 प्रतिशत तक ब्याज वसूली कर रहे हैं। वाणिज्यिक बैंक 18 प्रतिशत ब्याज ले रहे हैं। इसे घटाकर न्यूनतम चार प्रतिशत तक किया जाना चाहिए। इससे आपको कोई भारी नुकसान नहीं होगा। दूसरी ओर, जितनी लूट घोटालों के द्वारा की जा रही है, कृपया उसे बचाने की कोशिश कीजिए और देखिए कि उस धन का उपयोग इन किसानों द्वारा आर्थिक और लाभकारी रूप से हो।

दूसरे, जब कभी बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा आती है उसके लिए हमारे पास राहत कोष है। यह एक सीमित कोष है। हम यह क्या कर रहे हैं? इससे किसानों के ऋणों को हम मध्यम अवधि ऋण में बदल देंगे और उनसे तीन अथवा पांच वर्षों में ब्याज सहित पैसा वापस करने के लिए कहेंगे। इससे उसे कर्जा लेने तथा पहले वर्ष में किश्तों की वापसी करने में कठिनाई हो रही है। इसके लिए उसे और ऋण लेना पड़ता है। तथा वह पिछले वर्ष की किश्तों की अदायगी करता है। यह तो उन पर अत्यधिक बोझ है। उनमें से अधिकांश किसान ऋण वापिस नहीं कर पा रहे हैं। मेरा सुझाव है कि सरकार को संपूर्ण ब्याज माफ कर देना चाहिए और उसके बाद यदि मूलधन की माफी संभव न हो तो मूलधन की वसूली दस किश्तों में करनी चाहिए। मैं समझ सकता हूं कि मूलधन को माफ करना आसान नहीं है क्योंकि धन 'नाबार्ड' तथा जमाकर्ताओं से भी लिया जाता है। मैं इसे जानता हूं। लेकिन सरकार को उनकी सहायता करनी चाहिए। आपकी जानकारी के लिए मैं यह बताना चाहता हूं कि जब मैं 1983 में श्री रामकृष्ण हेगड़े की सरकार में सहकारिता मंत्री था तो मैंने यह कार्य किया था।

मैंने ब्याज पूरी तरह से माफ कर दिया था। मैंने किसानों से कहा था कि यदि वे मूलधन निर्धारित तिथि तक वापस कर देते हैं तो मैं ब्याज की समूची धनराशि को बट्टे खाते में डाल दूंगा और हमने ऐसा किया। वास्तव में, मैंने ऐसा किया। उसके अतिरिक्त मैंने एक काम और किया था।

खुले कुओं में पानी सूख जाने पर उनकी सफाई के लिए ऋण देने की प्रथा थी। उन दिनों बमों की संख्या कम थी। जिन स्थानों पर कुएं सूख जाते थे वहां यदि किसान धनराशि खर्च करने के बाद भी कुंओं में पानी नहीं निकाल पाता था तो वह सड़क पर आ जाता था। उसकी सम्पत्तियों को नीलाम कर दिया जाता था। मैं राज्य भूमि विकास बैंक का अध्यक्ष था। जब मैं मंत्री बना तब मैंने माननीय मुख्यमंत्री श्री रामकृष्ण हेगड़े से किसानों की मदद करने का अनुरोध किया था। उन्होंने दयालुता का परिचय देते हुए उन सभी किसानों का ब्याज और मूलधन माफ कर दिया जिनके कुंओं में ऋण की समस्त धनराशि लगा देने के बाद भी पानी नहीं निकला। जब कोई राज्य सरकार ऐसा कर सकती है तो केन्द्र सरकार भी ऐसा कर सकती है। मैं जानता हूं कि 'नाबार्ड' ने उस पर आपत्ति की है। मंत्री जी, आप बता रहे हैं कि आंध्र प्रदेश और अन्य स्थानों पर नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक ने थोड़ी सख्ती बरती है। आपने उन्हें उदार दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहा है। यदि ऐसा है तो आप नाबार्ड को भी यह शर्त स्वीकार करने के लिए राजी कर सकते हैं। भगवान के लिए यदि आप किसानों की मदद करना चाहते हैं तो कृपया ऐसा कीजिए।

अब मैं बीमा के बारे में बोलूंगा। बीमा के संबंध में, मैं जानता हूं कि इस योजना की क्या कमियां हैं। सरकार इसे 24 और जिलों में लागू कर रही है। मैं नहीं जानता कि यह कहां तक सफल होगी। मुझे कुछ आशंकाएं हैं। खैर, मैं आपको तथा उन 24 जिलों के किसानों को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन हम स्वयं को सिर्फ यह बीमा लाभ देकर ही संतुष्ट नहीं कर सकते हैं।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री आर.एल. जालप्पा : मैंने तो चार मिनट भी नहीं लिए हैं। मैं तीन दिनों से प्रतीक्षा कर रहा हूं।

सभापति महोदय : आपने 15 मिनट लिए हैं। अभी अनेक सदस्यों को बोलना है। हमें रेल बजट पर भी चर्चा शुरू करनी है। इसलिए, कृपया अपनी बात समाप्त करने की कोशिश कीजिए।

श्री आर.एल. जालप्पा : बीमा लाभ योजना से संबंधित अनेक समस्याएं हैं। यदि संबंधित मंत्री हमें आमंत्रित करते तो हम भी बीमा और निजी ऋणदाताओं के बारे में अपने सुझाव दे सकते थे। आत्महत्या करने वाले लोगों में से अधिकांश ने निजी साहूकारों से कर्ज लिया था जिस पर वे ब्याज की बड़ी राशि अदा कर रहे थे। अतः कृपया उन्हें विनियमित कीजिए।

जहां तक बीजों का संबंध है अब तो प्रत्येक व्यक्ति जैसे टॉम, डिक और हेरी बीजों की आपूर्ति कर रहा है। एक समय मैं भी बीज उत्पादक था। राष्ट्रीय बीज निगम अच्छे किस्म के बीजों की, आपूर्ति करता है। भगवान के लिए, राष्ट्रीय बीज निगम को प्रोत्साहित कीजिए। कृषि विश्वविद्यालयों के अपने कार्य हैं। मैं सरकार से उन्हें प्रोत्साहित करने का अनुरोध करता हूं। यदि सरकार बीज उत्पादन का कार्य निजी लोगों को सौंपने जा रही है तो इसे उन पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। भगवान के लिए राज्य के फार्मों को प्रोत्साहित नहीं कीजिए क्योंकि वे इसकी गुणवत्ता की परवाह नहीं करते हैं और इसीलिये मेरा उनमें विश्वास नहीं है। उसके

[श्री आर.एल.जालप्पा]

लिए सुबह चार साढ़े चार बजे उठना पड़ता है तथा पराग एकत्रित करना पड़ता है। ऐसे सभी कार्य करने पड़ते हैं। हो सकता कि वे यह कार्य नहीं करें क्योंकि उन्हें अपनी मासिक आमदनी प्राप्त हो रही है। इसलिए, वे इन कार्यों की परवाह नहीं करते हैं। चूंकि उन्हें मासिक आय मिल रही है इसलिए उन्हें किसानों की कोई चिंता नहीं है।

इस बारे में एक और पहलू भी है। बीजों की अच्छी किस्म बहुत जरूरी है। नकली बीजों की आपूर्ति करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। यह पता लगाना आवश्यक है कि एग्रोनॉमी संबंधी प्रथाओं का समुचित रूप से पालन हो रहा है अथवा नहीं। बीजों की शुद्धता की क्या गारण्टी है? क्या यह शुद्धता केवल अंकुरण के संबंध में ही परखी जा रही है या पैदावार के संबंध में भी परखी जा रही है? जहां तक मुझे पता है इसकी शुद्धता की जांच करने का कोई तरीका था। ज्यादातर ऐसे सभी मामलों में केवल अंकुरण के पहलू की ही जांच की जाएगी, न कि बीजों की पैदावार से संबंधित शुद्धता की। यदि पैदावार संबंधी शुद्धता नहीं होगी तो उत्पादन नहीं होगा। पैदावार संबंधी शुद्धता की भी जांच हमें अवश्य करनी चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री आर.एल. जालप्पा : अनेक मामलों में, मिलावटयुक्त उर्वरकों की आपूर्ति की जाती है। राज्यों में कृषि विभाग बिल्कुल कार्य नहीं कर रहे हैं। उनके भेजे हुए अधिकारी कभी खेतों पर नहीं जाते हैं। उन्हें सक्रिय बनाए जाने की आवश्यकता है। कार्बनिक और हरित खादों के उपयोग पर बल दिया जाना चाहिए। यदि कार्बनिक और हरित खादें उपलब्ध नहीं होती हैं और यदि हम इन उर्वरकों का प्रयोग जारी रखते हैं तो मुझे पक्का यकीन है कि भूमि की उर्वरकता और उस पर पैदा की जाने वाली फसल दोनों का नुकसान होगा। जहां कहीं भी संभव हो, फसलों के क्रमावर्तन (रोटेशन) को अवश्य ही प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि किसानों के पास आठ एकड़ जमीन है तो हमें उन्हें बताना चाहिए कि चार एकड़ जमीन का प्रयोग उन्हें इस वर्ष कपास की खेती के लिए करना चाहिए तथा अगले वर्ष उस जमीन का प्रयोग मूंगफली अथवा अन्य किसी फसल की खेती के लिये किया जाना चाहिए और तीसरे वर्ष फिर उस जमीन का प्रयोग दोबारा कपास की खेती के लिए किया जाना चाहिए। लेकिन वे उसी जमीन पर हर साल कपास की खेती बिना कार्बनिक और हरित खाद का प्रयोग किए करते हैं। इसी कारण हमारे किसानों को कपास की खेती में नुकसान हुआ। आत्म-हत्या करने वाले किसानों में से अधिकांश कपास उत्पादक थे। हमारे राज्य में, तुर चना उत्पादकों ने भी आत्महत्या की है। कीटनाशी दवाओं का उपयोग भी इसका एक कारण है।

अंत में, मैंने कहीं पढ़ा है कि अगले दस वर्षों अथवा 2010 तक हमारे देश में 36,000 करोड़ टन तक खाद्य पदार्थों की कमी होगी। मुझे नहीं पता कि यह बात डॉ० स्वामीनाथन ने कही है या अन्य किसी ने। चीन में, यह कमी 1,24,000 टन तक की होगी। मेरे मित्र श्री सोमपाल जनसंख्या से संबंधित माल्थस सिद्धांत के बारे में अवश्य जानते होंगे। मेरे अधिकांश मित्र जो यहां बैठे हैं वे जनसंख्या के संबंध में माल्थस के सिद्धांत के बारे में अवश्य जानते होंगे। हम इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं कि किसानों को उपज बढ़ाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं दी जायें। हमारे देश में माल्थस के सिद्धांत के अनुसार दस वर्षों के बाद एक तिहाई जनसंख्या बर्बाद हो जायेगी। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : मैं सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे अपनी बात काफी संक्षेप में कहें क्योंकि मेरे पास सात और नाम हैं।

.......*(व्यवधान)*

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : तीन दिन बीत गए हैं लेकिन मेरी पार्टी को अवसर नहीं दिया गया है.......*(व्यवधान)*

डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम) : कुछ समय निर्धारित होना चाहिए तथा इस संबंध में कोई योजना होनी चाहिए ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : महोदय, यह बहुत आपत्तिजनक बात है।.......*(व्यवधान)* आठ-दस लोगों ने कब्जा कर रखा है। ....*(व्यवधान)*

डॉ० रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

"जोर और जुल्म के होने से शुरू होती है,

किसी गरीब के रोने से शुरू होती है,

मस्त होते हैं तख्तो-ताउज,

जब आग किसी कोने से शुरू होती है।"

मान्यवर, आज किसानों की हालत यही है। आंध्र में किसानों ने आत्महत्याएं की, मध्य प्रदेश के मुलताई में किसानों ने ओलावृष्टि और अतिवृष्टि के कारण फसलों के नुकसान का मुआवजा मांगा तो उनके ऊपर गोली चलाई गई और महाराष्ट्र में आत्महत्याएं हुई।

किसानों पर जो बीत रही है हम सब राजनीतिक लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। संसद में बैठे लोग अपने क्षेत्र में जाकर कहते हैं कि किसान भगवान की जय, अन्नदाता किसान की जय और जय-जयकार लगाकर हम उसके वोट लेकर आते हैं। लेकिन जब संसद के अंदर बैठते हैं तो किसान की चर्चा नहीं होती है, किसान पर जो अन्याय और अत्याचार होता है, वह यहीं से शुरू होता है। हम कानून बनाते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आर.बी.सी. 43, राजस्व पुस्तक परिपत्र 4 (3) में किसानों की फसल को राहत देने का तो प्रावधान है लेकिन मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। उसके नुकसान का कोई आकलन नहीं होता है, आकलन आज भी ब्रिटिश जमाने की अनावारी से होता है। पटवारी को कलक्टर से निर्देश जाता है कि 30 परसेंट से ज्यादा अनावारी नहीं आनी चाहिए।

इसका परिणाम यह होता है कि किसानों को कोई लाभ नहीं मिलता। आप देखिये, राहत भी कैसी मिलती है, सौ रुपया एकड़। उसमें भी खातेदार के नाम से राहत मिलती है। दस एकड़ से ज्यादा के खातेदार को राहत नहीं मिलती है। अगर दस एकड़ से ज्यादा किसी का खाता है और उसमें चार-पांच लोग परिवार के शामिल हैं तो उस खाते पर उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। माननीय सभापति जी, इसमें संशोधन होना चाहिए और उस खाते में जो हिस्सेदार हैं उनको सहायता मिले, तभी किसान को लाभ मिल सकता है। मेरा निवेदन है कि जो दस एकड़ से भी अधिक के किसान हैं वे भी कोई रईस नहीं होते हैं, वे उद्योगपति नहीं होते है, इसमें चाहे दस एकड़ का किसान हो या पचास एकड़ का किसान हो, उसके पास ज्यादा सम्पत्ति नहीं होती हैं, इसलिए राहत और मुआवजे का हकदार वह भी है। सभापति महोदय, पुराना कानून बना हुआ है और इसको बदलने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, बीमे का भी उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। कहीं-कहीं बीमा किया गया है लेकिन वह व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि किसान जो कर्ज लेता है उस कर्ज की अदायगी के लिए बीमा होता है, फसल का बीमा नहीं होता है। इसलिए किसान की फसल का बीमा होना आवश्यक है। किसान की हालत तो ऐसी है जैसे किसी विद्वान ने कहा है कि-

[अनुवाद]

'किसान ऋण में पैदा होता है; ऋण में रहता है; तथा ऋण में ही मर जाता है।'

[हिन्दी]

यह कर्ज क्यों होता है? यह कर्ज इसलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर दो प्रकार की आपदाएं आती हैं। एक तो आसमानी आपदाएं हैं और दूसरी सुल्तानी आपदाएं हैं। आसमानी आपदाओं में ओला, पानी, तुषार, बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि हैं और सुल्तानी आपदाएं सरकार की गलतियों के कारण किसान पर टूटती हैं। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि.......*(व्यवधान)* हम तो अभी यहां बैठे हैं आप तो 50 बरसों से बैठे हैं और किसानों के ऊपर जो वज्र आपने गिराए हैं.......*(व्यवधान)* गलत कानूनी प्रक्रिया के कारण किसानों की कमर आपने तोड़ दी है। आपने बार-बार किसान की जमीन की सीलिंग की है। लेकिन बड़े-बड़े उद्योग-धंधों और शहरी सम्पत्ति की सीलिंग नहीं की है। किसान के पास इक्नोमिक जोत भी नहीं है। आज भूमि-सुधारों की बात होती है, मैं चाहता हूं कि किसान के पास इक्नोमिक जोत होनी चाहिए, फायदे वाली जोत होनी चाहिए, उसके पास इतनी धरती होनी चाहिए जिससे उसके परिवार का पालन ठीक से हो सके। माननीय सभापति महोदय, ऋण की व्यवस्था बहुत गलत है।

हमारे किसान वहां अमानत जमा करते हैं। उस पर उन्हें कोई ब्याज नहीं मिलता लेकिन उसके ऊपर ब्याज-दर-ब्याज बढ़ता जाता है। किसान की जो अमानत जमा होती है, अगर उसका हिसाब लगाया जाए तो मैं कह सकता हूं कि जो ब्याज उसके ऊपर है, उससे ज्यादा अमानत का पैसा बैठेगा। इससे किसान खुशहाल हो सकता है। कर्जा न चुका पाने के कारण वह अपनी इज्जत की खातिर आत्महत्या कर रहा है। यह हमारे लिए शर्म की बात है। हम अपनी आजादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ऐसे समय में किसान आत्महत्या कर रहा है। जो इस देश का पालनहार, अन्नदाता है, वास्तव में जो भगवान है, उसकी यह दुर्दशा है। उसको सुधारने के लिए सब को बैठ कर विचार कर, किसान के हित में कानून बना कर, उसका संरक्षण करना चाहिए।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा (केसरगंज) : सभापति महोदय, हम एक गंभीर विषय पर तीन दिन से चर्चा कर रहे हैं। इस बीच में बजट भी आया। उसमें करीब-करीब किसान का मसला ही शामिल है। विडम्बना ही कही जाएगी कि हमारे देश में करीब 76 फीसदी लोग खेती पर आश्रित हैं। 50 साल की आजादी के बाद उस वर्ग के लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं जिस वर्ग के बगैर देश की आर्थिक स्थिति सुधर नहीं सकती। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें कि हमारे देश की स्थिति उद्योग-धंधों से सुदृढ़ हो जाए, वह नामुमकिन है। हमारी आर्थिक स्थिति तभी सुदृढ़ होगी जब किसान की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और खेती मजबूत होगी।

आजादी के बाद हमारी आबादी तीन गुना बढ़ी और देश के किसानों ने खेती की पैदावार तीन गुना भी बढ़ाई लेकिन आर्थिक दुर्दशा भी उसी की हुई। वह सबसे ज्यादा जोखिम उठाता है, वह चाहे मौसम का हो या प्राकृतिक प्रकोप है। इसके बाद कोई गारंटी नहीं कि उसे अपनी पैदावार के अच्छे दाम मिल जाएं। सरकारी उत्पीड़न की बात तो अलग है। इन्हीं कारणों से 50 साल की आजादी के बाद हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि 500 से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इस बात को लेकर इस उच्च सदन में चर्चा हो रही है। मैं सरकार पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं इस मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहता लेकिन सरकार को जितना संवेदनशील होना चाहिए था, उतनी वह नहीं है।

कल माननीय कृषि मंत्री जी कई मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कर रहे थे। वे मनोवैज्ञानिक तो हो सकते हैं लेकिन वैज्ञानिक नहीं। अगर सरकार की किसानों के प्रति थोड़ी संवेदनशीलता होती तो सरकार तमाम चीजों को देखते हुए यूरिया के दाम न बढ़ाती। आपने यूरिया के दाम बढ़ाए। उसको लेकर यह तर्क दिया कि ज्यादा कैमिकल्स के इस्तेमाल से खेती बर्बाद हो रही है। मंत्री जी ने कहा कि पोटाश और फास्फेट खाद का इस्तेमाल कम हो रहा है। अगर आपके इस तर्क में दम होता तो आप पहले यूरिया के दाम न बढ़ाते। आपने बाद में पोटाश और फास्फेट के दाम घटा दिए। शायद मेरे जैसा आदमी आपके तर्क से सहमत हो जाता लेकिन किसान आपके इस तर्क से सहमत नहीं है। अगर आप पड़ोसी देश चीन से शिक्षा लें तो यहां भी खेती की पैदावार बढ़ सकती है। हमारे देश के जितने हिस्से में खेती होती है, उससे बहुत कम हिस्से में चीन में खेती होती है। वहां पैदावार डेढ़ गुना होती है। पिछले 50 सालों में कई चीजों पर अध्ययन हुए और कृषि पर भी अध्ययन हुआ लेकिन हमें उसमें सफलता नहीं मिली। अगर हमारे देश की पैदावार तीन गुना बढ़ी तो उसमें बहुत बड़ा योगदान सरकार का न होकर

[श्री बेनी प्रसाद वर्मा]

किसान का था। उस पर जब आपदा आती है तो सरकार खामोश होकर बैठ जाती है और कुतर्क देने लगती है।

किसान पर हर साल आपदा आती है। आत्महत्या वाली स्थिति बहुत भीषण कही जाएगी। कभी किसानों का आलू सड़ जाता है और कभी गन्ना खेतों में खड़ा रह जाता है। उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। एक तरह से हमारे देश की आर्थिक रीढ़ किसान है। उसको ठीक किये बगैर हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारा देश अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। लेकिन यह दुर्भाग्य कहा जाएगा कि किसानों के वोट से हम चुनकर आते हैं और यहां आकर उद्योगपतियों के वकील बन जाते हैं। यही कारण है कि आजादी के बाद से अब तक हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं हुई है। जो बजट पेश हुआ, इसको ठीक से देखा जाए तो किसान पर पूरी तरह से मार की गई है, लेकिन उद्योग-धंधों को बढ़ाने की कोशिश की गई है, उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। आज किसान कहां खड़ा है? आत्महत्याओं का दौर दो-तीन प्रांतों में है क्योंकि ठीक से आंकड़े नहीं आ रहे हैं और ठीक से रिपोर्ट नहीं हो रही है। इस तरह की घटनाएं बिहार और उत्तर प्रदेश में भी हो रही हैं। लोग आत्मग्लानि से, आर्थिक संकट से पीड़ित होकर आत्महत्या कर रहे हैं, भले ही उसकी रिपोर्ट न हो। यह पूरे देश में शुरू हो गया है। इसके ऊपर गंभीर चिन्तन करने की जरूरत है, गंभीर प्रयास करने की जरूरत है। आप देखें कि एक एकड़, दो एकड़ का किसान किस तरह से अपने परिवार का गुजर-बसर कर रहा है। जो बड़े किसान हैं वह भी कहने को बड़े किसान हैं। एक या दो परसेंट किसान होंगे जो एक फसल के बाद अपनी फसल से एक-दो लाख रुपया देख पाते होंगे और तिकड़म करने वालों के लिए 10-20 लाख रुपया भी कोई बड़ी बात नहीं है। मेहनत करने वाला किसान जो देश को खिलाता है, उसके लिए लाख रुपया बहुत बड़ी चीज है और उसी का शोषण हर तरफ से होता है। सरकारी कर्मचारी और अधिकारी तथा पुलिस उनका शोषण करती है। अगर वह कर्जा ले ले तो कर्जे में भी पहले रिश्वत दे और वसूली के लिए अपमान सहे, तहसील में बंद रहे। यह अच्छा है कि अगर इसका इंप्लीमेंटेशन हो जाए तो किसान जेल में बंद नहीं किया जाएगा।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : सभापति जी, माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी स्वयं एक बहुत अच्छे कृषक हैं और यह सरकार में भी रहे हैं और काफी समय तक प्रदेश की सरकार में और केन्द्र की सरकार में भी रहे हैं। मैं नहीं मानता कि जिस लक्षणावलि का वह वर्णन कर रहे हैं, वह गलत बात है। मैं आपके माध्यम से उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्योंकि वह स्वयं बहुत अच्छे प्रशासक रहे हैं और इन सब बातों से अवगत हैं और सदन भी अवगत है, अतः बार-बार उनकी पुरावृत्ति करने का अर्थ नहीं है क्योंकि इस पर कोई विवाद नहीं है। मैं उनसे अपेक्षा करता हूं कि कुछ अच्छे सुझाव दें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : उस पर भी आ रहे हैं।

श्री सोमपाल : उसी पर आइए। इसमें समय व्यर्थ हो जाता है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : यह हैं हमारे मंत्री जी। किसानों की समस्याएं भी सुनने को तैयार नहीं हैं तो उसका इलाज क्या करेंगे?

श्री सोमपाल : मैंने यह बात नहीं कही है। जो बात वह कह रहे हैं वह बिल्कुल सत्य है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं सुनना नहीं चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि जो आवश्यक बात है, वह करें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : मैं आवश्यक बात कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं।

[अनुवाद]

यह देखना आपका कार्य नहीं है। यह कार्य तो अध्यक्षपीठ का है।

[हिन्दी]

श्री सोमपाल : मैंने भी चेयरमैन से निवेदन किया है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : यह मंत्री पद भी कभी-कभी घमंड पैदा कर देता है।

श्री सोमपाल : मैं कम से कम उसका शिकार नहीं हूं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : किसान के दर्द को नहीं सुनेंगे और जब तकलीफ होती है तो हमें जिम्मेदार ठहराते हैं.......*(व्यवधान)* हम इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहते हैं.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वर्मा जी, आप चेयर को ऐड्रेस कीजिए।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : सोमपाल जी कृषि मंत्री हैं मगर हमें गर्व है कि हम आज भी जितना समय निकाल पाते हैं, उसमें अपनी खेती को खुद देखते हैं। इसलिए हम किसान की तकलीफ को जानते हैं। उसको कितनी लागत लगानी पड़ती है और उस लागत के बाद कितना मुआवजा मिलता है, यह किसान होने के नाते मैं अच्छी तरह से जानता हूं। शायद मंत्री जी को स्वयं उतना अनुभव खेती का नहीं होगा। मंत्री जी हमारे मित्र रहे हैं और हम एक दल में भी रहे हैं। मैं उनको जानता हूं। हमारा कुछ धंधा भी नहीं है खेती के अलावा, इसलिए हमें कष्ट ज्यादा है।

अपराह्न 4.00 बजे

उस कष्ट को हम आपसे नहीं कहेंगे तो कहां कहने जायेंगे, क्या बाहर प्रैस वालों से कहने जायेंगे और आप उसको सुनेंगे भी नहीं, सुनने में आपको कष्ट होता है। इसकी क्या वजह है। आज तो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। चाइना में 26 करोड़ एकड़ पर खेती होती है और करीब 33 करोड़ टन अनाज वह पैदा करता है। हमारे यहां 32 करोड़ एकड़ पर खेती होती है और हम सवा करोड़ टन के आसपास अनाज पैदा करते हैं। इन सब चीजों पर गौर करने की जरूरत है। हम मानते हैं कि 50 साल की आजादी बरबाद हो गई है। हम इधर-उधर आरोप नहीं लगा रहे हैं। आप तो इनके

साथ बैठे हुए हैं। ज्यादा बरबाद तो इन्होंने किया है, यह हम मानते हैं। आप तो इलाज करने के लिये आये हैं, इलाज करने के लिए सुनो तो कि मर्ज क्या है। अगर मर्ज भी नहीं सुनोगे तो इलाज क्या करोगे।

अपराह्न 4.01 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए]*

अध्यक्ष महोदय, अगर यह कहा जाए कि हमारे देश में आजादी के बाद कागज के खेत पर, कलम के हल से, गलत आंकड़ों के बीज से और लच्छेदार भाषणों से सरकार द्वारा सिंचाई होती रही है तो यह कोई आक्षेप नहीं होगा। सरकार की तरफ से किसानों का सबसे ज्यादा शोषण हुआ है जो आज वह आत्महत्या की स्थिति में पहुंचे हैं। आज जरूरत इस बात की है कि एक उच्चाधिकार प्राप्त एक्स्पर्ट्स का कोई कमीशन या कोई कमेटी बनाई जाए और वह इस बात का अध्ययन करे कि किस तरह से किसानों की हालत में सुधार लाया जा सकता है। उससे आप किसानों पर उपकार ही नहीं करोगे, बल्कि उससे देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। अमरीका आज अगर सबसे ज्यादा सम्पन्न देश है तो उसका कारण यह है कि उसने उद्योग-धंधों से शुरूआत नहीं की, उसने सबसे पहले खेती की स्थिति को सुधारा। खेती को उसने दो सौ साल पहले ठीक कर लिया। खेती से ही उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई। उसके बाद धीरे-धीरे आज वह दुनिया का राजा बना हुआ बैठा है। हमारे यहां उससे अच्छी खेती है। आबादी बढ़ी है, वह एक अलग बात है। लेकिन उस खेती का ठीक से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हम दुनिया के नेता बनना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहां जो 76 फीसदी लोग हैं उनको हम गरीबी की रेखा से नीचे मारे डाल रहे हैं तो हम दुनिया के नेता कैसे बनेंगे। ये आंकड़े कुछ भी हों कि धीरे-धीरे गरीबी की रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वालों की तादाद घट रही है। लेकिन वह घट नहीं रही है। वह 50 फीसदी से ऊपर है। आज भी लगभग 52 फीसदी लोग गरीबी की रेखा से नीचे गुजर-बसर कर रहे हैं। उनमें से सबसे ज्यादा गांव में खेती पर आश्रित वे लोग हैं जिनकी आमदनी दस रुपये या दस रुपये से कम है। उनमें भी 25 फीसदी ऐसे लोग हैं जो दो, ढाई या तीन रुपये रोज पर जिंदा हैं। किस तरह से जिंदा हैं, क्यों नहीं वे आत्महत्या करेंगे, आत्महत्या का यही कारण है। सरकार को उनको सुरक्षा देनी चाहिए। मंत्री जी को अगर कष्ट हो रहा है तो हम आपसे आपके उत्तर में यह अपेक्षा करेंगे कि जब आप उत्तर दें तो कोई उपाय यहां से सुझाएं, कोई ऐसा संदेश यहां से जाए कि जिससे किसानों के मनोबल में बढ़ोत्तरी हो और आत्महत्या की घटनाएं रुकें और सिर्फ उनके मनोबल में ही बढ़ोत्तरी न हो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। इसके बारे में यहां से आपका कोई संदेश जाना चाहिए कि इन आत्महत्याओं की दुखद पुनरावृत्ति कम से कम हमारे देश में न हो। इससे हम सब लोगों का सिर शर्म से झुक जाता है और जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं उनका सिर तो शर्म से झुकना ही चाहिए, उस पर कोई हंसी-मजाक नहीं होना चाहिए, तर्क-वितर्क नहीं होना चाहिए, उसमें आंकड़ों का जाल नहीं घुसेड़ना चाहिए, उसमें यह नहीं कहना चाहिए कि यूरिया से खेती खराब हो रही थी। यह संवेदनहीनता है, सरकार संवेदनशील बने। मंत्री जी से विशेष रूप से हमारी यही अपेक्षा है कि जब वह उत्तर दें तो उसमें कम से कम ऐसा संदेश यहां से जाए जिससे किसानों के दुख-दर्द पर मरहम लगे, उनके कटे हुए जख्मों पर नमक छिड़कने का काम सरकार न करे। मुझे आपसे यही कहना था। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री नकली सिंह (सहारनपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, सदा से लोग यही कहते आये हैं और यह भी कहते आये हैं कि उत्तम खेती मध्यम बान, निखद चाकरी भीख निदान।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : इसका उल्टा कर दें।

श्री नकली सिंह : जैसा कि हमारे पूर्व मंत्री जी कह रहे हैं वास्तव में उसका उल्टा ही हो रहा है। अब तो उत्तम चाकरी है और खेती ही निखद हो रही है। कई प्रदेशों में कितनी बड़ी संख्या में किसानों ने आत्महत्या की। किसानों को लोग अन्नदाता कहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, अन्न में प्राण हैं। इसलिए किसान प्राणदाता भी है, लेकिन आज इस देश में उसकी यह हालत हो गई कि प्राणदाता स्वयं अपने प्राण खो रहा है। यह कितनी बड़ी त्रासदी है। इसके ऊपर सभी को सोचना चाहिए। यह केवल राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि गंभीरता से सोचने का विषय है कि इस देश में किसान आत्महत्या करने पर क्यों उतारू हैं। इस स्थिति से किसान को उबारने के लिए सुझाव दिए जाने की जरूरत है और सुझाव देते समय हम इतिहास से सीख ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, किसानों के नेता सर छोटू राम हुए थे। उस समय भारत देश आजाद नहीं था। देश में अंग्रेजों का शासन था और पंजाब प्रदेश आज का पंजाब नहीं था, बल्कि हरियाणा, हिमाचल और लाहौर तक का सारा हिस्सा पंजाब हुआ करता था। उस समय सर सिकंदर हयात खां की मिनिस्ट्री में सर छोटू राम कृषि मंत्री बने और उन्होंने पंजाब में एक ऐसा कानून बनाया जिससे किसी किसान की जमीन, दो बैल और उसका मकान किसी भी कीमत पर कोई महाजन नीलाम नहीं करा सकता है। भले ही ऋण की किस्त कितनी ही हो और यदि किसान एक मुश्त देने की स्थिति में न हो, तो उस ऋण को 100 किस्तों में बांटा जाए। इस प्रकार के नियम से किसानों को राहत मिली।

अध्यक्ष महोदय, कौटिल्य का नियम भी है कि मूलधन से ज्यादा ब्याज किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। यदि किसान के ऊपर मूलधन से गई गुना ब्याज है, तो वह सब समाप्त किया जाना चाहिए। यहां पर मेरे सभी योग्य और विद्वान साथी उपस्थित हैं। इस बात पर हमें बहुत गहराई से सोचना चाहिए। सरदार पटेल ने किसानों के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया। चौ० चरण सिंह जी ने किसानों के लिए बहुत आंदोलन किया। सोचने की बात यह है कि आखिर आज किसान मर क्यों रहा है? मरना कोई अच्छी बात नहीं है और कोई भी मरना नहीं चाहता। यक्ष ने युधिष्ठर

[श्री नकली सिंह]

से प्रश्न किया था कि सबको पता है कि एक दिन मरना अवश्यंभावी है, लेकिन फिर भी कोई मरना नहीं चाहता। आखिर किसान क्यों मर रहा है। इस बारे में अगर हम सोचें, तो हमें मालूम पड़ेगा कि उसकी ओर कोई देख नहीं रहा है। आज स्थिति यह हो गई है कि उसकी फसल चौपट हो गई है। कभी पैस्टीसाइड नकली आ गया, कभी इंसैक्टीसाइड गलत आ गया और कभी प्राकृतिक आपदा आ गई। आज उसकी खेती चौपट हो गई, लेकिन हमने उसके घावों पर मरहम लगाने का काम नहीं किया। यदि हमने उससे कहा होता कि कोई बात नहीं, अगर खेती चौपट हो गई, तो हम आपको दुबारा खेती के लिए ऋण देंगे और बिना ब्याज के ऋण देंगे और पहले के ऋण की वसूली नहीं करेंगे और आप दुबारा खेती करें। यदि ऐसा कहा गया होता, यदि इस दिशा में कुछ काम किया गया होता, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि किसान को आत्महत्या करने पर विवश नहीं होना पड़ता।

अध्यक्ष महोदय, किसान ही एक ऐसा आदमी है जो कभी अपने काम को बंद नहीं करता। यदि किसी दुकानदार की दुकान में आग लग जाए, तो वह दुकान बंद कर देता है। यदि किसी कारखाने में कोई नुकसान हो जाए, तो वह अपना कारखाना बंद कर देता है, लेकिन किसान के ऊपर कितनी ही आपदा क्यों न आ जाए, वह अपनी खेती के काम में बिना रुके बराबर लगा रहता है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे वह दिन याद है, जब 1965 में भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था और हमारे देश में उस समय देशवासियों के खाने के लिए पूरा अन्न उत्पादित नहीं होता था और हमें अमेरिका से अन्न मंगाना पड़ता था। युद्ध के दौरान हमें अन्न न भेजने की अमेरिका ने धमकी दी। उस समय हमारे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री थे। वे अमरीका की धमकी के सामने नहीं झुके और उन्होंने उस समय नारा दिया "जय जवान जय किसान"। हम एक समय भूखे रहकर भी गुजारा करेंगे, लेकिन दूसरे देश के आगे अन्न की भीख नहीं मांगेंगे। उनके इस नारे के कारण देश के किसानों ने अपना खून-पसीना एक कर दिया और आज हम इस स्थिति में हैं कि अपने खाने के लिए ही नहीं बल्कि दूसरे देशों को अन्न निर्यात करने की स्थिति में आ गए हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है जब मैं खेत में काम करता था, तो कितनी मेहनत से काम करता था और एक किसान को खेती में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मुझे एक दिन का वाकया याद आ रहा है। हमारे खेत कुछ ऊंचे थे। दिसंबर का महीना था और कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। खेती में पानी टूट गया। खेत ऊंचाई पर होने के कारण पानी ऊपर आने की बजाय दूसरी ओर मुड़ गया। मुझे अच्छी तरह याद है, उसी समय रात में मैं नाले में घुस गया और मैंने अपने नौकर से कहा कि इस जगह पर मिट्टी डालो ताकि पानी रुके और ऊंचा हो सके। किसान को खेती करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपना खून-पसीना एक करना पड़ता है और चोटी का पसीना एड़ी तक बहाना पड़ता है। तब कहीं जाकर अन्न पैदा होता है। आज आप देख रहे हैं कि जून का महीना चल रहा है और कितनी लू चल रही है। ऐसी लू में भी किसान अपने खलिहान में किस तरह काम कर रहा है, इस बात का आप अनुमान लगाइए। इन सब बातों पर हमें सोचने की जरूरत है। आज किसान के ऊपर एक प्रश्नचिह्न लग गया है।

अध्यक्ष महोदय, हमारा वह बहादुर किसान, जो देश की रक्षा सेनाओं में 70 से 75 प्रतिशत तक है, सेना में भरती होकर देश की रक्षा करता है। किसान हमारा सबसे बड़ा मतदाता है, किसान ही सबसे बड़ा उपभोक्ता है और किसान ही सबसे बड़ा उत्पादक है। अगर हम देश की इतनी बड़ी मैजोरिटी के बारे में नहीं सोचेंगे, तो किसके बारे में सोचेंगे। यहां एक से एक विद्वान सांसद बैठे हैं। हर पार्टी के सांसद बैठे हैं। हमें इस समस्या के ऊपर विचार करना चाहिए। हमारे देश में बड़े से बड़े वैज्ञानिक मौजूद हैं। हमारे देश ने विज्ञान के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता पोखरण में परमाणु बम विस्फोट करके सिद्ध कर दी है। यदि हम सब लोग इस समस्या के ऊपर मिलकर सोचें, तो जो पहले हरित क्रांति आई थी, वैसी ही हरित क्रांति लाई जा सकती है और फिर किसान को आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए हमें किसान का ब्याज तो क्या यदि मूलधन भी माफ करना पड़े, तो उसे माफ करने में भी पीछे नहीं रहना चाहिए और किसानों के कर्जे माफ करने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवगौड़ा (हासन) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने का मुद्दा नियम 193 के अंतर्गत उठाया जा रहा है। यह पहला अवसर है जब हमें ऐसी गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि पहले कभी ऐसी स्थिति आई हो। पिछले पचास वर्षों में हमने सूखे और बाढ़ जैसी विभिन्न प्राकृतिक आपदाएं देखी हैं। आपदाएं तो हमने बहुत देखी हैं। परन्तु किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना पहली बार ही हुई है जो वास्तव में गहन चिंता की बात है। इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना पहली बार आंध्र प्रदेश में पिछले वर्ष संयुक्त मोर्चा सरकार के शासन काल के दौरान घटी थी। चुनावों के दौरान यह मुद्दा चर्चा का विषय था। प्रधानमंत्री जब वहां पर चुनाव प्रचार के लिए गए थे तब उन्होंने इन अभागे किसानों के लिए कुछ करने का आश्वासन दिया था। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर उत्तर के दौरान आंध्र प्रदेश के बारे में स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया था और कहा था कि यह एक बहुत बड़ी त्रासदी है। इसी प्रकार अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार की घटनाएं हुई हैं। इस मामले में इस सभा को एक सामूहिक निर्णय लेना होगा। मैं इस मुद्दे पर किसी व्यक्ति विशेष को दोषी नहीं ठहराना चाहता। हमें सामूहिक रूप से निर्णय लेना होगा। मैं इस सभा के प्रत्येक सदस्य से हाथ जोड़ कर अनुरोध करता हूं कि हम इस पर सामूहिक रूप से निर्णय लें ताकि किसानों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। मैं यह नहीं कहता कि एक दल किसानों के हित में है और दूसरा नहीं है।

मुद्दा यह नहीं है। मुद्दा यह है कि हम दलगत नीति से ऊपर उठकर इस समस्या का हल कैसे करें।

महोदय, असली मुद्दा यह है कि हम किसानों को वित्तीय सहायता किस प्रकार से दे रहे हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात पूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक निर्णय लिया था। उन्होंने कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए 18 प्रतिशत की दर से ऋण प्रदान करने का प्रावधान किया था। यह न केवल मेरा मत ही है अपितु यह एक कटु सत्य भी है। यद्यपि कृषि क्षेत्र प्राथमिकता वाला क्षेत्र होने के कारण इसके लिए 18 प्रतिशत धनराशि निर्धारित की गई है, किसी भी बैंक ने इसमें सहयोग नहीं दिया था हम अभी एक वर्ष के लक्ष्य तक भी नहीं पहुंचे हैं।

यह वह प्रश्न नहीं है कि हम अपने में ही एक दूसरे पर आरोप लगायें। किसी भी बैंक ने इसके कारणों को जानने का प्रयास नहीं किया है। बल्कि वे उल्टे अपने ही कारण बताने का प्रयास करते हैं।

मेरे प्रधानमंत्री के अल्पकाल के दौरान मैंने उन्हें राजी करने का प्रयास किया। वर्ष 1996-97 में हमने 14 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त किया। परन्तु हम 18 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके। अप्रैल से जनवरी तक जो सूचना मेरे पास है उसके अनुसार गत वर्ष बैंक द्वारा दी गई अग्रिम राशि बमुश्किल 9.1 प्रतिशत थी।

उर्वरकों के मूल्यों में बढ़ोत्तरी के संबंध में वाद-विवाद भी हुआ था। माननीय वित्त मंत्री जी कह रहे थे कि "आपके प्रधानमंत्री काल के दौरान भी इनके मूल्यों में वृद्धि की गई थी।" गत वर्ष भी कुछ वृद्धि हुई थी। मेरे पास किसी मंत्रालय का कार्यभार नहीं था। यह एक अलग बात है। अब मैं यह नुक्ता-चीनी नहीं करना चाहता कि मूल्य वृद्धि क्यों हुई। हम सभी को इससे सहमत होना चाहिए। हम संगठित क्षेत्र से अधिक सहमे हुए हैं। हम ज्यादा चिन्तित हैं। क्योंकि वे वही लोग हैं जो राजनीतिज्ञों का अभिमत बनाने का प्रयास करते हैं।

गत वर्ष सरकारी कर्मचारियों को 19,000 करोड़ रुपये दिए गए थे। क्या किसी ने इसका विरोध किया? कोई भी इसका विरोध करने के लिए तैयार नहीं है। 19,000 करोड़ रुपये की एक मुश्त राशि उन लोगों को दी गई थी जो बमुश्किल जनसंख्या के 2 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं उनके विरुद्ध नहीं हूं लेकिन क्या हमारी वित्तीय स्थिति बेहतर है। हाल ही की राजनीतिक घटनाओं के कारण हम लोग विदेशों से सहायता प्राप्त करने जा रहे हैं। मैं विशेषकर इस मुद्दे पर इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। हमने 95 बिलियन डालर का ऋण ले रखा है।

श्री बलराम जाखड़ एक कृषक परिवार से संबंधित थे इसलिए वे कृषि मंत्री थे। जब श्री मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे तो सरदार सुरजीत सिंह बरनाला भी कृषि मंत्री थे। हम सभी एक श्रेणी के हैं। आइये हम अपना दिमाग लगायें। जब आप हमारी जनसंख्या के केवल 2 प्रतिशत के लिए 19,000 करोड़ रुपये देने के लिए तैयार हैं तो क्या हम इस देश की 65 करोड़ जनसंख्या को 10,000 अथवा 5,000 करोड़ रुपये देने की स्थिति में हैं जो 100 करोड़ जनसंख्या का पेट पाल रहे हैं?

कल मैं यहां नहीं था। हमारे माननीय वित्त मंत्री नए भारत के पुनरूत्थान के संबंध में बोल रहे थे। नए भारत का कैसा पुनरूत्थान? आप जलधारा कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपये तथा सिंचाई के लिए 500 करोड़ रुपये दे रहे हैं। तो आइये हम इस मुद्दे पर सामूहिक तौर पर विचार करें। क्या इस समस्या का केवल यही समाधान है? आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र अथवा अन्य राज्यों में किसान लोग क्यों मर रहे हैं? इसलिए कि हम समस्त कृषक समुदाय को इसके अन्तर्गत नहीं ला पा रहे हैं। वे अब वित्तीय संस्थानों से प्राइवेट साहूकारों के पास जाने और असामान्य ब्याज दर पर ऋण लेने को बाध्य हो गये हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं रह गया है। जब फसलें नष्ट हो जाती हैं तो निजी ऋणदाता अपने आयोजकों के ऋण वसूली के काम मैं लगाते हैं। वे कभी परवाह नहीं करते। वे उनका अनादर करते हैं। किसान हमेशा आत्म स्वाभिमान के लिए जीते हैं।

महोदय, जब निजी ऋणदाता उनके घरों में जाते हैं और उन्हें बेइज्जत करने का प्रयास करते हैं तो यह स्वाभाविक है कि किसान दब जाता है और आत्महत्या का रास्ता अपनाते हैं। इसलिए हमें इस पर विचार करना होगा।

महोदय, मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा। यह एक व्यापक विषय है। मेरे विचार से राजनीतिक दलगत से ऊपर उठकर इस सभा के सदस्यों की एक समिति गठित की जानी चाहिए जो इस मुद्दे की जांच कर सके। इस समस्या पर हमें सामूहिक तौर पर अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। हमें दलगत भावना को लेकर इस मुद्दे पर झगड़ना नहीं चाहिए।

महोदय, मैंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष को यह पत्र लिखा है कि क्या हम संस्थागत वित्त को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर सकते हैं अथवा नहीं। योजना आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक को 28 प्रतिशत की वृद्धि करने की सिफारिश की है। सरकार को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या मेरे प्रधानमंत्री कार्यालय छोड़ने के पश्चात् भारतीय रिजर्व बैंक को ये सिफारिशें भेजी जा चुकी थी या नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक की अपनी समस्याएं हैं उसका कहना है कि बहुत से कारणों की वजह से ऐसा करना उसके लिए सम्भव नहीं है।

मैं सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि औद्योगिक क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंक 43,000 करोड़ रुपये के ऋण की वूसली नहीं कर सके हैं। यह वर्ष 1994-95 के तुलन-पत्र से भी जांचा जा सकता है। यही समय है जबकि हम सभी लोग मिलकर इस विषय पर सोचें तथा अपना दिमाग लगायें कि इस समस्या का समाधान क्या है? हम उनकी सम्पत्ति को नीलाम नहीं करेंगे क्योंकि उन लोगों का समाज में कुछ सम्मान होता है। उसके अपने तरीके होते हैं। बैंक प्रबन्धन और बैंक बोर्डों के अधिकारियों को ब्याज संघटक अथवा मूलधन संघटक को माफ करने की शक्ति होती है। बोर्डों को इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार होता

[श्री एच. डी. देवगौड़ा]

है। परन्तु किसानों के मामले में जब उनकी फसलें पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं तो उनके ऋण को माफ करने के लिए कौन कदम उठायेगा? क्या इसका कोई तंत्र है?

महोदय, माननीय वित्त मंत्री कह रहे थे कि सरकार चाहती है कि राज्यों और केन्द्र के बीच एक मूल्यांकन कर्त्ता की नियुक्ति करके उद्योगों के कार्यकरण की जांच की जाये। इस देश में किसान समुदाय को सहायता पहुंचाने के लिए हम किस तरह के तंत्र पर विचार कर रहे हैं? क्या यह सामयिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के जरिये होगा। विपणन के संबंध में स्थिति क्या है? प्याजों का भाव 20 से 21 रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़ गया है। आज यह 6 रुपये प्रति किलोग्राम है। इसकी किसी को परवाह नहीं है। उन्हें तो केवल अपनी किस्मत आजमानी पड़ती है। क्या उनकी सहायता के लिए कोई तंत्र है?

महोदय, इस देश में औद्योगिक क्षेत्र के प्रति मेरा कोई विद्वेष-पूर्ण अथवा पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण नहीं है। परन्तु मुद्दा यह है कि जब सकल घरेलू उत्पाद का 30 प्रतिशत कृषि क्षेत्र से और 65 प्रतिशत श्रम शक्ति से प्राप्त होता है तो हम उन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं?

महोदय, बीत गया सो बीत गया। तो आइये हम सभी मिलकर इस तथ्य पर अपना दिमाग लगायें कि इस संबंध में हमें विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की राय लें अथवा नहीं। बलराम जाखड़ जैसा अथवा किसी भी पार्टी का इस सभा का कोई सदस्य इस गठित की जाने वाली समिति का सभापति बन सकता है। मैं किसी भी दल का पक्षपाती नहीं हूं।

सरकार का समाज के कुछ वर्गों को सहायता देने के लिए सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क को कम करने का प्रस्ताव है और हमारे घरेलू उद्योगों की संरक्षा हेतु सरकार उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क को हटाने पर भी विचार कर रही है। जहां तक इस विशेष मुद्दे का सवाल है मैं बजटीय प्रावधानों के बारे में बातचीत नहीं करना चाहता हूं। बजट के अन्तर्गत आने वाले बहुत सारे मुद्दे हैं। परन्तु किसान समुदाय को संरक्षा देने का सरकार का कौन सा प्रस्ताव है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

यहां तक कि हमारी चालू सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए हमें लगभग 48,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। मैं वर्ष 1996-97 में 900 करोड़ रुपये से अधिक नहीं दे पाया था। गत वर्ष सरकार ने केवल 1500 करोड़ रुपये प्रदान किये जिसमें से वास्तविक परिव्यय केवल 800 करोड़ अथवा 900 करोड़ रुपये था। हम दो वर्ष अथवा 18 माह में कमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत सारी अड़चनें हैं। हम अपने समाज के कमजोर वर्ग के मामले पर विचार करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप उस व्यक्ति को और रियायत देना चाहते हैं जो आयकर स्लैब 40,000 रुपये से बढ़कर 50,000 रुपये होने के कारण 28,000 अथवा 30,000 रुपये के लगभग प्रति माह वेतन पा रहा है। आप 10 प्रतिशत अधिभार भी नहीं लगा सकते।

जब मैं प्रधानमंत्री था तब मैंने इस मुद्दे पर बहुत से अधिकारियों के साथ चर्चा की थी तो मेरे पास उस समय बहुत सारे अधिकारी आये थे और मैंने उन्हें कहा था कि जब तक कि मैं मुख्यमंत्रियों से राय लेने के लिए बात नहीं कर लेता तब तक मैं पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें नहीं मानूंगा। मैंने उनकी राय लेने के लिए मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया था। मैं राज्यों पर भी इसके वित्तीय प्रभाव जानना चाहता था। मैंने सोचा कि इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेने से पहले इन सभी पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है। तत्पश्चात् इस संबंध में मैंने एक वक्तव्य भी दिया था। बीत गया सो बीत गया।

प्रत्येक व्यक्ति संगठित क्षेत्र अथवा विशिष्ट वर्ग को खुश करने अथवा उसका पक्ष लेने का प्रयास करता है। कुछ लोग सोचते हैं कि किसान अमीर है। आज 78 प्रतिशत किसानों के हिस्से में सिर्फ एक या डेढ़ हैक्टेयर भूमि आती है और इसके अतिरिक्त प्रति वर्ष भूमि टुकड़ों में बंटती जा रही है। आज सरकार ने नगर भूमि अधिकतम सीमा को समाप्त करने की घोषणा की है।

लेकिन जहां तक कृषक समुदाय का संबंध है उनकी जमीनों के बिखरने को कोई नहीं रोक सकता। ऐसी स्थिति को देखते हुए हमें राजसहायता देने, पर्याप्त विपणन, भण्डारण सुविधाएं आदि उपलब्ध कराने के प्रश्न पर विचार करना है। ऋण देने संबंधी नीति सरकार द्वारा लिए जाने वाले प्रमुख नीति निर्णयों में से एक है। ऋण देने की वर्तमान दर 10, 12, 13 या 9 प्रतिशत भी नहीं हो सकती है। हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। आप इस पर विचार करें। मेरी इस सभा से अपील है कि दलगत सम्बन्धों से परे एक साथ बैठकर इस दुर्भाग्यपूर्ण, असंगठित क्षेत्र हेतु समाधान तलाश करें।

अध्यक्ष महोदय : पिछले तीन दिनों से हम एक ही मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। हमें इसे आज पूरा करना है। 20 माननीय सदस्य और हैं जो इस विषय पर बोलना चाहते हैं। अतः मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपना भाषण तीन से पांच मिनट में समाप्त करें ताकि अन्य सदस्यों को भी अवसर दिया जा सके। अब मैं श्री प्रेमचंद्रन को आमन्त्रित करता हूं।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : चर्चा की विषय वस्तु है भारत के कृषक समुदाय द्वारा की गई आत्महत्याएं, विशेषकर कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों के संदर्भ में अपनी बात आरम्भ करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि यह केवल तीन या चार राज्यों की तस्वीर नहीं है बल्कि भारत के संपूर्ण कृषक समुदाय का परिदृश्य है।

यह अविवादित है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। यह अविवादित तथ्य है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसमें भी कोई विवाद नहीं कि किसानों के हितों की रक्षा होनी चाहिए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से क्या हो रहा है? पिछले कुछ वर्षों से कृषि उत्पादन में कमी आ रही है। पचास और साठ के दशकों में कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में 50 प्रतिशत योगदान था। अब यह गिरकर 30 प्रतिशत हो गया है। इसके क्या कारण हैं?

मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि किसानों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। आठ पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्राप्त नहीं है। मुझे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का 'जय जवान, जय किसान' का नारा याद आता है। उस 'किसान' की स्थिति आज क्या है? सैकड़ों किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता। उनकी फसलें प्राकृतिक आपदाओं से नष्ट हो रही हैं। प्रशासन उनके हितों की रक्षा नहीं कर पा रहा है। इस सबका परिणाम यह हो रहा है कि किसानों को अपनी निराशाजनक स्थिति से उबरने के लिए आत्महत्या के सिवा और कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। यह भारतीय किसान की पचास वर्षों की आजादी के बाद की तस्वीर है।

उक्त स्थिति में सुधार लाने के लिए कल्याणकारी उपाय किए जाने चाहिए। मैं पूर्व प्रधानमंत्री श्री देवेगौड़ा के विचारों से पूर्णतया सहमत हूं। किसान के पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं है, सरकारी कर्मचारी का जीवन सुरक्षित है। यदि किसी सरकारी कर्मचारी का अपने कार्यकाल के दौरान निधन हो जाता है तो उसके निकटतम सम्बन्धी को रोजगार का अवसर दिया जाता है। सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन मिलती है। उसे अन्य सब सुविधाएं मिलती हैं। कामगारों को भी लाभ प्राप्त होते हैं। कामगारों के कल्याण हेतु देश में कई कानून हैं। मैं इससे पूर्णतया सहमत हूं। हम सब कामगारों के कल्याण के समर्थक हैं।

हमारे देश में किसान की क्या स्थिति है? क्या निर्धन किसान की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कल्याणकारी कानून हैं? रोजी-रोटी कमाने वाले सदस्य की मौत के बाद किसान परिवार का क्या होगा? हमारे देश में विद्यमान यह स्थिति निराशाजनक है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं विनाश कर जाती हैं। हम प्राकृतिक आपदाओं को नहीं रोक सकते। हम केवल समय पर सहायता देने के उपाय कर सकते हैं। किसानों को क्या सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है? जैसा कि पहले कहा जा चुका है, हम ऋण चुकाने के लिए मोहलत देने आदि जैसे कल्याणकारी उपाय कर सकते हैं।

महोदय, मैं पेंशन के सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहूंगा। मैं सरकार से किसानों को पेंशन योजना पर विचार करने की अपील करूंगा। किसानों, राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के सहयोग से सरकार एक पेंशन योजना, या ऐसी ही कोई कल्याणकारी योजना तैयार करे ताकि किसान का परिवार उसकी मृत्यु के बाद भी और उसके कृषि कार्य न कर पाने की स्थिति में भी सुरक्षित रहे। हमें ऐसे कल्याणकारी उपाय पर विचार करना चाहिए। हम ऐसी एक योजना केरल में लागू कर रहे हैं। वह अभी पूरी नहीं हुई है। अन्य स्थानों पर भी ऐसी कल्याणकारी योजना लागू की जानी हैं।

कृषि के लिए सिंचाई की सुविधा आवश्यक है। वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में विशेष रूप से उल्लेख किया था कि भारत की 37 प्रतिशत भूमि सिंचित है। शेष 63 प्रतिशत भूमि के लिए सिंचाई सुविधाएं नहीं हैं। अतः सिंचाई सुविधाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

गत वर्ष संयुक्त मोर्चा सरकार ने त्वरित सिंचाई सुविधा कार्यक्रम तैयार किया था। मैं कहूंगा कि जो सिंचाई कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं और जिनके लिए सरकार द्वारा मानदण्ड निर्धारित किए जा रहे हैं उन्हें लागू किया जाना चाहिए।

नौवीं पंचवर्षीय योजना पहले से ही आरम्भ हो चुकी है। मैं केरल का एक उदाहरण देना चाहता हूं। केरल में नौवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में हमने एक आदर्श वाक्य दिया है कि योजना ग्राम सभा, गांव, ब्लाक और पंचायत के निम्नतम स्तर से आरम्भ होनी चाहिए।

कार्यक्रम चाहे जो भी हो उसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दी जाए। छोटे सिंचाई कार्यक्रम हों या लिफ्ट इरिगेशन कार्यक्रम हों या कम्यूनिटी इरिगेशन कार्यक्रम हों, राज्य सरकारें अपने कार्यक्रम स्वयं तैयार करें। वे भौगोलिक स्थितियों के अनुसार तथा पानी और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में सर्वेक्षण कराएं। उन्हें राज्य की वास्तविक स्थितियों पर विचार करने दें।

मैं सुझाव दूंगा कि हमें शक्तियां राज्यों को वितरित कर देनी चाहिए। सभी शक्तियाँ केन्द्र सरकार के पास हैं। 73वें संविधान संशोधन में राज्यों को पहले से प्राप्त शक्तियों के अलावा और कोई शक्ति नहीं दी गई। वे शक्तियां त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली और नगर पालिका प्रणाली को अन्तरित की गई हैं। वे सभी शक्तियां जो केन्द्र के पास हैं वे अभी भी उसी के पास हैं।

जहाँ तक कृषि और ग्रामीण रोजगार का सम्बंध है राज्य की स्थिति को राज्य से बेहतर कौन जानता है। बजट भाषण में भी शक्तियों के अन्तरण के संबंध में पैराग्राफ था। एक समिति गठित की गई है; राजस्थान के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कार्यदल नियुक्त किया गया है लेकिन हमें समिति की रिपोर्ट प्राप्त होनी अभी बाकी है। जहां तक कृषि का संबंध हैं उसे उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायत समिति को एक अति महत्वपूर्ण भूमिका मिलनी चाहिए ताकि यह छोटे सिंचाई कार्यक्रमों सहित विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत बेहतर उत्पादन और बेहतर सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था कर सकें।

ऋण सुविधाएं देने के बारे में राष्ट्रीयकृत बैंकों का क्या रवैया है? मैं यह मानता हूं कि सहकारी समितियां भी ऋण सुविधाएं देती हैं। वे हमारे राज्य में बेहतर कार्य कर रही हैं। ये सहकारी कृषक समितियां लगभग सभी स्थानों पर बेहतर कार्य कर रही हैं। जब एक गरीब किसान राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास जाता है तो उनका क्या रवैया होता है? उनकी पूरी तरह उपेक्षा की जाती है। जैसा कि श्री देवेगौड़ा ने अभी-अभी बताया है, जहां तक उद्योग का संबंध है, बैंक तथा इसके प्राधिकारियों का व्यवहार, प्रकृति तथा रवैया पूरी तरह से भिन्न है। जहां तक किसानों का संबंध है उनकी उपेक्षा की जाती है तथा उनसे भेदभाव किया जाता है।

जहां तक प्रक्रिया, औपचारिकताओं तथा ऋण के भुगतान के तरीकों का संबंध है हमें इन पर पुनर्विचार करना होगा। उनकी समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

अपने राज्य से संबंधित दो या तीन मुद्दों के बारे में मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा। मैं इन मुद्दों के विस्तार में नहीं जा रहा हूं।

[श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन]

हमारे विद्वान मित्र, श्री वर्कला राधाकृष्णन ने अपने प्रथम भाषण में पहले ही बताया है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि किसानों ने आत्महत्या की है। यह सचमुच में दुखद है। यह पूरे राष्ट्र के लिए शर्मनाक घटना है। इसी कारण से सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या की है इस व्यवसाय को करते हुए वे एक अच्छा जीवन नहीं बिता सकते हैं। उनकी आजीविका मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। हम उन्हें संरक्षण प्रदान करने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए वे आत्महत्या कर रहे हैं। हजारों तथा लाखों लोग आत्महत्या की कगार पर खड़े हैं। इसी स्थिति का उल्लेख श्री वर्कला राधाकृष्णन द्वारा किया गया है।

मैं केरल के नारियल कृषकों, रबर कृषकों तथा नकदी फसल कृषकों के ब्यौरों में नहीं जा रहा हूं। इस सरकार द्वारा नारियल का न्यूनतम समर्थन मूल्य अभी तक घोषित नहीं किया गया है। इस वर्ष के शुरू में यह 5,000 रुपये प्रति क्विंटल था और अब यह घटकर केवल 2,000 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया है। 3000 रुपये प्रति क्विंटल का अंतर है।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : मैं बात समाप्त कर रहा हूं, महोदय।

जहां तक रबर का संबंध है, काफी गंभीर परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। कोकोआ की खेती करने पर उन्हें भारी हानि हुई थी। उसके बाद, सब कुछ कट गया था तथा उन्होंने रबर की खेती शुरू की। अब, किसान रबर की खेती से भी विचलित होने पर मजबूर हो गए हैं। यह स्थिति चल रही है।

रबर तथा पालियूरेथीन का आयात किया जा रहा है, कृषि के उत्पादन में कमी आई है। इस परिस्थिति के लिए मुख्य रूप से आयात-निर्यात नीति तथा नई आर्थिक नीति जिम्मेदार है। हम इसे नहीं भूल सकते हैं। कृषि उत्पादन में गिरावट का यह भी एक कारण है।

अतएव, मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि रबर के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी विचार किया जाना चाहिए। अन्यथा केरल के लोग तथा किसान भी आत्महत्या करने पर मजबूर होंगे। भारतीय दंड संहिता के अनुसार आत्महत्या का प्रयास करना एक अपराध है। मैं पुनः सरकार से इन सभी मामलों पर ध्यान देने का आग्रह करूंगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री भूपिन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, तीन दिन से चर्चा हो रही है और यह बहुत गंभीर समस्या है, हर देशवासी इस बात से चिन्तित है। यह कोई पार्टी की बात नहीं है और न कोई इसमें राजनीति की बात है, हमारा देश मूल रूप से रूरल इकोनोमी पर निर्भर है। सभी ने चर्चा की, हमारे गांवों का टिपिकल कास्ट आकुपेशनल स्ट्रक्चर है। एक जनरल कास्ट है जिनको लैंड ओनिंग कहते हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, आर्टीजंस हैं, शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्ज हैं वे एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं और इनमें जो मोस्ट डेपराइव्ड क्लासेस हैं - इन टर्म्स ऑफ मींस एंड मेटीरियल, ये शेड्यूल्ड कास्ट्स हैं। जो मार्जिनल और स्माल फार्मर्स हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं वे सब डिससेविंग या नेगेटिव सेविंग्स हैं उनका लेखा-जोखा अगर एक आदमी का लगाएंगे, छोटे किसान का, तो मार्जिनल फार्मर पर 18.1 प्रतिशत कर्जा बढ़ रहा है, स्माल फार्मर पर 20.7 प्रतिशत, मध्यम किसान पर 27.7 प्रतिशत और जो अपने आपको बड़ा किसान कहते हैं, जो ज्यादा कर्जा लेते हैं उन पर 31.7 प्रतिशत है।

महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, क्योंकि पूरे देश में चर्चा है, मैं अपने प्रदेश का नहीं कहूंगा, पंजाब की चर्चा है। पंजाब का किसान सबसे ज्यादा समृद्ध है, लेकिन आज पंजाब की क्या स्थिति है। 98 परसैंट स्माल और मार्जिनल फार्मर्स की जमीन बैंकों में और आढ़तियों के पास गिरवी रखी हैं, जिसको छुड़ाने के लिए पैसा नहीं है। 90 परसैंट किसानों पर 5700 करोड़ रुपया कर्जा है। 11 लाख किसान परिवार हैं, जिनमें से केवल 60 हजार परिवार ऐसे हैं जिनके पास 15 एकड़ से ऊपर भूमि है और 6 हजार प्रति एकड़ के हिसाब से किसान के ऊपर आज कर्जा है, यह पंजाब की बात है। आंध्र और दूसरे प्रदेशों की जो चर्चा है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज स्थिति क्या है। हिन्दुस्तान की जो जनसंख्या शहरों में बढ़ी है, उन शहरों का हिसाब लगाएं तो 50 परसैंट जनसंख्या गांवों से पलायन करके आई है। गांवों से जो शहरों की तरफ दौड़ लगी है। उनमें सारे समृद्ध आदमी शहरों में आ रहे हैं। गांवों की बुरी हालत है। *डिक्लीज लैंड होल्डिंग की देवगौड़ा* जी ने चर्चा की, आज के दिन प्रतिव्यक्ति 0.3 हैक्टेयर एवरेज है, उससे भी शायद कम होगी। जहां तक इरीगेशन का सवाल है, इरीगेशन के मामले में एशिया में हम औसत से ज्यादा हैं, लेकिन अगर उन देशों से पैदावार ली जाए तो जापान में हमारे से पांच गुना प्रति हैक्टेयर पैदावार ज्यादा है और हमारा जो इरीगेशन पोटेंशल है वह भी हम पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं, चाहे आपस के झगड़ों के कारण हो या और कोई कारण हो। अगर एक लाख हैक्टेयर में पोटेंशल को इस्तेमाल किया जाए तो सबसे ज्यादा एम्पलायमेंट इसी सैक्टर में मिल सकती है और देश में कोई सैक्टर इतना एम्पलायमेंट नहीं दे सकता। जीडीपी की चर्चा देवगौड़ा जी ने की कि 58 परसैंट थी। जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय के आंकड़े देखें तो पता चलेगा कि आज वह घट कर 30 परसैंट रह गई है, जो कृषि से हमारी राष्ट्रीय आय हुई है। लेकिन उसमें निवेश केवल 12 परसैंट है, यह इनवेस्टमेंट है तो कैसे कृषि में तरक्की हो सकती है। कृषि क्षेत्र से प्रतिव्यक्ति आमदनी 1961 में 912 थी और जो गैर कृषि क्षेत्र में कार्य करते हैं उनकी प्रतिव्यक्ति आमदनी 4054 थी, लेकिन आज क्या स्थिति है, कृषि में 912 से बढ़कर केवल 1087 हुई है, जो दूसरे धंधों में लगे हुए हैं उनकी 6672 है और आज 7000 से भी ऊपर है। मैं तीन साल पहले की बात कर रहा हूं, इतनी डिस्पेरिटी है। कृषि से जो आमदनी है उसमें इजाफा केवल 25 परसैंट है और जो दूसरे धंधों से आमदनी है उसमें 138 परसैंट हो चुका है।

शिक्षा का मामला आप लें। शिक्षा में कुल एवरेज जो है वह 64.13 है। ग्रामीण क्षेत्र में 57.87 और शहरी क्षेत्रों में 81.89 है।

गांवों की महिलाओं में शिक्षा 30 परसेंट, शहरों में 64 परसेंट है। यह तो शिक्षा का हाल है। हमारे देहात में जो बच्चे रहते हैं वे फौज में सिपाही, बसों में कंडक्टर या ड्राइवर बन सकते हैं। उनसे कहा जाता है कि वे उन बच्चों के साथ कम्पीट करें जो कॉनवेंट स्कूलों में पढ़ते हैं। यह कोई बराबर के बच्चों में कम्पटीशन नहीं है।

बेरोजगारी का हाल यह है कि आज से चार साल बाद दस करोड़ बेरोजगारों में से 70 प्रतिशत देहातों में होंगे।....... *(व्यवधान)* उस बेरोजगारी का निवारण आप किस प्रकार करेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आपनी बात समाप्त करें।

श्री भूपिन्द्र सिंह हुड्डा : महोदय, मैं तीन दिनों से बोलने के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं केवल दो या तीन मिनट और लूंगा।

[हिन्दी]

रिजर्वेशन की बात ठीक है, वह होना चाहिए, लेकिन उसके साथ-साथ इस बात की भी आज जरूरत है कि शिक्षण-संस्थाओं में जो बच्चे देहातों से आते हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन होना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए। मैं कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं। आज बहुत बातें कही गयी हैं। हमारे दल के बारे में कहा गया है कि हम इतने दिनों से राज कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि किसान जो इस स्थिति में आज पहुंचा है, एक क्यूमिलेटिव इफेक्ट सब चीजों का हुआ है। लेकिन आज आत्महत्याएं होने लगी हैं। इसमें भी अगर मैं राजनीति से ऊपर उठकर बात कहूं तो उसमें भी आज जो ट्रेजरी बैंचों पर बैठे हैं उनका भी कुछ न कुछ दोष होगा। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 1950 में कहा था कि "हर चीज को टाला जा सकता है लेकिन कृषि को नहीं" हम इर्रिगेशन प्रोजेक्ट्स लाए और किसानों की फसल की प्रोडक्शन बढ़ाने का काम किया। जब इंदिरा गांधी जी ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात कही तो उस समय जनसंघ के नाम से आपकी पार्टी थी, जिसने इसका विरोध किया था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से किसानों को फायदा हुआ। जब राजीव गांधी ने कहा कि मैं ऊपर से एक रुपया देता हूं और नीचे 16 पैसे पहुंचते हैं तो एक नयी राजनीति लेकर, मंडल-कमंडल की राजनीति लेकर आप आए और ध्यान कृषि से इधर कर दिया। मैं इस बात पर पहुंचा हूं कि

[अनुवाद]

भारतीय कृषि का वित्तीय आंबटन औद्योगिक क्षेत्र के आबंटन से कम है। शहरी अभिजात्य वर्ग और उद्योगपतियों के बड़े गठबंधन के आगे कृषि उपेक्षित हुई है।

[हिन्दी]

हमारे वित्त मंत्री ने जो बजट दिया है, अगर किसी भी अर्थशास्त्री से आप पूछेंगे तो एक ही निष्कर्ष निकलेगा कि इंडस्ट्रीज को पूरा प्रोटेक्शन दिया गया है।

[अनुवाद]

उद्योगों को सुरक्षा देने के परिणामस्वरूप कृषि में हानि होती है और यह किसानों की कीमत पर होता है।

[हिन्दी]

जब यूरिया पर चर्चा चली तो हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा कि बैलेंस नहीं है, संतुलन नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन बैलेंस यूरिया की कीमत बढ़ाने से नहीं बनेगा। बैलेंस तो फास्फोरस और पोटाश की कीमत घटाने से बनेगा और बैलेंस केवल किसानों पर लागू करके नहीं हो सकता है, इससे देश का हित कभी नहीं हो सकता है। यह बैलेंस आपको इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में भी बनाना पड़ेगा। इंडस्ट्री और फार्मर्स को भी देना पड़ेगा। इंडस्ट्री को आपने प्रोटेक्शन दिया है लेकिन किसान को प्रोटेक्शन नहीं होगा तो यह देश तरक्की नहीं कर सकता है। मैंने तीन कारण बताए हैं। क्यूमिलेटिव इफेक्ट है, जैसे देवगौड़ा जी ने कहा - नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रैडिट की क्या स्थिति है। इस देश के किसानों को जितना पैसा ऑरगेनाइज सैक्टर से चाहिए, चाहे वह कोपरेटिव बैंक से है, आज उसको केवल 35 प्रतिशत ही मिलता है जबकि 65 प्रतिशत उसको प्राइवेट लोगों से लेना पड़ता है। आज वित्त मंत्री जी ने कहा कि किसी किसान को हथकड़ी नहीं लगेगी। वह तो कोपरेटिव बैंक के बारे में हम कह सकते हैं, लेकिन जो 65 प्रतिशत प्राइवेट लोग ऋण देते हैं उन लोगों के बारे में क्या बात है। दूसरा, अपर्याप्त स्टोरेज सुविधा के बारे में है। गांव में स्टोरेज सुविधा नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां किसान अपना उत्पादित माल रख सकें। कहीं भी वेयरहाउस या गोदाम नहीं है। कम से कम ऐसा प्रबंध किया जाए कि किसान गांव में अपनी मर्जी से वेयरहाउस में अपना माल रखकर उसके बदले में बैंक से पैसा ले सकें और जब कीमत बढ़े तब उसको निकाल सकें। हमारा देश प्रोड्यूसर्स का भी है और कंज्यूमर्स का भी है।

बैलेंस तभी बन सकता है। अगर प्रोड्यूसर को 100 रुपए दिए और 500 रुपए गेहूं पैदा करने वाले किसान को दिए तो इस हिसाब से 20 परसेंट से ज्यादा मार्जिन बीच में नहीं होना चाहिए। जब तक वह बैलेंस नहीं बनेगा तब तक न किसान प्रगति करेगा और न ही कंज्यूमर संतुष्ट होगा। इसके बीच में एफ.सी.आई. एजेंसी भी आ जाती है और दूसरे कई आ जाते हैं।

आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब में किसानों द्वारा जो आत्महत्या हुई। हम उस पर आज चर्चा कर रहे हैं। आत्महत्या करने के क्या तात्कालिक कारण हैं? हमारे बलराम जाखड़ जी एक कमेटी लेकर वहां गए थे। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने वायदा किया कि हम किसान को सस्ती दर पर बीज देंगे लेकिन उसे सस्ती दर पर बीज नहीं मिला। उसे 10 गुना ज्यादा दाम पर बीज मिला। इससे फसल खराब हो गई। क्रॉप इंश्योरेंस नाम की कोई चीज नहीं है। जब तक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम नहीं होगी, तब तक किसान अपने पैरों पर कभी खड़ा नहीं हो सकेगा। यहां पैस्टिसाइड्स के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। वित्त मंत्री जी ने कहा कि यह फार्मर्स फ्रैंडली बजट है, लेकिन एक भी इनपुट की आइटम यह बताएं जहां इन्होंने किसानों को कनसैशन दिया हो। इन्होंने

[श्री भूपिन्दर सिंह हुड्डा]

पैस्टिसाइड में, बिजली में, पानी में कहीं कनसैशन नहीं दिया। इन्होंने खाद की कीमत बढ़ा दी। इन्होंने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम लाएंगे। इसके न होने से किसान दुखी है। आपने इसका कहीं प्रबन्ध नहीं किया।

जब देवेगौड़ा जी एम.पी. थे तो उन्होंने कहा था कि 6 परसैंट से ज्यादा क्रॉप लोन नहीं होना चाहिए। जब वह प्रधान मंत्री थे तो वह उसे नहीं कर सके। हो सकता है, आप भी इस मामले में कुछ न कर सकें लेकिन प्रयास होना चाहिए। आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आपको किसानों के प्रति इतना अनकनसर्न्ड नहीं होना चाहिए। आपने नेशनल कैलेमिटिज फंड बना दिया लेकिन उसी समय पार्लियामैंटरी कमेटी बनानी चाहिए। सारे दल के लोगों को पता करना चाहिए था कि क्यों किसान आत्महत्या कर रहे हैं और कैसे उसका समाधान हो सकता है? बातें बहुत हैं लेकिन समय की कमी है। मैं कृषि मंत्री जी को जानता हूं। मैं इनके विचारों से भी अवगत हूं। शायद आप कुछ बातों से मजबूर होंगे। इसलिए दिल से बात नहीं कर रहे हैं। वह यूरिया के बारे में ऊपर-ऊपर से बात कह रहे हैं। यूरिया का फौरन दाम घटाया जाए, क्रैडिट सिस्टम को ठीक किया जाए और एक पार्लियामैंटरी कमेटी बनायी जाए जो सिर्फ इन बातों को जाकर देखें कि क्यों किसान आत्महत्या कर रहा हैं और उसका तत्काल क्या समाधान हो सकता है? आज जो कर्जा उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, उसे माफ किया जाए।

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासमुन्द) : अध्यक्ष महोदय, आज हिन्दुस्तान का सर्वोच्च सदन पिछले तीन दिनों से बड़ी संजीदगी से किसानों की समस्या से रूबरू हो रहा है। इस पर बहस जारी है। माननीय विलास जी के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है।

पूरी दुनिया में 160 करोड़ किसान हैं। उसमें से 50 लाख उन पांच देशों में हैं जो अधिक विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। आज हिन्दुस्तान के किसान आर्थिक, सामाजिक जीवन के हाशिए में चले गए हैं। हम उन्हें कैसे मुख्य धारा में लाएं, इसका प्रयास होना चाहिए ताकि जिस की बदौलत हिन्दुस्तान खड़ा है, वह फिर से अपने न्यूक्लियस में वापस आ सकें।

मैं इस सदन का ध्यान कुछ आंकड़ों की ओर खींचना चाहता हूं। पिछली बार जब मूल्य वृद्धि हुई खास कर लाभकारी मूल्य की दृष्टि से, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो ग्रामीण आबादी और शहरी आबादी में आय का अनुपात बहुत बढ़ा है। यह भयावह स्थिति है। 1951 में ग्रामीण आबादी की जो स्थिति थी वह प्रति व्यक्ति 195 रुपए 50 पैसे थी और शहरी आबादी की 813 रुपए थी। औसतन आय में इस प्रकार का अनुपात था। बाद में यह अनुपात बढ़ कर इस दशक में 1:4 हो गया है।

इस प्रकार गैर-बराबरी, आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता ने किसानों को ऐसी कौम के रूप में तब्दील कर दिया है जिसमें आत्मविश्वास का अभाव है, स्वाभिमान का अभाव है। आप किसी दफ्तर में जाएं तो चपरासी को भी साहब कहेंगे, ड्राइवर और कंडक्टर को भी साहब कहेंगे, लेकिन हिन्दुस्तान जो कृषि प्रधान देश कहा जाता है, यहां किसी किसान को साहब नहीं कहा जाता है। यह हमारी सामाजिक-आर्थिक संरचना की देन है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 1967 में जो कुदाल की कीमत थी, उसमें 18 गुना वृद्धि हुई है। हल का जो फल है, उसमें 30 गुना वृद्धि हुई। जो मोटी धोती किसान पहनते हैं, किसान का बेटा पहनता है, उसमें 10 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है। ट्रेक्टर का रेट देख लें - 1967 से लेकर अब तक 67 गुना वृद्धि हुई है। ईंट, जिसका उपयोग सारे लोग करते हैं, उसमें 130 गुना वृद्धि हुई है और लोहे में 167 गुना वृद्धि हुई है। उसके एवज में आप देखें कि 1990-91 में धान जैसे प्रमुख खाद्यान्न का समर्थन मूल्य 205 रुपया था। 1996-97 में यह 380 रुपया हुआ है। गेहूं 225 रुपया 1990-91 में था, वह बढ़कर 415 रुपये 1996-97 में हो गया। इस तरीके से 21 जिन्सों का हिसाब लगा लें जिनकी वृद्धि कितने प्रतिशत हुई है। इस सदन को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां बहुत सारे मूर्धन्य और विद्वान सदस्य हैं जो इस बात को जानते हैं।

उत्पादन की दृष्टि से देख लें तो हिन्दुस्तान में हमेशा पंजाब को आदर्श मानकर चलते हैं। खाद्यान्न के मामले में भी जहां हम अधिकतम उत्पादन कर रहे हैं - 3061 कि.ग्रा. वहां धान का औसत उत्पादन 21 क्विंटल 83 किलो है। इसके विपरीत आप चीन को देख लें तो वहां 5067 है, बर्मा में 3085 है, जापान में 5701 है और इजिप्ट में 5768 है। इस तरह से धान जैसे प्रमुख उत्पादन के मामले में भी हम पीछे हैं। यहां पर स्वामीनाथन कमेटी का जिक्र हुआ है। यहां पर हरित क्रांति की चर्चा होती रही है। जो ग्रीन रेवाल्यूशन हुआ है, मैं उसके बाद के ही सारे आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका एक ही कारण मुझे दिखता है और वह है अर्थ वैज्ञानिक कारण। किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल रहा है। किसान तो ज्यादा पानी गिरे, कम पानी गिरे या नहीं गिरे, समय से पहले गिरे या समय के बाद गिरे, वह परेशान होता है तब भी खेती करता है। किसान एक चीज को बेचकर बाकी सब चीजें खरीदता है चाहे उसको बच्चों के लिए किताब-कापी खरीदनी हो, चाहे कपड़ा खरीदना हो, चाहे दाल खरीदनी हो, चाहे बैल खरीदना हो। वह एक चीज उपजाए - चाहे गन्ना उपजाए, चाहे गेहूं उपजाए, चाहे कपास उपजाए, चाहे धान उपजाए, चाहे वह कोई भी फसल उपजाए, उसको बेचकर वह बाकी चीजें खरीदता है, लेकिन बाकी जितनी चीजें खरीदता है वह सब महंगी खरीदता है और जो बेचता है उसको सस्ते में बेचता है। इस वर्ष भी यह जो प्राकृतिक आपदा है, इसकी वजह से मध्य प्रदेश का वह एरिया जो मोनोक्रैप एरिया कहा जाता है, वहां समर्थन मूल्य से आधे दाम पर धान और गेहूं बिक रहा है। आप पता लगा लीजिए कि वहां जो सरकारी एजेन्सियां हैं वह खरीद नहीं रही हैं और समर्थन मूल्य से नीचे बेचने के लिए किसान मजबूर हो रहे हैं। मेरे पास पूरे जिन्सों की लागत मूल्य के आंकड़े हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि चाहे जो हो जाए, यदि आप किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं दिला सकते तो वे लोग अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते।

अपराह्न 5.00 बजे

मैं आपके सामने एक और प्रश्न लाना चाहता हूं। आज सुबह चर्चा हो रही थी उसमें 25 ईयर पर्सपेक्टिव प्लान की बात हो रही

थी। वह प्लान केवल कैश क्रॉप के लिए न हो, वह फूडग्रेन्स के लिए भी हो। यदि फूडग्रेन्स यहां पैदा नहीं होगा तो हम कितनी बार आयात करेंगे। हम कहां-कहां से गेहूं मंगायेंगे। जिस आस्ट्रेलिया के गेहूं की बात हम कर रहे हैं उस गेहूं में फेलोसिस माइनर नाम का एक खरपतवार आ रहा है। देश के एग्रो सांटिस्टों ने सचेत किया है कि उस खरपतवार के आने से जो गाजर घास और कांग्रेस घास का जो आज देश में फैलाव हुआ है, उसका पूरे देश भर की खेती को बर्बाद करने में बहुत ज्यादा हाथ है। यदि ऐसा खरपतवार बढ़ेगा तो आप यह तय कर लीजिए कि हिंदुस्तान का किसान खाद्यान्न पैदा करें या न करें, लेकिन अगर वह खाद्यान्न पैदा करने में लगा हुआ है तो मेहरबानी करके उनको प्रोत्साहन दीजिए, उनको संरक्षण दीजिए। मैं यह नहीं मानता हूं कि केवल सरकार के संरक्षण से ही वह आगे बढ़ेंगे, बल्कि ये सारी परिस्थितियां, ये पूरी सभ्यता किसान के खिलाफ हो जाए तो यही दुर्गति होने वाली है। मैं अपनी बात को एक बिंदु पर केन्द्रित करते हुए कहना चाहता हूं कि आज जो एशिया डिसइंटीग्रेट हुआ है क्या वह इसलिए हुआ है कि वहां विचारधाराओं की समाप्ति हुई है। अध्यक्ष महोदय, वहां एग्रीकल्चर को डिस्कार्ड किया गया है और यदि हिंदुस्तान भी इसी राह पर जायेगा तो वह दिन दूर नहीं है कि जो रशिया की हालत हुई है उससे बदतर हालत यहां पर हो सकती है। मैं आपके माध्यम से एक गंभीर चेतावनी देना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर को डिस्कार्ड न किया जाए। भारत के किसान चाहे वे छोटे हों या बड़े हों, खेतीहर मजदूर हों या ग्रामीण आबादी हो, उनको देखते हुए आप तय कर लें कि चाहे पूरी सभ्यता, तथाकथित सुसभ्य लोग पूरा बायकाट करने लगें तो भी आप कहिये कि हिन्दुस्तान खेती पर खड़ा है, किसानों के आधार पर खड़ा है, उनकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। आज जिस बात की कल्पना की गई है, और जो माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा है, मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हुए कहना चाहूंगा कि यह जो कहा जाता है कि जब तक दुखी किसान रहेगा, भारत में तूफान रहेगा, इसको बदलने की जरूरत है। मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अनूप लाल यादव (सहरसा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं। चूंकि अभी जो चर्चा हो रही है वह अति महत्वपूर्ण सवाल हमारे हिन्दुस्तान के सामने है। यहां पर किसानों के संबंध में बहुत सी चर्चाएं हुई हैं। लेकिन आजादी के बाद से किसानों की जो हालत हुई है, शायद उस हालत को आप जरूर जानते होंगे। अध्यक्ष महोदय, एक संगठित क्षेत्र होता है और एक असंगठित क्षेत्र होता है। आज हिन्दुस्तान के किसान बिल्कुल असंगठित हैं। उनका कोई भी संगठन नहीं है। छिट-पुट संगठन उत्तर प्रदेश, बिहार तथा और प्रांतों में हैं, जो कभी बोट क्लब पर प्रदर्शन करते हैं, कभी-कभी हम लोगों को भी यहां पर गिरफ्तारियां देनी पड़ी हैं। मुझे अनुभव है चूंकि मैं 25-26 सालों से बिहार विधान सभा में रहा हूं और वहां की सरकार में भी मुझे रहने का मौका मिला है। किसानों के सवाल पर बार-बार गंभीरता से चर्चा होती है, लेकिन उसका निदान निकलता नहीं है। पिछले साल पिछली सरकार ने घोषणा की थी कि गेहूं का मूल्य पांच सौ पच्चीस रुपये प्रति क्विंटल में खरीद किया जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कहीं पर एक भी केन्द्र बिहार में खासकर सुपौल जिला में स्थापित नहीं किया गया जहां से किसानों की फसल को खरीदा जा सके। भंडारण का कोई इंतजाम नहीं है। मैं जानना चाहता हूं आज जो किसानों की परेशानी है, उस परेशानी को दूर करने के लिए कौन सा उपाय किया गया है। माननीय कृषि मंत्री श्री सोमपाल साहब हमारे साथी रहे हैं, वे बहुत काबिल और बुद्धिमान हैं। वे जानते है, उनके अंदर किसानों के लिए पीड़ा है, दर्द है।

अध्यक्ष महोदय एक बात मैं जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गया है, तो क्यों न हम पैदावार के क्षेत्र में भी आगे बढ़ें। मैं आज आपके माध्यम से सदन में मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो बड़े-बड़े ट्रेक्टर के कारखाने हैं, उनको आप छोटे-छोटे ट्रेक्टर बनाने के लिए क्यों नहीं कहते हैं। यदि भारत सरकार चाहे, तो बड़े-बड़े ट्रैक्टर फैक्ट्री में छोटे-छोटे ट्रेक्टर बनाना अनिवार्य करके देश की खेती के मामले में किस्मत को बदल सकती है। आज हमारे बिहार में स्थिति यह है कि किसान बाप-दादा के जमाने में खेती के पुराने औजारों से काम ले रहे हैं। वही एक हल है। अब खेती के नए-नए आधुनिक औजार विकसित हो गए हैं, लेकिन हमारे बिहार में पुराने टाइम के औजारों से खेती हो रही है। उनसे कैसे पैदावार बढ़ाने की आशा की जा सकती है। मैं आज आपके माध्यम से सदन में अनुरोध करना चाहता हूं कि आप बड़े कारखानों में खेती के छोटे-छोटे औजार बनाने के आदेश देकर खेती का कायाकल्प कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपने ट्रेक्टरों पर टैक्स बढ़ाकर ट्रेक्टर को महंगा कर दिया। कहां तो होना यह चाहिए था कि ट्रेक्टर पर टैक्स कम किया जाता, उसको सस्ता किया जाता, जिससे आम किसान ट्रैक्टर खरीदने की स्थिति में आ जाता। पिछली सरकार ने ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसानों को 30 हजार रु० सबसिडी देने की घोषणा की थी जिससे ट्रैक्टरों को ज्यादा से ज्यादा किसान खरीद सकें, लेकिन आज तक किसान को ट्रैक्टर पर सबसिडी के नाम पर एक पैसा भी नहीं मिला है। आज ट्रैक्टर की कीमत इतनी बढ़ गई है कि कोई भी स्माल फार्मर या मीडियम फार्मर ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता है। क्या बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों में आप छोटे-छोटे ट्रैक्टरों और खेती में काम आने वाले अन्य छोटे-छोटे औजारों का निर्माण करने की इजाजत देकर किसानों का भला कर सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार और देश के लगभग सभी प्रान्तों के बारे में कह रहा हूं सिर्फ हरियाणा और पंजाब को छोड़कर, शेष प्रान्तों में किसानों की हालत अच्छी नहीं है और विशेष रूप से बिहार में किसानों की हालत बहुत खराब है। इसीलिए बिहार से खेतीहर मजदूर, दूसरे प्रान्तों हरियाणा, पंजाब और दिल्ली एवं देश के अन्य प्रान्तों में भाग रहे हैं। वहां खेतों में अच्छी फसल नहीं होती है। कहीं-कहीं एक एकड़ में 10 मन से 15 मन फसल होती है। उस फसल के रख-रखाव एवं खरीदने की व्यवस्था भी सरकार के पास बिहार में ठीक प्रकार से नहीं है। आपको इन सब सवालों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, जब सिंचाई का सवाल आता है, तो मैं भारत सरकार से जानना चाहता हूं कि हमारे बिहार में जो सिंचाई हेतु व्यवस्था की गई है, वह सारी की सारी चौपट हो गई है। किसी

[श्री अनूप लाल यादव]

भी किसान को सिंचाई हेतु पानी नहीं मिल रहा है। सारी नहरों में मुख्य नहरों में सिल्टेशन के कारण रेत भर गई जिससे बहुत बड़ी प्राब्लम हो गई है और सिंचाई की कैपेसिटी समाप्त हो गई है। मैं भारत सरकार के कृषि राज्य मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात लाते हुए कहना चाहता हूं कि सिल्टेशन के कारण सारी नहरों में पानी नहीं के बराबर आता है। सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको न्यौता देता हूं। आप बिहार में चलकर देखें, वहां नदियों में कैसी भयंकर बाढ़ आती है। आप तो जानते हैं कोसी नदी नेपाल के इलाके से निकलती है। यदि सिंचाई के लिए व्यवस्था की जाए, तो देश के किसानों की किस्मत बदल सकती है मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप किसानों का भला करना चाहते हैं तो किसानों के खेतों तक पानी पहुंचा दें। किसान खुशहाल हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा और पटना शहर के आसपास के क्षेत्र के अलावा हमारे इलाके में कहीं भी ट्यूबवैल की कोई व्यवस्था नहीं हैं। चूंकि बिजली का उत्पादन कम होता है। कारण है - बिजली का कनैक्शन नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जूट की पैदावार बहुत जबर्दस्त रूप से होती है। लेकिन भारत सरकार ने जूट की कोई न्यूनतम कीमत अभी तक तय नहीं की है जिसके कारण किसान अपने जूट को जलाने का काम कर रहा है। वहां पर जूट उत्पादक किसान प्रदर्शन करते हैं और पुतले जलाते हैं। भारत सरकार को जूट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया से बात करके जूट की कीमत एक हजार रुपए क्विंटल तय करनी पड़ेगी। हम लोगों के जूट को हेसियन और रेसियन जूट बताकर रिजैक्ट कर दिया जाता है और उसकी कोई भी कीमत नहीं लगाते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे जूट खरीदने की ओर ध्यान दें और जूट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया से बात करके बिहार में जूट को खरीदने की कीमत एक हजार रुपये प्रति क्विंटल तय करने की व्यवस्था करें। आपने मुझे बोलने के लिए जो समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री टी. सुब्बारामी रेड्डी।

डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, बहुत तपस्या करने के बाद मौका मिला है।

[अनुवाद]

महोदय, पिछले तीन दिनों से अनेक माननीय सांसद इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने बहुमूल्य विचार व्यक्त करते रहे हैं। इस बात के लिये मुझे सचमुच बहुत दुःख होता है कि आधुनिक समाज में, स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्षों के बाद जबकि हम 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं कुछ राज्यों में गरीब किसान अभी भी आत्महत्या कर रहे हैं। इस पर सहसा विश्वास नहीं होता।

[हिन्दी]

सारे देश के लिए यह दुःख की बात है।

[अनुवाद]

अब प्रश्न यह है इसका क्या समाधान है? यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है। मैं लम्बा भाषण देने में विश्वास नहीं करता। मैं बहुत संक्षिप्त और सटीक बात कहूंगा।

सबसे पहली बात यह है कि आंध्र प्रदेश में 300 से अधिक कपास उगाने वाले किसानों ने आत्महत्या की। उसके बाद आत्महत्या करने का सिलसिला कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी पहुंच गया। सरकार नहीं रोकती, तो शायद यह देश के अन्य सभी भागों में फैल सकता है और यह बहुत खतरनाक स्थिति हो सकती है। इसलिये सभी इस विषय में चिंतित हैं। कपास उगाने वाले किसानों ने आत्महत्या क्यों की। पहला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण असामान्य जलवायु, अतिवृष्टि और अनावृष्टि थी। वहां या तो बाढ़ आ जाती है या फिर सूखा पड़ जाता है। आन्ध्र प्रदेश के कुछ भागों में असामान्य मौसम था, कहीं बिल्कुल बारिश नहीं हुई और सूखा रहा। अतः जो किसान कपास की खेती करते थे वे भारी मुसीबत में फंस गये।

दूसरी बात, वे खेती के बिल्कुल गलत तरीके अपनाते रहे हैं। वे अशिक्षित, अप्रशिक्षित और अबोध हैं। तीसरी बात वे अज्ञानतावश नकली उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं। अतः उन्हें नुकसान हुआ। चौथी समस्या ऋण मिलने की हैं। जैसा कि कुछ साथियों ने भी कहा है, यदि कोई गरीब किसान बैंक या किसी वित्त संस्थान के पास जाता है तो उसकी बात नहीं सुनी जाती है। कारण वे ही जानें, पर वे इन्हें ऋण नहीं दे सकते। तब वे किसी गैर-सरकारी व्यक्ति के पास पहुंचते हैं जो 30 प्रतिशत अथवा 40 प्रतिशत ब्याज लेता है। इस कारण उन्हें पैसे की गंभीर समस्या हो जाती है।

आंध्र प्रदेश में, इन चार कारणों से जब उनकी फसल बिल्कुल नहीं हुई, और वे महाजनों को ऋण लौटाने की समस्या में घिर गये तो उन्होंने आत्म-हत्या करना शुरू किया। नकली उर्वरकों का उपयोग करने के कारण भी उनकी यह समस्या पैदा हुई। ऐसे में वे बर्दाश्त नहीं कर पाये और उन्होंने आत्महत्या कर ली। यही बात अन्य राज्यों में भी हुई।

तब सरकार ने कुछ कार्यवाही की और इन आत्महत्याओं के कारण का अध्ययन करने और इनकी जांच के लिये किसी उच्चाधिकार प्राप्त समिति को वहां भेजा ताकि वे सरकार को यह सुझाव दे सकें कि वे क्या निर्णय लें ताकि वे किसानों को बेहतर ऋण सुविधा दे सकें। समिति इसका अध्ययन कर लौट गयी। मेरा ख्याल है कि समिति ने कोई प्रतिवेदन अवश्य दिया होगा। परन्तु आज मैं, माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि समिति ने क्या प्रतिवेदन दिया और इस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है इसमें दो बातें हैं - पहली बात यह है कि जिस किसान परिवार के सदस्य ने आत्महत्या की है और जो कष्ट में है उसे किस प्रकार मदद दी जाये। दूसरी समस्या यह है कि भविष्य में किसानों को आत्महत्या करने से कैसे रोका जाए और कपास उत्पादकों की समस्या कैसे सुलझाई जाये।

महोदय, जिन लोगों को नुकसान हुआ है, उन सभी की मदद के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य को 500 करोड़ रुपये देने की मांग की है। सरकार ने चुनाव के पहले यह राशि मांगी थी और सरकार उस पर विचार कर रही थी। अब, नयी सरकार आई है, और सचमुच, किसी गौरवपूर्ण अंजाम की कल्पना कर रही है। हमें इस पर प्रसन्नता है। आंध्र प्रदेश को 500 करोड़ रुपये की अधिकतम राशि देना सरकार के लिये चुनौती है। उसी प्रकार, कर्नाटक और महाराष्ट्र तथा आनुपातिक ढंग से अन्य राज्यों को भी कुछ सहायता दी जानी चाहिए।

महोदय, मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिवारों को तत्काल मुआवजा देने का आश्वासन दिया था। परन्तु, अब तक कुछ नहीं हुआ। अतः सोमपाल जी इस काम में तेजी लायें और सहायता के लिये प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करें।

भविष्य के लिये, मेरा यह स्पष्ट सुझाव है कि कृषि मंत्रालय और सरकार इसे चुनौती के रूप में ले। चाहे हम किसी भी राजनीतिक दल से हों, हम सभी भारतीय हैं और हमें इस देश के गौरवपूर्ण और समृद्ध प्रगति सुनिश्चित करनी चाहिये। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि किसी भी गरीब किसान को कष्ट न हो। कोई चाहे किसी भी राजनीतिक दल का का हो, सभी इससे चिंतित हैं। जैसा कि श्री एच.डी. देवगौड़ा ने स्पष्ट बताया है - यह बहुत अच्छा विषय था कि सभी माननीय सदस्य मिलकर एक समिति गठित करें और काल्पनिक नहीं, बल्कि मूल्यवान, व्यावहारिक, रचनात्मक और कारगर सुझाव दें। कुछ की दलील थी कि पूरे देश की फसलों की बीमा कराई जाये, पर यह असंभव है और अव्यावहारिक है। कुछ लोग हमसे पेंशन देने की बात करते हैं। पर यह भी असंभव और अव्यावहारिक है। व्यावहारिक सुझाव तो यह है कि फसल बीमा के लिये पहले कुछ जिलों के थोड़े भूभागों को लीजिये और बीमा कम्पनियों में यह प्रयोग करने के लिए विश्वास जगाइए। किसानों को भी इसके महत्व का अहसास कराइये, इसी प्रकार, मैं यह नहीं समझता कि सरकारी कर्मचारियों की तरह किसानों के लिए पेंशन योजना संभव है।

फिर, भविष्य में, आप किसानों को प्रशिक्षित अवश्य कीजिए और यह सुनिश्चित करने का प्रयास कीजिए कि उन्हें नकली उर्वरक न मिलें। किसानों की ऋण-सुविधा के संबंध में बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भारत सरकार में वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और प्रधान मंत्री यह स्पष्ट निर्देश दें कि वे किसानों को उचित तरीके से उच्च प्राथमिकता दें।

महोदय, किसानों को कोई भी कोरा चैक नहीं दे सकता। यह व्यावहारिक नहीं है। अतः यदि कपास उगाने वाले किसी किसान की फसल असामान्य मौसम अथवा अन्य परिस्थितियों के कारण नष्ट हो जाती है, तो राज्य सरकार से भी सुझाव लेकर उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर यथासंभव मदद दी जानी चाहिए।

महोदय, हमारे कई माननीय मित्रों ने किसानों के बारे में सामान्य रूप से अपने विचार व्यक्त किए हैं। परन्तु यहां ऐसा कोई मुद्दा नहीं है यहां मुद्दा यह है कि क्या केवल आंध्र प्रदेश में ही कपास उत्पादकों ने आत्महत्या की है। अतएव हमें इसके कारणों की जांच करनी चाहिए। और इसकी समस्या का पता लगाना चाहिए।

इसके बाद किसानों की सहायता करने के लिए सरकार द्वारा व्यापक कृषि नीति तैयार की जानी चाहिए और साथ ही इसमें मशीनीकृत खेती, प्रभावी और व्यावहारिक रूप से खेती की प्रणाली को सुचारू बनाने आदि जैसे पहलुओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया गया तो यह हमारे किसानों के लिए अत्यधिक सहायक होगा।

महोदय, तम्बाकू बोर्ड पहले से ही विद्यमान है। इसलिए मैं तम्बाकू बोर्ड की भांति एक कपास बोर्ड की स्थापना करने का सुझाव देता हूँ ताकि कपास उत्पादकों को प्रशिक्षित किया जा सके जिससे कपास उत्पादकों को सहायता भी मिलेगी।

अपनी बात समाप्त करते हुए मैं यह कहूंगा कि इस वाद-विवाद की समाप्ति पर हम श्री सोमपाल जी से और सरकार से भी अच्छे परिणाम की आशा करते हैं तथा उनसे अपेक्षा करते हैं कि वे आंध्र प्रदेश को 500 करोड़ रुपये का तत्काल मुआवजा सुनिश्चित करायें और इतनी ही आनुपातिक राशि कर्नाटक और महाराष्ट्र को उपलब्ध कराई जाये। तत्पश्चात् हमें यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि ऐसी त्रासदी की घटनाएं भारतीय इतिहास में फिर से न दोहरायी जायें और किसानों को अधिकतम सहायता सुनिश्चित रूप से उपलब्ध करायी जा सके।

[हिन्दी]

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन दिन से बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है और आपने प्रायः अधिकांश सदस्यों को बोलने के लिए समय दिया है, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे ढंग से लगभग सभी बिन्दुओं को कवर किया है। मैं इस सदन का ध्यान देश के उन क्षेत्रों के किसानों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ जो आजादी के पहले देसी रियासतों के इलाके में, आज आजादी के 50 वर्ष बाद भी 16वीं सदी का जीवन जी रहे है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार जैसे राज्यों में एक, दो-ढाई एकड़, अधिकतम पांच एकड़ जमीन वाले छोटे-छोटे किसान हैं। मैं कृषि मंत्री जी से उनकी दारुण दशा का अध्ययन करने के लिए अनुरोध करता हूँ। वे एक अध्ययन दल बिठाएं जो देश की देसी रियासतों के इलाकों के उन छोटे-छोटे किसानों का, जो आजादी के 50 वर्ष बाद भी दारुण दशा व्यतीत कर रहे हैं, अध्ययन करके प्रतिवेदन दें। मैं कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के सामंती और रजवाड़ों के इलाकों में आज भी किसान मजदूर से भी बदतर हालात में है। सारे सहकारी आंदोलन, भूमि विकास बैंक, कॉपरेटिव बैंक में भी इन इलाकेदारों ने कब्जा करके किसानों की जमीनें गिरवी कर ली। आज मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में 50 हजार से ज्यादा लघु, सीमांत किसानों की जमीनें गिरवी हो चुकी हैं। भूमि विकास बैंकों द्वारा, कापरेटिव बैंकों द्वारा कब्जा करने पर किसान पलायन करके दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए विवश हो गये हैं। मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा हिन्दुस्तान से आधा है लेकिन छत्तीसगढ़ और विंध्य जैसे कई इलाके ऐसे हैं जहां सिंचाई का

[श्री रामानन्द सिंह]

प्रतिशत तीन से भी कम है। केन्द्रीय वन अधिनियम 1980 के कारण मध्य प्रदेश जैसे पिछड़े राज्य की करीब 344 मध्यम और लघु सिंचाई योजनायें आज भी पड़ी हैं जिनमें लाखों रुपये राज्य सरकारों ने खर्च किये हैं या भारत सरकार ने भी सहायता दी। लेकिन अब वे योजनायें बंद पड़ी हैं।

मैं माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे सिंचाई और केन्द्रीय वन मंत्री से परामर्श करके उन योजनाओं को क्लीयर करें ताकि मध्य प्रदेश जैसे पिछड़े राज्य में, जहां सिंचाई का रकबा पूरे भारत के औसत से आधा है और विंध्य और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जिनका सिंचाई का रकबा तीन प्रतिशत से भी कम है और जहां के किसान इलाकेदार और सामंतों के शोषण के कारण या प्राकृतिक विपदा के कारण पलायन कर रहे हैं।

विंध्य जैसे इलाके में बाण सागर जैसी सिंचाई योजना, जो 600 करोड़ रुपये की थी, अब वह 3200 करोड़ रुपये की हो गई है। उसमें आधा काम हो गया, लेकिन अब उसमें यू.पी., बिहार और मध्य प्रदेश तीन राज्यों का मामला है, उसमें काम नहीं हो रहा है। उसमें किसानों की जमीन ले ली गई, उन्हें वहां से निकाल दिया गया, उजाड़ दिया गया, बसाव का प्रबन्ध नहीं किया गया, लेकिन वह योजना ठंडे बस्ते में पड़ी हैं वहां हजारों कर्मचारी तनख्वाह खा रहे हैं। इसी तरह नर्मदा वर्गी बांध की दायीं नहर, जिससे विंध्य का यह सूखा प्रभावित इलाका सिंचित हो सकता था, 15 वर्ष से उसमें काम नहीं लगा।

एक और भी अध्ययन का विषय है, मुझे मालूम नहीं, कृषि मंत्री जी ने या पिछली सरकार ने कराया नहीं कि देश में वे इलाके, जहां सिंचाई का औसत 10 प्रतिशत या पांच प्रतिशत से भी कम है, वहां के किसान जो सूखी खेती पर निर्भर हैं, वहां के किसानों की स्थिति क्या है? मेरे ख्याल से भारत सरकार के कृषि मंत्रालय को इसका भी अध्ययन करा लेना चाहिए। इन्होंने जो नेशनल एजेण्डे में कहा है कि देश में जो क्षेत्र पिछड़ गये हैं, उनके विकास के लिए विशिष्ट योजनाएं हम लायेंगे। पता नहीं, इस सरकार की भी घोषणा कहीं पिछली सरकार की तरह कागजी तो नहीं रह जायेगी। हमें देखना होगा कि सरकार जो कुछ घोषणा करे, उसके क्रियान्वयन में ईमानदारी बरते।

मध्य प्रदेश में सहकारी आन्दोलन में अद्यतन जांच की आवश्यकता है और इस जांच में इलाकेदार, सामन्त और प्रभावशाली लोगों के हाथों से सूदखोरों से भी ज्यादा भयंकर रूप से गरीबों का शोषण किया है। उनके अंगूठे लगाकर उनको उन्होंने कर्जी बना लिया। वे कहते हैं कि हमने कर्ज लिया ही नहीं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मेरे पास समय कम है और आपके पास भी कम है। इसमें मैं आपकी सहायता करने के लिए अपने विषय को संक्षिप्त करूंगा।

मेरे कुछ सुझाव हैं कि सरकार राष्ट्रीय कृषि नीति निश्चित तौर पर बनाये और कृषि को भी उद्योग का दर्जा दे। फसल बीमा योजना समूचे भारत में लागू की जाये और जब तक फसल बीमा योजना लागू नहीं होती, किसानों का प्राकृतिक आपदा से जो नुकसान हो, चाहे बाढ़ से, चाहे सूखे से, चाहे ओलावृष्टि से और एक बिन्दु माननीय सदस्य शायद भूल गये कि जो खलिहानों में आग लग जाती है, पूरी फसल पक गई, खलिहान में आई और आग लग गई। अभी सतना जिले में मैं दौरे पर था तो छह गांवों के किसानों के आवेदन मैंने कलैक्टर को दिलाये। उसमें मैक्सीमम राहत एक हजार रुपये है। अब यह तय हो जाना चाहिए, माननीय कृषि मंत्री को एक घोषणा करनी चाहिए कि बिल्कुल पकी पकाई फसल आखिर में खलिहान में विद्युत करंट के फाल्ट से आग लग जाये तो किसानों को कम से कम नुकसान का 50 परसेंट तो मिले। उसकी 50 हजार की फसल जल गई और आप 500 रुपये दे रहे हैं, उसमें भी पटवारी और तहसीलदार अपना हिस्सा मांग रहे हैं, यह स्थिति है।

इसी तरह से मैं चाहूंगा कि जो कृषि मूल्य आयोग बनाया जाता है, यहां भी आई.ए.एस. बैठ जाते हैं। अपनी तनख्वाह बढ़ा लेंगे, गवर्नर की तनख्वाह बढ़ा लेंगे। गवर्नर की तनख्वाह 60 हजार रुपये हो जायेगी, राष्ट्रपति की कहेंगे कि एक लाख रुपये हो, सांसदों की तनख्वाह बढ़ जाये। हम लोग यहां किसानों के दम पर सब्सीडाइज्ड रेट पर पांच रुपये में खाना खा लें और गांव के किसान को यहां पर 50 रुपये की भी थाली न मिले और उसका मूल्य भी निर्धारित करने के लिए यह फुल पेंट और चश्मे वाले आई.ए.एस. अधिकारी आ जाये। कृषि मूल्य आयोग में 80 परसेंट किसानों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, यह मेरा सुझाव है। मुझे आशा है, कृषि मंत्री जी किसान के बेटे हैं, वे इसका पालन करने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार किसान सिंचाई के लिए जो बिजली के कनैक्शन हेतु आवेदन करते हैं। मध्य प्रदेश में 7-7 साल से किसानों ने सिक्योरिटी जमा कराई हुई है, सात वर्ष से उनकी सिक्योरिटी जमा है। अब उसको कहते हैं कि तुम टैम्परेरी कनैक्शन ले लो। टैम्परेरी कनैक्शन में तीन महीने के लिए 1500 रुपया लिया जाता है, इसलिए आज इस बहस के बाद यह निश्चित हो जाना चाहिए कि जो किसान हिन्दुस्तान में विद्युत कुंआ खोद ले, पम्प खरीद ले तो सिंचाई पम्प के कनैक्शन का आवेदन देने में सिक्योरिटी जमा होने के तीन महीने के अन्दर आवश्यक रूप से दिया जायेगा, नहीं तो उस विद्युत अभियन्ता को केवल सस्पेंड नहीं, बर्खास्त किया जायेगा, यह बिल्कुल फैसला होना चाहिए। इसी तरह यह भी फैसला हो जाना चाहिए कि आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में जो किसान मारे गये हैं, उन्होंने आत्महत्या कर ली, अभी हमारे जोगी जी यहां नहीं हैं, वे अपने मुख्यमंत्री को समझायें कि किसान यदि आन्दोलन और प्रदर्शन करेंगे तो उन पर गोली नहीं चलाई जायेगी। मध्य प्रदेश के दुःखी किसानों की पूरी सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई, उसमें एक दाना नहीं आया, उन्होंने प्रदर्शन किया।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने निर्ममतापूर्वक गोली चलाई, जिससे 18 किसान मुलताई में मारे गए, नौ किसान जेलों में, अस्पतालों में मारे गए, क्योंकि उनको चिकित्सा मुहैया नहीं कराई गई थी। लोकतंत्र में गोली नहीं चलेगी, हमारे नेता डॉ० राम मनोहर लोहिया जी ने यहां कहा था। लेकिन शर्म की बात है कि आजादी के पचास वर्ष बाद भी किसानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। यह लोकतंत्र पर तमाचा है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सरकार गोली चलवा रही है। ऐसी सरकार को एक क्षण भी नहीं रहने देना चाहिए। लोकतंत्र में प्रदर्शनकारी किसानों पर गोली चलवाए, लाठी चलवाए, ऐसी सरकार को तो बर्खास्त कर ही देना चाहिए।

मैं आशा करता हूं कि कृषि मंत्री जी अब अपना उत्तर देंगे तो हमारे सुझावों को क्रियान्वित करने की घोषणा करेंगे। यह महत्वपूर्ण बहस जो तीन-चार दिन से चल रही है, वह फलितार्थ होनी चाहिए। उन किसानों को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जिन्होंने आत्महत्या की, जो मारे गए, कि हमने जो चार दिन बहस की उसका कुछ परिणाम आया है। इसके साथ ही भारत के किसानों को कुछ सुविधा और सहूलियत मिले और वे सोचें कि यह देश हमारा है और देश में चुने हुए लोग न केवल हमारे बारे में सोचते हैं, बल्कि कुछ क्रियान्वित करने की भी दक्षता और विचार रखते हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं और अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, किसानों द्वारा आत्महत्या करने के मामले से पूरा देश हिल गया है तथा हम किसानों के हितों की रक्षा करने के तरीके खोजने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वे आत्महत्या नहीं करें तथा कभी भी इस सीमा तक नहीं जाएं। हम सभी यह समझते हैं कि आज उत्पन्न हुई इस स्थिति से हम सब मिलकर ही निपट सकते हैं। जो भी सुझाव आए हैं, उसका हम सभी समर्थन करते हैं तथा हम उस विचार का समर्थन करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर तथा मिलजुल कर इस विशेष समस्या का समाधान निकालना चाहिए।

मैं एक या दो सुझाव देना चाहूंगा और तत्पश्चात् इसके विस्तार में जाऊंगा।

महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात ऋण की सुविधा से संबंधित है। अब, इस बाबत कुछ कदम उठाने होंगे कि किसानों को राष्ट्रीयकृत तथा अन्य बैंकों से आसानी से ऋण प्राप्त हो जाए। किसी भी किसान को बैंक से ऋण हेतु आवेदन करने तथा प्रतिभूति देने के तत्काल बाद ऋण मिल जाना चाहिए। कभी-कभी उसे बिना किसी प्रतिभूति के भी ऋण प्रदान किया जाना चाहिए या अधिक से अधिक कुछ निजी या अन्य गारंटियों पर ऋण दिया जाना चाहिए जो कि उनके लिए कम दंडनीय हो।

महोदय, किसानों को ऋण की सुविधा दिए जाने के संबंध में निर्धारित किया गया 18 प्रतिशत का लक्ष्य कभी भी प्राप्त नहीं किया गया। बैंकों के लिए सिर्फ लक्ष्य ही नहीं निर्धारित किया जाना चाहिए अपितु हमें यह भी देखना है कि उन लक्ष्यों को क्रियान्वित भी किया जाए। आपके मंत्रालय को वित्त मंत्रालय के साथ समुचित सामंजस्य से यह देखना है कि बैंक किसानों को ऋण की लक्षित राशि प्रदान करे। इस विषय को काफी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। पुनः यदि एक किसान ऋण को वापस करने में कठिनाई पाता है तो इसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर जरूर मिलना चाहिए। किसान को यह स्पष्ट करने के लिए कि वह समय पर ऋण वापस करने में क्यों समर्थ नहीं है का अवसर कभी भी नहीं दिया गया। इस संबंध में, किसी न किसी प्रकार का ऋण की वसूली पर रोक लगाने की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। हमने ऋण की वसूली पर रोक लगाने की सुविधा उद्योग को कई अवसरों पर दी है। उद्योगपति और अन्य व्यक्ति ऋण चुकाने से पहले ऋण की वसूली पर रोक की सुविधा का लाभ उठाते हैं। उन्हें बट्टा-खाता में डालने की सुविधा भी मिलती है जो किसान को कभी भी नहीं मिलती है।

इसलिए मेरा सुझाव है कि हमें इन बातों पर निगरानी रखने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए किसान को ऋण की सुविधा मिल जाए, कोई तरीका अवश्य निकालना चाहिए। यदि किसान समय पर ऋण नहीं चुका सकने के बारे में स्पष्टीकरण दे देता है, जो फसल की क्षति के कारण हो सकता है या खराब मौसम या प्राकृतिक आपदा के कारण हो सकता है, उसे अवश्य ही पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए तथा वसूल किए जा रहे ब्याज में भी कमी की जानी चाहिए।

महोदय, अन्य पहलुओं पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है। जहां तक किसानों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का विचार है, यह किसानों के लिए उपयुक्त मूल्य प्राप्त करने का अवसर है। किंतु हम कभी भी समय पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं करते हैं।

कई वस्तुओं के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करने की कोई प्रणाली नहीं है। दुर्भाग्यवश केरल की सारी जमीन पर नकदी फसलें उगायी जा रही हैं। ये हैं रबड़, नारियल, लौंग, जायफल या कोको इत्यादि-इत्यादि। इन किसानों को भारी नुकसान हुआ क्योंकि प्रत्येक वस्तु जिसका मैंने ऊपर उल्लेख किया है तथा दूसरी वस्तुओं के मूल्य में भारी कमी आई। उदाहरण के लिए रबड़ जो 65 रुपये प्रति किलो बिक रहा था का मूल्य गिर कर 25 रुपया प्रति किलो हो गया। एक किसान कैसे बढ़ सकता है।

अध्यक्ष महोदय : श्री पी.सी. थामस, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। कृपया सहयोग कीजिए।

श्री पी.सी. थामस : मैं सिर्फ इतना ही उल्लेख करूंगा कि केरल में एक दैनिक समाचार पत्र 'द दीपिका' के मुख पृष्ठ पर एक महीना पहले रबड़ के एक किसान को सात वर्ष पुराने रबड़ के पेड़ों को जो अभी-अभी फलने लगे थे को काटते हुए दिखाया था। उसने अपने सभी 300 पेड़ों को काट दिया है। यह स्थिति है। हमें आत्महत्या कर रहे किसानों की समस्या के समाधान के लिए हल खोजना है। ये किसान भी आत्महत्या करने के मुकाम पर हैं।

एक साधारण सी बात जो मुझे कहनी चाहिए वह यह है कि यह एक कृषि फसल है। किंतु इसे कृषि फसल के रूप में नहीं माना जा रहा है। यह वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत है जो चीजों को केवल वाणिज्यिक दृष्टि से देखता है। कृषि की बात उनके मस्तिष्क में नहीं आती है। यह दशा कई दूसरे कृषि जिन्सों की भी है।

अध्यक्ष महोदय : अब श्रीमती कैलाशो देवी बोलेंगी।

श्री पी.सी. थामस : मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना ही सुझाव दूंगा कि इन वस्तुओं जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर घोषित किया गया है उसे सभी कृषि फसलों के लिए एक समान कर दिया जाए तथा तत्काल कुछ किया जाना जरूरी है ताकि किसानों को इस आपदा से बचाया जा सके।

[हिन्दी]

डॉ० प्रभा ठाकुर (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, किसी भी महिला सदस्य को बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है।

श्री आनन्द मोहन (शिवहर) : अध्यक्ष महोदय, आज कई दिनों से सदन में किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं पर गंभीर बहस चल रही है। आपने हमको मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

आज किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने निकलते हैं और उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। कहीं किसान अपनी मांगों के लिए आत्महत्याएं कर रहे हैं। ये आत्महत्याएं एक गंभीर संकेत हैं। शुरू में वे मरकर लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन जब उनकी बात अनसुनी कर दी जाती है, लोग बहरे और गूंगे हो जाते हैं तब फिर मरने का सिलसिला शुरू होता है। किसान असंगठित हैं। किसान आज मरकर देश के कर्णधारों का, इस सदन का, इस देश की सरकार का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकृष्ट कर रहे हैं लेकिन अगर उनकी मांगों को इस तरह अनसुनी किया जाता रहा तो फिर वह दिन भी आने वाला है जब किसान उग्र रूप धारण करेंगे और आक्रोषित किसान मरने की बजाए मारने को उतारू होंगे, इसलिए यह एक खतरनाक संकेत हैं। सरकार को इस तरफ गौर करना चाहिए और किसानों के हित में कुछ कार्यवाही करनी चाहिए। यह लाजमी है, यह जरूरी है।

भारतीय किसान कर्जों में जन्म लेता है और कर्जों में मर जाता है। आज त्रासदी यह है कि किसान आलू, सब्जियां, गेहूं, धान, मकई सब कुछ उगाता है लेकिन उनका दाम या तो व्यापारी तय करता है जो उसका शोषक वर्ग है या फिर शोषकों का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार तय करती है। यही स्थिति है। आज सदन में न सिर्फ देश की बातें हो रही हैं बल्कि खेती पर आधारित जिंदगी जीने वाले किसान पर भी चर्चा हो रही है। यह हमारी अर्थ-व्यवस्था है जिसमें अस्सी प्रतिशत लोग खेती पर आधारित जिंदगी जीने के लिए विवश हैं और सत्तर फीसदी आबादी किसानों की है।

हम बाहर की बात कहते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सदन में बैठे सदस्यों पर नजर दौड़ायें तो पायेंगे कि अधिकतर सदस्य किसान परिवार से आए हैं। किसान जाति में पैदा हुए लोग हैं और इनका प्रतिशत भी 70-80 प्रतिशत है। यह स्थिति होने पर भी बजट कौन बनाता है और बजट पर किसका अधिकार है? कौन लोग बजट बना रहे हैं यदि आप इस ओर देखें, तो आश्चर्यजनक दृश्य उपस्थित होगा और बड़ा ही चौकाने वाला होगा। चौंकाने वाला नहीं, बल्कि यह यथार्थ है। इन लोगों का खेती से, गांवों से, किसानों से और किसान जाति से कोई लेन-देन नहीं है। यह किसानों के साथ त्रासदी है। अब की बार का बजट बी.जे.पी. की सरकार द्वारा बनाया गया है और हमारे यशवंत सिन्हा जी सबसे बड़े किसान हैं। मैं माननीय सदस्य का जी नहीं दुखाना चाहता हूं, लेकिन जब जाखड़ साहब का भाषण हो, देवगौड़ा जी का भाषण हो, बरनाला जी का भाषण हो, सोमपाल जी का भाषण हो और हमारे जैसे छोटे लोगों का भाषण हो, रामानन्द सिंह जी का भाषण हो, तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन सुझाव आता है-सुब्बारामी जी की तरफ से और विनोद खन्ना जी की तरफ से आए, तो काम हो गया। माफ कीजिए, यह स्थिति है।....... *(व्यवधान)* बजट कौन बनाते हैं, सजैशन कौन देते हैं, जिनका खेती से कोई लेन-देन नहीं होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप फिल्म उद्योग को दीजिए, तो हम उसका स्वागत करेंगे। आप हमारे मामले में टांग मत अड़ाइए.......*(व्यवधान)* आप हमें बोलने दीजिए। प्रभुनाथ सिंह जी बोलते-बोलते सदन से उठकर चले गए ....*(व्यवधान)* हमारा सुझाव है कि खेती से तैयार माल और करखनिया से तैयार माल का अन्तर कम होना चाहिए।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : यह सुझाव है कि आप सुझाव मत दीजिए।.......*(व्यवधान)*

श्री आनन्द मोहन : आप हमारे मामले में सुझाव मत दीजिए। ....*(व्यवधान)* आप फिल्म बनाते हैं और दस हजार रुपए देते हैं। शूटिंग करते वक्त नकली मकान बनाते हैं और फिर फूंक देते हैं, लेकिन हमारे यहां कोई प्रावधान नहीं है।.......*(व्यवधान)* यह स्थिति है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि करखनिया के माल में और खेती के माल में जो विशाल अन्तर है, उस पर नजर दौड़ाइए, तो हम लोगों को शर्मिन्दा होना पड़ेगा।

महोदय, आज किसान कपास पैदा करता है, लेकिन उसको कीमत नहीं दी जाती है। लेकिन जब कपास से कपड़ा बनता है, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। किसान ईख पैदा करता है, उसकी कीमत नहीं है। जब ईख से चीनी पैदा होती है और बोरों में भरकर बाहर आती है, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसी प्रकार हम पटसन पैदा करते हैं, लेकिन कीमत नहीं मिलती है। इसी प्रकार जब इसी पटसन से कपड़ा बनता है, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसी प्रकार किसानों के साथ यही त्रासदी है। मैं कहना चाहता हूं, जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, गांधीजी का सपना पूरा नहीं होगा और डॉ० राममनोहर लोहिया का सपना पूरा नहीं होगा और न कोई समाजवादी सोच इस देश में सफल हो पाएगी। इसलिए किसान जो देश की रीढ़ है और खेती पर देश की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, इसलिए आपको इस समस्या की ओर गंभीरता से सोचना चाहिए।

देश को आजाद हुए आज पचास साल हो गए हैं। स्थिति यह है कि मांगों को लेकर प्रदर्शन हमारे बाप करेंगे, हमारे चाचा करेंगे और हमारे भाई करेंगे और उन पर गोलियां चला दी जाती हैं। रबड़ की गोलिया नहीं चलाई जाती हैं। अश्रुगैस नहीं छोड़े जाते हैं, लाठियां नहीं चलाई जाती हैं, सीधे गोलियों से छलनी करके उड़ा दिया जाता है। यह किसानों के साथ इन्साफ है और हम किसानों

के बारे में बात करते हैं। वोट हमारा, राज तुम्हारा - यह सब चलता है। वोट हमारा है, अर्थव्यवस्था हम चलाते हैं, भोजन हम कराते हैं और हम पर ही इस तरह की कार्यवाही की जाती है। हमारे साथ छल किया जा रहा है, फरेब हो रहा है। हम लोगों के लिए अदालत की भी कोई व्यवस्था नहीं है। पम्प सैट्स की कीमत बढ़ गई है, ट्रैक्टर की कीमत बढ़ गई है और अभी सरकार ने यूरिया की कीमत भी बढ़ा दी है। हमारे वित्त मंत्री जी कहते हैं कि हम देश के निर्बलतम लोगों के लिए क्रान्ति लाने वाले हैं, मैं पूछता हूं क्या इसी प्रकार की नई क्रान्ति ला रहे हैं? मेरा विचार है, हरित क्रान्ति को भुलाकर नई क्रान्ति नहीं होगी।

किसानों को भुला कर, देश के किसानों की अनदेखी करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए हम आपको और तमाम लोगों को कहेंगे कि आज किसानों के साथ ज्यादती हो रही है। आज भू-हदबंदी है लेकिन सम्पत्ति की हदबंदी नहीं है। हमारे बुजुर्गों को समझा दिया गया है कि 15 एकड़ से ज्यादा जमीन मत रखो। हम लोहिया जी के शब्दों में कहना चाहते हैं - "जो जमीन को जोते, वही जमीन का मालिक होए।" लेकिन यह इंसाफ नहीं है कि 12 और 15 एकड़ पर किसानों को रोक दिया जाए और करोड़-अरबों-खरबों की सम्पत्ति रखने की छूट दी जाए, इस असंतुलन को रोका जाए।

महोदय, मुझे बहुत सी बातें कहनी थी लेकिन समय कम होने के कारण मैं इतना ही कहूंगा -

"शंति नहीं तब तक, जब तक सुख भाग न नर का सम हो,
न ही किसी को बहुत अधिक हो, न ही किसी को कम हो।

श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन (बालाघाट) : माननीय सभापति महोदय, मैं उस प्रदेश से आता हूं और उस जिले से आता हूं जहां पर सिर्फ एकमात्र खेती होती है। छत्तीसगढ़ और महाकौशल के बीच में बसा बालाघाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, जो अपने आप में अकेला बालाघाट संसदीय क्षेत्र है, यह धान उत्पादक क्षेत्र है। आज हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि ऐसा धान उत्पादक जिले में किसानों की माली हालत इतनी बदतर क्यों हो गई है कि उनको आज आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

महोदय, इस वर्ष अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, कीट प्रकोप तथा अनेक तरह के प्रकोप, जितनी प्रकार की बीमारियां धान की फसल में लग सकती हैं वे सारी की सारी बीमारियां बालाघाट जिले में और मध्य प्रदेश में खेती को लगी हैं, पूरे धान की फसल बर्बाद हो गई। राजस्व विभाग के जो आंकड़े कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जी को दिए और भारत सरकार को आए उसके अनुसार पूरे प्रदेश में 40 जिले आज प्राकृतिक आपदा की चपेट में हैं लेकिन राज्य सरकार का क्या दायित्व होता है, राज्य सरकार किसानों के प्रति पूर्ण रूप से उदासीन है, जवाबदेह नहीं है। उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश की सरकार भारत के उपक्रमों से विद्युत लेती है लेकिन दूसरी ओर वहां कृषकों को विद्युत नहीं मिल रहा है। पांच हार्स पावर की बिजली के कनेक्शन फ्री कर दिए गए, बिजली निःशुल्क कर दी गई, ऐसी घोषणा करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करके वहां की सरकार सत्ता पर काबिज हुई। लेकिन पिछले चार साल में जो विद्युत के कनेक्शन कृषकों को मिले हैं, वे नगण्य हैं।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैंने कृषि के विषय में एम.एस.सी. किया है और अभी तक मैं खेती कर रहा हूं। खेती के साथ-साथ हम अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जनता की सेवा कर रहे हैं। यहां पर दो दिन से चर्चा चल रही है कि यूरिया के रेट इस सरकार ने बढ़ा दिए, सरकार इस तरह की व्यवस्था करे कि देश में जिस प्रयोगशाला में जांच में खाद मानक नहीं पाई जाती है, तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और मिक्सचर फर्टीलाइजर बनाया जाना चाहिए। आज हमारे देश में जो फर्टीलाइजर्स बनते हैं, जैसे 20:20:0, आपका पोटाश वहां है नहीं। 12-32-16 में आपका पोटाश है लेकिन जो अनुपात होना चाहिए वह नहीं है, 20:20:0 में पोटाश है ही नहीं। जब जमीन में हम बाहर से पोटाश नहीं देंगे तो फिर किसान किस तरह पोटाश डालेगा, क्योंकि किसान यूरिया का उपयोग करता है। यूरिया के डालते ही क्रॉप में हरियाली आती है और किसान को ऐसा लगता है कि इससे उत्पादन बढ़ेगा लेकिन वहीं दूसरी ओर जब किसी फसल में हरियाली आती है तो कीट प्रकोप होता है। उसमें बरसात के सीजन में कीट प्रकोप होना बढ़ जाता है उस पर नियंत्रण करने की स्थिति नहीं रहती। मैं कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ऐसे फर्टीलाइजर बनाए जाएं जिसमें अनुपातिक एनपीके रेश्यो होना चाहिए और हमारे प्रदेश में जिलावार इसके आंकड़े हैं कि किस भूमि में कितने अनुपात के एनपीके खाद डाली जानी चाहिए। आज मिक्सचर फर्टीलाइजर्स को ऐसी कम्पनियों के लाइसेंस समाप्त कर देने चाहिए, जो मिक्सचर पोटाश का उपयोग नहीं करते। हमारी सरकार ने जहां एक ओर यूरिया के रेट को 50 परसेंट घटा दिया, प्रस्तावित मूल्यवृद्धि को वापस ले, लेकिन पोटाश और फास्फोरस के रेट कम करने की आवश्यकता है। जब तक पोटाश और फास्फोरस के रेट कम नहीं होंगे तब तक किसान इसका उपयोग नहीं करेगा।

किसान उस यूरिया का छिड़काव करता जाता है तो जमीन की उर्वरा शक्ति कम होती है उसको मैं सप्रमाण सिद्ध कर सकता हूं कि यूरिया का ज्यादा उपयोग करने से जमीन सख्त हो जाती है और जो हवा का मार्ग होना चाहिए वह बंद हो जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश का किसान आज जर्जर हालत में है। उसको जो बीज दिया जाता है वह घटिया किस्म का दिया जाता है उसमें ताकत नहीं होती है तथा उसका रेट बीज निगम ज्यादा भी लेता है। बीज उत्पादक कृषकों को सौ रुपया, डेढ़ सौ रुपया क्विंटल ज्यादा दिया जाता है, उसको बीज डबल रेट पर दिया जाता है। अब किसान खेती कैसे करेगा। किसान को बीज प्रदान करने वाली एजेंसियों के ऊपर सरकार को वर्तमान में जो सब्सिडी है उसको दुगुना करने की आवश्यकता है। जब तक सब्सिडी अधिक नहीं होगी, तब तक कृषक को, प्रामाणिक, सर्टिफाइड बीज या आधार बीज वह नहीं डाल सकेगा। उसकी क्रय करने की क्षमता नहीं रहेगी।

[श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन]

माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान ने बैंक से जो ऋण लिया है, वह डिफाल्टर हो चुका है, उसको ऋण फिर से दिया जाए। इस तरह की कोई नीति बने। किसानों को विद्युत के कनैक्शन नहीं दिये जाते हैं। विद्युत कनैक्शन देना बंद है। अकेले मध्य प्रदेश में 2 लाख 15 हजार कृषकों के विद्युत कनैक्शन लम्बित हैं।

अभी आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में किसानों द्वारा आत्महत्याएं करने की बातें हुई। मध्य प्रदेश के किसानों ने भी आत्महत्याएं करनी प्रारम्भ कर दी हैं। बालाघाट जिले में गोटी-उस्मारा के किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। ये आत्महत्याएं क्यों हुई हैं और इनको कैसे रोका जाए। इसके लिए मेरा सुझाव है कि किसानों को अधिक से अधिक राहत देने की आवश्यकता है और जो किसान के उपयोग में आने वाले ट्रैक्टर के ऊपर सरचार्ज बढ़ाया गया है उसको भी सरकार खत्म करे।

आपने जो समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

डॉ० प्रभा ठाकुर (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं। कृषकों की समस्याओं पर पिछले तीन दिनों से सदन में चर्चा चल रही है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहां के 75 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते हैं और उसकी आर्थिक परिस्थिति कृषि पर निर्भर करती है। किसान देश की आर्थिक प्रगति में रीढ़ की भूमिका अदा करता है। हमारे देश में "जय जवान, जय किसान" का नारा बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। लेकिन आज वस्तुस्थिति कुछ अलग ही है। जिस तरह का हादसा आज इस देश में घटित हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। आज सैकड़ों किसानों द्वारा आत्महत्याएं की गयी हैं। केरल में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में और पंजाब जैसे समृद्ध प्रांत में भी आत्महत्याओं की बात देखने में आई है जो एक समृद्ध और खुशहाल प्रांत माना जाता है। आज किसान आत्महत्या करने के लिए क्यों विवश हुआ है? कौन इसके लिए जिम्मेदार हैं? आज हमारे विकास की बात, परमाणु क्षमता की बात, सब बातें गलत हो जाती हैं यदि इस देश के किसान को आत्महत्या करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहती हूं कि यदि हम अपने किसानों के हितों की सुरक्षा नहीं कर सकेंगे, तो किस प्रकार हम अपने राष्ट्र को सुरक्षा कर पाएंगे – चाहे कितने भी परमाणु परीक्षण हम कर लें। किसान आज इस परिस्थिति को इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि वह आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं है, अपने परिवार की जिम्मेदारी को निभाने में सक्षम नहीं है। उसके ऊपर हजारों-लाखों रुपयों का ऋण है। उसे मजबूर होकर आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़ता है।

यह एक बहुत करुणाजनक और अफसोसजनक स्थिति है। आजादी के 50 साल बाद भी आज इस देश का किसान जो कि पूरे देश को अन्न उपलब्ध कराता है जिसे सही मायने में यह कहें कि वह इस देश का अन्नदाता है, अन्नदाता की आज इस देश में यह स्थिति है। यहां 70-75 परसैंट लोग कृषक हैं। यह वर्ग कृषक वर्ग कहलाता है। मैं नहीं जानती भारत सरकार के आर्थिक संसाधन के जो स्रोत हैं, उनमें से कितने प्रतिशत किसानों के आर्थिक उत्थान पर व्यय किए जाते हैं और उनके लिए क्या योजना बनाई गई है? जिस वर्ग की संख्या 75 परसैंट है, उन पर आर्थिक संसाधनों में से कितने परसैंट, 70 परसैंट 75 परसैंट, उनके उत्थान, विकास और उनकी आर्थिक क्षमता मजबूत करने के लिए खर्च किए जाएंगे? आज यह परिस्थिति है। राजस्थान में ओलावृष्टि या दूसरी कोई प्राकृतिक आपदा आने पर किसानों को मुआवजे के रूप में बहुत कम पैसा मिलता है? कहीं 75 रुपए या 90 रुपए ही मिलते हैं। इससे बीज का भी खर्चा नहीं निकलता। आज एक कुंए पर बिजली का कनैक्शन लेने के लिए किसान के एक लाख रुपए लग जाते हैं क्योंकि एक-एक खम्भे की लागत 9-9 हजार रुपए है। बिजली की फाइल जो कि 21 रुपए, 25 रुपए में लगती थी, आज राजस्थान में उसको लगाने में दो हजार रुपए लगते हैं। इंश्योरेंस जैसी कोई स्कीम नहीं है जिससे प्राकृतिक आपदा के आने पर उसे राहत मिले। उसकी ऐसी मजबूत स्थिति नहीं है। मैं आपके माध्यम से यही दरख्वास्त करूंगी कि कृषकों की उपज का उचित मूल्य निर्धारित हो और वह मूल्य नीति सभी प्रदेशों में लागू की जाए। किसानों की भूमि का जब कभी अधिग्रहण हो तो उसका उन्हें उचित मुआवजा मिलना चाहए। किसानों को पास बुक देनी चाहिए। उसमें जमीन संबंधी विवरण हो ताकि उसे पटवारी और तहसीलदारों की जरूरत न पड़े।

अंत में मैं यही कहूंगी कि किसानों के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे उनका भला हो। केवल ऊपर से आर्थिक विकास की बात हो और दीए तले अंधेरा रहे, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। किसानों की स्थिति मजबूत करने के लिए और ऐसी समस्याएं आने वाले समय में रोकने के लिए सम्भावित कदम इस दिशा में उठाए जाएं। इतना ही मुझे कहना है।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। सदन की कार्यवाही कम से कम एक घंटा बढ़ाई जाए। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक सदस्य को बोलने का मौका मिला है। इसलिए मुझे बोलने का मौका दिया जाए।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महराजगंज) : अध्यक्ष महोदय, भारत कृषि प्रधान देश है। अखबारों के मध्यम से जब यह समाचार आया है कि इस देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो देश में गांव-गांव में लोगों के एक बार कान खड़े हो गए। इतना ही नहीं दोनों पक्षों के लोग इसको लेकर काफी चिंतित भी हुए कि आखिर कौन सी इस देश में परिस्थिति आई कि गांव में रहने वाले किसान अब आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं।

इस देश में लगभग सात लाख गांव हैं। किसान गांवों में रहते हैं। गांवों की स्थिति पर चिंतन कभी अच्छे ढंग से नहीं किया जाता है। गांव की स्थिति की समीक्षा नहीं की जाती है। आज गांवों के किसानों की क्या स्थिति है? रोटी, कपड़ा और मकान ये तीन अनिवार्य चीजें हैं। इन तीन चीजों में से एक भी चीज नहीं है जिसकी ठीक से व्यवस्था हो। देहातों में किसानों के रहने के लिए आवास की व्यवस्था नहीं है। जिनकी मेहनत से हम भोजन करते हैं, उन्हें पहनने के लिए वस्त्र नहीं मिलते। गांव के किसान के बेटों को देखिए। उनके पढ़ने के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं है।

अगर उनके बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो उनके लिए दवा की व्यवस्था नहीं है। किसान के बच्चों को पीने के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं है। आखिर इस देश में क्या हो रहा है? आखिर इतनी विसंगतियां क्यों देश में हो रही हैं? एक कानून जो हमारा बना है, यह किसानों के हित में नहीं बन पाया है। अभी आनन्द मोहन जी कह रहे थे कि किसानों के संबंध में कानून कौन लोग बनाते हैं। दिल्ली में बैठने वाले लोग, एयर-कंडीशंड कमरों में बैठने वाले लोग अगर किसानों के संबंध में कानून बनाएंगे तो कभी वह कानून व्यावहारिक नहीं हो पाएगा। हम उदाहरण के रूप में आपको एक दो बातें बताना चाहते हैं। आज किसानों की स्थिति देखिये और शहरों की स्थिति देखिये। एक तरफ दिल्ली जैसे बड़े शहरों में बिजली की चकाचौंध हो रही है और दूसरी तरफ गांवों में चलकर देखिये कि किसानों के खेत में पानी देने के लिए बिजली नहीं मिल रही है जिसके अभाव में किसानों के खेत सूख रहे हैं। यहां बड़े-बड़े शहरों में पानी के फव्वारे उड़ाये जाते हैं और उधर किसानों के खेत पानी के अभाव में सूख रहे हैं। किसानों के साथ कितना अन्याय हो रहा है, इस पर गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है।

भू-हदबंदी कानून बनाया गया है। कहा जाता कि किसान 15 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रख सकते लेकिन दिल्ली के लिए ऐसा कानून नहीं बनाया गया है। गांवों में चलकर देखिये, आज भी गांवों में 2000 रुपये एकड़ की दर पर जमीन बिक रही है और दिल्ली के चांदनी चौक में 25 लाख रुपये कट्टा के हिसाब से ज़मीन बिक रही है। भू-हदबंदी कानून चलना है तो हम आपको वायदा करते हैं कि हम अपने गांव की 50 एकड़ जमीन दे देंगे, उसके बदले में हमको 10 कट्टा जमीन चांदनी चौक में दिला दीजिए। हमारे कानून में विसंगतियां हैं जिनसे किसानों को काफी परेशानी है।

अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान बिहार की तरफ दिलाना चाहते हैं। उत्तर बिहार और मध्य बिहार कृषि पर आधारित है। मध्य बिहार में पहाड़ी इलाका है और उत्तर बिहार बालू के ढेर पर खड़ा है। उत्तर बिहार में सिंचाई के अलावा दूसरा रोजगार नहीं है, लेकिन सिंचाई का कोई साधन नहीं है। बिहार सरकार एक बार नहरों का विस्तार कर रही थी, लेकिन नहरों का काम पूरा नहीं हो पाया। जितना पैसा सरकार ने लगाया था, वह बड़े-बड़े अधिकारियों से लेकर राजनेताओं की जेबों में चला गया। एक तरफ किसानों के खेत नहर निकालने के नाम पर ले लिये गए और दूसरी तरफ नहरों का काम पूरा नहीं हो पाया। इसलिए किसानों को उसमें दोहरा नुकसान हुआ है। आज जल-जमाव के कारण उत्तर बिहार के किसान काफी परेशानी में रहते हैं। जल-जमाव के कारण हजारों-हजार एकड़ भूमि में फसल की बरबादी होती है, रोपाई नहीं हो पाती है और बाढ़ के समय, प्राकृतिक विपदा के कारण वहां के किसानों की फसल का हमेशा नुकसान होता है।

एक अंतिम सुझाव के साथ हम अपनी बात समाप्त करेंगे। हम कहना चाहते हैं कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। मुझे याद है कि 32 रुपया जिन दिनों सीमेंट का रेट था, एक बार में बढ़ाकर 103 रुपया कर दिया गया। जो यहां के उद्योगपति हैं, अपनी पूंजी और मजदूरी की लागत और उसमें जो मैटीरियल लगता है, उसकी लागत जोड़कर, उसके बाद मुनाफे का हिसाब लगाकर भारत सरकार से ठप्पा लगवाते हैं और उस दाम पर उनका उत्पाद बिकता है लेकिन किसान जो अपने खेत में फसल उगाते हैं, उनके मूल्य का निर्धारण कौन करता है? इसलिए मैं चाहूंगा कि राज्य के पैमाने पर किसानों की एक समिति बनाई जाए जिसमें किसानों के प्रतिनिधि 80 प्रतिशत रखे जाएं, व्यावसायिक वर्ग के प्रतिनिधि रखे जाएं, सरकार के प्रतिनिधि रखे जाएं और जितना किसानों को अपनी फसल उगाने में बीज का दाम, खाद का दाम, पानी का दाम और खेत का जो मूल्य होता है, उसका मूल्य जोड़कर किसानों की उस समिति द्वारा किसानों के उत्पाद का मूल्य निर्धारित किया जाए। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार उस मूल्य पर ठप्पा लगाएं और उसी हिसाब से किसानों की फसल बाजार में बिक्री के लिए जाए।

एक छोटा सा अनुरोध मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से करना चाहता हूं। हमारे यहां महवात में एक चीनी मिल है। छपरा और गोपालगंज में गन्ना खेती बहुत होती है। उस चीनी मिल में आठ करोड़ रुपया किसानों का छः साल से बकाया है। आज वहां के किसान भी भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। कृषि मंत्री जी यहां मौजूद हैं। हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आपकी सरकार के कलम में ताकत हो तो उन किसानों के आठ करोड़ रुपये का भुगतान जल्दी से जल्दी कराइए। सिर्फ भाषण देने और वाद-विवाद से काम चलने वाला नहीं है। हम कहना चाहते हैं कि किसानों के हित में व्यावहारिक दृष्टिकोण से कानून बनाकर जो किसानों के हित में हो, उसे लागू किया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

अपराह्न 6.00 बजे

श्रीमती कैलाशो देवी (कुरूक्षेत्र) : अध्यक्ष महोदय, मैं दो दिन से अपने हरियाणा प्रदेश के किसानों के विषय में बोलने का इंतजार कर रही हूं। मुझे केवल दो मिनट का समय दिया जाए। हमारे हरियाणा प्रदेश की तरफ से कोई नहीं बोला है....... *(व्यवधान)* मैं केवल दो मिनट के लिए आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि हमारे हरियाणा प्रदेश में.... ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं।

[अनुवाद]

महोदया, आपको बोलने के लिए पुकारा गया था परन्तु आप सदन में उपस्थित नहीं थीं।

.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री वीरेन्द्र सिंह, कृपया आप बोलिए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल) : अध्यक्ष महोदय, मैंने सुबह से आपको नाम दिया हुआ है। हम नये सदस्य आये हैं, हमें भी बोलने का टाइम दीजिए।.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलना चाहूंगा। इसलिए मुझे बोलने का अवसर दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा। कृपया बैठिए।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी) : अध्यक्ष महोदय, सदन का समय बढ़ाया जाए।.......*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : अध्यक्ष महोदय, सदन का समय आधा घंटे और बढ़ा दिया जाए और इसको आज ही पूरा कर लिया जाए। जो तीन दिन आपने दिये हैं.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : चर्चा में भाग लेने के लिए अभी भी बहुत से सदस्य हैं। यदि सभा सहमत हो तो हम सभा की अवधि एक घंटे बढ़ा सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : हाँ।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, एक घंटे समय बढ़ा दिया जाए।

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : अध्यक्ष महोदय, हम इस प्रस्ताव से सहमत हैं, एक घंटे समय बढ़ा दिया जाए। जितने सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं, सबको बोलने का समय दें।

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : अध्यक्ष महोदय, जो चर्चा आज सदन में चल रही है इस कृषि प्रधान देश के कई प्रदेशों में किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, इस संदर्भ में ही चल रही है। इसमें दुखद यह है कि इस कृषि प्रधान देश में यह आम चर्चा आती है कि यह किसानों का देश है, गांवों का देश है, वहां पर किसानों ने आत्महत्याएं क्यों की हैं। सवाल यह उठता है कि किसानों ने आत्महत्याएं क्यों की हैं। उसका सीधा सा उत्तर यह है कि किसानों के परिश्रम का पसीने का जो पारिश्रमिक उनको मिलना चाहिए था वह उचित नहीं मिल पाया। मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। यह सवाल केवल कुछ प्रदेशों का ही नहीं है जहां पर किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। ऐसी परिस्थितियां अगर खड़ी हो गई तो मैं समझता हूं कि इस देश के सभी प्रदेशों के किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जायेंग और इन परिस्थितियों को रोकने के लिए चाहे इस पक्ष के लोग हों या उस पक्ष के लोग हों, सभी को इस बिंदु पर एकमत होना होगा कि ऐसी परिस्थितियां पैदा न हों जिससे किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएं। दक्षिण भारत में जिन किसानों ने आत्महत्या की, उसका कारण यह है कि कृषि के द्वारा जो उनको पारिश्रमिक मिलना चाहिए था, उनके परिश्रम के पसीने से वह नहीं मिला, उनकी खेती मारी गई, चाहे दैवीय आपदा हो, चाहे जिस कारण से खेती मारी गई हो, किसानों ने आत्महत्या कर ली। उत्तर भारत में कुछ ऐसी परिस्थितियां जहां-तहां खड़ी हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, किसानों को खुशहाल करने के लिए ट्रैक्टर दिया जाता है कि किसान खेत की जुताई करेगा, उसकी खेती बढ़ेगी, खेती की पैदावार बढ़ेगी। लेकिन ट्रैक्टर के लिए ऋण की जिस प्रकार व्यवस्था की गई है, उसमें किसान को ट्रैक्टर खरीदने के लिए ऋण दिया जाता है। ट्रैक्टर के माध्यम से वह खेत में जुताई करता है। लेकिन खेती से जो पैदावार होती है उससे वह इतना नहीं कमा पाता है कि ट्रैक्टर का ऋण चुकता कर सके। जब वह ऋण चुकता नहीं कर पाता है तो सरकार ने जो ऋण नीति बनाई है उसके तहत किसान की जमीन मॉर्टगेज की जाती है, वह बैंक में गिरवी रखी जाती है और ऋण चुकता न कर पाने की स्थिति में उसकी जमीन नीलाम कर दी जाती है।

अध्यक्ष महोदय कम पैसे में किसान की जमीन को नीलाम कर दिया जाता है।

अपराह्न 6.05 बजे

[श्री रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए]*

सभापति महोदय, सरकार की ऋण नीति के तहत जो किसान ट्रैक्टर खरीदने के लिए ऋण लेता है और ऋण वापस न करने के कारण उसकी जमीन नीलाम कर दी जाती है क्योंकि उसकी जमीन बैंक में मार्टगेज की हुई होती है। जब उसकी जमीन नीलाम हो जाती है, तो वह भूमिहीन हो जाता है। अगर मंत्री महोदय मेरी बात को ध्यान से सुनें और उसे कार्यान्वित करें, तो इसके लिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। इससे किसानों की बहुत बड़ी समस्या हल हो सकेगी। किसान की जमीन को औने-पौने दाम पर नीलाम करके किसान को जिस प्रकार से भूमिहीन बनाया जाता है, उस संकट से किसान उबर सकेगा। किसान ट्रैक्टर खरीद कर खुशहाल होने का सपना देखता है और बैंक का ऋण न पटा पाने के कारण उसकी जमीन नीलाम हो जाती है और उसका सपना चूर-चूर हो जाता है। उस संकट से बचा जा सकता है। वह सुझाव यह है कि उसकी जमीन को बैंक द्वारा नीलाम न किया जाए, बल्कि बैंक स्वयं किसान की जमीन का बंदोबस्त तब करे जब तक कि किसान का ऋण चुकता न हो जाए और जब किसान के ऊपर चढ़ा बैंक का ऋण चुकता हो जाए, तो फिर वह जमीन उसको हस्तांतरित कर दी जाए जिससे वह अपनी जमीन को फिर से जोत-बो कर अपनी

जीविका चला सके। ऋण लेते समय यदि बैंक और किसान के बीच इस प्रकार का एग्रीमेंट हो जाए, तो मैं समझता हूं कि किसान खुशहाल हो सकता है। यदि वर्तमान स्थिति बनी रही, तो वह दिन दूर नहीं जब उत्तर भारत में भी किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगा।

सभापति महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान है। यह देश गांवों का देश है। इस देश में वह शक्ति है जो न केवल अपने खाने के लिए अपितु दुनिया के खाने के लिए अन्न पैदा कर सकता है, लेकिन कैसे देगा। वह इसलिए नहीं दे पाता है कि लोहे के कारखाने में पैदा होने वाले माल की कीमत उस कारखाने का मालिक तय करता है, लेकिन किसान के खेत में पैदा होने वाले अन्न और उसके द्वारा रखी जाने वाली गाय-भैंस के दूध की कीमत कृषि मंत्रालय तय करता है और ऐसे लोग उसमें होते हैं जिन्होंने कभी किसी खेत में पैर तक नहीं रखा होता। पहले हम विपक्ष में थे, मगर अब हम सत्तारूढ़ पार्टी में हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि कृषि पर चर्चा करते समय हम सब एक ही स्वर में बोलते हैं और मैं तो समझता हूं कि हिन्दुस्तान में कृषि के विषय में बात करने पर पूरे हिन्दुस्तान में एक ही बात होगी, कहीं भी दूसरा स्वर सुनाई नहीं देगा। मेरा सुझाव कड़वा हो सकता है, लेकिन अपनी सरकार को कड़वा सुझाव देने में संकोच नहीं करना चाहिए। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं, कृषि मंत्री जी किसान के माल का दाम तय करने का अधिकार आप किसान को दे दीजिए। यदि आप यह फैसला करेंगे, तो 1952 से लेकर आज तक का यह एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसला होगा जिसकी मिसाल नहीं मिलेगी और आपकी वाहवाही हो जाएगी। आप ऐतिहासिक कृषि मंत्री कहलाए जाएंगे। अब तक चाहे श्री जगजीवन राम कृषि मंत्री रहे हों या कोई और कृषि मंत्री रहे हों, यदि आपने यह फैसला कर दिया, तो आपकी मिसाल नहीं मिलेगी। इसलिए मैं फिर दोहराता हूं कि किसान द्वारा पैदा किए गए माल की कीमत किसान द्वारा तय किए जाने की योजना आप बनाएं। इसी प्रकार से किसान द्वारा जो दूध और घी पैदा करने की योजना है, उस पर भी ध्यान दीजिए। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा, तो दक्षिण भारत की तरह उत्तर भारत के किसान भी आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। सभापति महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाहता हूं। हम देख रहे हैं कि कृषि क्षेत्र में विदेशी कंपनियों का आधिपत्य बढ़ता जा रहा है। ''स्वदेशी'' और ''स्वावलंबन'' का नारा न केवल सरकार देती है, बल्कि यहां सारा सदन देता है, लेकिन मैं यह समझ नहीं पाया कि ''स्वदेशी'' का नारा हरा, पीला या लाल कैसे होता है। आनन्द मोहन जी, राष्ट्र भक्ति का दूसरा नाम ''स्वदेशी'' होता है।

आपकी देशभक्ति में अगर कहीं शंका नहीं है तो इधर बैठने वाले लोगों की राष्ट्रभक्ति पर भी आप शंका मत करिये। हिन्दुस्तान के गांव की चिन्ता करने वाले लोग, हिन्दुस्तान के गांव की खुशहाली चाहने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी में भी रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ काम भी करते हैं। आपको यह भ्रम न हो कि हम इस सरकार में बैठे हैं तो हमें हिन्दुस्तान के गांवों की चिन्ता नहीं है। हिन्दुस्तान के गांवों की यदि कोई चिन्ता नहीं करेगा तो सत्ता पक्ष.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : समय बहुत कम है और बोलने वाले ज्यादा हैं इसलिए आप बैठ जाइये।

श्री वीरेन्द्र सिंह : मैं आपके माध्यम से एक बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं।.......*(व्यवधान)* मैं जो बात कर रहा हूं, वह आपको खराब नहीं लगेगी।.......*(व्यवधान)* जब आप यहां बैठते हैं तो हमेशा कहते रहते हैं।.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों को समय नहीं मिलता, वह मुझे खराब लगता है। इसलिए संक्षेप में भाषण करना ज्यादा जमता है।

श्री वीरेन्द्र सिंह : मैं संक्षेप में ही बोल रहा हूं। जब आप खुद लम्बा भाषण देते हैं तो वहां आप कैसे संक्षेप में चाहते हैं। आप भी इधर से यही बोलते हैं तो वहां जाने पर ऐसा मत बोलिये।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि विदेशी कम्पनियों का अधिपत्य कृषि क्षेत्र में न हो, इसका निर्णय इस सदन को करना चाहिए चाहे वह सरकारी पक्ष के हों या विपक्ष के हों। इस देश को स्वावलम्बी बनाने के लिए, इस देश को राष्ट्रभक्ति का संदेश देने के लिए हिन्दुस्तान के गांवों को मजबूत करना होगा, हिन्दुस्तान के खेत-खलिहान में काम करने वाले लोगों को मजबूत करना होगा तब जाकर हिन्दुस्तान के गांवों में रहने वाले किसानों की आत्महत्या की प्रवृत्ति रुकेगी। अंत में मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। गंगा का मैदान दुनिया का सबसे बड़ा उपजाऊ क्षेत्र है। उस उपजाऊ क्षेत्र के बारे में आपको सुनकर चिन्ता होगी और आश्चर्य भी होगा कि इस समय सबसे कम उपज गंगा के मैदान में हो रही है। मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि गंगा के मैदान को अगर आपने सिंचित कर दिया और उस पर सिंचाई की व्यवस्था कर दी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया के सारे देशों को गंगा का मैदान अकेला अनाज देगा, अकेले उनका पेट भरने का काम करेगा।

सभापति महोदय, पहाड़ी क्षेत्रों में हमारा क्षेत्र मिर्जापुर बदोई संसदीय क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्रों में भी खेती करने की योजना किस तरह से बनाई जाये, यह आपको देखना होगा। वहां जो छोटे-छोटे नाले हैं। उनको बांधकर अगर सिंचाई की व्यवस्था की जाये तो मैं समझता हूं कि हजारों एकड़ जमीन कृषि योग्य हो सकती है। इससे किसानों को कृषि का लाभ मिलेगा जिससे वे आत्महत्या नहीं करेंगे। हिन्दुस्तान जैसे कृषि प्रधान देश में किसान आत्महत्या करता है, उसे रोकने के लिए सामूहिक प्रयास इस सदन के द्वारा होना चाहिए और यह दोषारोपण नहीं होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनकी नीतियों के कारण किसान आत्महत्या कर रहा है। यह स्थिति पूरे देश की है, पूरे सदन की है और सबसे बड़े पंचायत की है। अगर सब लोग इस जिम्मेवारी का निर्वाह करेंगे तो मैं समझता हूं कि किसानों की खुशहाली का दिन लौटेगा। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : आदरणीय सभापति जी, तीन दिन से हम इस बहस को बड़े जोरशोर से सुन

[श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी]

रहे हैं। भारत वर्ष के किसानों की जो हालत है, उसको देखते, सुनते मेरे दिल में भी बहुत दुख हुआ है। मैं भी एक किसान की संतान हूं।

[अनुवाद]

मैं उन किसानों, जिन्होंने देश के दलित कृषि समुदाय के लाखों किसानों के लिए संघर्ष करते हुए आत्महत्या करके अपने बहुमूल्य जीवन की आहुति दी, के शोक संतप्त परिवारों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि, खेद और संवेदना प्रकट करना चाहता हूं।

आज मैं उन किसानों को अपनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे देश के किसानों के उद्धार के लिए संघर्ष करते हुए शहीदों के समान आत्महत्या कर अपने जीवन का बलिदान किया। अधिकांश किसानों की हालत बहुत अधिक शोचनीय है।

[हिन्दी]

कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में जो आत्महत्या के कांड हुए, उसके साथ-साथ हमारे एन्टायर नार्थ-ईस्टर्न रीजन में भी किसानों की जो हालत हुई, उसके बारे में आप लोगों का कितना ध्यान गया है, मुझे यह मालूम नहीं है। आज हमारे बौडोलैंड एरिया यानि असम में वैसी आत्महत्या की घटना नहीं होने पर भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है।

[अनुवाद]

जो हमारे दलित किसानों को आत्महत्या करने के लिए बाध्य कर रही हैं असम के समूचे क्षेत्र विशेषरूप से प्रस्तावित बोडोलैंड के भीतर आदिवासी किसानों को जिस तरह के विशेषाधिकार और सुविधाएं दी जानी चाहिए, अभी तक मुहैया नहीं कराई गई हैं।

पिछले वर्ष से समूचे बौडोलैंड में सूखे की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो रही है। पिछले वर्ष मैंने केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री चतुरानन मिश्र से भेंट की थी। मैंने उनसे अनुरोध किया था कि समूचे बोडोलैंड को 'गम्भीर सूखाग्रस्त क्षेत्र' घोषित करें और प्रभावित किसानों के कल्याण के लिए केन्द्र द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ऋणदान के बतौर कम से कम 100 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करें। लेकिन मेरे अनुरोध पर कोई विचार नहीं किया गया। मैं इस सम्मानीय सभा और माननीय सभापति महोदय के माध्यम से भारत सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि समूचे बौडोलैंड क्षेत्र को गम्भीर सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करें और असम के समूचे क्षेत्र विशेषरूप से बोडोलैंड के कमजोर आदिवासी लोगों अर्थात् आदिवासी किसानों के कल्याण और सुरक्षा के लिए केन्द्र द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अनुदान के बतौर कम से कम 100 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करें।

[हिन्दी]

वहां तो फर्टिलाईजर का कोई सवाल ही नहीं उठता। भारत सरकार की तरफ से जो रुपया दिया जाता है। उसमें से कितना रुपया बोडोलैंड एरिया में पहुंचता है। सबसे बड़ा यही सवाल है।

[अनुवाद]

अतः मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह असम की पूर्ववर्ती राज्य सरकारों द्वारा इस मामले में किए गए कार्य का जायजा लेने के लिए एक उच्चस्तरीय जांच आयोग का गठन करे।

मैं भारत सरकार से यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि वह बोडोलैंड क्षेत्र के साथ-साथ भूटान और अरूणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियों पर कुछ व्यवहार्य बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण करने के वास्ते कुछेक ठोस कदम उठाए और एक कार्य योजना तैयार करे। अब तक बोडोलैंड में केवल दो सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। लेकिन इन दोनों परियोजनाओं को भी अभी तक चालू नहीं किया गया है लेकिन हमें रहस्यमय लगता है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने इन दोनों परियोजनाओं के चालू होने की घोषणा पहले ही कर दी थी।

[हिन्दी]

और बयान दिया कि पानी सिंचाई के काम आ रहा है, जबकि वास्तविकता यह नहीं है, क्योंकि खेती के मैदान में पानी आज तक नहीं पहुंचा है।

[अनुवाद]

एक विशेष परियोजना अर्थात चम्पा सिंचाई परियोजना पर 100 करोड़ रुपए पहले से खर्च किए जा चुके हैं

[हिन्दी]

आज भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है।

[अनुवाद]

महोदय, मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि संबंधित प्राधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच आयोग गठित किया जाए। मैं भारत सरकार से यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि कोकराझार में एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए ताकि हमारे क्षेत्र के आदिवासी युवाओं को कृषि वैज्ञानिक और कृषि तकनीकी विशेषज्ञ बनने का अवसर मिल सके। इसका एक कारण यह भी है कि दूसरे गैर-आदिवासी अधिकारी बौडोलैंड क्षेत्र में काम करने के इच्छुक नहीं होते हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : ठीक है, एक मिनट में कन्कलूड कीजिए।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : इसलिए मेरा एक और सुझाव भी है कि

[अनुवाद]

पूरे देशभर में आदिवासी किसानों के लिए एक पृथक राजकोष आवंटित होना चाहिए।

[हिन्दी]

और ट्राइबल फार्मर्स को सब्सिडी ट्रैक्टर पर देनी चाहिए।

सभापति महोदय : ठीक है, अब समाप्त कीजिए।

[अनुवाद]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : महोदय, इन कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। लेकिन मैं भारत सरकार से पुनः यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इस क्षेत्र की गंभीर समस्या पर और बोडो लोगों व दूसरे आदिवासी किसानों, जो काफी लम्बे समय से प्रस्तावित बोडोलैंड क्षेत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं, द्वारा उठाई जा रही भीषण कठिनाईयों के बारे में गंभीरता से विचार करे।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : श्री के.डी. सुल्तानपुरी। आप बहुत ही संक्षेप में बोलें और भी कई माननीय सदस्यों को अभी बोलना है।

श्री के.डी. सुल्तानपुरी (शिमला) : माननीय सभापति महोदय, मैं कल से बोलने के लिए बैठा हूं। अब आप चेयर पर हैं इसलिए मुझे थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिल जायेगा।

आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में और उड़ीसा में, पंजाब में, हरियाणा में जो किसानों की मौतें हुई हैं, उसके लिए बहुत भारी अफसोस है। राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में मांग भी की है कि उन्हें इसकी पूर्ति करने के लिए भारत सरकार पैसा दे। राज्य सरकारों की तरफ से यह निवेदन भारत सरकार को आया है, लेकिन अभी तक भारत सरकार ने कोई दिशा-निर्देश नहीं दिया कि कितना पैसा उन राज्य सरकारों को दिया गया है। इस तरह से सारे देश के अन्दर जहां-जहां भी ये मौतें हुई हैं, उनको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, चाहे वह बंगाल में हो, वहां भी फ्लड से लोग मरे हैं, उड़ीसा में भी बहुत से लोग मरे हैं। भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में अपनी टीम भी वहां भेजी हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश का खास तौर पर मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि वहां के किसानों से सम्बन्धित मामला है। हिमाचल प्रदेश में भी 120 किसानों की भूचाल आने की वजह से मृत्यु हुई जो रोड़ सबडिवीजन में घरगांव नामक एक गांव में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। वहां सारा पहाड़ टूटकर गिर गया, जिससे उनके मकान नष्ट हो गये और वहां कुछ नहीं रहा। इसमें ज्यादा जो नुकसान हुआ, वह उत्तर प्रदेश में हुआ। पांवटा, जिला सरमौर (हिमाचल प्रदेश) की वैली में जो फ्लड आया, उसमें किसानों की सारी जमीन उस फ्लड में भूमि के कटाव की वजह से नष्ट हो गई और सारी भूमि का नुकसान हो गया। उससे कई किसानों का बहुत भारी नुकसान आज तक भी फ्लड आने से हो रहा है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे यहां जो ज्यादातर पैदावार होती है, वह फल की होती है। सेब, आलू और स्टोन फ्रूट की फसल वहां होती है। उससे हमारे यहां के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, लेकिन उसमें भी कोई ऐसा कीड़ा लग गया है कि उसमें बीमारी लगने की वजह से वह खराब हो गई और कुछ ओलावृष्टि की वजह से, क्योंकि इस बार ज्यादा ओलावृष्टि हुई है और वह हिमाचल प्रदेश के 12 के 12 जिलों में हुई है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि उस नुकसान को भी किसान बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। कोई भी सरकार हो, किसानों के ऊपर गोली नहीं चलानी चाहिए, इस बात से मैं भी सहमत हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में काफी समय पहले तीन किसान गोली चलने से मारे गए थे। वहां वे सेब का समर्थन मूल्य की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई और तत्कालीन सरकार ने उन पर गोली चलाई, जिसके फलस्वरूप तीन लोग मारे गए। वे लोग मेरे ही क्षेत्र के थे। यहां हमारे मित्र शांताकुमार जी बैठे हुए हैं, वे उस समय वहां के मुख्यमंत्री थे। उनके समय में गोली चली थी और तीन लोग मारे गए थे।

मेरा अनुरोध है कि किसानों को समर्थन मूल्य 5 रुपए मिलना चाहिए। इस बहस में भाग लेते हुए केरल, बिहार और अन्य प्रदेशों के सदस्यों ने भी मांग की है कि किसानों को समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। लेकिन आज हम देखें कि समर्थन मूल्य तय करने वाला कौन है, इसके लिए जो समिति बनी है उसमें न तो किसान हैं, न किसानों की कोई समिति है और न ही किसानों के किसी नेता को शामिल किया गया है। कुछ नौकरशाह और सांइटिस्ट जो बड़ी-बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, वे मूल्य निर्धारित कर देते हैं और हमारे मंत्री जी उनके द्वारा बनाई गई रिपोर्ट को यहां पढ़ देते हैं। मेरा कहना है कि अगर किसानों के बारे में आपको कुछ सोचना है, उनके लिए समर्थन मूल्य निर्धारित करना है और हर प्रदेश के किसानों की हालत सुधारनी है तो किसानों के जो संगठन हैं, सांसद हैं, जिन्होंने इस बहस में भाग लिया, उनको शामिल किया जाए। हमारे मंत्री जी बड़े समझदार हैं, उनको इधर का और उधर का दोनों तरफ का तजुर्बा है। मुझे उम्मीद है कि वे कम से कम किसानों के बारे में जरूर सोचेंगे। इस तरफ का तजुर्बा इसलिए कह रहा हूं कि ये काफी समय तक विपक्ष में रहे हैं और आज सत्ता पक्ष में हैं, ये खुद किसान परिवार से आते हैं और बड़े अच्छे हैं। इसलिए वे यह जरूर सोचें कि कैसे किसानों का भला हो सकता है, क्योंकि आप जब इधर थे तब भी चाहते थे कि किसानों का भला हो।

जब तक पहाड़ी इलाकों में सिंचाई का सिस्टम ठीक नहीं होगा, तब तक वहां का विकास नहीं हो सकता। आपने सुबह प्रश्नकाल के समय उत्तर देते हुए कहा था कि बरसाती पानी से सारे पहाड़ नगे हो रहे हैं। यह ठीक बात है। हमारे यहां पहाड़ों पर दरख्त नहीं रहे, लोग पत्थर काटकर चूना निकाल रहे हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में देहरादून के इलाके में और पौंटा के ऊपर का जो शिलाई का इलाका है, वहां भी बेशुमार चूने का पत्थर निकालने का काम चल रहा है। भारत सरकार का फारेस्ट विभाग वहां जाता है और करोड़ों रुपये की कमाई कर रहा है। इससे किसानों को नुकसान होता है। हमारे यहां पहाड़ी इलाकों में पेड़ कट रहे हैं, उससे भूमि

[श्री के. डी. सुल्तानपुरी]

का कटाव हो रहा है इससे पंजाब का नुकसान हो रहा है, क्योंकि वहां बाढ़ आती है। वहां खेती के एरिया को काफी नुकसान हो रहा है। हम तीन लोग जमीन पर पेड़ लगाना चाहते हैं। अगर सरकारी जमीन पर कोई पेड़ नहीं है तो आप उसको उस इलाके के लोगों को अलाट कर दें, जिससे वे वहां सेब के पेड़ लगा सकेंगे। इससे उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और देश का भी भला होगा। इस तरह से फारेस्ट विभाग को भी नुकसान नहीं होगा। किसान मुफ्त में यह कार्य करेगा और अपनी आमदनी को भी बढ़ाएगा। यह नहीं होगा कि वह स्वयं पेड़ काटे। जितनी तादाद में हमारे यहां पेड़ कट रहे हैं, उनको रोकने का इंतजाम सरकार नहीं करेगी तो पंजाब में अधिक फ्लड आएगा और वहां की खेती को नुकसान होगा। किसानों की हर साल बहुत बुरी दशा हो रही है। आप हरियाली की बात करते हैं, चुनावों में नहर की बात होती है, लेकिन वह नहर वहीं की वहीं रह जाती है और उस पर करोड़ों रुपये खर्च हो जाते हैं, लेकिन काम अधूरा ही रहता है। इससे किसान परेशान हैं, उसको पानी नहीं मिलता। हमारे जो पड़ौसी राज्य हैं, वहां भी ऐसी हालत हो गई है कि किसान अपने आपको असहाय पा रहा है, उसका कोई वारिस नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप इस तरफ तवज्जोह देंगे और किसानों का भला करेंगे।

उनकी मदद करने के लिए प्रयत्न करेंगे। जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, वे दोहरी मार खाते हैं। एक तो जमीदारों से और दूसरे सरकार की तरफ से।

जो जमीन पट्टे पर एलॉट हुई है, वह गरीब लोगों के विकास के लिए एलॉट की गई हैं। उनको बैंक की तरफ से भी लोन दिया जाना चाहिए। उनके साथ इस तरीके से न हो कि हर रोज वे बैंक में जाएं और बैंक के मैनेजर उनको पैसा न दें। इस तरह से किसानों की मदद की जानी चाहिए। जब तक हम उनकी मदद नहीं करेंगे तब तक उनका विकास नहीं हो सकेगा। चाहे आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार और बंगाल में हुई मौतों का संबंध है, उनके साथ हमारे देश के सभी लोगों को हमदर्दी है। मैं समझता हूं कि आप इस संबंध में जरूर कुछ कारगर कदम उठाएंगे। हिमाचल प्रदेश के किसानों को खुशहाल करने के लिए उनकी फसल का समर्थन मूल्य उन्हें दिया जाना चाहिए। मैंने माननीय प्राइम मिनिस्टर को भी चिट्ठी लिखी है। मैं उसे पढ़ता हूं कि हमारा इतना नुकसान हुआ और मेरे पास जवाब आया है कि हमने सरकार को इतना पैसा दिया जबकि 400 करोड़ रुपए हिमाचल सरकार ने पैसा मांगा था लेकिन आपने उस पैसे को तोड़-मरोड़कर.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है, अब समाप्त करिए। अब चिट्ठी तो गई हुई है, लोग वहां पढ़ लेंगे। यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब समाप्त किया जाए।

श्री के.डी. सुल्तानपुरी : किसानों की तरफ तवज्जोह दी जाए। उनके लिए समर्थन मूल्य सेब का 5 रुपये दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

अपराह्न 6.32 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 15/98 जो 3 जून, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय सामान्यतः पेट्रोल के रूप में ज्ञात वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क को मूल्यानुसार 35 प्रतिशत से घटा कर मूल्यानुसार 32 प्रतिशत करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 376/98]

अपराह्न 6.33 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

किसानों को उनके कृषि उत्पादों का लाभकारी मूल्य न दिए जाने के कारण देश के विभिन्न भागों में उनके द्वारा की गई आत्महत्या की घटनाएं – *जारी*

[हिन्दी]

श्रीमती कैलाशो देवी (कुरुक्षेत्र) : सभापति महोदय, आज इस सदन में अत्यंत ही संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा की जा रही है।

सभापति महोदय : कृषि मंत्री कहते हैं कि उन्हें केवल सुझाव चाहिए।

श्रीमती कैलाशो देवी : भूमिका तो बनानी पड़ेगी। यह बड़ा गंभीर मामला है। आखिर किसान ऐसा आत्मघाती कदम उठाने पर क्यों मजबूर हुआ? क्योंकि जब किसान को अपने पसीने का उचित प्रतिफल नहीं मिला, उसे आशा की कोई किरण नज़र नहीं आई तो निराशा के घोर अन्धकार में डूबकर किसान ने यह आत्मघाती कदम उठाया तथा इसका हल हम अपने ढंग से लेकर, अपनी जिम्मेदारी से अपना पल्लू नहीं झाड़ सकते। हर कोई कहता आया है कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है लेकिन जब किसान के लिए कुछ करने की और कुछ देने की बात आती है तो हर कोई अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेता है। सबसे बड़ी आवश्यकता उन्हें बिजली तथा पानी देने की है। मेरे हरियाणा में बिजली और पानी की भयंकर समस्या है। अपने क्षेत्र के दौरे के दौरान मुझे बतलाया जाता है कि गांवों में पन्द्रह-पन्द्रह दिनों तक बिजली और पानी के दर्शन नहीं होते। आज हरियाणा प्रदेश में हविपा-भाजपा गठबंधन की सरकार सत्तारूढ़ है। इस सरकार ने चुनाव से पूर्व अपने चुनावी घोषण पत्र में तीन मुद्दे विशेष रूप से रखे थे। एक तो यह कि छः महीने में सतलुज-यमुना लिंक नहर और दादूपुर-नलवी नहर बना दी जाएगी। नब्बे दिनों में हरिद्वार से गंगा का पानी आ जाएगा और फसली बीमा योजना लागू की जाएगी

लेकिन आज उस सरकार को सत्तारूढ़ हुए दो साल हो गए हैं लेकिन आज तक इन परियोजनाओं को, इन चुनावी वादों को ठंडे बस्ते में से निकालकर उन्हें पढ़ने की भी जरूरत महसूस नहीं की गई।

सभापति महोदय, जब तक केन्द्र में भा.ज.पा. गठबंधन की सरकार सत्तारूढ़ है और हरियाणा प्रदेश में हविपा-भाजपा गठबंधन की सरकार है तो केन्द्र सरकार को हरियाणा सरकार को इन योजनाओं को लागू करने के लिए बाध्य करना चाहिए ताकि उन्हें अविलम्ब लागू किया जा सके। मेरी पार्लियामेंट्री कांस्टीट्युएंसी में गुहला, रादौर, केहवा, थानेशर और शाहबाद में दादरी घग्गर और मारकन्डा नदियों में हर वर्ष बाढ़ के आने से हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो जाती है क्योंकि बाढ़ को रोकने के लिए कोई कदम आज तक केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा नहीं उठाए गए हैं जिसके कारण किसानों को भारी क्षति हो जाती है। राज्य सरकार के द्वारा राहत के नाम पर पचास-पचास रुपए का चैक देकर किसानों के साथ भद्दा मजाक किया जाता है।

ऐसा हरगिज नहीं किया जाना चाहिए। जब किसान नहीं रहेगा, तो हिन्दुस्तान कैसे रह पायेगा। मैं केन्द्र सरकार से पुरजोर अपील करती हूं, डांगरा नदी, घघर नदी और मारकंडा नदी पर अविलम्ब बांध बनाकर बाढ़ की समस्या को दूर किया जाना चाहिए। पहेवा और कूला हल्कों में किसान की पैदावार चरम सीमा पर है। इन तमाम समस्याओं के बावजूद पट्टेदारी की भी ज्वलंत समस्या है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार पट्टेदारी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए बाध्य की जानी चाहिए। मैं तो यह कहूंगी कि हरियाणा में ही नहीं, बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में फसल बीमा योजना लागू कर दी जाए और बिजली तथा पानी किसानों को मुफ्त मुहैया कराया जाना चाहिए। यदि इन दोनों चीजों को केन्द्रीय सरकार ईमानदारी से लागू करवा देती है, तो मैं समझती हूं कि किसानों की तमाम समस्याओं का समाधान हो सकता है।

महोदय, इसके साथ ही किसानों की फसल के लिए मार्केटिंग की भी सुविधा होनी चाहिए। स्टोरेज की सुविधा भी उपलब्ध करायी जानी चाहिए। बढ़ती हुई कीमतों के साथ फसलों के दाम भी अवश्य ही बढ़ाए जाने चाहिए। कुछ हद तक कर्जा माफी का प्रावधान भी केन्द्रीय सरकार को करना चाहिए। यूरिया की कीमत भी सरकार द्वारा ज्यादा कर दी गई है, इसको भी कम करना चाहिए। आज के हालात में किसान की गेहूं की फसल की कीमत भी 700 रुपए क्विंटल तय की जानी चाहिए। एग्रीकल्चरल कमीशन में जहां किसानों की फसल के रेट तय किए जाते हैं, वहां किसानों के प्रतिनिधि होने चाहिए, ताकि किसानों की आवाज को वहां उठाया जा सके। किसानों का सही प्रतिनिधित्व करके, किसानों के हकों को दबाने से रोका जाये।

सभापति महोदय : सारे पाइंट हो गए हैं, अब आप समाप्त कीजिए।

श्रीमती कैलाशो देवी : यह तभी संभव होगा, जब केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार को इन तमाम योजनाओं को ईमानदारी से लागू करने के लिए बाध्य किया जाएगा।

कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए यदि तमाम समस्याओं के समाधान के लिए कृषि बजट में ज्यादा से ज्यादा धन का प्रावधान किया जाएगा, तो समस्याओं का समाधान हो सकता है। मैं केन्द्रीय सरकार से पुरजोर अपील करती हूं कि किसानों के लिए अविलम्ब ज्यादा देरी न करते हुए कम से कम इन दो योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना चाहिए। साथ ही फसल बीमा योजना और पानी तथा बिजली की सुविधायें भी मुहैया करायी जानी चाहिए। किसान अन्न पैदा करके न केवल हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों का पेट भरता है, बल्कि हिन्दुस्तान को आत्म-निर्भर बनाता है और विदेशों से भीख न मंगवाने वाला हमारे देश का किसान ही है। जब हम आस्ट्रेलिया से मंहगे दामों पर अनाज मंगा सकते हैं, तो क्या हम अपने देश में किसानों को सस्ते दामों पर सुविधायें उपलब्ध कराकर, बिजली और पानी मुफ्त देकर, अपने देश में अन्न का उत्पादन नहीं बढ़ा सकते हैं।

सभापति महोदय : अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्रीमती कैलाशो देवी : महोदय, ये राष्ट्रीय समस्यायें हैं। किसान को खुशहाल बनाना चाहिए, नहीं तो अभी किसानों द्वारा आत्महत्यायें एक राज्य में हो रही हैं फिर देश के दूसरे राज्यों में भी किसानों द्वारा आत्महत्यायें होंगी और किसान आत्मघाती कदम उठाता रहेगा। हरियाणा राज्य में कांग्रेस के राज्य में भी, तोहाना और अन्य क्षेत्रों में, किसानों को गोलियों से भूना गया है। अभी तो राज्य में हविपा और भाजपा का गठबंधन है।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्रीमती कैलाशो देवी : मटियाली क्षेत्र में भी किसानों पर गोलियां चलाई गई और किसानों को गोलियों से छलनी किया गया। मैं कहना चाहूंगी, केन्द्रीय सरकार कान खोल कर सुन ले, धरती मॉं के सच्चे किसान का लहू जब धरती के सीने पर गिरता है, तो धरती अन्न की जगह आग उगलती है।

सभापति महोदय : शान्त। आप अपना आसन ग्रहण कीजिए।

श्रीमती कैलाशो देवी : महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि ईमानदारी से इन योजनाओं को लागू किया जाएगा, तो किसानों की समस्याओं का समाधान हो सकता है।

[अनुवाद]

***श्री बी.एम. मेनसिंकई** (धारवाड़ दक्षिण) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने किसानों के कल्याण संबंधी इस महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर दिया जो कि इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। मैं अपने दल, लोकशक्ति की ओर से उन गंभीर समस्याओं से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना चाहता हूं जिनका सामना किसानों को करना पड़ता है। अब तक मेरे अनेक माननीय सहयोगी अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं और हमारे

* मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्री बी.एम. मेनसिंकई]

किसानों के समर्थन में बहुत ही तर्कसंगत सुझाव दे चुके हैं। किसानों के हितों के समर्थन के लिए मैं भी अपने सहयोगियों के साथ हूं। अंग्रेजो ने अपने किसान के हितों की रक्षा के लिए 1913 में अपने देश में लगभग सौ वर्ष पूर्व 'कार्न एक्ट ऑफ इंग्लैण्ड' बनाया था। दुर्भाग्य से हमारे देश में आज भी किसानों को विनाश से बचाने के लिए कोई कानून नहीं है। अतः मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि किसानों की रक्षा के लिए कम से कम एक समिति गठित की जाए। कुछ दिन पहले कर्नाटक में धारवाड़ जिले में कुण्डागोल तालुका में कड़ापटी गांव के एक किसान ने कीटनाशक खाकर आत्महत्या कर ली। मैं स्वयं उसके घर गया और इस मामले के बारे में पूछ-ताछ की। उसके पास केवल दो एकड़ भूमि थी। अतः उसने अपने पड़ोसी से ठेके पर दस एकड़ भूमि ली और उस पर मिर्च उगाई। उसने एक लाख रुपए ऋण लिया था। मिर्च का उत्पादन बहुत कम हुआ। उसे प्रति एकड़ 20-25 कि.ग्रा. उपज मिली। इससे वह न तो ऋण पर ब्याज और न ही ऋण की किस्त अदा कर सका। यही उसकी मृत्यु का कारण था।

महोदय, इस किसान ने मिर्च की खेती की और मेरा उपनाम श्री मेनसिंकई (मिर्च) है। मैं यह दिखाने के लिए उदाहरण के तौर पर इसका उल्लेख कर रहा हूं कि हमारे देश में किसान कैसे मुसीबतों का सामना कर रहे हैं।

एक ओर तो यह उल्लेख करना अपमानजनक है कि धान, गोबिना, ज्वार और रागी जैसी महत्वपूर्ण फसलों के लिए कोई समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं है। और दूसरी ओर केन्द्र सरकार ने हाल ही में गेहूं के समर्थन मूल्य में 100 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की है यह भेदभाव क्यों है। विशेष रूप से कर्नाटक में व्यापारी, रागी, धान और ज्वार इत्यादि नहीं खरीदते हैं। किसान अपने खाद्यान्नों को बहुत कम कीमतों पर नहीं बेच सकते हैं। ये कारण किसानों को एक के बाद एक आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अतः यह उचित समय है कि केन्द्र सरकार विशेषरूप से रागी, ज्वार और धान जैसी फसलों के लिए समर्थन मूल्य के महत्व को समझे। किसानों को बचाने के लिए एक कानून बनाने की तत्काल आवश्यकता है। समर्थन मूल्य की समीक्षा की जानी चाहिए और मौजूदा स्थिति के अनुसार इसमें वृद्धि की जानी चाहिए। अन्यथा इस सम्माननीय सभा में मात्र भाषण देकर किसानों को नहीं बचाया जा सकता है।

***श्री वी. सत्यमूर्ति** (रामनाथपुरम) : माननीय सभापति महोदय, इस सम्माननीय सभा में तमिल में बोलने का अपना सौभाग्य समझता हूं तथा मुझे ऐसा करने पर गर्व होता है। इसके साथ ही जहां तमिल में भाषण देने का मुझे गर्व हो रहा है, वहीं दूसरी ओर भारतीय किसानों की बदहाली पर चर्चा करते हुए मैं अत्यंत दुःखी, चिंतित और शर्मिन्दा हो रहा हूं। ऐसे समय में जबकि हमारा देश आजादी की स्वर्ण-जयंती मना रहा है, इन किसानों को आत्महत्या के लिए विवश होना पड़ रहा है।

हमारी पार्टी अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम के प्रिय नेता स्व. डॉ० पुराची थलैवर (क्रांतिकारी नेता) एम.जी.आर. ने 1956 में नदोदी मन्नन' नामक एक फिल्म बनायी थी। उस फिल्म में एक क्रांतिकारी नायक जो आम आदमी है, राजसिंहासन प्राप्त करता है। उस अवसर का उपयोग करते हुए वह गरीब के लाभ के लिये कानून बनाता है। इस तरह कानून बन जाने से किसानों को खेत जोतने के लिये दो जोड़ी बैल मिलेगा। किसानों को कुसिया मुफ्त दी जायेगी। किसानों को दो थैली बीज मुफ्त दिये जायेंगे। उन्होंने अपने द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अभिनय किया था और यह फिल्म 1956 में रिलीज़ हुई थी। तब वह यह घोषणा करता है कि गरीबों के रहने के लिये बहुमंजिले मकान बनाये जायेंगे। तब मंत्रिमंडल में उसका एक सलाहकार पूछता है कि जिन गंदी बस्तियों में ये गरीब अब तक रह रहे थे उनका क्या होगा। चूंकि उन गरीबों को इन गंदी बस्तियों की जरूरत नहीं रह जायेगी इसलिए वह चाहेगा कि उन्हें जलाकर वहां से हटा दिया जाए। उसका यह सुनिश्चित करने का उत्साह तथा लक्ष्य था कि सभी गरीब खुशहाल हों। मैं भी अन्ना द्रविड़ मुनित्र कषगम में हूं। जिसकी स्थापना महान स्वप्नदृष्टा नेता ने की थी। मैं भी इस देश के किसानों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को उजागर करने वाली इस चर्चा में भाग लेना चाहता हूं।

भारत एक कृषि-प्रधान देश है जहां की 70% आबादी का पेशा खेती है। देश के आजाद होने के बाद अनेक प्रधानमंत्री तथा अनेक दल सत्तासीन हुए जिन्होंने देश की विशेषताओं का उल्लेख किया है। पर हम आज यह पाते हैं कि देश के अनेक राज्यों में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हम किसानों की समस्याओं के समाधान के लिये समान दृष्टिकोण नहीं अपना सकते। इस विशाल देश में कोई समान नीति नहीं हो सकती। यहां पहाड़ी क्षेत्रों के किसान भी हैं। नदी-घाटियों और डेल्टाओं में रहने वाले किसान सतत प्रवाहमान बड़ी-बड़ी नदियों से सिंचाई सुविधा प्राप्त करते हैं। ऐसे भी कुछ किसान हैं जो भूजल, गहरे भूमिगत जल पर निर्भर रहते हैं। कुछ ऐसे भी किसान हैं जो नदियों और भूमि जल के अभाव में पानी के एकमात्र स्रोत वर्षा की ओर टकटकी लगाये रहते हैं। ऐसी भूमि और ऐसे किसान अनेक राज्यों, जिलों में देशभर में पाये जाते हैं। अलग-अलग क्षेत्रों में प्राकृतिक और भौगोलिक परिस्थितियां अलग-अलग होती हैं। यदि हम केन्द्र सरकार में सत्तासीन होकर इस संसद में बैठकर पूरे देश के लिये कोई एक-समान योजना बनायेंगे तो हो सकता है इससे हम पूर्णतः लाभान्वित नहीं हो पायें। ऐसे में हम इस देश के सभी किसानों को पूर्ण रूप से लाभ नहीं पहुंचा सकते। गत 50 वर्षों में यही हुआ है।

मैं एक उदाहरण उद्धृत करना चाहूंगा। पिछले 10 या 15 वर्षों से केन्द्र सरकार अंतः स्रवण तालाब निर्माण नामक परियोजना पर करोड़ों रुपये का आबंटन और व्यय कर रही है। इस योजना के अंतर्गत एक अन्तःस्रवण तालाब के लिये 20 हजार रुपये दिये गये थे। यह धनराशि कोई 10 साल पहले निर्धारित की गयी थी। इस पैसे से वर्षा का पानी जमा करने के लिये एक वर्षा जल स्रोत पर एक दीवार बनायी जाती थी। इसका उद्देश्य भू-जल की संभावना बढ़ाना होता था। यहां पर बैठकर इस योजना को बनाने वाले नौकरशाहों को वस्तुस्थिति का ज्ञान नहीं होगा। इस पैसे से साढ़े तीन फुट की सिर्फ एक दीवार खड़ी की जा सकती थी। इससे स्रोत

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

में बहने वाले वर्षा के सम्पूर्ण जल को जमा नहीं किया जा सकता था। इस निर्माण से जरूरत पूरी नहीं हो सकती थी और इस प्रकार जमा किया गया जल 10 दिन अथवा अधिकतम एक माह से अधिक नहीं चल सकता था। केन्द्र सरकार के तत्वावधान में कृषि विभाग ढेर सारे दावे कर रहा है कि इसने वर्षा जल स्रोतों के पानी को बेकार बहने तथा अन्य औचक बाढ़ जल स्रोतों का पानी बहकर समुद्र में बह जाने से रोकने के लिये युक्तियां और योजनाएं बनायी हैं। विभाग तो यह कह रहा है कि इस पर करोड़ों रुपये खर्च किये गये हैं। वे यहां बैठकर महज हिसाब के रूप में हिसाब दिखा रहे हैं। परन्तु इन योजनाओं का वास्तविक लाभ सबको नहीं मिला। वे सही अंजाम देने में विफल रहे।

अनेक उर्वरक कम्पनियां जाली लेबलों के साथ अनेक उर्वरक बाजार में लायी हैं। सरकार उन्हें सभी प्रकार की राज-सहायता दे रही है। परन्तु फिर भी किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है। उन्हें इस संकट में डालने वाले कारण क्या हैं? एक तरफ तो हमारे किसानों को अपनी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है, तो दूसरी तरफ उनकी फसलें प्राकृतिक विपदा से बार-बार नष्ट हो रही हैं। किसानों के हितों की रक्षा के लिये संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा पर्याप्त उपाय नहीं किये जाने का एक और कारण है।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री वी. सत्यमूर्ति : महोदय, मैं ऐसी पार्टी का सदस्य हूं जिसके यहां 18 सदस्य हैं यदि आधे घंटे में मेरा भाषण पूरा नहीं होता है तो मुझे कुछ और समय दीजिये।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण जारी रखिये।

श्री वी. सत्यमूर्ति : अतः मैं यह बताना चाहता हूं कि इतनी अधिक राशि आबंटित करने और खर्च करने के बावजदू हमें पर्याप्त लाभ नहीं मिला। सरकार के इस उदासीन दृष्टिकोण के कारण किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी। इस प्रकार की मौतें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और केरल में हुई न कि तमिलनाडु में। परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि तमिलनाडु के किसान खुश हैं। हालांकि वे वंचित हैं लेकिन अब भी उनका आत्म-स्वाभिमान है। तमिल में एक कहावत है, ''यदि किसान अपने आय-व्यय का हिसाब देखे, तो वह पायेगा कि उसके पास कुछ नहीं बचा है।'' आज किसानों की हालत सुधारने की जरूरत है। मेहनतकश काश्तकारों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। धान उगाने वाले किसानों को इस समय लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। इस समय तमिलनाडु में साधारण किस्म का चावल लगभग 10 रुपये प्रति किलोग्राम है। इस किस्म के धान को खरीदने वाले व्यापारी नहीं मिलते। सरकार द्वारा दी गई लेवी कीमत न केवल अलाभकारी है अपितु सचमुच में निराशाजनक भी है। सरकार इस किस्म के धान के लिये सिर्फ 3 रुपये प्रति किलोग्राम देती है। एक किलो धान से तीन पाव चावल प्राप्त होता है जिससे केवल तीन रुपये मिलते हैं। अतः इससे स्पष्ट है कि उस चावल को 10 रुपये प्रति किलो ग्राम की दर से बेचकर बिचौलिये और व्यापारी अपना पैसा बनाते हैं। इसमें राज्य प्रशासन, तमिलनाडु सरकार की भी सांठ-गांठ है जबसे चट्टानों से मिट्टी बनी है तबसे दक्षिण में, विशेषकर तमिलनाडु में धान की खेती की जा रही है। राज्य की हालत यह है कि धान की खेती लाभकारी नहीं है। वहां उपयुक्त खरीद-तंत्र का अभाव है। किसानों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं की क्षतिपूर्ति के लिये उनके पास लेवी तंत्र है। परन्तु भेदभाव भी है .... *(व्यवधान)*

श्री एम. सेल्वारासु (नागापट्टीनम) : उनकी इस टिप्पणी पर मेरी आपत्ति है। कृपया राज्य सरकार की आलोचना न की जाये।

श्री वी. सत्यमूर्ति : किसानों से धान की खरीद के संबंध में तमिलनाडु में जो कुछ हो रहा है वह असामान्य है। केवल वे किसान जो सत्तारूढ़ दल डी.एम.के. के पदाधिकारियों से पर्ची के रूप में अनुशंसा-पत्र प्राप्त कर पाते हैं, वे ही लेवी प्रणाली के अंतर्गत सरकार द्वारा अपने धान खरीदवा पाते हैं। मैं यह भी समझता हूं कि सरकारी मशीनरी से अपने धान के खरीद मूल्य के रूप में इन किसानों को तीन प्रतिशत राशि छोड़नी पड़ती है। तमिलनाडु में ऐसी बदहाली है। बिचौलिये बनकर डी.एम.के. के लोग पैसा बना रहे हैं। हमारे नेता, हमारे दल के महासचिव और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह उजागर किया है। जब हमारे नेता डॉ0 पुराची थलैवी (क्रांतिकारी नेता) ने इस विगंतिपूर्ण प्रथा की तरफ तमिलनाडु सरकार का ध्यान आकृष्ट किया तो, सरकार का उत्तर था कि उन्हें दलाली के रूप में इसका भुगतान करना पड़ेगा। यह बड़े शर्म की बात है कि इन गरीब किसानों को खरीद मूल्य की राशि का तीन प्रतिशत तमिलनाडु में सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को भुगतान करना पड़ता है। अतः वर्तमान सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह किसानों की रक्षा करे और उनकी हालत सुधारे। मुझे तो इस बात का डर है कि केन्द्र सरकार जिसे हमारा समर्थन प्राप्त है, वह भी इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। ऐसे मौके पर, जबकि किसानों को नुकसान हो रहा है और वे आत्महत्या कर रहे हैं, सरकार ने किसानों द्वारा प्रयुक्त होने वाले उर्वरकों की कीमत बढ़ाने का प्रस्ताव किया है।

इस सरकार ने जिस ढंग से यूरिया के मूल्यों में एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वृद्धि करने का विचार किया मैं उस पर अपना विरोध प्रकट कर रहा हूँ। इन्हें अवश्य कम किया जाना चाहिए। क्योंकि विपक्ष के विरोध करने पर वित्त मंत्री ने इसके मूल्यों में 50 पैसे प्रति किलोग्राम कम करने के लिए कहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि यूरिया के मूल्यों में एक रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि पहली ही नज़र में अर्थहीन थी। हमारे कृषि मंत्री ने कुछ माननीय सदस्यों से कहा था कि क्या वे चर्चा के लिए तैयार हैं। उन्होंने यूरिया के मूल्यों में वृद्धि को ठीक बताने का प्रयास किया था उन्हें इस तरह से नहीं कहना चाहिए था। बहुत से किसान गरीब हैं हम उन पर निर्भर हैं। हमारा अस्तित्व केवल उन्हीं से है। सभी का अपना मंच है और उनके अधिकारों के लिए लड़ते हैं। परन्तु किसान संगठित नहीं और वे इतने सक्षम भी नहीं हैं कि उनकी आवाज किसी तक पहुंच सके। अगर किसानों ने अपनी बात कहने का निर्णय कर लिया तो हम लोग सत्ता का उपभोग करने के योग्य नहीं रहेंगे। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि भारतीय

[श्री वी. सत्यमूर्ति]

राजनीति और राजनीतिक दल किसानों को एकतासूत्र में नहीं बांधना चाहते। वे अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक नहीं हो पाते। मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि अगर किसान समुदाय एक होकर उपद्रव कर देगा तो हम लोगों का अस्तित्व ही खत्म हो जायेगा। अगर आप किसानों की संरक्षा चाहते हैं तो किसानों को राजसहायता, अनुदान, सहायता अनुदान और अनुग्रह राशि को बढ़ाना होगा। प्रत्येक किसान को प्रति एकड़ के हिसाब से 2000 रुपये देने चाहिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस विषय पर हम लोग गम्भीरता से विचार करें और इसे भविष्य में क्रियान्वित कर सकें। चाहे सरकार किसी भी दल की हो किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करना ही पड़ेगा। न केवल यह सरकार बल्कि जो भी सरकार आयेगी वह किसानों के दावे को नज़र अन्दाज नहीं कर सकेगी। वह दिन आयेगा।

डॉ० रवि मल्लू (नगर कुरनूल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आन्ध्र प्रदेश में लगभग 357 कपास उत्पादक किसानों ने आत्महत्या की। स्वतंत्रता पश्चात के इतिहास में यह पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने लोगों ने आत्महत्या की हो। यह आंकड़ा सिर्फ आन्ध्र प्रदेश में ही नहीं बल्कि जब हम अन्य राज्यों से इसकी तुलना करते हैं तो आन्ध्र प्रदेश पहले नम्बर पर ही आता है।

इससे यह जाहिर होता है कि आन्ध्र प्रदेश में किसान कितने दुखी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चेहरा मन का दर्पण होता है। आन्ध्र प्रदेश में इन सभी आत्महत्याओं से इस बात का आभास मिलता है कि किसान किस स्थिति में जीवन बिता रहे हैं।

आत्महत्या किसी भी व्यक्ति के लिए आखिरी विकल्प होता है। किसान विशेषकर विद्यार्थियों और महिलाओं की तुलना में अधिक समस्याओं का सामना करते हैं। परन्तु आन्ध्र प्रदेश में किसानों ने आत्महत्या का ही रास्ता अपनाया।

जब हम आत्महत्याओं के कारणो के बारे में सोचते हैं तो पहला कारण यही है कि जब व्यक्ति ऐसे राज्य की परिस्थितियों के प्रति पूर्णतया निराश हो जाता है। दूसरी बात यह कि सरकार के प्रति लोगों का अविश्वास जैसा कि उत्तरी आन्ध्र प्रदेश में हो रहा है। ऋण लिया ही न जाये, हम राष्ट्रीयकृत बैंक से अथवा सहकारी बैंक से ऋण ले सकते हैं, अथवा अगर वे घटिया कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं तो अगली फसल के लिए बढ़िया कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं। अगर किसी को एक फसल में हानि होती है तो उसके बाद वाली फसल अच्छी हो सकती है। परन्तु इस समय राज्य में क्या हो रहा है; किसानों ने भविष्य के प्रति अपना विश्वास खो दिया है, उन्होंने एक पद्धति के प्रति अपना विश्वास खो दिया है। यह बड़ी ही खतरनाक स्थिति है। इस समस्या के समाधान के लिए केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार को अतिशीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए।

इस बार कपास के उत्पादन के लिए उन्होंने जब भी राष्ट्रीयकृत बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों को ऋण के लिए आवेदन किया परन्तु इन बैंकों ने किसानों को फसल ऋण नहीं दिया।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि आन्ध्र प्रदेश में वाणिज्यिक बैंक फसलों के लिए बहुत कम ऋण देते हैं। यह भी एक सच्चाई है कि सहकारी बैंकों ने भी आन्ध्र प्रदेश में फसलों के लिए पर्याप्त ऋण प्रदान नहीं किया। इसलिए किसान निजी तौर पर साहूकारों से ऋण लेने के लिए बाध्य हुए। फिर उन्होंने निजी लोगों से कपास के उत्पादन हेतु बीज खरीदने के लिए ऋण लिया। दुर्भाग्यवश आन्ध्र प्रदेश में अकाल की स्थिति काफी पुरानी है।

विशेषकर तेलंगाना क्षेत्र के वारांगल जिले में अधिकतर आत्महत्याएं हुई हैं। सिर्फ तेलंगाना क्षेत्र के वारांगल जिले में एक सौ दस आत्महत्याएं हुई हैं। इन आत्महत्याओं से पहले जब इन किसानों ने कपास की बुवाई की थी तो वर्षा भी नहीं हुई थी और भूमि का जलस्तर भी काफी नीचे चला गया था जो कि कपास की खेती के लिए उपयोग में नहीं आ रहा था। सरकार को इस बात की जानकारी थी। यह अवधि जून से लेकर सितम्बर तक की थी। सितम्बर से लेकर दिसम्बर तक कपास के पौधे कीट से प्रभावित हुए। उस समय उन्होंने घटिया किस्म के कीटनाशकों का प्रयोग किया, जिसके परिणामस्वरूप यह हानि हुई। इन कीटनाशकों का कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ जिससे सारी फसल बरबाद हो गई।

ये सभी घटनाएं सरकार और कृषि विभाग देख रहा था। किंतु इस स्तर पर किसानों की परवाह नहीं की गई जिससे किसानों ने आत्महत्याएं की। सरकार विशेषकर मुख्यमंत्री किसानों के घर गए। उन्होंने प्रत्येक किसान परिवार को एक लाख रुपये की अनुग्रह राशि और सुविधाओं की घोषणा की। उन्होंने सुरक्षात्मक उपायों पर निर्णय लेने की यह घोषणा की। 357 आत्महत्याएं कोई एक दिन में या एक सप्ताह में नहीं हुई हैं। ये आत्महत्याएं तीन से चार माह की अवधि के बीच घटित हुई।

इससे यह पता चलता है कि सरकार को मालूम है कि यह सब हो रहा है लेकिन वह किसानों में यह विश्वास जगाकर मौतें नहीं रोक सकती है कि सरकार उनके नकद ऋणों, बैंक ऋणों का ध्यान रखेगी और अगली फसल के लिए ऋण की व्यवस्था करेगी। सरकार ने इन सब बातों का ध्यान नहीं रखा। सरकार ने केवल अनुग्रह राशि घोषित की है। सरकार ने कागजों में किसानों को अन्य बातों के अलावा एक लाख रुपए अनुग्रह ऋण दिया है जिससे किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटनाएं नहीं रुकी हैं।

सायं 7.00 बजे

मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। मैं तेलंगाना क्षेत्र का रहने वाला हूं जहां किसानों ने आत्हत्या की है। यह क्षेत्र मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ही आता है। दुर्भाग्य से राज्य सरकार और राज्य सरकार के अधिकारी कपास उगाने वाले उन किसानों को जिन्होंने आत्महत्या की है को दूसरी सूची में रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सरकार को एक लाख रुपए का मुआवजा न देना पड़े। सरकार स्वयं यह काम सुनियोजित तरीके से कर रही है। अतः मैं माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री से बात करके इसे ठीक किया जाए।.......*(व्यवधान)* मैं केवल बोलने के लिए यह सब कुछ नहीं कह रहा हूं ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपका समय समाप्त हो गया है। अब कोई समय नहीं बचा है।

.......*(व्यवधान)*

डॉ० रवि मल्लू : महोदय, आपने अनेक माननीय सदस्यों को काफी समय दिया था। किसानों ने आत्महत्या की है....... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए और अपने सुझाव दीजिए।

.......*(व्यवधान)*

डॉ० रवि मल्लू : सरकार ने हमें किसानों की दयनीय स्थिति के बारे में इस सम्माननीय सभा का ध्यान आकर्षित करने का अवसर दिया है ताकि कम से कम अब तो कुछ किया जा सके क्योंकि किसान ही वे लोग हैं जो देश के लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं।

हमारे देश में हरित क्रांति आई लेकिन हम किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भूल रहे हैं ताकि वे खाद्यान्नों का उत्पादन कर सकें।.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : महोदय, मैं दो मिनट और लेना चाहता हूँ। तेलंगाना क्षेत्र में मूंगफली और लाल चना इत्यादि जैसी अन्य फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं।

.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

डॉ० रवि मल्लू : आप किसानों के हितैषी हैं। अध्यक्ष के आसन पर बैठकर आप किसानों के मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। जब आप दूसरे पक्ष में होते हैं तो आप किसानों के बारे में बातें करते हैं.......*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : सभी लोगों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, आपका समय समाप्त हो गया है, अब आप बैठिए।

.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ० रवि मल्लू : मैं बता रहा था कि लाल चने की फसल भी पूरी तरह से नष्ट हो गई है। तथापि, अधिकारी किसानों को समुचित मुआवजा नहीं दे रहे हैं। वे कुछ किसानों को थोड़े-थोड़े करके मुआवजा दे रहे हैं और अधिकांश किसानों को मुआवजा नहीं दे रहे हैं जिसके कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं और कृषक समुदाय में तनाव व्याप्त है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे मैं इस सम्माननीय सभा के ध्यान में लाना चाहता हूँ।

तेलंगाना क्षेत्र में नींबू के बागान सूख रहे हैं क्योंकि सूखे की स्थिति के कारण भू-जल का स्तर बहुत नीचे चला गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने तटवर्ती क्षेत्र में नारियल और केले इत्यादि उगाने वाले किसानों को मुआवजा दिया है। मैंने मुआवजे के भुगतान के लिए नींबू के बागानों का मामला माननीय मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री और बागवानी निदेशक के साथ उठाया है।

अतः मैं माननीय कृषि मंत्री से मुआवजा दिए जाने का यह मुद्दा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ उठाने का आग्रह करता हूँ ताकि हम तेलंगाना क्षेत्र के किसानों को आत्महत्या करने से बचा सकें। आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अनुग्रह राशि और अन्य लाभ देने की घोषणा कर रहे हैं लेकिन वह सिर्फ कागजों तक ही सीमित है और यह वास्तविक पीड़ितों तक नहीं पहुंच रहा है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि समाज के किसी भी वर्ग की उपेक्षा की जा सकती है लेकिन कृषक समुदाय जो राष्ट्र को खाद्यान्न उपलब्ध करा रहा है उसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती है।

राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से किसानों की सहायता करने के लिए अनेक बार धन देने का अनुरोध किया है। अतः मैं मंत्री महोदय से इस समस्या का स्थाई समाधान ढूंढने के लिए एक सर्वदलीय संसदीय समिति गठित करने का अनुरोध करता हूँ। जब तक सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेती है, मुझे विश्वास है कि तब तक तेलंगाना क्षेत्र में आपदा रहेगी। अतः मैं मंत्री महोदय से एक संसदीय समिति गठित करने, इस समस्या का समाधान ढूंढने और किसानों का ध्यान रखने का अग्रह करता हूँ ताकि वे देश के लिए खाद्यान्नों का उत्पादन जारी रख सकें।

मैं संसद में इस मामले को उठाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : माननीय कृषि मंत्री जी बोलें।

.......*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल) : सभापति महोदय, हमें भी बोलने का समय दिया जाए।.......*(व्यवधान)*

सायं 7.04 बजे

(इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार तथा श्रीमती रीना चौधरी आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए)

सभापति महोदय : इस पर सात घंटे तक बहस चली है।

श्री नरेश पुगलीया (चन्द्रपुर) : सभापति महोदय, आपने इतने लोगों को बोलने का समय दिया है। हम लोग भी इतने समय से इंतजार कर रहे हैं। आप आधा घंटे का समय बढ़ा दीजिए। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री विक्रमदेव केशरी (कालाहांडी) : महोदय, सभा की भावनाओं को समझते हुए कृपया सभा का समय एक घंटा और

[श्री विक्रमदेव केशरी]

बढ़ा दीजिए क्योंकि यह किसानों की जिंदगी और मौत से संबंधित तत्काल लोक महत्व का मामला है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : इस बात पर सात घंटे बहस हो चुकी है।

.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार) : महोदय यह बहुत ही गंभीर मामला है। कर्नाटक में पचास लोगों ने आत्महत्या की है। कृपया हमें भी बोलने का मौका दीजिए।.......*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : ठीक है। सभी की राय से इसके लिए आधा घंटा और बढ़ाया जाता है।

सांय 7.05 बजे

(इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार और श्रीमती रीना चौधरी अपने-अपने स्थान पर वापिस चले गए)।

[हिन्दी]

श्री नरेश पुगलीया : सभापति महोदय, सबको एकोमोडेट करिए।.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है। दो-दो मिनट बोलिएगा।

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय सभापति महोदय, आपने मेरे कहने पर पहले एक घंटा और बाद में आधा घंटा सदन का समय बढ़ा दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आप बहुत ऊंचे आसन पर बैठे हैं, इस सदन के सदस्यों को विशेष रूप से नए सदस्यों को बहुत आशाएं हैं।

सभापति महोदय, नियम 193 के अन्तर्गत श्री विलास मुत्तेमवार जी द्वारा किसानों को उनके कृषि उत्पादों का लाभकारी मूल्य न दिए जाने के कारण की गई आत्महत्या के बारे में जो प्रस्ताव इस सदन में पेश किया गया है, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा एक निवेदन है कि मेरे बगल में ये महिला सांसद बैठी हैं, ये पहली बार बोलना चाहती हैं, इसलिए इनको बोलने का समय अवश्य दिया जाए।

सभापति महोदय : शैलेन्द्र कुमार जी, आप अपनी बात को पूरी कर लें। पहले आप तो बोल लें। उसके बाद महिला सांसद की बारी आएगी।

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, हमारे देश की आबादी का 76 प्रतिशत हिस्सा कृषि पर आधारित है और खासकर हम समाजवादी पार्टी से आने वाले लोग, लोहिया जी और माननीय मुलायम सिंह जी की विचारधारा से ओतप्रोत लोग, जनमानस की भावनाओं से जुड़े हुए हैं, किसानों से जुड़े हुए हैं। हमारे संसदीय क्षेत्र में भी ग्रामीण क्षेत्र हैं। मेरे अपने लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में चार ग्रामीण क्षेत्र हैं। अभी हमारे मंत्री महोदय, हमारे एक सम्मानित सदस्य को कह रहे थे कि आप भी किसान हैं। इसलिए आप किसानों की हालत सुधारने के लिए सुझाव देने का काम कीजिए।

सभापति महोदय, मैं सिर्फ सुझावों के रूप में ही अपने विचार व्यक्त करूंगा। आज किसानों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत दिक्कतें हैं, उनमें चाहे खाद हो, पानी हो, बिजली हो और चाहे मौसम पर आधारित गडबड़ी हो और चाहे नकली दवाओं और फर्टिलाइजर की दिक्कतें हों, तमाम सारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है, किसानों की कठिनाइयां आपने बता दीं।

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, ग्रामीण इलाकों में नहरें सिंचाई के लिए बनी हैं, लेकिन मायनर नहरों और मुख्य नहरों के टेल तक पानी नहीं जा रहा है। नहरी कमान खत्म करके या सफाई के नाम पर करोड़ों रुपये प्रति वर्ष सरकार द्वारा सिंचाई के नाम पर व्यय किया जा रहा है उसे समाप्त करके ट्यूबवैल बनाए जाएं और किसानों को ट्यूबवैल के माध्यम से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाए

सभापति महोदय : ठीक है। हो गया। किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाए। अब आप बैठ जाइए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, बिजली का मामला बहुत सारे माननीय सदस्यों ने उठाया है। आप भी अपने क्षेत्र में देखें बिजली की बहुत कमी है। हमारे यहां उत्तर प्रदेश में सरकार 18 घंटे बिजली देने की बात कर रही है और महीने में मुश्किल से 10-15 दिन ही बिजली आती है।

सभापति महोदय : ठीक है। हो गया। बिजली आपूर्ति में सुधार हो, यही कहना चाहते हैं। दो मिनट हो गए। बैठ जाएं। आसन ग्रहण किया जाए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आज किसानों की दयनीय स्थिति है, उसको देखते हुए हमारे उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जनपद में कुछ किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर धरना दिया, लेकिन वहां की पुलिस ने बर्बरता पूर्ण तरीके से उनके ऊपर लाठी चार्ज किया। पुलिस और प्रशासन किसानों पर अत्याचार करता है।

सभापति महोदय : ठीक है। हो गया। आसन ग्रहण किया जाए। किसानों पर अत्याचार न होने की बात आपने कह दी।

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ।.......*(व्यवधान)*

मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ऋण संबंधी मामलों में चाहे वह सहकारी बैंक हो या अन्य प्राइवेट सैक्टर हो, उनमें कम ब्याज पर सुविधायें मुहैया कराई जायें ताकि सभी किसानों को उसकी सुविधा मिल सके।

सभापति जी, मुझे बहुत सारी बातों पर अपनी बात रखनी थी लेकिन समय कम होने की वजह से मैं एक बात और रखना चाहूंगा कि पट्टे के नाम पर किसानों को थोड़ी बहुत जमीन दी जाती है। उनकी पारिवारिक संख्या को देखते हुए पट्टे की जमीन निर्धारित की जाये। एक किसान का संयुक्त परिवार कितना है, उसके अनुरूप पट्टे की जमीन उपलब्ध कराई जाये ताकि किसान उस पर खेती कर सकें। अंत में जिन किसानों ने आत्महत्या की है, उसके लिए मैं इस सदन की तरफ से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ कि जिन किसानों ने आत्महत्या की है, उन किसानों के परिवारों की आप एक सूची बनवा लें और उनको मुआवजा दें और आगे आत्महत्या की पनुरावृत्ति न हो। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि किसान से संबंधित जो प्रकरण है, उन पर माननीय मंत्री जी ध्यान दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री नरेश पुगलीया (चन्द्रपुर) : सभापति जी, मुख्य प्रश्न किसानों की आत्महत्या का था। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पिछले तीन सालों में 500 से अधिक किसानों ने जो आत्महत्या की है, उसके संबंध में श्री मुकुल वासनिक और चव्हाण साहब ने प्रश्न उठाया था और प्रधान मंत्री जी ने कबूल किया था कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि यह प्रश्न यह था कि जिन राज्यों में किसानों को आत्महत्या करने की नौबत आई है, वहां से इमिजिएट राहत कैसे दे सकते हैं लेकिन इसका दायरा इतना बढ़ गया है कि वह सारे देश के किसानों का प्रश्न बन गया और इस पर बड़ी गंभीरता से चर्चा चल रही है। इस चर्चा का तो मैं स्वागत करता हूँ। किन्तु आज जिन प्रांतों में किसानों को इमिजिएट राहत पहुंचाने की आवश्यकता है, उन राज्यों में केन्द्र सरकार और कृषि विभाग क्या राहत देने वाले हैं, उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। क्योंकि एक चीज हमने पिछले सैशन और अभी देखी है कि माननीय सोमपाल जी और श्री यशवंत सिन्हा जी जब राज्य सभा में थे तो एक सीरियस सदस्य के नाते राष्ट्रीय समस्याओं पर गंभीरता से विचार करते थे लेकिन मंत्री बनने के बाद दोनों में बदलाव आ गया है। यह बदलाव केन्द्र पक्ष में आने के कारण है या मंत्री बनने के कारण है, इसका हमें अंदाजा नहीं है।.......*(व्यवधान)* मैं कृषि मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के अंदर जो आत्महत्यायें हुई हैं, उसका कारण यह है कि पिछले तीन साल से लगातार ओलावृष्टि, कम बारिश या ज्यादा बारिश होने के कारण किसान की फसल नष्ट हुई है। इससे किसानों की कमर टूट चुकी थी और उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी थी। इसके अलावा राज्य सरकार के माध्यम से जिस प्रमाण में मदद मिलनी चाहिए थी, उस प्रमाण में वह मदद नहीं मिली। जिन किसानों ने आत्महत्या की थी उनके लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि हम उनके परिवार को एक-एक लाख रुपये देंगे लेकिन 52 में से सिर्फ 18 लोगों को एक ही एक-एक लाख रुपये दिये गये। बाकी लोगों को मुख्यमंत्री रिलीफ फंड न होने की वजह से यह रुपया नहीं मिला। अगर वहां के मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में पैसा नहीं है तो केन्द्र सरकार उनकी मदद करे लेकिन वहां तुरंत मदद की जाये।

दूसरी समस्या किसानों के पास विदर्भ की है। अभी मानसून केरल में ब्रेक हो चुका है और आने वाले 10-15 दिनों में देश के सभी प्रांतों में आने वाला है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि महाराष्ट्र राज्य के अंदर और खासकर जिस विदर्भ से मैं आता हूँ, वह पैडी का एरिया है। चंद्रपुर, गरूपूची, भंडार और नागपुर आदि में काटन पेडी बड़े पैमाने पर होती है। काटन सीड और पैडी सीड की बहुत कमी है। उन प्रांतों में आप नेशनल सीड कारपोरेशन के माध्यम से, जिला परिषद् के माध्यम से इमीजेट सीड देने की व्यवस्था कर रहे हैं या नहीं, इसकी भी जानकारी मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर में चाहूंगा। दूसरा, कापरेटिव बैंक के लोग किसानों के ऊपर बहुत हो चुके हैं। उस कारण नये किसानों को ऋण नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि हमारे जो शार्ट टर्म लोन्स हैं उनको हम लांग टर्म लोन्स में कन्वर्ट करके किसानों को लोन देने की व्यवस्था करेंगे लेकिन वह व्यवस्था अभी नहीं हुई। अगर किसानों को एक महीने के अंदर लोन देने की व्यवस्था नहीं हुई तो महाराष्ट्र का किसान और विदर्भ एरिया का किसान तकलीफ में पड़ सकता है।

मेरी मंत्री जी से विनती है कि नाबार्ड के माध्यम से इन किसानों को चाहे भूमि विकास बैंक रहे हों या कापरेटिव बैंक रहे हों, उन सबमें उनके शेयर पर 10 परसेंट काट लिया जाता है। पिछले 25-30 साल से उसका पैसा काटा जा रहा है। हजारों रुपये उस किसान के उन बैंकों में शेयर के रूप में जमा हैं। शेयर के रूप में आप उनसे 10 परसेंट काट लेते हैं। उसके ऊपर किसी प्रकार का ब्याज नहीं मिलता है। लेकिन जब किसान तकलीफ में हैं तो उनके शेयर का पैसा जो बैंकों में जमा है, उसको आप लोन में कन्वर्ट कर दें, यह मेरी आपसे विनती है। कृषि मंत्री जी को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए और शार्ट टर्म लोन को लांग टर्म लोन में तब्दील कर दें।

अध्यक्ष महोदय, कॉटन परचेज में हमारी मोनोपली स्कीम है, यह आपको पता है और मंत्री जी को भी पता है। उसमें तीन प्रतिशत टैक्स काट लिया जाता है जिससे उस पूल में किसानों का पिछले 25 सालों से हजारों रुपया जमा है। मैं मंत्री जी से विनती करूंगा कि वह रुपया जो पूल मे जमा है, किसानों को लौटा दिया जाए। यदि वह लौटा दिया जाता है तो एक-एक किसान को करीब 30-40 हजार रुपये तक की रकम मिल सकती है। हमारा यह सुझाव भी ध्यान में रखा जाए।

हमारे यहां ट्राईबल एरिया रहने में जंगल काफी बड़े पैमाने पर हैं और पिछले 30-40 सालों से आदिवासी भाइयों ने जंगल

[श्री नरेश पुगलीया]

की जमीन काटकर वहां खेती करनी शुरू कर दी है। अकेले गढ़चिरोली जिले में 25,000 किसान हैं जो 40 सालों से जमीन जोत रहे हैं लेकिन उनको उस जमीन का पट्टा न मिलने की वजह से राज्य सरकार ने उनको कोई सुविधा नहीं दी, न ही उनको 1,000 रुपये प्रति हैक्टेयर का मुआवजा मिला है और न ही उन्हें सीड्स दी जाती है। हमारा सुझाव यह है कि जिनके पास जमीन का पट्टा नहीं है। लेकिन पिछले 30-40 सालों से जमीन उनके कब्जे में है, वे खेती कर रहे हैं, उन किसानों को सीड्स और बाकी की मदद दी जाए और 1,000 रुपये प्रति हैक्टेयर की मदद जो उनको नहीं दी गई, वह भी दी जाए।

उसी प्रकार से चर्चा में दो भाग किए जाएं - एक तो जहां आत्महत्याएं हो रही हैं, उन राज्यों को तत्काल मदद दी जाए और दूसरे किसानों के इस सवाल को, मंत्री जी ध्यान रखें, आप जिस कौन्सटीट्यूऐंसी से आते हैं, वह चौधरी चरण सिंह जी की कौन्सटीट्यूऐंसी है और देश में माने हुए किसान उस एरिया से आते हैं, वह देश को फसल देने वाला एरिया है, मैं विनती करूंगा, 13-14 अगस्त को पार्लियामेंट का स्पैशल सैशन होने वाला है, हम पचासवीं जयन्ती मनाने जा रहे हैं, उसमें इस देश के किसान भाइयों के बारे में और ग्रामीण विकास के मामले में चर्चा हो, यह बात आप माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएं।

आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री विक्रम देव केशरी (कालाहांडी) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको नियम 193 के अंतर्गत अल्पावधि चर्चा में भाग लेने हेतु मुझे अनुमति देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

आज हम आन्ध्र प्रदेश में किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। यह एक गंभीर चिंता का विषय है कि विगत् 50 वर्षों से देश में शासन कर रहे कांग्रेस दल द्वारा कृषक समुदाय की उपेक्षा की गई है। उनके द्वारा अपनायी गयी किसान विरोधी नीतियों से कृषक समुदाय एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि वहां से वापस आना संभव नहीं है। इसीलिए उन्हें आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा है।

महोदय, आप जानते हैं कि आत्महत्या किए जाने की घटनाएं आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में हुई हैं। यह देखा गया है कि तेलंगाना क्षेत्र कुछ समय तक आंध्र प्रदेश में उपेक्षा किए गए क्षेत्रों में से एक था। उस क्षेत्र के लोगों द्वारा एक पृथक राज्य हेतु आंदोलन किया गया था तथा अंततः उनके लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष उपबंध किया गया। इस अनुच्छेद के अंतर्गत उन्हें कतिपय सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन यह देखा गया कि सरकार द्वारा तेलंगाना क्षेत्र के किसानों की पूर्णतः उपेक्षा की गयी। वे कृषि विस्तार सेवाओं की अनुपलब्धता के कारण ऋण वापस नहीं कर पाये।

महोदय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा किसानों की मृत्यु तथा फसलों के नुकसान के संबंध में एक जांच करायी गई। यह पाया गया कि कीटनाशकों के गलत प्रयोग से फसलों की बर्बादी हुई। इसका अर्थ है कि उस क्षेत्र में की जाने वाली कृषि विस्तार सेवाएं उपलब्ध नहीं थी। अतः यह स्पष्टरूप से दर्शाता है कि पिछली सरकार इसके लिए जिम्मेवार थी।

श्री कल्पनाथ राय (घोसी) : उन्हें गलत कीटनाशक दवाइयां क्यों दी गयी थीं ?

श्री विक्रम देव केशरी : ऐसा उस क्षेत्र में कृषि विस्तार सेवाओं की अनुपलब्धता के कारण हुआ।

श्री के.एच. मुनियप्पा : कृपया इस मामले में पार्टी को मत लाइये। यह किसानों से संबंधित मामला है तथा किसानों के हितों के लिए हमें एकजुट होकर संघर्ष करना है ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मैंने आपको दो मिनट का समय दिया है। आप कन्क्रीट सजेशन दीजिए, विवाद मत उठाइये।

[अनुवाद]

श्री विक्रम देव केशरी : महोदय, किसानों को गरीबी के कगार पर धकेल दिया गया है तथा उन्होंने आत्महत्या की है। कांग्रेस की आदत किसान-विरोधी नीति का अनुसरण करने की रही है जिसे उड़ीसा राज्य में प्रत्यक्ष तौर पर देखा जा रहा है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री उड़ीसा में कृषि विभाग भी संभाल रहे हैं। उड़ीसा राज्य के कृषि विभाग में एक बड़ा घोटाला हुआ है.......*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : उसको भी देख लेंगे। शान्ति शान्ति। मैं उसको देख लूंगा और आपत्तिजनक बात होने पर वह हटा दी जायेगी।

.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : शान्ति-शान्ति। कृपया करके बैठें मैंने रूलिंग दे दी है। शान्ति। अब आप कन्क्लूड कीजिए।

[अनुवाद]

श्री नरेश पुगलीया : महोदय, वह अप्रासंगिक बात कर रहे हैं.......*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मैंने कहा न कि मैं देख लूंगा।

[अनुवाद]

श्री विक्रम देव केशरी : महोदय, आज उड़ीसा में कांग्रेस पार्टी ने घटिया बीजों की आपूर्ति करके किसानों के हितों के साथ

विश्वासघात किया है। उड़ीसा के कृषि विभाग के सचिव जिन्होंने भानुमति का पिटारा खोल दिया है, से यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : क्या आपके पास कोई ठोस सुझाव है?

श्री के.एच. मुनियप्पा : महोदय, वह मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हर पहलू पर विचार किया जाएगा।

श्री विक्रम देव केशरी : महोदय, किसान बैंक ऋण नहीं चुका सकते हैं। अतएव, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूँगा कि इन ऋणों को चुकाने की समय सारिणी को फिर से तय किया जाए तथा इसे दीर्घकालिक ऋण में बदल दिया जाए।

अंत में, भारतीय रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड को इस सरकार की सहायता में आगे आना चाहिए तथा किसानों की समस्याओं को हल करने में इसकी मदद करनी चाहिए कांग्रेस पार्टी की उदासीनता के कारण ही स्थिति इतनी गंभीर हो गई है।.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब माननीय मंत्री बोलेंगे। आप कृपया अपने सुझाव माननीय मंत्री को लिखित में दीजिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी।

.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब समय नहीं बचा है। अब आप कृपा करके आसन ग्रहण कीजिए और सरकार का उत्तर सुनिये।

.......*(व्यवधान)*

श्रीमती रीना चौधरी (मोहनलालगंज) : सभापति जी, हम लोगों को दो-दो मिनट बोलने का मौका दे दीजिए।....... *(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार : एक मिनट बोलने का समय इधर दीजिए। ये महिला सदस्य हैं। एक मिनट का समय दे दीजिए।...... .*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया करके अपनी सीट पर जायें।

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय सभापति महोदय, एक मिनट का समय दे दीजिए। ये केवल दो बातें कहेंगी।.......*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब समय नहीं है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : ये एक मिनट में केवल दो बातें कहेंगी।

[अनुवाद]

डॉ० रवि मल्लू : महोदय, उन्हें कृपया दो मिनट दें।

[हिन्दी]

श्रीमती रीना चौधरी : सभापति महोदय, कृषि की प्राब्लम है, आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा।

सभापति महोदय : अब समय नहीं है, एंडलैस नहीं चलेगा।

[अनुवाद]

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार) : महोदय, कर्नाटक में सबसे पहले 29 कपास उत्पादकों ने आत्महत्या की और तत्पश्चात् आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र में ऐसी घटनाएं घटी। यह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। अतएव, कृपया मुझे बोलने के लिए दो मिनट दीजिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : हर पार्टी का समय समाप्त है। चार घंटे के बदले आठ घंटे बहस चली। सभी दलों का समय समाप्त हो गया है। माननीय सदस्यों की रुचि को देखते हुए सभी लोगों को एकोमोडेट करने की कोशिश की गई है, लेकिन अब गुंजाइश नहीं है। अब मंत्री जी जवाब देंगे।

.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ० रवि मल्लू : महोदय, कृपया उन्हें दो मिनट दे दीजिए।

श्री के.एच. मुनियप्पा : महोदय, इस पक्ष से अकेला मैं ही वक्ता हूं.......*(व्यवधान)*

श्री एम. सेल्वाराशु (नागापट्टीनम) : महोदय, हमें बोलने का कोई अवसर नहीं मिला तथा मेरे विचार में हम लोग अंतिम वक्ता हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : ठीक है। एक-एक मिनट दूंगा।

[अनुवाद]

श्री के.एच. मुनियप्पा : मुझे अवसर देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। इस सम्मानीय सभा में अस्सी प्रतिशत संसद सदस्य कृषक समुदाय के हैं माननीय मंत्री को किसानों के हित में कुछ निर्णय करना चाहिए, न सिर्फ कर्नाटक के अपितु आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र के भी कुछ किसानों ने आत्महत्या की है। यह अत्यन्त ही गंभीर मसला है। जहां भी किसान रुपया वापस

[श्री के. एच. मुनियप्पा]

करने की स्थिति में नहीं है। उसने आत्महत्या कर ली है तथा उसका परिवार सड़क पर है। इसी कारण से यह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विषय है।

मैं नहीं चाहता हूं कि आप कोई समिति नियुक्ति करें। कृषि संबंधी स्थायी समिति पहले से मौजूद है। माननीय मंत्री को कृषि संबंधी स्थायी समिति से विशेष प्रतिवेदन देने के लिए कहना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए मंत्री महोदय को दूसरी समिति नियुक्त करने की कोई जरूरत नहीं है।

महोदय, किसानों के तीन प्रकार हैं। पहली श्रेणी के किसान सिंचाई के लिए नहरों तथा नदियों के पानी पर निर्भर हैं। दूसरी श्रेणी के किसान 500 फुट या 600 फुट गहरे नलकूपों पर आश्रित हैं। तीसरी श्रेणी के किसान सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर करते हैं। अब आपने इन तीनों श्रेणियों का ख्याल रखा है। बड़े, मंझोले तथा छोटे किसानों को कर्ज दिया गया है। उद्योगपतियों को भी लाखों-करोड़ों रुपये दिए गए हैं। उद्योगपतियों के मामले में लाखों करोड़ों रुपये लेने के बाद भी उनसे कुछ नहीं पूछा जाता है। लेकिन यदि एक किसान कर्ज वापस करने की स्थिति में नहीं है तो स्थिति अलग होती है। यह सोचना ठीक नहीं है कि उसकी मंशा ऋण चुकाने की नहीं है। चूंकि वर्षा नहीं हुई अतएव उसने कर्ज नहीं चुकाया है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : एक मिनट खत्म हो गया है, कृपया आसन ग्रहण करें।

[अनुवाद]

श्री के.एच. मुनियप्पा : महोदय, संसद के अस्सी प्रतिशत सदस्य कृषक वर्ग से आते हैं। मैं समझता हूं कि श्री सोमपाल जी कृषक वर्ग से आते हैं।

महोदय, हमारे देश में किसानों से संबंधित यह मामला अत्यन्त गंभीर है। अतएव, इस देश में किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए स्थायी समिति से एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जा सकता है।

श्री वी. सत्यमूर्ति (रामनाथपुरम) : महोदय, हम गणपूर्ति नहीं होने पर भी समय बढ़ाते जा रहे हैं। हमें सभा की सहमति के बिना बातचीत करने का अधिकार नहीं है। हम कैसे चर्चा कर सकते हैं?.......*(व्यवधान)*

श्री एम. सेल्वारासु (नागापट्टीनम) : मैं केवल सात बातें कहना चाहता हूं। ये किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? वे यह कदम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि किसानों को अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनकी समस्याओं में पानी का अभाव भी है और अब तक इसका समाधान नहीं हुआ है। दूसरी बात समुचित लाभकारी मूल्य के बारे में है। उनके लिए कोई समुचित लाभकारी मूल्य भी नहीं है और राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की ओर से भी कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि नहर प्रणाली का अब तक कोई आधुनिकीकरण नहीं किया गया है। हमारे पास पांचवीं पंचवर्षीय योजना, आठवीं पंचवर्षीय योजना और ऐसी कई अन्य योजनाएं रही हैं। फिर भी नहर प्रणाली का कोई आधुनिकीकरण नहीं हुआ है। यह कार्य अब भी लंबित है।

चौथी बात यह है कि उर्वरकों और कीटनाशकों की कीमतें सस्ती होनी चाहिए। फसलों में कई बीमारियां लग जाती हैं।

सभापति महोदय : आप माननीय मंत्री को अपने भाषण का लिखित विवरण दे सकते हैं।

श्री एम. सेल्वारासु : पांचवीं बात बाढ़ की और मानसून न आने जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में है।

छठी बात यह है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को 14 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जबकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 'नाबार्ड' और सहकारी बैंकों को 4 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। यदि सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को दण्ड के साथ 14 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा तो किसान ऋण का भुगतान कैसे कर पायेंगे?

इसलिए किसान आत्महत्या कर रहे हैं। राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती रीना चौधरी (मोहनलालगंज) : सभापति महोदय, आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं जिन्हें मैं संक्षिप्त शब्दों में कहना चाहती हूं क्योंकि समय का अभाव है।

मेरे क्षेत्र के किसानों को काफी जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कुछ जगहों पर जल का भराव इतना ज्यादा है कि वहां किसान खेती नहीं कर सकता। दूसरी तरफ नहरों में पानी नहीं है। बिजली उपलब्ध नहीं है। दैवी आपदाओं की क्षतिपूर्ति तथा खलिहान में आग लगने पर किसानों को जल्दी से जल्दी जो भी सहायता दी जानी चाहिए, वह उन्हें मुहैया कराई जाए। किसानों को कम ब्याज पर ऋण देने की सुविधा भी दी जाए। फसल बीमा योजना, किसान बीमा योजनाएं लागू की जाएं। किसानों को अपनी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। किसान से व्यापारी जो गेहूं 450 रुपए में खरीद रहे हैं, उसको 510 रुपए में बेच रहे हैं। फिर भी किसानों को 510 रुपए मूल्य पर भी गेहूं उपलब्ध नहीं हो पाता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

[अनुवाद]

श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या (तुमकुर) : महोदय, मेरे राज्य में कुल 29 मौतें हुई हैं और सरकार ने इन लोगों के लिए थोड़ी अनुग्रह राशि भी उपलब्ध करायी है।

हमारे क्षेत्र में बिजली नहीं है। हमारे क्षेत्र में कुमारधारा नामक नदी बहती है। यदि भारत सरकार पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को पूर्व की ओर प्रवाहित कराने के लिए आगे आती है तो स्वाभाविक है कि यह सूखा क्षेत्र जहां लोगों की मौतें हुई हैं अत्यधिक लाभान्वित होगा और यहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी।

मेरे क्षेत्र में नारियल और नारियल गिरि का उत्पादन होता है। नारियल गिरि के लिए न्यूनतम दर 6000 रुपये और नारियल के लिए 5000 रुपये कर देनी चाहिए।

गोविना, ज्वार तथा ज्वार की अन्य किस्मों और रागी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने चाहिए।

जहां तक गेहूं का प्रश्न है उत्तर में यहां के मुकाबले इसके लिए 100 रुपये अधिक दिया जाता है। इसी प्रकार उपर्युक्त खाद्यान्नों तथा नारियल एवं नारियल गिरि के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए।

तालाबों से गाद निकाला जाना अत्यंत आवश्यक है। इन तालाबों में जलस्तर बहुत नीचे चला गया है तथा इसे हैंड पम्प से भी नहीं निकाला जा सकता है। अतः तालाबों से गाद निकालना अत्यंत आवश्यक है।

यदि कोई किसान चूककर्ता होता है। तो उसके कृषि उपकरण सरकार द्वारा कभी जब्त नहीं किया जाना चाहिए। यही कानून है। जब बैलगाड़ियों के स्थान पर ट्रैक्टर आ रहे हैं, ट्रैक्टर कृषि से संबंधित मशीनरी है, इसे जब्त नहीं किया जाना चाहिए।

जब ट्रैक्टर बैलगाड़ियों का स्थान ले रहे हैं तो इन्हें जब्त नहीं किए जाने की छूट देनी चाहिए। अतः इन्हीं आवश्यक बातों पर मैं प्रकाश डालना चाहता था।

अंत में, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि जब नारियल, सुपाड़ी तथा केले के पेड़ों की कोई क्षति होती है तो कर्नाटक सरकार और केन्द्र सरकार भी केवल 150 रुपए मुआवजा स्वरूप देती है। जब कभी भी भूमि अधिग्रहीत की जाती है तथा जब कभी भी लोक प्रयोजन हेतु नारियल के पेड़ों का अधिग्रहण किया जाता है तो किसानों को मुआवजा स्वरूप 1500 रुपए दिया जाता है। जबकि क्षति की स्थिति में केवल 150 रुपए दिया जाता है। अतः इस विषमता को समाप्त किया जाना चाहिए। लोगों को विद्युत की आपूर्ति करनी होगी। ऋण ब्याज मुक्त रूप से देने होंगे। यदि ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है तब यह सहायक होगा। उदाहरणस्वरूप भारतीय जीवन बीमा निगम में यदि किसी कर्मचारी को भवन निर्माण कराना हो तो उसे ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। बैंकों में भी ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। यदि किसानों को ब्याज मुक्त ऋण नहीं दिया जाता हो तो कम से कम 4 प्रतिशत ब्याज लगाना होगा।

अंत में मेरा विनम्र अनुरोध है कि कृपया इस देश में कृषकों को सुख से रहने दें।

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि अल्पकालीन चर्चा, जो अल्पकालीन तो रही नहीं दीर्घकालीन हो गई है, को तीन दिन हो गए हैं....... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सदन की सहमति हो, तो माननीय मंत्री जी के उत्तर तक समय बढ़ा दिया जाए?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हाँ।

श्री सोमपाल : उन्होंने इस चर्चा के शुभारम्भ करने से पूर्व माननीय सदस्यों का आह्वान किया था कि यह बहुत गंभीर विषय है और चिन्ता का विषय है, जिस प्रकार से किसानों को किन्हीं कारणों से अपनी जान लेने के लिए विवश होना पड़ा है। इस स्थिति को देखते हुए, सभी माननीय सदस्य दलगत भावना से ऊपर उठकर इस चर्चा में भाग लें। वे केवल सामान्य बात न कह करके विशेष और ठोस सुझाव प्रस्तुत करें। माननीय अध्यक्ष महोदय की इस भावना और आह्वान के अनुरूप सदस्यों ने चर्चा में बढ़-चढ़कर भाग लिया और अभी तक भी सदस्यों की इस चर्चा में भाग लेने और अपनी बात कहने की इच्छा समाप्त नहीं हुई, जो आपके समक्ष प्रमाणित हुई है।

महोदय, इस चर्चा को सबसे पहले विलास मुत्तेमवार ने प्रारंभ किया। उन्होंने भी अध्यक्ष महोदय की उसी भावना को दोहराया और महाराष्ट्र में अध्ययन दल भेजने की बात कही। मैं आपके माध्यम से उनको सूचना देना चाहता हूँ, इसमें प्रक्रिया यह है कि राज्य सरकार पहले मांग भेजती है, इस आशय का एक स्मरण पत्र केन्द्रीय सरकार को भेजती है, लेकिन ऐसा कोई भी पत्र अब तक यहां महाराष्ट्र प्रदेश की सरकार की ओर से प्राप्त नहीं हुआ। संविधान के अन्तर्गत, संघीय ढांचे की व्यवस्था में, जब तक राज्य सरकार की ओर से ऐसा स्मरण पत्र नहीं आता है, तब तक केन्द्रीय सरकार दल नहीं भेजती है। यह संविधान में व्यवस्था है। फिर भी मैं केन्द्रीय सरकार की ओर से आप और इस सदन के माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम महाराष्ट्र सरकार से इस विषय में विचार करके और इस बातचीत की जांच करायेंगे और उनसे कहेंगे कि यदि आवश्यकता है, तो इस प्रकार का पत्र दें और हम अध्ययन दल वहां भेज दें।

विलास मुत्तेमवार जी ने मुआवजे की बात भी कही है। उन्होंने सही बात कही है चाहे रेल यात्रा हो या हवाई यात्रा हो, जहां पर भी इस प्रकार की क्षति होती है, तो क्षतिपूर्ति की व्यवस्था है, लेकिन किसानों के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था नहीं है। उसके ऊपर अगर

[श्री सोमपाल]

सारे सदन की सहमति हो, तो मैं सरकार की ओर से कहना चाहूंगा कि उसके ऊपर सकारात्मक रूप से विचार किया जाना चाहिए और इस सदन के सभी पक्षों का सहयोग और सहमति होगी, तो कोई बात नहीं है, इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं बनाई जा सके। जहां तक ऐसे मामलों में राहत देने की बात है, मैं अपनी बात की पुनरावृत्ति करना चाहूंगा, दो प्रकार की राहत व्यवस्था दशम वित्तीय आयोग की संस्तुतियों के उपरान्त स्थापित की जा चुकी है।

एक आपदा राहत कोष है, जिसको 1995 से लेकर 2000 तक, उसमें शायद 6000 या 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा की व्यवस्था की गई थी और उसमें 75 प्रतिशत अंशदान केन्द्र सरकार की ओर से और 25 प्रतिशत प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाता है। वर्ष की चारों तिमाहियों की प्रथम तिथि को स्वतः वित्त मंत्रालय से यह राशि अवमुक्त कर दी जाती है और यह नियमित रूप से होती रही है। किसी-किसी विशेष परिस्थिति में यदि ऐसा लगे कि राज्य के पूर्व वर्ष की राशि समाप्त हो चुकी है तो अग्रिम किश्त भी अवमुक्त की जाती है। जैसे इस वर्ष हमने बंगाल, उड़ीसा और कुछ राज्यों के संबंध में किया था और इस व्यवस्था के उपरांत मूलतः.......*(व्यवधान)* अब आप सारी बात सुन लीजिए, हम बीच में नहीं बोले थे।.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के.एच. मुनियप्पा : यह प्राकृतिक आपदा का प्रश्न नहीं है।.......*(व्यवधान)*

श्री सोमपाल : आप इस बारे में नहीं पूछ रहे हैं। परन्तु मैं उन माननीय सदस्य को उत्तर दे रहा हूं। जो इस विषय में बोले हैं।.......*(व्यवधान)*

श्री के.एच. मुनियप्पा : आप प्राकृतिक आपदा के लिये निर्धारित धन को दूसरी मदों पर खर्च कर रहे हैं।.......*(व्यवधान)*

श्री सोमपाल : महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये मुद्दों का जवाब दे रहा हूं। श्री मुत्तेमवार ने भी इसे उठाया था। वे उनके दल के हैं। यदि मैं कोई जवाब नहीं दूं तो आप कहेंगे इस बात का जवाब नहीं दिया गया है। कृपया मेरी बात सुनिये। मैं आपके दल के सदस्य श्री विलास मुत्तेमवार द्वारा उठाये गये सभी प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं।

[हिन्दी]

दूसरी इसी प्रकार की व्यवस्था एक राष्ट्रीय आपदा राहत कोष की है जिसमें 700 करोड़ की व्यवस्था पांच वर्ष के लिए की गई थी और उस राशि में 120 करोड़ रुपए 1996-97 में और जोड़ दिए गए थे और वह राशि पूरी समाप्त हो चुकी है। उसमें यह व्यवस्था है कि यदि राज्य सरकार आपदा राहत कोष और अपने अन्य संसाधनों में से इस आपदा से निपटने के लिए समर्थ नहीं है तो वह केन्द्र सरकार का अध्ययन दल के लिए सूचना भेजते हैं। अध्ययन दल जाने के बाद उस क्षति का आकलन करता है, आकलन करने के बाद एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है और उस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के बाद जब वह प्रतिवेदन आ जाता है तो राष्ट्रीय विकास परिषद् जिसमें सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी सदस्य होते हैं, उसकी एक उप-समिति है, जिसमें क्रमवार पांच राज्यों के मुख्यमंत्री और तीन केन्द्रीय मंत्री रहते है उसमें से वह राशि दी जाती है। उसके कुछ मानदंड, मानक और नियम-उपनियम तथा मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं, जिसमें यह कहा है कि केवल सीमांत और लघु किसानों को जो क्षति हुई है तथा आने वाली फसल में जो निवेशों के ऊपर व्यय करना है उसके लिए राशि दी जाती है, उसमें 500 रुपया प्रति हेक्टेयर की सीमा है, उसके अनुसार वह समिति निश्चित करती है। उसमें भी केन्द्र सरकार का विवेकाधीन कोई कोटा निश्चित नहीं है, वही समिति उसको निर्धारित करती है, ये दो व्यवस्थाएं हैं।...:....*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासमुन्द) : उनमें कौन-कौन हैं यह आप बताएं ?

श्री सोमपाल : यह सूचना दे दी जाएगी। अभी मुझे जो स्मरण है उसमें पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और शायद पूर्वोत्तर राज्य मेघालय, कृषि मंत्री भारत सरकार, वित्त मंत्री भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार ये आठ सदस्य हैं। विलास मुत्तेमवार जी ने ऋण की माफी और ऋण वसूली को स्थगित करने की बात कही और ब्याज में कुछ छूट देने की बात कही है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को सूचित करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय कृषि विकास बैंक (नाबार्ड) और भारतीय रिजर्व बैंक, इन दोनों की टीमें आन्ध्र प्रदेश गई थी और उन्होंने राहत के कुछ कदम उठाए हैं, जिसमें कर्जे को रि-शेड्यूल करने का, बाद में वसूली करने का, उसका स्थगन, ब्याज की माफी और इस प्रकार की कुछ राहत दी, उनका विवरण मैं आपको दे दूंगा। जहां तक ऋण को पर्याप्त मात्रा में कृषकों को उपलब्ध कराने की बात है मैं उनकी बात से सहमत हूं और सदन को यह बताना चाहता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के पूरे काल में केवल 17 प्रतिशत पूरे विकास का ऋण, जो सरकार या वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिया गया, वह किसानों को गया है और यह निश्चित रूप से अपर्याप्त है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में भी स्थिति सुधरने के बजाए खराब हुई है। सारे राष्ट्रीयकृत बैंकों को मिलाकर देखा जाए तो पिछले से पिछले वर्ष में अधिकतम 14.1 प्रतिशत ऋण दिया गया, जबकि रिजर्व बैंक के द्वारा उन्हें 18 प्रतिशत का लक्ष्य दिया गया था। एक या दो बैंकों को छोड़कर किसी ने भी इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया और प्रायः यह 13 प्रतिशत से कम रहा है। निश्चित रूप से माननीय सदस्यों ने जो चिंता व्यक्त की है वह बात सही है कि ऋण की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। इसलिए आगामी वर्ष में हम चाहते हैं कि ऋण का प्रवाह वर्तमान दर से दुगुना हो जाए। इसको एक वर्ष में किया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि हमें एक पुरानी विरासत मिली है। सारे ढांचे को एक दम समाप्त करना या उसमें किसी तरह का परिवर्तन करना सम्भव नहीं होता है, इस बात को आप सब लोग सराहेंगे।

जहां तक प्रक्रिया को सुगम करने की बात है, मैं आपसे सहमत हूं। एक राष्ट्रीय कृषि नीति का प्रारूप अभी बनाया जा रहा है,

उसमें ऋण की व्यवस्था को सरल करने के लिए सर्वांगीण प्रयास किया जाएगा। इस संबंध में माननीय वित्त मंत्री जी ने कुछ घोषणा अपने बजट भाषण के दौरान कर भी दी हैं, जिसमें क्रैडिट कार्ड किसानों को दिए जाने की बात कही गयी है। इस संबंध में रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सारे राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय सहकारी बैंकों और जो अन्य वित्तीय संस्थाएं हैं उनको आवश्यक निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। उनमें यह व्यवस्था रहेगी कि किसान के स्वामित्व में जितनी भी भूमि है, बाजार मूल्य के आधार पर उसके लिए एक ऋण सीमा निर्धारित कर दी जाए और उस सीमा तक जितना भी ऋण वह चाहे ले ले और जो बकाया राशि है, उसके ऊपर सुविधा के अनुसार ब्याज की अदायगी कर दे। अभी तक व्यवस्था यह थी कि यदि किसान ने सौ रुपया भी ले लिया तो जब तक वह पूरा ऋण वापस नहीं कर देता, उसको दूसरा ऋण नहीं मिलता था। यह बात वाणिज्यिक और औद्योगिक ऋण के संबंध में थी। कैश क्रैडिट लिमिटेड की तरह से यह सुविधा किसान को उपलब्ध कराई जाएगी।

ऋण की वसूली के संबंध में जो उत्पीड़न किसान को होता था, जिसमें किसान गिरफ्तार हो जाता था। हमने भी ऐसी घटनाएं देखी हैं। मेरे ही गांव के चौधरी हरिसिंह को 64 रुपये 20 पैसे के ऊपर हथकड़ी लगी थी। यह बात सदस्यों की सही है कि किसी भी व्यापार या उद्योग के लिए ऋण लेने वाले और ऋण न देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किये जाने की घटना सम्भवतः हमारी स्मृति में भारत में तो नहीं है। किसान के साथ जो एक भेदभावपूर्ण रवैया था, उसको समाप्त करने की बात हमारे वित्त मंत्री जी ने और प्रधान मंत्री जी ने सदन में पहले ही कह दी है। विलास मुत्तेमवार जी ने राहत राशि को सभी राज्यों में और ऐसी सभी घटनाओं के संदर्भ में समान किए जाने की बात कही है। मैं सदन के विचारार्थ इसको रखना चाहूंगा और अगर सदन की सहमति होगी तो सरकार को इसे करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

विदर्भ की स्थिति के बारे में उन्होंने कहा, मैं विदर्भ की स्थिति से व्यक्तिगत रूप से परिचित हूं, मैं वहां जाता रहा हूं। वहां जल का अभाव है, पठारी भूमि है, मिट्टी की कमी है, भूमिगत जल पहले ही नीचे था, वह और नीचे चला गया है। ऐसे क्षेत्रों के लिए मैंने प्रातः काल प्रश्नकाल के दौरान सदन को सूचित किया था कि एक 25 वर्षीय परियोजना वर्षा जल ग्रहण तकनीक के माध्यम से भूमि के ऊपर जल को संग्रह करने की और भूमिगत जल स्रोतों का संभरण करके वर्ष भर उसके उपयोग की व्यवस्था करने की है, जिसमें पांच हजार करोड़ रुपया इसी बजट में आवंटित किये जाने का योजना आयोग का प्रस्ताव है। इसी बजट में 677 करोड़ रुपया उसके लिए आवंटित कर दिया गया है। इतनी राशि एक वर्ष में कभी भी इस मद में नहीं दी गयी है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में मात्र 11 सौ करोड़ रुपया दिया गया था और जब हमने कृषि स्थाई समिति में कृषि मंत्रालय के लोगों से जानकारी चाही, तो हिसाब लगाया गया था कि यदि इस दर से प्रगति हुई तो 260 वर्ष पूरे भारत वर्ष को वर्षा जल ग्रहण तकनीक के माध्यम से कवर करने में लगेंगे। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि वह 25 वर्षीय योजना, उस संसदीय स्थाई समिति की संस्तुति के बाद योजना आयोग ने बनाई है।.......*(व्यवधान)* आप सारी बात सुन लेंगे तो आपका कोई प्रश्न नहीं रहेगा, मेरी भी और आपकी भी ऊर्जा इससे बचेगी। महाराष्ट्र में विदर्भ की स्थिति निश्चित रूप से शोचनीय है। वहां छोटे किसान हैं, जल और उत्पादकता कम है। कपास का एक अनुसंधान संस्थान जो नागपुर में है, वहां हमने देखा है कि कपास की खेती को जो क्षति हुई है, उसके लिए जो एक इंटेग्रेटिड फैक्ट्स मैनेजमेंट और क्रोप्स प्रैक्टिसिज के विकास के माध्यम से उसको ठीक करने की बात कही है।

मैं इस बिन्दु पर आगे आऊंगा। उन्होंने कीटनाशकों की गुणवत्ता सही न होने की बात कही है। इस सम्बन्ध में सभी सदस्यों ने चिंता जतायी है। इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से प्रशासनिक उपाय किए जाने चाहिए। यह प्रायः प्रदेश सरकारों का उत्तरदायित्व होता है। मैं इसमें केन्द्र सरकार की भूमिका से हटना नहीं चाहता। जो परामर्श या सहायता हम से होगी, हम राज्य सरकारों की करने के लिए तैयार हैं।

श्री अमर पाल सिंह जी जो कि उत्तर प्रदेश से और मेरे ही जनपद मेरठ से आते हैं, उन्होंने कपास की खरीद में खामी होने की बात कही। कहीं-कहीं से यह रिपोर्ट आई थी कि कपास के कुछ भाव गिर रहे हैं इस वर्ष कपास के भाव न्यूनतम समर्थन मूल्यों से काफी ऊपर रहे हैं। वे कहीं नीचे नहीं रहे हैं। इस चर्चा में जो विषय रखा गया था कि लाभकारी मूल्य न मिलने के कारण आत्महत्याएं हुई हैं, ऐसा कहना उचित नहीं है। उससे कठिनाइयां तो बढ़ी हैं लेकिन यह फसलों के नष्ट होने से हुई है, मूल्यों के कम होने से नहीं हुई है। यह बात सदन को ठीक से समझ लेनी चाहिए। सदस्य इसको अन्यथा न लें।

एक माननीय सदस्य ने रबड़ के मूल्य के संबंध में कहा। पिछले वर्ष और पिछले से पिछले वर्ष इसके मूल्य बाजार में बहुत बढ़ गए थे। वह 55-56 और 60 रुपए तक चले गए थे। वह इस वर्ष गिरे हैं। इस सम्बन्ध में समर्थन मूल्यों को कृषि मूल्य आयोग मूल्य निर्धारित नहीं करता। वाणिज्य मंत्रालय इसकी व्यवस्था करता है। अभी मंत्रिमंडल ने एक निश्चय लगभग एक-डेढ़ सप्ताह पहले किया है जिसमें रबड़ की खरीद के लिए 34 रुपए के दाम पर जिसको उचित दाम माना गया है, रबड़ की खरीद करने के लिए एस.टी.सी. को आवश्यक निर्देश दिए हैं। जहां तक उसके आयात की बात कही गई है, रबड़ का आयात भारत में नहीं होता। केवल एडवांस लाइसेंसिंग स्कीम जिस में निर्यातपरक वस्तुओं के लिए कुछ रबड़ का आयात किया जाता है, वह केवल निर्यात के लिए किया जाता है। वह अपने देश में उपयोग करने के लिए नहीं किया जाता। मैं यह बात यहां स्पष्ट करना चाहूंगा।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थॉमस (मुवत्तुपुजा) : रबर के विषय में आपने बताया कि यह वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वास्तविक समस्या यह है कि यद्यपि यह खेती की फसल है। तथापि यह आपके मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती। हम वास्तव में दुःखी हैं। वे सिर्फ यही कहते हैं कि अग्रिम लाइसेंस से तो थोड़ा-सा रबर प्राप्त होता है। परन्तु यह बात नहीं है। मूल्य सिर्फ एक साल तक नहीं बढ़ा।

[श्री पी. सी. थॉमस]

अनेक वर्षों तक 50 रुपये अथवा इससे अधिक मूल्य बना रहा। अचानक इसमें गिरावट आनी शुरू हुई है। यह 65 रुपये से तेजी से घटकर 25 रुपये और इससे भी कम रहने लगा। ऐसे में किसान कैसे अपनी जीविका चला सकते हैं ? परन्तु, वाणिज्य मंत्रालय जो कि सिर्फ व्यावसायिक पक्ष की ओर ध्यान देता है, इस मामले को बिल्कुल नहीं देख रहा है। हम चाहते हैं कि आपके अंतर्गत एक पृथक मंत्रालय अथवा कम से कम एक विभाग हो। यह बेहतर होगा।

श्री सोमपाल : ऐसा नहीं है कि कृषि मंत्रालय को इसकी चिंता नहीं है। ऐसा क्यों है कि हम इससे कतई चिंतित नहीं हैं। मैंने आपको पहले ही यह बताया है कि मंत्रिमंडल ने एक निर्णय लिया है और इसने राज्य व्यापार निगम को 34 रुपए मूल्य पर खरीद करने का निर्देश दिया है। मैं मानता हूं कि मूल्यों में काफी गिरावट आयी है। इसीलिए हम इसके लिए समर्थन दे रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं। राज्य व्यापार निगम को यह निर्देश दिया गया है कि वह इनका स्वदेशी बाजार में विपणन नहीं करे। वे इसे कुछ समय तक भंडार में रखेंगे ताकि समर्थन मिल सके क्योंकि यदि एक तरफ उनके द्वारा खरीद की जाती है तथा दूसरी तरफ इसे बेचा जाता है तो इससे मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह निर्णय पहले ही लिया जा चुका है।.......*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मैं सभी बातों का जवाब दूंगा। आप बेचैन मत हों। मैं आपकी बात पिछले तीन दिनों से सुन रहा हूं।

श्री अमर पाल सिंह जी ने किसानों को उनके उत्पादों के कम मूल्य और व्यापारिक दरें यानी किसान के सापेक्ष मूल्य वितरित होने की बात कही। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। ब्रिटिश शासन काल में भी और स्वतंत्रता प्राप्ति के पूरे काल में यदि आप मूल्यों के ग्राफ को देखें तो यह पाएंगे कि 70 के दशक में केवल तीन या चार प्रारम्भिक वर्षों को छोड़कर 1970-71, 1971-72, 1972-73 और कुछ अंश में 1973-74 में, यह तो टर्म्स ऑफ ट्रेड है, यदि इनको 100 के बराबर माना जाए तो कृषि उत्पादों के लिए यह 84 और 94 के बीच रहा।

उसका परिणाम यह है कि बारह, साढ़े बारह प्रतिशत की हानि कृषि क्षेत्र को प्रति वर्ष होती रही है और इसका परिणाम यह है कि सात से साढ़े सात वर्ष के बीच में किसान की प्रति व्यक्ति आय और दूसरे व्यवसायों में लगे लोगों की प्रति व्यक्ति आय में एक और दो का जो अंतर 60 और 70 के दशक में था, एक अनुमान के अनुसार वह एक और चार का है, और दूसरे अनुमान के अनुसार वह एक और छः से भी ज्यादा हो गया है। यानी खेती में लगे व्यक्ति की आय जितनी है, दूसरे व्यवसायों में लगे लोगों की आय उनसे छः गुना अधिक चली गई है।

सभापति जी, इसमें किसी के दो मत नहीं हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कृषि ने उन्नति की है, किसानों की दशा सुधरी है, पर जितना आर्थिक विकास जिस दर से होना चाहिए था, उस दर से नहीं हुआ और उसको जो प्रतिफल मिलना चाहिए था, उसमें कृषक और ग्रामीण समुदाय को उसका उचित भाग नहीं मिला। इसके कारण किसानों की दशा बिगड़ी है, गांवों में आक्रोश बढ़ा है और जो इस प्रकार के किसान आंदोलन हुए हैं, कहीं-कहीं उन्होंने हिंसात्मक रूप से भी अपनाया है। यह बात सभी मानते हैं कि इस पर चिंता की जानी चाहिए। इस पर मैं सदन का ध्यान चाहूंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि गंभीरता से इस विषय पर बात करके कृषि उत्पादों के संबंध में जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुतियां हैं, उसमें अधिक ध्यान देकर सदस्य अपने सुझाव भेजें। जो कृषि संबंधी स्थायी समिति है, वह इसकी समीक्षा करती है। सी.ए.सी.पी. द्वारा जो मूल्य संस्तुतियां की जाती हैं, उनकी समीक्षा प्रति वर्ष कृषि संबंधी स्थायी समिति करती है और उसमें कोई भी सदस्य जाकर अपनी राय जाहिर कर सकता है। यदि उन्हें लगे कि फार्मूला ठीक नहीं है तो वह सुझाव दे सकते हैं। पर अभी तक जिस तरह से वह कीमतें तय की जाती हैं, उसके संबंध में मैं सदन को संक्षिप्त रूप में अवगत कराना चाहूंगा।

डॉ० रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह) : मूल्य निर्धारण में किसानों की ज्यादा भागीदारी होनी चाहिए।

श्री सोमपाल : यह भागीदारी है कि आप सांसद बने बैठे हैं। आप समिति में जाइए और भागीदारी हो जाएगी।

डॉ० रामकृष्ण कुसमरिया : वह कम है।

श्री सोमपाल : कम नहीं है। यदि 543 सांसद नहीं कर पाएंगे तो समिति में दो आदमी नहीं कर पाएंगे। रुचि लेने की बात है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां ज्यादा बात करने के बजाय समिति में भी ज्यादा रुचि लें।

सी.ए.सी.पी. जिस प्रणाली का अवलंबन करता है, इस प्रकार के मूल्यों के निर्धारण में, उसमें उत्पादन की लागत और जो खेती के काम आने वाली वस्तुएं हैं, उनकी कीमतों में जो परिवर्तन होते हैं और जो निवेशों और उत्पादों का परस्पर सापेक्ष मूल्य हैं, उनके ऊपर ध्यान रखकर बाज़ार के जो मूल्य हैं, ऐतिहासिक रूप से रहे हैं, उनको ध्यान में रखकर, सारी फसलों के अंतः-फसल मूल्यों को ध्यान में रखकर और जो औद्योगिक उत्पाद हैं, और विनिर्मित उत्पाद हैं, उनकी कीमतों का अंदाजा लगाकर और जो सामान्य मूल्य स्तर है पूरे देश का, उसके संबंध में इनका किस तरह का मूवमेंट रहा है, उसको ध्यान में रखकर और किसानों और दूसरे वर्गों के जो रहन-सहन का खर्चा है, उसका हिसाब लगाकर, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो कृषि उत्पादों के मूल्य हैं, उनका ध्यान रखकर, और जो वस्तुएं किसान खरीदता है और जो वस्तुएं किसान बेचता है, उनके मूल्यों के संबंध को ध्यान में रखकर सी.ए.सी.पी. मूल्यों की संस्तुति करता है और इसके तीन चरण हैं। एक चरण है सी-1 जिसमें सारे सीधे-सीधे जो खर्चे होते हैं, वह लगाये जाते हैं। सी-2 है जिसमें लेबर और जो घरेलू लेबर है, उसको लगाया जाता है और सी-3 कोस्ट है जिसमें प्रबंधन का जो खर्चा किसान करता है जिसको मैनेजीरियल कौस्ट या प्रौफिट कहते हैं, 10 प्रतिशत वह जोड़ा जाता है। उसमें हम प्रायः ध्यान रखते हैं

कि सभी कृषि उत्पादों के मूल्यों की सी-3 चरण तक की लागत को आरक्षित करके मूल्य घोषित किया जाए और उसके संबंध में खाली मूल्य घोषित किया जाना एक बात है पर उनको उस स्तर तक बनाए रखना दूसरी बात है। क्योंकि किसान की कठिनाई यह है कि जब फसल बोता है और जब फसल आएगी, उसके बीच में सारे व्यय चलते रहते हैं, चाहे वह ब्याज के हों, घर के हों या खेती पर आने वाले खर्चे हों। किसान की फसल एक बार आती है, उसकी आय का कोई नियमित स्रोत नहीं है, जैसे वेतनभोगियों या उद्योगपतियों या व्यापारियों का है। उसकी प्रतीक्षा करते-करते जब फसल आती है तो उसका धैर्य जवाब दे जाता है और वह मजबूर हो जाता है विवशता में उसकी बिक्री करने को, और उसका लाभ बाजार में बैठे लोग लेते हैं। इसलिए सरकार की भूमिका इसमें आती है।

रात्रि 8.00 बजे

उसका समर्थन करने के लिए जो व्यवस्थाएं हमने की हैं, उनमें मुख्यतः धान, गेहूं और कुछ अन्य फसलों के लिए तो भारतीय खाद्य निगम खरीद करता है और उन मूल्यों को बनाये रखने का प्रयास किया जाता है। इसी तरह से भारतीय जूट निगम (जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया) जूट की खरीद करता है, भारतीय कपास निगम (सी.सी.आई.) कपास की खरीद करता है और नैफेड जैसी संस्थाएं बागवानी में आलू, कोकोनट और दूसरी प्रकार की सब्जियों की खरीद करता है और इसके माध्यम से हम यह प्रयास करते हैं कि किसान को कम से कम उसकी लागत से नीचे मूल्य नहीं मिले। जहां तक इस वर्ष का सवाल है, कुछ-कुछ सूचनाएं कहीं से ऐसी आई हैं कि कुछ चीजें और कुछ उत्पाद के दाम इन समर्थन मूल्यों से कहीं-कहीं नीचे गिरे हैं। उनकी सूची भी है, मैं इसमें कोई चीज छिपाना नहीं चाहता, यह सूचना भी मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। गेहूं के दाम के विषय में जो 510 रुपये उसका मूल्य घोषित किया गया, जिसमें 55 रुपये बोनस भी सम्मिलित है। 480 रुपया राजस्थान में कहीं से रिपोर्ट हुआ। उदयपुर राजस्थान में 500 रुपये, पश्चिम बंगाल में 490 रुपये....... *(व्यवधान)* पहले हम अगर बोल लेंगे तो आपका सवाल ही नहीं रहेगा, आप लोगों को बड़ी बेचैनी है। पूरी सूचना पढ़ने दीजिए, नहीं होगा तो बता दीजिए। बाजरा का 360 रुपये का जो न्यूनतम मूल्य है उसकी अपेक्षा जयपुर राजस्थान में 305 रुपये, भरतपुर में 310 रुपये, आगरा, उत्तर प्रदेश में 210 रुपये, दिल्ली में 350 रुपये। मक्का, जिसका 360 रुपये न्यूनतम भाव हैं, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, राजस्थान में और बहराइच उत्तर प्रदेश में कम मूल्य पर बिका है। इसी प्रकार रागी, आंध्र प्रदेश में और कोपरा केरल में इस भाव से नीचे गिरा है। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मेरी सूचना है, वहीं कहीं-कहीं भाव कम मिले हैं। परंतु उसका मुख्य कारण यह है कि वर्षा के कारण गेहूं भीग गया था। उस संबंध में आपने खाद्य मंत्रालय से यह कहा है कि जो एफ.ए.क्यू. नॉर्म्स हैं, जो औसत गुणवत्ता के संबंध में मानक निर्धारित किये गये हैं, उनमें कुछ शिथिलता लाई जाए जिससे कि वह गेहूं खरीदा जाए और वह गेहूं खरीदने का समय भी बोनस सहित बढ़ा दिया जाए। खाद्य मंत्रालय इस संबंध में आवश्यक निर्देश भेज देगा।

श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन (बालाघाट) : माननीय मंत्री जी, मध्य प्रदेश में धान 200 रुपये क्विंटल तक बिका है और 350 रुपये तो गवर्नमेंट ने रेट निर्धारित किया है।

श्री सोमपाल : इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। अगर ये सूचना देंगे तो उसकी जांच कराई जायेगी। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य बीच में टोका-टाकी न करें, पहले ही बहुत समय हो गया है।

श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन : सभापति महोदय, हम टोका-टोकी नहीं कर रहे हैं, हम आपसे चाहते हैं कि किसानों को उनके अधिकार मिलें, उन्हें फसल का वाजिब मूल्य मिले।

श्री सोमपाल : इसी प्रकार कोकोनट के भाव में भी कमी की बात हमारे सामने आई है और जहां तक उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की बात है, मैं आपकी अनुमति से सदन को सूचित करना चाहता हूं कि पूर्व सरकार ने यह अधिसूचना जारी नहीं की और यह कहा कि चूंकि अभी चुनाव आने वाला है, इसलिए जो सरकार आयेगी, वही निर्णय करेगी और जब से हम लोगों ने सत्ता का भार संभाला तो एक आवश्यकता होती है कि सभी संबंधित मंत्रालयों से उस फाइल के ऊपर पुनः टिप्पणी प्राप्त करनी पड़ती है। आप स्वयं इससे परिचित हैं। वह सब अभी तैयार हैं, एक बार मंत्रिमंडल के समक्ष जाने की बात है, घोषणा कर दी जायेगी। प्रायः यह फरवरी में घोषित हो जाना चाहिए, निश्चित रूप से विलम्ब हुआ है, यह बात मैं आपसे छिपाना नहीं चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : इसकी कब तक संभावना है?

श्री सोमपाल : शीघ्र ही।

[हिन्दी]

श्री अमरपाल सिंह जी ने कृषि उत्पादों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के प्रतिबंध और पाबंदियों के विषय में बात कही है। मैं इस सदन को सूचना देना चाहता हूं कि भारत सरकार ने इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं रखा है। पहले डॉ० मनमोहन सिंह जी घोषित कर चुके थे, हमने भी कहा है, पर कुछ राज्य कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हैं जो अपने स्थानीय कारणों से इस प्रकार की पाबंदियां प्रदेश सरकार के कार्य क्षेत्र में उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कानूनों के तहत लगा देते हैं। परंतु मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी हानि उत्पादक को भी होती है। चूंकि उन उत्पादन वाले स्थानों में फसल के समय आपूर्ति मांग से अधिक हो जाती है और भाव गिर जाता है और उसके ऊपर प्रतिबंध के कारण तरह-तरह के अनावश्यक प्रभार व्यापारी को देने पड़ते हैं। कई बार उसको उत्कोच (रिश्वत) भी देनी पड़ती है। एक तो जब वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसका भाव बढ़ जाता है जिससे उपभोक्ता को कठिनाई होती है। मुझे 1993 का स्मरण है।

[श्री सोमपाल]

सभापति महोदय, जब यहां पर मोगा, हापुड़, करनाल और दिल्ली की मंडियों में 395 से 415 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं के भाव थे, तो मुम्बई में 850 से 1100 रुपए प्रति क्विंटल का भाव था। हम चाहेंगे कि सारी प्रदेश सरकारें इसमें हमारा सहयोग करें और मैं इस संबंध में उनसे चर्चा और विचार-विमर्श करूंगा। उनको सहमत कराने का केन्द्र सरकार की ओर से प्रयास होगा। कृषि के उत्पादों पर, चाहे वे खाद्यान्न हों अथवा नकदी फसलें हों, उनके आने-जाने पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाई जाए। जितनी भी रुकावटें, वे समाप्त कर दी जाएं जिससे उत्पादक को भी सहूलियत हो और उपभोक्ता को भी उचित कीमत के ऊपर चीजें उपलब्ध कराई जा सकें।

श्री अमरपाल सिंह जी ने कृषि आधारित उद्योगों ने उत्पादों पर और उद्योगों के ऊपर लागू प्रतिबंधों की भी बात कही है। उनकी यह बात सही है। अब से तीन-चार वर्ष पहले तक किसान अपनी धान से चावल तक नहीं बना सकता था। मैं अपने माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे मेरी इस बात को अन्यथा न लें। मैं आप लोगों से यह बात कहना चाहता हूं कि पूरे 45-46 वर्ष तक, आपके राज में किसान अपने धान से चावल नहीं बना सकता था। यह सुविधा उसे प्राप्त नहीं थी कि वह अपने द्वारा पैदा किए गए धान से चावल बना सके। तीन-चार वर्ष पहले वह बात संसद की स्थाई समिति में आई। स्थाई समिति की अनुशंसा के बाद राइस मिलिंग एक्ट को रिपील किया गया। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी चीजें थीं। उन पाबंदियों को समाप्त किए जाने की बात है। आज भी चीनी के ऊपर पूर्ण पाबंदी है और एक ऐसा अन्यायपूर्ण कार्य था जिसकी सानी पूरे विश्व में नहीं मिल सकती थी और उसका विवेक और उसका तर्क मेरी समझ में आज तक नहीं आया। खांडसारी उद्योग, जो छोटा उद्योग है, ग्रामीण उद्योग है और उसके स्वामित्व की अधिक विकेन्द्रित व्यवस्था है, उसके संसाधनों की और उसका जो प्रतिफल आता है, उसका बंटवारे का भी ज्यादा डैमोक्रेटिक और लोकतांत्रिक तरीका है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने वाला है। उसके ऊपर 1931 में ब्रिटिश सरकार ने वैक्यूम पैन टैक्नोलौजी जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगाया था और वह प्रतिबंध इस वर्ष तक समाप्त नहीं किया। बार-बार संसद की स्थाई समिति की संस्तुति के बाद भी हमने वह प्रतिबंध इस बार समाप्त कर दिया है और यह हमारी सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है। इस प्रतिबंध के लगने से राष्ट्र की जो हानि हो रही थी वह सुनिए - 24.30 लाख टन चीनी उतने ही गन्ने से अतिरिक्त बनेगी। यदि उस प्रौद्योगिकी का प्रयोग उनको करने दिया जाए और उसका जो लाभ किसानों को होगा वह और कई दूसरी बातें हैं लेकिन चूंकि समयाभाव है, इसलिए मैं उस विस्तार में नहीं जाऊंगा। इसी प्रकार से शीरे और दूसरे उद्योगों के ऊपर जो पाबन्दी लगी हुई है, उसको भी समाप्त करने की दिशा में प्रयास किया जाएगा।

मैं श्री अमर पाल सिंह जी और दूसरे सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे सरकार से कहें और हम भी उसमें सहयोग करेंगे कि वे सारे प्रतिबंध हटाएं, चाहे वे निर्यात के हों, वे सभी समाप्त किए जाएं। वाणिज्य मंत्रालय ने यह बात कही है कि केवल कुछ खाद्यान्नों को छोड़कर जिनमें भारत की आंतरिक आवश्यकता के लिए पर्याप्त खाद्यान्न की उपलब्धता को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाएगा, बाकी सभी चीजों के निर्यात के ऊपर से प्रतिबंध हटा लिया जाए, चाहे कपास का निर्यात हो, चाहे जूट का निर्यात हो या और कोई चीज का हो।

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक बात पूछना चाहता हूं कि वैक्यूमपैन टैक्नालौजी की अनुमति पुरानी खांडसारी मिलों को रहेगी या नहीं?

श्री सोमपाल : जहां तक मेरी जानकारी है, पूर्व से विद्यमान जो खांडसारी मिलें हैं उनको अनुमति रहेगी और जो नई इकाइयां हैं, उनको मिल के रिजर्व एरिया में नहीं लगने दिया जाएगा। मेरी तो जानकारी यही है।

सभापति महोदय, डॉ० बलराम जाखड़, जो बहुत दिनों तक कृषि मंत्री रहे हैं, कल उन्होंने उन सब विषयों के ऊपर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जो हम उनके संज्ञान में लाते रहे और उन्होंने हमारी बात सुनी नहीं, लेकिन दुर्भाग्य से वे इस समय यहां नहीं बैठे हैं। फिर भी मैं उनके सभी बिन्दुओं की बात कहूंगा। उन्होंने प्रामाणिक बीज और घटिया कीटनाशक दवाओं के संबंध में कहा है। उनकी बात से सदन के सभी सदस्य सहमत थे कि इनकी व्यवस्था की जानी चाहिए, लेकिन यह प्रदेश सरकारों का उत्तरदायित्व है और हम भी उसमें सहयोग करेंगे, मैं इस बात को पुनः कहना चाहता हूं। कर्जा अदायगी कानून के विषय में मैं पहले कह चुका हूं। भारत कपास निगम द्वारा खरीद की बात पहले कह चुका हूं। गन्ने का भुगतान नहीं होने की बात का जहां तक सवाल, कहीं-कहीं से इस तरह की रिपोर्टें हैं, लेकिन हमारे प्रदेश में तो प्रायः 86 प्रतिशत तक हो चुका है। यह भी आपके समय में, पिछले से पिछले वर्ष 1386 करोड़ रुपए तक बकाया हो गया था और उस समय उसकी व्यवस्था करनी पड़ी थी। जहां तक कर्जा वसूली के ऊपर मोरेटोरियम की बात है, तो रिजर्व बैंक और नाबार्ड को ये निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। कहीं-कहीं री-शेड्यूलिंग हो चुकी है, मोरेटोरियम भी किया है और उन्होंने यह बात भी कही थी कि राज्य सरकारों को छोड़कर हम सीधे उसमें दखल दें। पर जैसा मैंने कहा, हमारी सांवैधानिक व्यवस्था के तहत न तो ऐसा किया जाना संभव है और न वांछित है। हम उनको सहयोग के लिए प्रवृत्त कर सकते हैं पर वे जब तक स्वयं अनुमति नहीं दें, तब तक हमारा दखल किया जाना अनुचित होगा।

बीमा योजना के संबंध में भी उन्होंने बात कही है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा और अभी-अभी हमने यह बात कही कि मोडीफाई क्रॉप इंश्यारेंस स्कीम, पहले से एक कम्प्रहेंसिव इंश्यारेंस स्कीम थी जिसमें 10 हजार रुपये तक की सीमा थी। वह कुछ जिलों में लगने की बात थी। हम जो नई योजना लाने जा रहे हैं जिसका सैद्धान्तिक रूप से हमने निर्णय ले लिया है, उसके लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में कर दी गई है। उसे 24 चुने हुए शहरों में लागू करने की बात थी। उसमें हमने लोनी और नॉन लोनी कम्पोनेंट बनाकर, लोनी कम्पोनेंट के लिए और नॉन लोनी कम्पोनेंट के लिए स्वैच्छिक रखने की बात कही है और उसको

सभी फसलों के लिए, सभी प्रदेशों में कालांतर में लागू कर दिया जायेगा। इसके संबंध में वैधानिक व्यवस्था, संस्थागत व्यवस्था और जो क्षति होती है उसके आकलन के लिए क्या प्रक्रियायें अपनाई जायें, उसके लिए अलग से निगम बने या सामान्य बीमा निगम के अंदर बने, यह सब व्यवस्था बहुत शीघ्र आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी जायेगी और सदन में चर्चा के उपरान्त यह बात होगी।

उन्होंने सबसिडी के विषय में भी बात कही और यह बात सभी सदस्यों ने कही। सबसिडी के विषय में एक भ्रामक बात कृषि के संबंध में भारत में कही जाती है जैसे व्यापारिक और औद्योगिक लोग कहते हैं कि बहुत सारी सबसिडी दी जाती है। आज भी जितना सकल कृषि उत्पाद हमारे राष्ट्र का है, उस पर केवल 9.34 प्रतिशत सबसिडी के तौर पर जाता है और एक अनुमान के अनुसार उसमें कुछ तो खासकर उर्वरक कारखानों द्वारा पूरा का पूरा किसान को नहीं दिया जाता। इससे ज्यादा सबसिडी भारत में कभी कृषि को नहीं दी गयी। यदि दूसरे देशों की बात देखी जाये, मेरे पास आंकड़े हैं, तो आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि जापान में सकल कृषि उत्पाद का 68 प्रतिशत सबसिडी के रूप में दिया जाता है। यूरोपियन इकनोमी समुदाय में लगभग 48 या 43 प्रतिशत दिया जाता है अमेरिका के भी मेरे पास कहीं फिगर होंगे, वह मैं आपको दिखा दूंगा। यह भ्रामक स्थिति है कि बहुत बड़ी सबसिडी दी जाती है और इसकी आवश्यकता भी नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से यह मानता हूं और आप भी मेरे से सहमत होंगे कि किसान को याचक बनाने की स्थिति तक धकेलना उचित नहीं है। उसको मांगना पड़े, उसके आत्मसम्मान को ठेस लगे, इससे ज्यादा भ्रामक स्थिति किसान की नहीं हो सकती। इससे बड़ा दुर्व्यवहार किसान के साथ नहीं हो सकता। यदि उसके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कर दिया जाये तो उसे सबसिडी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब क्योंकि एक राष्ट्र की सोची-समझी उद्देश्यपरक नीति है कि कुछ कमजोर वर्गों को, निश्चित वेतन भोगियों को सस्ते दरों के ऊपर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है और कुछ उद्योग धंधों को सस्ता कच्चा माल देना, वैसे यह ब्रिटिश नौकरशाही परस्तनीति है जिसका संचालन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी होता रहा है। टर्म्स ऑफ ट्रेड इसी का प्रमाण है। सोची समझी नीति यह रही कि समाज के नगरों में रहने वाला जो मुखर वर्ग है, मजदूर सहित जो सभी समुदाय हैं, जो उद्योग-धंधे पहले ब्रिटिश सरकार करती थी, बाद में भारत में भी ऐसा होता रहा, उनको सस्ता कच्चा माल, खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक नीति का निर्धारण करके इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है इसलिए कुछ चीजों के ऊपर राहत दी जानी, सबसिडी दी जानी किसान के लिए अनिवार्य है। उसको मांगना पड़े, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। यदि वह विवश है तो सरकार को यह भूमिका अदा करनी चाहिए।

इसके अलावा फसलोपरांत तकनीकी की बात कही गयी, भंडारण की बात कही गयी। इस संबंध में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो कृषि नीति हम बनाना चाहते हैं उसके अंदर हम प्रावधान करने जा रहे हैं कि कृषि के उत्पादों का, खाद्यान्न और दूसरे उत्पाद भी चाहे सब्जी हो, फल हो, दूध हो, उनके भंडारण की व्यवस्था केवल ग्रामीण क्षेत्रों में की जाये, वह कई तरह से लाभकारी होगा क्योंकि शहर की भूमि बहुत महंगी है। 50-60 हजार रुपये गज नारायणा और लारेंसगंज जहां भंडारण बने हुए हैं, में मिलती है। यह किसी भी आर्थिक दृष्टि से विवेकपूर्ण निर्णय नहीं कहा जा सकता है। उसको गांवों में जहां भूमि सस्ती है, ईंट सस्ती है, श्रम सस्ता है, जहां आवश्यकता से अधिक पैदा होता है वहां किसानों की पूंजी को भी लगवाया जा सकता है और उसके बदले जो किराया आयेगा, उसका बंटवारा किया जा सकता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण की व्यवस्था पूर्ण हो जायेंगी और एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में जो अपव्यय होता है और हमारे देश के यातायात पर जो आकस्मिक दबाव पड़ता है, शहरों में भूमि के ऊपर जनसंख्या का जो दबाव है, वह भी घटेगा। उसमें एक सुविधा हम और करना चाहते हैं कि लाइसेंसशुदा गोदामों की एक श्रृंखला स्थापित करेंगे और वह एक रसीद इशू करेगा। उस रसीद को लेकर बैंक से किसान लोन प्राप्त कर सकेंगे, यह व्यवस्था भी की जायेगी। यह नीति भी हमारा एक अंग रहेगी।

इसी प्रकार शीत भंडारण और दूसरे खाद्य प्रंसस्करण और कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए भी, यदि सदन सर्वसम्मति से चाहे तो, मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि यदि इस संबंध में कानून भी पारित करना पड़े तो कर देना चाहिए।

सिंचाई की बात कही गई। प्रौद्योगिकी और तकनीकी के प्रसारण की बात कही गई। कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना का संकल्प किया गया, शायद केवल 211 केन्द्र स्थापित किए गए। हमसे पूर्ववर्ती सरकारों ने इस निर्णय में परिवर्तन कर दिया कि जितने हो गए हैं उससे अधिक नहीं करेंगे। मैं आपको हर्ष के साथ सूचना देना चाहता हूं कि योजना आयोग और इस सरकार ने निर्णय किया है कि भारत के प्रत्येक जनपद में एक कृषि विज्ञान केन्द्र पूर्व संकल्प के अनुसार स्थापित किया जाएगा और यह कृषि विज्ञान केन्द्र इस प्रकार की सूचना प्रशिक्षण कृषकों को प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे।

सिंचाई के संबंध में सभी ने चर्चा की है। कृषि का काम एक मानव प्रयास है जो जैविक उत्पाद करने के लिए, भूमि, जल और जैव सम्पदा का उपयोग करता है। उसे कृषि कहा जाता है। इन तीनों के भरपूर दीर्घकालीन, टिकाऊ उपयोग की एक नीति हम बनाने जा रहे हैं। उसमें जल के विषय में, मैं पहले कह चुका हूं कि हमारा ज्यादातर जोर दो बातों पर होगा--एक तो जो सिंचाई की परियोजना अपने अंतिम चरण तक पहुंच चुकी है, हमने इस प्रकार की 103 सिंचाई परियोजनाओं को चिन्हित किया है जिनमें 4000 करोड़ रुपये के करीब लगाया जाए तो दो वर्ष में 9 लाख 75,000 हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई की भूमि की व्यवस्था हो सकती है। उसके लिए 1300 करोड़ रुपये इसी बजट में रख दिया गया है। शेष राशि अगले वर्ष में आ जाएगी। दूसरा, 25 वर्षीय 75,800 करोड़ रुपये की जो योजना, योजना आयोग ने बनाई है, उसके तहत 677 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है और उसमें 64 मिलियन हेक्टेयर की अतिरिक्त व्यवस्था होगी। वह एक बहुत समग्र, समेकित और सर्वांगीण योजना है जिसमें न केवल वर्षा का जल एकत्रित किया जाएगा बल्कि वर्षा जल ग्रहण क्षेत्र, वाटरशैड के बेसेस पर कृषि का सर्वांगीण विकास किया जाएगा।

[श्री सोमपाल]

भूमि का जलमग्न होना और उसकी निकासी की जो योजना है, उनके संबंध में उन्होंने पीलीबंगा का उदाहरण देकर बात कही है। वह भी उसका एक अंग रहेगा।

सिंचाई की नई तकनीक के संबंध में माननीय जाखड़ साहब ने कहा। स्प्रिंकलर सैट और ड्रिप इरीगेशन को जो राहत दी जाती थी, वह अभी भी चालू है और उसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए 90 प्रतिशत और शेष के लिए 70 प्रतिशत, उसमें मैं सदन और आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, मेरा यह सुझाव सदा से रहा है कि ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकलर सैट के काम में आने वाला पाइप और दूसरे उपकरण, उनके कच्चे माल या उनके उत्पादन में काम आने वाली जो चीजें हैं उनके ऊपर पहले कटकर जो टैक्स लगता है, इम्पोर्ट ड्यूटी, सेल्स टैक्स, एक्साइज, उन सबको समाप्त करके उनको प्रथम बिन्दु पर महंगा कर दिया जाए। एक तरफ तो हमने बहुत बड़ी फौज करके इन करों को संग्रह करने के लिए काम किया और फिर दूसरी तरफ एक फौज दी जो इनकी सबसिडी देने जाएगी और दोनों प्रक्रियाओं में जो भ्रष्टाचार होता है, उससे भी सारा सदन अवगत है उससे बचा जा सकता है। किसान सीधे-सीधे उनको उपयोग में ले लेंगे। इस दौरे निष्फल आयाम का तर्कादार भी मेरी समझ में कभी नहीं आया। यह भी मैं आपके विचाराधीन प्रस्तुत करता हूं।

गेहूं के आयात की बात कही गई। गेहूं का आयात, पिछली बार जब फसल बोई गई थी, उस समय सभी पक्षों, सभी वर्गों और जितने भी चिन्ता रखने वाले लोग हैं, सबको यह आशंका थी कि वर्षा देर तक हुई, बुवाई समय पर नहीं हो पाई, इसलिए गेहूं का मुख्य साधन कम हो सकता है। उस समय उस सरकार ने 1.5 मिलियन टन आस्ट्रेलिया से आयात करने का निर्णय लिया। यह बात जरूर है कि 69 मिलियन टन जो पिछली बार पैदा हुआ था, उसके मुकाबले में शंका थी कि शायद यह कहीं 61-62 न हो जाए। परन्तु बाद में जलवायु में ठंड अधिक समय तक रहने के कारण फसल में सौभाग्य से सुधार हुआ और अब 66 मिलियन टन से अधिक उत्पादन होने का अनुमान है। उस दृष्टि से उतनी कमी नहीं हुई है। लेकिन क्योंकि एक अनुबंध हो चुका था, इसलिए वह आ गया। लेकिन माननीय जाखड़ साहब ने उसमें खरपतवार होने की बात कही है। यह बात सही है कि उसमें 36 प्रकार के खरपतवार हैं और आस्ट्रेलिया की सरकार ने उसकी पूरी सूची और उनके पूरे सैम्पल भेज दिए थे। उसमें से कुछ ऐसी हैं जिनको वैरी सीरियस कहा जाता है। उनकी आशंका यह रहती है कि यदि वह गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में चले गए तो वे इस प्रकार से उपजेंगे कि दूसरी फसलों को होना दूभर कर देंगे। इसलिए निर्णय लिया गया था कि जो गैर-गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं, उनके बंदरगाहों के माध्यम से उसे लाकर उन्हीं क्षेत्रों में खपा दिया जाए। उसी प्रकार उसका उपयोग किया जा रहा है।

भूमिगत जलस्तर नीचे जाने की बात कही गई। हमने नैशनल वाटरशैड डैवलपमैंट प्रोजैक्ट फॉर रेनफैड एरियाज की योजना बताई है, उसके माध्यम से ऐसा करने की बात है।

श्री राधाकृष्ण जी ने रबड़ और खोपरे की बात की थी, उस सम्बन्ध में मैं प्रकाश डाल चुका हूं। श्री सरपोतदार जी ने गेहूं के आयात, कृषि नीति और दूध के दाम के विषय में बात कही थी, उसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। महाजनों से ऋण लेने की बात थी, उसका भी मैंने जवाब दिया है।

माननीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी, जो अभी सभापति पद पर आसीन हैं, उनका भावुकतापूर्ण समाजवादी अंदाज का भाषण भी सुना। कृषि बीमा मात्र औपचारिकता नहीं रहेगी, जैसी आशंका आपने बताई है, यह बात मैं पहले ही कह चुका हूं। वर्तमान व्यवस्था और प्रस्तावित प्रारूप में अन्तर है। उसको निश्चित रूप से व्यवहार्य बनाया जायेगा, अव्यवहार्य नहीं रखा है। पहले सारी योजना अव्यवहार्य थी, वह अनुदान से थी।

सभापति महोदय : उसमें पहले जिला यूनिट थी।

श्री सोमपाल : जिला इकाई, पर बाद में उसको ग्राम को इकाई मानकर बनाया जायेगा और पंचायत के स्तर के ऊपर किया जायेगा, इसमें कोई दो राय नहीं हैं यह बात भी आपने कही थी, मैं अभी कहने वाला था।

[अनुवाद]

गांव को एक इकाई के रूप में माना जायेगा तथा समय के साथ-साथ इसे सभी कृषि उत्पादों पर लागू किया जायेगा.......*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

जहां तक रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने कृषि के सकल उत्पाद में योगदान की बात कही, वह घटा है और यह कोई अनहोनी बात नहीं है। विकास की प्रक्रिया में गुजरे हुए सभी देशों के सम्बन्ध में यह बात सत्य है। यहां दुर्भाग्य की बात यह है कि कृषि का योगदान, अंशदान तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में घटा है, पर उसके ऊपर आधारित जनसंख्या उस अनुपात में कम नहीं हुई है, इसीलिए प्रति व्यक्ति आय घटी है। जब तक वैकल्पिक व्यवसायों की व्यवस्था और उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं बढ़ाई जायेगी, इस समस्या का समाधान नहीं होगा। आधारभूत ढांचे में जो रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फंड है, उसमें हमने 2500 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष से 3000 करोड़ रुपये करके नाबार्ड को इस प्रकार के आदेश देकर और दूसरी व्यवस्थाएं करके सड़क और प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, भण्डारण और विपणन की व्यवस्था में सुधार करके ये सारी चीजें प्राप्त की जायेंगी।

उत्तरी बिहार और बिहार, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सम्पन्नता के बीच में विपन्नता का जो भयावह दृश्य बिहार उपस्थित करता है, उसका भी कोई उदाहरण भारत में कहीं भी शायद मिलता नहीं। इतनी प्राचीन सभ्यता, लगता ऐसा है कि बिहार में बड़ी प्राचीन सभ्यता है, शायद सभ्यता की गली में चलते-चलते बिहारी थक गये हैं, शायद बाहर जाना चाहते हैं। बिहारियों की यह आदत है कि वे पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं, उत्कर्ष की भी और अपकर्ष की

भी, अब शायद दूसरा चरण आ रहा है। मैं चाहता हूं कि बिहार के लोग, वहां आपकी सत्ता है, मैं भी आपके बराबर में बैठा हूं, मैंने बहुत बार सुझाव देने का प्रयास किया है, पर जो संवेदनहीनता बिहार के प्रशासकों की है, उसका भी कोई मुकाबला नहीं है, यह भी आपको मान लेना चाहिए। गंडक कमाण्ड क्षेत्र में जल जमाव की बात आपने की, वाटरशेड मैनेजमेंट की बात कही, यह सब इसी में है। लघु सिंचाई योजना के विकास की बात है, निश्चित रूप से जो हरित क्रान्ति का क्षेत्र है, जो केवल 37 प्रतिशत भारत का सिंचित क्षेत्र रहा है, उसने ज्यादातर कृषि का उत्पादन बढ़ाया है और आगामी दूसरे चरण की हरित क्रान्ति इन क्षेत्रों से आनी है, जहां वर्षापात तो बहुत अच्छा है, परन्तु सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, जिसमें पूर्वी राज्य और पूर्वोत्तर राज्यों को हमने पहले से चिन्हित किया है और उन्हीं का सबसे ज्यादा अंशदान इस जल संभरण योजना और लघु सिंचाई विकास योजना के तहत दिया जायेगा। उसमें राज्य सरकारों के सहयोग और सहकार के बिना यह सम्भव नहीं हो पायेगा। मैं आपके माध्यम से यह बात पूर्वी राज्यों को और विशेषकर बिहार की सेवा में विनम्र निवेदन करना चाहता हूं।

श्री राजवीर सिंह जी ने यह बात सही कही कि ये जो आत्महत्याएं की हैं, ये किसी एक कारण की परिणति नहीं है, बहुत से कारणों से की हैं, जिसमें से अभी हमने चर्चित भी कर दिये हैं। कृषि नीति के सम्बन्ध में उन्होंने बात कही थी। कृषक समुदाय के संगठित नहीं होना और उसकी बारगेनिंग कैपेसिटी कम होना उसकी विवशता की बात है, इसीलिए सरकार को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है। यह भी बात सारे विश्व में होती है। अमेरिका जैसा देश, जहां केवल 1.3 प्रतिशत लोग खेती पर आधारित हैं, वहां भी इस तरह का समर्थन कृषि को दिया जाता है, जो 1930 में रूजवेल्ट की न्यू डील पॉलिसी के एक अध्याय के रूप में प्रारम्भ किया गया था, अभी तक भी उसी तरह से चालू है। मैंने जापान, यूरोपियन इकोनोमिक समुदाय, कनाडा, सब की चर्चा की, वहां भी इस तरह की चाज है।

उर्वरकों और विषैले रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण मृदा की उर्वरता के ऊपर पड़ने वाले कुप्रभाव के विषय में मैं सदन को चेतावनी देना चाहता हूं। इसको राजनैतिक मुद्दा नहीं बनायें और यह आरोप लगाना बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं इसको मना करना चाहता हूं, इसको डिनाई करना चाहता हूं, इन्कार करना चाहता हूं कि मैंने यह बात सत्ता पक्ष में होने के कारण कही, मेरे पास इसके अनेक उदाहरण हैं।

मैंने विपक्ष में होते हुए राज्य सभा में इस सम्बन्ध में अनेक प्रश्न पूछे और अपने भाषणों में कहा। सदस्य चाहेंगे तो उनकी प्रतियां भेज दूंगा। यह मेरे लिए कोई नया विषय नहीं है। मृदा की उर्वरता के ऊपर न केवल नत्रजनवाले उर्वरकों, बल्कि फास्फेटिक पोटाश वाले उर्वरकों से भी उर्वरा के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है, टाक्सिविटी बढ़ती है और सारी खाद्य श्रृंखला में वह चली गई है। कैंसर जैसे रोग, पशुओं के स्वास्थ्य के ऊपर और उसकी वातावरण में विद्यमानता और अतिविद्यमानता के कारण जो अतिहानिकारक कीड़े हैं, उनका पैदा होना और फसलों को नुकसान पहुंचाना तथा फसलों में जो रोग निरोधक शक्ति है, उसमें कमी आना, ये सारे दुष्प्रभाव पड़ते हैं। जब तक इसकी कीमत नहीं बढ़ाएंगे, इसमें फर्क नहीं आएगा। यह माननीय सदन तक हैं, मैं नहीं चाहता कि इसको नारे के रूप में प्रयोग किया जाए। 40 प्रतिशत यूरिया भारत में अधिक प्रयोग के कारण अपव्यय होता है। सीधा पड़ने से मृदा की संरचना, उसके टैक्सचर, सॉइलस्ट्रक्चर, कम्पोजीशन, उसकी रासायनिक संरचना, सबकी ऊपर दुष्प्रभाव पड़ रहा है और नाइट्रेट के जमाव के कारण जल, मिट्टी और सारे खाद्य पदार्थ दूषित हो रहे हैं। उनके विषैले अवशेषों की विद्यमानता अंतर्राष्ट्रीय मानक के हिसाब से कई गुना अधिक है। अगर केवल दूध का ही उदाहरण लें तो 52 जिलों में से 1172 सैम्पल इकट्ठे किए गए थे। इंटरनेशनल क्रोडेक्ट में 0.05 पार्टिकल पर विद्यमान की मात्रा स्वीकार्य है और हमारे यहां 4.5 है, यानि 90 गुना आवश्यकता से अधिक है। ये सारे विषैले पदार्थ हम पी रहे हैं।

[अनुवाद]

डॉ० रवि मल्लू : हम इन सभी बातों से सहमत हैं। लेकिन जहां तक यूरिया की दरों में वृद्धि का संबंध है, हमारे दृष्टिकोण में अंतर है। हम आपके द्वारा दिए गए विभिन्न वैज्ञानिक स्पष्टीकरणों से पूर्णतः सहमत हैं। हम केवल यूरिया की दरों में वृद्धि से सहमत नहीं हैं.......*(व्यवधान)*

श्री सोमपाल : कृपया मुझे इसका स्पष्टीकरण देने दें। मैंने कोई निर्णय नहीं लिया है।

डॉ० रवि मल्लू : हम आप पर दोषारोपण नहीं कर रहे हैं।

श्री सोमपाल : मैंने तो इसे केवल सदस्यों तथा सभा के विचारार्थ रखा है। यदि वे इसके विपरीत निर्णय लेते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह सभा द्वारा विचार के लिए है। यदि सदस्य अनुभव करते हैं, तो वे निर्णय ले सकते हैं और यदि हम सब इस पर सहमत हैं कि इन सभी चीजों को जारी रखा जाये, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री वेंकटरामी अनन्त रेड्डी (अनन्तपुर) : क्या यह आपकी व्यक्तिगत राय है? सरकार का क्या निर्णय है?

श्री सोमपाल : मैंने अपना दृष्टिकोण रखा है लेकिन एक मंत्री के रूप में भी.......*(व्यवधान)* मैं उभयभावी रूप से कैसे व्यवहार कर सकता हूं।

डॉ० रवि मल्लू : मंत्री के रूप में, आपने कल असंतुलन के सिद्धांत की व्याख्या की। हम इससे सहमत हैं। हम केवल यूरिया की दरों में वृद्धि पर आपत्ति प्रकट कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सोमपाल : नदियों का पानी बेकार जाने की बात और भूमिगत जल स्तर के भयावह दर से गिरने की बात कही गई है। आप भी इस बात को जानते हैं कि कई सौ ब्लॉक डार्क और ब्लैक क्षेत्र घोषित किए गए हैं, जहां 65 से 85 प्रतिशत भूमिगत जल का दोहन हो चुका है। इस अतिदोहन के कारण जल का स्तर और

[श्री सोमपाल]

गिर रहा है। उसकी भी वर्षा ग्रहण तकनीक है। जहां तक नदियों के पानी बहने की बात है, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि जितना भी वर्षापात भारत में होता है, वह 70-80 दिन में होता है। वर्षभर उसी पानी को रोक कर काम चलाना पड़ता है। जितनी वर्षा का जल पड़ता है भारत भूमि के ऊपर उसका मात्र 17.25 प्रतिशत उपयोग होता है, बाकी सब बह जाता है और अपने साथ उपजाऊ मिट्टी को काटकर ले जाता है। इसका उपयोग करने के उपाय भी इस नीति का एक अंग रहेगा।

श्री भास्कर राव ने भी कुछ बातें आंध्र प्रदेश के विषय में कही। उन्होंने गेहूं के ऊपर बोनस देने की बात कही और धान के ऊपर बोनस नहीं देने की बात कही। गेहूं के ऊपर बोनस विशेष परिस्थितवश दिया गया था। इस सम्बन्ध में उनके राज्य ने कुछ बोनस दिया है, उसके आंकड़े मेरे पास हैं, लेकिन इस समय उपलब्ध नहीं हैं, मैं बाद में बता दूंगा। जहां तक किसानों को शिक्षण और प्रशिक्षण देने की बात कही है, तो मैं पहले ही इंशोरेंस कवर की बात कह चुका हूं।

[अनुवाद]

किसानों को अनुग्रह राशि का भुगतान समस्या का कोई समाधान नहीं है। मैं इससे सहमत हूं। लेकिन ऐसे गंभीर मामलों तथा असाधारण और विशिष्ट परिस्थितियों में यह कम से कम एक ऐसी सांत्वना है जो प्रभावित व्यक्ति के नजदीकी रिश्तेदार को दी जानी चाहिए। लेकिन यह अंतिम समाधान नहीं है। मैं उनसे सहमत हूं। जिन चीजों पर हम चर्चा कर रहे हैं वे ही अंतिम समाधान हैं और वे अल्पकालिक, दीर्घकालिक और मध्यकालिक ही समाधान हैं।

माननीय सदस्य ने कहा है कि किसान कीमतें निर्धारित नहीं कर सकते हैं। मैं पहले ही इस तथ्य पर यह करते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त कर चुका हूं कि किसान संगठित नहीं हैं। इसलिए वे कीमत लेने वाले हैं। कीमत निर्धारित करने वाले नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह जी ने कुछ बातें भंडारण, कृषि नीति औरं दूसरे विषयों के ऊपर कही हैं और बिहार के जिस पठारी और अर्ध-पठारी क्षेत्रों की चर्चा उन्होंने की है, उसके संबंध में जो वर्षा जल ग्रहण तकनीक है, उसमें उन्हीं क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी, उन्हीं क्षेत्रों को सबसे पहले इसके लिए चयनित करके केन्द्र सरकार की तरफ से शत-प्रतिशत अनुदान इस योजना के लिए राज्यों को दिया जाएगा।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा जी ने भी कई महत्वपूर्ण बातें कहीं हैं और इस संबंध में मैं सदस्यों की बात से सहमत हूं कि इस प्रकार की सूचना और किसानों को इस प्रकार की जानकारी देने का काम सरकार और दूसरी एजेंसियों के माध्यम से दिया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

उन्होंने फसलों की असफलता तथा कुछ अन्य चीजों का भी जिक्र किया जिसे मैं पहले ही अपने भाषण में बोल चुका हूं।

श्री के. येरननायडू ने प्रधानमंत्री राहत कोष से विशेष राहत देने की बात कही है। प्रधानमंत्री पहले ही इस बात पर विचार कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इस सम्बंध में क्या निर्णय लिया गया है। लेकिन इस पर विचार पहले से ही हो रहा है जहां तक अन्य चीजों का संबंध है, राहत.......*(व्यवधान)*

श्री एस. सुधाकर रेड्डी (नालगोंडा) : हमने एक समिति के गठन का सुझाव उन क्षेत्रों का दौरा करने के लिए दिया था जहां किसानों ने आत्महत्या की थी। हमने कहा था कि समिति को उनकी आत्महत्या के कारणों का पता लगाना चाहिए।

श्री सोमपाल : मैं उस बात पर आ रहा हूं। यह पहले से ही मेरी सूची में है।

जहां तक नकली कीटनाशी दवाओं - विशेषकर आंध्र प्रदेश में पता चले मामलों में - की बिक्री का संबंध है, यह वास्तव में बड़े दुःख की बात है और फिर इसे रोकना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। यह बताया गया है कि आंध्र प्रदेश में इन दवाओं की सभी दुकानें उन लोगों की हैं जो साहूकार हैं। वे किसानों को विवश करते हैं कि वे उन्हीं के पास आएं और इन दवाओं की खरीद उन्हीं से करें चाहे वे दवाइयां अच्छी किस्म की हों अथवा नहीं हों। यह कोई सुखद स्थिति नहीं है। राज्य सरकार द्वारा इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। यदि उन्हें केन्द्र सरकार से कोई सहायता चाहिए तो हम उसे देने को तैयार हैं।

इतना ही महत्वपूर्ण है किसानों को इन दवाओं का सही समय पर सही प्रयोग करने के बारे में शिक्षित करना। विनाशकारी कीड़ा ''बाल वर्म'' कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब सहित समस्त राज्यों में महामारी बन गया है। इस ''बाल वर्म'' कीड़े की कपास की फली में घुसने की प्रवृत्ति है। एक बार जब यह फली में घुस जाता है तो यह बेकाबू हो जाता है क्योंकि फिर उस पर किसी कीटनाशी दवा का असर नहीं होता। इसलिए, सही समय पर सही छिड़काव करना नितान्त आवश्यक है। दूसरे, हमने ऐसे रोगों के जैव-नियंत्रण की नई तकनीकी के लिए एक वाइरस विकसित किया है। यदि इस वाइरस के अंडों का छिड़काव फसल पर कर दिया जाये तो यह तीन दिन के भीतर पैदा होकर समस्त हानिकर कीटों को खा कर चट कर जायेगा। यह परभक्षी है तथा यह मर भी जाता है क्योंकि इसका खाद्य पदार्थ समाप्त हो जाता है। हम सभी कपास उत्पादन वाले क्षेत्रों में ऐसी उत्पादन सुविधायें प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए भी हम राज्यों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हम यह तकनीक निजी क्षेत्र में भी लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगले दो वर्षों में पर्याप्त उत्पादन सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी।

गेंदे के फूलों की पंक्तियों में बुवाई करने की कतिपय अन्य तकनीकें भी हैं जिसे हैदराबाद स्थित आई.सी.आर.आई.एस.ए.टी. ने विकसित किया है। किसानों की विषैले रसायनों पर निर्भरता कम करके तैयार की गई इस जैव-नियंत्रण आधारित अंतर-फसलीय नाशीकीट प्रबन्ध की तकनीक के प्रयोग से संबंधित शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

हमारे मित्र श्री गोपालासामी, जिनका नया नाम वैको है, ने वाद-विवाद में भाग लिया है। उन्होंने एक सुझाव भी दिया है जिसे मैं पहले ही बता चुका हूं। श्री धनंजय कुमार ने भी कमोबेश वही बातें कहीं हैं। यह मेरी बातों की पुनरावृत्ति थी। श्री जालप्पा, जो तत्कालीन वस्त्र मंत्री थे, ने कपास के नेवाड़ों पर निर्यात प्रतिबन्ध को हटाने के बारे में मेरे सुझावों को नहीं सुना था और अब मौजूदा सरकार से इसे हटाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन हम निश्चित तौर पर उनके सुझाव पर समुचित रूप से विचार कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री कुसमरिया जी ने राहत के प्रावधान के संबंध में यह बात कही कि ब्रिटिश शासनकाल में जो व्यवस्था की गई थी, वही व्यवस्था आज विद्यमान है। निश्चित रूप से इसमें आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है और मैं उनकी बात से सहमत हूं। हम इस संबंध में कृषि समिति और सरकार के साथ चर्चा करेंगे। हम उस चर्चा को इनिशिएट करेंगे।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी ने भी कई बातें कही और पूर्व मंत्री होते हुए एक आंकड़ा गलत दे दिया कि 32 करोड़ हेक्टेयर भूमि के ऊपर खेती होती है जबकि सारे भारत का भौगोलिक क्षेत्र 32.9 करोड़ हेक्टेयर है।

केवल 14.2 करोड़ हेक्टेयर में खेती होती है। बाकी उन्होंने सुझाव की कोई बात नहीं कही है, राजनीतिक भाषण ज्यादा दिया है। नकली सिंह जी ने भी अपनी बातें कही हैं। सबसे ज्यादा भावनापूर्ण वक्तव्य पूर्व प्रधानमंत्री जी ने दिया। वे स्वयं प्रधानमंत्री रहे हैं। मैं उनकी बातों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, हमारे सम्माननीय हैं। जो काम वे स्वयं कर सकते हैं और हमें उत्तरदायित्व देना चाहते हैं। उनकी अनुपस्थिति में टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन ने भी कतिपय सुझाव दिए हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि सिंचाई लाभ योजना के विस्तार को छोड़कर कोई नया सुझाव दिया गया है। इस संबंध में, हमने चालू वर्ष के बजट में पहले ही 13,000 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं और उन्होंने रबड़ और अन्य चीजों के बारे में पूरा ध्यान दिया है।

उन्होंने पोलीरीथेन के बारे में कुछ कहा है। महोदय, मैं आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहता हूं कि पोलीरीथेन का आयात कुछ अन्य प्रयोगों के लिए अर्थात् फोम के उत्पादन हेतु किया जा रहा है। यह उद्योग एक ऐसा है जो पोलीरीथेन के आधार पर ही पनपा है। यह रबड़ का विकल्प नहीं है। इससे उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए इसके आयात की अनुमति है और यह जारी रहेगी।

[हिन्दी]

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, इनके भी ज्यादातर सुझाव वही हैं, जो पहले रखे हैं।

श्री चन्द्रशेखर साहू, श्री अनूप लाल यादव - इन्होंने मिट्टी के जमाव और बाढ़ से उत्तरी बिहार को होने वाली हानि की बात कही है। जूट की कीमत के संबंध में कहा है। जूट की कीमत के संबंध में मैं एक बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। जूट की कीमत और समर्थन मूल्य को बचाए रखने के लिए जूट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया परचेज आपरेशन करता है, जैसे फूड कार्पोरेशन अन्न के संबंध में करता है। इस कार्पोरेशन की पांच करोड़ से स्थापना की थी और इसमें 112 करोड़ रुपए पूंजी बना ली थी। किसी एक बिन्दु पर बंगाल सरकार से आग्रह के कारण जो जूट मैन्यूफैक्चरिंग एसोसिएशन हैं, इसको जूट सप्लाई की जाती है। इसके पास कई सौ करोड़ रुपया देय है। मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, जूट कार्पोरेशन आफ इंडिया को पैसा नहीं दे रहा है, इस वजह से परचेज ऑपरेशन अस्त-व्यस्त हो जाते हैं। इससे किसानों को नुकसान होता है। इस संबंध में प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। मैं इसमें प्रयास कर रहा हूं और माननीय सदस्यों का इसमें सहकार चाहूंगा।

[अनुवाद]

डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी ने कुछ सुझाव दिये हैं जिन्हें पहले ही शामिल कर लिया गया है, उन्होंने कपास के सम्बंध में टेक्नोलॉजी मिशन के बारे में एक विशिष्ट सुझाव दिया था। हम पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि बजट में 9 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष कपास के सम्बन्ध में इस टेक्नोलॉजी मिशन को, कपास उत्पादन और कपास की फसल पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए शुरू कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

रामानन्द सिंह जी, बिहार के माननीय सदस्य ने भूमि स्वामित्व कानून के विषय में, छोटी योजनाओं के संबंध में कहा है, यह राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र की बात कही है। छोटी इकाइयों के लिए हमें जो अनुदान देना है, वह हम उन्हें दे चुके हैं। आनन्द मोहन सिंह जी, श्री गौरीशंकर बिसेन जी ने संतुलित उर्वरक खाद की बात कही है। यह बात आवश्यक बात है। प्रभाठाकुर जी महाराष्ट्र, प्रभुनाथ सिंह जी बिहार, श्री वीरेन्द्र सिंह जी, श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी ने पूर्वोत्तर राज्य के बोडो क्षेत्र के विषय में बात कही है। पूर्वोत्तर राज्यों के विषय में 10 प्रतिशत राशि सभी मंत्रालयों से लेकर एक पूल बनाने की बात कही है। इसमें आपके राज्य के लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है। इस संबंध में हम आपसे चर्चा कर लेंगे।

[अनुवाद]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : क्षमा करें, महोदय मैंने .... की मांग का उल्लेख किया है.......*(व्यवधान)*

श्री सोमपाल : श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी, हम इस पर चर्चा करेंगे। मैं इसे चर्चा के लिए लूंगा। हम आपके सुझाव पर रचनात्मक विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री के.डी. सुल्तानपुरी जी ने पर्वतीय क्षेत्रों में परती भूमि के विषय में बात कही है। हमारी कृषि नीति में यह भी सुझाव है। यह फिर राज्य सरकारों का क्षेत्र है। 80 मिलियन हैक्टेयर परती भूमि भारत में पड़ी है, जिसमें से आधी वनीकरण के लिए और आधी कृषि के लिए उपयोग की जा सकती है। यदि भूमिहीन लोगों को, छोटे किसानों को, सीमान्त किसानों को, लघु किसानों को, शिक्षित बेरोजगारों को, कृषि स्नातकों को और पूर्व सैनिकों को यह आर्थिक रूप से लाभकारी होगी, यदि इसको ईकाई के रूप में संगठित करके आवंटित कर दें और वह राष्ट्र की सम्पत्ति बन सकती है। इसमें भूमि के कटाव से भी बचा जा सकता है। पट्टेदारी के नियमितीकरण की बात कही है। गढ़चिरौली के विषय में राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से बात कर सकती है। श्रीमती कैलाशो देवी ने ज्यादातर राजनैतिक बातें कहीं। श्री बी.एम. मेनसिंकाई, कर्नाटक, उन्होंने मिर्च उत्पादक किसानों के संबंध में बात कही है, ये हमारे सीएसीपी और समर्थन मूल्य के तहत नहीं आते हैं। इसमें राज्य सरकार को दखल है, फिर भी हम यह बात उनसे कह लेंगे।

श्री वी. सत्यमूर्ति, श्री रवि मल्लू, श्री शैलेन्द्र कुमार, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्यों ने, जिन्होंने नहरों की वाहिकाओं में जल का अभाव और मिट्टी के जमाव की बात कही, जिससे उनकी जल वहन क्षमता घटी है, यह भी चिन्ताजनक बात है। हम कमांड एरिया डेवलप ऑथोरिटी के तहत इस संबंध में एक समय समेकित उपाय करने जा रहे हैं। श्री नरेश पुगलीया ने महाराष्ट्र में टीम भेजने की बात कही थी, मैं निवेदन कर चुका हूं कि महाराष्ट्र सरकार से हम इस संबंध में बात करेंगे। यदि हमारी सहायता की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से अध्ययन दल वहां भेज दिया जाएगा।

महोदय, सभी सदस्यों ने एक समिति की स्थापना की बात कही है। मैं आपके सामने एक निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि संबंधी स्थाई समिति पहले से है, यदि उसी को उसका उत्तरदायित्व दे दिया जाए और वह आकर समयबद्ध रूप से रिपोर्ट कर दे तो इस बात की पूर्ति हो सकती है।.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ० रवि मल्लू : हमने, आत्महत्याओं के कारणों का पता लगाने और इन सम्बंध में निवारक उपाय सुझाने के लिए सभी पार्टियों की एक संसदीय समिति गठित करने की बात कही है।

श्री सोमपाल : ऐसा अध्यक्ष महोदय कर सकते हैं। वे ऐसी समिति नियुक्ति कर सकते हैं। लेकिन संसद की कृषि सम्बंधी स्थायी समिति एक सर्वदलीय समिति है जिसे वहां जाकर आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए कहा जा सकता है। किसी नई समिति का सृजन किए बिना यह कार्य उस समिति को सौंपा जा सकता है। मैं नहीं समझता, कि इसमें कोई बुराई है, लेकिन इस मामले पर माननीय अध्यक्ष महोदय को विचार करना है।

डॉ० रवि मल्लू : लेकिन महोदय, यह समिति तो केवल बजटीय प्रस्ताव और अन्य चीजों को देखती है। आत्महत्या के मामलों की जटिलता को ध्यान में रखते हुए, मैं आपसे एक विशेष समिति गठित करने का अनुरोध करना चाहूंगा ताकि किसानों की ओर विशेष ध्यान दिया जा सके।

श्री सोमपाल : माननीय सदस्य अपने सुझाव माननीय अध्यक्ष को भेज सकते हैं और एक संसदीय समिति वहां जाकर जांच कर सकती है। हमें कोई आपत्ति नहीं है।

डॉ० रवि मल्लू : महोदय, आंध्र प्रदेश उन राज्यों में से ऐसा राज्य है जहां आत्महत्याओं की सबसे ज्यादा घटनाएं हुई हैं।

श्री सोमपाल : मैं सहमत हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : सदन की समिति बनाने का अधिकार माननीय अध्यक्ष महोदय को है, मंत्री जी के वक्तव्य के मुताबिक वे सहमत हैं, उनकी कोई असहमति नहीं है।

.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. सुधाकर रेड्डी (नालगोंडा) : महोदय, आत्महत्या के कारणों की जांच करने के लिए कृषि मंत्रालय में एक विशेषज्ञ समिति गठित करने की आवश्यकता है।

श्री सोमपाल : मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि वे सदस्य जिनकी कृषि पृष्ठभूमि है इस मामले के सम्बंध में अच्छे विशेषज्ञ हैं। कृपया आप विशेषज्ञों पर निर्भर न रहें। हम अपने आप में एक अच्छे विशेषज्ञ हैं यदि हम असलियत का पता नहीं लगा सकते तो अन्य कोई भी व्यक्ति असलियत का पता नहीं लगा सकता।

श्री एस. सुधाकर रेड्डी : संसद सदस्यों के साथ-साथ इसमें कुछ कृषि अर्थशास्त्री भी हो सकते हैं।

श्री सोमपाल : वे पहले से ही राज्यों में हैं।

[हिन्दी]

श्री विक्रम केशरी देव, श्री के.एच. मुनियप्पा – कर्नाटक, श्री सेल्वारासु तमिलनाडु, श्रीमती रीना चौधरी – मोहनलाल गंज, उत्तर

प्रदेश और मल्लिकार्जुनयूपा, जो हमारे लोक सभा के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने एक बात किसी रीवर के डायवर्शन की कही है। यह राज्य सरकार की बात है परन्तु यदि इसमें केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता होगी, उसकी व्यवहार्यता परियोजना की है तो उसके संबंध में बात की जा सकती है।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरे सदन का, अध्यक्ष जी का और आप सब का पुनः आभार व्यक्त करता हूं।

सभापति महोदय : सदन की कार्यवाही कल दिनांक 4 जून, 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

रात्रि 8.43 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार 4 जून, 1998/14 ज्येष्ठ, 1920 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।